बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

BCC:ISD:114:16:119 03.06.2022

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 **BSE CODE : 532134**	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 **NSE CODE : BANKBARODA**

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda - Annual Report 2021-22

We refer to our letter no. BCC:ISD:114:16:118 dated 02.06.2022 and annex Annual Report 2021-22 of our Bank.

We request you to take note of the above under Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the same on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal
Company Secretary

bob World

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT

2021-22

आपकी दुनिया में हम हैं सदा आपके साथ

WE LIVE IN YOUR WORLD

विषयसूची

Index

विषय	पृष्ठ
अध्यक्ष का संदेश	07
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधकारी का वक्तव्य	11
निदेशकों की रिपोर्ट	16
कार्पोरट गवर्नेनन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र	86
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	88
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	144
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	145
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	151
तुलन पत्र	154
लाभ व हानि खाता	155
महत्वपूर्ण लेखा नीतयां	166
नकदी–प्रवाह विवरण	263
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	265
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	282
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	283
समेकित वित्तीय विवरणियां	284
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा – समेकित	368
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	369
लाभांश संवितरण नीति	370
नोटिस	376
हरित पहल – शेयरधारकों सेअपील	392

Contents	Page
Chairman's Statement	09
MD & CEO's Statement	14
Directors' Report	53
Auditors' Certificate on Corporate Governance	86
Corporate Governance Report	88
Declaration by MD & CEO	144
Secretarial Audit Report	148
Key Financial Indicators	151
Balance Sheet	154
Profit & Loss Account	155
Significant Accounting Policies	173
Cash Flow Statement	263
Auditors' Report	273
Declaration of Unmodified Opinion	282
CEO / CFO Certification	283
Consolidated Financial Statement	284
Declaration of Unmodified Opinion - Consolidated	368
CEO / CFO Certification	369
Dividend Distribution Policy	373
Notice	384
Green Initiative Appeal	392

नोट : शेयरधारक "व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट" और "बासेल-III प्रकटीकरण" को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं.

Note: The Shareholders can view / download "Business Responsibility Report" and "Basel–III Disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.in

मोबाइल सुपर ऐप | Mobile SuperApp

bob World

WE LIVE IN YOUR WORLD

SAVE

- Digital A/c opening in 10 mins
- Digital Deposits opening - Tax Saving FD & RDs
- Best-in-class welcome offers
- Instant universal payments instrument
- QR Code based payments

BORROW

- 3 clicks; 30 seconds Personal Loans
- 4 steps; 30-minute Business Loans
- 100% Digital Journey with Instant Disbursal
- Wide range of loan products offerings from INR 10,000 to 5 crore
- Digital Credit Sanction & Disbursement even for Non-BoB customers

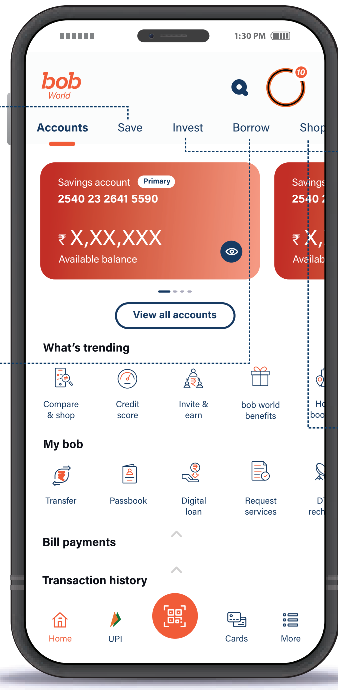

INVEST

- Easy to Invest/ Buy Insurance option
- Wide range of services offered
- Apply IPO
- Invest in Mutual Fund
- Open Demat Account

SHOP & PAY

- Milestone-based rewards across categories
- Increased customer engagement through multiple e-commerce & shopping options

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए डिजिटल बैंकिंग अब ग्राहकों के लिए प्राथमिक इंटरफ़ेस बनता जा रहा है. मौजूदा डिजिटल चैनलों में ब्रिक और मोर्टार शाखाओं को छोड़कर मोबाइल बैंकिंग, भीम बड़ौदा पे, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) शामिल हैं, इससे ग्राहकों के लेनदेन में सुगमता के साथ-साथ संतुष्टि स्तर में भी वृद्धि हुई है.

बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप का नवीकरण किया है. बॉब वर्ल्ड बैंक ऑफ़ बड़ौदा का अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल बैंकिंग और लाइफस्टाइल फीचर्स से संबंधित सुविधाएं प्रदान करता है. यह बचत, उधार, निवेश के साथ-साथ यात्रा योजना, खरीदारी, होटल बुकिंग आदि सहित लाइफस्टाइल पेशकशों से संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सोल्युशन है. इसे चुटकियों में ऑल-इन-वन ऐप के साथ घर से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह ऐप उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने हेतु लॉगिन करने और लेनदेन के लिए दोहरी पिन के साथ सुरक्षित है.

द इकोनॉमिक टाइम्स बीएफएसआई इनोवेशन ट्राइब अवार्ड्स के चौथे संस्करण में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बॉबवर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग उत्पाद का पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अलावा, बैंक को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो एंड अवार्ड में लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है.

For Bank of Baroda, digital banking is now increasingly becoming the primary interface for customers. The existing digital channels include mobile banking, BHIM Baroda Pay, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers (SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS) apart from the brick and mortar branches. This has enhanced the customer's ease of transactions as well as satisfaction.

The Bank has revamped its mobile banking app. bobWorld is Bank of Baroda's state of art digital banking platform offering a suite of mobile banking and lifestyle features. It is a one stop solution for financial services related to savings, borrowing, investments as well as lifestyle offerings covering travel planning, shopping, hotel bookings etc. It is designed to offer Banking-from-home with the All-in-One App at your fingertips. The app is a secured with dual pin for login and transactions offering the highest level of safety.

Bank of Baroda was conferred the award for Best Digital Banking Product for bobWorld, at the 4th Edition of The Economic Times BFSI Innovation Tribe Awards. Further, the Bank has been recognized as the Best Technology Bank for the 2nd year in a row at Indian Banks' Association's (IBA) Annual Banking Technology Conference, Expo & Awards.

बैंक समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी गरीबों को वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाओं की पेशकश प्रदान करता है. बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से व्यवसाय संग्रहीत करने के अवसर के रूप में भी लिया है. बैंक ने बैंक रहित क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरे देश में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 31 मार्च, 2022 तक अपने बीसी नेटवर्क को बढ़ाते हुए 16,018 बीसी से 39,338 बीसी कर दिया है. बीसी केंद्रों पर शुरू की गई नई सेवाओं में सेल्फ-सर्विस पासबुक की प्रिंटिंग, एनईएफटी, टीडी नवीकरण, कृषि के लिए ऑनलाइन लीड जनरेशन, एमएसएमई, रिटेल आस्तियां, क्रेडिट कार्ड एवं रिटेल देयताएं शामिल हैं. बैंक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) की बीसी सखी परियोजना को लागू करने वाली एजेंसियों में से एक है. मार्च 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बैंक की हिस्सेदारी पीएमजेडीवाई खातों में 15.60% और पीएमजेडीवाई खातों के तहत जमाराशियों में 17.42% रही.

The Bank offers banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost. Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through Business Correspondent (BC) model. Bank expanded its BC network by an additional 16,018 BCs to 39,338 BCs as on March 31, 2022 to cater to rural, semi urban and urban areas across the country including the unbanked areas. The new services introduced at BC point includes printing of self-service pass books, NEFT, TD renewal, Online lead generation for Agri, MSME, Retail assets, Credit cards & Retail liabilities. The Bank is one of the implementing agencies of BC Sakhi project of Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission (UPSRLM). The Bank's share in PMJDY accounts and deposits under PMJDY accounts. amongst PSBs stood at 15.60% and 17.42% respectively for March 2022.

नैतिक आचरण - दीर्घकालिक विकास एवं स्थिरता की आधारशिला

Ethics – corner stone of long term Growth and Sustainability

नैतिक आचरण एवं मूल्य किसी भी संगठन के दीर्घकालिक विकास एवं स्थिरता के लिए आधारशिला का निर्माण करते हैं. ये बैंकिंग क्षेत्र में और भी अत्यधिक महत्व रखते हैं. सुव्यवस्थित नैतिक आचरण फ्रेमवर्क के जरिए कर्मचारी नियोजन, कार्य संतुष्टि, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, ब्रांड इक्विटी एवं विश्वास को सुदृढ़ता से स्थापित किया जा सकता है.

इस दृष्टिकोण के साथ बैंक में व्यापक नैतिक आचरण संबंधी एजेंडा को लागू एवं अपनाए जाने के लिए कॉर्पोरेट नैतिकता विभाग की स्थापना की गई है. बैंक एक प्रभावशाली नैतिक संस्कृति विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है, जिससे कर्मचारियों, ग्राहकों एवं अन्य हितधारक के साथ और बेहतर विश्वास स्थापित हो सके.

केंद्रीय विषयों के रूप में सभी स्तरों पर समावेश एवं सहयोग को अपनाने के लिए जेंडर, जाति, संवर्ग, भूगोल, कार्य, पीडब्ल्यूडी, खेल एवं पूर्व सैनिक जैसे विविध प्रतिनिधित्व सहित संपूर्ण कार्यबल और सभी क्षेत्रों की प्रतिभागिता के साथ शीर्ष स्तरीय नैतिक समिति का गठन किया गया है. बैंक द्वारा आचरण संहिता का अपनाया जाना नैतिक आचरण एजेंडा के संबंध में प्रमुख कदम है. संगठन में नैतिकता संबंधी सरोकारों एवं मामलों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार की गई है. इस संहिता के निर्माण में हितधारक केंद्रित दृष्टिकोण रखा गया है जिसमें अंतत: कर्मचारी ही इस संस्कृति के संवर्धन के अग्रदूत हैं. यह संहिता हितधारकों के साथ होने वाले संपर्क-व्यवहारों हेतु एक मार्गदर्शी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है.

A well-defined ethics framework goes a long way in enhancing employee engagement, job satisfaction, organizational commitment, brand equity and trust.

With this view, Corporate Ethics department has been set up to drive the overall Ethics agenda for the Bank. Inclusiveness and collaboration are the central themes of the Ethic journey. The Bank endeavors to develop a strong ethical culture that leads to building of better trust with employees, customers and other stakeholders. An institutional mechanism for handling the ethical concerns and issues in the organization has been devised.

An Apex Level Ethics Committee has been formed from a cross section of workforce with diverse representations like gender, caste, cadre, geography, function, PWD, sports and ex-serviceman,. A major milestone of the Ethics Agenda would be the adoption of Code of Ethics which has strong alignment with our Core Values. The Code sets out a guiding framework for interactions with the stakeholders. The Code has been structured on stakeholders' based approach with the employees at the centre as the ultimate owners and drivers of the ethics culture.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा – "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में सम्मानित

Bank of Baroda recognised - "Great Place to Work"

बैंक अपने कर्मचारियों को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानता है और इसके पास 79,000+ से अधिक कर्मचारी हैं. बुनियादी स्तर पर सभी गतिविधियों के मूल में "कर्मचारी" होते हैं जो प्रमुख व्यवसाय प्रवर्तक हैं. बैंक अपने मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाने और उसे विकसित करने के लिए कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाने, कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, कर्मचारी नियोजन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं हितों की देखभाल करने तथा क्षमता निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरंतर कई पहलें करता रहा है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बैंकिंग उद्योग में हमेशा से अपनी मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता रहा है. वर्ष के दौरान, बैंक को 'ग्रेट एम्प्लॉयर्स प्रा. लिमिटेड' द्वारा "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में प्रमाणित किया गया है. यह दुनिया भर के संगठनों में कार्यस्थल संस्कृति की उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सम्मान है. इस प्रमाणीकरण के साथ, बैंक ने देश में सर्वोत्तम और प्रगतिशील मानव संसाधन प्रक्रियाओं वाले संगठन के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई है.

The Bank considers its employees as the most valuable asset and has a strength of over 79,000+ employees on its rolls. At a fundamental level, 'PEOPLE' are the key business enablers and at the core of all activities. The Bank has been continuously undertaking multiple initiatives for strengthening and developing its human resources through various activities to increase employee satisfaction, addressing the training needs of employees, employee engagement, taking care of health and wellness of the employees and capability building.

Bank of Baroda has always been recognized for its HR Policies and Practices in the industry. During the year, Bank has been certified as 'Great Place to Work' by 'Great Employers. Private Limited.' It is a gold standard recognition for recognizing work place culture in organizations around the globe. With this certification, Bank has also made a distinctive mark as an organization with best and progressive HR practices in the country.

लेखापरीक्षक / AUDITORS

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants

आर देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
R Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants

जे काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
J Kala & Associates
Chartered Accountants

व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
Vyas & Vyas
Chartered Accountants

दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
Dassani & Associates
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400051

निवेशक सेवाएं विभाग
7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400051

रजिस्ट्रार एंड अंतरण एजेंट
केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लाट नं. 31 व 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद 500032

डिबेंचर न्यासी
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,17, आर कमानी मार्ग,
बेलार्ड एस्टेट, मुंबई – 400 001
टेलीफोन: 022-40807000, ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

केनरा बैंक
एफ एम एवं एस विंग, प्रधान कार्यालय नं. 112,
जे सी रोड, बेंगलुरु – 560002
टेलीफोन: 080-22223165/080-22223170
ई-मेल: hoett@canarabank.com;

कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.
जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट),
पौड रोड, पुणे - 411 038
टेलीफोन: 020-2528 0081 ई-मेल: dt@ctltrustee.com

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
सेंट्रल बैंक – एमएमओ बिल्डिंग, तीसरा तल (पूर्व विंग)
55 एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई 400001
टेलीफोन: 022- 2261 6217, फैक्स: (022) 2261 6208
ई-मेल: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in

Head Office
Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara 390 007

Corporate Office
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051

Investor Services Department
7th Floor, Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051

Registrars & Transfer Agent
KFin Technologies Limited
(Unit: Bank of Baroda)
Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad 500032

Debenture Trustees
IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,
Ballard Estate, Mumbai – 400001.
Tel: 022-40807000 E-mail: itsl@idbitrustee.com

Canara Bank
FM&S Wing, Head Office, No. 112,
JC Road, Bangalore – 560002.
Tel: 080-22223165/080-22223170
E-mail: hoett@canarabank.com;

Catalyst Trusteeship Ltd
GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right),
Paud Road, Pune - 411 038
Tel: 020 - 2528 0081 E-mail: dt@ctltrustee.com

Centbank Financial Services Ltd
Central Bank - MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing)
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001
Tel: 022- 2261 6217, Fax: (022) 2261 6208
E-mail: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढिया
गैर – कार्यकारी अध्यक्ष
Dr. Hasmukh Adhia
Non-Executive Chairman

श्री संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

श्री अजय के. खुराना
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajay K. Khurana
Executive Director

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक
Shri Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

श्री देबदत्त चाँद
कार्यपालक निदेशक
Shri Debadatta Chand
Executive Director

श्री जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक
Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

श्री अमित अग्रवाल
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Amit Agrawal
GOI Nominee Director

श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Smt. Parvathy V. Sundaram
RBI Nominee Director

श्री अजय सिंघल
गैर – कार्यकारी निदेशक
Shri Ajay Singhal
Non-Executive Director

श्रीमती सौंदरा कुमार
शेयरधारक निदेशक
Smt. Soundara Kumar
Shareholder Director

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
शेयरधारक निदेशक
Shri Srinivasan Sridhar
Shareholder Director

श्री आलोक वाजपेयी
शेयरधारक निदेशक
Shri Alok Vajpeyi
Shareholder Director

सीवीओ	CVO
श्री प्रधान अशोक कुमार	MR. PRADHAN ASHOK KUMAR
मुख्य महाप्रबंधक / कार्यप्रमुख	**CGM/FUNCTIONAL HEADs**
श्री मल्होत्रा राजेश	MR. MALHOTRA RAJESH
श्री पुरुषोत्तम	MR. PURSHOTAM
श्री कुमार सुब्रत	MR. KUMAR SUBRAT
श्री राठी प्रकाश वीर	MR. RATHI PRAKASH VIR
श्री एम जगन मोहन	MR. M JAGAN MOHAN
श्री एलांगो बालासुब्रमण्यम	MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM
श्री मुदलियार संजय विनायक	MR. MUDALIAR SANJAY VINAYAK
श्री चोपड़ा जेठा नंद	MR. CHOPRA JETHA NAND
श्री मल्लादी वेंकट मुरली कृष्णा	MR. MALLADI VENKAT MURALI KRISHNA
श्री डोभाल संजीव	MR. DOBHAL SANJEEV
श्री ग्रोवर संजय कुमार	MR. GROVER SANJAY KUMAR
श्री अजय के खोसला	MR. AJAY K KHOSLA
महाप्रबंधक-मुख्य समन्वय / महाप्रबंधक	**GM-CC/GMs**
सुश्री चक्रबर्ती डे जया	MS. CHAKRABORTY DE JAYA
श्री दिनेश पंत	MR. DINESH PANT
श्री नामदेव दिनेश कुमार - सीवीओ, आईएफसीआई (प्रतिनियुक्ति पर)	MR. NAMDEO DINESH KUMAR - CVO, IFCI (On Deputation)
श्री ए सुदर्शन एस	MR. A SUDARSAN S
श्री गुप्ता मन मोहन	MR. GUPTA MAN MOHAN
श्री देवराकोण्डा आनंद कुमार	MR. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री रमेश गोपालरत्नम	MR. RAMESH GOPALARATNAM
श्री गुप्ता सर्वेश कुमार	MR. GUPTA SARVESH KUMAR
श्रीमती पांडे अर्चना	MRS. PANDEY ARCHANA
श्री एल श्रीधर इनुमेल्ला वी	MR. L SRIDHAR INUMELLA V
श्री दास तपन कुमार	MR. DAS TAPAN KUMAR
श्री वेणुगोपाल एन	MR. VENUGOPAL N
श्री पानेरी गजेन्द्र कुमार	MR. PANERI GAJENDRA KUMAR
श्री गग्गड़ रमेश चंद्र	MR. GAGGAR RAMESH CHANDRA
श्री गुप्ता अमर नाथ	MR. GUPTA AMAR NATH
श्री बेहरा नित्यानंद	MR. BEHERA NITYANANDA
श्री ग्रोवर देवेन्दर पाल	MR. GROVER DEVINDER PAL
श्री रंजन निशांत	MR. RANJAN NISHANT
श्री शर्मा प्रभात के	MR. SHARMA PRABHAT K
श्री सिंह शैलेन्द्र एच	MR. SINGH SHAILENDRA H
श्री चौधरी कमलेश कुमार	MR. CHOUDHARY KAMLESH KUMAR
श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली	MR. DHEERENDRA SETTIPALLI

श्री नायक ए सुधाकर डी	MR. NAYAK A SUDHAKARA D
श्री महनोत महेन्द्र सिंह	MR. MAHANOT MAHENDRA SINGH
श्री श्रीजित कोट्टारातिल	MR. SREEJITH KOTTARATHIL
श्री के वेंकटेशन	MR. K VENKATESAN
श्री कुमार मधुर	MR. KUMAR MADHUR
सुश्री सम्मिता सचदेव	MS. SAMMITA SACHDEVA
श्री त्यागी ललित	MR. TYAGI LALIT
श्री कुमार अश्विनी	MR. KUMAR ASHWINI
श्री डालाकोटी गिरीश सी	MR. DALAKOTI GIRISH C
श्रीमती गायत्री आर	MRS. GHAYATHRI R
श्री सिंह ब्रजेश कुमार	MR. SINGH BRAJESH KUMAR
श्री सिंह सुधांशु कुमार	MR. SINGH SUDHANSHU KUMAR
श्री सीताराम बुलुसु सूर्या	MR. SITARAM BULUSU SURYA
सुश्री केनी सविता दत्तात्रेय	MS. KENI SAVITA DATTATRAYA
श्री खंडेलवाल वीरेंद्र कुमार	MR. KHANDELWAL VIRENDRA KUMAR
श्री बंसल महेश मिठूलाल	MR. BANSAL MAHESH MITHOOLAL
श्री डी दास	MR. D DAS
श्री सुशांत कुमार मोहंती	MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY
श्री सिंह इंदर मोहन	MR. SINGH INDER MOHAN
श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी	MR. SOLANKI HARSHADKUMAR T
श्री शर्मा सुनील कुमार	MR. SHARMA SUNIL KUMAR
श्री भगोलीवाल संजय	MR. BHAGOLIWAL SANJAY
श्री चयानी मनोज सुंदर	MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR
श्री शुक्ल सौरभ रविशंकर	MR. SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR
श्री नेगी रवीन्द्र सिंह	MR. NEGI RAVINDRA SINGH
सुश्री शेट्टी सुजाया यू - सीवीओ, एसबीआई (प्रतिनियुक्ति पर)	MS. SHETTY SUJAYA U - CVO, SBI (On Deputation)
श्री राव सिद्देला प्रसाद	MR. RAO SIDDELA PRASAD
श्री कौरा मनीष	MR. KAURA MANISH
श्री मित्तल पंकज	MR. MITTAL PANKAJ
सुश्री एम मिनी टी	MS. M MINI T
श्री तुली अमित	MR. TULI AMIT
श्री शंकर आनंद	MR. SHANKER ANAND
श्री तुंगारिया जगदीश कुमार	MR. TUNGARIA JAGDISH KUMAR
श्रीमती कडगटूर शीतल वेंकटेशमूर्त	MRS. KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURT
श्री नेगी विमल कुमार	MR. NEGI VIMAL KUMAR
श्री मुखर्जी अमिताव	MR. MUKHERJEE AMITAVA
श्री जक्कैया लालम	MR. JAKKAIAH LALAM
श्री कुमार राजीव	MR. KUMAR RAJEEV

श्री सरवनकुमार ए	MR. SARAVANAKUMAR A
श्री बसेठा विजय कुमार	MR. BASETHA VIJAY KUMAR
श्री एस रंगराजन	MR. S RENGARAJAN
श्री अग्रवाल रविंदर	MR. AGGARWAL RAVINDER
श्री पाई सुरेश	MR. PAI SURESH
श्रीमती बंदोपाध्याय स्वप्ना	MRS. BANDOPADHAYA SWAPNA
श्री सिंह राजेश कुमार	MR. SINGH RAJESH KUMAR
श्री संजीव	MR. SANJEEV
मुख्य वित्त अधिकारी	**CHIEF FINANCIAL OFFICER**
श्री डिसूजा इयान गेरार्ड	MR. DESOUZA IAN GERARD
मुख्य जोखिम अधिकारी	**CHIEF RISK OFFICER**
श्री एस अनंतरामन	MR. S ANANTHARAMAN
निदेशक मंडल के सचिव	**SECRETARY TO BOARD**
श्री आनंद डंगायच	MR. ANAND DANGAICH
कंपनी सचिव	**COMPANY SECRETARY**
श्री पी. के. अग्रवाल	MR. P. K. AGARWAL
अन्य कार्य प्रमुख	**OTHERS FUNCTIONAL HEADs**
श्री अखिल हांडा	MR. AKHIL HANDA
लेफ्टिनेंट जनरल सलारिया रणबीर सिंह	LTGN SALARIA RANBIR SINGH
श्री सबनवीस मदन	MR. SABNAVIS MADAN
श्री गिरीश पटनायक	MR. GIRISH PATNAIK
श्री भट्टाचार्य ध्रुबाशीष	MR. BHATTACHARYA DHRUBASHISH

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय हितधारकों,

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 (वि.व. 2022) के दौरान बैंक द्वारा की गई प्रगति एवं इसके कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ हुई और इसके प्रसार संबंधी अनिश्चितता ने पूरे विश्व में उच्च जोखिम की स्थिति उत्पन्न कर दी. विश्व भर में इस रूप बदलते वायरस के तीव्र प्रसार और विभिन्न देशों के लिए टीकों की असमान उपलब्धता ने संपूर्ण वैश्विक विकास की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया. हालांकि, टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अतिरिक्त नीतिगत आर्थिक प्रोत्साहन की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा की गई पहलों ने चरणबद्ध तरीके से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक सामान्य करने में मदद की. इस संबंध में भारत ने बहुत अच्छा कार्यनिष्पादन किया है जोकि सभी क्षेत्रों के सामान्य रूप से कार्य करने के कारण वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की जीडीपी वृद्धि से परिलक्षित होता है.

अर्थव्यवस्था के लिए इस उच्च विकास की गति का श्रेय सरकार के प्रयासों को दिया जा सकता है, जिसने कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हुए यथावश्यक पीएलआई प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराते हुए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया और राजकोषीय घाटे को लक्षित दर के अनुरूप बनाए रखा. इसके साथ ही पूंजीगत व्यय ने निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया है. हम वित्त वर्ष 2023 में प्रवृत्ति के मजबूत होने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं.

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में स्थितियां बेहतर हुई हैं. वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 20.3%, दूसरी तिमाही में 8.5%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 4.1% की वृद्धि हुई है. देश की आर्थिक गतिविधियों में समग्र पुनरुत्थान को देखते हुए पूरे वर्ष (वित्त वर्ष 2022) के लिए सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2021 के दौरान (-)6.6% के संकुचन की तुलना में 8.7% दर्ज किया गया है. वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.7% रही जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसओपी) के 8.9% और आईएमएफ के 8.2% के अनुमानों के अनुरूप रही. सरकार और नियामकों द्वारा की जा रही सक्रिय पहलों के फलस्वरूप हम मानते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में भी भारत की जीडीपी दर में वृद्धि जारी रहेगी और भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा.

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकास पर ध्यान केंद्रित रखने के कारण अपरिवर्तित रेपो दर के साथ एक उदार मौद्रिक नीति बनाए रखी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामारी और भू-राजनीतिक समस्याओं के कारण उत्पन्न स्थिति, जिसमें देश के वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता है, से निपटने के लिए विभिन्न पहलें की हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिक्विडिटी संबंधी समस्या को कम करने, बाजार में विश्वास बहाल करने और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाकर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इन सभी ने वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली के अच्छी तरह से पूंजी संवर्धित होने से आस्तियों की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार सुनिश्चित किया है.

डॉ. हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष

वित्त वर्ष 2022 के अंत में यूक्रेन में युद्ध ने वित्तीय अनिश्चितता को बढ़ा दिया है और चुनौतियों को समक्ष लाया है. भारत सरकार ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आपूर्ति में व्यवधान को कम करने के लिए सक्रियता से आवश्यक कदम उठाया है ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन सुनिश्चित किया जा सके.

सुरक्षित निवेश को अपनाने की ओर झुकाव के कारण जून 2020 के बाद से अमेरिकी डॉलर सूचकांक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ फेडरल रिज़र्व की उच्च ब्याज दर की नीति और रूस-यूक्रेन के बीच बढ़े हुए तनाव के परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं. यहां भी भारतीय रिज़र्व बैंक के त्वरित हस्तक्षेप और मार्गदर्शन ने निर्यात बाजार में रुपये की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखते हुए अस्थिरता पर अंकुश लगाना सुनिश्चित किया है.

इसके अलावा बढ़ती हुई तेल और कमोडिटी की कीमतें, युद्ध और प्रतिबंधों का लंबा चलना, लंबे समय तक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव से उत्पन्न वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव और देशों में कोविड-19 की नई लहरें ऐसे कारक हैं, जो बाजार की स्थिति को प्रभावित करेंगे.

अतः हम भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ हमारे बैंक में भी बाह्य अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद निरंतर विकास के लिए मजबूत नींव विद्यमान होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023 के लिए काफी सकारात्मक हैं. निजी क्षेत्र के निवेश चक्र के धीरे-धीरे गतिमान होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र बेहतर व्यवसाय की उम्मीद कर सकता है. यह आपके बैंक के लिए शुभ संकेत है.

शेयरधारकों को लाभांश

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दर्ज किया है. बैंक के प्रमुख व्यवसाय और लाभप्रदता मानकों में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2017 के बाद बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 2.85 का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और बढ़ती लाभप्रदता का सूचक है.

भविष्य की बैंकिंग सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध कराने के प्रयास

आपका बैंक बैंकिंग उद्योग में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमेशा प्रथम रहने हेतु प्रयासरत रहता है. बैंक ने अपने डिजिटल इंटरफेस पर बॉब वर्ल्ड जैसी नवोन्मेषी बैंकिंग सुविधाएं आरंभ की हैं. बॉब वर्ल्ड, बॉब-नाउ, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसी नवोन्मेषी पहलें यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे ग्राहक न केवल वर्तमान में उद्योग में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करें बल्कि भविष्य की कुछ बैंकिंग सुविधाओं से वर्तमान में ही लाभान्वित हों. हमारा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म न केवल अत्याधुनिक है, बल्कि सभी जोखिम और सुरक्षात्मक सुविधाओं के साथ सुरक्षित भी है. हमें लगातार दूसरे वर्ष भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक' के रूप में सम्मानित किया गया है. बैंक को हमारे रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्राहकों से काफी सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहे हैं. यह हमें उद्योग में हमेशा सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु और भी अधिक मेहनत करने की प्रेरणा प्रदान करता है.

आगे की राह

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक का दृष्टिकोण सकारात्मक है. भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य निवेशों पर खर्च बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं. निश्चित रूप से बैंक ऋण की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग को लाभ होगा और बैंक ऑफ़ बड़ौदा इन विकासों का एक प्रमुख लाभार्थी होगा. बैंक ने यह साबित किया है कि यह परिवर्तन को अपनाने में समर्थ है और उभरती व्यापक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शीघ्रता से कार्य करने में भी सक्षम है. बैंक ने अपनी परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ किया है और अपनी सेवा प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि की है. बैंक ने पारंपरिक शाखा बैंकिंग के साथ-साथ अपने मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए नवीनतम उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत कर 'फिजिटल' मॉडल को अपनाया है. बैंक का प्रमुख व्यावसायिक लक्ष्य और उद्देश्य बैंक के ब्रांड को समृद्ध करने के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए ग्राहक अनुकूल दृष्टिकोण के साथ एक स्थायी और लाभदायक व्यवसाय मॉडल बनाने पर केंद्रित हैं.

भविष्य में बैंक, समाज और हमारे सभी ग्राहकों की सेवा करना जारी रखेगा, राष्ट्र की प्रगति के लिए विभिन्न सरकारी पहलों का समर्थन करेगा और अपने हितधारकों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के प्रयास करेगा.

मैं अपने शेयरधारकों सहित सभी हितधारकों, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ. मैं अपने सभी बड़ौदियन (कर्मचारियों) द्वारा की गई कड़ी मेहनत और उनके उत्साह विशेष रूप से महामारी के कठिन समय के दौरान, की प्रशंसा करता हूँ, जिससे हमारे ग्राहकों को निरंतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना संभव हो सका. मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामकों को भी उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. अंत में मैं विशेष रूप से निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनके मूल्यवान अभिमत और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ.

मुझे विश्वास है कि बैंक अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और बैंक से जुड़े होने पर आप सभी और अधिक गौरवान्वित महसूस करेंगे.

डॉ. हसमुख अढ़िया

अध्यक्ष

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Stakeholders,

It gives me great pleasure to share with you the progress made by your Bank through this Annual Report and the general operating environment during 2021-22 (FY 2022).

FY2021-22 started with the second wave of Covid-19 and the uncertainty on its spread posed high risks across the globe. The faster spread of the mutated virus across the world and the unequal access to vaccine for countries severely affected the overall global growth prospects. However, the response of countries to the situation in terms of ensuring access to the vaccines and additional policy stimulus helped revive global economic activity to a great extent, though in a phased manner. India has done very well in this respect and this is manifested in the GDP growth of 8.7% in FY 2022 with all sectors operating in a normal manner.

The credit for this high growth trajectory for the economy may be attributed to the efforts of the Government which provided an enabling environment by providing incentives where required, like the PLI scheme while also addressing the needs of the weaker sections and yet maintaining the fiscal deficit at the targeted rate. At the same time the capex provided the necessary push for investment which had to pick up at the private sector end. We can be sanguine of this link being strengthened in FY23.

As far as the Indian Economy is concerned, the year 2021-22 witnessed overall revival across all major sectors in the economy. The GDP of the country expanded by 20.3% in Q1, 8.5% in Q2, 5.4% in Q3 and 4.1% in Q4 of FY 2022. The GDP for the full year (FY 2022) is marked at 8.7% as compared with a contraction of (-)6.6% during FY 2021, as a result of overall revival in the economic activity of the country. India's GDP growth at 8.7% for FY 2022 was in line with the estimates of Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) at 8.9% and the IMF estimates at 8.2%. With the proactive actions being taken by the government and regulators, we do believe that India's GDP rate will continue to grow in FY 2023 as well and India will still be one of the fastest growing economies in the world.

The RBI had maintained an accommodative monetary policy with unchanged repo rate through the year as the focus was on growth. The RBI has taken several measures to tackle the situation that has arisen due to the pandemic and due to the geopolitical problems which has the potential of affecting the country's financial sector. The Reserve Bank has given the highest priority to maintain financial stability by taking necessary steps to ease liquidity constraints, restore market confidence and prevent contagion to other segments of the financial market. All this has ensured that the banking system has become well capitalized with the quality of assets improving substantially during the year.

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

Towards the end of FY 2022, the war in Ukraine has enhanced uncertainty and posed challenges. The Indian government has reacted proactively to curb inflation as well as reducing supply disruptions to ensure that the equilibrium is maintained in the economy.

Currency markets have turned highly volatile in response to a hawkish Fed and elevated Russia-Ukraine tensions with the US dollar index reaching its highest level since June 2020 due to a flight to safety syndrome. Here too prompt intervention and guidance by the RBI has ensured that volatility has been curbed without the rupee losing the competitive edge in the exports market.

Going forward, elevated oil and commodity prices, lingering war and sanctions, prolonged supply chain disruptions, global financial market volatility emanating from monetary policy shifts in major economies, and renewed waves of COVID-19 across countries are factors that will drive market sentiments.

We are, however, quite sanguine of FY23 notwithstanding the challenges being posed by the external economy as the strong foundations for sustained growth in the Indian economy as well as in your Bank are in place. The banking sector can see better business as the private sector investment cycle gradually turns around. This augurs well for your Bank.

Dividend to the Shareholders

Your Bank recorded an excellent performance during the Financial Year 2022. The major business and profitability parameters of the Bank have been improved significantly as compared with previous financial year.

I am happy to inform you that, after FY 2017, the Bank has proposed a dividend of ₹ 2.85 per share for the financial year ended 31st March 2022, which is a clear indication of Bank's strong financials and increasing profitability.

Striving to offer future banking today

Your Bank has always been striving to be the first in the industry to offer the best. The Bank has launched various unique banking features on its digital interfaces like bobWorld. The initiatives like bob World, BoB-NOWW, digital lending platform ensure that our customers are not only getting the best in the industry today but also elements of future banking today itself. Our digital banking platform is not only state of the art but is also safe with all risk and security features built in. We have been awarded as the 'Best Technology Bank' by the Indian Banks' Association (IBA) for the 2nd year in a row. The bank is getting a lot of positive responses from our retail as well as corporate banking customers for our digital products and services. This gives us a lot of motivation to work even harder to always offer the best and latest in the industry.

Looking ahead

The Bank has a positive outlook for the Financial Year 2022-23. The Government of India has come up with many initiatives for increasing spending on infrastructure projects and other investments to revive the economy. The banking industry of course would be benefited due to increase in the demand for bank credit and Bank of Baroda would be a key beneficiary of these developments. The Bank has shown that it is adaptable to change and has been able to respond quickly to the evolving macroeconomic conditions. The Bank has fine-tuned its operational capabilities and increased its delivery capacity. The Bank has adopted a 'PHYGITAL' model by offering the latest products and services using its strong digital platform along with conventional branch banking. The major business goals and objectives of the Bank are focused on creating a sustainable and profitable business model with a greater customer friendly approach adopting latest technological innovations to increase the brand name of the Bank.

Going forward, the Bank will continue to serve the society and all our customers, while supporting various Government initiatives for the progress of the Nation and maximizing our productivity and profitability to enhance the satisfaction of our stakeholders.

I sincerely thank all the stakeholders including shareholders, customers for their continued support and trust in our Bank. I would like to place on record my appreciation for all our Barodian (employees) for their hard work and enthusiasm shown, especially during the difficult time of the pandemic, which ensured continuous services to our customers. I also express my sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India and other regulators for their support and guidance. Last but not the least is to place on record my thanks and appreciation to all the Board members for their valuable inputs and guidance.

I am confident that the Bank will remain committed to achieve its business goals and social commitments and make you all more proud of being associated with the Bank.

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय हितधारको,

वित्त वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है.

वित्त वर्ष 2022 आपके बैंक के लिए अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार तथा समामेलन पश्चात के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप हुए मजबूत व्यवसाय विकास और रिकॉर्ड स्तर पर लाभ अर्जन के कारण एक बेहतरीन वर्ष रहा है. इस दौरान विशेषकर पहली तिमाही में कई चुनौतियां भी सामने आईं जब कोविड के दूसरे दौर ने स्टाफ-सदस्यों के स्वास्थ्य के साथ-साथ बैंक व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया परंतु आपके बैंक ने इन चुनौतियों का डट कर सामना किया और इन पर जीत हासिल करते हुए वर्ष की समाप्ति मजबूत प्रदर्शन के साथ की. मैं अपने कोविड वॉरियर स्टाफ-सदस्यों का सदा ऋणी रहूंगा जिन्होंने इस दौरान निःस्वार्थ भाव और पूरे समर्पण के साथ अपनी सेवाएं जारी रखीं. इन चुनौतियों के बीच आपके बैंक ने एक दूरगामी रूपांतरण यात्रा की शुरूआत की ताकि कोविड पश्चात् के विश्व में अपने कार्य और ग्राहक जुड़ाव के नए तरीके इज़ाद किए जा सकें.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

विवेकपूर्ण देयता प्रबंधन

बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने कासा और जमा संविभाग की गुणवत्ता को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया है. इस प्रकार, मार्जिन के इष्टतम उपयोग के लिए संपूर्ण जमा वृद्धि 8.2% रही जोकि ऋण वृद्धि के लगभग अनुरूप थी, घरेलू कासा जमा में 11.4% की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई, जिससे घरेलू कासा अनुपात 137 बीपीएस के साथ बढ़ते हुए 44.24% हो गया जोकि उद्योग जगत के सर्वश्रेष्ठों में से एक रहा.

सुनियोजित अग्रिम वृद्धि

इसी प्रकार, अग्रिम वृद्धि भी उन क्षेत्रों पर केंद्रित रही जिन्होंने ऋण गुणवत्ता और मार्जिन के बीच श्रेष्ठ संतुलन प्रदान किया. हालांकि ऋण बही में समग्र वृद्धि 8.9% रही, खुदरा पोर्टफोलियो में ऑर्गेनिक वृद्धि जो कि ऋण चक्रों के दौरान सुदृढ़ बनी हुई है, उद्योग की वृद्धि दर से काफी अधिक अर्थात् 16.8% के उच्च स्तर पर रही. खुदरा क्षेत्र के अंतर्गत वाहन ऋण में 19.5%, गृह ऋण में 11.3% और शिक्षा ऋण में 16.7% की हुई ऑर्गेनिक वृद्धि उद्योग स्तर से अधिक रही है. डिजिटल क्षेत्र में बैंक द्वारा की गई प्रगति, जिसकी विस्तृत चर्चा मैं बाद में करूंगा, ने आपके बैंक को नए व्यावसायिक क्षेत्रों को लक्षित करने में सक्षम बनाया जिसका सबसे अच्छा उदाहरण वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो रहा जिसमें वर्ष के दौरान 100% वृद्धि हुई है. कृषि ऋणों में वृद्धि भी 10.3% के साथ उद्योग की औसत वृद्धि से अधिक रही जिसमें एक बड़ा हिस्सा सोने के एवज में लिए गए ऋणों का था. कोविड से संबंधित व्यवधान से एमएसएमई क्षेत्र काफी प्रभावित रहा परंतु सरकार द्वारा समर्थित आपातकालीन क्रेडिट गारंटी लिंक्ड योजना के माध्यम से समय पर मिली सहायता ने चुनौतियों को कम करने में सहयोग प्रदान किया. व्यापक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ऑर्गेनिक एमएसएमई पोर्टफोलियो में वर्ष की अंतिम अवधि में काफी वृद्धि हुई और 5.4% की पिछली वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना में इस वर्ष हम तेज वृद्धि की अपेक्षा रखते हैं.

कॉर्पोरेट क्षेत्र में वृद्धि अनेक कारकों, डिलीवरेजिंग, बॉन्ड द्वारा बैंक वित्त का प्रतिस्थापन, साथ ही अधिशेष तरलता जिसने अच्छी रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के लिए मूल्य निर्धारण को उस स्तर तक पहुंचाया जिससे जोखिम का गलत आकलन हुआ; से प्रभावित हुई. आपके बैंक ने ऋण अनुशासन से समझौता नहीं किया और अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा प्रदान की गई अनूठी अनुकूलता का पूरी तरह से लाभ उठाया. परिणामस्वरूप, मार्जिन की सुरक्षा के लिए घरेलू कॉर्पोरेट क्षेत्र में हमने भले ही 3.1% तक की ही वृद्धि की, पर अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट ऋण बही में 21% की वृद्धि ने हमारी वृद्धि और लाभप्रदता की दोहरी आवश्यकताओं को संतुलित करने में सहायता पहुंचाई.

आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार

कोविड के उतार-चढ़ाव के बावजूद आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ जो आस्ति की गुणवत्ता में सेक्यूलर वृद्धि को रेखांकित करता है. सकल एनपीए वित्त वर्ष 2021 के 8.87% से 226 बीपीएस की गिरावट के साथ वित्त वर्ष 2022 में 6.61% हो गया है. इस अवधि में निवल एनपीए में भी 137 बीपीएस की गिरावट आई है. एनपीए में नई वृद्धि को भी रोका गया तथा स्लिपेज अनुपात वित्त वर्ष 21 के 2.71% से कम होकर वित्त वर्ष 22 में 1.61% रह गया है. संग्रह दक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि सुधार में निरंतरता बनी रहे और अतिदेय ऋणों को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सके. परिणामस्वरूप, सीआरआईएलसी में की गई रिपोर्ट के अनुसार मानक अग्रिमों में एसएमए1 और एसएमए2 की प्रतिशत हिस्सेदारी मार्च 2021 के 3.23% से गिरकर

मार्च 2022 में 0.44% रह गयी. प्रावधान के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण ने कवरेज को पिछले वर्ष के 81.80% के सापेक्ष 88.71% के बेहतर स्तर पर पहुंचाया जो भविष्य में किसी भी दबाव को सहन करने की बैंक की सुदृढ़ क्षमता को दर्शाता है.

सुदृढ़ आय

अनुशासित और सुनियोजित आस्ति एवं देयता वृद्धि की रणनीति के परिणामस्वरूप बैंक के आय मानदंडों में तेजी से सुधार हुआ है. ब्याज व्यय में तेज गिरावट के कारण निवल ब्याज आय में 13.2% की वृद्धि हुई. जहां परिचालनगत लाभ में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं आस्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण समग्र प्रावधानों में 16.9% की गिरावट तथा मार्च 2021 में बैंक के न्यून कर व्यवस्था से जुड़ने के कारण कर प्रावधानों में 55.3% की गिरावट के फलस्वरूप कर पश्चात लाभ (पीएटी) में रु.7272 करोड़ के साथ लगभग 9x गुना वृद्धि हुई.

सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता

प्रतिधारित आय और सफल क्यूआईपी, जिसने बड़े निवेशकों को आकर्षित किया और जिसे काफी अंशदान मिला, के माध्यम से इक्विटी निवेश के कारण मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन आधार पर बैंक की पूंजीगत स्थिति 15.84% पर सुदृढ़ रही जिसमें सीईटी-1 11.59% रहा. समेकित स्तर पर पूंजीगत स्थिति 16.33% और CET-1 12.20% पर पहुंच गई है. वर्ष के दौरान बैंक ने कम दरों पर एटी-1 बांड के माध्यम से रू. 2,749 करोड़ भी संगृहीत किए जो बैंक के बेहतर होते प्रोफ़ाइल को प्रदर्शित करता है.

वित्तीय कार्यनिष्पादन के अतिरिक्त आपके बैंक ने दूरगामी परिवर्तनों की शुरुआत की है जो आने वाले वर्षों में बैंक की विकास यात्रा को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे.

प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण और बैंकिंग के नए तरीके

वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक

आपके बैंक ने कई वर्षों से लगातार तकनीक में निवेश पर अत्यधिक जोर दिया है और बैंक को आईबीए की वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों के अंतर्गत लगातार दूसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है.

डिजिटल माध्यम से ग्राहकों का सशक्तीकरण

आपका बैंक यह मानता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण माध्यम है और प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है. आपके बैंक ने 'बॉबवर्ल्ड', जो एक वित्तीय सुपर ऐप है और जो न केवल जमा और ऋण जैसी बैंकिंग गतिविधियों को बल्कि निवेश और खरीदारी को भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, के शुभारंभ के माध्यम से एक स्वयं समर्थ डिजिटल बैंक की पेशकश करते हुए डिजिटलीकरण प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान की है. ई-कॉमर्स कंपनियों के सहयोग से उपलब्ध कराई गई सेवाओं में ऑनलाइन शॉपिंग, यात्रा योजना और यात्रा बुकिंग शामिल हैं. इस चैनल के माध्यम से लेन-देन करने वाले सक्रिय ग्राहकों की संख्या दोगुनी होकर लगभग 20 मिलियन हो गई है. इंटरफ़ेस और अनुभव की गुणवत्ता के लिए ग्राहकों द्वारा दी गयी उच्च रेटिंग के कारण बॉबवर्ल्ड को द इकोनॉमिक टाइम्स बीएफएसआई इनोवेशन ट्राइब अवार्ड्स के चौथे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग उत्पाद का पुरस्कार प्रदान किया गया.

डिजिटल लेंडिंग - त्वरीत, ग्राहक अनुकूल एवं निर्बाध

ऋण देने की प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन ने ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाया है और बैंक को कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए बैंक की अधिग्रहण लागत को कम किया है. ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने के लिए बैंक के पास एक विनिर्दिष्ट प्लेटफ़ॉर्म है जो उधारकर्ता को न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के साथ कुछ ही क्लिक में लीड जनरेशन, स्वीकृति से लेकर संवितरण तक की एंड-टू-एंड ऋण प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा देता है. साथ ही अपने घर/कार्यालय से अपनी सुविधानुसार संपर्क रहित और कागज रहित प्रक्रिया अपनाने के कारण उन्हें बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती. बैंक के इन प्रयासों को सरकार द्वारा सराहा गया है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारत सरकार के ईएएसई इंडेक्स 3.0 के तहत डिजिटल लेंडिंग के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है साथ ही ईएएसई इंडेक्स 4.0 के तहत वित्त वर्ष 22 की पहली तीन तिमाहियों के लिए अब तक घोषित परिणामों के अनुसार बैंक ऑफ़ बड़ौदा को समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.

वर्तमान में, डिजिटल लेंडिंग के अंतर्गत रिटेल बैंकिंग, एमएसएमई और कृषि ऋण की सुविधाएं उपलब्ध हैं. रिटेल ऋण क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के वैयक्तिक ऋण के लिए आवेदन से लेकर मंजूरी तक और संवितरण के लिए एंड टू एंड एसटीपी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है जिसके लिए पूरी तरह से डिजिटल मेट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है. ग्राहक के संव्यवहार और खाते की जानकारी के आधार पर पेशकशों को और बेहतर बनाने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है. बैंक पूर्व अनुमोदित दो-पहिया ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं के लिए गृह ऋण और होम लोन टॉप-अप ऋण के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया को व्यापक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए, बैंक ने छोटे-छोटे एमएसएमई ऋणों की नवीनीकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया है जिससे परिचालन दक्षता, प्रक्रिया मानकीकरण और बेहतर निगरानी में मदद मिली है. रु.10 लाख तक के मुद्रा ऋण को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस प्रक्रिया का उपयोग करके डिजिटल रूप से प्रोसेस किया जाता है. कृषि सेगमेंट में बैंक ने किसानों को स्वर्ण ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है और बैंक उन चुनिंदा राज्यों में बीकेसीसी के लिए एक एसटीपी डिजिटल प्रक्रिया पर काम कर रहा है जहां कृषि भूमि रिकॉर्ड का तेजी से डिजिटाजेशन हो रहा है. इस प्रक्रिया में भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने और कृषि डेटा का जोखिम विश्लेषण करने के लिए एग्रीटेक के साथ एकीकरण भी शामिल है.

संवहनीय विकास

संवहनीय विकास संगठन के दीर्घकालिक रूप से अस्तित्व में बने रहने का मूल आधार होता है. संवहनीय विकास में नैतिकता और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए बैंक ने कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ाने और एक मजबूत नैतिक संस्कृति विकसित करने के लिए कॉर्पोरेट नैतिकता विभाग की स्थापना की है. बैंक का यह प्रयास है कि अपनी समग्र मूल्य श्रृंखला में, कार्यशैली में और कर्मचारियों, ग्राहकों, वेंडरों और नियामकों आदि सहित सभी हितधारकों के साथ अपने

सभी व्यवहारों में नैतिकता को केंद्र में बनाए रखा जाए और समग्र रूप से समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दिया जाए.

बैंक की इस संपूर्ण नैतिक यात्रा के केंद्रीय विषय के रूप में समावेशिता और सहयोग को परिलक्षित करते हुए कामगारों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ एक शीर्ष स्तरीय नैतिक आचरण समिति का गठन भी किया गया है.

निष्कर्ष

आपका बैंक परिचालन और वित्तीय कार्यनिषादन दोनों ही दृष्टियों से सुदृढ़ स्थिति में है और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक और सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

हमारे सभी प्रयासों में प्रबंधन को अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान करने के लिए मैं निदेशक मंडल के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढ़िया और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं. मैं समय-समय पर सहयोग और समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी धन्यवाद देता हूं.

भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक ऑफ बड़ौदा की सुदृढ़ पहचान बनाने के लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण एवं प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं. मैं अपने सभी ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण और हमारे बैंक पर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं. हम उत्कृष्टता की अपनी इस अविराम यात्रा में अपने सभी सम्मानित शेयरधारकों से उनके निरंतर समर्थन और सद्भावना की कामना करते हैं.

संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO'S STATEMENT

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

Dear Stakeholders,

I am pleased to present before you the highlights of the Bank's performance during the financial year.

FY2022 has been a standout year for your Bank as the broad-based economic recovery combined with the realisation of post-merger synergies contributed to robust business growth and record profits. There were many challenges, particularly in the first quarter when the second wave of Covid took a heavy toll on staff well being as well as business but exhibiting tremendous resilience your Bank overcame these challenges to end the year on a strong note. I remain indebted to our staff members, our covid warriors, for their selfless and dedicated services during this period. In the midst of these challenges, your Bank also initiated a far-reaching transformation agenda to prepare for new ways of working and customer engagement in the post covid world.

Financial Performance

Prudent liability management

Conscious of the surplus liquidity in the system, your Bank focused on improving the CASA franchise and the quality of deposit franchise. Thus, while overall deposit growth at 8.2% was closely aligned to advances growth to optimise margins, the domestic CASA deposits grew significantly faster at 11.4%, pushing up the domestic CASA ratio by 137 bps to 44.24%, a record high and in line with the best in the industry.

Focused Advances growth

Similarly, advances growth was also focused on categories that afforded the best balance between credit quality and margins. While the loan book overall grew by 8.9% the organic growth in the Retail portfolio, which has remained resilient through credit cycles, was as high as 16.8%, well above the industry growth rate. Within Retail, organically the growth of Auto loans at 19.5%, Home loans at 11.3% and Education loans at 16.7% have all been above industry. The strides made by the Bank in the digital space, which I shall dwell upon in detail subsequently, enabled your Bank to target new business segments of which the personal loan portfolio was the best example which grew 100% during the year. Agriculture growth too was above industry at 10.3% of which a substantial proportion came from loans secured by gold. While the MSME segment was significantly impacted by Covid related disruption, timely assistance through the government supported Emergency Credit Guarantee Linked Scheme helped mitigate the challenges. As the broader economy has recovered, the organic MSME portfolio has also grown strongly in the latter part of the year and this year should see significantly faster growth as compared to the 5.4% YoY growth we have witnessed.

Growth in the corporate segment was impacted by multiple factors, deleveraging, substitution of bank finance by bonds, as well as surplus liquidity which pushed pricing for well rated borrowers to levels where risk was getting mispriced. Your Bank ensured that lending discipline was not compromised and fully leveraged the unique flexibility afforded by our international network. As a result, even though we limited growth in the domestic corporate segment to 3.1% to protect margins, the 21% growth in the international corporate loan book, helped balance the twin imperatives of growth and profitability.

Secular improvement in Asset Quality

That asset quality improved progressively despite vicissitudes of Covid underlines the secular improvement in asset quality that has been set in train. Gross NPAs declined 226 bps from 8.87% as of FY21 to 6.61% as of FY22. Net NPAs too declined by 137 bps over the same period. The fresh accretion to NPAs too was arrested and the slippage ratio declined from 2.71% in FY21 to 1.61% for FY22. Collection efficiency received special attention to ensure that the improvement was sustainable and overdue loans were proactively managed. In consequence, the percentage share of SMA1 and SMA2 in standard advances, as reported in CRILC, declined from 3.23% as of March 2021 to 0.44% as of March 2022. A proactive approach to provisioning helped coverage to improve as to 88.71% as against 81.80% in the previous year, indicating a strong capacity to absorb any stress in future.

Strong Earnings

The disciplined and targeted asset and liability growth strategy resulted in a sharp improvement in the earnings parameters of the Bank. The net interest income grew by 13.2% driven by sharp decline in interest expenses. While operating profit grew by 5.6%, growth in profit after tax (PAT) was almost 9x times at Rs 7272 crore due to a decline in overall provisions

by 16.9% on account of improving asset quality and decline in tax provisions by 55.3% as the Bank moved to the lower tax regime in March 2021.

Robust Capital Adequacy

The Banks capital position as of March 2022 has been robust at 15.84%, with CET-1 at 11.59% on a standalone basis on account of retained earnings and equity infusion through a successful QIP which attracted marquee investors and was heavily subscribed. The capital position at a consolidated level touched 16.33% and CET-1 at 12.20%. During the year, the Bank also raised Rs 2,749 crore through AT-1 bonds at rates that reflected the improving profile of the Bank.

Apart from financial performance, your Bank also instituted far reaching changes which will be instrumental in propelling the growth story of the Bank in the coming years.

Technology, Digitisation and the new ways of Banking

Best Technology Bank of the Year

Your Bank has placed a strong emphasis on investment in technology through the years and was recognised as the Best Technology Bank of the Year by IBA Annual Banking Technology Awards for the second year in a row.

Empowering the Customer through Digital

Your Bank recognises that technology is the means to an end and the primary purpose of technology is the enrichment of customer experience.Your Bank sought to propel the digitisation process to a new trajectory by offering a self-contained Digital Bank through the rollout of 'bobWorld' which is a financial superApp enabling not only banking activities like deposits and loans but also investment and shopping, all in one place. Services made available in collaboration with e-commerce companies, include online shopping, travel planning and travel booking. Active customers transacting through this channel doubled to nearly 20 million. Highly rated by customers for the quality of interface and experience, bobWorld was conferred the award for Best Digital Banking Product at the 4th Edition of The Economic Times BFSI Innovation Tribe Awards.

Digital Lending – fast, customer-friendly and hassle free

Digitisation of the lending process has enhanced the customer experience greatly and reduced the cost of acquisition for the Bank while offering a number of other benefits for the Bank. To digitise the lending process, the Bank has a dedicated platform empowering the borrower to complete the end-to-end loan process from lead generation, sanction, to disbursement in a few clicks with minimal documentation. The contactless and paperless process from the convenience of their homes/ office eliminates the need to physically visit the Bank's branch. These efforts of the Bank have been recognized by the Government as Bank of Baroda has been ranked 1st for Digital Lending by Government of India's EASE Index 3.0 as well as and overall 1st rank for the first three quarters of FY 22 under EASE Index 4.0 for which results have been announced so far.

Currently, Digital lending covers Retail banking, MSME and Agriculture loans. In the Retail loans space, end to end STP process from application to sanction and to disbursement for Personal Loan up to Rs 10 lakh is now operational using fully digital metrics. Analytics are being used to fine tune offerings based on the customer behaviour and account information. The Bank is in the process of widening the end-to-end digital journeys to pre-approved Two-wheeler loans, Auto Loans, Education Loans, Home Loans for pre-approved projects and Home Loan Top-Up Loans. For MSME borrowers, the Bank has digitized the renewal process of small ticket MSME loans bringing in significant benefits in terms of operational efficiency, process standardization and better monitoring. Mudra loans are processed digitally using the straight through process journey for loans up to 10 lakh. In the Agri segment, Bank has introduced a digital journey for Gold Loans to farmers and also the Bank is working on a STP digital journey for BKCC in selected states which are having progressive digitization of agriculture land records. The journey involves integration with Agritech's for fetching of land records and doing the risk analysis of the farm data.

Sustainable Development

Sustainable development is a cornerstone for long-term survival of the organization. Recognising the role played by the ethics and values in sustainability, the Bank has created a Corporate Ethics function for developing a strong ethical culture to build trust with employees, customers and other stakeholders. The endeavour of the Bank is to put ethics at the centre of all its practices across the entire value chain and in all its dealings with stakeholders including employees, customers, vendors, regulators, etc., and actively contribute to the social and economic development of communities at large.

An Apex Level Ethics Committee has also been set up with with representation from diverse sections of the workforce reflecting inclusiveness and collaboration as a central theme for this whole ethics journey in the Bank.

In conclusion

Your Bank is now on a firm footing in terms of both operational and financial performance and is well positioned to support the growth aspirations of the Indian economy and fulfill the expectations of all stakeholders.

I would like to acknowledge and thank the Chairman of the Board, Dr. Hasmukh Adhia and all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in all our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time.

I also acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment in making Bank of Baroda a force to reckon with in the Indian Banking Industry. I would like to deeply thank all our Customers for their continued patronage and trust in our Bank. And to all our esteemed shareholders, we look forward to your continued support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

निदेशकों की रिपोर्ट

''आपके निदेशकगण बैंक की एक सौ चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2022) के लिए लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं''.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
जमा राशियां	9,66,996.93	10,45,938.56
जिसमें से - अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,08,583.81	1,18,927.99
घरेलू जमा राशियां	8,58,413.12	9,27,010.57
जिसमें से - चालू खाता जमा राशियां	61,609.03	68,779.64
बचत बैंक जमा राशियां	3,06,418.54	3,41,343.27
कासा जमा राशियां	3,68,027.57	4,10,122.92
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	42.87	44.24
निवल अग्रिम	7,06,300.51	7,77,155.18
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	6,05,615.80	6,53,381.55
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	1,00,684.71	1,23,773.63
कुल आस्तियां	11,55,364.77	12,77,999.83
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	28,809.02	32,621.34
अन्य आय	12,933.97	11,483.95
जिसमें से - व्यापारिक अभिलाभ	3,375.97	2,728.76
एनआईआई + अन्य आय	41,742.99	44,105.29
परिचालनगत व्यय	20,543.66	21,716.44
परिचालनगत लाभ	21,199.34	22,388.85
प्रावधान (कर के अलावा)	15,643.33	13,002.41
जिसमें से - एनपीए व बट्टाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	12,407.71	14,640.12
कर पूर्व लाभ	5,556.00	9,386.44
कर हेतु प्रावधान	4,727.05	2,114.16
निवल लाभ	828.95	7,272.28
विनियोजन / अंतरण		
सांविधिक प्रारक्षित निधि	207.22	1,814.34
पूंजी प्रारक्षित निधि	676.90	523.35
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	-341.79	827.40
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	286.56	250.00
III) निवेश प्रारक्षित खाता	0.00	0.00
IV) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि		2,368.42
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	0.06	14.93
प्रस्तावित लाभांश	0.00	1,473.84

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2022
निधियों की औसत लागत (%)	4.11	3.64
निधियों पर औसत आय (%)	6.62	6.49
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां	10,64,844	10,77,177
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं	10,14,762	10,24,804
निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.71	3.03
लागत-आय अनुपात (%)	49.22	49.24
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	0.07	0.60
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	1.50	11.82
प्रति शेयर बही मूल्य (रुपये)	106.72	118.97
मूल ईपीएस (रुपये)	1.78	14.06

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹10,45,939 करोड़ हो गई जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹9,66,997 करोड़ थी, जिससे वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का घरेलू कासा वर्ष दर वर्ष आधार पर 11.4% की वृद्धि के साथ ₹4,10,123 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया. घरेलू जमा राशियों में भी वर्ष दर वर्ष आधार पर 8% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 2022 के दौरान बढ़कर ₹9,27,011 करोड़ हो गई. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का निवल अग्रिम बढ़कर ₹7,77,155 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹7,06,301 करोड़ था, इस प्रकार इस अवधि के दौरान 10% की वृद्धि दर्ज की गई. अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि रिटेल अग्रिम (ऑर्गेनिक) द्वारा समर्थित थी जिसमें 16.8% की वृद्धि रही, कृषि अग्रिम में 10.3% की वृद्धि रही, एमएसएमई (ऑर्गेनिक) सेगमेंट में वित्त वर्ष 2022 के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.4% की वृद्धि रही. वित्त वर्ष 2021 के 2.71% की तुलना में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2022 के दौरान 32 बीपीएस बढ़कर 3.03% हो गया. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 22,389 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 21,199 करोड़ था, इस अवधि के दौरान इसमें 5.6% की वृद्धि रही.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान कुल प्रावधान (कर के अतिरिक्त) और आकस्मिक में 16.9% की गिरावट दर्ज की गई जिनका स्तर वित्त वर्ष 2021 में ₹15,643 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2022 में ₹13,002 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹12,408 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से संबंधित प्रावधान ₹14,640 करोड़ रहा. बैंक ने वर्ष दर वर्ष आधार पर 777% की वृद्धि करते हुए वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹ 7,272 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 829 करोड़ था.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

(अनुपात % में)

	31.03.2021 को	31.03.2022 को
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III	14.99	15.84
सीईटी I	10.94	11.59
टीयर I	12.67	13.34
टीयर II	2.32	2.50

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) दिनांक 31 मार्च, 2021 के 14.99% से बढ़कर 31 मार्च, 2022 को 15.84% हो गया. वित्त वर्ष 2022 के दौरान सीईटी-1 अनुपात भी वित्त वर्ष 2021 के 10.94% से बढ़कर 11.59% हो गया. समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31.03.2021 को 15.74% की तुलना में बढ़कर दिनांक 31.03.2022 को 16.33% हो गया.

बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹ 2,749 करोड़ के अतिरिक्त टियर I (एटी-I) पूंजी बांड जारी किए.

निवल मालियत

दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक की निवल मालियत ₹ 61,521.92 करोड़ रही जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,035.53 करोड़ रही और प्रारक्षित निधि ₹ 60,486.39 करोड़ रही (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) शामिल हैं. शेयर (अंकित मूल्य 2) का बही मूल्य 31 मार्च, 2022 को ₹ 118.97 रहा.

सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने ग्रेच्युटी (₹ 267.15 करोड़), पेंशन फंड (₹ 2,387.40 करोड़), छुट्टी नकदीकरण, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभों (₹ 107.78 करोड़) में अंशदान हेतु प्रावधान किया है. वित्त वर्ष 2022 के दौरान इन श्रेणियों के तहत कुल प्रावधान ₹ 2,762.33 करोड़ रहा.

लाभांश संवितरण नीति

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 2.85 के लाभांश की अनुशंसा की है. इस प्रकार लाभांश के रुप में कुल ₹1,473.84 करोड़ का व्यय होगा. इस लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदनों के अधीन हैं.

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

मांग में वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के प्रभाव से तेजी से उभरी है. इसके अलावा, कई देशों में टीकाकरण की तेज गति आर्थिक गतिविधियों के शीघ्रता से सामान्य होने में सहायक रही हैं. सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 3.1% के संकुचन से बढ़कर 2021 में 6.1% हो गई. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) ने विकास को पुन: गति प्रदान की है, जिससे 2021 में विकास 6.8% तक बढ़ गया. इस समूह के भीतर, विकासशील एशिया में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% के साथ बेहतर रही, जिसे चीन और भारत ने क्रमश: 8.1% और 8.9% पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ मजबूती प्रदान की.

5.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इससे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 5.7% के साथ तेजी से वृद्धि हुई. दूसरी ओर जापान की विकास दर 1.6% पर स्थिर रही जबकि यूरो के क्षेत्र में 5.3% की वृद्धि दर्ज की गई. फ्रांस में यूरो के क्षेत्र में भी, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% के साथ बेहतर हुई जबकि जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 2.8% की वृद्धि हुई.

व्यापार की मात्रा में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ क्योंकि वैश्विक विकास बेहतर हुआ है. वैश्विक व्यापार की मात्रा में 10.1% की वृद्धि हुई. यहां ईएमडीई ने पुन: बेहतर प्रदर्शन किया, एई की तुलना में उनके व्यापार की मात्रा बहुत तेजी से बेहतर हुई है. मांग में वृद्धि के कारण कमॉडिटी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है. महामारी के दौरान तेल उत्पादकों द्वारा किए गए सीमित निवेश के कारण आपूर्ति की अपेक्षा से अधिक मांग में उछाल के कारण तेल की कीमतों में 67.3% के साथ बढ़ोत्तरी हुई है. सप्लाई चेन संबंधी रुकावटों के बने रहने के कारण गैर-ईंधन कीमतों में भी 26.8% के साथ बढ़ोत्तरी हुई है. परिणामस्वरूप, 2021 में वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ी है. एई में मुद्रास्फीति औसतन लगभग 3.1% थी और ईएमडीई के लिए 5.9% के साथ बहुत अधिक रही.

वैश्विक विकास का आउटलुक रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण एक बार पुन: अस्थिर स्थिति में है. युद्ध के कारण पहले से ही बढ़ी हुई वैश्विक कमॉडिटी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है लिहाजा मुद्रास्फीति का दबाव भी बढ़ गया है. इसने कई देशों में केंद्रीय बैंकों को विस्तारवादी मौद्रिक नीति में कटौती करने और शीघ्र उत्तरोत्तर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है. कई देशों में कर्ज का स्तर अभी भी बहुत उच्च स्तर पर बना हुआ है. परिणामस्वरूप जोखिम में उतार-चढ़ाव के साथ वैश्विक विकास का आउटलुक और भी अधिक अनिश्चित हो गया है. वर्ष 2022 में वैश्विक जीडीपी विकास दर 3.6% अपेक्षित है. महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और चीन 2022 की स्थिति से ईएमडीई की वृद्धि में कमी आ सकती है जो 3.8% रह सकती है. युद्ध और उसके अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप रूस की जीडीपी के 8.5% तक सिमटने की उम्मीद है. चीन में, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.4% तक मध्यम रहने की उम्मीद है क्योंकि हाल ही में महामारी के प्रसार में तेजी आई और परिणामस्वरूप लॉकडाउन लगाए गए जिससे विशेष रूप से कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक गतिविधियों के पटरी से उतरने और सप्लाई चेन पर दबाव आने का खतरा है.

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरो क्षेत्र और यूके के प्रभाव के कारण 2022 में एई में वृद्धि धीमी होकर 3.3% रहने का अनुमान है. मौद्रिक समर्थन के बहुत तेजी से वापस लिए जाने के कारण अमेरिका में विकास की गति धीमी रहने की उम्मीद है. यूरो क्षेत्र में बड़े विनिर्माण आधार और रूसी ऊर्जा आयात पर अधिक निर्भरता वाले देशों जैसे कि जर्मनी और इटली की विकास दर के स्पष्ट रूप से धीमी रहने की उम्मीद है. यहां तक कि यूके में भी उच्च मुद्रास्फीति और सीमित वित्तीय स्थितियों के कारण विकास दर धीमी रहने की संभावना है. वैश्विक मुद्रास्फीति के 5.7% के उच्च स्तर पर बने रहने की उम्मीद है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 के दौरान आए (-) 6.6% के दबाव की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई. अनुकूल माहौल के साथ-साथ खपत व्यय में आए सुधार (वित्त वर्ष 2021 में -6% के मुकाबले 7.9%), निवेश (वित्त वर्ष 2021 के -10.4% की तुलना में 15.8%), निर्यात (वित्त वर्ष 2021 के -9.2% की तुलना में 24.3%) और आयात (-13.8% से 35.5%) की सर्वाधिक भूमिका रही है, कोविड-19 की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ आर्थिक गतिविधिया फिर से आरंभ हो सकी और विश्वबर में हो रहे टीकाकरण से इस वृद्धि को गति मिली. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी में 9.1% वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है.

अप्रैल-मार्च 21 में (-) 8.4% की गिरावट की तुलना में अप्रैल-मार्च 22 में औद्योगिक गतिविधि 11.3% के कम आधार पर बेहतर हुई है. इसमें विनिर्माण क्षेत्र अग्रणी रहा जिसमें अप्रैल-मार्च 2022 में 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई (अप्रैल-मार्च 2021 में -9.6%). खनन और बिजली गतिविधि भी इस अवधि के लिए क्रमश: 12.2% और 7.9% के साथ बेहतर हुई है. उच्च जीएसटी संग्रहण, पोर्ट कार्गो वॉल्यूम, रेल माल भाड़ा, संपत्ति की बिक्री और घरेलू यात्रियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2022 में सेवा संबंधी गतिविधि बेहतर हुई है.

विकास में सुधार भी सरकार के लिए सकारात्मक रही क्योंकि वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में भी 6.9% के साथ बजटीय आंकड़ों के करीब रहा. वित्त वर्ष 2023 के लिए इसका लक्ष्य 6.4% रखा गया है. यह मुख्य रूप से समग्र कर राजस्व ₹ 17.88 लाख करोड़ के बजटीय आंकड़ों के सापेक्ष जो कि वित्त वर्ष 2022 में संशोधित अनुमानों के तहत ₹ 20.79 लाख करोड़ रहा, में बढ़त के कारण हासिल किया जा सका था. सरकारी आय पर किसी भी अवांछित दबाव के बिना खाद्य और उर्वरक जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर उच्च लागत हासिल की जा सकी.

यद्यपि अनुकूल आधार के कारण वित्त वर्ष 2022 में समग्र विकास में बढ़ोत्तरी हुई है, तथापि इस बढ़ोत्तरी की गति में विशेष रूप से वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन संबंधी व्यवधानों के कारण गिरावट आई. वित्त वर्ष 2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2021 के 6.2% से घटकर लगभग 5.5% हो गई है. हालांकि, वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के 4.9% की तुलना में यह वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में बढ़कर 6.3% हो गया था. इस अवधि के दौरान यह एमपीसी के उच्च सहनीय सीमा से भी अधिक बढ़ गया था. यह आपूर्ति से संबंधित व्यवधानों और विश्व भर में कमोडिटी की कीमतों में बढ़त के कारण रहा. खाद्य मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 3.6% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई, यहां तक कि मूल मुद्रास्फीति में विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और मांग में तेजी के कारण वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 6.1% तक की वृद्धि दर्ज की गई थी.

यद्यपि बाह्य स्थिति सामान्य थी, एफपीआई के कारण पूंजीगत प्रवाह चालू खाता शेष के नकारात्मक स्थिति में होने की वज़ह से दबाव रहा. विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि जो इस संबंध में संपूर्ण विकास घटनाक्रमों का संक्षिप्त संकेतक है, दिनांक 25 मार्च, 2022 को ₹ 40.6 बिलियन की बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 617.6 बिलियन हो गई. पॉइंट टू पॉइंट आधार पर रुपया एक वर्ष पूर्व के ₹ 72.40 की तुलना में दिनांक 25 मार्च, 2022 को ₹ 76.18 पर बंद हुआ, इस प्रकार यह 5.2% के मूल्यह्रास को दर्शाता है. यह डॉलर की मजबूती के कारण अधिकांश मुद्राओं में देखे गए मूल्यह्रास के अनुरूप रहा.

आगे बढ़ते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्त वर्ष 2023 में 7.2% की वृद्धि की उम्मीद है. निजी निवेश में वृद्धि और घरेलू मांग में बढ़ोत्तरी के कारण और महत्वपूर्ण के कारण इन अनुमानों के आधार में बढ़ोत्तरी हुई है. हालांकि, कामोडिटी की कीमतों में वृद्धि सहित भू-राजनीतिक गतिविधियों, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ नए और संक्रामक कोविड-19 वेरिएंट के प्रसार के कारण अनिश्चितता बनी हुई है और इन अनुमानों में कमी बने रहने का जोखिम बना हुआ है.

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विकास

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि मार्च 2021 के 4.6% से बढ़कर मार्च 2022 में 9.6% हो गई है. यह क्रेडिट ऑफटेक के संतुलित वृद्धि को दर्शाता है. उद्योग ने पिछले वर्ष (-) 0.4% के संकुचन की तुलना में 7.1% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. समग्र क्षेत्रों में से पर्याप्त वृद्धि दर्ज करने के साथ सूक्ष्म और लघु (मार्च 2021 में 3.9% से 21.5%), मध्यम उद्योगों (34.5% से 71.4%) वाले उद्योगों में वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2021 में बड़े उद्योग में - 2.5% से वित्त वर्ष 2022 में +0.9% तक का टर्नअराउंड रहा है. सेवा क्षेत्र में क्रेडिट ऑफ-टेक में मार्च 2022 में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई. उपभोक्ता ऋणों में भी मार्च 2021 में 10.7% से बढ़कर मार्च 2022 के 12.4% की उच्चतर वृद्धि के साथ बेहतर हुआ है.

जमा राशियों में वित्त वर्ष 2021 के 11.4% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2022 में 8.9% की धीमी वृद्धि रही. जबकि वित्त वर्ष 2021 में महामारी के कारण वृद्धि अधिक रही, जहां लोगों ने बैंक जमा राशियों की सुरक्षा को वरीयता दी है, वित्त वर्ष 2022 में स्टॉक मार्केट बही ने घरेलू निधियों को इक्विटी सेगमेंट के साथ-साथ म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दिया, जहां कम ब्याज दरों के परिवेश में अपेक्षित रिटर्न काफी बेहतर रहा.

वर्ष के दौरान रेपो दर 4% के साथ अपरिवर्तित रहा. ओवरनाईट एमसीएलआर 26 मार्च, 2021 को 6.55/7.05% से मामूली रूप से घटकर 25 मार्च, 2022 को 6.45/7.00% हो गया. 1 वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए मीयादी जमा दर औसतन क्रमशः 4.90/5.50% और 5.00/6.0% रही. इस अवधि के दौरान 10 वर्ष की सरकारी प्रतिभूति की दर 6.32% से लगभग 50 बीपीएस बढ़कर 6.83% हो गई. ब्याज दर की स्थिति को वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के ₹ 11.27 लाख करोड़ के उधार (वित्त वर्ष 21 में ₹ 13.70 लाख करोड़) और वित्त वर्ष 2022 में राज्य सरकार के सकल ₹ 6.70 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2021 में ₹ 7.78 लाख करोड़) की उधार की पृष्ठभूमि के सापेक्ष देखा जा सकता है.

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में भी पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है जो सितंबर तक बढ़कर 6.9% हो गयी. पीएसबी का अनुपात 8.8% और निजी बैंकों का 4.6% रहा. सितंबर 2021 के बैंकिंग सिस्टम से संबंधित वार्षिक स्लिपेज अनुपात 3.6% रहा.

लिक्विडिटी को बढ़ाने और क्षेत्रों में सुधार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना को दिसंबर 2021 तक बढ़ाया था. इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को नए ऋण देने के लिए ₹ 50,000 करोड़ का नया सहयोग

भी प्रदान किया था. यह भी सुझाव दिया था कि बैंकों द्वारा एनबीएफसी को उधार देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी उधार वर्गीकरण को सितंबर 2021 तक बढ़ाया जाए क्योंकि यह निम्नलिखित क्षेत्रों - कृषि, आवास और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्यों के लिए अंतरिम डब्लूएमए सीमा को बढ़ाने और इसे जारी रखने के लिए सितंबर 2021 तक बढ़ाया है ताकि उन्हें महामारी के दौरान होने वाली कठिनाइयों के पश्चात् अपने वित्त का प्रबंधन करने में सहायता मिल सके.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 वर्ष तक की अवधि के साथ ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो तैयार किया था और जून 2022 तक रेपो दर पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संपर्क करने के लिए अलग से एक विंडो भी प्रस्तावित किया था. क्रेडिट अंतरण की सुविधा हेतु एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) पूरे सप्ताह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारों द्वारा जारी किए गए ई-रूपी वाउचर की सीमा को पहले के ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 1,00,000 प्रति वाउचर कर दिया और इसके कई बार उपयोग की अनुमति भी दी है. एमएसएमई को वित्त संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए ट्रेड्स निपटान हेतु एनएसीएच मैंडेट सीमा को बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ कर दिया गया. रिटेल प्रत्यक्ष योजना और आईपीओ आवेदनों के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान हेतु लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर ₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख कर दिया गया है.

आपकी कंपनी के समग्र कार्यनिषादन को इस पृष्ठभूमि के सापेक्ष देखा जाना चाहिए.

ईज 3.0

ईज सुधार कार्यक्रम ने परिचालन के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्षता और परिचालन को सुगम बनाने और अपने ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करने में बैंक की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

ईज कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के तहत कार्य बिंदुओं में दृष्टिकोण में गहन रूपांतरण और नई क्षमताओं के सृजन की परिकल्पना की गई है.

भारत सरकार के ईज 3.0 सूचकांक में, बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में "दूसरा" स्थान प्राप्त किया है. इस सूचकांक के अनुसार, बैंक में पांच मानकों "महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण", "टेक-इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग", "संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग", "गवर्नेंस एंव परिणाम केंद्रित मानव संसाधन" और "वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना" में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है.

बैंक ने ईज 3.0 सूचकांक के तहत "महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण" और "संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग" श्रेणी में "प्रथम" स्थान प्राप्त किया है.

बैंक ने ईज 3.0 सूचकांक के तहत "टेक-इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग" में "दूसरा" स्थान और "वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना" श्रेणियों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है.

ईज 4.0

एआई, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एवं तकनीकी सहायता सेवाओं जैसी नवोन्मेषी तकनीक और उपकरणों के साथ, दस्तावेज़ सत्यापन, पृष्ठभूमि की जांच एवं निर्बाध ऋण संवितरण सहित महत्वपूर्ण बैक-एंड फ़ंक्शंस, इस प्रक्रिया को न केवल कुशल, कागज रहित और सुविधाजनक बनाता है, बल्कि ग्राहक को पारदर्शिता का अनुभव होता है.

भारत सरकार के **ईज** 4.0 सूचकांक में बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच वित्त वर्ष 2022 की पहली तीन तिमाहियों (प्रथम तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही) के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

बैंक तीनों तिमाहियों के लिए मानक अर्थात् "महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट ऋण" में शीर्ष पर रहा और इसने "परिणाम केंद्रित मानव संसाधन" मानक में बेहतर कार्य निष्पादन किया.

प्रोजेक्ट बॉब-नाऊ: बैंक ऑफ़ बड़ौदा के भावी निर्माण की यात्रा जारी है

विगत वर्ष, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने कार्य करने के नए तरीकों और पुनर्कल्पित रिटेल नेटवर्क के माध्यम से उद्योग जगत में- सर्वप्रथम बार ऑपरेटिंग मॉडल बनाने के लिए एक रूपांतरण यात्रा - बॉब-नाऊ - की शुरूआत की. तब से, इस परियोजना ने हमारे ग्राहकों के लिए बेहतर, अनुरूप सेवाओं को लाने, व्यवसाय में विकास क्षमता को अनलॉक करने और हमारे सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन करने के लिए कई तरह की पहलों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है.

इन पहलों के प्रभाव निम्नानुसार हैं:

व्यावसायिक संभावनाओं को अनलॉक करना: बैंक राजस्व को लक्षित करते हुए कॉर्पोरेट एवं धनसंपदा वर्टिकल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से अपने व्यावसायिक उत्पादों में संवर्धन कर रहा है. व्यापक बॉब-नाउ पहलें जैसे कॉर्पोरेट सेल्स वॉर रूम और बूस्टर शुल्क अभियानों ने कॉर्पोरेट बैंकिंग वर्टिकल में प्रक्रियाओं को सरल और तीव्र बनाया, जिसका इस वर्ष समग्र शुल्क आय में 15% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इसके पश्चात्, बढ़ते मिड-कॉर्पोरेट सेगमेंट पर अधिक ध्यान होगा जहां बैंक अपने ऑपरेटिंग मॉडल, शाखा नेटवर्क और ऋण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की योजना बना रहा है.

इसी बीच, धन संपदा वर्टिकल अपने रेडिएंस व्यवसाय में बेहतर ग्राहक सेवा एवं बेहतर उत्पादों के साथ वर्ष के अंत में 46% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 317 करोड़ का राजस्व अर्जित किया. रिमोट सपोर्ट के लिए एक सेंट्रल डिजिहब, निवेश एवं बीमा व्यवसाय के लिए एक सेल्स वॉर रूम की शुरूआत और नई प्रतिभाओं को जोड़ने से ग्राहक-केंद्रियता और व्यावसायिक फोकस को और भी बढ़ावा मिला है.

रिटेल वितरण नेटवर्क को पुर्नकल्पित करना: "हर जगह बॉब" जैसे अपने विजन पर खरा उतरते हुए, बैंक ने इस वर्ष अपने बीसी नेटवर्क में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोत्तरी की और टच पॉइंट्स की कुल संख्या को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास किया. मार्च 2022 तक, टच पॉइंट्स की कुल संख्या बढ़कर 41,000 से अधिक हो गई जो वर्ष दर वर्ष 32% के करीब वृद्धि हुई है. इसने बाधारहित ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक, कॉम्पैक्ट एवं डिजिटल शाखा प्रारूपों की शुरूआत भी की है. इसके अतिरिक्त, इन विस्तारित बीसी नेटवर्क और रिवैम्प्ड शाखाओं, का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, वाहन एवं वैयक्तिक ऋण, क्रेडिट कार्ड, चालू खाते आदि जैसी बैंकिंग सेवाओं की आसान उपलब्धता में उठाया जा रहा है.

डिजिटल समर्थित अनुभव: बैंक 25 स्वयं-समर्थित ग्राहक प्रक्रियाओं की शुरूआत, जो लेनदेनों की त्वरित और सीधी प्रोसेसिंग को सक्षम बनाती है, के साथ महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के अपने लक्ष्य से एक कदम आगे बढ़ गया है. इसने अपने एनआरआई केंद्रों में ग्राहकों के लिए एक वीडियो सर्विसिंग समाधान की भी शुरूआत की है और शीघ्र ही अन्य टच प्वाइंट्स पर भी इस टूल की शुरूआत करने की योजना है. अंत में, कई प्रमुख कार्यालयों ने अपने परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कागजरहित कार्यालय की पहल के माध्यम से कुछ अनुमोदन प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया है.

कार्य करने के नए तरीके: डिजिटल चैनलों को अपनाने से बैंक कर्मचारियों के बीच उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और ग्राहकों के प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में सहायता मिलती है. इसे संभव बनाने के लिए, इस वर्ष कई बॉब-नाउ अभियान ग्राहकों को बैंक के प्रमुख मॉड्यूल ऐप बॉब वर्ल्ड से जोड़ने पर केंद्रित है. परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022 में, ऐप ने 1 करोड़ से अधिक ग्राहक जोड़े हैं जो लगातार अभियानों एवं शाखा कर्मचारियों और बीसी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की गई उपलब्धि है. वर्तमान में ऐप सक्रिय करने वालों की कुल संख्या 2 करोड़ से अधिक है जिसे वित्त वर्ष 2023 में 3 करोड़ से अधिक के स्तर को हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

बैंक के व्यावसायिक कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

परिचालनगत कार्यनिष्पादन:

बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
अर्जित ब्याज	70,495.06	69,880.78
दिया गया ब्याज	41,686.04	37,259.44
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**28,809.02**	**32,621.34**
अन्य आय	12,933.97	11,483.95
ट्रेडिंग अभिलाभ	3,375.97	2,728.76
परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय)	41,742.99	44,105.29
परिचालनगत व्यय	20,543.66	21,716.44
कर्मचारी व्यय	11,445.53	11,978.84
अन्य परिचालनगत व्यय	9,098.13	9,737.6
परिचालनगत लाभ	**21,199.34**	**22,388.85**
प्रावधान (कर के अलावा)	15,643.33	13,002.41
जिसमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	1,2407.71	1,4640.12
मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	2,158.03	-2,672.26
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	879.44	558.98
अन्य प्रावधान	198.16	475.57
कर पूर्व लाभ	**5,556.00**	**9,386.44**
कर हेतु प्रावधान	**4,727.05**	**2,114.16**
निवल लाभ	**828.95**	**7,272.28**

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	**वित्त वर्ष 2021**	**वित्त वर्ष 2022**
जमाराशियों की लागत - वैश्विक - (%)	4.01	3.52
जमाराशियों की लागत - घरेलू - (%)	4.44	3.85
जमाराशियों की लागत - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	0.95	0.48
अग्रिम पर प्रतिफल - वैश्विक - (%)	6.98	6.79
अग्रिम पर प्रतिफल - घरेलू - (%)	7.83	7.61
अग्रिम पर प्रतिफल - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	2.48	2.18
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक - (%)	2.71	3.03
निवल ब्याज मार्जिन -घरेलू - (%)	2.79	3.09
निवल ब्याज मार्जिन - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	1.29	1.47
लागत-आय अनुपात (%)	49.22	49.24
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	0.07	0.60
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	1.50	11.82

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक की ब्याज आय ₹ 69,881 करोड़ रही. वित्त वर्ष 2022 के दौरान ब्याज व्यय 10.6% की गिरावट के साथ ₹ 37,259 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया. वित्त वर्ष 2022 के दौरान वैश्विक जमा राशियों की लागत में 3.52% की गिरावट आई एवं अग्रिमों पर वैश्विक प्रतिफल 6.79% रहा. वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2021 के दौरान 2.71% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 3.03% हो गई है.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान घरेलु बही में जमा राशियों की लागत घटकर 3.85% और अंतर्राष्ट्रीय बही में 0.48% हो गई है. वित्त वर्ष 2022 के दौरान घरेलू बही में अग्रिम पर प्रतिफल 7.61% और अंतर्राष्ट्रीय बही में 2.18% रही.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) ₹ 32,622 करोड़ रही जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 28,809 करोड़ थी.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक की अन्य आय ₹ 11,484 करोड़ रही. बैंक की शुल्क आय में ₹ 6,409 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2022 के दौरान 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली ₹ 2,510 करोड़ रही. वित्त वर्ष 2022 के दौरान कर्मचारी लागत ₹ 11,979 करोड़ रही जबकि इस अवधि के दौरान अन्य परिचालन

व्यय ₹ 9,738 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का परिचालन खर्च ₹ 21,716 करोड़ रहा. वित्त वर्ष 2022 में परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 22,389 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2021 में ₹ 21,199 करोड़ था.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान अर्नजक आस्तियों (एनपीए) का प्रावधान ₹ 14,640 करोड़ रहा. बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के ₹ 829 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान ₹ 7,272 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जिसमे वार्षिक आधार पर 777% की वृद्धि दर्ज की गई है.

संसाधन संग्रहण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2022 को
I	जमा राशियां	9,66,996.93	10,45,938.56
II	अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,08,583.81	1,18,927.99
III	कुल कासा	3,88,282.22	4,33,605.23
	कुल चालू खाता जमा राशियां	78,671.42	88861.21
	कुल बचत बैंक जमा राशियां	3,09,610.80	344744.02
IV	वैश्विक कासा %	40.15	41.46
V	घरेलू जमा राशियां	8,58,413.12	9,27,010.57
VI	घरेलू कासा जमा राशियां	3,68,027.57	4,10,122.92
	घरेलू चालू खाता जमा राशियां	61,609.03	68,779.64
	घरेलू बचत खाता जमा राशियां	3,06,418.54	3,41,343.27
VII	घरेलू कासा (%)	42.87	44.24

वैश्विक जमा और वैश्विक कासा

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹ 10,45,939 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 9,66,997 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक का अंतर्राष्ट्रीय जमाराशि भी 31.03.2022 को बढ़कर ₹ 1,18,928 करोड़ हो गया, जो 31.03.2021 को ₹ 1,08,584 करोड़ थी और इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई.

31 मार्च, 2021 को ₹ 3,88,282 करोड़ के स्तर की तुलना में बैंक का वैश्विक कासा 31 मार्च, 2022 को बढ़कर ₹ 4,33,605 करोड़ हो गया और इस तरह इस अवधि के दौरान 11.67% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक की वैश्विक चालू जमा राशि 31 मार्च, 2022 को बढ़कर ₹ 88,861 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2021 को ₹ 78,671 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 12.95% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक की वैश्विक बचत जमा 31 मार्च, 2022 को बढ़कर ₹ 3,44,744 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2021 को ₹ 3,09,611 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 11.35% की वृद्धि दर्ज की गई. इस अवधि के दौरान वैश्विक जमा के सापेक्ष वैश्विक कासा% 131 बीपीएस की वृद्धि दर्ज करते हुए 40.15% से बेहतर होकर 41.46% हो गया.

घरेलू जमा और घरेलू कासा

बैंक की घरेलू जमा 31.03.2022 को ₹ 8,58,413 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹ 9,27,011 करोड़ हो गई, इस अवधि के दौरान 8% की वृद्धि दर्ज की गई.

31 मार्च, 2022 को बैंक की घरेलू कासा जमा में 11.4% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹ 4,10,123 करोड़ हो गई. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का घरेलू कासा अनुपात 137 बीपीएस बढ़कर 44.24% हो गयी, जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान 42.87% था. 31.03.2022 को चालू खाता जमा में 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹ 68,780 करोड़ हो गया, जबकि बचत बैंक जमा 11.40% की वृद्धि के साथ ₹ 3,41,343 करोड़ रही.

कम लागत वाली जमा संग्रहण संबंधी पहलें

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने 1.18 करोड़ नए कासा खाते खोले. इसके अंतर्गत, टैबलेट (टीएबी) का उपयोग करके कागज रहित माध्यम से खाते खोलने और खाता खोलने की वीडियो आधारित ग्राहक निर्धारण प्रक्रिया (वीसीआईपी) माध्यम की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया. बैंक ने ग्राहकों के विशिष्ट वर्गों के लिए उपयुक्त नए उत्पादों का भी शुभारंभ किया गया जैसे बी3 डिजिटल ओनली बचत खाता, सरकारी निकायों के लिए बड़ौदा एकल नोडल बचत खाता. सरकारी कारोबार संबंध और नए खातों विशेष रूप से राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एसएनए खातों को प्राप्त करने पर व्यापक ध्यान केंद्रित किया गया. बैंक ने 31.03.2022 तक 169 एसएनए खाते खोले हैं. पीओएस, आईपीजी और बीसीएमएस जैसे प्रमुख कासा साधकों की पहुंच बढ़ाने और निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया.

डिजिटल खंड में बैंक ने वीसीआईपी, टैब और डिजिटल ओनली खातों जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक अधिग्रहण की पहुंच बढ़ाई है और वित्त वर्ष 2022 के दौरान 64,480 वीसीआईपी बचत खाते और 34,134 बी3-डिजिटल ओनली खाते खोले गए. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान खोले गए 2,18,828 चालू खातों में से 1,35,469 चालू खाते (खोले गए पात्र चालू खातों का 74.68%) और वर्ष के दौरान खोले गए 53,89,352 गैर-वित्तीय बचत खातों में से 50,46,885 गैर-वित्तीय बचत खाते (खोले गए पात्र गैर-वित्तीय बचत खातों में से 95.53 %) टैब के माध्यम से खोले गए.

नवगठित कंपनियों के चालू खाते खोलने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 5,591 चालू खाते खोले गए हैं.

बैंक ने एक पृथक रक्षा बैंकिंग वर्टिकल की स्थापना की है जिसके प्रमुख हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संवर्ग के मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार हैं और उन्हें रक्षा सेगमेंट में पहुंच बढ़ाने हेतु प्रमुख स्थानों पर तैनात उपरक्षा बैंकिंग सलाहकारों का सहयोग प्राप्त है.

पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में बैंक अग्रणी है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 1,13,733 डोर स्टेप बैंकिंग सेवा अनुरोधों पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की है.

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक का नकदी प्रबंधन व्यवसाय, बड़ौदा डिजीनेक्स्ट ग्राहकों के नकदी प्रवाह और लिक्विडिटी के प्रबंधन हेतु ओमनी-चैनल डिजिटल सोल्यूशनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है. बड़ौदा डिजीनेक्स्ट आधार पर अपनी सभी शाखाओं में सभी भुगतानों और इलेक्ट्रोनिक चेक रसीदों और नकदी

जमाओं के संबंध में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है. इस समाधान का उपयोग प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) संग्रहण जैसी प्रमुख सरकारी पहलों में किया जाता है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा उन दो प्रमुख बैंकों में से एक है जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएचआरएमएस), जो राज्य सरकार की ट्रेजरी प्रबंधन के लिए एक प्रमुख पहल है, के साथ पूरी तरह से एकीकृत है.

बड़ौदा डिजीनेक्स्ट नकदी प्रबंधन वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 1,900+ नए बड़े कॉर्पोरेट और सरकारी संपर्कों को प्राप्त करने के साथ तेजी से विकास कर रहा है. बैंक के 4,800 से अधिक ग्राहकों ने वर्ष के दौरान 5.50 करोड़ से अधिक की लेन-देन के लिए बैंक की नकदी प्रबंधन सेवाओं का उपयोग किया.

ऋण विस्तार

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम बढ़कर ₹ 8,18,120 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 7,51,590 करोड़ था, इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई. 31 मार्च 2022 को घरेलू अग्रिम बढ़कर ₹ 6,84,153 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2021 को ₹ 6,41,076 करोड़ था, इस प्रकार अवधि के दौरान 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि, रिटेल ऋण खंड (ऑर्गेनिक) द्वारा समर्थित है जो बढ़कर ₹ 1,40,399 करोड़ हो गया और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, कृषि खंड बढ़कर ₹ 1,09,796 करोड़ हो गया और इसमे वर्ष-दर-वर्ष 10.3% की वृद्धि दर्ज की गई, एमएसएमई खंड (ऑर्गेनिक) बढ़कर ₹ 96,863 करोड़ हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.4% की वृद्धि हुई. रिटेल पोर्टफोलियो के अंतर्गत वैयक्तिक ऋण में ₹ 9,748 करोड़ के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 108% की वृद्धि, गृह ऋण (ऑर्गेनिक) में ₹ 82,009 करोड़ के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.3% की वृद्धि, ऑटो ऋण (ऑर्गेनिक) में ₹ 25,130 के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.5% की वृद्धि और शिक्षा ऋण में ₹ 6,731 करोड़ के साथ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.7% की वृद्धि दर्ज हुई.

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक का अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम बढ़कर ₹ 1,33,968 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹ 1,10,514 करोड़ था और इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21.2% की वृद्धि दर्ज की गई.

बैंक को अपने शाखा बैंकिंग व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ अतिरिक्त व्यवसाय सोर्स करने हेतु डिजिटल फ्रंट पर केंद्रित प्रयासों से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है. बैंक के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर रिटेल ऋण, एमएसएमई और कृषि खंड में अपने कारोबार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. बैंक ने संख्या के आधार पर बैंक के पोर्टफोलियो के लगभग 70% को कवर करते हुए छोटे टिकट एमएसएमई ऋणों की नवीनीकरण प्रक्रिया को डिजिटलीकृत कर दिया है. रिटेल ऋण खंड में, बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल मैट्रिक्स का उपयोग करके 10 लाख तक के वैयक्तिक ऋण के संवितरण तक एंड-टू-एंड एसटीपी प्रक्रिया का शुभारंभ किया है. कृषि खंड में, बैंक ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए गोल्ड ऋण हेतु डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया है. बॉब-नाऊ, बॉबवर्ल्ड, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी), सोशल मीडिया हैंडल, व्हाट्सऐप बैंकिंग, डिजिटल ऋण सेवाएं, विभिन्न क्षेत्रों में बाजार के समकक्षों के साथ टाई-उप आदि ने बैंक को अतिरिक्त कारोबार जनरेट करने और अपने ब्रांड वैल्यू तथा ग्राहक आधार को बढ़ाने में मदद की है.

कॉर्पोरेट ऋण

बैंक में कॉर्पोरेट ऋण सेवाएं, 15 कॉर्पोरेट वित्त सेवा (सीएफएस) शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो बैंक के कुल कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो के लगभग 84% का प्रबंधन करती हैं. 31 मार्च, 2022 को बैंक का कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹ 3,00,693 करोड़ हो गया.

कॉर्पोरेट ऋण वितरण की दिशा में नवीन दृष्टिकोण के साथ वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान इस पोर्टफोलियो के जोखिम प्रोफाइल में सुधार दर्ज किया गया है जो कि घरेलू ऋण पोर्टफोलियो के निम्नानुसार रेटिंग वितरण में परिलक्षित होता है :

ऋण रेटिंग वितरण *	31.03.2021 को	31.03.2022 को
ए और उससे अधिक	73%	78%
बीबीबी	11%	10%
बीबीबी से कम	8%	6%
कोई रेटिंग नहीं	8%	5%

* ₹ 50 करोड़ से अधिक का अग्रिमों की बाह्य रेटिंग वितरण.

वित्तीय वर्ष 2022 में ए और उससे अधिक के कुल पोर्टफोलियो पिछले वर्ष के 73% की तुलना में 78% हो गया.

कोविड-19 से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, बैंक ने सरकारी योजनाओं के अनुरूप विभिन्न गारंटीड इमरजेंसी ऋण लाइन (बीजीईसीएल) योजनाएं शुरू की जिसके तहत कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को 31 मार्च, 2022 तक कुल ₹ 1,682 करोड़ मंजूर किए गए और जिसमे से ₹ 1,294 का संवितरण किया गया. एमएफआई के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत, ₹ 1067 करोड़ स्वीकृत और संवितरित किए गए. इसके अतिरिक्त, एथनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने या फीड स्टॉक से पहली जनरेशन के इथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी स्थापित करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों को वित्तीय सहायता योजना के तहत ₹ 635 करोड़ मंजूर किए गए थे, जिसमें से ₹ 126 करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं.

लक्षित बाजार दृष्टिकोण

बैंक लक्ष्य आधारित बाजार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- उद्योग दृष्टिकोण अर्थात् बाजार के आकार, विकास, मांग-आपूर्ति दृष्टिकोण, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रदर्शन, सरकारी नीतियों और निवेश परिव्यय सहित विभिन्न उद्योग मानदंडों का संयुक्त उत्पादन के आधार पर विकास के लिए उद्योगों / क्षेत्रों का निर्धारण.
- एक्सपोजर सीमा, मौजूदा एक्सपोजर और नए अधिग्रहण हेतु भविष्य की आवश्यकता के आधार पर लक्षित बाजार ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्र-वार कारोबार योजना.

- बैठकों के लिए संरचित कॉलिंग योजनाओं के साथ विस्तृत खाता योजना, व्यावसायिक अवसरों की पहचान, अनुमोदन और निपटान.
- पूरे बैंक में समर्पित रिलेशनशिप मैनेजरों के माध्यम से लक्षित बाजार दृष्टिकोण के तहत कारोबार योजना का निष्पादन.
- बैंक सप्लाइ चेन फाइनेंस, वैल्यू चेन फाइनेंस, सीएमएस सुविधा और अन्य रिटेल उत्पादों जैसी सहायक सेवाओं की पेशकश करके ब्याज आय के बजाय ग्राहक से प्राप्त समग्र प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करता है.

बैंक मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और कॉर्पोरेट प्रस्तावों की त्वरित प्रोसेसिंग हेतु देश भर में मिड कॉर्पोरेट शाखाओं की स्थापना संबंधी योजना बना रहा है.

एमएसएमई ऋण

मार्च, 2022 को एमएसएमई पोर्टफोलियो ₹ 1,00,131 (टीडब्लूओ को छोड़कर) करोड़ रहा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.55 लाख नए एमएसएमई ग्राहकों को जोड़ा है. बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित एमएसएमई को लिक्विडिटी सहायता उपलब्ध कराने हेतु और बैंक के एमएसएमई कारोबार को सामान्य रूप से बेहतर करने हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया, इनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

1. ईसीएलजीएस: बैंक ने 31 मार्च 2022 तक आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत ₹ 14,864 करोड़ मंजूर किए और ₹ 12,587 करोड़ संवितरित किए.
2. ऋण आउटरीच कार्यक्रम: वित्तीय सेवाएं विभाग की पहल के अनुसार, बैंक ने 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 2021 तक अखिल भारतीय आधार पर ऋण आउटरीच कार्यक्रम की शुरूआत की जिसके तहत उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा दमन और दीव जहां हमारा बैंक एसएलबीसी/यूटीएलबीसी का संयोजक है, में विभिन्न स्थानों पर 18 मेगा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, कार्यक्रम की अवधि (16.10.21 से 30.10.21) के दौरान, बैंक ने 17,282 लाभार्थियों को ₹ 1,185 करोड़ के एमएसएमई ऋण स्वीकृत किए.
3. एमएसएमई उत्सव अभियान: अक्तूबर 21 माह में शुरू हुआ एमएसएमई उत्सव अभियान 31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ. अभियान के दौरान बैंक द्वारा मोबलाइज कारोबार का विवरण इस प्रकार है;

- न्यू टू बैंक (एनटीबी) में 12,026 ग्राहकों को जोड़ा गया जिसमें लगभग ₹ 8,610 करोड़ का संवितरण किया गया और जिसमें से ₹ 10,328 एनटीबी ग्राहकों को ₹ 1 करोड़ से कम के टिकट आकार के साथ कैनवास किया गया था.
- साथ ही, इस अभियान के दौरान 9,795 माइक्रो न्यू टू बैंक ग्राहकों को जोड़ा गया.

4. पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ करार:

- महिला उद्यमियों और एमएसएमई को लघु-टिकट आकार व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पैसालो डिजिटल के साथ को-लेंडिंग हेतु करार किया है.
- यह साझेदारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और महिला उद्यमियों की आय जनरेट करने के लिए लघु-टिकट वित्तपोषण में सहायक होगी.
- को-लेंडिंग व्यवस्था में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की कम लागत वाली निधियों और ऋण मूल्यांकन विशेषज्ञता और पैसालो के नियमों पर आधारित ऋण जनरेशन और अंडरराइटिंग की क्षमताओं का लाभ मिलेगा. यह लघु-टिकट आय जनरेट करने की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों की सोर्सिंग, सेवाओं और वसूली के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से किया जाएगा.
- शुभारंभ के समय लाभार्थियों को ₹ 1.12 करोड़ राशि की 232 स्वीकृतियां प्रदान की गई.

5. मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों से विश्लेषिकी-आधारित और प्रौद्योगिकी सक्षम एमएसएमई कारोबार कैनवास करना: इस पहल के अंतर्गत, जो ग्राहक केवल सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें हमारे समर्पित आउटबाउंड संपर्क केंद्र के अधिकारियों के माध्यम से सीसी/ओडी खातों की सुविधा के लिए संपर्क किया जाएगा. हमने 307 मौजूदा मीयादी ऋण ग्राहकों को ₹ 162.17 करोड़ की कार्यशील पूंजी सुविधाओं की क्रॉस सेलिंग की है. हम इसी प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा कार्यशील पूंजी ग्राहकों को सावधि ऋण सुविधा हेतु क्रॉस सेलिंग करने जा रहे हैं
6. पीएमएमवाई ऋण डिजिटल मोड के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं.
7. एमएसएमई इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा प्रणालियों के वित्तपोषण के लिए बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है.
8. गुजरात राज्य में छोटे पैमाने पर वितरित सौर ऊर्जा निर्माण इकाइयों के लिए क्षेत्र विशिष्ट योजना शुरू की गई है.
9. बैंक ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए पार्शियल रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी (पीआरएसएफ) के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर आधारित "बड़ौदा एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट (बीईईपी)" वित्तपोषण योजना शुरू की है.
10. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन- इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएसआईसी हमारे बैंक को एमएसएमई लीड प्रदान करेगा और उन मामलों के लिए बैंक को अपने प्रोसेसिंग शुल्क का 50% एनएसआईसी के साथ साझा करना होगा जहां उधारकर्ता को ऋण स्वीकृत किया गया है.

एमएसएमई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ विभिन्न घटकों को लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने के लिए सप्लाइ चेन कारोबार हेतु बैंक के पास एक विशिष्ट वर्टिकल है. बैंक की सप्लाइ चेन फायनांस व्यवसाय एक डिजीटल और स्वचालित प्लेटफॉर्म पर अल्पकालिक कार्यशील वित्तपोषण उपलब्ध कराने हेतु एक सप्लाइ चेन सोल्यूशन है, जो रीयल टाइम अलर्ट, रिपोर्ट और एंड-टू-एंड ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन प्रदान करता है.

31 मार्च, 2022 तक सप्लाइ चेन फायनांस पोर्टफोलियो के तहत ₹ 2,601.45 करोड़ की कुल सीमा में से एमएसएमई खंड के लिए ऑन-बोर्ड सीमा ₹ 1,464.45 करोड़ रुपये थी.

रिटेल ऋण

बैंक की रिटेल आस्तियां 31 मार्च, 2021 को ₹ 1,32,564 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2022 को 13.34% की समग्र वृद्धि के साथ ₹ 1,50,253 करोड़ रही. ऑर्गेनिक रिटेल ऋण (पोर्टफोलियो खरीद को छोड़कर) पिछले वर्ष की तुलना में 16.75% की वृद्धि के साथ ₹1,40,399 करोड़ रहा. 31 मार्च, 2022 को रिटेल आस्तियों में घरेलू अग्रिमों का हिस्सा 21.82% रहा.

वित्त वर्ष 2022 में रिटेल कारोबार की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- बैंक की मॉर्गेज आधारित ऋण बही (आवास, मॉर्गेज एवं किराया प्राप्य) 31 मार्च, 2022 को ₹ 106844 करोड़ रही.
- रिटेल खंड के अंतर्गत ऑर्गेनिक ऑटो, शिक्षा और आवास ऋण में क्रमशः 19.49%, 16.74% और 11.25% की वृद्धि दर्ज की गई.
- बैंक की वैयक्तिक ऋण बही में 108.07% की वृद्धि हुई.
- बैंक ने 9 नए विशेषीकृत मॉर्गेज स्टोर (एसएमएस) खोले हैं जिससे 31 मार्च, 2022 को एसएमएस की कुल संख्या बढ़कर 135 हो गई है. ये स्टोर विशेषीकृत एवं तत्काल मॉर्गेज आधारित रिटेल ऋण प्रदान करने के लिए पूरे देश में स्थापित हैं.
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने प्रमुख शहरों में शिक्षा ऋण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 9 नए शिक्षा ऋण स्वीकृति सेल (ईएलएससी) खोले, जिनकी संख्या 31 मार्च, 2022 तक बढ़कर 11 हो गई.
- बैंक ने रिटेल ऋणों में वृद्धि के लिए लीड्स पर कार्रवाई हेतु डीएसटी चैनल शुरू किया है.
- गृह और मॉर्गेज ऋण में को-लेंडिंग के लिए बैंक ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीएचएफएल) के साथ टाई-अप किया है.
- बैंक ने अपने पोर्टल के साथ एकीकरण के माध्यम से वाहन ऋण जनरेशन हेतु मारुति, हुंडई और ओला के साथ साझेदारी की है.
- ग्राहक अब वेबसाइट, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जमा ऋण के एवज में रिटेल ऋण यानी एचएल, एएल, एमएल और ईएल ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों अर्थात् पीएमएवाई, इलेक्ट्रिक वाहन, छात्र ऋण कार्ड, रक्षा कर्मियों के तहत विशेष योजना और विशिष्ट उत्पाद विकसित किया गया.
- डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के तहत रिटेल ऋण उत्पादों जैसे गृह ऋण, वैयक्तिक ऋण एवं वाहन ऋण का सैद्धान्तिक अनुमोदन अब ऑनलाइन किया जा रहा है. बैंक अपने देयता ग्राहकों को ₹ 50,000 एवं ₹ 5,00,000 तक क्रमशः एंड-टू- एंड ऑनलाइन सूक्ष्म तथा लघु ऋण ऑफ़र कर रहा है. वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी वेतन खाता ग्राहकों के लिए बड़ौदा वैयक्तिक ऋण और देयता ग्राहकों हेतु पूर्व अनुमोदित ऋण का शुभारंभ किया गया.
- अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आईबीए मॉडल योजना के अनुरूप नवीनीकृत शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत.
- अन्य रिटेल ऋणों को नवीनीकृत किया गया है और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी और ग्राहक अनुकूल बनाया गया.

ग्रामीण और कृषि ऋण

बैंक में 8,168 घरेलू शाखाओं का नेटवर्क है जिसमें से 4,927 ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं का उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र ऋण के लिए किया जा रहा है. 31 मार्च, 2022 को बैंक का कृषि अग्रिम बढ़कर ₹ 1,09,796 करोड़ हो गया.

बैंक 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है. बैंक पूरे देश के 67 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहा है.

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में लगातार अग्रणी बना हुआ है, जिसे सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन के साथ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है. किसानों को पूंजी जनरेशन और कृषि और पशुपालन में एक मजबूत सुदृढ़ ढांचे का निर्माण करने के लिए बैंक सामान्य कृषि ऋण से अधिक विविधिकृत ग्रामीण नीति की तरफ आगे बढ़ रहा है. हम कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष स्कीम (एएचआईडीएफ), पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कंप्रेसड बायो गैस जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है.

बैंक ने अपने प्रमुख उत्पादों जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वर्ण ऋण, कृषि मशीनीकरण (ट्रैक्टर ऋण), बागवानी ऋण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को वित्तपोषण, उच्च तकनीक कृषि और खाद्य और कृषि-प्रोसेसिंग पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है. केसीसी तंत्र के दायरे में वर्ष के दौरान, बैंक ने 2.75 लाख नए केसीसी जारी किए जिनमें से 0.80 लाख पशुपालन एवं डेयरी (एएचडी केसीसी) पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे किसानों को जारी किए गए. बैंक ने अपनी माइक्रोफाइनेंस पहल के भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ₹ 2,782 करोड़ की राशि के ऋण प्रदान कर 92,615 एसएचजी को ऋण से जोड़ा है.

एसएचजी के ऋण लिंकेज को बढ़ाने के लिए बैंक विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और अन्य निजी भागीदारों के साथ टाइ-अप को प्रोत्साहित कर रहा है. टर्नअराउंड समय में सुधार करने और एसएचजी के लिए बाधारहित तत्काल बचत बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01.01.2022 से टैब बैंकिंग का शुभारंभ किया गया है. ट्रैक्टर ऋण में किसानों की सुविधा के लिए ब्याज दर को

ट्रैक्टर के एलटीवी से जोड़ा गया है. डिजिटल फ्रंट में, हमने किसानों को स्वर्ण ऋण हेतु डिजिटल यात्रा और किसान ऋण कार्ड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देना आरंभ किया है.

बैंक ने कृषि विपणन और प्रसंस्करण केंद्र (सीएएमपी) की शुरुआत की है, जो गैर-पारंपरिक और उच्च मूल्य वाले कृषि अग्रिमों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ऋणों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित केंद्रीकृत केंद्र है. अपनी स्थापना के पहले 5 माह में सीएएमपी ने -10216- किसानों को ₹ 952.85 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं.

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रचारित "ऋण आउटरीच" कार्यक्रम के अनुरूप अक्टूबर माह में अपने विशिष्ट वार्षिक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" का आयोजन किया. "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" के दौरान कुल 7,623 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1.59 लाख किसानों ने सहभागिता की. ऋण आउटरीच कार्यक्रम के तहत बैंक ने विभिन्न कृषि उत्पादों के अंतर्गत 1,75,722 किसानों को ₹ 3,660.88 करोड़ स्वीकृत किए.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वित्त वर्ष 2021 के ₹ 2,49,196 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 वर्ष दर वर्ष आधार 4.66% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 2,60,818 करोड़ रहा. बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण सेगमेंट की सभी श्रेणियों के अंतर्गत अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त किया है.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

31 मार्च, 2022 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों को बकाया ऋण ₹14,469 करोड़ हो गया. बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 19.87% हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को वित्तपोषण के लिए बैंक द्वारा विशेष ध्यान केंद्रित किया गया. बैंक महिला सशक्तिकरण मिशन को आगे बढ़ाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ टाइ-अप की संभावनाएं तलाश रहा है.

स्वर्ण ऋण

बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो ₹ 23,593 से बढ़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 24.26% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2022 को ₹ 29,316 करोड़ हो गया. स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत, कृषि स्वर्ण ऋण 24.25% जो वित्त वर्ष 2021 में ₹ 22,492 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 27,946 करोड़ हो गया. वित्त वर्ष 2022 में रिटेल स्वर्ण ऋण बढ़कर ₹ 1,371 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में ₹ 1,101 करोड़ था, इस खंड में 24.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वर्ष के दौरान, बैंक ने 363 नई स्वर्ण ऋण संवितरण शाखाओं को जोड़ा जिससे वित्त वर्ष 2021 में 5,238 शाखाओं से बढ़कर स्वर्ण ऋण नामित शाखाओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2022 में 5,601 हो गई. वित्त वर्ष 2021 में 22.65% की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में दक्षिणी भागों के अलावा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की 25.18% की हिस्सेदारी के साथ देश भर में नामित स्वर्ण ऋण शाखाओं के विस्तार में बढ़ोतरी हुई. वित्त वर्ष 2022 में स्वर्ण ऋण खातों में महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,13,502 हो गई, जो वित्त वर्ष 21 में 6,91,029 थी. वर्ष के दौरान ऐसे 1,22,473 नए खाते जोड़े गए. वित्त वर्ष 2022 में कुल कृषि अग्रिमों में कृषि स्वर्ण ऋण का योगदान बढ़कर 25.14% हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 22.30% था. वित्त वर्ष 2022 में स्वर्ण ऋण का औसत टिकट आकार बढ़कर ₹ 1.46 लाख हो गया जो वित्त वर्ष 2021 में ₹ 1.36 लाख था. वित्त वर्ष 2022 में प्रति शाखा स्वर्ण ऋण की औसत राशि बढ़कर ₹ 5.23 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2021 में ₹ 4.51 करोड़ थी. 31 मार्च 2022 तक जीएनपीए अनुपात 0.26% के साथ स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता अच्छी रही.

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ डिजिटल स्वर्ण ऋण का शुभारंभ किया है. बैंक ने मौजूदा और संभावित ग्राहकों हेतु अपने बैंक की वेबसाइट पर कैरेट वार स्वर्ण आभूषणों पर आधारित स्वर्ण ऋण पात्रता जांचने हेतु कैलकुलेटर का भी शुभारंभ किया है. स्वर्ण ऋण खंड में महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए विशेष आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में माना है. बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. तकनीक के आगमन के साथ बैंकिंग रहित क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं. देश भर में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने 16,018 अतिरिक्त बीसी जोड़कर 31 मार्च, 2022 को 39,338 से अधिक बीसी नियुक्त कर लिए हैं और अपने बीसी नेटवर्क में विस्तार किया है. बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की है:

- मिस्ड कॉल / नेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / एसएमएस / बीसी / शाखा जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सूक्ष्म बीमा नामांकन को समर्थ किया है. बीमा भागीदारों के सहयोग से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई दोनों के लिए ऑनलाइन दावा दर्ज प्रस्तुत करने और निपटान की सुविधा शुरू की है.
- बीसी पॉइंट पर नई सेवाओं की शुरुआत की गयी है यथा सेल्फ सर्विस पासबुक की प्रिंटिंग, एनईएफटी, टीडी नवीनीकरण, कृषि, एमएसएमई, रिटेल आस्तियां, ऋण कार्ड और रिटेल देनदारियों के लिए ऑनलाइन लीड जनरेशन.
- बैंक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) की बीसी सखी परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसियों में से एक है.
- बैंक ने अपने 'प्रोजेक्ट स्वनारी' के लिए आरबीआईएच (आरबीआई इनोवेशन हब) के साथ स्केल अप पार्टनर के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य महिला स्टार्टअप को बढावा देना है.

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों में 56.48 लाख (9.57%) की वृद्धि हुई है और जमाराशियों में ₹ 4,342 (18.46%) करोड़ की बढ़ोतरी हुई है.
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में 59.92 लाख (12.13%) की वृद्धि हुई है और पीएमजेडीवाई जमाराशियों में ₹ 3,977 करोड़ (21.34%) की बढ़ोतरी हुई है.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में पीएमजेडीवाई खातों की संख्या में 15.60% और पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत जमाराशियों में 17.42% बैंक की हिस्सेदारी रही.
- 31 मार्च 2022 को बैंक में शून्य शेष वाले पीएमजेडीवाई खातों के हिस्से को जो 31 मार्च 2020 को 5.75% था, घटाकर 5.30% पर लाया गया.
- वर्ष के दौरान माइक्रो इंश्योरेंस नामांकन में 52 लाख की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च, 2022 को 3.12 करोड़ रहा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक नामक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है. इन तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2021 को ₹ 123,427 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹ 133,080 करोड़ हो गया. तीनों आरआरबी ने समेकित रूप से वित्त वर्ष 2021 के दौरान ₹322 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में 84.47% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022 में ₹ 594 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया. तीनों आरआरबी की निवल मालियत 31 मार्च 2021 को ₹ 4,289 के स्तर से बेहतर होकर 31 मार्च 2022 को ₹ 4,986 दर्ज की गई.

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक यह मानता है कि निरंतर दैनिक निगरानी अनर्जक ऋणों में कमी और अच्छी वसूली सुनिश्चित करने के प्रति पहला कदम है. इसके लिए बैंक ने विभिन्न कार्रवाई की है तथा वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए रणनीति बनाई है. बैंक के पास प्रत्येक एनपीए खाते को विधिवत रूप से परखने हेतु रणनीति है. इसलिए बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक शीर्ष वर्टिकल 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल' के तहत विशेष सक्षम व्यवस्था स्थापित की है. इस वर्टिकल के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतर्गत सभी खातों के लिए आवश्यक विशेष दक्षता व्यवस्था के साथ -5-दबावग्रस्त आस्ति शाखाओं को स्थापित किया गया है. इसके अतिरिक्त एनसीएलटी से इतर ₹ 5 करोड़ से अधिक बकाया राशि वाले अन्य एनपीए खातों को हैंडल करने के लिए अंचल स्तर पर 16 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाओं (एसएआरबी शाखा) की स्थापना की गई है. टीएटी को कम करने के लिए ये शाखाएं कॉर्पोरेट कार्यालय की सीधी निगरानी में हैं. इसके अलावा, ₹ 50 लाख से अधिक और ₹ 5 करोड़ तक के बकाया राशि वाले एनपीए खातों को हैंडल करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर -66- दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी शाखा) स्थापित की गईं हैं.

भारत सरकार की डिजिटल पहल के अंतर्गत, बैंक ने बिना कागज संचलन और वास्तविक समय के आधार पर वसूली और निगरानी की पूरी प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं. इस संबंध में,

1. "क्युलिक" यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना वास्तविक समय के आधार पर फिनेकल से कई डेटा बिंदुओं को प्राप्त करता है और दैनिक डीग्रेडेशन के पूर्वानुमान के लिए डेज़ पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट और मॉक रन की गणना करता है.
2. "आईएलएमएस" मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित पोर्टल जो राशि पर विचार किए बिना संपूर्ण एनपीए खातों की ऑनलाइन रिपॉजिटरी है. यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खातों की ऑनलाइन संपूर्ण प्रत्यक्ष निगरानी जैसे सरफेसी स्थिति, डीआरटी/एनसीएलटी स्थिति, प्रावधान, दैनिक वसूली, वकीलों के निष्पादन का विश्लेषण और ओटीएस की ऑनलाइन प्रस्तुति/स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराता है.
3. वन टाइम सेटलमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक एक एप्लिकेशन को लागू किया गया है जिसमें ग्राहक निपटान की कार्यवाही ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं. बैंक ने स्वचालित संग्रह प्रणाली (एसीएस) मोबाइल ऐप्लिकेशन को विकसित किया है जो फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सिस्टम में खातों के आबंटन के आधार पर राशि वसूल करने और वसूली के विवरण अपडेट करने के उद्देश्य से बैंक में शुरुआती दौर में दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान करने के लिए सुदृढ़ स्वचालित अर्ली वार्निंग प्रणाली है जिससे दबाव के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें. बैंक के पास सशक्त संग्रहण प्रणाली भी है.
4. वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम के तहत संपत्तियों की बिक्री के लिए नए ई-नीलामी मंच, ई-बिक्रय का उपयोग किया जा रहा है तथा सरेफेसी के तहत बैंक की सफलता दर 38% है.
5. कई डिजिटल पहलें जैसे जियो टैगिंग, टीएटी विश्लेषण आदि प्रक्रियाधीन हैं.

पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2022
सकल एनपीए	66,670.99	54,059.39
सकल एनपीए (%)	8.87%	6.61%
निवल एनपीए	21,799.88	13,364.64
निवल एनपीए (%)	3.09%	1.72%
एनपीए में जोड़	20,005.12	14,255.33
वसूली/ उन्नयन	7,290.05	8,448.15
टीडबल्यूओ सहित बट्टे खाते	14,877.64	17,966.81
बट्टे खातों में वसूली	2,985.00	2,510.00
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%)	81.80%	88.71%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%)	67.30%	75.28%

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही का विभाजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2022
मानक अग्रिम	6,84,919.17	7,64,061.10
सकल एनपीए	66,670.99	54,059.39
कुल सकल अग्रिम	7,51,590.16	8,18,120.49
सकल एनपीए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं		
अवमानक	15,056.08	5,280.47
संदिग्ध	35,526.49	31,512.32
हानि	16,088.42	17,266.60
कुल सकल एनपीए	66,670.99	54,059.39

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचना के माध्यम से दबावग्रस्त उद्यमियों का सहयोग कर राष्ट्र निर्माण करने में विश्वास रखता है.

बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों का निपटान करने के लिए, बैंक ने इन खंडों में अपनी विशेष वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना "लक्ष्य-II - एमएसएमई, रिटेल और कृषि" तथा "संदिग्ध, हानि, पीडब्ल्यूओ खातों में एनपीए के निपटान के लिए" "ऋण चुकाओ शान से जियो" योजना को जारी रखा. बैंक ने इन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 285 करोड़ और ₹ 370 करोड़ की राशि के एनपीए खातों की वसूली की और उन्हें अपग्रेड किया.

लार्ज कॉर्पोरेट के एसएमए- I और एसएमए-II खातों की बेहतर और लक्षित निगरानी तंत्र तथा उनमें कमी के लिए इनकी निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल द्वारा की जा रही है ताकि तत्संबंधी निपटान किया जा सके और वसूली, अपग्रेडेशन की सभी संभावनाओं का पता लगाया जा सके.

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

हमारे बैंक की 17 देशों में 94 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं, जिनमें 41 विदेशी शाखा/कार्यालय (यूएई में 9 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट, मॉरीशस में 1 मोबाइल यूनिट, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, भारत में 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट सहित) और बैंक की 7 विदेशी अनुषंगियों की 53 शाखाएं कार्यरत हैं. इसके अलावा, बैंक का एक संयुक्त उद्यम मलेशिया में इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और एक सहयोगी बैंक जांबिया में इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 30 शाखाएं हैं.

बैंक की विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में उपस्थिति है. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा बैंक भारतीय कॉर्पोरेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करके, भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया-लिंक्ड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करके और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए पसंदीदा बैंक बनकर विकास को गति देने और मूल्यवर्धन की नीति अपना रहा है.

व्यवसाय अवसरों की उपलब्धता को देखते हुए, बैंक द्वारा प्राथमिक और गौण बाजार में भारत के अलावा अन्य संबंधित समूहन ऋणों पर एक्सपोजर को लेते हुए अग्रिम पोर्टफोलियो में भी विविधता लाई गई है. साथ ही, उत्पादों के समूह को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न नए उत्पादों का शुभारंभ किया गया है.

गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गुजरात, भारत में बैंक की एक होलसेल शाखा है, जिसे एक ऑफसोर बैंकिंग इकाई के रूप में माना जाता है और व्यापार की अपार संभावनाओं, कर लाभ, सरकारी पहलों आदि को ध्यान में रखते हुए शाखा को व्यवसाय विकास के केंद्र के रूप में चुना गया है. बैंक ने आईएफएससी में शाखा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरी हेतु वैश्विक मानक के अत्याधुनिक डीलिंग रूम भी शामिल है.

इसके अलावा, विदेशी केंद्रों में उत्पादकता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संपूर्ण बिजनेस सोल्यूशन के लिए आईटी उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. सहक्रिया जनरेट करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी के कई प्लेटफार्मों को लगातार एकीकृत कर रहा है.

भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप, बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाने का कार्य नीतिपरक रूप से किया है. इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, वर्ष के दौरान बैंक ने हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका में अपना परिचालन बंद कर दिया है. बैंक नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को लगातार समेकित और पुनर्गठित कर रहा है और इसने जोखिमों का प्रबंधन करने, कम-प्रतिफल वाली आस्तियों को कम करने और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

31 मार्च 2022 तक, अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार (शुद्ध) ₹ 2,42,702 करोड़ रहा जो वैश्विक कारोबार का 13.31% है. कुल जमाराशियां ₹ 1,18,928 करोड़ रहा जबकि निवल अग्रिम ₹ 1,23,774 करोड़ रहा.

ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है. ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज दर, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है. बैंक आधुनिक डीलिंग पद्धतियों और पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प और वायदा संविदा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है.

ट्रेजरी बैंक की सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) संबंधी सांविधिक आवश्यकताओं की देखरेख करती है और निधि की अधिकता / कमी का प्रबंधन करती है. ट्रेजरी निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में मनी मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट लिखतों में ऋण लेता/निवेश करता है.

31 मार्च, 2022 को बैंक की कुल घरेलू निवेश बही ₹ 3,04,062 करोड़ रही. कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों का शेयर 82.71% रहा. 31 मार्च, 2022 को शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के सापेक्ष एसएलआर

प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 21.93% रहीं. बैंक यील्ड मूवमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों को भुनाने में सक्षम रहा है. बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को कुशलता से प्रबंधित किया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज-युक्त निवेश पर 7.26% (बिक्री पर लाभ सहित) औसत लाभ बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक द्वारा निवेश की बिक्री पर लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः ₹ 2,702 करोड़ और ₹ 714 करोड़ रही.

सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार वर्टिकल बैंक की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह सम्पूर्ण भारत में केंद्र/राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है.

हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की पेंशन, डाक लेन-देन, ट्रेजरी / उप-ट्रेजरी लेन-देन, लोक भविष्य निधि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ई-किसान विकास पत्र, आरबीआई बॉन्ड, प्रत्यक्ष कर संग्रहण (सीबीडीटी), सीबीईसी, ईएसआईसी, एमएचएफडब्ल्यू, जीएसटी, ई-स्टैम्पिंग एवं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड संबंधी भुगतान का प्रबंधन करते हैं.

हम विभिन्न राज्य / केंद्र सरकार के संगठनों के खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान करते हैं एवं बैंक के लिए कासा जमा राशि जुटाने में मदद करते हैं. हम विभिन्न सेवाओं की पेशकश जैसे कि हमारे ग्राहकों को जीईएम पोर्टल पीएफएमएस में ऑनबोर्ड करने आदि पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें ग्राहकों के साथ नए संबंध स्थापित करने एवं कासा कैनवास करने में मदद करता है.

हमारा बैंक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कानूनी मामलों के मंत्रालय के लिए एक अधिकृत बैंकर है.

हमारा विशेष ध्यान संबद्ध सेवाओं अर्थात् पीएफएमएस पोर्टल पर सरकारी विभागों की ऑनबोर्डिंग, सरकारी कासा खातों को कैनवास करने, सरकारी व्यवसाय करने वाली सभी शाखाओं की निगरानी करने तथा उनके प्रश्नों के संबंध में सहायता एवं उनकी शंकाओं का समाधान प्रदान करने पर हैं. हम लगातार विभिन्न अभियानों के माध्यम से सभी शाखाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय संगृहीत करने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हैं.

सरकारी निकायों से सराहना;

ए) वित्त वर्ष 2022 की पहली और दूसरी तिमाही में शुरू किए गए विभिन्न अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभियानों में सराहनीय प्रयासों के लिए बैंक को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत सरकार से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है.

बी) वित्त वर्ष 2022 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामांकन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत सरकार से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है.

सी) बैंक को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से भी प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है. पंचायती राज मंत्रालय ने पीएफएमएस एकीकरण के लिए यूजर एवं तकनीकी टीम से समस्याओं के त्वरित निपटान के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर हमारे कार्यनिष्पादन को सराहा है.

धन संपदा प्रबंधन

वित्त वर्ष 2022 धन संपदा प्रबंधन व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है जिसमें क्रॉस सेलिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली इकाई से नीतिपरक कारोबार इकाई में परिवर्तन के साथ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रबंधन के तहत अपनी आस्ति (एयूएम) को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं वित्त वर्ष 2023 में इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है.

हम नियामक अनुपालन के दायरे में अपने धनसंपदा प्रबंधन कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. वित्त वर्ष 2022 में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 982 करोड़ के जीवन बीमा प्रीमियम का संग्रहण किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है. आपके बैंक ने गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में अपने पांच गैर-जीवन बीमा भागीदारों के साथ नए और अभिनव उत्पादों एवं ग्राहक पेशकशों में वृद्धि की है. मानव संसाधनों में वृद्धि के संदर्भ में विभिन्न व्यवसाय संचालित कारकों को प्रभावी किया गया है. कर्मचारियों को नए उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है. सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़कर ₹ 490 करोड़ हो गया. म्यूचुअल फंड सेगमेंट में एयूएम 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 8,352 करोड़ है.

बॉब-नाऊ परियोजना के तत्वावधान के अंतर्गत बड़ौदा रेडियंस प्रीमियम बैंकिंग सेगमेंट हेतु एक व्यापक रूपांतरण कार्यक्रम शुरू किया गया है. सम्पूर्ण सेगमेंट में कवरेज एवं मूल्य संवर्धन के लिए पेशेवरों की नई भर्ती के माध्यम से समर्पित बड़ौदा रेडियंस रिलेशनशिप प्रबंधकों की संख्या को बैंक ने तीन गुना कर दिया है. रेडियंस ग्राहकों के लिए अत्याधुनिक, व्यापक तथा प्रतिस्पर्धी उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश सहित नवीन बड़ौदा रेडियंस 2.0 मूल्य आधारित पेशकश शुरू की गयी है. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) के साथ-साथ वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) जैसे निवेश उत्पादों का बड़ौदा रेडियंस ग्राहकों के लिए शुभारंभ किया गया है.

बड़ौदा रेडियंस बिजनेस मॉडल में विभिन्न क्षमता सृजन एवं व्यवसाय साधकों की शुरूआत के साथ एक बड़ा बदलाव आया है. बैंक ने एक महत्वाकांक्षी डिजिटल कार्यक्रम एवं उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के साथ टाई-अप करने की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों एवं फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए निर्बाध डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है ताकि एंड टू एंड धन संपदा प्रबंधन सोल्यूशन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. हमने अपने ग्राहकों के लिए मूल्य सृजन हेतु अपनी तकनीकी क्षमताओं तथा धन संपदा प्रबंधन उत्पादों एवं सेवाओं की समग्र पेशकशों का लाभ उठाने का लक्ष्य रखा हैं.

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से लेनदेन को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने का प्रयास करता है जिससे बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त होता है. डिजिटल बैंकिंग का प्रमुख ध्यान डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है. डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख सुविधाएं बॉब वर्ल्ड, भीम बड़ौदा पे, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग,

इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) आदि शामिल हैं.

बॉब वर्ल्ड

वर्ष के दौरान बैंक ने नई विशेषताओं एवं सेवाओं के साथ बॉब वर्ल्ड नामक अपग्रेडेड मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन का शुभारंभ किया है. इस प्रकार बॉब वर्ल्ड एक्टिवेशन वित्त वर्ष 2021 में 49.87 लाख की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2022 के दौरान 101.54 लाख हो गया और इस अवधि के दौरान 104% की वृद्धि दर्ज की गई. बॉब वर्ल्ड पर वित्तीय लेनदेन भी वित्त वर्ष 2021 में 1,226.21 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 1,483.94 लाख हो गया. इस अवधि के दौरान 21% की वृद्धि दर्ज की गई. वित्त वर्ष-2022 में गैर-वित्तीय लेनदेन 76% बढ़कर 21,931.55 लाख हो गए जो वित्त वर्ष-2021 में 12,430.51 लाख थे.

डेबिट कार्ड

31 मार्च, 2022 तक बैंक का सक्रिय कार्ड आधार 14% की वृद्धि के साथ 7.45 करोड़ है. ई-कॉमर्स/पीओएस लेन-देन को बढ़ाने एवं बैंक के डेबिट कार्ड का ग्राहक को पसंदीदा कार्ड बनाने हेतु बैंक ने डेबिट कार्ड ग्राहकों को आकर्षक ऑफर प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यापारियों के साथ टाई अप किया है. छह महीने (अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक) की अवधि में शियोमी, जोमेटो, मिंत्रा, ईज माइ ट्रिप, यात्रा, आजियो, टाटा क्लिक, क्रोमा, अमेज़ॉन, स्नैपडील आदि जैसे विभिन्न लोकप्रिय मर्चेन्ट के साथ कुल 26 अभियान शुरू किए गए. बैंक ने वर्ष के दौरान सितंबर, 2021 माह में बीसीएल सह-ब्रांडेड एनसीएमसी प्लेटिनम कार्ड का भी शुभारंभ किया है एवं 31.03.2022 तक 15.58 लाख कार्ड जारी किए गए. बैंक के प्लेटिनम कार्ड का आधार 31.03.2022 को बढ़कर 81 लाख हो गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 165% की वृद्धि हुई है.

बड़ौदा फास्टैग (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण - एनईटीसी)

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.01 लाख फास्टैग जारी किए. अब बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक का फास्टैग बॉब ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. ग्राहक ऑनलाइन माध्यम से वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी फास्टैग हेतु आवेदन कर सकते हैं.

बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को ऑनबोर्ड किया एवं उनके लिए फास्टैग जारी किया.

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पुनरावृत्ति बिल भुगतान हेतु एक अन्तः प्रचालनीय प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वास्तविक समय आधारित बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करता है. बीबीपीएस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहल किए गए उत्पादों में से एक है एवं इसका प्रबंधन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है. हमारा बैंक बीबीपीएस सेवाओं की सुविधा के लिए ग्राहक परिचालन इकाई एवं बिलर परिचालन इकाई के रूप में अधिकृत है.

- ग्राहक परिचालन इकाई (सीओयू): वित्त वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने अपने ग्राहकों को बिल भुगतान सेवाओं की सुविधा हेतु एजेंट संस्थान (एआई) के रूप में मेसर्स एनी टाइम मनी प्राइवेट लिमिटेड को ऑन-बोर्ड किया है.
- बिलर परिचालन इकाई (बीओयू): वित्त वर्ष 2022 में बैंक ने अपने बिल संग्रहण की सुविधा के लिए निम्नलिखित बिलर्स को ऑन-बोर्ड किया है:
  1. पुदुचेरी स्थानीय प्रशासन विभाग
  2. सिलवासा नगर निगम
  3. स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, तेलंगाना
  4. मीरा भयंदर नगर निगम

एटीएम

31 मार्च, 2022 तक हमारे बैंक के 9,845 एटीएम एवं 1,642 कैश री-साइक्लर का व्यापक नेटवर्क है, जिसमें 8 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषाओं के तहत नेविगेट करने हेतु यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है, जो हमारे ग्राहकों को दैनिक बैंकिंग परिचालन संबंधी सहज अनुभव प्रदान करती है. हमारे एटीएम ग्रीन पिन जनरेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कैश ऑन मोबाइल सेवाओं जहां ग्राहक डेबिट कार्ड आदि का उपयोग किए बिना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, जैसी सुविधाओं से युक्त हैं. अब बैंक जल्द ही ग्राहकों के लिए बैंक की यूपीआई क्यूआर (आईसीसीडब्ल्यू) सेवाओं का उपयोग कर पैसे निकालने की सुविधा शुरू कर रहा हैं. इसी तरह, जल्द ही बैंक, बैंक के कैश री-साइक्लर का उपयोग कर इंटरबैंक कैश डिपॉजिट की नई सुविधा शुरू करने वाला है.

इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)

अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग का उपयोग कर भुगतान संग्रहण को सक्रिय कर अपनी वेबसाइट / ई- कॉमर्स व्यवसाय के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्लैटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए बैंक द्वारा अपने आईपीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर बड़ौदा ई-गेटवे की स्थापना की गई है. बैंक के पास पेपॉइंट सुविधा भी है जिसके माध्यम से हम मर्चेन्ट को संपूर्ण ईआरपी सोल्यूशन प्रदान करते हैं एवं वेबसाइट नहीं रखने वाले मर्चेन्ट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं. बाधारहित और अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 16 एग्रीगेटरों एवं 4 मास्टर मर्चेन्टों के साथ टाई-अप किए हैं और लगभग 3,100 मर्चेंटों को ऑनबोर्ड किया है. बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में आईपीजी मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग में 55% की वृद्धि दर्ज की है.

भीम बड़ौदा पे:

यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) पर संग्रहित करता है, विभिन्न बैंकिंग विशेषताओं, बाधारहित निधि राउटिंग एवं मर्चेंट भुगतान को एक प्लैटफार्म पर समेकित करता है. यह "पीयर टू पीयर" संग्रहण अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा अनुसार शेड्यूल कर भुगतान किया जा सकता है. वित्त वर्ष 2022 के दौरान यूपीआई (P2P एवं P2M) के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन (आउटवर्ड), बढ़कर ₹ 250 करोड़ रहा, जिसमें 100% की वृद्धि दर्ज की है.

- **यूपीआई इंटरनेशनल:** यूपीआई ऐप्लिकेशन के माध्यम से सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) में क्यूआर आधारित भुगतान को प्रोत्साहित करने

के लिए यूपीआई इंटरनेशनल को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और एनईटीएस (नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर) सिंगापुर ने संयुक्त रूप से विकसित किया है. खाते से कटौती भारतीय रूपया (आईएनआर) में होगी लेकिन मर्चेंट को भुगतान एसजीडी में होगा. वर्तमान में बैंक जारीकर्ता के रूप में लाइव है. यही सुविधा भूटान, नेपाल एवं यूएई के लिए भी उपलब्ध है.

- **यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान:** डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डायनमिक क्यूआर कोड के माध्यम से बिजनेस टू कस्टमर (बी2सी) लेनदेन करने का बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए, भारत सरकार ने यूपीआई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सक्षम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. यह निर्देश दिया गया था कि कार्पोरेट मर्चेंट जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक है उन्हें ग्राहकों को जीएसटी घटकों के साथ डायनमिक क्यूआर कोड इनवॉयसिंग सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड के प्रावधानों को अपनाना होगा. बैंक के अधिगृहीत मर्चेंट जीएसटी घटक के साथ डायनमिक क्यूआर कोड की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. भीम बड़ौदा पे एप्लिकेशन जीएसटी संबंधी परिवर्तनों के साथ अनुपालित है और जीएसटी समर्थित क्यूआर कोड को स्कैन, डीकोड कर सकता है और अनुरोध संदेश में एनपीसीआई द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है.

बड़ौदा कनेक्ट:

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर कई नए ग्राहकों को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड किया है. वित्त वर्ष 2021 के दौरान बैंक के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 76.80 लाख से बढ़कर 88.09 लाख हो गई.

बड़ौदा टैबिट:

बैंक ने टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म - बड़ौदा टैबिट के माध्यम से (व्यक्तिगत चेक बुक, व्यक्तिगत डेबिट कार्ड, एमपिन के साथ मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग तथा बचत खाता एवं चालू खाते में मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण, यूपीआई आदि के साथ) तत्काल कासा खाते खोलने हेतु अपने ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करना शुरू किया है. बैंक ने वर्ष के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 लाख से अधिक बचत खाते एवं 1.48 लाख चालू खाते खोले हैं. टैब ऑन-बोर्डिंग प्लेटफॉर्म को अब फास्टैग जारी करने, डेबिट कार्ड एवं व्यापार कार्ड जारी करने तथा यूपीआई क्यूआर का लाभ उठाने हेतु मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग के लिए विस्तारित किया गया है. टैब प्लेटफॉर्म को अब भीम आधार, क्रेडिट कार्ड एवं पीओएस (वैयक्तिक एवं गैर-वैयक्तिक) के लिए लीड जनरेट करने हेतु भी विस्तारित किया गया है.

व्हाट्सऐप बैंकिंग:

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट एवं फीडबैक के आधार पर दिनांक 11 फरवरी, 2022 को, हमने अपने ग्राहकों एवं बैंक के गैर-ग्राहकों के लिए नए डिजिटल डिलीवरी चैनल, व्हाट्सऐप बैंकिंग के तहत चरण-2 की सुविधा की शुरुआत की है. नई सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं-

1. सीबीएस / डिजिटल चैनल आधारित सेवाएं:
   - खाता विवरणी
   - यूपीआई को डिसेबल करना
   - खाता ब्लॉक करना (डेबिट फ्रीज)
   - घरेलू लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड डिसेबल करना (पीओएस/ ईकॉम/एटीएम)
   - अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए डेबिट कार्ड डिसेबल करना (पीओएस/ ईकॉम/एटीएम)
   - चेक बुक अनुरोध की ट्रैकिंग
   - व्हाट्सऐप बैंकिंग पंजीकरण / पंजीकरण रद्द करने की सुविधा
   - महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए ओटीपी सत्यापन (चेक बुक अनुरोध, डेबिट कार्ड ब्लॉक करना, घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए डेबिट कार्ड डिसेबल करना, व्हाट्सऐप बैंकिंग पंजीकरण / पंजीकरण रद्द करना एवं यूपीआई डिसेबल करना)
2. बड़ौदा फास्टैग:
   - टैग बैलेंस पूछताछ
   - मिनी विवरणी (टैग लेन-देन)
3. धन संपदा प्रबंधन सेवाएं (ग्राहक एवं गैर-ग्राहक दोनों): धनसंपदा प्रबंधन सेवाएं (मेसर्स इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस) संबंधित बिजनेस पार्टनर के व्हाट्सऐप बिजनेस खाते पर रीडायरेक्ट कर प्रदान की जाएंगी.
4. अन्य सुविधाएं (रि-डायरेक्शनल):
   - एमएसएमई बैंकिंग उत्पाद
   - कृषि ऋण एवं सेवाएं
   - कृषि ऋण सुविधा
   - कृषि ऋण के लिए आवेदन करें
   - बड़ौदा किसान
   - मुख्य मेनू पर लिंक के साथ बॉब वर्ल्ड क्रॉस मार्केटिंग टेक्स्ट
5. डिजिटल ऋण सेवाएं (रि-डायरेक्शनल):
   - वैयक्तिक ऋण
   - ऑटो ऋण
   - गृह ऋण
   - मुद्रा ऋण
6. हिंदी भाषा में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरूआत: ग्राहकों की सुविधा एवं राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु व्हाट्सऐप बैंकिंग विकल्प एवं ग्राहक सुविधा को हिंदी में शुरू किया गया है.

7. चयनित देशों (19 देशों) के अंतर्राष्ट्रीय नंबरों पर व्हाट्सऐप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

- उपर्युक्त के अलावा, हमने आवश्यकता के अनुसार विभिन्न चैनलों के साथ एकीकरण के लिए एक पुश अधिसूचना एपीआई विकसित की है.
- हमने दिवाली के दौरान बैंक ऑफ़ बड़ौदा डेबिट कार्ड एवं बॉब वर्ल्ड ऐप्लिकेशन के संबंध में जागरूकता संदेश भेजकर मार्केटिंग अभियान की भी शुरूआत की है.
- व्हाट्सएप बैंकिंग के तहत डिजिटल बी3 खातों का विस्तार एवं इस सुविधा को प्रोडक्शन में लाइव किया गया है.
- व्हाट्सऐप बैंकिंग के एडमिन पोर्टल जिसमें एडमिन एवं कस्टमर केयर के मॉड्यूल हैं, को लाइव कर दिया गया है.
- 31 मार्च 2022 तक लगभग 1.6 लाख चेक अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किए गए हैं.
- व्हाट्सऐप बैंकिंग उपयोगकर्ता पंजीकरण -

वर्ष	व्हाट्सएप बैंकिंग में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या (लाख में)
वित्त वर्ष 2021	6.16
वित्त वर्ष 2022	14.04
कुल पंजीकरण	20.2

- व्हाट्सऐप बैंकिंग लेन-देन -

वर्ष	व्हाट्सएप बैंकिंग लेन-देन की संख्या (लाख में)
वित्त वर्ष 2021	47.8
वित्त वर्ष 2022	207.5

8. **डिजिटल ऋण**

जैसे-जैसे विश्व में नवीन बदलाव आ रहे हैं वैसे-वैसे तकनीक हमारी उत्पादकता एवं दक्षता का एक अनिवार्य कारक बन गई है. प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रचलन के साथ ग्राहकों ने ऐसी सेवाओं विशेषकर उनकी नियमित बैंकिंग आवश्यकताओं की तलाश शुरू कर दी है, जिनके लिए उन्हें यात्रा करने की आवश्यकता न पड़े. ग्राहक वरीयताओं के विकसित होते इस परिदृश्य ने हमें डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) बनाने के लिए प्रेरित किया.

डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंक को मौजूदा ग्राहक की ऋण संबंधी जरूरतों को पूर्ण करने एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए विविध क्षेत्रों से नए ग्राहकों को जोड़ने, नवीन एवं अब तक अप्रयुक्त बाजारों में प्रवेश करने तथा बैंक की ब्रांड पहचान में एक प्रमुख डिजिटल आयाम जोड़ने में मदद कर रहा है.

यह प्लेटफॉर्म भौतिक रूप से बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता को कम करते हुए उधारकर्ता को अपने घरों / कार्यालयों से सुविधानुसार संपर्क रहित एवं कागज रहित प्रक्रिया का उपयोग कर न्यूनतम अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण सहित कुछ ही क्लिक में लीड से लेकर मंजूरी एवं संवितरण की प्रक्रिया को पूरा करने में सशक्त बना रहा है.

इस डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के केंद्र में फिनटेक वैकल्पिक ऋण चैनल निर्मित करते हुए क्रेडिट इकोसिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जो बैंक एवं उधारकर्ता दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारत सरकार द्वारा पीएसबी सुधार ईज 4.0 को अपनाने हेतु डिजिटल लेंडिंग के लिए प्रथम स्थान प्रदान किया गया है.

बैंक के व्यापार पोर्टफोलियो में सुधार के लिए डिजिटल ऋण की पहल;

एमएसएमई खंड:

- बैंक ने संख्या के आधार पर बैंक के पोर्टफोलियो में लगभग 70% कवर करने वाले कम राशि के एमएसएमई ऋणों के नवीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. इससे परिचालन दक्षता, प्रक्रिया के मानकीकरण एवं बेहतर निगरानी के मामले में महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं. हम इस वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख मामलों को डिजिटल रूप से नवीनीकृत करने एवं आगामी वर्ष में कम से कम 50% की वृद्धि करने की दिशा में अग्रसर हैं.
- बैंक ने सम्पूर्ण डिजिटल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए 10 लाख तक के मुद्रा ऋण स्वीकृत करने हेतु स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस सुविधा शुरू की है. इस पहल से आगामी वर्षों में गुणवत्तापूर्ण एमएसएमई व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.

रिटेल खंड:

- बैंक ने संपूर्ण डिजिटल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए 10 लाख तक के वैयक्तिक ऋणों के संवितरण तक की प्रक्रिया के लिए एंड टू एंड-स्ट्रेट थ्रू-प्रोसेस (एसटीपी) शुरू किया है.
- इसके अलावा, विश्लेषण का उपयोग ग्राहक के व्यवहार एवं खाते के विवरण समझने हेतु किया जाता है जिससे मौजूदा ग्राहकों को एंड-टू-एंड डिजिटल सेवा के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋणों की पेशकश की जाती है.

कृषि खंड:

- बैंक उन चुनिंदा राज्यों में बीकेसीसी के लिए एसटीपी डिजिटल सेवा पर कार्य कर रहा है जहां कृषि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो रहा है. इस सुविधा में भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने एवं कृषि डेटा के जोखिम विश्लेषण हेतु एग्रीटेक के साथ एकीकरण शामिल है.
- ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने हेतु बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए डिजिटल सेवा शुरू की है.

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ACoE)

बैंक ने विभिन्न व्यवसाय वर्टिकलों के लिए डेटा एवं विश्लेषिकी उपयोग संबंधी मामलों को विस्तारित करना जारी रखा है. हमारे ग्राहकों की गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक ने कई बाहरी डेटा स्रोतों को एकीकृत किया है. हमने राजस्व अर्जन एवं दक्षताओं को अनुकूलित करने हेतु क्रॉस-सेल, अप-सेल, पूर्वानुमान, आरंभिक चेतावनी संकेत इत्यादि से संबंधित बहु विश्लेषणात्मक उपयोग संबंधी मामलों की भी शुरूआत की है.

सूचना प्रौद्योगिकी

- बैंक ने सभी 18 टेरिटरी के लिए सीबीएस इंटरनेशनल-फिनेकल 7x से 10x को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है, साथ ही बेहतर उपलब्धता एवं कार्यनिष्पादन हेतु बुनियादी ढांचे को पुनः तैयार किया गया है.
- बैंक ने काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (ई-केजीएसजीबी) का समामेलन एवं पूर्ववर्ती पूर्वांचल बैंक (ई-पीबी) का बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बीयूपीजीबी) के मुख्य सीबीएस क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ माइग्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.
- बैंक ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत पीएफएमएस के माध्यम से निधि प्रबंधन हेतु आईएफएमएस एकीकरण, एकल नोडल खाता (एसएनए) जैसी कई सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है.
- बैंक ने उन्नत हार्डवेयर एवं नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्रंट, मिड तथा बैक ऑफिस के लिए एकीकृत ग्लोबल ट्रेजरी ऐप्लिकेशन को अपग्रेड किया है.
- बैंक ने उन्नत यूजर इंटरफेस, अत्याधुनिक डिजाइन एवं उपयोग में आसानी के साथ बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को नया रूप दिया है. वर्तमान में इसमें लगभग सभी बैंकिंग सेवाओं को शामिल करने वाली 235 से अधिक सेवाएं मौजूद हैं.
- बैंक ने ग्राहक की ऑन बोर्डिंग एवं उन्हें सेवाएं प्रदान करने हेतु टैबलेट आधारित सहायता प्राप्त बैंकिंग प्लेटफॉर्म को संवर्धित किया है. हमारा बैंक बैंकिंग उद्योग में एसएचजी खाते खोलने हेतु सहायता प्रदान करने हेतु सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक है.
- बैंक ने युगांडा, केन्या, बोत्सवाना, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात एवं तंजानिया में बैंक के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों को ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए कॉग्नीटिव्ह असिस्टेंट डिझाइन चैटबॉट (संज्ञानात्मक सहायक चैटबॉट डिज़ाइन) की शुरूआत की है.
- बैंक ने 18 सेवाओं के साथ बेहतर ग्राहक सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है.
- बैंक ने विभिन्न संवर्धनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के लिए इंटरनेट बैंकिंग ऐप्लिकेशन को नवीनीकृत किया है एवं अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के लिए ग्रीन पिन, कैश ऑन मोबाइल जैसी विभिन्न ग्राहक केंद्रित सुविधाएं भी प्रदान की हैं.
- बैंक ने वर्तमान मात्रा और 3-5 वर्षों के लिए भविष्य के अनुमानों के आधार पर सभी ऐप्लिकेशन के लोड को वहन करने हेतु बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है.

साइबर सुरक्षा

आज की दुनिया में दिन के हर घंटे में एक नया जोखिम उत्पन्न होता है. साइबर अपराध के बढ़ते जोखिमों के कारण उभरते साइबर जोखिम को कम करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है. मौद्रिक और प्रतिष्ठा जोखिम अधिक है और इसे साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट योजना के माध्यम से कम किया गया है. बैंक के पास पूर्ण परिभाषित साइबर सुरक्षा कार्यनीति फ्रेमवर्क है जो प्रबंधन संरचना, नीतिगत फ्रेमवर्क और परिचालन नियंत्रण के समन्वय में परिचालित होता है. बैंक एनआईएसटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स एंड टेक्नोलोजी, यूएसए) साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क दोनों का अनुपालन करता है.

मौजूदा जांच और नियंत्रण के अतिरिक्त बैंक नें साइबर सुरक्षा के संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- डिसेप्शन तकनीक, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधी, जो बैंक के नेटवर्क में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं उनकों बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने से रोकना.
- सुरक्षा में कमी और इसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण और उद्देश्यपरक दृष्टिकोण प्रदान करने और पहले से स्थापित नियंत्रणों को कम करने के लिए नियमित रूप से रेंडम अर्ली डिटेक्शन (आरईडी) टीम प्रक्रिया की जाती है.
- इंटरनेट आधारित जोखिम और धोखाधड़ी से व्यवसाय और वैयक्तिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित बीमाकर्ता से साइबर बीमा पॉलिसी ली जाती है.
- डेटा लीक प्रिवेंशन (डीएलपी) सुनिश्चित करता है कि कोई भी गोपनीय जानकारी बैंक नेटवर्क से बाहर नहीं जा रही है. डेटा लीकेज का निवारण ऐप्लिकेशन निगरानी, ईमेल निगरानी, मालवेयर सुरक्षा एवं यूजर एक्सेस कंट्रोल में मदद करती है.
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) कंप्यूटिंग संसाधनों तक सीमित पहुंच प्रदान करने में बैंक की मदद कर रहा है. यह नेटवर्क सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक दृश्यता, एक्सेस नियंत्रण एवं अनुपालन प्रदान करता है.

विपणन

बैंक ने जुलाई माह में 114वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने प्रमुख डिजिटल सब ब्रांड 'बॉबवर्ल्ड' का शुभारंभ किया. यह शुभारंभ अपनी तरह के पहले सम्पूर्ण प्री-टीज़र और तत्पश्चात अभियान के माध्यम से किया गया था एवं मुख्य कार्यक्रम के तौर पर बैंक की ब्रांड एंडोर्सर सुश्री पीवी सिंधु, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ मेगा लॉन्च अभियान चलाया गया. शुभारंभ के बाद से पूरे वर्ष विभिन्न अभियानों के माध्यम से सब ब्रांड बॉबवर्ल्ड पर लगातार एवं स्थिर जोर दिया गया.

वर्ष के दौरान प्रमुख बॉबवर्ल्ड अभियान के अलावा, त्यौहार के अवसर पर एवं बाजारों के खुलने के साथ, अन्य उत्पादों के अभियान जैसे गृह ऋण, कार ऋण, एमएसएमई ऋण, ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलना आदि भी चलाए गए. बैंक ने एसएलबीसी राज्यों (गुजरात, उतरप्रदेश एवं राजस्थान) पर विशेष ध्यान देते हुए अखिल भारतीय स्तर पर एंकर माह (फरवरी 2022) के दौरान "आजादी का अमृत महोत्सव" भी मनाया.

बैंक ने भारतीय क्रिकेटर सुश्री शेफाली वर्मा को अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में साइन किया. यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए उनके सतत उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है. अपने ब्रांड एंडोर्सर्स के रूप में बैंक का महत्वपूर्ण

एथलीटों एवं खिलाड़ियों के साथ जुड़ना तथा उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना हमारी परंपरा रही है. बैंक अपनी विभिन्न बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग पहलों के माध्यम से देश के युवाओं का लगातार समर्थन कर रहा है एवं यह जुड़ाव बैंक की लोकाचार की प्रकृति को परिलक्षित करता है जिसमें शेफाली जैसे युवा आदर्श का चयन कर अपने ग्राहकों के अनुभव को संवर्धित एवं उनको अभिप्रेरित करना शामिल है. इसके अलावा, सुश्री शेफाली का व्यक्तित्व धैर्य, दृढ़ संकल्प एवं विश्वसनीयता से परिपूर्ण है जो बैंक की ब्रांड विचारधाराओं को प्रदर्शित करता है.

सुश्री शेफाली ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिनमें से एक दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपने पहले मैच में भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है. वे किसी भी आईसीसी सूची में शीर्ष पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी है. सुश्री शेफाली को महिला क्रिकेट में होनहार प्रतिभाओं में से एक माना जाता है.

डिजिटल खंड में बैंक ने गृह ऋण, कार ऋण, वैयक्तिक ऋण, मुद्रा ऋण आदि के लिए शुरू की गई डिजिटल सेवाओं का लाभ लेते हुए व्यवसाय रूपांतरण हेतु अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों को मजबूत किया.

बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, डिजिटल एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए पूरे मीडिया स्पेक्ट्रम में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखी है. फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन के सहयोग से #BOBGreenRideWithMilind ऐसी ही एक पहल थी. यह पहल समग्र रूप से इस वर्ष हाइब्रिड अवतार में आयोजित एक स्वस्थ कल की दिशा में बैंक के योगदान में एक और कीर्तिमान साबित हुई. बैंक हमेशा युवाओं को ज्ञानार्जन एवं शिक्षण की ओर प्रेरित करने का पक्षधर रहा है एवं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो एक प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्यिक उत्सव है, इसे प्रोत्साहित करने का एक सही अवसर था.

अपने डिजिटल मार्केटिंग माध्यमों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करते हुए, हमने दिवाली के दौरान त्यौहारों के अवसर पर अपने ग्राहकों से हमारे मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन - बॉबवर्ल्ड पर विकल्प का उपयोग करके अपने प्रियजनों को उनका पसंदीदा उपहार देने का आग्रह किया. बैंक पिछले 5 वर्षों से ओलंपिक स्टार पीवी सिंधु के साथ जुड़ा हुआ है एवं दूसरा संस्करण डिजिटल आईपी #SmashItWithSindhu2 लॉन्च किया जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत की एवं बॉब वर्ल्ड को त्वरित एवं सुविधाजनक बताकर उसकी झलक प्रस्तुत की.

बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सोशल मीडिया चैनल	31 मार्च 2022 तक के आंकडे (लाइक / फॉलोअर्स की संख्या)
फेसबुक लाईक	21,53,983 +
ट्विटर फॉलोअर	3,95,000 +
यूट्यूब सब्सक्राइबर	1,03,937 +
लिंक्डइन फॉलोअर	1,73,605 +
इंस्टाग्राम फॉलोअर	2,14,473 +
क्वोरा व्यू (1 जनवरी, 2022 को शुरूआत हुई)	27,459 +

जैसा कि बैंक ने नए युग की डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठाना जारी रखा है एवं भौतिक तथा डिजिटल मार्केटिंग के बीच संतुलन बनाए रखा है, इसका उद्देश्य एक ऐसा महत्वाकांक्षी ब्रांड बनना है जो प्रासंगिक सामग्री प्रदान करके डिजिटल दर्शकों को जोड़ता है, सशक्त बनाता है एवं शिक्षित करता है तथा सतत विश्लेषण, आकलन और अनुभव, प्रतिक्रिया एवं क्षमताओं में सुधार कर बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है.

कॉर्पोरेट नैतिकता

नैतिक आचरण के संदर्भ में सबसे प्रतिष्ठित संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में शामिल होने के लिए हमारे बैंक ने कर्मचारियों, ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के साथ विश्वसनीय रिश्ते कायम करने हेतु एक सुदृढ़ नैतिक संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से औपचारिक रूप से 10 अगस्त, 2021 को कॉर्पोरेट नैतिकता विभाग की स्थापना की. हमारे सभी कार्यों में नैतिक आचरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और सुपरिभाषित नैतिक फ्रेमवर्क कर्मचारी जुड़ाव, कार्य संतुष्टि, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, ब्रांड इक्विटी एवं विश्वास को संवृद्ध करने में अत्यंत सहायक होगा.

कॉर्पोरेट नैतिकता विभाग को बैंक के नेतृत्व के साथ-साथ शीर्ष स्तरीय नैतिकता समिति से मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्त होता है जिसका गठन लिंग, कार्य, भूगोल, जाति, संवर्ग, खेल, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न प्रतिनिधित्वों के साथ पूरे बड़ौदियन कार्यबल के सभी क्षेत्रों से समावेशिता एवं सहयोग को केंद्रीय विषयों के रूप में अपनाने के मैंडेट के साथ किया गया है. हमारे नैतिक एजेंडा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक है संप्रेषण के प्रभावी माध्यम विकसित करना और इस प्रयास के लिए कर्मचारियों के योगदान के साथ 01 जनवरी, 2022 को एक आंतरिक तिमाही पत्रिका - "बड़ौदा संस्कृति" का शुभारंभ किया गया. इसके अलावा, कॉर्पोरेट नैतिकता विभाग द्वारा जारी नियमित प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिताएं एवं डिजिटल संप्रेषण भी नैतिकता के बारे में बेहतर जागरूकता सुनिश्चित करते हैं.

बैंक जल्द ही "हमारी नैतिक आचरण संहिता" का शुभारंभ करने जा रहा है जो हमारे लिए नैतिकता की इस यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा और वह देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एक ऐतिहासिक पहल होगी. हमें नैतिक आचरण संहिता को अपनाने एवं संगठन में नैतिक चिंताओं और मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत प्रणाली तैयार करने में अग्रणी होने पर गर्व है. यह संहिता हितधारक आधारित दृष्टिकोण पर तैयार की गई है जिसके केंद्र में अंतिम प्रवर्तक और संस्कृति के वाहक के रूप में कर्मचारी हैं. हमारी नैतिक आचरण संहिता हमारे बुनियादी मूल्यों के अनुरूप है और यह संहिता सहकर्मियों एवं हितधारकों के साथ किए जाने वाले हमारे व्यवहारों और जो हमारे साथ कार्य करते हैं उनसे हमारी अपेक्षाओं के लिए मार्गदर्शक नीति निर्धारित करती है.

बदलते समय के साथ बैंकिंग उद्योग के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं लेकिन इन सबके बीच, नैतिकता और विश्वास हमेशा उद्योग के आधार बने रहते हैं. बैंकरों को अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है. अतः कार्य के संबंध में सही निर्णय लेने के लिए कुछ संकेतक और एक मार्गदर्शक होना जरूरी है. यह संहिता हमें हमेशा "सही" करने की शक्ति देती है और हमारे बैंक के ब्रांड एवं प्रतिष्ठा के संवर्धन में सहायक होगी.

इस नैतिक आचरण संहिता को विश्व के समकक्ष संस्थाओं के स्तर पर तैयार किया गया है. सभी स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित वेबिनार और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह नैतिक आचरण संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होगी और हमारे बैंक में नैतिकता और पारदर्शिता की संस्कृति को मजबूत करेगी. एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति निर्मित करके जो कर्मचारियों को नैतिक आचरण करने और अनैतिक व्यवहारों के खिलाफ बोलने हेतु प्रोत्साहित करती है, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा संगठन बेहतर पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) परिणाम देने में सक्षम हो सकेगा जो हमारे सभी हितधारकों के हितों के अनुकूल होगा.

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवा वितरण में उद्योग के स्तर पर बेंचमार्क और अग्रणी नवाचार स्थापित करने का प्रयास करता है जो अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए अनिवार्य हैं. सभी चैनलों पर ग्राहकों से संवाद की लगातार निगरानी की जाती है और घर बैठे बैंकिंग की सुविधा जो महामारी के कारण समय की आवश्यकता बन गई है सुनिश्चित करने के लिए चैनल क्षमताओं (फंक्शनैलिटी और उपयोगकर्ता अनुभव) को संवर्धित किया गया है. बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहकों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सुविधाएं डिजिटल चैनलों और संपर्क केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं. 24*7 कार्यरत संपर्क केंद्रों में ग्राहकों से उनकी पसंदीदा भाषा में जुड़ने की सुविधा उपलब्ध है. हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, भाषा की उपलब्धता को बढ़ाकर नौ क्षेत्रीय भाषाओं में कर दिया गया है. संपर्क केंद्र में वर्ष के दौरान 4.31 करोड़ से अधिक ग्राहक कॉल प्राप्त हुए. विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए संपर्क केंद्र द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण किए जाते हैं. समयबद्ध ऑटो एस्केलेशन, दस्तावेजों को संलग्न करने का विकल्प, समाधान गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया प्रदान करना और शिकायतों को फिर से दर्ज करने के साथ अब ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (सीआरएम पैकेज का एक मॉड्यूल) ग्राहकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए दूरस्थ चैनलों के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार देखा. लगभग 92.43% शिकायतों का समाधान पूर्व-निर्धारित टर्नअराउंड समय के भीतर किया गया. बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक प्रदर्शन संकेतकों में सुधार पर केंद्रित बल्कि ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए निपटान की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया. सभी शाखाओं के सेवा संबंधी स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग/ सेवा लेखापरीक्षा और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है. महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक में ग्राहकों की शिकायतों हेतु प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में नामित हैं. इसके अलावा, सभी अंचल प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों और क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. इसके अलावा, बैंक की सभी शाखाओं में संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम उनके संपर्क नंबर के साथ प्रदर्शित किए गए हैं. बैंक ने एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है जो ग्राहकों के लिए उपलब्ध ऐसा फोरम है जिसका उपयोग बैंकिंग लोकपाल को संपर्क करने से पहले शिकायत निवारण के लिए किया जा सकता है. ऐसी सभी शिकायतें जो बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती हैं उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल को व्यवस्थित रूप से एस्कलेट किया जाता है. यह बैंक की व्यवस्था में ग्राहक के विश्वास को बढ़ाता है और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में गति लाता है और फलस्वरूप इसे अधिक पारदर्शी बनाता है.

विविध उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता बरतते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों एवं एमएसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति और बैंकिंग लोकपाल योजना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. निदेशक मण्डल स्तर पर, ग्राहक सेवा के लिए निदेशक मण्डल की उप-समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार के उद्देश्य के साथ नीतियां बनाने संबंधी मामलों का निपटान करती है और अनुपालन का मूल्यांकन करती है. उप समिति व वॉइस ऑफ़ कस्टमर्स के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण भी करती है और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न मापदंडों पर अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ बैंक की तुलना करती है. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि सभी शाखाओं, एटीएम और ई-लॉबी में रैंप सुविधा, (जहां कहीं भी संभव हो) व्यापक नोटिस बोर्ड (संबंधित और अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करना), वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कतार की उपलब्धता हो. शाखाओं का भी नवीनीकरण किया गया और बेहतर माहौल,वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग ग्राहकों पर विशेष ध्यान देते हुए बैठने की बेहतर व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक अनुभव की वृद्धि के लिए इसे डिज़ाइन किया गया.

बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपनी चैटबॉट "एडीआई" भी लॉन्च की है. एडीआई ग्राहकों को एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करते हुए वेबसाइट के विभिन्न पृष्ठों पर नेविगेट करने में ग्राहकों की सहायता करता है. "एडीआई" की कुछ विशेषताओं हमारे ग्राहकों के प्रश्नों की त्वरित प्रतिक्रिया, चैट के लिए सुविधाजनक, 24*7 उपलब्ध, डिजिटल सहायता, सहज चैटिंग अनुभव शामिल हैं. आउटबाउंड बिक्री कॉल के लिए बैंक ने ट्रूकॉलर सेवाओं के साथ भी करार किया है. इसका मतलब यह है कि जब भी अधिकृत फोन नंबर के जरिए कॉल की जाती है. बैंक का लोगो और एक "ब्लू-टिक" ग्राहकों को उनके फोन स्क्रीन पर दिखाई देगा, इस प्रकार ग्राहकों को आश्वस्त किया जाएगा कि कॉल वास्तविक है. इससे ग्राहक ठगी का शिकार होने से भी बचेंगे.

बैंक ने कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) भी लागू की है. यह एक भीड़ प्रबंधन टूल है. ग्राहकों को काउंटरों पर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय आरामदायक/ सहज स्थिति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है. क्यूएमएस ग्राहक सेवा के इर्द-गिर्द घूमता है क्योंकि एमआईएस के पास औसत प्रतीक्षा समय, औसत सेवा समय को मापने के लिए विभिन्न आउटपुट हैं. इसे पूरे भारत में 1,266 शाखाओं में स्थापित किया गया है.

बैंक ने ऑनलाइन लेनदेन संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन विवाद निवारण (ओडीआर) प्रणाली भी लागू की है. इसके अलावा, संपर्क केंद्र में इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर) के माध्यम से बड़ौदा कनेक्ट को ब्लॉक करवाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2022 को बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

घरेलू शाखाएँ	31 मार्च 2021		31 मार्च 2022	
	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा
मेट्रो	1,794	21.84	1,766	21.62
शहरी	1,478	17.99	1,475	18.06
अर्ध शहरी	2,090	25.44	2,083	25.50
ग्रामीण	2,852	34.72	2,844	34.82
कुल	8,214	100.00	8,168	100.00
विदेशी शाखाएँ / कार्यालय (विदेशी अनुषंगियों की शाखाओं सहित)	96		94	

वित्त वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने 09 नई घरेलू शाखाएं खोली और 55 शाखाओं को मौजूदा शाखाओं के साथ विलय किया गया.

करेंसी चेस्ट

दिनांक 31 मार्च, 2022 को करेंसी चेस्ट की संख्या 141 थी. ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नकदी को तिजोरी में रखने में सहयोग प्रदान करते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी करेंसी चेस्टों के साथ-साथ शाखाओं को भी नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) उपलब्ध करवाई गई है.

जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

जोखिम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का समर्थन के तहत जोखिम की पहचान करने, इसकी निगरानी करने एवं जोखिम से निपटने और उसका प्रबंध करने हेतु बैंक के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है. प्राय: जिसका उल्लेख "बचाव की तीन पंक्तियों" के रूप में किया जाता है, इन तीनों पंक्तियों में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है जो निम्नानुसार है :

i. बचाव की प्रथम पंक्ति - इसमें बैंक के व्यवसाय वर्टिकल और परिचालन इकाइयों का समावेश है क्योंकि उन्हें जोखिम का प्रभावी प्रबंधन एवं विनियमों, बैंक की पॉलिसियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

ii. बचाव की दूसरी पंक्ति - इसमें जोखिम नियंत्रण के स्वामियों, जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं अनुपालन कार्यों का समावेश है. यह बचाव की प्रथम पंक्ति से स्वतंत्र रूप से इंटरप्राइज़ आधार पर जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है.

iii. बचाव की तीसरी पंक्ति - यह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक जोखिम आधारित और अन्य लेखापरीक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया स्वतंत्र आश्वासन है. इसकी समीक्षा निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि जोखिम गवर्नेंस फ्रेमवर्क सहित समग्र गवर्नेन्स फ्रेमवर्क प्रभावी है और पॉलिसियां एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया जाता है. लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका सुपरिभाषित है और उनका निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अवलोकन किया जाता है.

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और रिटर्न के बीच एक उचित संबंध स्थापित करना है. सतत एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा माने गए जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके. बैंक परिभाषित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है. विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है. इसमें क्षेत्र विशेष से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है. प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय - समय पर गवर्निंग फ्रेमवर्क बनायी जाती है.

बासेल III फ्रेमवर्क

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन बेसल स्तंभों, यानी स्तंभ I- पूंजी पर्याप्तता, स्तंभ II-पर्यवेक्षी समीक्षा और स्तंभ III-बाजार अनुशासन पर मजबूती से टिका हुआ है. बैंक सुदृढ़ पूंजी स्तर बने रहने से मजबूत हुआ है. बैंक ने अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफर सहित सामान्य इक्विटी टियर I, अतिरिक्त टियर I और टियर II पूंजी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा है. फ्यूचरिस्टिक कैपिटल प्रोजेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए हमेशा तैयार है. ऋण जोखिम और पूंजी पर्याप्तता टीम द्वारा जोखिम भारित आस्तियों की स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है. पर्याप्त पूंजी और औचित्यपूर्ण जोखिम भारित आस्तियों बैंक के लिए जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु मजबूत पूंजी सुनिश्चित करती हैं.

बैंक के पास व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है. पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर 2 जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम आदि और दबाव वाली स्थितियों (सामान्य और प्रतिकूल दोनों स्थितियों के तहत) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रणाली की एक संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है.

उद्यम जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है. सभी जोखिम अति महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क द्वारा स्वीकृत हैं और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैं. बैंक सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न स्थानीय कार्यशालाओं का आयोजन करके एक मजबूत जोखिम जागरूकता संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रहा है.

जलवायु जोखिम

हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है. बैंक जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव को कम करने

के लिए प्रतिबद्ध है और अपने बैंकिंग परिचालनों के सतत विकास की दिशा में सतर्कता से काम कर रहा है ताकि पर्यावरण और इकोसिस्टम की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके. ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने के लिए, एक नीतिगत मामले के रूप में, बैंक ओजोन पराबैंगनी पदार्थ (ओडीएस) का उत्पादन / खपत करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए उधारकर्ताओं को और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफएस) जो ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाता है, का उपयोग करते हुए एयरोसोल इकाइयों के निर्माण में कार्यरत सूक्ष्म/ लघु स्तर की इकाइयों को वित्तपोषण नहीं कर रहा है.

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरुप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करते हैं. बैंक के पास क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिम की पहचान, मापन निगरानी और नियंत्रण हेतु मजबूत ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है.

बैंक उधारकर्तावार ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडलों एवं स्कोरकार्डों का उपयोग करता है. उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मॉडल आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं. बाहरी सत्यापन सहित व्यापक सत्यापन के माध्यम से उनकी समीक्षा की जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है. दक्षता लाने और मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए बैंक ने हाल ही में अपनी आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को उन्नत किया है.

बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं. जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रवार एक्सपोजर, ऋण संकेन्द्रण, रेटिंग विभाजन तथा माइग्रेशन की समीक्षा करता है. बैंक ने उधारकर्ता की जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु देशगत जोखिम मूल्यांकन और राज्य सरकार के लिए विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन करके इन-हाउस आंतरिक रेटिंग मॉडल तैयार किया है तथा इन मॉडलों द्वारा अनुमानित जोखिम को ध्यान में रखते हुए एक्सपोजर की सीमा निर्धारित किए हैं.

बैंक को इन कुछ वर्षों में आंतरिक रेटिंग में अच्छा अनुभव रहा है, जिससे 31 मार्च, 2013 से बेसल II दिशानिर्देशों के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग - आधारित दृष्टिकोण (एफ-आईआरबी) को चलाने के लिए नियामक की स्वीकृति प्राप्त करना संभव हुआ. आईआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपना अनुभव सिद्ध मॉडल विकसित करते हैं. उधारकर्ताओं को आंतरिक रेटिंग प्रदान करने के लिए बैंक के पास सुस्थापित मॉडल हैं और इन मॉडलों को समर्पित आंतरिक टीम के साथ-साथ बाहरी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है.

बैंक ने शेयरधारकों को आर्थिक मूल्यवर्धन की दृष्टि से ऋण जोखिम एक्सपोजर का मूल्यांकन करने के लिए कॉर्पोरेट क्रेडिट एक्सपोजर के लिए रिस्क अडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क को क्रियान्वित किया है. बैंक ने जोखिम लेने / नहीं लेने के जोखिम निर्णय के साथ क्रेडिट प्रस्तावों को उच्च / मध्यम / कम जोखिम में वर्गीकृत करने सहित बैंक के जोखिम वर्टिकल के द्वारा ऋण प्रस्तावों की स्वतंत्र जोखिम आधारित एक्सिलेंस (ईएएसई) जोखिम स्कोरिंग मॉडल को क्रियान्वित किया है.

बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है.

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का अर्थ बाज़ार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है. विभिन्न बाज़ार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज आदि की दरें, विनिमय दरें, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन शामिल हैं. बैंक ने अपने ट्रेजरी-कार्यो को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं जो बाज़ार जोखिम स्थितियों को संभालती है.

जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है. विदेशी मुद्रा जोखिम का दैनिक आधार पर नेट ओवरनाईट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, इंडिविजुअल गैप लिमिट (आईजीएल), एग्रीगेट गैप लिमिट (एजीएल) तथा कुल एग्रीगेट गैप लिमिट (टीएजीएल) के संदर्भ में आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है. इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं आदि के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है. लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि सीमा और डीलर-वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है. मिड ऑफिस दैनिक आधार पर वीएआर नंबरों की बैक टेस्टिंग भी करता है. अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही-पोर्टफोलियो और ट्रेजरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न का व्यापक दबाव विश्लेषण करता है. बैंक के लिए बाज़ार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना मिड ऑफिस द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है.

आस्ति देयता प्रबंधन

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अनपेक्षित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में एक असमर्थता है. बैंक में प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण माध्यमों से तरलता जोखिम निर्धारण किया जाता है एवं इसकी निगरानी की जाती है. बैंक ने तरलता मानकों- तरलता कवरेज अनुपात (एलजीआर), तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क को कार्यान्वित कर दिया है. एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण गंभीर तरलता दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके. बैंक हमेशा एकल के साथ-साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर के

निर्धारित स्तर से ऊपर रहा है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर निधियां अनुपात) भी लागू किया है जो लंबी अवधि में रिजिल्यन्स को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है. एनएसएफआर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे. बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय / आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि. निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर संचलन का अल्पकालिक प्रभाव जोखिम पर आय दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑप्शन्स जोखिम में समानांतर रूप से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है. ब्याज दर संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव को इक्विटि के बाज़ार मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है.

परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) है. ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है. ओआरएमएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं.

बैंक के पास डाटा कैप्चर करने एवं परिचालनगत जोखिम के एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम है. बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के हमारे प्रयासों के तहत परिचालनगत जोखिम अनुपालन एवं गवर्नेंस को लागू करने के लिए हमारे बैंक ने वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम एसएएस जीसीएम की खरीद की है.

मुख्य जोखिम संकेतक प्रोग्राम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएसए) की निगरानी और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया है. बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक क्षति डेटा का भंडार बनाया है. बदलते व्यवसायी माहौल में उत्पादों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा जोखिम संस्कृति को और मजबूत बनाती है.

परिचालनगत सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के पास व्यवसाय निरंतरता योजना पर एक सुपरिभाषित नीति है. बीसीपी ने बैंक को कोविड-19 महामारी और वर्ष के दौरान हुई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है. प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से संगठन में जोखिम संस्कृति के अनुपालन को सभी कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है.

व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम

व्यवधानों के दौरान शाखाओं और कार्यालयों में परिचालन की निरंतरता और ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के पास एक विस्तृत और प्रभावी व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) है. इसकी प्रामाणिकता तब साबित हुई जब हम कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक प्रतिबंधों के बीच निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करने में सफल हुए.

इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय/ प्रधान कार्यालय और हमारे सभी प्रशासनिक कार्यालयों में त्वरित प्रतिक्रिया टीम और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए. कार्यालय समय, टीम 'ए' और टीम 'बी' की अवधारणा / घर से कार्य को सक्रिय व्यवसाय निरंतरता योजना के एक भाग के रूप में अपनाया जा रहा है. बैंक ने कर्मचारियों की सुरक्षा और उचित चिकित्सकीय देखभाल के लिए विभिन्न होटलों के सहयोग से टीकाकरण शिविर और क्वेरंटाइन केंद्रों की भी व्यवस्था की है. इसके अलावा, महामारी के प्रभावों और विस्तार को देखते हुए, बैंक ने दैनंदिन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं. बैंक के पास आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट है. डेटा सेंटर में किसी भी प्रकार की बाधा की स्थिति में बैंक की डिजास्टर रिकवरी साइट सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है.

अनुपालन

अनुपालन कार्यकलाप बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है. बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है. अनुपालन कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों में निहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है. यह बैंक की आंतरिक नीतियों और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है. बैंक के पास सुव्यवस्थित अभिलिखित अनुपालन नीति के साथ-साथ एक सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली है जो बैंक के अनुपालन के दर्शन, भूमिका और अनुपालन विभाग के गठन, उसके स्टाफ की संरचना और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है.

अनुपालन प्रणाली बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को लागू कानूनों, नियमों और वैश्विक मानकों पर सलाह देती है और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से उनको अवगत कराती है. यह बैंक के व्यवसाय, स्टाफ और नामित अनुपालन अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के द्वारा अनुपालन के मामलों पर उन्हें प्रशिक्षित करती है. इस उद्देश्य के लिए बैंक की वेबसाइट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल को भी अपलोड किया गया है. बैंक ने अनुपालन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में प्रत्येक स्तर पर प्रमाणीकरण और विभिन्न नियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबंधन समाधान को कार्यान्वित किया है. बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण कोड में परिभाषित "इंसाइडर्स" से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को स्वचालित किया है.

घरेलु अनुपालन

अन्य गतिविधियों के तहत क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों (आरसीओ) के माध्यम से केवाईसी-एएमएल से संबंधित 73 से अधिक मानदंडों एवं अनुपालन के अन्य मानदंडों पर ऑन-साइट अनुपालन जांच संबंधी घरेलू अनुपालन कार्य पूरा किया गया. तिमाही आधार पर लगभग 25% शाखाओं का रैंडम रूप से चयन किया जाता है. बैंक छमाही आधार पर विभिन्न कार्यों की ऑन-साइट अनुपालन लेखा परीक्षा भी करता है. केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों और अनुपालन के अन्य मानदंडों से संबंधित लगभग 50 मानदंडों पर वेब आधारित टूल-ऑफ साइट कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीआरएमएस) के माध्यम से मासिक आधार पर ऑफ साइट अनुपालन जांच कार्य पूरा किया गया.

एक वार्षिक समूह व्यापी अनुपालन योजना तैयार की जाती है और योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाती है. इसके अतिरिक्त, वार्षिक आधार पर अनुपालन जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और अनुपालन मूल्यांकन के लिए एक जोखिम उन्मुख गतिविधि योजना विकसित की जाती है.

क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में, बैंक ने सभी अनुपालन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और अपने अधिकारियों को अनुपालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाचक्रों पर प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया. पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने स्टाफ सदस्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनांस-(आईआईबीएफ), एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉंड्रिंग स्पेश्यलिस्ट -(एसीएएमएस) आदि से पेशेवर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया.

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान अनुपालन की विफलता से संबंधित कोई उल्लेखनीय घटना रिपोर्ट नहीं की गई.

अंतरराष्ट्रीय अनुपालन

अनुपालन विभाग विदेशी टेरिटरी और अनुषंगियों के अनुपालन की निगरानी भी करता है जिसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय अनुपालन (आईसी) इकाई स्थापित की गई है जिसके प्रमुख उप महाप्रबंधक हैं. आईसी एक स्वचालित अनुपालन निगरानी टूल के माध्यम से विदेशी केंद्रों के अनुपालन की निगरानी करता है. इसके अतिरिक्त, आईसी विदेशी टेरिटरी और अनुषंगियों के एएमएल-केवाईसी कार्यों के लिए भी सहायता प्रदान करता है जिसके लिए इकाई में एक अनुभवी और कुशल टीम उपलब्ध है.

नई पहल के भाग के रूप में आईसी ने स्वचालित अनुपालन निगरानी टूल Tasc+, Cermonxt और TestChk लागू किया है जिसके माध्यम से मासिक अनुपालन प्रमाणपत्र, ऑफसाइट टेस्ट चेक, वार्षिक अनुपालन योजना, नियामक/गैर-नियामक मुद्दों और विभिन्न आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षा, निरीक्षणों और परीक्षणों पर एटीआर की निगरानी कराई जा रही हैं. स्वचालन का उपयोग न केवल यह निगरानी करने के लिए किया जा रहा है कि अनुपालन प्रक्रियाओं को कितनी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया जा रहा है जहां नए मानकों और नियंत्रणों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है या किसी भी संभावित उल्लंघनों की पहचान के साथ मौजूदा स्थिति में सुधार किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, टूल सभी विदेशी टेरिटरी और अनुषंगियों के लिए उपयुक्त एमआईएस जनरेट करने और ऐतिहासिक डेटा बनाए रखने में मदद करेंगे.

उपर्युक्त के अलावा, आईसी ने अनुपालन के स्तर और एएमएल-केवाईसी मानकों के आधार पर संबंधित विदेशी टेरिटरी के जोखिम वर्गीकरण के लिए एएमएल-अनुपालन जोखिम रेटिंग मैट्रिक्स भी विकसित किया है. इसके अलावा, एएमएल-अनुपालित गतिविधियों की पर्याप्तता के बारे में निदेशक मण्डल को अवगत कराने के लिए आईसी सीबीएस और एएमएल सिस्टम की ऑफ-साइट टेस्ट परीक्षण करता है ताकि टेरिटरी और अनुषंगियों की निगरानी की जा सके. डेटा संबंधित आईटी टीमों से प्राप्त किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है और पायी गई विसंगतियों को विदेशी टेरिटरी के साथ साझा किया जाता है और कमियों को दूर करने के लिए अनुपालन अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है.

आईसी विभिन्न अनुपालन मामलों जैसे केवाईसी-एएमएल/सीएफटी मानकों, लेनदेन निगरानी, प्रतिबंधों की स्क्रीनिंग, ऑफलाइन अलर्ट निगरानी आदि पर शीर्ष अकादमी के साथ समन्वय में विदेशी टेरिटरी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है और सुनिश्चित करता है कि जोखिम कम करने, प्रतिष्ठा बनाए रखने और दीर्घावधि में कर्मचारी के कार्यनिष्पादन में वृद्धि के लिए पर्याप्त और समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए.

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है. इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है. बैंक के पास वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-आईएनडी) को प्रस्तुत करने के लिए नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) को इलेक्ट्रानिक रुप से जनरेट करने हेतु विस्तृत प्रणाली है. बैंक इलेक्ट्रानिक रुप से जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है. बैंक ने केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व निर्धारित अलर्ट मानदंडों के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है. ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (धन शोधन निवारण जोखिम वर्गीकरण) किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरुप धन शोधन जोखिम वर्गीकरण करने के पश्चात सभी पात्र ग्राहकों का अर्धवार्षिक आधार पर पुनः केवाईसी किया जाता है. इस उद्देश्य से, बैंक ने ऐसे ग्राहकों की पहचान एवं उनके लिए सूचना जनरेट करने/एसएमएस/ई-मेल भेजने तथा उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है.

बैंक ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर नए ऑन-बोर्डेड वैयक्तिक ग्राहकों की केवायसी जानकारी के पंजीकरण के लिए सेंट्रल केवायसी (सीकेवायसी) प्रक्रिया को क्रियान्वित किया है. 31 मार्च, 2022 तक 439.86 लाख ग्राहकों को सीकेवायसी नंबर आवंटित किया गया.

बैंक ने नए कर निवासी भारतीय वैयक्तिक ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग हेतु ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू किया है.

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है. सीआईएडी शाखाओं और कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अलावा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करता है. निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति समग्र आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की निगरानी करती है और आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा और अन्य सभी लेखापरीक्षा कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है. समिति बैंक में कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यकलापों की निगरानी करती है.

सीआईएडी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवधिकता के अनुसार 18 अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है. बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं. वित्त वर्ष 2022 हेतु सभी 8,167 शाखाओं और एसआईटीबी (स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा) की जोखिम धारणा निम्नानुसार है -

- 7340 शाखाएं (89.87%) न्यूनतम जोखिम में थीं.
- 704 शाखाएं (8.62 %) मध्यम जोखिम में थीं
- 119 शाखाएं (1.46%) उच्च जोखिम में थीं
- कोई भी शाखा अत्यधिक उच्च जोखिम वर्ग में नहीं थी
- 4 शाखाओं की कोई रेटिंग नहीं हुई (नई शाखाएं)
- एसआईटीबी न्यूनतम जोखिम में थीं

बैंक ने प्रौद्योगिकी के प्रयोग, इमेजिंग समाधान और डिजिटलीकरण के उपयोग के द्वारा गतिविधियों के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लेखापरीक्षा की व्यापक समीक्षा के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एक स्वतंत्र फर्म की सेवाएं ली हैं. लेखापरीक्षा रूपांतरण प्रक्रिया पूरी की गयी और संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा अब समय के साथ सुचारु रूप से चल रही है.

ऋण निगरानी

बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी आवश्यक है. ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य मंजूरी की शर्तों का अनुपालन और निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है. इसे यह भी सुनिश्चित करना है कि ऋण आस्तियां मानक श्रेणी में बनी रहें, पहचान किए गए दबावग्रस्त खातों / निगरानी सूची खातों को अपग्रेड करने के प्रयास किए जाएं और खातों को मानक से अनर्जक श्रेणी में जाने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए. विभाग संभावित स्लिपेज को प्रभावी ढंग से रोकने के साथ-साथ अच्छी आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कमियों/संभावित चूक/कमी के संकेतों वाले दबावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के लिए विभिन्न टूल्स और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है.

कुशल निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया हेतु टूल्स:-

पूर्व चेतावनी संकेत: अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडब्लूएस समाधान लागू किया गया है. हमारा ईडब्लूएस पूरी तरह से स्वचालित समाधान है जिसमें अच्छी तरह परिभाषित वर्क फ्लो है. अलर्ट, आंतरिक (सीबीएस और रेटिंग डेटा) और बाह्य डेटा (एमसीए, सीआईसी आदि) दोनों के आधार पर जनरेट होते हैं. जनरेट हुए अलर्ट, बैंक को आरंभिक कमियों की पहचान करने और उचित समय पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने में मदद करते हैं. यह समाधान बैंक को खातों में धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है. यह समाधान शाखाओं को उपयुक्त समाधान/कार्रवाई सहित खातों की सघन निगरानी करने में सक्षम बनाता है.

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग: एसएमए श्रेणी में खातों की पहचान, सुधारात्मक पहलों जैसे मानकीकरण, पुनर्रसंरचना आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सक्रिय करती है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के क्रेडिट एक्सपोजर वाले दबावग्रस्त खातों की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाती है.

विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड: बैंक ने केंद्रित निगरानी हेतु दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड (जैसे एसएमए डैशबोर्ड, फ्यूचर डिमांड डैशबोर्ड, कलेक्शन एफिशिएंसी डैशबोर्ड, टेक्निकल स्ट्रेस डैशबोर्ड) विकसित किए हैं.

आस्ति वर्गीकरण का प्रणाली आधारित आकलन (एसएएससीएल): एक आकलित प्रोग्राम, वसूली के रिकॉर्ड के साथ-साथ तीन महीनों से स्टॉक / क्यूआईएस विवरण जमा न करने, कैश क्रेडिट खातों में अपर्याप्त/कोई जमा नहीं, जैसी तकनीकी अनियमितताओं को दर्शाने वाले खातों के आधार पर दो महीने से अधिक की अवधि के अतिदेय को दर्शाने वाले संभावित स्लिपेज की पहचान कर रहा है. यह ऐसे खातों को डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए केंद्रीकृत रूप से समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्रिय करता है. मानक आस्तियों की स्लिपेज को कम करने के लिए इन खातों की निगरानी विशेष रूप से विभिन्न परिचालन इकाइयों द्वारा की जाती है.

ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा: ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा (सीपीए), मंजूरी की शर्तों/अनुबंधों के संवितरण पूर्व और पश्चात की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, जिसमें इस आशय से लेखापरीक्षा की जाती है कि क्या संवितरण अधिकारी ने बैंक की निधियां प्रदान करने से पूर्व, उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रतिभूतियों का सृजन / पूर्णता हेतु सभी आवश्यक उपाय किए हैं. यह नियमित लेखापरीक्षा/निरीक्षण,

जो आमतौर पर एक समय के अंतराल पर होता है, की प्रतीक्षा किए बिना, जहां भी आवश्यक हो, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है. वास्तविक समय के आधार पर इसकी निगरानी के लिए सीपीए को कोर सिस्टम फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है.

स्टॉक लेखापरीक्षा: हम पात्र खातों में स्टॉक और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का समय पर किया जाना सुनिश्चित करते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सक्रिय / निवारक कदम उठाते हैं. स्टॉक लेखापरीक्षा उन मानक ऋण खातों के लिए लागू है जिनमें ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी का एक्सपोजर होता है. यह ₹ 5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले खातों के लिए वार्षिक आधार पर करनी होती है, जबकि ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के खातों के लिए, यह अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है. अंतर्निहित कमियों जैसे आउट ऑफ ऑर्डर की स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी लागू करना, अतिदेय की समीक्षा आदि जो बैंक की आस्ति गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, का संकेत देनेवाली आस्तियों पर विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है.

एनपीए की दैनिक मार्किंग: अनर्जक आस्तियों की पहचान और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बेहतर पारदर्शिता बरतने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की दैनिक रूप से मार्किंग में माइग्रेट किया है.

निगरानी हेतु अन्य टूल :

- अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए संवितरण पूर्व और संवितरण के पश्चात अनुबंधों की केंद्रीकृत निगरानी लागू की गई है.
- बैंक ने लेनदेन की निगरानी, निरीक्षण आदि के सत्यापन के लिए ₹ 250 करोड़ और उससे अधिक के खातों में विशेष निगरानी के लिए एजेंसी फॉर स्पेशल मॉनिटरिंग (एएसएम) की नियुक्ति की है.
- ईडब्ल्यूएस का पता चलने पर खातों की रेड फ्लैगिंग और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी की दृष्टि से जांच के लिए नीतियां बनाई गई हैं. एक बार खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म में तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है.
- बैंक ने स्टॉक और बही ऋण विवरणी की प्रस्तुति को भी डिजिटल कर दिया है, जो वास्तविक समय आधारित और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है.
- व्यवसाय की मजबूती का विश्लेषण करने के लिए बैंक ने सशक्त निगरानी के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग में कई टूल जैसे जीएसटी, आईटीआर और स्टेटमेंट एनालाइजर आदि की शुरुआत की है.

सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन पेशेवर रूप से प्रबंधित है और प्रबंधन के कार्यों का एक अभिन्न अंग है. यह विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा पारदर्शी व्यवसायिक लेन-देनों, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है. बैंक के पास एक बहुत मजबूत और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन है जिसके प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सभी सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं. सहभागी / सक्रिय और निवारक सतर्कता बैंक के सतर्कता प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं.

बैंक में सतर्कता तंत्र, सतर्कता कार्यों के बारे में सभी स्तरों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है, विभिन्न अनुशासनात्मक अधिकारियों और नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को धोखाधड़ी, शिकायतों और शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच में त्वरित और सही कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है.

बैंक ने नियमित अंतराल पर सभी शाखाओं की निवारक लेखा परीक्षा करवाने और प्राप्त सूचना पर पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए क्षति को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने के लिए अंचल स्तर पर सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाया है. सतर्कता टीम निवारक उपायों पर ही ध्यान केंद्रित करेगी.

बैंक में सतर्कता कार्यों के अंतर्गत तीन खंड होते हैं:

1. **निवारक सतर्कता:** भ्रष्ट और अन्य कदाचारों का पता लगाने और दंड की तुलना में क्षति को रोकने में निवारक उपायों का अधिक महत्व है. निवारक उपाय जैसे व्यवसाय के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान और उन पर पदस्थ कर्मचारियों की जांच, आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शाखा विशिष्ट अतिसंवेदनशील विषयों पर चर्चा करने के लिए शाखा स्तर पर मासिक बैठकें, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता मामलों की संख्या को कम करने के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच और विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों द्वारा नियमित रूप से निवारक सतर्कता परिपत्र जारी और परिचालित करना शामिल हैं.
2. **खोजी सतर्कता:** खोजी सतर्कता में संवेदनशील क्षेत्र का नियमित और औचक निरीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्ट या अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्वरित जांच करना और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करना, अपने स्रोत से गलत आचरण/कदाचार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना, उचित प्रक्रिया के बाद समुचित कार्रवाई के माध्यम से तार्किक निष्कर्ष के लिए उसकी जांच करना शामिल हैं.
3. **दंडात्मक सतर्कता**: यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी स्तरों पर नियमों और प्रावधानों के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन में शामिल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए. बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लिए गए वास्तविक निर्णयों का मूल्यांकन निष्पक्ष और आवश्यक विवेक के साथ किया जाता है.

बैंक में सतर्कता कार्य, निवारक सतर्कता प्रशासन के माध्यम से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है. यह कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा धोखाधड़ी

के निवारण के लिए नीतियों को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है. सक्रिय संप्रेषण के कारण अनुशासनात्मक मामलों के टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है जिसने त्वरित निवारण के साथ कर्मचारियों को प्रेरित करने में मदद की है.

विधिक सेवाएं

बैंक में एक सक्रिय विधि विभाग है जिसमें योग्य और अनुभवी विधि अधिकारी हैं. विधि विभाग की मुख्य भूमिका बैंक के कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भित या उनसे संबंधित विभिन्न मामलों में राय, दस्तावेज़ीकरण, मुकदमा आदि के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करना है. यह विभाग विधिक पहलुओं से संबंधित मामलों पर बैंक के विभिन्न अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, घरेलू और विदेशी शाखाओं और अनुषंगियां कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संदर्भों के लिए भी सहायता प्रदान करता है.

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूल रिटेल और एसएमई सुविधाओं के लिए दस्तावेजों का एक सेट तैयार किया गया है, जो बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा.

इसके अलावा विभाग ने एडवोकेट पोर्टल, एक ऑनलाइन प्रणाली, की शुरूआत की है जो अधिवक्ताओं की सूचीबद्धता, नवीनीकरण और उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है. विधि अधिकारियों द्वारा ऋण और बंधक संबंधी दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के उद्देश्य से विभाग वर्तमान में एक पोर्टल शुरू करने पर कार्य कर रहा है जो वास्तविक समय में ऋण दस्तावेजों के सत्यापन और निधियों के संवितरण से पूर्व विसंगतियों, यदि कोई हो में सुधार और त्रुटिहीन रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करेगा जिससे आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पुनर्प्राप्ति हो सकेगी.

मानव संसाधन

बैंक के पास 79,000+ प्रतिभाशाली कर्मचारियों का समृद्ध समूह है. कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाने, सही प्रतिभा की भर्ती करने, कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, कर्मचारी नियोजन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं हितों की देखभाल करने और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बैंक अपने मानव संसाधन को मजबूत बनाने और विकसित करने के लिए निरंतर नई पहलें कर रहा है.

बैंक नई अवधारणाओं, प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने और कुछ नया करने में हमेशा अग्रणी रहा है. सभी गतिविधियों के मूल में 'कर्मचारी' हैं जो प्रमुख व्यवसाय प्रवर्तक हैं. कर्मचारियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की परिकल्पना करते हुए बैंक की संगठनात्मक रूपांतरण पहल के तहत, बैंक ने विभिन्न नवीन कर्मचारी केंद्रित पहलें शुरू की हैं और प्रमुख प्रणालियों और पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए गतिविधियां भी शुरू की हैं.

बैंकिंग जगत में अपनी मानव संसाधन संबंधी नीतियों और व्यवहारों के लिए बैंक की विशिष्ट पहचान है. विगत कुछ वर्षों के दौरान बैंक अपनी मानव संसाधन संबंधी पहलों, सुधारों और उत्कृष्टता के कारण कई पुरस्कार प्राप्त कर सुर्खियों में रहा. चालू वर्ष के दौरान बैंक को 'ग्रेट एम्प्लॉयर्स प्रा. लिमिटेड' द्वारा 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया है. यह दुनिया भर के संगठनों में कार्यस्थल संस्कृति के मूल्यांकन, समर्थन और उसे सम्मानित करने संबंधी गोल्ड स्टैंडर्ड स्तरीय सम्मान फ्रेमवर्क है. इस प्रमाणीकरण के साथ बैंक ने देश में सर्वोत्तम और प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं वाले संगठन के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनाई है.

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं जिनका हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव रहा:

श्रमशक्ति योजना और भर्ती

बैंक ने विभिन्न स्तरों पर कौशल-आधारित श्रम शक्ति आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक नया साइंटिफिक श्रमशक्ति आयोजना मॉडल तैयार किया है. इससे बैंक को भर्ती, तैनाती, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने में मदद मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान बैंक ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ स्टाफ सदस्यों की अच्छी संख्या में भर्ती की है.

बड़ौदा जेम्स "विकास और सशक्तीकरण प्रबंधन प्रणाली"

बैंक ने बड़ौदा जेम्स नाम से एक साइंटिफिक और उद्देश्यपरक वस्तुनिष्ठ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) स्थापित की है, जो भूमिकाओं और अपेक्षाओं की अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करती है और यह कर्मचारियों को सुधार के क्षेत्रों का सुझाव देने के लिए भी डिज़ाइन की गई है. यह प्लेटफॉर्म उन मेधावी अधिकारियों को पहचान दिलाता है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए असाधारण कार्यनिष्पादन का प्रदर्शन किया है.

इस मजबूत पीएमएस ने रूपांतरण पहलों के कई चरणों का मार्ग प्रशस्त किया है, इनमें से प्रत्येक का उद्देश्य अप्रयुक्त उत्पादकता को उभारना है:

- बिल्ट-इन बाजार दृष्टिकोण के साथ साइंटिफिक और वैयक्तिक लक्ष्य निर्धारण.
- इनसाइट (INSIGHT), उद्योग का पहला ऐसा टूल है जो कर्मचारियों को अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम जनरेटेड फीडबैक प्राप्त करने हेतु वैयक्तिक कार्यनिष्पादन विश्लेषण और भविष्योन्मुखी प्राथमिकताएं उपलब्ध कराता है.
- जॉब फैमिली और कॅरियर पाथ डिजाइन कर्मचारियों के लिए अपनी पसंद के आधार पर कॅरियर बनाने और एक केंद्रित कॅरियर पथ को सक्षम करने का अवसर है.
- 'वैयक्तिक और टीम उत्कृष्टता के लिए बड़ौदा रिवार्ड' (ब्राइट) एक समग्र पुरस्कार और सम्मान कार्यक्रम है जो निष्पादन को परिणाम से जोड़ता है.

सेहत एवं स्वास्थ्य संबंधी अभियान

समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अलावा, बैंक अपने कर्मचारियों की सेहत एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर, सेहत

संबंधी अभियान, योग सत्र आदि आयोजित करता है. बैंक द्वारा नवंबर 2021 के दौरान 'वेलनेस माह' मनाया गया जिसके तहत निवारक स्वास्थ्य जांच और सेहतमंद रहने संबंधी अभियान आयोजित किए गए. प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जांच, नेत्र/ दंत जांच, रक्तदान शिविर, योग/ जुम्बा शिविर और वेबिनार जैसी 200 से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिनमें 17,000+ स्टाफ सदस्यों और 700+ परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से कवर किया गया है.

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम

बैंक ने 'कार्यस्थल परामर्श' की शुरुआत की है जिसे 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' (ईएपी) कहा जाता है. इस पहल के अंतर्गत कर्मचारी-चिंता, अवसाद, तनाव, असुरक्षा, भय, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी, पारस्परिक संबंधों एवं संवाद संबंधी मुद्दे, पारिवारिक समस्याएं, शोक, किसी दर्दनाक स्थिति, बीमारी (जैसे कैंसर आदि), व्यसन, प्रेरणा, व्यक्तिगत विकास, कार्य-जीवन संतुलन या कोई अन्य समस्याएं, जो मन को अशांत करती हों सहित किसी भी समस्या के लिए परामर्श सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान मानसिक,मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से सेहतमंद रहने संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 335 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें 79,000 से अधिक कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की. 900 से अधिक परामर्श सत्र आयोजित किए गए जिनमें 723 कर्मचारियों को उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को दूर करने में सहायता की गई. ये परामर्शी सेवाएं- प्रत्यक्ष रूप से परामर्श, फोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-मेल और चैट जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रदान की गईं.

'वॉयस ऑफ बड़ौदियन'- कर्मचारी जुड़ाव संबंधी सर्वेक्षण

प्रगतिशील एचआर प्रथाओं वाले एक संगठन के रूप में हमारा बैंक कर्मचारियों से सुझाव लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आवधिक आधार पर सभी कर्मचारियों से रचनात्मक और निष्पक्ष प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक 'वॉयस ऑफ बड़ौदियन' - कर्मचारी जुड़ाव संबंधी सर्वेक्षण आयोजित करता है ताकि कर्मचारी जुड़ाव के स्तर और जुड़ाव के स्तरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर कर्मचारियों के विचारों को समझा जा सके. पिछले 'वॉयस ऑफ बड़ौदियन-2021' के सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 2018 के 63% की तुलना में बैंक का स्कोर 74% रहा और पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कर्मचारी जुड़ाव के स्तर में 11% की वृद्धि हुई.

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

यह एक कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम है, जिसे टीम एकजुटता की भावना और सहयोग तथा कार्यस्थल को खुशनुमा बनाने के लिए तैयार किया गया है. समग्र रूप से कर्मचारी जुड़ाव के स्तरों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न पहलें जैसे सभी शाखाओं / कार्यालयों में माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, स्पॉट रिकॉग्निशन- 'वॉव' मूवमेंट को कैप्चर करना, मनोरंजन का समय, स्थानीय सामुदायिक सेवा/ सामाजिक गतिविधियां आदि प्रारंभ की गई हैं. सभी शाखाओं/ कार्यालयों के माध्यम से छः महीनों में एक बार अनिवार्य रूप से सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं.

कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए किए गए उपाय

बैंक द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षित रखने, ग्राहकों/ सामान्य जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने और व्यावसायिक परिचालनों की निरंतरता को बनाए रखने जैसे तत्काल मुद्दों पर पूरा ध्यान दिया गया. महामारी की दूसरी लहर और तीसरी लहर के दौरान अपने कर्मचारियों को समय पर सहायता और सहयोग प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा किए गए कुछ उपायों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

- उन शहरों में कोविड पॉजिटिव स्टाफ सदस्यों के लिए आइसोलेशन रूम की व्यवस्था करना जहां गभीर संक्रमण की स्थिति थी और अस्पताल बिस्तरों की उपलब्धता में कमी का सामना कर रहे थे.
- कोविड 19 के उपचार के लिए कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन/ होम क्वारंटीन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना.
- बैंक द्वारा कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को टीकाकरण की लागत की प्रतिपूर्ति.
- उपचार आदि हेतु किए गए विविध व्यय की चुकौती के लिए कोविड संक्रमित स्टाफ सदस्यों को ₹ 25,000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान.
- कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के आश्रितों को ₹ 30 लाख की अनुग्रह राशि/अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भुगतान करना.
- उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्नातक स्तर तक की छात्रवृत्ति, जिनकी सेवा के दौरान कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है.
- कोविड से संबंधित किसी भी आपात स्थिति/ स्पष्टीकरण के मामले में कर्मचारियों/ पूर्व कर्मचारियों तक पहुंच स्थापित करने हेतु अंचल केंद्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कोविड हेल्पलाइन स्थापित की गई.
- बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों की सेहत और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या के लिए 'डॉक्टर-ऑन-कॉल' सुविधा उपलब्ध कराई.
- कोविड के उपचार हेतु कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में शून्य ब्याज दर पर अग्रिम के तौर पर एक माह का वेतन दिया गया.
- कर्मचारियों/ उनके आश्रित सदस्यों के टीकाकरण के लिए अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हॉस्पिटल/ टीकाकरण केंद्रों, स्थानीय/ जिला प्राधिकरणों के समन्वय से टीकाकरण अभियान चलाए गए. बैंक द्वारा 99% से अधिक पात्र कर्मचारियों को टीका लगाया गया है.
- हमारे ऐसे कर्मचारी जो कोविड से प्रभावित होने की दृष्टि से संवेदनशील थे जैसे कि विकलांग कर्मचारी, पुरानी बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी,

सांस की समस्या, गर्भवती महिला कर्मचारी आदि को महामारी के दौरान घर से कार्य करने की अनुमति दी गई/ विशेष अवकाश दिया गया.

ज्ञानार्जन और विकास

बैंक ने हमेशा माना है कि ज्ञानार्जन और विकास किसी संगठन की मानव पूंजी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंक के पास व्यापक और सुदृढ़ ज्ञानार्जन प्रणाली है. महामारी ने बैंक में मजबूत डिजिटल प्रशिक्षण प्रणाली को त्वरित गति से स्थापित करने की दिशा में सक्षम बनाया है, जो कर्मचारियों के ज्ञानार्जन और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करती है.

बैंक की शिक्षण प्रबंधन प्रणाली अर्थात बड़ौदा गुरुकुल की क्षमताओं का उपयोग बैंक के विदेशी केंद्रों सहित बैंक के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षण संबंधी विचार सृजित करने, प्रदान करने और पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया.

वर्ष के दौरान शिक्षाशास्त्र में नवीनतम शिक्षण पद्धतियों के विकास के अनुरूप सिमुलेशन और खेल आधारित शिक्षण पद्धति विकसित करने पर जोर दिया गया. वर्ष के दौरान बड़ौदा गुरुकुल के माध्यम से ई-लर्निंग के साथ-साथ एपेक्स अकादमी, 18 क्षेत्रीय अकादमियों और 4 बड़ौदा सैटेलाइट लर्निंग यूनिटों (बीएसएलयू) के माध्यम से 99% से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 30 घंटे का प्रशिक्षण दिया गया.

बैंक ने अपने कार्यपालकों के लिए वैयक्तिक विकास संबंधी योजनाएं भी तैयार की हैं और उनके निरंतर संवृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें भी की हैं.

पूर्व कर्मचारी

अपने पूर्व कर्मचारियों की अमूल्य सेवाओं को सम्मान देते हुए, बैंक अपने सेवानिवृत्त बड़ौदियनों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आरामदायक और परेशानी मुक्त बनाने हेतु निरंतर उपाय करने का प्रयास करता है.

बैंक ने अपने पूर्व कर्मचारियों के कल्याण हेतु अनेक उपाय किए हैं, इसने पूर्व कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच फैसिलीटेटर के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, हालांकि, यह सुविधा उनके स्वयं के खर्च पर उपलब्ध है जो उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी में मदद कर रहा है. स्वास्थ्य जांच पैकेजों को कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों और उनके सामर्थ्य और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है.

बैंक ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं.

बैंक अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक अपने पूर्व कर्मचारी पोर्टल को एचआर-कनेक्ट में माइग्रेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है. एचआर-कनेक्ट अपने पूर्व कर्मचारियों को विभिन्न मॉड्यूल और सुविधाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा जैसे कि पेंशन पे स्लिप, पीपीओ जनरेशन, फैमिली पेंशन कन्वर्जन, कर गणना, हॉलिडे होम बुकिंग आदि.

'वी-लीड' - एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम

अपनी व्यवसाय रूपांतरण पहल के एक भाग के रूप में बैंक ने ऐसे लीडर्स की एक मजबूत और सुदृढ़ पीढ़ी तैयार करने, जो नेतृत्व की भूमिका स्वीकार करने और बैंक के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हों, के उद्देश्य से वी लीड कार्यक्रम के दूसरे चरण वी-लीड II की शुरुआत की है.

वी-लीड II समामेलन के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक-3-समामेलित संस्थाओं से उच्च संभावित उम्मीदवारों को एक साथ लाना और सांस्कृतिक पहलुओं को आत्मसात करना शामिल था.

यह कार्यक्रम एकीकरण को सफल बनाने, सहक्रियाओं को साकार करने, विकास की गति को बनाए रखने और भविष्य के लिए तैयार संस्था के रूप में विकसित करने पर भी केंद्रित था. स्केल-V और उससे ऊपर के लगभग 1000 कार्यपालकों ने वी-लीड II में प्रतिभागिता की है.

आरक्षण कक्ष :

अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी)/ भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए आरक्षण व अन्य क्षमतादायी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष आरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है. महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को क्रमशः अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों एवं अ.पि.व कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं.

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया है. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान करता है.

31.03.2022 तक जाति वर्गवार संख्या

संवर्ग	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू सैनिक
अधिकारी	7334	3296	11984	574
लिपिक	4581	2848	8222	2899
सब -स्टाफ	2690	919	2485	822
कुल	14605	7063	22691	4295
कुल कर्मचारियों का %	18.55%	8.97%	28.81%	5.45%

आवधिक बैठकें: बैंक, ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी/ एसटी (एआईबीओबीएससीएसटी) एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें और ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन (एआईबीओबीओबीसी) के प्रतिनिधियों के साथ इनकी चिंताओं को दूर करने के लिए छमाही बैठकें आयोजित करता है.

कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम: बैंक एआईबीओबीएससीएसटी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन और एआईबीओबीओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के सदस्यों तथा एससी/ एसटी एवं ओबीसी संपर्क अधिकारियों के लिए हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है.

- एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण.
- आरक्षण नीति के संबध में कार्यशाला.
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम.

कॅरियर विकास

बैंक ने कर्मचारियों को उनके कॅरियर विकास के लिए प्रोत्साहित करने, उनके कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. कर्मचारियों को व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा अधिकारियों को अलग-अलग कार्य से दायित्व सौंपे जाते हैं और उन्हें विदेशों में भी नियुक्ति का अवसर दिया जाता है.

विविधता और समावेश पर जोर

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव रहित और समान अवसर नीति का पालन करता है और पदोन्नति, कॅरियर-पाथ, स्थानांतरण नीति और कर्मचारी लाभ/ कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों में पारदर्शी है. बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए 'जॉब रोल्स' आरम्भ किया है. इसके अतिरिक्त महिलाओं की सहगामी जिम्मेदारियों को मान्यता देने हेतु बैंक ने महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए अन्य पहलों के साथ-साथ विभिन्न सुविधाएं जैसे महिला कर्मचारियों के लिए विराम-अवकाश, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, शिशुगृह की सुविधा आदि की व्यवस्था की है.

बैंक अपनी महिला कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और अभिप्रेरणा पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और पीओएसएच (POSH) दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूक भी करता है.

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

अपनी शाखाओं को एक ऐसा स्वच्छ परिवेश उपलब्ध करवाने, जो अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान कर सके, के उद्देश्य से बैंक रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए पेशेवर कंपनियों को नियुक्त कर दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) (रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन को लागू करने वाले पीएसबी में पहला) की पहल का क्रियान्वयन करने वाला अग्रणी पीएसबी है. रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अंतर्गत भौतिक रिकॉर्ड को बारकोड किया जाता है, अनुक्रमित किया जाता है और उन्हें स्टोरेज के लिए वेंडर के वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जिसे बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय पुनर्प्राप्त किया जा सकता है. जिस स्थान को खाली किया गया है, उसका उपयोग नए एटीएम/ ई-लॉबी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है या लागत बचाने के लिए उसे सरेंडर किया जा रहा है.

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), हरित पहल के तहत पेपरलैस बैंकिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें पहचाने गए दस्तावेजों (ऋण फाइलें/ मानव संसाधन संबंधी दस्तावेज/ विधिक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज) की स्कैनिंग और "बड़ौदा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (बीडीएमएस)" सर्वर, एक डिजिटल रिपाजिटटॉरी, पर स्कैन किए गए डेटा को अपलोड करना शामिल है. यह हमारे बैंक की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत 5,300 से अधिक शाखाओं को कवर करते हुए लगभग 36.45 करोड़ इमेजेस को स्कैन किया जा चुका है. साथ ही, बीओबी/ ई-देना/ ई-विजया बैंक की चिन्हित शाखाओं में लगभग 2.21 लाख वर्ग फुट जगह को खाली किया गया है. बैंक की मेट्रो और शहरी शाखाओं और अर्ध-शहरी क्षेत्र की निर्धारित शाखाओं में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)/ दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के सफल कार्यान्वयन के बाद, अब इसे बैंक की अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शेष चिह्नित शाखाओं में लागू किया जा रहा है.

परिसर पुनर्संरचना

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में बैंक की कुछ मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट (बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर के लिए गोल्ड रेटिंग और बड़ौदा सन टॉवर बिल्डिंग के लिए सिल्वर रेटिंग) प्राप्त किया है. पूरे भारत में बैंक के चार भवनों को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त हुई है तथा -43- और भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के लिए चिह्नित किया गया है.
- बैंक का लक्ष्य अपने प्रस्तावित बड़ौदा एपेक्स अकादमी भवन, अहमदाबाद के लिए आईजीबीसी के अनुसार प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करना है.
- ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 145 शाखाएं सौर ऊर्जा से संचालित हैं. हरित ऊर्जा/ नवीकरणीय/ सौर ऊर्जा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप कुल 960 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई. इसके अतिरिक्त, 600 से अधिक शाखाओं/ परिसरों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए चिन्हित किया गया है.
- कॉर्पोरेट कार्यालय के भवनों के सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग-अलग किया जा रहा है और गीले कचरे को बायो-गैस संयंत्र में संसाधित किया जा रहा है.
- बैंक के बीकेसी, मुंबई स्थित भवन में एक बड़े आकार का बायो-गैस संयंत्र (500 कि.ग्रा. गीला अपशिष्ट की क्षमता) स्थापित किया गया है,

जिससे रसोई गैस (कैंटीन में प्रयुक्त) और जैविक खाद (बगीचे/ लॉन में प्रयुक्त) का उत्पादन होता है.

- कुछ शाखाओं/ परिसरों में वर्षा जल संचयन सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बैंक कई और शाखाओं/परिसरों में इसे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है.

राजभाषा (रा.भा) नीति का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रगति की है. संघ सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत संवैधानिक आवश्यकताओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अलावा, आपके बैंक ने व्यवसाय विकास के टूल के रूप में हिंदी के उपयोग के लिए पहल की. वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों तथा हमारी बैंक की विभिन्न शाखाओं/ कार्यालयों के निरीक्षण दौरों के समय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गयी है. समिति को दिए गए सभी आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया है. आपके बैंक के प्रयासों को समय समय पर भारत सरकार से सराहना मिली है.

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की गई. समिति द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान कई नई पहलें की गईं. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और लेनदेन एसएमएस सेवाएं और व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की है. बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रसंस्करण पैकेज एलएलपीएस में नियमों और शर्तों के साथ ऋण स्वीकृति पत्र अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में जनरेट करने की व्यवस्था की है.

वर्ष के दौरान की गई विभिन्न पहलों के तहत आपके बैंक द्वारा मैसूर में 'बैंकिंग में साइबर अपराध' विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की. एक नई पहल के रूप में बैंक ने अपनी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए राजभाषा रेटिंग प्रणाली लागू की है और नियमित अंतराल पर अपने स्टाफ सदस्यों के लिए डिजिटल रूप से 'भाषाई चौपाल' कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग मशीन 'कियोस्क' को हिंदी में पासबुक प्रिंटिंग हेतु सक्षम किया है. 'बैंकिंग में अनुपालन संस्कृति' और 'रिटेल ऋण मार्गदर्शिका' जैसे विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की गईं.

हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और मातृभाषा दिवस पूरे भारत और विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं में मनाए गए. वर्ष के दौरान बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) वडोदरा को भाषाई क्षेत्र (ख) के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया.

इसी प्रकार, भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा बैंक के संयोजन में कार्यरत वाराणसी, जोधपुर, जयपुर, राजकोट और बड़ौदा नराकास को पुरस्कारों के लिए चुना गया. भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु बैंक के बड़ौदा और पटना अंचल तथा क्षेत्रीय कार्यालय पणजी और वाराणसी को भी सम्मानित किया गया.

आपके बैंक ने देश के 70 विश्वविद्यालयों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना "मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना" को जारी रखा है. इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र उन दो विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने एम.ए (हिंदी) में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा का एक लंबा इतिहास है. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक समाज कल्याण में विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है. लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं किसानों के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं. बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है.

बैंक के पास देश के 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 64 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) केंद्र हैं जो ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के नवयुवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. प्रारम्भ से इन केंद्रों ने 20,644 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 5.75 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 3.85 लाख ने पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है या अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं. आरसेटी के समग्र कार्यनिष्पादन/ कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी 64 आरसेटी केंद्रों को "एए" (उत्कृष्ट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

बैंक ने 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 85 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं. ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय आयोजना और किसी वैयक्तिक ऋण से संबंधित संकट को दूर करने संबंधी कार्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 93 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य अभिनव पहलों और सहभागिता आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी और पिछड़े ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है.

बैंक ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के 9 महत्वाकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दसवीं और बारहवीं कक्षा की टॉपर छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है.

पर्यावरण, समाज और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में बैंक ने प्रत्येक ऑटो ऋण/ गृह ऋण संवितरण के साथ एक पौधा रोपण की प्रायोगिक पहल भी शुरू की है.

बैंक ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी दान किया है, जैसे परियोजना छाव के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षात्मक किट का वितरण, एआईआईएसएच, एआईआईएमएस को वाहनों का दान और चेन्नई के सरकारी मिडिल स्कूल को उसकी स्मार्ट क्लास परियोजना के लिए दान करना.

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (बीएफएसएल, जिसे पहले बॉबकार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. यह जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है. बीएफएसएल की स्थापना वर्ष 1994 में तेजी से बढ़ते क्रेडिट कार्ड उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी. बीएफएसएल क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग कंपनी थी. कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्रेडिट कार्ड जारी करना है. यह बैंक की ओर से मर्चेंट अधिग्रहण परिचालन कार्य के माध्यम से बैंक को सहायता भी प्रदान करती है.

बॉब फाइनेंशियल के लिए वित्त वर्ष 2022 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा. महामारी के कारण उत्पन्न लगातार बदलती चुनौतियों के बावजूद इसनें एक प्रमुख भारतीय क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के रूप में उभरने की अपनी महत्वाकांक्षा को इस वित्तीय वर्ष के दौरान हासिल उपलब्धियों और निवेशों के माध्यम से जाहिर की है.

वित्त वर्ष 2022 की प्रमुख विशेषताओं में नए उत्पादों की शुरूआत और नवोन्मेषिता रही जिसमें रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने से लेकर वैश्विक स्तर पर पहली बार कॉनक्यूआर-क्रेडिट कार्ड और क्यूआर स्वीकार्यता को संबद्ध करने वाला टू-इन-वन उत्पाद की शुरूआत जो मास्टरकार्ड (चूंकि यह पेटेंट का स्वामित्व रखता है) के साथ साझेदारी शामिल है.

कंपनी ने वृहद और विश्वसनीय संस्थानों के साथ-साथ नए युग की फिनटेक के साथ सह-ब्रांड साझेदारी कर विकास संबंधी अपनी दो-आयामी कार्यनीति (एक तरफ बॉब ग्राहकों और दूसरी तरफ प्रमुख साझेदारी) को लागू करना जारी रखा. इसमें एफपीएल टेक्नोलॉजीज (वनकार्ड हेतु) और क्रेडिटएआई (उन्नति-किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड हेतु) जैसे फिनटेक के साथ साझेदारी शामिल है, जिससे बॉब फाइनेंशियल को एक ऐसे जारीकर्ता के रूप में स्थापित किया गया है जो नए युग के साझेदारों के लिए सुग्राही है.

आईआरसीटीसी और भारतीय नौसेना के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों की भी शुरुआत की गई. भारतीय नौसेना की सह-ब्रांड ने बॉब फाइनेंशियल को रक्षा बलों के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो का विस्तार करने में सहायता की है और सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने के लिए भारतीय सेना, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

वित्त वर्ष 2022 में 5,00,000 से अधिक नए क्रेडिट कार्ड जारी करते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 में किए गए नए अधिग्रहण को दोगुना कर दिया है. यह 1 मिलियन या उससे अधिक के क्रेडिट कार्ड आधार के साथ कार्ड जारीकर्ताओं के विशिष्ट वर्ग में शामिल हो गयी है, इस प्रकार इसे भारतीय क्रेडिट कार्ड उद्योग में एक शीर्ष संस्था के रूप में प्रतिष्ठा मिली है. केवल मार्च 2022 में ही 1,30,000 से अधिक नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिसके आधार पर बॉब फाइनेंशियल को माह के दौरान शीर्ष 5 जारीकर्ताओं (अनुमानित) में से एक के रूप में स्थापित कर दिया गया है.

वित्त वर्ष 2021 की तुलना में रिटेल व्यय दोगुने से अधिक होकर लगभग ₹ 7,000 करोड़ रहा. यह वृद्धि प्रमुख ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मर्चेंटों के साथ साझेदारी में सभी मर्चेंट श्रेणियों में ग्राहकों के लिए उपयुक्त ऑफरों के माध्यम से संभव हुई है. सभी नियमित और ईएमआई खर्चों के समय हमेशा 100 से अधिक ग्राहक ऑफर लाइव थे.

रिटेल व्यय में वृद्धि उचित उत्पादों और ऑफरों की शुरुआत के अतिरिक्त ग्राहक अनुभव में सुधार की दिशा में की गई कई पहलों का भी परिणाम है. वेबसाइट, आईवीआर और एसएमएस के माध्यम से सेल्फ सर्विस अथवा परिवार के लिए ऐड-ऑन कार्ड, रेफरल कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर सामयिक अभियान आदि जैसे पहलों ने ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने में सहायता प्रदान की, जिसके फलस्वरूप रिटेल व्यय में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई.

प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना वित्त वर्ष 2022 में जारी रहा. फर्स्टविजन- अग्रणी कार्ड प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत और टेबिट- बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल प्रारम्भ प्लेटफॉर्म पर 100% डिजिटल कार्ड जारी करने की शुरुआत आदि प्रमुख उपलब्धियां रही हैं. एक शीर्ष रैंकिंग, ग्राहक केन्द्रित क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी बनने की कार्यनीति के अनुरूप शुरूआत से लेकर उपयोग और रिटेंशन तक ग्राहक प्रक्रिया के क्षेत्र में कई अन्य पहलें की गई.

बैंक ऑफ बड़ौदा के 18 अंचलों और 148 क्षेत्रों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय रखने के लिए कंपनी ने मानव संसाधन और उपस्थिति केन्द्रों में भी निवेश करना जारी रखा. एक ओर यह बैंक की वितरण क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है वहीं बॉब फाइनेंशियल की वृद्धि संबंधी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप अपना विस्तार कर रही है.

(राशि करोड़ में)

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022
कुल आस्तियां	972.16	1562.45
निवल लाभ/ (हानि)	10.73	10.07
चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल एनपीए स्तर	शून्य	29.07
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल ए1+ इंडिया रेटिंग ए1+	क्रिसिल ए1+ इंडिया रेटिंग ए1+
आस्तियों पर रिटर्न	1.14%	0.66%

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो सेबी पंजीकृत श्रेणी - I मर्चेंट बैंकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सदस्यता के साथ स्टॉक ब्रोकर भी है.

बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्राइमरी मार्केट/ पीई फंड, ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, इक्विटी मूल्यांकन, विलय एवं अधिग्रहण एडवाइजरी तथा स्टॉक ब्रोकिंग (संस्थागत और रिटेल दोनों) शामिल हैं. इसमें दो परिचालन सेगमेंट हैं यथा - निवेश बैंकिंग और ब्रोकिंग एवं वितरण.

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स) ने वित्त वर्ष 2022 में अपने दोनों व्यावसायिक सेगमेंटों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है और अपने व्यवसायों, मुख्य रूप से भारतीय पूंजी बाजारों की सुदृढ़ हो रही स्थिति और कोविड के उपरांत देश में पुनः आरंभ हुई आर्थिक गतिविधियों के बाद की भावी संभावनाओं के संबंध में आशावादी है. तथापि, बॉबकैप्स भारतीय रिज़र्व बैंक और मौजूदा भू-राजनीतिक द्वंदों सहित दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई हाल की दर संबंधी कार्रवाइयों से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करती है.

(₹ करोड़ में)

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022
कुल आस्तियां	175.59	187.97
निवल लाभ / हानि	9.34	7.72
ग्राहक आधार (संख्या)	26,715	35,191
शाखाओं की कुल संख्या	1	2

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज को वर्ष 2017 में बैंक द्वारा लिए गए एक नीतिपरक निर्णय के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य सेवा संबंधी कार्यों को एकल इकाई में एकीकृत करना था ताकि सेवा कार्यों के डुप्लीकेशन और व्यावसायिक इकाई साइलो को कम किया जा सके तथा बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके और लागत को कम किया जा सके. केंद्रीकरण के कारण बैंक बेहतर दक्षता और लागत में कमी करने में सफल रहा है. इसने शाखाओं से एक बड़े कार्यबल को उन भूमिकाओं में भी पुनः अभिनियोजित किया है जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है. इस सेटअप ने बैंक को बिक्री और सेवा कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया है. इस सेटअप ने बैंक के लिए क्रॉस-सेल पहलों की शुरुआत कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

बीजीएसएस द्वारा केंद्रीकृत प्रोसेसिंग के सफल सेट-अप और स्केल-अप के आधार पर, बैंक ने ऋण सोर्सिंग और संग्रहण क्षमता में सुधार के नए क्षेत्रों में इसकी क्षमताओं का उपयोग करने का निर्णय लेते हुए बीजीएसएस में विश्वास व्यक्त किया है, जिससे बैंक की क्षमता में वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीजीएसएस ने बैंक के लिए प्रत्यक्ष बिक्री टीम और संग्रहण इकाई की शुरुआत की है.

बैंक के वित्तीय समावेशन संबंधी उद्देश्यों में सहायता करने के लिए, बीजीएसएस को वित्तीय वर्ष 2022 में बीसी एजेंटों को अखिल भारतीय (विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में) स्तर पर नियोजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

शेयर्ड सर्विसेस केंद्रीय स्तर से निष्पादन एवं सामान्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए समय-समय पर आंतरिक एवं बाह्य आकलनों के द्वारा सुदृढ़ एवं सख्त नियंत्रण रखना भी सुनिश्चित करता है. बीजीएसएस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

बीजीएसएस की पिछले वित्तीय वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1. बैंक के लिए अतिरिक्त ऋण व्यवसाय (एचएल, एएल, ईएल और एलएपी) जनरेट करने के लिए 750 से अधिक प्रत्यक्ष बिक्री टीम (डीएसटी) संबंधी संसाधनों को नियोजित किया गया.
2. बीजीएसएस द्वारा प्रबंधित फीट-ऑन-स्ट्रीट (एफओएस) संसाधनों और वेंडरों के माध्यम से वडोदरा में स्थापित संग्रहण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 90% से अधिक किस्तों के माह दर माह संग्रहण की प्राप्ति.
3. बैंक के उत्पादों से संबंधित लेनदेन की प्रोसेसिंग गतिविधियों को बीजीएसएस द्वारा नियुक्त और प्रबंधित व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों के माध्यम से शुरू किया गया है.
4. बीजीएसएस ने व्यापार वित्त में ₹ 1,000 करोड़ की बुकिंग और (डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म सहित) संपर्क केंद्र के माध्यम से खुदरा ऋण में ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की सोर्सिंग कर क्रॉस सेल कारोबार में उत्कृष्टता जारी रखी है.
5. ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने, विशेष रूप से आसानी से व्यवसाय करने के मामले में निरंतर चल रही प्रक्रिया के एक भाग

के रूप में, बीजीएसएस द्वारा की गई कुछ पहलों में बड़ौदा इंस्टा-ट्रेड प्लेटफॉर्म (व्यापार लेनदेन शुरू और प्रोसेस करने हेतु ग्राहकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म) पर 1,000 से अधिक ग्राहकों को शामिल करना, शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) शुरू करना और विशेषीकृत मॉर्गेज स्टोर्स (एसएमएस) में गृह ऋण फाइल लॉग-इन के लिए प्रोसेसिंग की सटीकता और गति में सुधार के लिए सभी स्थानों पर संसाधनों को नियोजित करना शामिल है.

6. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग लेनदेन की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में बीसी सखी ऑन-बोर्डिंग को क्रियान्वित करने में सहायता हेतु एक समर्पित आईटी प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया.

7. बीजीएसएस ने विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादकता, फर्स्ट टाइम राइट (एफटीआर), टर्नअराउंड टाइम (टीएटी), एटीएम अपटाइम और त्रुटि में कमी जैसे मैट्रिक्स में वृद्धि और दक्षता में सुधार को निरंतर जारी रखा है.

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में निगमित किया गया है. कंपनी 5 जुलाई, 2017 को रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज, मुंबई और महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई. कंपनी को बैंक के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार में आईटी समर्थित व्यापार समाधान/ आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सिस्टम इंटीग्रेटर सेवाएं, परामर्श और आईटी संवर्धन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित गया है.

कंपनी ने अभी तक पूर्ण परिचालन शुरू नहीं किया है और यह बैंक के विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में तकनीकी दक्षता प्रदान करने वाले विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उद्यमवार आईटी परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम / परियोजना प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी.

दि नैनीताल बैंक लि.

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल) मूल रूप से 1922 में स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अन्य द्वारा प्रवर्तित किया गया जो वर्ष 1973 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी बना. नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की धारिता 98.57% है. एनबीएल का नैनीताल में अपना पंजीकृत कार्यालय है और पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हरियाणा और राजस्थान में इसका परिचालन करती है. 31 मार्च, 2022 तक एनबीएल की 164 शाखाएं हैं. एनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2021 के ₹ 11,441 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹ 11,698 करोड़ हो गया. बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1.26 करोड़ के निवल लाभ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2022 में ₹ 33.01 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है.

बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीबीएनपीए एएमसी)

बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (50.10% शेयरधारिता) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (49.90% शेयरधारिता) की एक संयुक्त उद्यम है. यह कंपनी बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजर है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बीएनपी एशिया लिमिटेड (बीएनपी एशिया) ने दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को भारत में अपनी एसेट मैनेजमेंट और ट्रस्टी कंपनियों का विलय करने के लिए बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं. नियामक अनुमोदन प्राप्त होने और सेबी (एमएफ) विनियम के तहत आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर, संस्थाओं का 14 मार्च, 2022 से विलय प्रभावी हो गया. समेकित इकाई, दो साझेदारों की क्षमताओं - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सशक्त ब्रांड नाम, पहुंच और रिटेल बाजार की समझ तथा व्यवसाय को विकसित करने हेतु बीएनपी पारिबास की वैश्विक तकनीकी जानकारी का लाभ मिलेगा.

विलय के पश्चात् पूरे भारत के 90 शहरों और कस्बों में टच पॉइंट के साथ-साथ उत्पाद रेंज, एयूएम और एयूएम में इक्विटी की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है.

(₹ करोड़ में)

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		
विवरण	**वित्त वर्ष 2021**	**वित्त वर्ष 2022**
कुल आस्तियां	78.39	147.18
निवल लाभ /हानि	1.76	(20.00)
प्रबंधन के तहत आस्तियां	8220.15	23393*
कुल एयूएम के लिए इक्विटी (%)	37%	60%

* इसमें ₹ 2,188 करोड़ की एडवाइजरी एयूएम शामिल है.

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

इंडियाफ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, देश की सबसे नवीनतम बीमा कंपनियों में से एक है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 663 करोड़ है. यह कंपनी बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक घरेलू अनुषंगी है जो कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रवर्तित है, जिसका स्वामित्व वारबर्ग पिंकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के पास है. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया कंपनी का तीसरा नीतिपरक साझेदार है.

वित्तीय वर्ष 2022 में, इंडियाफर्स्ट लाइफ वैयक्तिक नए व्यापार एपीई में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जीवन बीमाकर्ता है, जिसने 2.4% की निजी बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्ष दर वर्ष 50% की वृद्धि दर्ज की है और समग्र जीवन बीमा उद्योग (एलआईसी सहित) के सापेक्ष इसमें 3.2 गुना की वृद्धि हुई है. समग्र उद्योग की तुलना में तीव्र दर से वृद्धि के इस सुपर रिकॉर्ड को इंडियाफर्स्ट लाइफ द्वारा लगातार पिछले 8 वर्षों से (वित्त वर्ष 2014-15 से) बनाए रखा गया है. कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में निजी प्रतिस्पर्धियों के बीच वैयक्तिक नए व्यापार एपीई (वार्षिक प्रीमियम समतुल्य) में अपनी रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार करते हुए 11वां स्थान प्राप्त किया है और 31 मार्च, 2022 को इसका ₹ 18,932 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) है.

इंडियाफर्स्ट लाइफ को लगातार चौथी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) के रूप में प्रमाणीकृत किया गया जिसे जीपीटीडब्ल्यू बीएफ़एसआई सर्वेक्षण द्वारा लगातार चौथी बार 'बीएफएसआई में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल' में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी संगठनों में उत्कृष्ट कार्यस्थलों को परिभाषित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक के रूप में माना जाता है. इस कंपनी को इंडिया इंश्योरेंस समिट 2022 में 'लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर' से भी सम्मानित किया गया है.

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) एनबीएफसी है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक इस इंफ्राडेब्ट के प्रायोजक हैं और सिटी कॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवम बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं. यह इंफ्राडेब्ट अपेक्षाकृत ऐसी सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया हो. इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए/ स्टेबल आउटलुक के रूप में रेट किया गया है. इंफ्राडेब्ट को इसकी सभी आय पर 100% आयकर रियायत प्राप्त है.

मजबूत, स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं - विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर इंफ्राडेब्ट का ध्यान केंद्रित होने के कारण बैंक में सहक्रियता उत्पन्न होती है और इस प्रकार भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जाता है. इन्फ्राडेब्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2022 में इसकी ऋण बही ₹ 14,729 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 330 करोड़ (भारतीय जीएएपी के अनुसार) रहा तथा इक्विकिटी पर रिटर्न 14% रहा. इंफ्राडेट पिछले पांच वर्षों से लगातार लाभांश भी दे रही है.

बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

इकाई	स्वामित्व वाली धनराशि	कुल आस्तियां	निवल लाभ	कार्यालय	कर्मचारी
बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड	287.56	1562.45	10.07	40	410
बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	165.03	187.97	7.72	2	103
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	4.55	4.47	0.09	1	1
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.	20.53	32.02	9.07	5	1113
दि नैनीताल बैंक लि.	607.04	8337.85	33.00	5	941
बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	152.57	147.18	-20.00	13	150
बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.09	0.24	0.012	1	1
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	493	19,765	(282)	29	3,272
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	2,431.1	16,922.8	329.9	1	25

पुरस्कार

वित्तीय, डिजिटल फ्रंट और अन्य अनूठी पहलों में बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के सम्मान में, बैंक को वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए जो निम्नानुसार हैं;

माह	वित्त वर्ष 2022 के दौरान प्राप्त पुरस्कारों के विवरण
अप्रैल 2021	एसोचैम राष्ट्रीय ई-शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में बैंकिंग और वित्तीय ऋणदाता कंपनियों में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को डिजिटल ऋण के तहत संयुक्त-विजेता और पीएसबी-विलय श्रेणी में डिजिटल सेवाओं के तहत विजेता घोषित किया गया.
मई **2021**	आउटलुक मनी अवाड्र्स के 20वें संस्करण में बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 'वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता. **अतिरिक्त सूचना:** आउटलुक मनी अवाड्र्स नॉलेज पार्टनर, केयर रेटिंग्स लिमिटेड और इसके प्रतिष्ठित जूरी बोर्ड ने पाया कि वित्त वर्ष 2020 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सभी मानदंडों में अच्छा प्रदर्शन किया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा का समग्र स्कोर 5 में से 3.83 है.
जून **2021**	बैंक ऑफ़ बड़ौदा को द इकोनॉमिक्स टाइम्स आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ़ इंडिया 2021 के चौथे संस्करण में **सम्मानित** किया गया, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की सफलता की कहानियां शामिल थीं. **अतिरिक्त सूचना:** कार्यपालक निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह खिची ने 'द ईटी आइकोनिक ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2021' के वर्चुअल सम्मेलन में दर्शकों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड की सफलता की कहानियों को दर्शाते हुए उन ब्रांड की उल्लेखनीय विशेषताओं को रेखांकित किया गया जिसके आधार पर उन्होंने अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है. इस वर्चुअल अवार्ड में श्री पुरुषोत्तम, सीजीएम - खुदरा देयताएं, डब्ल्यूएमएस, मार्केटिंग और कैपिटल मार्केट्स एवं एनआरआई सेवाओं का एक वीडियो बाइट भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें महामारी के दौरान ब्रांड के विजन को रेखांकित किया गया.
सितंबर **2021**	द इकोनॉमिक टाइम्स बीएफएसआई इनोवेशन ट्राइब अवार्ड्स के चौथे संस्करण में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बॉब वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग उत्पाद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
अक्तूबर **2021**	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इसके प्रायोजित आरआरबी, यूटीएलबीसी दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा) ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अटल पेंशन योजना में नामांकन हेतु आयोजित विभिन्न अभियानों के तहत 6 शीर्ष कार्य निष्पादन पुरस्कार प्राप्त किए। **अतिरिक्त सूचना:** श्री संजीव चड्ढा, एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रबंध निदेशक लीडरशिप कैपिटल 3.0 (जनवरी-फरवरी 2021) उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ. श्री विक्रमादित्य सिंह खीची को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यपालक निदेशक एपीवाई बिग बिलीवर्स 3.0 (मार्च 21) प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ. श्री प्रभात के शर्मा, अध्यक्ष, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरआरबी अध्यक्ष लीडरशिप कैपिटल 3.0 (जनवरी-फरवरी 2021) उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त हुआ. श्री प्रभात के शर्मा, अध्यक्ष, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरआरबी अध्यक्ष एपीवाई बिग बिलीवर्स 3.0 (21 मार्च) सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ. श्री आर सी गग्गर, अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरआरबी अध्यक्ष लीडरशिप कैपिटल 3.0 (जनवरी-फरवरी 2021) उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ. वार्षिक पुरस्कार, उत्कृष्टता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यूटीएलबीसी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव.
दिसंबर **2021**	टीम मार्क्समैन एवं एनडीटीवी 24X7 ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारत के 50 सबसे भरोसेमंद बीएफएसआई ब्रांडों में से एक के रूप में सम्मानित किया.
दिसंबर **2021**	बैंक ऑफ़ बड़ौदा को चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसई) एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की चार श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया. सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक - विजेता सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई फ्रेंडली बैंक - विजेता सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग - उपविजेता सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक उपविजेता

फरवरी 2022	बिजनेस टूडे-केपीएमजी बेस्ट बैंक सर्वे 2020-21 के 26वें एडिशन में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'बेस्ट इन इनोवेशन' और 'बेस्ट इन फिनटेक इनिशिएटिव' के रूप में दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
फरवरी 2022	बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो एवं पुरस्कारों में लगातार द्वितीय वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में चयनित किया गया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा एआई/एमएल एवं डेटा एनालिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग और सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर सुरक्षा के लिए उपविजेता भी रहा.

लाभांश वितरण नीति

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 2.85 के लाभांश की अनुशंसा की है. इस प्रकार लाभांश के रूप में कुल ₹1,473.84 करोड़ का व्यय होगा. इस लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदनों के अधीन हैं. लाभांश वितरण नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां

- श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 13 अप्रैल, 2021 से अगले आदेश तक श्री अजय कुमार के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री आलोक वाजपेयी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 09 जुलाई, 2021 से 08 जुलाई, 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया.
- केंद्र सरकार द्वारा श्री अजय के खुराना, कार्यपालक निदेशक के कार्यकाल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत उनकी वर्तमान में अधिसूचित अवधि जो 19 सितंबर, 2021 को समाप्त हो रही थी, को आगे दो वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है.
- केंद्र सरकार द्वारा श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक के कार्यकाल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत 30 सितंबर, 2021 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31 जुलाई, 2022 तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है.
- श्री जयदीप दत्ता रॉय को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 अक्तूबर, 2021 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
- श्री श्रीनिवासन श्रीधर को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 12 दिसंबर, 2021 से 11 दिसंबर, 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः चुना गया है.
- श्री अजय सिंघल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत 21 दिसंबर, 2021, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया है.
- डॉ. हसमुख अढ़िया को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है और दिनांक 01 मार्च, 2022 से अगले दो वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ा दी गई है.

कार्यकाल की सामाप्ति

- इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर श्री शांति लाल जैन का कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल 1 सितंबर, 2021 से समाप्त हो गया.
- श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम की नियुक्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में श्री अजय कुमार का कार्यकाल 13 अप्रैल, 2021 से समाप्त हो गया.

बोर्ड का मूल्यांकन

बैंक, पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-सरकारी निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 30 अगस्त, 2018 का पालन कर रहा है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के 'भाग ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2021-22 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है.

व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.cio.in) पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

डी) निदेशकों ने लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया है; और

ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे हैं. स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है. इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं.

आभार

निदेशक मंडल पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री शांति लाल जैन और श्री अजय कुमार के योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत तथा विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मंडल बैंक के कर्मचारियों का उनके कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण समर्पण के लिए सरहाना करता है.

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIRECTORS' REPORT

"Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Fourteenth Annual Report of the bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2022 (FY 2022)."

Financial Performance

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022
Deposits	9,66,996.93	10,45,938.56
of which - International Deposits	1,08,583.81	1,18,927.99
Domestic Deposits	8,58,413.12	9,27,010.57
of which- Current Account Deposits	61,609.03	68,779.64
Savings Bank Deposits	3,06,418.54	3,41,343.27
CASA Deposits	3,68,027.57	4,10,122.92
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	42.87	44.24
Net Advances	7,06,300.51	7,77,155.18
of which- Domestic Advances	6,05,615.80	6,53,381.55
International Advances	1,00,684.71	1,23,773.63
Total Assets	11,55,364.77	12,77,999.83
Net Interest Income (NII)	28,809.02	32,621.34
Other Income	12,933.97	11,483.95
of which-Trading gains	3,375.97	2,728.76
NII + Other Income	41,742.99	44,105.29
Operating Expenses	20,543.66	21,716.44
Operating Profit	21,199.34	22,388.85
Provisions (Other than Tax)	15,643.33	13,002.41
of which- Provisions for NPAs & Bad debts written off	12,407.71	14,640.12
Profit Before Tax	5,556.00	9,386.44
Provision for Tax	4,727.05	2,114.16
Net Profit	828.95	7,272.28
Appropriations/ Transfers		
Statutory Reserve	207.22	1,814.34
Capital Reserve	676.90	523.35
Revenue and Other Reserves		
I) General Reserve	-341.79	827.40
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961	286.56	250.00
III) Investment Reserve Account	0.00	0.00
IV) Investment Fluctuation Reserve		2,368.42
V) Statutory Reserve (Foreign)	0.06	14.93
Proposed Dividend	0.00	1,473.84

(₹ in crore)

Key Performance Indicators	FY 2021	FY 2022
Average Cost of Funds (%)	4.11	3.64
Average Yield on Funds (%)	6.62	6.49
Average Interest Earning Assets	10,64,844	10,77,177
Average Interest Bearing Liabilities	10,14,762	10,24,804
Net Interest Margin (%)	2.71	3.03
Cost-Income Ratio (%)	49.22	49.24
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.07	0.60
Return on Equity (%)	1.50	11.82
Book Value per Share (₹)	106.72	118.97
Basic EPS (₹)	1.78	14.06

Total deposits of the bank increased to ₹10,45,939 crore during FY 2022 from ₹9,66,997 crore during FY 2021, there by registered a growth of 8.2% on a YoY basis. The domestic CASA of the bank recorded a growth of 11.4% on YoY basis, to reach to the level of ₹410,123 crore, during FY 2022. The Domestic Deposit also marked a growth of 8% on a YoY basis, which was increased to ₹9,27,011 crore, during the FY 2022. The Net advance of the bank increased to ₹7,77,155 crore during FY 2022 from ₹7,06,301 crore during FY 2021, there by recorded a growth of 10% during the period. The growth in Advance portfolio was supported by Retail Advance (organic) which grew by 16.8%, Agriculture advance which grew by 10.3%, MSME (organic) segment which grew by 5.4%, on a YoY basis during FY 2022. The net interest margin (NIM) improved by 32 bps to 3.03% during FY 2022 from 2.71% during FY 2021. Operating profit for the Bank rose to ₹ 22,389 crore during FY 2022 from ₹21,199 crore during FY 2021, an increase of 5.6% during the period.

Total provisions (other than tax) and contingencies declined to ₹ 13,002 crore during FY 2022 by 16.9% from ₹ 15,643 crore during FY 2021. Provisions for Non- Performing Assets (NPA) stood at ₹14,640 crore during FY 2022 compared with ₹12,408 crore during FY 2021. The Bank posted a net profit of ₹7,272 crore during FY 2022 from ₹829 Crore during FY 2021, marked a growth of 777% on a YoY basis.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

(Ratios in %

	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022
Capital Adequacy Ratio Basel III	14.99	15.84
CET I	10.94	11.59
Tier I	12.67	13.34
Tier II	2.32	2.50

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the bank increased to 15.84% as on March 31, 2022 from 14.99% as on March 31, 2021. CET-1 ratio also increased to 11.59% during FY 2022 from 10.94% during FY 2021. The consolidated group capital adequacy ratio increased to 16.33% as on 31.03.2022 as compared with 15.74% as on 31.03.2021.

During FY 2022, The Bank issued Additional Tier I (AT-I) capital bonds of ₹2,749 crore during FY 2022.

Net worth

The Bank's net worth as of March 31, 2022 was ₹61,521.92 crore comprising of paid-up equity capital of 1,035.53 crore and reserves of 60,486.39 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets). The book value of the share (Face Value 2) was 118.97 as on March 31, 2022

Provisions towards Retirement and other benefits

During FY 2022, the Bank made provision towards contribution to gratuity (₹ 267.15 crore), pension funds (₹ 2387.40 crore), leave encashment, additional retirement benefits and other benefits (₹ 107.78 crore). Total provisions under these categories amounted to ₹2762.33 crore during FY 2022.

Dividend Distribution Policy

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹ 2.85 per share for the financial year ended March 31, 2022. The total outgo in the form of dividend will be ₹ 1,473.84 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals.

Management Discussion and Analysis

Global Economy

The global economy emerged stronger from the Covid-19 pandemic, lifted by pent-up demand and improvement in industrial activity. Further, fast pace of vaccination in many countries supported rapid normalisation of economic activity. GDP growth bounced back from a contraction of 3.1% in 2020 to 6.1% in 2021. The pickup in growth was led by Emerging and Developing Economies (EMDEs) where growth picked up to 6.8% in 2021. Within this group, developing Asia outperformed with GDP growth at 7.3%, led by strong rebound in GDP growth in China and India at 8.1% and 8.9% respectively.

Improvement was also seen in GDP growth in Advanced Economies (AEs), registering growth of 5.2%. This was led by a sharp rebound in GDP growth in the US at 5.7%. On the other hand, growth in Japan remained relatively muted at 1.6% while the Euro area rebounded by 5.3%. Even within Euro Area, GDP growth in France recovered to 7%, while Germany's GDP expanded by only 2.8%.

There was also significant improvement in trade volumes as global growth recovered. World trade volume rose by 10.1%. Here again, EMDEs outperformed, noting a much sharper rebound in trade volumes than AEs. Commodity prices too increased as demand picked up. Oil prices rose by 67.3% led by a pick-up in demand that was not matched by supply due the limited investments made by the oil producers during the pandemic time. Non-fuel prices too increased by 26.8% as supply-chain bottlenecks lingered. As a result, global inflation rose in 2021. Inflation averaged about 3.1% in AEs, and much higher at 5.9% for EMDEs.

Global growth outlook is once again on shaky grounds due to the Russia-Ukraine war. The war has led to a sharp rise in already elevated global commodity prices thus intensifying the inflationary pressures. This has prompted central banks in several countries to cut back on the expansionary monetary policy and turn increasingly hawkish. Debt levels remain at record-high levels in several countries. As a result, global growth outlook has become more uncertain, with risks tilted to the downside. Global GDP growth is projected at 3.6% in 2022. Importantly, growth in EMDEs is expected to slow down to 3.8% in 2022 led by Russia and China. Russia's GDP is expected to contract sharply by 8.5% as a result of the war and international sanctions on its crucial energy sector. In China, GDP growth is expected to moderate to 4.4% as recent flare-ups in the pandemic and resulting lockdowns, especially some in key industrial areas, threaten to derail industrial activity and put further strain on supply chains.

Growth in AEs is also expected to slow down to 3.3% in 2022 led by US, Euro Area and UK. Growth is expected to slow-down in the US as monetary support is withdrawn at a much faster pace. In Euro Area, countries such as Germany and Italy with large manufacturing base and higher dependence on Russian energy imports, growth is expected to slow down markedly. Even in UK, tight financial conditions coupled with high inflation is likely to keep growth muted. Global inflation is also expected to remain elevated at 5.7%.

Indian Economy

India's economy grew by 8.7% in FY 2022 compared with a contraction of (-) 6.6% in FY 2021. Apart from favorable base, improvement in consumption expenditure (7.9% against -6% in FY'21), investment (15.8% from -10.4% in FY 2021), exports (24.3% compared with -9.2% in FY'21) and imports (35.5% from -13.8%) have contributed the most. Ebbing of the third wave of Covid-19, resumption of economic activities and universal vaccination has supported the growth story. RBI had expected GDP growth at 9.1% in FY'22.

Industrial activity recovered on the back of low base to 11.3% in Apr-Mar'22 compared with a decline of (-) 8.4% in Apr-Mar'21. This was led by manufacturing sector which registered an

increase of 11.7% in Apr-Mar'22 (-9.6% in Apr-Mar'21). Mining and electricity activity also improved by 12.2% and 7.9% respectively for the same period. Services activity improved in FY22 on the back of higher GST collections, port cargo volume, rail freight, property sales and domestic passenger.

The revival in growth was also positive for the government as the fiscal deficit remained close to the budgeted number at 6.9% in FY 2022. The same for FY 2023 has been targeted at 6.4%. This was achieved mainly due to buoyancy in overall tax revenue which were higher under the revised estimates at ₹20.79 lakh crore in FY 2022 against a budgeted number of ₹17.88 lakh crore. Higher outlays on certain essentials like food and fertilizers could be achieved without any untoward pressure on the government finances.

While overall growth did rebound in FY 2022 on the back of favourable base, however the pace of improvement was dampened specially in Q4FY 2022 on the back of global supply chain disruptions on account of Russia-Ukraine war. CPI inflation moderated to nearly 5.5% in FY 2022 from 6.2% in FY 2021. However, in Q4FY 2022 it had accelerated to 6.3% compared with 4.9% in Q4FY21. It had also edged upwards beyond the MPC's upper tolerance band during this period. This was on account of supply related disruptions and surge in commodity prices across the globe. Build up in food inflation was visible in Q4FY 2022 at 6.3% as against 3.6% in Q4FY 2021. Even core inflation had edged up to 6.1% in Q4FY 2022 especially on the back of surge in crude oil prices and pick-up in demand.

The external situation was comfortable even though capital flows on account of FPI was strained in the face of the current account balance turning negative. Forex reserves, which is the summary indicator of all developments on this front increased by ₹40.6 bn to reach ₹617.6 bn as of March 25, 2022. The rupee, on a point to point basis, ended at ₹76.18 on 25th March 2022 compared with ₹72.40 a year back, thus showing a depreciation of 5.2%. This was in line with the depreciation witnessed across most currencies due to the strengthening of the dollar.

Going forward, RBI expects growth at 7.2% in FY 2023. The upside to these estimates stem from the uptick in private investment and boost to domestic demand, also for contact intensive sectors. However, uncertainty due to geopolitical developments with hardening of commodity prices, surge in crude oil prices along with spread of new and contagious. Covid-19 variants continue to pose a significant downside risk to these estimates.

Developments in Indian Banking

Credit growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) improved to 9.6% as of March 2022 from 4.6% as of March 2021. This explains steady rebound of the credit off-take. Industry registered a significant improvement at 7.1% compared with a contraction of (-) 0.4% last year. Across the board uptick was seen for industries with micro and small (21.5% from 3.9% in Mar'21), medium industries (71.4% from 34.5%) reporting a substantial increase. Large industry witnessed a turnaround from -2.5% in FY21 to +0.9% in FY 2022. Credit off-take to services sector reported an increase of 8.9% as of March 2022. Consumer loans too noticed an improvement with much higher growth at 12.4% as of March 2022 from 10.7% in March 2021.

Growth in deposits was slower in FY 2022 at 8.9% as against 11.4% in FY 2021. While growth was higher in FY 2021 due to the pandemic where household's preferred the safety of bank deposits, the stock market book in FY 2022 did shift household funds to the equity segment as well as mutual funds where expected returns were perceived to be much better in an environment of low interest rates.

During the year the repo rate remained unchanged at 4%. The overnight MCLR came down marginally from 6.55/7.05 as of March 26, 2021 to 6.45/7.00% as on March 25, 2022. The term deposit rate for deposit of above 1 year averaged 4.90/5.50% and 5.00/6.0% respectively. The 10-year Gsec rate increased by around 50 bps from 6.32% to 6.83% during this period. The interest rate environment can be viewed against the background of central government borrowing of ₹11.27 lakh crore in FY22 (₹13.70 lakh crore in FY21) and gross state government borrowing of ₹6.70 lakh crore (₹7.78 lakh crore) in FY 2022.

There was also substantial improvement witnessed in the asset quality of banks which improved to 6.9% as of September. PSBs had a ratio of 8.8% and private banks 4.6%. The annualized slippage ratio for the Banking system as of September 2021 was 3.6%.

In order to enhance liquidity and with the objective to revive sectors, RBI had extended its on tap TLTRO scheme until Dec'21. Further, RBI had also provided fresh support of ₹50,000 crore to All India Financial Institutions (AIFIs) for new lending. It was also suggested to extend the Priority Sector Lending classifications for lending by banks to NBFCs to Sep'21 as this will ensure credit availability towards the following sectors-Agriculture, Housing and MSME. RBI has also extended to continue to enhance the interim WMA limit for states, so as to help them to manage their finances after facing difficulties during the pandemic, till Sep'21.

RBI had created an on-tap liquidity window with tenors of up to 3-years with objective to boost liquidity and separate window for contact intensive sectors was also proposed at repo rate till Jun'22. In order to facilitate credit transfers, NACH (National automated clearing house) will be made available throughout the week.

RBI enhanced the limit on e-RUPI vouchers issued by Governments to ₹1,00,000/-per voucher from ₹10,000 earlier, and also allowed its use multiple times. To help finance MSMEs, the NACH mandate limit for TReDS settlements was raised to ₹3 crore. Transaction limit for payments through UPI for Retail Direct Scheme and IPO applications was also raised from ₹2 lakh to ₹5 lakh.

The overall performance of your company should be viewed against this background.

EASE 3.0

EASE reforms agenda has contributed immensely towards the Bank's journey in achieving efficiency and ease of operations in almost all areas of operations, helping in providing an enhanced experience to its customers.

The action points under each phase of EASE Programme envisaged deep-rooted transformation in approach and building new capabilities.

In Government of India's EASE 3.0 index, Bank secured the "Second" position among all Public Sector Banks. As per the index, significant progress is seen in the Bank across five themes "Smart Lending for Aspiring India", "Tech-enabled ease of Banking", "Institutionalised Prudent Banking", "Governance and Outcome centric HR" and "Deepening FI and Customer Protection".

Bank ranked 'First' in categories of "Smart Lending for Aspiring India" and "Institutionalised Prudent Banking" under EASE 3.0 Index.

Bank secured the "second" place in 'Tech-enabled ease of Banking' and third place in 'Deepening FI and Customer Protection' categories under EASE 3.0 Index.

EASE 4.0

With innovative technologies & tools such as AI, Automation, data analytics and technical support services, critical back-end functions including document verification, background checks and seamless loan disbursals, making the process not only efficient, paperless and non-cumbersome, but also makes the customer feel in-charge of the entire process.

In Government of India's EASE 4.0 index, Bank secured 1st position for the first three quarters (Q1, Q2, & Q3) of FY 2022 among all the Public Sector Banks.

The Bank topped in the theme i.e. "Smart Lending for Aspiring India" for all the three quarters and improved the performance in the Theme "Governance and Outcome-centric HR".

Project BOB-NOWW: *The journey to shape the future Bank of Baroda continues*

Last year, Bank of Baroda embarked on a transformation journey - BOB-NOWW - to build an industry-first operating model through new ways of working and a reimagined retail network. Ever since, the project has successfully executed a variety of initiatives, bringing superior, tailored services to our customers, unlocking growth potential across businesses, and creating value for all our stakeholders.

The impact of these initiatives is captured below:

Unlocking business potential: The Bank is enhancing its business offerings across revenue lines with a special focus on Corporate and Wealth verticals. Marquee BOB-NOWW initiatives such as the Corporate Sales War room and Fee Booster Campaign simplified and speeded up processes within the Corporate Banking vertical, contributing significantly towards the 15% YoY growth in overall fee income this year. Next, the spotlight will be on the growing mid-corporate segment, where the Bank plans to strengthen its operating model, branch network and credit decision making process.

Meanwhile, the Wealth vertical closed the year with a 46% YoY jump in revenue at INR 317 crore, on the back of superior customer service and improved offerings in its Radiance business. Launching a central Digihub for remote support, a Sales War Room to drive the investment and insurance business and adding new talent further boosted customer-centricity and business focus.

Reimagined retail distribution network: Staying true to its vision of 'BOB everywhere', the Bank accelerated efforts to ramp up the total number of touch points, adding significantly to its BC network this year. As of March 2022, the total number of touch points grew to over 41,000, jumping close to 32 percent YOY. It also introduced new-age, compact and digital branch formats to offer seamless customer experience. Furthermore, the expanded BC network and revamped branches are being leveraged to allow easy accessibility to banking services such as home, auto and personal loans, credit cards, current accounts, etc., in rural areas.

Digital led experience: The Bank moved a step closer to its goal of digitizing critical banking services and processes, starting with the launch of 25 self-assisted customer journeys that enable faster and straight-through processing for transactions. It also piloted a video servicing solution for customers at its NRI centres and plans to soon introduce the tool at other touchpoints. Finally, several key offices have digitized certain approval processes through the paperless office initiative, bringing transparency and accountability to their operations.

New ways of working: Adopting digital channels allows for improved productivity and efficiency among the Bank staff and helps customers solve queries swiftly. To make this possible, several BOB-NOWW campaigns this year focused on adding customers to the Bank's flagship module app bob World. As a result, in FY 2022, the app added 1 Cr + customers, a feat achieved through successive campaigns and the collective efforts of branch employees and BCs. The total number of app activations presently stands at 2 Cr +, with a goal of reaching the 3 Cr + mark in FY 2023.

Business Performance

The highlights of business performance of the bank are as below:

Operating Performance

The highlights of operating performance of the bank are as below:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022
Interest Earned	70,495.06	69,880.78
Interest Expended	41,686.04	37,259.44
Net Interest Income (NII)	**28,809.02**	**32,621.34**
Other Income	12,933.97	11,483.95
Trading Gains	3,375.97	2,728.76
Operating Income (NII + Other Income)	41,742.99	44,105.29
Operating Expenses	20,543.66	21,716.44

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2022
Employee Expenses	11,445.53	11,978.84
Other Operating Expenses	9,098.13	9,737.6
Operating Profit	**21,199.34**	**22,388.85**
Provisions (Other than Tax)	15,643.33	13,002.41
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off	1,2407.71	1,4640.12
Provision for Standard Advances	2,158.03	-2,672.26
Provision for Depreciation on Investment	879.44	558.98
Other Provisions	198.16	475.57
Profit Before Tax	**5,556.00**	**9,386.44**
Provision for Tax	**4,727.05**	**62,114.16**
Net Profit	**828.95**	**7,272.28**

Key Performance Indicators	FY 2021	FY 2022
Cost of Deposits - Global (%)	4.01	3.52
Cost of Deposits - Domestic (%)	4.44	3.85
Cost of Deposits - International (%)	0.95	0.48
Yield on Advances - Global (%)	6.98	6.79
Yield on Advances (Domestic) (%)	7.83	7.61
Yield on Advances (International) (%)	2.48	2.18
Net Interest Margin - Global (%)	2.71	3.03
Net Interest Margin - Domestic (%)	2.79	3.09
Net Interest Margin - International (%)	1.29	1.47
Cost-Income Ratio (%)	49.22	49.24
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.07	0.60
Return on Equity (%)	1.50	11.82

The interest income of the bank stood at ₹69,881 crore during FY 2022. Interest expenses decreased by 10.6%, reached to the level of ₹37,259 crore during FY 2022. The Global cost of deposit decreased to 3.52% and Global yield on advances stood at 6.79% during FY 2022. The Global Net Interest Margin (NIM) improved to 3.03% during FY 2022 from 2.71% during FY 2021.

The cost of deposits in domestic book decreased to 3.85% and to 0.48% in the international book during FY 2022. The Yield on Advance in domestic book stood at 7.61% and in International book stood at 2.18% during FY 2022.

Net Interest Income (NII) for the Bank increased to ₹32,622 crore during FY 2022 from ₹28,809 crore during FY 2021.

Other income of the bank stood at ₹11,484 crore during FY 2022. The Fee income of the bank increased ₹6,409 crore, registered a growth of 12.6% during FY 2022. Recovery from written-off accounts stood at ₹2,510 crore, during FY 2022. Employee costs during FY 2022 was ₹11,979 crore whereas other operating expenses stood at ₹ 9,738 crore during the period. The Operating expenses of the bank stood at ₹21,716 crore during FY 2022. The Operating profit of the bank increased to ₹22,389 crore during FY 2022 from ₹21,199 crore during FY 2021.

Provisions for Non- Performing Assets (NPA) stood at ₹14,640 crore during FY 2022. The Bank posted a net profit of ₹7,272 crore during FY 2022 from ₹829 Crore during FY 2021, marked a growth of 777% on a YoY basis.

Resource Mobilisation **(₹ in crore)**

SL No	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022
I	Total Deposits	9,66,996.93	10,45,938.56
II	International Deposits	1,08,583.81	1,18,927.99
III	Total CASA	3,88,282.22	4,33,605.23
IV	Total Current Account Deposits	78671.42	88861.21
V	Total Savings Bank Deposits	309610.80	344744.02
VI	Global CASA %	40.15	41.46
VII	Domestic Deposits	8,58,413.12	9,27,010.57
VIII	Domestic CASA Deposits	3,68,027.57	4,10,122.92
IX	Dom. Current Account Deposits	61,609.03	68,779.64
X	Dom. Savings Bank Deposits	3,06,418.54	3,41,343.27
XI	Domestic CASA %	42.87	44.24

Global Deposits and Global CASA

Total Deposit of the Bank increased to ₹10,45,939 crore during FY 2022 from ₹9,66,997 crore during FY 2021, there by recorded a growth of 8.2% during the period. The International Deposit of the Bank also increased to ₹1,18,928 crore as on 31.03.2022 from ₹1,08,584 crore as on 31.03.2021, recorded a growth of 9.5% on a YoY basis.

The global CASA of the bank increased to ₹4,33,605 crore as on 31st March 2022 from the level of ₹3,88,282 crore as on 31st March 2021, registered a growth of 11.67% during the period. The global current deposit of the bank increased to ₹88,861 crore as on 31st March 2022 from ₹78,671 crore as on 31st March 2021, marked a growth of 12.95% during the period. The global Savings deposit of the bank increased to ₹3,44,744 crore as on 31st March 2022 from ₹3,09,611 crore as on 31st March 2021, recorded a growth of 11.35% during the period. The global CASA % to global deposit improved to 41.46% from 40.15%, increased by 131 bps, during the period.

Domestic Deposits and Domestic CASA

Domestic Deposit of the Bank increased to ₹927011 crore as on 31.03.2022 from ₹8,58,413 crore as on 31.03.2021, registered a growth of 8% during the period.

Bank's domestic CASA deposits increased by 11.4% and rose to ₹4,10,123 crore as on March 31, 2022. Domestic CASA ratio of the bank to the domestic deposit improved to 44.24% during FY 2022 from 42.87% during FY 2021, increased by 137 bps. Current Account deposits registered growth of 11.6% and reached to ₹ 68,780 crore, while Savings Bank deposits reached to ₹ 3,41,343 crore with an increase of 11.40% as on 31.03.2022.

Low cost deposit mobilization initiatives

During the FY 2022, Bank opened 1.18 crore new CASA accounts. Within this, the thrust was for opening accounts in paperless mode using Tablets (TAB) and increasing penetration of Video Based Customer Identification Process (VCIP) mode of account opening. Bank also launched New Products suiting to specific segments of customers viz. B3 DIGITAL ONLY SAVINGS ACCOUNT, BARODA SINGLE NODAL SAVINGS ACCOUNT FOR GOVT. BODIES. Extensive focus was given on Government business relationships and acquiring new accounts particularly SNA accounts of Centrally sponsored schemes across States - Bank has opened 169 SNA Accounts up to 31.03.2022. Special Emphasis was given for Increasing penetration of Key CASA enablers like POS, IPG& BCMS and activation of dormant account.

In Digital front, Bank has increased penetration of client acquisition through digital channels like VCIP, TAB & Digital ONLY accounts and during the FY 2022, 64,480 VCIP Savings Accounts, 34,134 B3- Digital only A/c were opened. Also out of 2,18,828 Current Accounts opened during the year, 1,35,469 Current Accounts (74.68% of eligible Current Accounts opened) and out of 53,89,352 Non FI Savings accounts opened during the year, 50,46,885 Non FI Savings Accounts (95.53% of eligible Non FI Savings accounts opened) were opened through TAB during FY 2022.

Bank's integration with the Ministry of Corporate Affairs Portal for opening Current Accounts of newly formed Companies has yielded opening of 5,591 current accounts during the year.

Bank has setup a separate Defence Banking Vertical headed by Chief Defence Banking Advisor in the Cadre of Retired Lieutenant General and ably supported by Deputy Defence Banking Advisors posted at key locations to penetrate the Defence segment.

Banking is leading from front in extending Door Step Banking Services through the PSB Alliance Door Step Banking Services. Bank has successfully completed 1,13,733 Door Step Banking service requests during FY 2022.

Baroda Cash Management Services

The Bank's cash management business, Baroda DigiNext, provides a wide range of Omni-channel digital solutions for Corporate and Government Customers for management of their cash flows and liquidity. Baroda DigiNext provides valuable information on real-time basis of all payments and receipts - electronic, cheques and cash deposits at all its branches. The solution is used in key Government initiatives like Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana, digitization of land records and Agricultural Produce Market Committee (APMC) collections. Bank of Baroda is amongst the only two major banks that are fully integrated with Integrated Financial Management and Human Resource Management System (IFHRMS) a key initiative for management of State Government treasury.

Baroda DigiNext Cash Management continues to rapidly expand its footprint acquiring a record 1,900+ new large corporate and government relationships in FY 2022. Over 4,800 large customers of the bank utilized Bank's cash management services for over 5.50 crore transactions during the year."

Credit Expansion

The global gross advance of the bank increased to ₹8,18,120 crore during FY 2022 from ₹7,51,590 crore during FY 2021, thereby registering a growth of 8.9% on YoY basis. The gross domestic advance increased to ₹6,84,153 crore as on 31st March 2022 from ₹6,41,076 crore as on 31st March 2021, there by marked a growth of 6.7% during the period. The growth in advance portfolio of the bank was supported by Retail loan segment (organic) which increased to ₹1,40,399 crore, grew by 16.8%, Agriculture which increased to ₹1,09,796 crore, grew by 10.3%, MSME segment (organic) which rose to ₹96,863 crore, grew by 5.4% on a YoY basis. Within Retail Portfolio, personal loan at ₹9,748 crore registered a growth of 108%, Home Loans (organic) at ₹82,009 crore registered a growth of 11.3%, Auto loan (organic) at 25,130 crore marked a growth of 19.5% and Educational Loan at ₹6,731 crore marked a growth of 16.7% on a YoY basis.

The international gross advance of the bank increased to ₹1,33,968 crore during FY 2022, from ₹1,10,514 crore during FY 2021, there by registered a growth of 21.2% on a YoY basis.

The Bank was highly benefited from its focused effort on digital front to source additional business along with its branch banking business model. The Digital lending platform of the bank has a special focus to improve its business in Retail Loan, MSME and Agri segment. The Bank has digitalized the renewal process of small ticker MSME loans covering around 70% of Bank's portfolio by number. In Retail loan segment, bank has launched end to end STP process upto disbursement for personal loan up to 10 lakh using fully digital metrics. In Agri segment, the Bank has launched Digital journey for Gold Loan to provide enhanced banking experience of the customers. The BOB-BOWW, BoB World, digital lending platform (DLP), social media handles, whatsApp Banking, digital loan services, tie-up with major market players from different fields etc have helped the Bank to generate additional business and to increase its brand value & customer base.

Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 15 Corporate Financial Services (CFS) branches which manage approximately 84% of the total standard corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased to ₹3,00,693 crore as on March 31, 2022.

With revamp in approach towards corporate credit delivery, the risk profile of the portfolio further improved during FY

2022 as observed in the rating distribution of domestic credit portfolio as below:

Credit Rating Distribution*	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022
A and above	73%	78%
BBB	11%	10%
Below BBB	8%	6%
Unrated	8%	5%

**External Rating Distribution of Domestic Advances above ₹50 crore*

Total portfolio comprising of A and above in FY 2022 was 78% as against 73% in the previous year.

To provide relief to the borrowers impacted by COVID-19, Bank introduced various Guaranteed Emergency Credit Line (BGECL) Schemes in line with government schemes under which overall ₹1,682 crore was sanctioned to corporate borrowers and out of which ₹1,294 crore was disbursed as of 31st March 2022. Under Credit Guarantee Scheme for MFI, ₹1,067 crore was sanctioned and disbursed. Further, under Scheme for Financial Assistance to the project proponents for enhancement of ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st generation ethanol from feed stocks ₹635 crore was sanctioned and out of which ₹126 crore has been disbursed.

Target market approach

The Bank follows a target market approach which has the following features:

- Identification of industries / sectors for growth based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, government policies and investment outlay.
- Sector-wise business plan for target market lending, based on exposure caps, existing exposures and further appetite for fresh acquisitions.
- Detailed account planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.
- The Bank focuses on overall yield from the customer rather than interest income by offering ancillary services like supply chain finance, value chain finance, CMS facility and other retail products.

The Bank also plans to set up Mid Corporate branches across the country for quick processing of corporate proposals and tap the opportunities available in the Mid Corporate Segment.

MSME Credit

The MSME portfolio of the Bank stood at ₹1,00,131 crore (excluding TWO) as of March- 2022. The Bank added 2.55 lakh MSME customers during FY 2021-'22. Bank implemented various schemes to provide liquidity support to MSMEs affected by COVID-19 pandemic and to improve Bank's MSME business in general, some of such initiates are as follows;

1. ECLGS: Bank sanctioned ₹14,864 crore and disbursed ₹12,587 crore under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) till 31st March 2022.
2. Credit Outreach Programme: As per the initiative of DFS, the Bank had launched Credit Outreach Programme on Pan India basis from 16th October to 30th October, 2021, with 18 mega outreach Programmes conducted at various locations in UP, Rajasthan, Gujarat and Daman & Diu where our Bank is SLBC / UTLBC convener. During the programme period (16.10.21 to 30.10.21), the Bank sanctioned MSME loans to 17,282 beneficiaries amounting to ₹1,185 crore.
3. MSME Utsav campaign: The MSME Utsav campaign started in the month of October 21 concluded on 31st March 2022. The details of the business mobilised by the Bank during the campaign are as under;
   - Added 12,026 number of New to Bank (NTB) clients in our fold with an approximate disbursement of ₹ 8,610 Crore, out of which 10,328 NTB clients were canvassed with ticket size of less than ₹1 crore.
   - Also 9,795 numbers of MICRO New to Bank customers have been added during this campaign.
4. Agreement with PAISALO Digital Limited:
   - The Bank has entered into a co-lending pact with non-banking financial company Paisalo Digital to provide small-ticket business loans to women entrepreneurs & MSMEs.
   - The partnership will provide access to small-ticket finance for income generation to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and women entrepreneurs.
   - The Co-Lending arrangement will leverage Bank of Baroda's low cost of funds and credit assessment expertise, combined with Paisalo's rule engine-based loan origination and underwriting capabilities. This will be done with the help of an end-to-end digital platform for sourcing, servicing and recovery of small-ticket income generation priority sector loans.
   - 232 sanctions have been conveyed to beneficiaries amounting to ₹1.12 crore at the time of launch.
5. Analytics-based and technology enabled canvassing of MSME business from existing MSME customers: Under this initiative, customers who are availing only term loan facility, were pitched for CC/OD accounts through our dedicated outbound contact center executives. We have done cross selling of working capital facilities to 307 existing Term loan customers to the tune of ₹162.17

crore. We will be going for cross selling of Term loan Facility to existing Working Capital customers through similar process.

6. PMMY loans are sanctioned through Digitalized mode.
7. Bank entered into MoU with Tata Power for financing solar power systems up to 2 MW, used by MSME units
8. Area Specific Scheme has been launched for Small Scale Distributed Solar Power Generating Units in the State of Gujarat.
9. Bank introduced 'Baroda Energy Efficient Project (BEEP) finance' scheme based on MoU with SIDBI for World Bank assisted 'Partial Risk Sharing Facility (PRSF) for Energy Efficiency Project'.
10. MoU with National Small Industries Corporation - As per this MoU, NSIC shall provide MSME leads to our Bank and Bank have to share 50% of its processing fee with NSIC only for the cases where loan is sanctioned to the borrower.

Bank has a specialised vertical for supply chain business for providing liquidity support to various constituents with high focus on MSMEs. Bank's supply chain business is a supply chain solution to extend short term working capital finance on a digitized and automated platform, providing real time alerts, reports and end-to-end automated reconciliation.

The on-boarded limits for MSME segment stood at ₹1,464.45 crore out of total limits of ₹2,601.45 crore under Supply Chain Finance portfolio as on 31st March 2022.

Retail Credit

The retail assets of the bank increased to ₹1,50,253 Crore as on 31st March 2022 from ₹1,32,564 Crore as on 31st March 2021 thereby posting an overall growth of 13.34%. Organic Retail Loans (excluding portfolio purchase) increased to ₹1,40,399 Crore, an increase of 16.75% over the previous year. Retail assets formed 21.82% of domestic advances as on 31st March 2022.

The key highlights of retail business in FY 2022 include:

- Bank's Mortgage-based loan book (Home, Mortgage and Rent Receivables) stood at ₹106844 Crore as on 31st March 2022.
- Within Retail segment Organic Auto, Education and Home loans posted an increase of 19.49%, 16.74% and 11.25% respectively.
- Personal Loans Book of Bank increased at 108.07%.
- Bank opened 9 new Specialised Mortgage Stores (SMS), with that increased to 135 SMSs as on 31st March 2022. These stores are located all across the country to deliver specialised and faster mortgage-based retail credit delivery.
- During the financial year Bank opened 9 new Education Loan Sanction Cell (ELSC), with that increased to 11 ELSCs as on 31st March 2022, to focus on Education Loan in key cities.
- Bank has commenced DST channel to fulfil leads for increase in Retail Loans.
- Bank has Tie-up with Centrum Housing Finance Limited (CHFL) for Co-lending in Home & Mortgage Loan.
- Bank has partnership with Maruti, Hyundai and OLA for generation of vehicle loans leads through integration with their portal.
- Customers can now apply for Retail Loans i.e. HL, AL, ML and EL Loan against deposit loans through Website, Net Banking & Mobile Banking channels.
- Developed special scheme specific product under various Govt Programme i.e. PMAY, Electric Vehicle, Student Credit Card, Defence Personnel.
- Under the Digital Lending platform, in-principle approval for retail loan products such as Home loan, Personal loan and Auto loan is now being done online. Bank is offering end-to-end online Micro & Mini Personal loans upto ₹50,000 & ₹5,00,000 respectively to its liability customers. Baroda Personal Loan to Government Employees Salary Account customers and pre-approved loan for liability customers were launched during the year.
- Revamped Education loan scheme in line with IBA model scheme with added features.
- Revamped other Retail Loans and made them more competitive and customer friendly.

Rural and Agricultural Lending

Bank has a network of 8,168 domestic branches of which 4,927 rural and semi urban branches are leveraged fully for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances increased to ₹1,09,796 crore as on 31st March 2022.

Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in 1 Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 67 districts across the country.

Bank continues to be the leader in lending to agriculture sector which received an impetus with the Government's vision of "Atmanirbhar Bharat". The Bank has moved beyond granting simple farm credit to a more diversified rural lending strategy to encourage capital generation to farmers and build a robust infrastructure in agriculture and Animal Husbandry. We are focusing more on newly introduced products such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme (AHIDF), PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME), Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evem Utthan Mahabhiyan Scheme (PM Kusum), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme (PMMSY) and compressed biogas products.

Bank continues to focus on its flagship products like Kisan Credit Card (KCC), Gold Loans, Farm mechanisation (Tractor loans), Horticulture loans, Financing to Self Help Groups

(SHGs), Financing to Farmer Producer Organisation (FPO)/ Farmer Producer Company (FPC), Hi-tech Agriculture and Food and agro-processing. During the year, the Bank has issued 2.75 lakh new KCC of which 0.80 lakh Animal Husbandry and Dairy (AHD) KCC issued to farmers engaged in animal husbandry and fisheries activities under the ambit of KCC mechanism. As part of its microfinance initiatives, Bank has credit linked 92,615 SHGs by granting loans amounting to ₹ 2,782 crore during FY 2022.

Bank is encouraging tie ups with various Government agencies like State Rural Livelihoods Mission (SRLMs) and other private partners to enhance credit linkage of SHGs. To improve Turnaround Time and to enable hassle free instant Savings Bank Account opening for SHGs, TAB banking has been introduced from 01.01.2022 onwards. In Tractor loans, rate of interest has been linked with LTV of Tractor for the convenience of farmers. In Digital Front, we have introduced digital journey for Gold Loan to farmers and in-principle sanction journey for Kisan Credit Card.

Bank has introduced Centre for Agriculture marketing and Processing (CAMP), a dedicated centralized centres for processing of agriculture loans with a special focus on non-traditional and high value Agri advances. In the first 5 months of its inception CAMP has sanctioned loans to -10216- farmers amounting ₹952.85 crore.

Bank has organised its unique annual customer outreach programme "Baroda Kisan Phakwada" in the month of October aligning with "Credit Outreach" Programme promoted by Government of India. Total of 7,623 events were organised during the "Baroda Kisan Pakhwada" in which 1.59 lakh farmers were participated. Under Credit outreach programme Bank has sanctioned ₹3,660.88 Crore to 1,75,722 farmers under various agricultural products.

Priority Sector Lending

Priority sector advances of the bank increased to ₹ 2,60,818 crore during FY 2022 from ₹2,49,196 crore during FY 2021, marked a growth of 4.66 % on a YoY basis. Bank achieved the mandatory targets under all the categories of Priority Sector Lending segments as on 31st March 2022.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (SC/ST) communities went up to ₹ 14,469 crore as of 31st March 2022. The SC/ST communities accounted for 19.87% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Further, special thrust being laid by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India. Bank is exploring possibilities of entering into tie-ups with various State Rural Livelihood Missions (SRLMs) for providing finance to women SHGs to further the mission of women empowerment.

Gold Loan

Bank's gold loan portfolio increased to ₹29,316 crore as on 31st March 2022 from ₹23,593 crore, by registering a growth of 24.26% on YoY basis. Within gold loan portfolio, Agriculture gold loan grew by 24.25% to ₹27,946 crore in FY 2022 from ₹ 22,492 crore in FY 2021. Retail gold loan increased to ₹1,371 crore in FY 2022 from ₹1,101 crore in FY 2021, registered a growth of 24.52%. During the year, the Bank has added 363 new gold loan disbursing branches taking total number of Gold Loan designated branches to 5,601 in FY 2022 from 5,238 branches in FY 2021. The increase in spread of Gold loan designated branches across the country with share of geographies other than southern parts stands at 25.18% in FY 2022 as compared to 22.65% in FY 2021. The number of Women beneficiaries of gold loan accounts increased to 8,13,502 in FY 2022 from 6,91,029 in FY'21, added 1,22,473 new such accounts during the year. The contribution of Agri Gold Loan in total Agriculture advances increased to 25.14% in FY 2022, which was at 22.30% in FY 2021. Average ticket size of gold loan increased to ₹1.46 lakhs in FY 2022 from ₹1.36 lakhs FY 2021. Average amount of gold loan per branch increased to ₹5.23 crore in FY 2022 from ₹4.51 crore in FY 2021. Credit quality of Gold Loan portfolio remained healthy with GNPA ratio of 0.26% as on 31st March 2022.

During the financial year the Bank has launched Digital Gold Loan with In principal sanction approval to the customers. The Bank has also launched Gold Loan eligibility calculator based on carat wise gold jewellery on our Bank's website for existing as well as prospective customers. The Bank has introduced Aatmanirbhar Women Scheme exclusive for women customers, in order to increase women beneficiaries in gold loan segment.

Financial Inclusion (FI)

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through BC model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branch and BC network. With the advent of technology, innovative steps are being taken for serving in unbanked areas. Bank expanded its BC network by additional 16,018 BCs to 39,338 BCs as on March 31, 2022 to cater to rural, semi urban and urban areas across the country. The Bank took the following initiatives towards promoting financial inclusion:

- Enabled Micro insurance enrolment through various channels such as missed call / net banking / mobile banking/ SMS/ BC / branch. Introduced online claim lodgement and settlement facility for both PMJJBY & PMSBY in association with the Insurance Partners.
- Introduced new services at BC point viz., printing of self-service pass books, NEFT, TD renewal, online lead generation for Agri, MSME, retail assets, Credit cards & Retail liabilities.
- Bank is one of the implementing Agencies of BC Sakhi project of Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission (UPSRLM).
- Bank has signed MOU with RBIH (RBI Innovation Hub) as a scale up partner for its 'Project Swanari' that is intended to encourage women startups.

Performance highlights under financial inclusion during FY 2021-22

- Basic Saving Bank Deposit (BSBD) accounts increased by 56.48 lakh (9.57%) and deposits increased by ₹ 4,342 crore (18.46%).
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased by 59.92 lakh (12.13%) and PMJDY deposits increased by ₹ 3,977 crore (21.34%).
- The Bank's share in comparison with PSBs stood at 15.60% for PMJDY accounts and 17.42% for deposits under PMJDY accounts.
- The zero balance PMJDY accounts of the Bank increased to 5.75 % as on 31st March 2022 as against 5.30% as on 31st March 2021.
- Enrolments in micro insurance during the financial year increased by 52 lakh numbers and reached to 3.12 crore as on 31st March 2022.

Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda

The Bank sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) namely Baroda U.P. Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank in the state of Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat respectively. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 1,33,080 crore as on 31st March 2022 from ₹1,23,427 crore as on 31st March 2021. The three RRBs together posted a net profit of ₹ 594 crore during FY 2022, increased by 84.47 % as compared with net profit of ₹ 322 crore during FY 2021. The net worth of these RRBs put together improved to ₹ 4,986 crore as of 31st March 2022 from the level of ₹4,289 Crore as of 31st March 2021.

Stressed Asset Management

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and in ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages. Bank has strategies to touch each and every NPA account in a scientific manner. Hence Bank has created special skill set under an Apex Vertical 'Stressed Assets Management Vertical', at Corporate Office. In this vertical -5- Stressed Assets Branches (SAM) were set up with special skill set to cater all accounts under National Company Law Tribunal (NCLT), -16- Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at zonal level were established to handle NPA accounts other than NCLT with outstanding balance above ₹5 crore. These Branches are under direct supervision of corporate office to reduce TAT. Further -66- Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at Region level were established to handle NPA accounts with outstanding balance above ₹ 50 lacs to ₹ 5 crore.

Under Govt of India Digital Initiative, Bank has taken several steps for end to end digitalisation of the entire recovery and monitoring procedure without paper movement and Real Time basis. In this connection,

1. "QLICK" It picks several data points from FINACLE on real time basis without manual intervention and calculates Days Past Due (DPD) Report, NPA Movement Chart and Mock Runs - for forecasting daily degradations.
2. "ILMS" Mobile app and Desktop based portal which is an online repository of entire NPA a/cs irrespective of amount. It provides online 360 degree live monitoring of accounts without any manual intervention, like SARFAESI status, DRT/NCLT status, Provisioning, Daily Recovery, lawyers performance analysis and online submission/ sanction of OTS.
3. An application called One Time Settlement Tracking System has been implemented wherein customers can initiate settlement proceedings online. Bank has developed Automated Collection System (ACS) Mobile application - for taskforce staff on the field to collect the amount based on allocation of the accounts in the system and also update recovery details. Bank has an automated early warning system to identify the stress at the earlier stage so as to take timely remedial measures to address the stress and has a robust collection mechanism.
4. A new e-auction platform, eBkray was used for sale of properties under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI) & banks success rate under SARFAESI is 38%.
5. Several Digital initiatives are under process like Geo tagging, TAT analysis etc.

The movement of NPAs during the last two years is as under:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2021	FY 2022
Gross NPA	66,670.99	54,059.39
Gross NPA (%)	8.87%	6.61%
Net NPA	21,799.88	13,364.64
Net NPA (%)	3.09%	1.72%
Additions to NPAs	20,005.12	14,255.33
Recovery/ Upgradations	7,290.05	8,448.15
Write offs including TWOs	14,877.64	17,966.81
Recoveries in write off accounts	2,985.00	2,510.00
Provisional Coverage Ratio (including TWO) (%)	81.80%	88.71%
Provisional Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	67.30%	75.28%

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

(₹ in crore)

Asset Category	FY 2021	FY 2022
Standard Advances	6,84,919.17	7,64,061.10
Gross NPA	66,670.99	54,059.39
Total Gross Advances	7,51,590.16	8,18,120.49
Gross NPAs comprising		
Sub-standard	15,056.08	5,280.47

Doubtful	35,526.49	31,512.32
Loss	16,088.42	17,266.60
Total Gross NPA	66,670.99	54,059.39

Bank believes in Nation Building by extending hands to stressed entrepreneurs through restructuring as per RBI guidelines.

In order to address the large number of small NPA accounts, Bank continued with its special One-Time Settlement (OTS) scheme "Lakshya-II - MSME, Retail and Agriculture" for settlement of NPAs in these segments and "Rin Chukaao Shaan Se Jio" for settlement of NPAs in Doughtfull, Loss, PWO accounts. The Bank recovered and upgraded NPA accounts amounting to ₹ 285 crore & ₹ 370 crore under these schemes.

To have better and targeted monitoring mechanism & reduction in SMA - I & SMA - II accounts of large corporate are being monitored by Stressed Asset Management Vertical to find out the resolution and exploring all prospects of recovery, up gradation.

International Banking

The Bank has 94 overseas branches/offices across 17 countries comprising of 41 overseas branches/offices (including 1 International Banking Unit in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, India, 9 EBSUs in UAE and 1 Mobile Banking Unit in Mauritius), 53 branches of the bank's 7 overseas subsidiaries. In addition, the Bank has one Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and one associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with 30 branches.

The Bank has presence in the world's major financial centers of New York, London, Dubai, Singapore and Australia. In the international arena, Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin.

Looking into the available business opportunities, Bank has also diversified the advances portfolio by taking exposure on Non-India related syndication loans in the primary and secondary market. Also, various new products have been launched to broaden the product basket.

Bank has a wholesale branch in GIFT City (SEZ), Gujarat, India which is treated as an offshore banking unit and has chosen the branch as a center for business growth taking into consideration the immense business potential, tax advantage, Government initiatives etc. Bank has taken various proactive steps in creating world class infrastructure for the branch in IFSC including state of the art dealing room for International treasury of global standard at GIFT city.

Further, in overseas centers, substantial progress was made in IT up gradation for end-to-end business solution, with a focus on digitization and centralization, to improve productivity and customer experience. Bank is continuously integrating multiple platforms of technology to generate synergies.

In line with directives of Government of India, Bank has strategically undertaken rationalization of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. As part of this exercise, during the year, Bank had closed its operations in Hong Kong and South Africa. The Bank is continuously consolidating and re-organising its International Operations in line with the new global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

As of 31st March 2022, the Bank's total business (net) from international branches was ₹2,42,702 crore and constituted 13.31% of the global business. Total deposits were at ₹1,18,928 crore while net advances were ₹1,23,774 crore.

Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state of-the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets such as foreign exchange, interest rates, fixed income, money market, derivatives, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

Treasury maintains the regulatory requirements of CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) and manages the surplus/ deficit funds. Treasury borrows/invests in money market and capital market instruments as part of fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of 31st March 2022 stood at ₹ 3,04,062 crore. The share of SLR securities in total investments was 82.71%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to Net Demand and Time Liabilities (NDTL) as of 31st March, 2022 was at 21.93%. The Bank capitalised on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained yields on total investment for FY 2021-22 at 7.26% (including profit on sale). During FY 2022, the profit on sale of investment and foreign exchange earnings were ₹ 2,702 crore and ₹ 714 crore respectively.

Government Business

The Government Business Vertical is an important part of the bank's strategy. It caters to the Banking requirements of Central/State Government and PSUs across India.

We handle payment of Central Government and State Government pensions, postal transactions, Treasury/sub-Treasury transactions, Public Provident Fund scheme, Senior Citizens' Saving Scheme, Sukanya Samriddhi Yojana, National Pension System, Atal Pension Yojana, e-Kisan Vikas Patra, RBI bonds, Direct Tax collection (CBDT), CBEC, ESIC, MHFW, GST, e-stamping and Sovereign Gold Bonds.

We also facilitate opening of Accounts of various State/ Central Government organizations and helps in mobilizing CASA deposits for the Bank. We also focus on offering various services such as onboarding of our customers to GEM portal, PFMS etc. which in turn helps us in establishing new relationships and canvassing CASA.

Our Bank is an accredited banker to the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Legal Affairs.

Our main focus is on providing the allied services i.e. on boarding of Govt. departments on PFMS Portal, canvassing Govt, CASA accounts, monitors all the branches conducting Government business and provide endless support to their queries and address their doubts. We are constantly motivating all the branches through various Campaigns to fetch in more business.

Appreciations from Government bodies;

a) Bank has received appreciation letter from Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) Government of India for the commendable efforts in various Atal Pension Yojna (APY) campaigns launched in Q1 & Q2 FY 2022.

b) Bank has received appreciation letter from Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA), Government of India for exemplary performance in Atal Pension Yojna (APY) enrollments in FY 2022.

c) Bank has also received appreciation letter from the Ministry of Panchayati Raj, Government of India for outstanding performance. Ministry of Panchayati Raj recognized our performance on the basis of feedback regarding swift redressal of issues from the users and technical team for PFMS integration.

Wealth Management

FY 2022 has been a pivotal year for the Wealth Management business in transitioning from a business unit focused on cross selling to a Strategic Business Unit focused on growing its Asset under management (AUM) across various business lines and this pivot is expected to yield positive results for the business in FY 2023.

We are focussed on growing our Wealth Management Business within the guardrails of regulatory compliance. In FY 2022, Premium mobilisation in life Insurance for the year ended 31st March 2022 was ₹982 crore, growing by 45 percent over the year. In the Non-Life insurance space, your Bank along with its five Non-Life insurance partners introduced new and innovative products and increased customer offerings. Various business driving forces have been brought into effect in terms of increased manpower resources. Employees across channels have been trained on the new products and processes. Premium mobilisation in General and Health Insurance grew by 11 per cent over the year earlier to ₹490 crore. In Mutual Fund segment, the AUM stands at ₹8,352 crore with growth of 44 percent.

A comprehensive transformation journey under the aegis of BONOWW project was undertaken for the Baroda Radiance premium banking segment. The Bank tripled headcount of dedicated Baroda Radiance Relationship Managers with fresh hiring of professionals to enhance coverage and value across the segment. Refreshed Baroda Radiance 2.0 value proposition was rolled out for Radiance Customers offering cutting edge, comprehensive and competitive products and services. Investment products like Portfolio Management Services (PMS) as well as Alternate Investment Funds (AIF) have been launched for Baroda Radiance customers.

Baroda Radiance business model has undergone a major overhaul with various capabilities built and introduction of business enablers. The Bank also embarked upon an ambitious digital journey and has initiated the process of tying up with advanced digital technology service providers with an objective to extend seamless digital platforms to customers and the frontline staff to facilitate end to end wealth management solutions. We aim to leverage our technological capabilities and our holistic offerings of wealth management products and services to create value for our customers.

Digital Banking products

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World, BHIM Baroda Pay, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers(SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

bob World

During the year the Bank launched an upgraded mobile banking application with new features and services christened bob World. bob World activation increased substantially during FY 2022 to 101.54 Lakh from 49.87 Lakh during FY 2021, thereby registering a growth of 104% during the period. Financial transactions on bob World also increased to 1,483.94 lakh in FY 2022 from 1,226.21 lakh in FY 2021, grew by 21% during the period. The Non-Financial transactions increased by 76 % to 21,931.55 lakh in FY-2022 from 12,430.51 lakh in FY-2021.

Debit cards

The Bank has an active card base of 7.45 crore as on March 31, 2022, an increase of 14%. To increase e-commerce / POS transactions and to make Bank's debit card as the preferred card of choice for the customer, the Bank tied up with various merchants for providing lucrative offers to debit card customers. Within a duration of six months (from October 2021 to March 2022), a total of 26 campaigns were launched with various popular merchants such as Xiaomi, Zomato, Myntra, EaseMyTrip, Yatra, Ajio, Tata CLiQ, Croma, Amazon, Snapdeal etc..Bank has during the year also launched BCL co-branded NCMC platinum card in the month of Sept'21 and issued 15.58 lac cards by 31/3/22. The Bank's platinum card base has increased to 81 lacs as on 31/3/22 registering an increase of 165% over the previous year.

Baroda FASTag (National Electronic Toll Collection - NETC)

Bank issued 2.01 lakh FASTag in FY 2021-22. Bank's FASTag is now available to BOB customers through bob World mobile app. Customers can even apply FASTag for commercial vehicles through Online mode".

Bank has onboarded and issued FASTags for the buses of Kerala State Road Transport Corporation in FY 2022.

Bharat Bill Payment System (BBPS)

Bharat Bill Payment System (BBPS) is an interoperable platform for repetitive bill payments which offers real time bill payment services to customers. BBPS is an RBI initiative product and managed by NPCI. Our Bank is authorized as Customer Operating Unit and Biller Operating Unit for facilitating BBPS services.

- Customer Operating Unit (COU): During FY 2022, Bank has on-boarded M/s Any Time Money Pvt Ltd as an Agent Institution (AI) for facilitating bill payment services to their customers.
- Biller Operating Unit (BOU): Bank has on-boarded following billers in the FY 2022 for facilitating their bill collections :
  - Puducherry Local Administration Department
  - Silvassa Municipal Corporation
  - Stree Nidhi Credit Cooperative Federation Ltd., Telangana
  - Mira Bhayandar Municipal Corporation

ATM

Our Bank is having the wide network of 9,845 ATM and 1,642 Cash re-cycler as on 31st March 2022 with very user friendly screen to navigate under 8 languages Hindi, English and local language of place of deployment offering a smooth experience for our customers in their day to day banking operation. Our ATMs are enriched with features such as green pin generation, National Electronic Fund transfer, Cash on mobile services where customer can withdraw money from ATM without using Debit card etc. Now Bank is shortly launching the facility where customer can withdraw money using UPI QR services (ICCW) of Bank. Similarly, the new facility of interbank cash deposit using Bank's Cash Re-cycler is also going to be launched soon by Bank.

Internet Payment Gateway (IPG)

The Bank's IPG infrastructure was set up to provide an electronic payment platform, Baroda e-Gateway for its customers to enable them to collect payments through their own website / e-commerce business by enabling payment collection using credit card/ debit card, UPI and net banking. Bank is also having the Paypoint facility through which we provide the complete ERP solution to the merchants and can on board the merchants not having website. To provide a seamless and customisable service, Bank tied up with 16 aggregators and 4 master merchants and onboarded around 3,100 merchants. Bank achieved a growth of 55% in IPG merchant on-boarding in FY 2022.

BHIM Baroda Pay:

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect requests which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. During FY 2022, financial transactions (outward) under UPI (P2P & P2M) rose to ₹ 250 crore, an increase of 100%.

- **UPI International:** UPI International is jointly developed by National Payments Corporation of India (NPCI) and NETS (Network for Electronic Transfers) of Singapore for promoting QR based payment through UPI application in Singapore Dollar (SGD). The account shall be debited in INR but the amount paid to the merchant will be in SGD. Presently, Bank is live as an issuer. The same facility is also enabled for Bhutan, Nepal and UAE.
- **GST payments through UPI:** In a momentous decision to promote digital payments in Business to Customer (B2C) transactions through Dynamic QR Code, Government of India laid down guidelines for Goods and Services Tax (GST) enablement in UPI. It was mandated that corporate merchants with annual turnover of ₹500 crore and above, have to follow QR code provisions for Dynamic QR Code invoicing solution with GST components to customers. Acquired merchants of the bank can avail the facility of Dynamic QR Code with GST components. BHIM Baroda Pay application is compliant with the GST related changes and can scan the GST enabled QR Code, decode and provide the requisite information required by NPCI in request message.

Baroda Connect:

During FY 2022, Bank has successfully on boarded many new customers on its internet banking platform. The total number of Internet Banking users of the bank increased to 88.09 lakh from 76.80 Lakh during FY 2021.

Baroda TabIT:

The Bank embarked upon digitising its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with host of services (Personalised Cheque Book, Personalised Debit Card, Mobile Banking with MPIN, SMS Alert, Internet Banking and Mobile Banking registration in SB and Current account, UPI etc.) through its TAB banking platform - Baroda TabIT. Bank opened more than 50 lakh savings account and 1.48 Lakh Current accounts through this platform during the year. The TAB on-boarding platform is now extended for FASTag issuance, Debit Card & Vyapar Card Issuance and on-boarding of merchants for availing UPI QR. The TAB platform is now also extended for generating leads for Bhim Adhaar, Credit Card and POS (Individual and non-Individual).

WhatsApp Banking:

Based on the inputs and feedbacks received from various stakeholders'. On 11th Feb, 2022, we have launched the Phase-2 functionalities under New Digital Delivery channel WhatsApp Banking for our customer and non-customers of the bank. Gist of the new functionalities are given as under-

1. CBS/ Digital Channel based services:
   - Account Statement
   - Disabling of UPI

- Account Blocking (Debit freeze)
- Disabling Debit Card for Domestic Transactions (POS/ECOM/ATM)
- Disabling Debit Card for International Transactions (POS/ECOM/ATM)
- Tracking of Cheque Book request
- WhatsApp Banking Registration/Deregistration Functionalities
- OTP validation for critical services (Cheque Book request, Debit Card Blocking, Disabling Debit Card for Domestic/ International transactions, Registration/De-Registration WhatsApp Banking and Disabling of UPI)

2. Baroda FasTag:
   - Tag Balance Inquiry
   - Mini Statement (Tag Transactions)
3. Wealth Management Services (Both customers and non-customers): Wealth Management Services (M/s IndiaFirst Life Insurance) will be provided using redirection to respective business partner's WhatsApp Business Account.
4. Other Facilities (Re-directional):
   - MSME Banking Product
   - Agri loan and Services
   - Agri Loan Feature
   - Apply for Agri Loans
   - Baroda Kisan
   - bob World cross marketing text with link on main menu
5. Digital loan Services (Re-directional):
   - Personal Loan
   - Auto loan
   - Home Loan
   - Mudra loan
6. Introduction of WhatsApp Banking in Hindi Language: We have introduced our WhatsApp Banking option and customer journeys in Hindi for customer convenience and promote usage of our official Language.
7. Extended WhatsApp Banking services to International numbers of selected countries (19 countries)

- In addition to the above, we have developed a Push notification API for integration with various channels as per the requirement.
- We have also initiated Marketing campaign during Diwali by sending messages on awareness of Bank of Baroda Debit Cards and bob World application.
- Extension of Digital B3 Accounts under WhatsApp Banking has been deployed and made live in production.
- Admin portal of WhatsApp Banking has been made live, which is having modules for Admin and customer care.
- As on 31st March 2022, approx. 1.6 lacs cheque request has been submitted successfully.
- WhatsApp Banking User registration -

Year	Number of Users registered on WhatsApp Banking (in lacs)
FY 2021	6.16
FY 2022	14.04
Total registration	20.2

- WhatsApp Banking Transactions -

Year	Number of WhatsApp Banking Transactions (in lacs)
FY 2021	47.8
FY 2022	207.5

8. Digital Lending

As the world transitions into the new normal, technology has become an essential factor in our productivity and efficiency. As technology took the front seat, customers started to seek services that did not require them to travel, particularly for their routine banking needs. This evolving landscape of customer preferences led us to build Digital Lending Platform (DLP).

The Digital Platform is helping Bank to cater to existing customer borrowing needs and acquire new customers from diverse segments using digital means, enter new and hitherto untapped markets, and add a prominent digital dimension to Bank's brand identity.

The platform is empowering the borrower to complete the end-to-end loan process from lead, to sanction, and to disbursement in a few clicks with minimal including mandatory documentation using contactless and paperless process from the convenience of their homes/ office, eliminating the need to physically visit the Bank's branch.

At the core of this digital lending platform, fintech are playing a pivotal role in revolutionizing credit ecosystem by creating alternative lending channels that offer significant advantages to both Bank and borrowers.

Bank of Baroda has been ranked 1st for Digital Lending by Govt. of India for adoption of PSB Reforms EASE 4.0

Initiatives of Digital Lending to improve Bank's business portfolios;

MSME Segment:

- Bank has digitized renewal process of small ticket MSME loans covering around 70% of Bank's portfolio by number. This has brought in significant benefits in terms of operational efficiency, process standardization and better monitoring. We are well on track of digitally renewing 1 lakh cases during this Financial Year and at least 50% more in the coming year.

- Bank has launched straight through process journey for sanctioning Mudra Loans up to 10 lakh using fully digital metrics. This initiative is expected to drive significant value in the coming years in terms of quality MSME business.

Retail Segment:

- Bank has launched end to end Straight-Through Processing (STP) upto disbursement for Personal Loan up to 10 lakh using fully digital metrics.
- Further analytics are used to understand customer's behavior and account information, thereby offering pre-approved personal loans to existing customers through end-to-end digital journeys.

Agri Segment:

- Bank is working on STP digital journey for BKCC in selected states which are having progressive digitization of agri land records. The journey involves integration with Agritech's for fetching of land record and risk analysis of the farm data.
- Bank has launched Digital Journey for Gold Loan to provide enhanced banking experience to the customers.

Analytics Centre of Excellence (ACoE)

Bank are continuing extending the data and breadth of analytics use cases for different business verticals. Bank have integrated multiple external data sources to get deep insights of our customers. We have also rolled out multiple analytical use cases related to cross -sell, up-sell, forecasting, Early Warning Signals etc. to generate revenue and optimise the efficiencies.

Information Technology

- Bank has successfully upgraded CBS international-Finacle 7x to 10x for all 18 territories, additionally re-architected the infrastructure for better availability and performance.
- Bank has successfully completed the amalgamation of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (e-KGSGB) and major CBS cross platform migration of erstwhile Purvanchal Bank (e-PB) to Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (BUPGB).
- Bank has successfully implemented multiple government sponsored schemes like IFMS Integration, Single Nodal Account (SNA) for managing of funds through PFMS under the umbrella of Centrally Sponsored Schemes (CSS).
- Bank has upgraded the Integrated Global Treasury application for Front, Mid and Back office with augmented hardware and latest operating system
- Bank has revamped the BoB World mobile banking platform with enhanced user interface, state-of-the-art design, and ease of use. Presently there are 235+ services covering almost all banking services.
- Bank has enhanced the tablet based assisted banking platform for on boarding and servicing Customers Bank. Bank is the first in the industry to introduce assisted journey for opening of SHG Accounts.
- Bank has introduced Chatbot, a cognitive assistant designed for providing customer support to Bank's International Centers at Uganda, Kenya, Botswana, Mauritius, UAE and Tanzania.
- Bank has enhanced the WhatsApp Banking services for providing better customer service experience with 18 services.
- Bank has revamped the Internet Banking application for International Centers with various enhancements and also provided various customer centric features like Green PIN, Cash on Mobile for International centers.
- Bank has augmented the infrastructure to sustain load of all applications based on the present volumes, future projections for 3-5 years.

Cyber Security

In today's world, new risks emerge every hour of the day. Increased risk of cybercrime has led to a focussed approach to mitigate the emerging cyber risk. Monetary and reputational risks are high and have been mitigated with appropriate Cyber Security Policy and Cyber Security Crisis Plan. The Bank has a well-defined Cyber Security Governance framework in place that is operated through a combination of management structure, policy framework and operational controls. The Bank follows both NIST (National Institute of Science and Technology, USA) Cyber Security Framework and RBI Cyber Security Framework.

In addition to the existing checks and controls, Bank undertook the following measures to enhance cyber security:

- Deception Technology, which aims at preventing cybercriminals who have managed to infiltrate network from doing any damage to the Bank.
- Regular Random Early Detection (RED) team exercise carried out to provide valuable and objective insights about vulnerabilities and the efficacy of defenses and mitigating controls already in place.
- Cyber Insurance Policy from a reputed insurance provider to protect business and individuals from Internet-based risks and frauds.
- Data Leak Prevention (DLP) ensures that no confidential information is leaving the Bank network. Data leakage prevention is helping in application monitoring, email monitoring, malware protection and user access control.
- Network Access Control (NAC) is helping Bank in providing restricted access to computing resources. It provides visibility, access control, and compliance that are required to strengthen network security infrastructure.

Marketing

The Bank launched its flagship digital sub brand 'bobWorld' on the occasion of its 114th Foundation Day in the month of July. The launch was done through first of its kind 360 Degree pre-teaser campaign followed by a teaser and the mega launch campaign with Bank's brand endorser Ms. P V Sindhu, Indian International badminton player, at its face. Ever since the launch throughout the year there has been constant & continued thrust on the sub brand bobWorld through various campaigns.

Apart from the flagship bobWorld campaign, with the onset of festive season and opening up of markets, other products campaigns such as Home Loan, Car Loan, MSME loans, Online SB Account Opening etc were also run during the year. Bank also celebrated 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' during anchor month (February 2022) on Pan India basis with special focus on SLBC states (Gujrat, UP and Rajasthan).

Bank signed Indian Cricketer Ms. Shafali Verma as its brand endorser. It is a welcome result of her consistent outstanding performance in the women's Cricket for India. Bank has a history of associating with ace athletes and sportspersons as its brand endorsers and being a crucial part of their journey. The Bank continuously supports the youth of the country through its various banking and non-banking initiatives and this association reflects the Bank's ethos of adding value to its customer experience by choosing youth-icons like Shafali to inspire them. Further, Ms. Shafali's personality resonates grit, determination and dependability which reflects the Bank's brand ideologies.

Ms. Shafali has created various records, one of which is when she became the youngest woman cricketer to play for India in her debut game against South Africa. The youngest Indian to top any ICC list, Ms. Shafali is hailed as one of the promising talents to watch out for in Women's Cricket.

On the digital front, Bank fortified its digital marketing efforts for business conversion leveraging on the digital journeys rolled out for Home Loan, Car, Loan, Personal, Loan, Mudra Loans etc.

The Bank continued to have its impactful presence across the media spectrum reaching out to its customers through electronic, radio, digital, and events. #BOBGreenRideWithMilind was one such initiative in collaboration with fitness icon Milind Soman. Overall, the initiative proved to be yet another benchmark in the Bank's contribution toward a healthier tomorrow held this year in a hybrid avatar. The Bank has always advocated the might of knowledge acquisition and learning in youth and millennials and Jaipur Literature Festival an iconic annual literary festival, was one of the perfect opportunities to champion the same.

Further strengthening our presence across our digital marketing channels, we rang in the festive season during Diwali urging our customers to gift their loved ones as per their choice using compare & shop options on our mobile banking application - bobWorld. Bank has been associated with Olympic star PV Sindhu for over 5 years now and launched the second edition digital IP #SmashItWithSindhu2 wherein she interacted with her fans and also giving a sneak peak into bob World, describing it as super-fast and convenient.

The details of Bank's social media presence are as below:

Social Media Channels	Statistics(No of likes/Followers) as on March 31 2022
Facebook likes	21,53,983 +
Twitter followers	3,95,000 +
YouTube Subscribers	1,03,937 +
LinkedIn followers	1,73,605 +
Instagram followers	2,14,473 +
Quora Views (started on 1st Jan 2022)	27,459 +

As the Bank continues to leverage new age digital marketing and create an equilibrium between the physical and digital marketing, the objective is to be an aspirational brand which engages, empowers and educates digital audience by providing relevant content and fulfill banking needs by constantly analyzing, measuring and improving experience, response and capabilities.

Corporate Ethics

In our pursuit of joining the international ranks of the most respected organizations in terms of ethical conduct, our Bank formally established the Corporate Ethics function on 10th August 2021, with the objective of developing a strong ethical culture that leads to building better trust with employees, customers and other stakeholders. Ethical conduct needs to be reinforced in everything we do and a well-defined ethics framework will go a long way in enhancing employee engagement, job satisfaction, organizational commitment, brand equity and trust.

The Corporate Ethics Department receives guidance and support from the leadership of the bank, as well as an Apex Level Ethics Committee, formed from a cross-section of the entire Barodian workforce with various representations like gender, function, geography, caste, cadre, sports, PWD, ex-servicemen and international geographies, with a mandate to embrace inclusiveness and collaboration as central themes. One of the most powerful strategies for ensuring the success of our ethics agenda is developing effective channels of communication and towards this endeavour, a quarterly in-house journal - "Baroda Sanskriti" - was launched on 1st January 2022 with contributions from the employees. Further, regular quizzes, competitions and digital communications from the Corporate Ethics Department also ensure better awareness of ethics.

The Bank is soon going to launch 'Our Code of Ethics', which will be a milestone for us in our journey of ethics and a landmark initiative for a Public Sector Bank in the country. We are proud to be amongst the pioneers in adopting a Code of Ethics and devising an institutional mechanism for handling ethical concerns and issues in the organization. The Code has been structured on a stakeholders' based approach with the employees at the centre as the ultimate owners and drivers of culture. There is a strong alignment of the Code of Ethics with our Core Values and the Code

sets out a guiding framework for how we behave with our colleagues and stakeholders and our expectations from those who work with us.

The Banking industry has seen a lot of challenges with the changing times but amidst these, ethics and trust remain at the core of the industry on any given day. Bankers face ethical dilemmas in their day to day working, and it is therefore important to have some markers and a guide to taking the right decisions at work. The Code gives us the strength to do what is "RIGHT" and will help to enhance our Bank's brand and reputation.

The Code of Ethics has been benchmarked with peer organizations from around the world. Webinars and dedicated training programmes planned for all staff members will ensure that the Code of Ethics is cascaded to all employees and strengthen the culture of ethics and transparency in our Bank. By creating a corporate culture that encourages employees to behave ethically and speak up against unethical practices, we expect our organization will be able to deliver powerful Environment, Social and Governance (ESG) outcomes that addresses the interests of all our stakeholders.

Customer Service

The Bank constantly endeavours to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and service delivery that are imperative to providing seamless experiences to its customers. Customer interactions are continuously monitored across channels and channel capabilities (functionalities and the user experience) were enhanced to ensure ease of banking from home which has become the need of the hour due to the pandemic. The Bank ensured that frequently used functionalities by customers were made available through digital channels and contact centre. The 24*7 contact centre has the capability to connect with customers in their preferred language. Apart from Hindi and English, the language capability was increased to nine regional languages. The contact centre handled more than 4.31 crore customer calls during the year. To assess customer satisfaction levels across segments various surveys are conducted by the contact centre. Customer Grievance Redressal System (a module of the CRM package) with time bound auto escalation, options to attach documents, provide feedback on resolution quality and reopen complaints is now widely used by customers. During FY 2022, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances. Approximately 92.43% of the grievances were resolved within the pre-defined turnaround time. The Bank not only focussed on improving the quantitative performance indicators of grievance redressal but also on improving the quality of resolution to improve customer satisfaction. Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping/service audits and workshops. The General Manager, Operations and Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all zonal heads and regional heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. Further, the names of respective nodal officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of the bank. The Bank has appointed an Internal Ombudsman which is a forum made available to customers for grievance redressal prior to approaching the Banking Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsman for review. This enhances the customer confidence in the Bank's systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it more transparent.

The Bank's code of commitment to customers and MSME's, citizen charter, grievance redressal policy, and banking ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies. At the Board level, the subcommittee of Board for Customer Services addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of compliance with same with the aim of consistent improvement in the quality of customer service. The subcommittee also analyses the feedback received from customers through Voice of Customers and compares the Bank with its peers on various parameters to enhance the customer experience. During FY 2022, the Bank ensured that ramp facility (wherever possible), comprehensive notice boards (displaying relevant and updated information), special queue for senior citizens were available in the branches, ATMs and e-lobbies. Branches also underwent a facelift and were designed to enhance customer experience through better ambience, increased seating area with special focus for senior citizens and the differently abled customers.

The Bank has also launched its ChatBot "ADI" on its website. ADI assists customers in navigating through various pages of the website while providing an interactive experience to the customers. Few features of "ADI" are instant response to our customers' queries, convenient to chat, available 24*7, digital assistance, seamless chatting experience. Bank has also tied up with TrueCaller services for outbound sales calls. This means that whenever a call is made via an authorized phone no. of the bank, Bank's Logo and a "blue-tick" will be visible to the customers on their phone screens, thus assuring the customers that the call is genuine. This will also prevent customers from falling prey to frauds.

The Bank has also implemented Queue Management System (QMS). It is a crowd management tool. The customers need not crowd at the counters and instead wait for their turn in more relaxed/comfortable position. QMS revolves around Customer Service as the MIS has various outputs to gauge the average waiting time, average serving time. It has been installed in 1,266 branches across India.

Bank has also implemented Online Dispute Redressal (ODR) mechanism for speedy resolution of online transaction relate complaints. Also, blocking of Baroda Connect facility has been extended via Interactive Voice Response System (IVR) in contact centre.

Branch Network

As of March 31, 2022, the branch network of the bank is as under:

Domestic Branches	March 31, 2021		March 31, 2022	
	Number of Branches	% Share in Total	Number of Branches	% Share in Total
Metro	1,794	21.84	1,766	21.62
Urban	1,478	17.99	1,475	18.06
Semi Urban	2,090	25.44	2,083	25.50
Rural	2,852	34.72	2,844	34.82
Total	8,214	100.00	8,168	100.00
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	96		94	

The Bank opened new 9 domestic branches and merged 55 branches with existing branches during FY 2022.

Currency Chests

The number of currency chests stood at 141 as on 31st March 2022. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches are provided with Note Sorting Machine (NSMs) as per RBI guidelines.

Risk Governance and Internal Controls

The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identification, measurement, monitoring and controlling of risks as well as ensuring that risk-taking activities are in line with the Bank's strategy and risk appetite. Often referred to as the "three lines of defence", each of the three lines has an important role to play. These are:

i. First line of defence - This comprises of the Business verticals and Operating units, as they are required to own and ensure the effective management of risk and compliance with regulations, Bank's policies and guidelines.

ii. Second line of defence - This comprises of the risk control owners, the risk management function and compliance function. It is responsible for identifying, measuring, monitoring and reporting risk on an enterprise-wide basis independently from the first line of defence.

iii. Third line of defence - An independent assurance is provided by the internal audit function by conducting internal risk-based and other audits. The reviews provide assurance to the Board that the overall governance framework, including the risk governance framework, is effective and that policies and processes are in place and consistently applied. The role of audit function is defined and overseen by the Audit Committee of the Board.

Risk Management and Compliance

Risk Management and Compliance is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by on- board specialists in the area. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

Basel III Framework

The Banks risk management framework rests firmly on the three Basel pillars, i.e Pillar I- Capital Adequacy, Pillar II- Supervisory Review and Pillar III-Market Discipline. The Bank is strengthened by a healthy level of capital. The Bank maintains adequate levels of Common Equity Tier I, Additional Tier I and Tier II Capital including required Capital Conservation Buffer. Futuristic capital projection ensures that the Bank is always ready to raise additional capital from the market as per business necessity. The position of risk weighted assets is constantly under strong vigil by the credit risk and capital adequacy team. Adequate capital and rationalised risk weighted assets ensures strong Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) for the Bank.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and Stress Testing Policy in place. Capital Adequacy is assessed considering Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, etc. and stressed conditions (under both normal and adverse scenarios) as per the extant guidelines. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is given below:

Enterprise Risk Management

The diversity of the Bank's business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines. All material risk appetite limits are approved within the overarching Risk Appetite Framework and are adequately hedged. The Bank is constantly endeavouring to create a strong risk culture by imparting trainings to the employees at all levels.

Climate Risk

Climate change risk has become a crucial challenge to the financial industry, of late. The Bank is committed to reduce the impact of climate change risk and is consciously working towards sustainable development of its banking operations so as to achieve the economic development while maintaining

the quality of environmental and social ecosystems. As a policy matter, to reduce the greenhouse effect, the Bank does not finance borrowers for setting up new units producing / consuming Ozone Depleting Substances (ODS) and small / medium scale units engaged in the manufacturing of aerosol units using Chlorofluorocarbons (CFC) which enables reduction in greenhouse effect.

Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

Bank uses various Internal Credit Risk Assessment Models and scorecards to assess borrower-wise credit risk. Various Credit Risk models for internal credit ratings of the borrowers were developed in-house. They are reviewed and back tested through comprehensive validation including external validation. Bank has recently upgraded its Internal Credit Rating system to bring in efficiency and strong data management system.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers to manage credit concentration risk. The Risk Management Department carries out detailed reviews on sectoral exposure, credit concentration, rating distributions and migration. The Bank has developed in-house models for Country Risk assessment and State Government exposure model for assessing the riskiness of the borrower by assessing various parameters and exposure caps are fixed considering the riskiness estimated by these models.

Bank's experience in internal ratings over the years has enabled to obtain the regulator's approval for running the foundation internal rating-based approach (F-IRB) approach of credit risk under Basel II guidelines from 31st March 2013. Under the IRB approach, banks develop their own empirical model to quantify required capital for credit risk. Bank has well established models for awarding internal rating to the borrowers and these models are calibrated and validated periodically by dedicated internal team as well as external agencies

The Bank has implemented 'Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)' framework for corporate credit exposures for evaluating credit risk exposures from the point of 'economic value addition' to the shareholders. The Bank has also implemented Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Risk Scoring Model for independent risk-based review of the credit proposals by risk vertical of the bank, including classification of credit proposals into high/ medium/ low risk along with risk decisions of go/ no go.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market risk positions.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors interest rate risk in its trading book through risk limits like duration, modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Individual Gap Limits (IGL), Aggregate Gap Limits (AGL) and total Aggregate Gap Limit (TAGL) on a daily basis. Equity price risk is measured and monitored through VaR limits and portfolio size limits, etc. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented as per the extant guidelines of the Bank. Mid-Office also conducts back testing of the VaR numbers on a daily basis. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis. Risk-return analysis of treasury trading portfolio is also conducted on a quarterly basis. The market risk capital charge for the Bank is computed by mid office as per the Standardised Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis. The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) is worked

out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity.

Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organisation. ORMF comprises of the organisational structure for management of Operational Risk, Governance Structures, Policies, Procedures and Processes whereas ORMS consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk.

The Bank has a web based Operational Risk Management System for data capturing and for systemic and integrated management of Operational Risk. In our endeavour to use the best of technology, we have procured a web based Operational Risk Management System SAS GCM for Operational Risk Compliance & Governance.

Monitoring of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk & Control Self-Assessment Programme (RCSA) and Root Cause Analysis of various loss incidents strengthen the control environment. The Bank created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management. Ongoing review of products and processes in the light of the changing business environment further strengthens the risk culture.

In order to ensure operational resilience, Bank has a well-defined Policy on Business Continuity Planning. BCP enabled the Bank to ensure minimum disruption during the COVID-19 pandemic and the natural disasters which occurred during the year. Risk Culture in the Organisation is being ingrained across the gamut of employees through the Training System.

Business Continuity Plan

Bank has a detailed and effective Business Continuity Plan (BCP) in place for ensuring continuity of operations and rendering customer service at the Branches and Offices during disruptions. The same could be witnessed when we rose to the challenge of delivering uninterrupted banking services amid wide ranging restrictions following the outbreak of COVID-19 pandemic.

With regard to this, quick response teams and help desks have been setup at Corporate Office/Head Office and all our Administrative Offices. Staggered working hours / Team 'A' and Team 'B' concept / work from home is being followed as a part of proactive Business Continuity Plan. Bank also arranged vaccination camps and quarantine centres in association with various hotels for the safety and proper medical care of the employees. Further, foreseeing the impact and extent of pandemic crisis, the Bank has taken all precautionary initiatives to ensure continuity in day to day operations. The Bank has ISO 27001:2013 certified Data Centre and Disaster Recovery site. Bank's Disaster Recover site is capable of handling the CBS and other functions of the bank in case of any disruption at Data Centre.

Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as other regulatory guidelines issued from time to time. It also ensures adherence to the Bank's internal policies and fair practices code. The Bank has a robust compliance system including a well-documented compliance policy, outlining the compliance philosophy of the bank, role and set-up of the compliance vertical, composition of its staff and their specific responsibilities.

The compliance function advises senior management and the Board on the position of Bank's compliance with applicable laws, rules and global standards and keeps them informed of developments in the area. It also educates employees about compliance issues by conducting periodic training and workshops for business staff and designated compliance officers. Knowledge management tools for this purpose have also been uploaded on the Bank's website. The Bank has implemented a web-based compliance management solution for certification and monitoring of various regulatory, statutory and internal guidelines at each level in the Bank for further strengthening the compliance function. The Bank has also automated the process for obtaining information from the "Insiders" as defined in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Code of Fair Disclosure and Conduct.

Domestic Compliance

Amongst several activities, the domestic compliance function conducts on-site compliance test checks on more than 73 parameters on KYC-AML guidelines and other parameters of compliance through Regional Compliance Officers (RCOs) by using web based tool - Onsite Compliance Testing and Reporting System. As many as 25% of branches are randomly selected on a quarterly basis. Bank conducts on-site compliance audit of various functions on half yearly basis. Off-site compliance test check of around 50 parameters on issues related to KYC/AML guidelines and other parameters of compliance is carried out on a monthly basis through the web based tool - Offsite Compliance Reporting and Monitoring System (OCRMS).

An annual group wide compliance plan is prepared and regular monitoring is carried out for ensuring adherence to the plan. Additionally, compliance risk is assessed annually and a risk-oriented activity plan is developed for compliance assessment.

In the process of capacity building, the Bank imparted training to all compliance officers and nominated officials to various external training programmes conducted by reputed institutions on latest developments in the areas of compliance. In order to promote professionalism, the Bank encouraged staff members to pursue professional courses from reputed institutes like Indian Institute of Banking and Finance (IIBF), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) etc.

There were no significant incidents reported during FY 2022 relating to compliance failure.

International Compliance

The compliance function is also having an oversight on the compliance of overseas territories and subsidiaries for which an International Compliance (IC) unit headed by a Deputy General Manager is set up. IC monitors the compliance of overseas centres through an automated compliance monitoring tool. Additionally, the IC also provides support on the AML-KYC function of overseas territories and subsidiaries for which an experienced and skilled team is available in the unit.

As part of new initiatives IC has implemented automated compliance monitoring tools Tasc+, Cermonxt and TestChk through which monitoring of monthly compliance certificates, offsite test checks, Annual Compliance Plan, Regulatory/ Non-Regulatory issues and AT₹on various internal/external audits, inspections and examinations is being carried out. The automation is being used to not only monitor how effectively the compliance processes are being implemented but also to identify areas where new standards and controls may need to be applied or existing ones be improved along with identifying any potential breaches. Additionally, the tools will help in generating appropriate MIS and maintaining historical data for all overseas territories and subsidiaries.

Apart from the above, the IC has also developed an AML-Compliance Risk Rating Matrix for risk categorization of the respective overseas centres based on the levels of compliance and AML-KYC standards. Further, to apprise the Board of the adequacy of the AML-Compliance function, the IC carries out off-site test checks of CBS and AML systems to exercise oversight on the territories and subsidiaries. Data is sourced from respective IT teams, analysed and anomalies observed are shared with the overseas centres and necessary guidance for remediation of gaps is provided to the Compliance officers.

The IC also arranges trainings for overseas centres in co-ordination with the Apex Academy on various compliance matters like KYC-AML/CFT standards, transactions monitoring, sanctions screening, offline alert monitoring, etc. and ensures adequate and timely trainings are provided to minimize risks, maintain reputation and benefit employee productivity in the long run.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this policy, KYC norms, AML standards and CFT Measures and obligations of the bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank has elaborate systems to generate Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). The Bank electronically files Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit organizations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to FIU-IND, New Delhi on its portal every month within prescribed timelines. The Bank established a Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place an AML Solution for monitoring and detection of unusual transaction patterns in customers' accounts and generation of system based transaction alerts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorization (money laundering risk categorization) of customers' accounts is done on a half yearly basis. Re-KYC of all eligible customers is done on half yearly basis after carrying out money laundering risk categorization exercise, as per extant guidelines of the RBI. For this purpose, the Bank has developed automated process for identification and generation of notices/ sending SMS/email to such customers to notify them for submission of requisite KYC documents.

The Bank implemented Central KYC (CKYC) process for registration of newly on-boarded individual customers' KYC information on Central KYC Registry. CKYC number was allotted to 439.86 lakh customers as of March 31, 2022.

The Bank has also implemented Video based Customer Identification Process (V-CIP) as an alternate method of establishing the customer's identity for on boarding new Tax Resident Indian Individual customers.

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division (CIAD) is responsible for Internal Audit. CIAD administers various streams of audits besides Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches and offices. The Audit Committee of the Board oversees overall internal audit function and guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other audit functions of the bank. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and Internal Audit Department in the Bank.

CIAD operates through 18 Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal audit of branches/offices as per the periodicity decided by the Risk Based Internal Audit Policy. All branches of the Bank are covered under Risk Based Internal Audit. The summarized risk perception of all 8,167 branches & SITB (Specialized Integrated Treasury Branch) for FY2022 are as under:

- 7340 Branches (89.87%) were in Low Risk
- 704 Branches (8.62%) were in Medium Risk
- 119 Branches (1.46%) were in High Risk
- 0 Branches (0.00%) were in Very High Risk
- 4 Branches with no rating (New Branches)
- SITB was in Low Risk

The Bank had engaged an independent firm as a knowledge partner for comprehensive review of Audit function in-line with the processes focusing on centralisation of activities by use of technology, imaging solutions and digitisation. The audit transformation process was completed and audits under the revised approach have now stabilized over the period.

Credit Monitoring

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the Bank and

minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to further ensure that the credit assets remain in standard category, endeavour made for up-gradation of identified stressed accounts/ watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from Standard to NPA category. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness/ potential default/ delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:-

Early Warning Signal: A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and External Data (MCA, CIC etc). The alerts generated helps the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution help the Bank in early identification of fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts with appropriate resolution/ action.

CRILC Reporting: Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps, such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's guidelines, stressed accounts with credit exposure of ₹ 5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on a weekly basis.

Analytical Dashboard: Bank has devolved various analytical Dashboard for identification stressed accounts (Viz SMA Dashboard, Future Demand Dashboard, Collection efficiency Dashboard, Technical stress Dashboard for focused monitoring.

System based prediction of Asset Classification (SASCL): A predictive program is identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/QIS statement over three months, insufficient/ no credit in CC accounts etc. This triggers focussed timely corrective action to prevent downgrading of such accounts. These accounts are monitored specifically by various operational units for minimizing the slippage of standard assets.

Credit Process Audit: Credit Process Audit (CPA) is to ensure compliance of pre and post disbursement terms of sanction terms/ covenants, wherein it is audited whether the disbursing officer, before parting with the Bank's funds, has taken all necessary measures for creation/ perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. This facilitates prompt corrective action, wherever required, without waiting for the regular Audit/ Inspection, which usually takes place with a time lag. CPA is integrated with the core system Finacle to monitor it on real-time basis.

Stock Audit: We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/ preventive steps wherever warranted. The stock audit is applicable for standard advance accounts having working capital exposure of ₹1 crore and above. It is required to be conducted annually for such accounts with exposure below ₹5 crore, while for accounts of ₹5 crore and above, it is on a half yearly basis. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the Bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels.

Daily marking of NPA: The Bank has migrated to daily marking of NPA as per RBI guidelines to have better transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening compliance level.
- Bank has appointed Agency for Special Monitoring (ASMs) for specialized monitoring in accounts of ₹ 250 crore & above for verification of transaction monitoring, inspections etc.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared as fraud, in RBI's CRILC platform.
- The Bank has also digitised the stock and book Debt statement submission, which is real time and user friendly.
- The Bank has also initiated many tools in credit monitoring for robust monitoring like GST, ITR & Statement analyser for analysing the strength of the business.

Vigilance

The Vigilance administration in the Bank is professionally managed and an integral part of management function. It promotes clean business transactions, professionalism, productivity and ethical practices apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions. The Bank has a very strong and transparent Vigilance Administration headed by Chief Vigilance Officer who oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines from the Central Vigilance Commission. Participative / Proactive & Preventive vigilance are the important functions of Bank's vigilance administration.

The vigilance machinery in the Bank also imparts knowledge at all levels about vigilance functions, extends help to various disciplinary authorities and appointing authorities to act swiftly and correctly in examining issues arising out of frauds, complaints and serious irregularities pointed out in various inspection reports of branches/ offices.

The Bank has beefed up its vigilance setup at Zonal level to conduct preventive audit of all branches at regular intervals and to act proactively on information to control the damage at bare minimum level. The vigilance team shall focus on preventive measures.

The vigilance function in the Bank consists of three sections:

1. **Preventive Vigilance:** Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business, identification of sensitive posts and scrutiny of personnel posted thereon, ensuring observance of conduct rules, monthly meetings at branch level to discuss branch specific vulnerabilities, training programmes for staff, regular scrutiny of inspections and audit reports and circulars on preventive vigilance regularly issued and circulated by various business verticals were undertaken to reduce the number of vigilance cases.

2. **Detective Vigilance:** Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in the sensitive area to detect if there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking prompt scrutiny of annual property returns and take further action if called for, gathering intelligence from own source about the misconduct / malpractices, examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.

3. **Punitive Vigilance:** In addition to ensuring that employees at all levels indulging in wilful and mala fide transgressions of rules and provisions are not allowed to go unpunished, the Bank also ensures that bona fide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

The vigilance function in the Bank enables proactive decisions by stressing on strengthening systems and procedures through preventive vigilance administration. It also plays a major role in identifying and plugging loopholes and providing inputs to the top management in framing policies in fraud prevention. The turnaround time of disciplinary cases improved due to proactive communication which helped in motivating the employees with quick redressals.

Legal Service

The Bank has a vibrant legal department consisting of qualified and experienced legal officers. The main role of the Legal Department is to support and to provide assistance for various matters relating to Opinion, Documentation, Litigation, etc., referred by or in relation to various functional departments of the Bank. The department also provides support for references submitted by the various zones, regional offices, domestic and foreign branches, and subsidiaries of the bank on the matters related to legal aspects.

Further, in order to meet the digitalization of banking loan process, a set of documents for retail and SME facilities compatible with digital lending platform has been prepared which will enable Bank's customers to execute the documents through electronic means.

Additionally, the Department had launched the Advocate Portal, an online system that facilitates the process of empaneling, renewing, and even reviewing advocates' performance. In order to facilitate the faster process for vetting of loan and mortgaged documents by Law Officers, the Department is currently working on introducing a portal for this purpose that may facilitate the real time verification of loan documents and the correction of discrepancies, if any, prior to disbursement of funds and flawless record keeping that will enable easy retrieval when needed.

Human Resources

The Bank has a rich talent pool of over 79,000+ employees on its rolls. The Bank has been continuously undertaking multiple initiatives for strengthening and developing its human resources through various activities to increase employee satisfaction, recruitment of right talent, addressing the training needs of employees, employee engagement, taking care of health and wellness of the employees and capability building.

The Bank has always been a forerunner in adopting and innovating new concepts, practices and processes. At the core of all activities are 'PEOPLE' who are the key business enablers. Under the Bank's organisational transformation initiatives envisaging people, processes and systems, the Bank launched various innovative employee centric initiatives and has also undertaken activities to revamp key systems and practices.

Bank has always been recognized for its HR Policies and Practices in the industry. During the last few years, the Bank is in the limelight for receiving number of awards in recognition of its HR initiatives, reforms and excellence. During the current year, Bank has been certified as 'Great Place to Work' by 'Great Employers Pvt. Ltd.'. It is a gold standard recognition framework in assessing, enabling and recognizing work place culture in the organizations around the globe. With this certification, Bank has also made a distinctive mark as one of the organization with best and progressive HR practices in the country.

The following initiatives have been taken during the year which have had a direct and significant impact on Bank's performance:

Manpower Planning and Recruitment

The Bank has built a new scientific manpower planning model designed to estimate skill-based manpower needs at various levels. The model helps the Bank in taking key strategic decisions such as recruitment, deployment, promotions and trainings. During the FY 2022, The Bank hired a good number of specialised staff with expertise in niche and key focus areas to strengthen its capabilities in different domain areas.

Baroda GEMS "Growth and Empowerment Management System"

The Bank has put in place a scientific and objective driven Performance Management System (PMS) named Baroda GEMS, which ensures greater clarity of roles & expectations and is designed to suggest areas of improvement to employees as well. The platform provides recognition to meritorious Officers who have demonstrated extraordinary performance, while executing their duties.

This robust PMS paved the way for several waves of transformational initiatives, each intended to realise untapped productivity benefits:

- Scientific and personalised target setting with built-in market outlook
- INSIGHT, a first in the industry tool delivering personalised performance analytics and forward looking priorities for employees to get system generated feedback for improving their performance.
- Job family and career path design is an opportunity for employees to pursue a career based on their choice and enabling a focussed career path.
- 'Baroda Rewards for Individual & Team Excellence' (BRITE) is a holistic rewards and recognition programme that links performance to outcome.

Wellness and Fitness Drives

In addition to the Group Medical Insurance Policy, the Bank regularly conducts health checkup camps, fitness drives, yoga sessions, etc. to promote the health and well-being of its employees. Bank observed 'Wellness Month' during November 2021 under which preventive health checkups and fitness drives were conducted. More than 200 activities like Health Checkup, Eye/Dental Checkup, Blood Donation Camp, Yoga/Zumba Camps, and Webinars by eminent health experts were organized. 17,000+ staff members and 700+ family members have been directly covered.

Employee Assistance Programme

Bank introduced 'workplace counselling' called 'Employee Assistance Programme' (EAP). Under this initiative, employees can seek counselling support for any issues including anxiety, depression, stress, insecurity, fears, loneliness, loss of self-confidence, inter-personal relationships and communication issues, family problems, bereavement, any traumatic situation, disease (like cancer, etc.), addiction, motivation, personal development, work-life balance or any other issues which disturbs peace of mind.

During the FY 2022, 335 workshops were conducted to sensitize the employees on various aspects of mental, psychological and emotional wellbeing covering more than 79,000 employees. More than 900 counselling sessions were conducted helping 723 employees to overcome their issues related to their mental and psychological health. These counselling services were facilitated through multiple channels such as face-to-face counselling, phone-call and video conferencing, emails and chats.

'Voice of Barodians' - Employee Engagement Survey

As an organization with progressive HR practices, our Bank is open to employee suggestions and encourages constructive and honest feedback from all employees on a periodic basis. To facilitate this, Bank conducts 'Voice of Barodians' - Employee Engagement Survey, to understand the level of employee engagement and the opinion of the employees on various factors affecting the engagement levels. As per the outcomes of the latest 'Voice of Barodians-2021' survey, the overall employee engagement score for the Bank stood at 74% as against 63% in 2018, with an encouraging 11% increase in employee engagement levels vis-à-vis the previous survey.

Baroda Anubhuti Programme

It is an employee engagement programme designed to foster the spirit of team bonding and collaboration, camaraderie and creating a happy and fun workplace. Various initiatives like employee of the month, spot recognition-capturing 'WoW' moments, fun hour at all branches/offices, local community service/ social activities are undertaken to enhance the overall employee engagement levels. Mandatory community service programmes are carried out through all branches/ offices once in six months.

Response to COVID-19 pandemic

The Bank had geared up to address immediate issues of keeping employees safe, provide banking facilities to customers/ general public and maintain continuity of business operations. Some of the measures put in place by the Bank for providing timely help and support to the employees during the 2nd and 3rd wave of pandemic are detailed under:

- Provision of isolation rooms for COVID positive staff members in cities which were in severe grip of the infection and facing dearth of availability of hospital beds.
- Reimbursement of hospitalisation/ home quarantine expenses incurred by employees for COVID-19 treatment.
- Reimbursement of cost of vaccination by the Bank to employees and their dependent family members.
- Payment of lumpsum amount of ₹ 25,000 to COVID infected staff members for defraying the miscellaneous expenses incurred for treatment etc.
- Payment of ex-gratia/ additional financial assistance of ₹ 30 lakh to dependents of employees in case of fatality due to COVID-19.
- Scholarship up to graduation level for children of employees who died in harness due to COVID-19.
- COVID helpline put in place at Zonal centres and Corporate Office for enabling the employees/ ex-employees to reach out in case of any emergency/ clarification related to COVID.
- Bank provided 'Doctor-on-call' facility for all its employees for any concerns related to general health and wellness.
- One month gross salary paid as advance at "NIL" rate of interest to employees who were in dire financial assistance for treatment of COVID.
- Vaccination Drives were held by Zonal & Regional Offices in coordination with hospitals/ vaccination centres, local/ district authorities for immunization of staff/ their dependent members. More than 99% of the eligible employees have been vaccinated by the Bank.
- Vulnerable section of our employees viz. Disabled employees, employees suffering from chronic ailments,

respiratory issues, pregnant lady employees etc. were permitted to work from home/ granted special leave during the pandemic situation.

Learning and Development

The Bank always believes that learning and development plays a vital role in shaping the organisation's human capital. The Bank possesses a nimble and agile learning system. The pandemic enabled accelerated movement towards setting up of a robust digital training structure in the Bank which continues to cater to the learning and developmental needs of the employees.

The Bank's learning Management System, i.e. Baroda Gurukul's capabilities were harnessed to devise, deliver, and penetrate learning to all corners of the bank including its overseas centres.

During the year, emphasis was laid on development of simulation and games based learning owing to the latest developments in the learning pedagogy. Over 99% of the officer employees were imparted minimum 30 hours of training during the year through Apex Academy, 18 Zonal Academies and 4 Baroda Satellite Learning Units (BSLU's) along with eLearning through Baroda Gurukul.

Bank has also formulated Individual Development Plans for its Executives and has also taken various interventions for ensuring their continuous growth and development.

Ex-employees

In recognition of the invaluable services of our Ex-Employees, the Bank continuously strives to put in place measures to make the post retirement life of our retired Barodians, comfortable and hassle-free.

The Bank has put in place various measures for the welfare of its ex-employees. It has also arranged to provide Health Check-up facility to Ex-employees through health check-up facilitator, similar to that of existing employees, however at their own cost to help them monitor their health. The health check-up packages are carefully designed looking to the various categories of employees and considering their affordability and requirements

Bank has also appointed Zonal Nodal Officers for addressing the grievances of Retired Employees.

The Bank is fully prepared to migrate its Ex-employee portal to HR-Connect by the beginning of the next financial year. HR-Connect will provide one stop solution to its ex-employees to access various modules and facilities viz. Pension Pay Slips, PPO generation, Family Pension Conversion, Tax Computation, Holiday Home booking etc.

'We Lead' - Comprehensive Leadership Development Programme

As part of business transformation initiative, Bank embarked upon the second phase of WeLead programme named WeLead-II, for creating a robust and sustainable pipeline of leaders who are ready to take on leadership roles and play an instrumental role in driving the future growth of the bank.

WeLead-II assumed greater significance in the context of amalgamation, since an important component of the programme included cultural assimilation aspect of bringing high potential candidates from the -3- amalgamated entities.

The programme also focused on making the integration successful, realizing synergies, maintaining the pace of growth and becoming future ready organization. Around 1000 Executives in Scale-V and above have graduated from WeLead-II.

Reservation Cell

An exclusive cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for Scheduled Castes (SC) /Scheduled Tribes (ST) / Person with Disabilities (PWD) /Ex-Serviceman (Ex-SM) and Other Backward Castes (OBC) employees. Executives in the rank of General Manager are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD and ex-serviceman employees and OBC employees, respectively, who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from February 1, 2019, reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWS) in all exercises for direct recruitment in the Bank was implemented. The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PWDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in officer, (identified posts) clerical and sub-staff cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste category wise count as on March 31, 2022				
Cadre	SC	ST	OBC	Ex-SM
Officer	7334	3296	11984	574
Clerk	4581	2848	8222	2899
Sub staff	2690	919	2485	822
Total	14605	7063	22691	4295
% to total staff strength	18.55%	8.97%	28.81%	5.45%

Periodical Meetings: The Bank holds meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST (AIBOBSCST) Employees' Welfare Association and half yearly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' (AIBOBOBC) Welfare Association, for addressing their concerns.

Workshops and Training Programmes: Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/STs and OBCs at its various training academies:

- Pre-promotion training for SC/ST candidates.
- Workshop on reservation policy.
- Training programme on disciplinary proceedings.

Career Progression

Concerted efforts have been taken by the Bank for fostering career progression of employees for rewarding them for their performance and motivation. Horizontal movement of officers across different functions and overseas placements opportunities are provided to employees for wider exposure.

Thrust On Diversity & Inclusion

The Bank follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees and is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. The Bank introduced 'Job Roles' for visually impaired employees.

Further, in recognition of the concomitant responsibilities of women, the Bank has put in place various facilities to support women employees such as Sabbatical Leave, Health Check-up programme for women employees, establishment of Crèche facility etc. among other initiatives.

The Bank conducts special training programme on capability building and motivation for its women employees and also creates awareness on POSH guidelines.

Document Management System

The Bank is one of the pioneer PSB to initiate implementation of Document Management System (DMS) (First among PSBs to implement Records Digitisation) by engaging professional companies to manage the records with an aim to give our Branches a leaner look having better feel and experience to our customers. Under Records Management System (RMS), physical records are barcoded, indexed and moved to Vendor's warehouse for storage thereof, which can be retrieved any time as per Bank's requirement. The space which is unlocked, is being utilized for setting up new ATMs/ E-lobbies or being surrendered to save the cost.

Document Management System (DMS), is a major step towards paperless banking under green initiative, encompasses scanning of identified documents (Loan Files/ HR documents/Legal documents and other critical documents) and uploading the scanned data on "Baroda Document Management System (BDMS) server, a digital repository. This is an ambitious project of our Bank under which around 36.45 crore images have already been scanned covering more than -5,300- branches. Also, around -2.21- lakh sq. ft. of space has been unlocked in identified Branches of BOB/eDena / eVijaya Bank. After successful implementation of Records Management System (RMS) / Document Management System (DMS) in Bank's Metro & Urban and identified Branches of Semi-urban, it is now being implemented in the remaining identified Branches of Semi-urban and Rural branches of the Bank.

Premises Re-engineering

Following are some of the highlights of the Bank in an attempt to reduce carbon footprint:

- Bank has obtained Green Building Certificate (GOLD rating for Baroda Corporate Centre and SILVER rating for Baroda Sun Tower Building) through IGBC (Indian Green Building Council). Four of Bank's buildings across PAN India have green building rating and -43- more buildings are identified for Green Building.
- Bank is aiming to obtain platinum rating as per IGBC for its proposed Baroda Apex Academy Building in Ahmedabad.
- 145 branches in rural/semi urban areas are being run on Solar Energy only. Total 960 Tons of Carbon Dioxide Emission reduced as a result of using Green Energy/renewable/solar energy. Further, more than 600 branches/premises are identified to be powered by Solar Energy in phased manner.
- Dry Waste and Wet waste of Corporate Office buildings are being segregated and the wet waste is processed in Bio-Gas plant.
- A Large size Bio-Gas plant (capacity of 500Kg wet waste) is installed at Bank's building at BKC, Mumbai which produces cooking gas (used in canteen) and organic manure (used in garden/lawns)
- Rain Water harvesting facility has been made available in some of the branches/premises and Bank is in the process for providing the same in many more branches/ premises.

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the period under review, your Bank made outstanding progress in implementing the Official Language Policy of Government of India. Besides compliance of various statutory requirements under Official Language Policy of the Union Government and directives issued by RBI, your Bank moved forward to promote Hindi as a tool for business development. Your Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme 2021-22 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the bank. All the assurances given to the Committee have been fulfilled within the prescribed time frame. Your Bank's efforts earned accolades from Government of India from time to time.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee, presided over by MD & CEO/ Executive Director of the Bank, were organized regularly on quarterly basis. Under the guidance from the Committee, various new initiatives were taken during the year FY 2022. Your Bank has made remarkable progress to provide Internet Banking, Mobile Banking and transaction SMS services, whatsapp banking service to its customers in Hindi and various other Regional languages for the convenience of customers. The Bank has also made arrangements for generation of loan sanction letters containing terms and conditions, in Hindi along with English in its loan processing package LLPS.

Under various initiatives taken during the year, Your Bank organised an All India seminar on 'Cyber Crime in Banking' in Mysuru wherein representatives from RBI, Public Sector Banks, Insurance companies and other Financial Institutes took part. As a new initiative, Bank implemented Official language rating system for its Branches/ office and started 'Bhashayi Choupal' programme for its staff members at regular intervals digitally. Bank's Self-service Passbook printing machine 'Kiosk' were enabled for printing of Passbook in Hindi for the convenience of customers. Books on topics such as 'Compliance Culture in Banking' and 'Retail

Rin Margdarshika' were published. Hindi Diwas, Vishwa Hindi Diwas and Matrubhasha Diwas were celebrated at various offices/branches across India and overseas.

During the year, Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) functioning under the auspices of the Bank at Baroda was selected for first Prize under "Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme of Government of India for outstanding performance in the area of Official Language Implementation under linguistic Region 'B'. Similarly, TOLIC functioning under the auspices of the bank at Varanasi, Jodhpur, Jaipur, Rajkot and Baroda were selected for awards by the respective regional implementation offices of Government of India. Bank's Zonal office at Baroda & Patna and Regional Office at Panaji & Varanasi were also awarded by the respective regional implementation offices of Government of India for outstanding performance in the area of Official Language Implementation.

Bank continued with its unique scheme "Medhavi Vidyarthi Samman Yojana" for popularising Hindi in 70 universities of the country. Under this scheme, cash prizes and commendation certificates are given to two students securing First and Second positions in M.A. (Hindi) examinations.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various development activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously strives to contribute towards social welfare & environmental protection, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities for women and farmers continue to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has 64 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 10 States/UTs across the country to impart skill development training to the youth of rural and semi urban areas for generating self-employment. Since inception, these centres have conducted 20,644 training programmes and imparted training to 5.75 lakh youth, out of which 3.85 lakh have already setup their own ventures or have secured wage employment. All the 64 RSETIs have been graded as "AA" (outstanding) by Ministry of Rural Development, GOI based on the overall performance/functioning of the RSETIs.

The Bank has also set up 85 Financial Literacy Centres (FLCs) in 12 States/UTs which provide financial counselling services and education to the people in rural, semi-urban and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

As per RBI directives, Bank has also set up 93 Centres for Financial Literacy (CFLs) spread over 8 states and a Union Territory that are aimed at imparting financial literacy in tribal and backward blocks through innovative and participatory approach.

Bank has also rolled out a scholarship scheme for Girl Student School Toppers of class X and XII studying in Government schools in 9 Aspirational Districts in the states of Gujarat, Uttar Pradesh and Rajasthan.

As a part of Bank's commitment towards protection of environment, under Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, Bank has implemented a pilot of planting a tree against each Auto loan/Housing loan disbursement.

Bank has also donated to various social causes viz., distribution of protective Kits to social workers under Project Chhaav, donation of vehicles to AIISH, AIIMS and donating to Government Middle school of Chennai for its Smart Class project.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOB Financial Solutions Ltd.

BOB Financial Solutions Limited (BFSL, formerly known as BOBCARDS Limited) is a wholly owned subsidiary of the bank. It is a non-deposit accepting Non-Banking Finance Company (NBFC). BFSL was established in the year 1994 to cater to the needs of a rapidly growing credit card industry. BFSL was the first non-banking company in India to issue credit cards. The company's core business is credit card issuance. It also provides support to the bank by carrying out merchant acquiring operations on the Bank's behalf.

FY 2022 was a watershed year for BOB Financial. The aspiration to grow into a leading Indian credit card issuer was evident in the many firsts, achievements and investments that underlined the financial year, in spite of the challenges brought about by the pandemic that continued in varying degrees.

Product launches and innovations were one of the key highlights of FY 2022, right from the issuance of RuPay credit cards to the global first launch of ConQR - the two-in-one product combining credit card and QR acceptance that was done in partnership with Mastercard (as it owns the patent).

The company continued to implement its two-pronged growth strategy (of BoB customers on one side and key partnerships on the other) by entering into co-brand partnerships with both large and trusted organizations as well as new age Fintechs. These included partnerships with Fintechs like FPL Technologies (for OneCard) and CreditAI (for Unnati - the credit card for farmers), thereby positioning the BOB Financial as an issuer that is receptive to new age partners.

Co-branded credit cards were also launched with IRCTC and the Indian Navy. The Indian Navy co-brand helped BOB Financial to expand the portfolio of co-branded credit cards with the Defence Forces, as Memoranda of Understanding were signed with the Indian Army, Assam Rifles and Indian Coast Guard for launch of co-branded credit cards.

The company issued more than 5,00,000 new credit cards in FY 2022, doubling the new acquisition done in FY 2021.

It also joined the elite club of issuers with a base of 1 Million or more credit cards, thus positioning it as a force to reckon with, in the Indian credit cards industry. In March 2022 itself, more than 1,30,000 new credit cards were issued, making BOB Financial one of the Top 5 issuers (estimated) for the month.

Retail spends more than doubled compared to FY 2021, clocking approximately ₹ 7,000 crore. This growth was made possible by relevant customer offers across merchant categories, in partnership with leading offline and online merchants. At any given time, more than 100 customer offers were live across regular and EMI spends.

The growth in retail spends was also a result of multiple initiatives towards improving customer experience, in addition to launch of relevant products and offers. Initiatives like self-service through website, IVR and SMS or programs like Add-On cards for family, referral programs, topical campaigns on social media etc. all helped in increasing customer engagement, leading to more than doubling the retail spends.

The focus on enhancing technology infrastructure continued in FY 2022. The implementation of FirstVision - the leading Card Management System and the launch of 100% digital Credit Card journey on TABIT - Bank of Baroda's digital origination platform were the flagship achievements. Several other initiatives across the customer lifecycle, from origination to usage to retention, were undertaken in line with the strategic intent of being a top ranking, customer-centric credit card issuer.

The company also continued to invest both in human resources as well as points of presence, to effectively align with the 18 Zones and 148 Regions of Bank of Baroda. This focus on leveraging the Bank's distribution strength while building its own is in line with BOB Financial's growth aspirations.

(₹ in crore)

BOB Financial Solutions Ltd.		
	FY 2021	FY 2022
Total Assets	972.16	1562.45
Net Profit/(Loss)	10.73	10.07
Net NPA levels	NIL	29.07
Credit rating	Crisil A1+ India rating A1+	Crisil A1+ India rating A1+
Return on Assets	1.14%	0.66%

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda is a SEBI registered Category-I Merchant Banker and also a Stock Broker with memberships of National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes fund raising from primary markets /PE funds, debt syndication, stressed asset resolution, equity valuation, mergers and acquisitions advisory and stock broking (both institutional and retail). It has two operating segments, viz. Investment Banking and Broking & Distribution.

BOBCAPS further strengthened its position in both its business segments in FY 2022, and remains optimistic about the future potential of its businesses, primarily on account of growing depth of Indian capital markets and post-COVID resurgence in the economic activities in the country. However, BOBCAPS acknowledges the challenges emanating from the recent rate actions by several central banks across the world including by the RBI and ongoing geo-political conflicts.

(₹ in crore)

BOB Capital Markets Ltd		
Particulars	**FY 2021**	**FY 2022**
Total Assets	175.59	187.97
Net Profit/(Loss)	9.34	7.72
Customer base (Nos)	26,715	35,191
Total number of branches	1	2

Baroda Global Shared Services Ltd.

Baroda Global Shared Services, Bank's wholly owned subsidiary resulted from a strategic decision made by the Bank in 2017, with an intention of integrating service functions into a single entity thus reducing service duplication and business unit silos, creating synergies and economies of scale. Bank has been able to achieve improved efficiency and cost saving because of centralisation. It has also led to redeployment of large workforce to Branches from job roles that could be automated. This setup has enabled the Bank to focus more on the sales and service function. The setup also has contributed significant value by delivering on the cross-sell initiatives for the Bank.

Based on the successful set-up and scaling-up of centralised processing by BGSS, Bank expressed confidence in BGSS by deciding to utilise its capabilities in the new areas of sourcing loans and improving collection efficiency, thereby augmenting Bank's capacity. In FY 2021-22, BGSS launched Direct Sales Team and Collection Unit for the Bank.

To aid Bank's Financial Inclusion objectives, BGSS has been empanelled as a Corporate Business Correspondent of the bank to deploy BC agents Pan-India (especially in semi-urban and rural areas) in FY 2022.

The Shared Services also ensures robust and stringent controls in place through various internal and external assessments conducted from time to time, leveraging the centralised execution for availability of data sets through common platforms. Some of the key achievements of BGSS are as follows:

Some of the key achievements of BGSS from the last FY:

1. More than 750 Direct Sales Team (DST) resources were deployed to generate additional Loan business (HL, AL, EL & LAP) for the Bank.

2. More than 90% month on month collection of instalments achieved during FY 2022 by the Collections Unit set-up at Vadodara through Feet-on-Street (FOS) resources and Vendors managed by BGSS.
3. Transaction processing activities related to Bank products is rolled out through Business Correspondent (BC) points appointed and managed by BGSS.
4. BGSS continue to excel in Cross Sell business by booking ₹1,000 crore. in Trade Finance and sourcing more than ₹10,000 crore. in retail loans through contact centre (including through Digital Lending Platform).
5. As part of continuous cum ongoing exercise to improve customer experience especially in terms of doing business with EASE, some of the initiatives taken by BGSS include on boarding of more than 1,000 customers in Baroda Insta-Trade Platform (Digital platform for customers to initiate and process trade transactions), rolled out Queue Management system (QMS) to improve customer service at Branches and deployed resources across locations to improve processing accuracy and speed for Home Loan File Log-ins at Specialised Mortgage Stores (SMS).
6. A dedicated IT Platform was set up to help Implement BC Sakhi on-boarding across various districts of UP state to facilitate banking transactions in rural areas of UP.
7. BGSS continues to grow and improve efficiency across metrics like productivity, First Time Right (FTR), turnaround time (TAT), ATM uptime and error-reduction through various initiatives.

Barodasun Technologies Ltd.

Barodasun Technologies Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda. The company was registered on July 5, 2017 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The company has been formed to provide system integrator services, consultancy and IT development services on matters relating to IT enabled business solutions / IT software product implementation across various lines of business for the Bank.

The Company is yet to commence full-fledged operations and it is envisaged to initiate activities like programme / project management services to implement enterprise-wide IT projects and development of financial products and solutions to effectively cater to various business needs providing technological edge across different business verticals of the Bank.

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in the year 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd is 98.57%. NBL has its registered office at Nainital and has operations in five states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and National Capital Region (NCR), Haryana and Rajasthan. NBL has 164 branches as on March 31, 2022. The total business of NBL increased to ₹ 11,698 crore on March 31, 2022 from ₹ 11,441 crore as on March 31, 2021. The Bank posted a net profit of ₹ 33.01 crore in FY 2022 against a net profit of ₹ 1.26 crore during the previous year.

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd (BBNPA AMC)

BBNPP AMC is a joint venture between Bank of Baroda (50.10% shareholding) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (49.90% shareholding). This Company is the Asset manager for Baroda BNP Paribas Mutual Fund. Bank of Baroda and BNP Asia had signed binding agreements on October 11, 2019 to merge their Asset Management and Trustee Companies in India. On receipt of regulatory approvals and completing the necessary formalities under SEBI(MF) Regulations, the entities got merged effective March 14, 2022. The merged entity leverages strength of two partners - Bank of Baroda's strong brand name, reach and understanding of retail market and BNP Paribas's global know-how to grow the business.

Following the merger, the product range, AUM as well as share of equity to AUM has increased substantially with touch points in 90 towns and cities across India.

(₹ in crore)

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.		
Particulars	**FY 2021**	**FY 2022**
Total Assets	78.39	147.18
Net Profit / Loss	1.76	(20.00)
Assets under Management	8,220.15	23,393*
Equity to overall AuM (%)	37%	60%

*Includes advisory AuM of ₹2,188 crore.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is one of the country's youngest life insurance companies, with a paid-up share capital of ₹663 crore. The company is a domestic subsidiary of Bank of Baroda promoted along with Carmel Point Investments India Private Limited, owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC. Union Bank of India is company's third strategic partner.

In FY 2022, IndiaFirst Life is the fastest growing Life Insurer in Individual New Business APE at 50% YoY growth with 2.4% private market share and grew at 3.2 times the overall Life Insurance Industry (including LIC). This super record of growing at a faster rate than overall Industry has been upheld by IndiaFirst Life for last consecutive 8 years (since FY 2014-15). The company improved its ranking by 1 position to 11th in Individual New Business APE (Annual Premium Equivalent) among the private peers as compared to last year and has

assets under management (AUM) at ₹18,932 Crores as on 31st March 2022.

IndiaFirst Life was certified as a Great Place to Work (GPTW) for the fourth time in a row, a recognition considered as the gold standard for defining great workplaces across business, academia and government organisations along with being recognised among the ‘Best Workplaces in BFSI’ by GPTW BFSI Survey fourth time in a row. The Company was also awarded the “Life Insurance Company of the Year” at the India Insurance Summit 2022.

India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) NBFC to commence operations in India. Bank of Baroda and ICICI Bank are the Sponsors of Infradebt, while other shareholders include Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. Infradebt finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved at least one year of commercial operations. Infradebt has been rated AAA/Stable outlook by CRISIL, ICRA and India Ratings since inception. Infradebt also enjoys 100% income-tax exemption on all its income.

The synergy with the Bank arises from Infradebt’s focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly renewable energy projects and road projects, thus promoting green energy in India and contributing to nation building. Infradebt business has grown steadily, with a loan book as of ₹14,729 crore, Net Profit of ₹330 crore (as per Indian GAAP) and Return on Equity of 14% during FY 2022. Infradebt has also been paying dividends continuously for the past five years.

A brief summary of all the Bank’s domestic subsidiaries and Joint Ventures is given below:

(₹ in crore)

Entity	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOB Financial Solutions Ltd	287.56	1562.45	10.07	40	410
BOB Capital Markets Ltd.	165.03	187.97	7.72	2	103
Baroda Sun Technologies Limited	4.55	4.47	0.09	1	1
Baroda Global Shared Services Ltd.	20.53	32.02	9.07	5	1113
The Nainital Bank Ltd.	607.04	8337.85	33.00	5	941
Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.	152.57	147.18	-20.00	13	150
Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.	0.09	0.24	0.012	1	1
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	493	19,765	(282)	29	3,272
India Infradebt Limited	2,431.1	16,922.8	329.9	1	25

Awards

In recognition of Bank's excellent performance in financial, digital front and other unique initiatives, the Bank was conferred with many awards and accolades during the FY 2022 which are given below;

Month	Details of the Award received during FY 2022
April 2021	Bank of Baroda was declared Joint-Winner under Digital Lending & Winner under Digital Services in the PSB-Merged category at ASSOCHAM National E-Summit & Awards - Banking & Financial Lending Companies
May 2021	Bank of Baroda won the Silver Award in the "Best Public Sector Bank of the Year " category at the 20th Edition of Outlook Money Awards Additional information: Outlook Money Awards Knowledge Partner, Care Ratings Ltd., and its eminent Jury board found Bank of Baroda has done well in all the parameters in FY20 compared to other Public Sector Banks. BoB's Composite score is 3.83 out of 5.
June 2021	Bank of Baroda was **recognised** at the 4th edition of The Economics Times Iconic Brands of India 2021, which featured success stories of the most distinguished brands. Additional information: Executive Director Shri Vikramaditya Singh Khichi virtually addressed the audience at the 'The ET Iconic Brands of India 2021' Virtual Summit, which featured success stories of the most distinguished brands, while also outlining their DNA and knowing what makes brands stand out from the clutter. The virtual awards also carried a video byte of Shri Purshotam, CGM - Retail Liabilities, WMS, Marketing, and Capital Markets & NRI Services, speaking about the brand's vision during the pandemic.
September 2021	Bank of Baroda was conferred with the award for Best Digital Banking Product for bob World at the 4th Edition of The Economic Times BFSI Innovation Tribe Awards.
October 2021	Bank of Baroda, its sponsored RRBs, UTLBC Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu (Convenor Bank of Baroda) bags 6 top performing awards under various campaigns held for enrolment of Atal Pension Yojana from Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Additional information: Leadership Capital 3.0 (Jan-Feb 2021) award of excellence to Best Performing Managing Director, Shri Sanjiv Chadha, MD & CEO, Bank of Baroda APY Big Believers 3.0 (March 21) awards of appreciation to Best Performing Executive Director, Shri Vikramaditya Singh Khichi Leadership Capital 3.0 (Jan-Feb 2021) award of Excellence to Best Performing Chairman of RRB, Shri Prabhat K Sharma, Chairman, Baroda Gujarat Gramin Bank. APY Big Believers 3.0 (March 21) awards of Par Excellence to Best Performing Chairman of RRB, Shri Prabhat K Sharma, Chairman, Baroda Gujarat Gramin Bank. Leadership Capital 3.0 (Jan-Feb 2021) award of Excellence to Best Performing Chairman of RRB, Shri R.C. Gaggar, Chairman, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Annual Award, Award of Par Excellence, Best Performing UTLBC, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
December 2021	Bank of Baroda has been recognised among the 50 Most Trusted BFSI Brands of India, 2021 by Team Marksmen in association with NDTV 24X7
December 2021	Bank of Baroda was recognized in four categories at the Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises' (CIMSME) MSME Banking Excellence Awards 2021. Best MSME Bank - Winner Best MSME Friendly Bank - Winner Best Branding - Runner-up Best Bank for Promoting Social Schemes - Runner-up
February 2022	Bank of Baroda was conferred with two awards "Best in Innovation" and "Best In Fintech Initiative" at the 26th Edition of the Business Today-KPMG Best Banks Survey 2020-21
February 2022	Bank of Baroda has been named the Best Technology Bank for the 2nd year in a row at Indian Banks' Association's (IBA) 17th Annual Banking Technology Conference, Expo & Awards. Bank of Baroda was also the Runner-Up for Best Use of AI/ML & Data Analytics and Best IT Risk Management & Cybersecurity.

Dividend Distribution Policy

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹ 2.85 per share for the financial year ended March 31, 2022. The total outgo in the form of dividend will be ₹ 1,473.84 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals. The dividend distribution policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website.

Board of Directors (Appointment / Cessation of Directors during the year)

Appointments

- Smt. Parvathy V. Sundaram was appointed as RBI Nominee Director w.e.f. April 13, 2021 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, until further orders, vice Shri Ajay Kumar.
- Shri Alok Vajpeyi was elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from July 9, 2021 to July 8, 2024.
- Central Government has extended the term of office of Shri Ajay K. Khurana, Executive Director u/s 9 (3) (a) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on September 19, 2021, or until further orders, whichever is earlier.
- Central Government has extended the term of office of Shri Vikramaditya Singh Khichi, Executive Director u/s 9 (3) (a) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period beyond September 30, 2021 till the date of his superannuation, i.e. July 31, 2022, or until further orders, whichever is earlier.
- Shri Joydeep Dutta Roy was appointed as Executive Director w.e.f. October 21, 2021 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
- Shri Srinivasan Sridhar was re-elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from December 12, 2021 to December 11, 2024.
- Shri Ajay Singhal was nominated as Part-Time Non-Official Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. December 21, 2021 under section 9 (3) (h) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.
- Dr. Hasmukh Adhia was re-nominated as Part-Time Non-Official Director on the Board of the bank by the Central Government u/s 9 (3) (h) of the banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, his period of appointment as non-executive Chairman has been extended for a further period of two years with effect from March 1, 2022, or until further orders, whichever is earlier.

Cessations

- Shri Shanti Lal Jain ceased to be Executive Director w.e.f. September 1, 2021, on his appointment as Managing Director & Chief Executive Officer of Indian Bank.
- Shri Ajay Kumar ceased to be RBI Nominee Director w.e.f. April 13, 2021, on the appointment of Smt. Parvathy V. Sundaram.

Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines dated August 30, 2018 for PSB Governance Reforms - Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2021-22 is annexed with this report pursuant to "Part E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2022

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the bank for that period;

c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The Directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by the RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation: For the purposes of this clause, the term “internal financial controls” means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors placed on record their appreciation for the contribution made by Shri Shanti Lal Jain outgoing Executive Director and Shri Ajay Kumar.

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation for the co-operation extended by all shareholders, banks and financial institutions, rating agencies, stock exchanges and all well-wishers in India and abroad.

The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the bank.

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथासंशोधित ('सूचीयन विनियम') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा (''बैंक'') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शर्तों के अनुपालन की जांच की हैं

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी ''कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट'' के अनुसार की गई हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित रही है. यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है.

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकारणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) की खंड (बी) से (आई) और सूचीयन विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है.

यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते.

INDEPENDENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To

The Members of

Bank of Baroda

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended on March 31, 2022, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the "Guidance Note on Certification of Corporate Governance" issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2022.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते आर. देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(नीरज गोलास)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआयएन: 22074392AKADGW5977

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 22074392AKADGW5977

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000112N

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

(अशोक कुमार जैन)
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआयएन: 22090563AKAEKM3636

(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563
UDIN: 22090563AKAEKM3636

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590C

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(ओ.पी.व्यास)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआयएन: 22014081AKAFDG6531

(O. P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 22014081AKAFDG6531

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(मनोज राठी)
साझेदार
एम नं.: 411460
यूडीआयएन: 22411460AKAFQU9685
(Manoj Rathi)
Partner
M. No.: 411460
UDIN: 22411460AKAFQU9685

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

For J. Kala & Associates
Chartered Accountants
FRN: 118769W

(जयेश काला)
साझेदार
एम नं.: 101686
यूडीआयएन: 22101686AKALWB1352
(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686
UDIN: 22101686AKALWB1352

दिनांक: 31 मई, 2022

स्थान: मुंबई

Date: May 31, 2022

Place : Mumbai

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपार्ट 2021-2022

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है.
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है. सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं.
- बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि कारोबार के संगठन, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रुप से अपनाया है. बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सदस्यों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है. बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना.
- सभी हितधारकों के साथ संव्यवहार में निष्पक्ष, नैतिक एवं पारदर्शिता.
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण.
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना.
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण.
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना.
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना.

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और संव्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं.
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है.
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं.
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्वः हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं.

Corporate Goverance Report 2021-2022

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance is emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory r equirements as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating lonїg term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.

5. नवोन्मेषिताः हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं.
6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं.

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है. बैंक एक सूचीबद्ध संस्था है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है. बैंक ने सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के लागू प्रावधानों का भी अनुपालन किया है.

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

- निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:
- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को स्थापित करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए में प्रस्तुत है.

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिसे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है.

निदेशक मंडल की बैठकें :

निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती हैं. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान -13- बैठकें संपन्न हुईं. बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 13

बैठकों की तारीखें:

23.04.2021, 29.05.2021, 01.07.2021 & 02.07.2021, 08.07.2021, 07.08.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 10.11.2021, 07.12.2021, 05.02.2022, 07.02.2022 & 08.02.2022, 25.02.2022, 25.03.2022

5. Innovation: We create value with break-through ideas.
6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has also complied with the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

- The role of the Board includes amongst others:
- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2022 is as per Annexure-1 and 1A.

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all Chief General Managers, General Managers and Vertical Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in. The Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2021-22, -13- meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 13

Dates of Meetings:

23.04.2021, 29.05.2021, 01.07.2021 & 02.07.2021, 08.07.2021, 07.08.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 10.11.2021, 07.12.2021, 05.02.2022, 07.02.2022 & 08.02.2022, 25.02.2022, 25.03.2022

निदेशक का नाम	Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	अध्यक्ष, गैर- कार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	13	12
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	13	13
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	6	6
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	13	12
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	13	12
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	13	13
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	6	6
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	13	9
श्री अजय कुमार*	Shri Ajay Kumar*	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 12.04.2021	-	-
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	Smt. Parvathy V. Sundaram	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	13.04.2021 to 31.03.2022	13	13
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	21.12.2021 to 31.03.2022	4	4
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	13	13
श्री श्रीनिवासन श्रीधर#	Shri Srinivasan Sridhar#	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 11.12.2021	9	9
श्री श्रीनिवासन श्रीधर#	Shri Srinivasan Sridhar#	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	12.12.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	09.07.2021 to 31.03.2022	9	9

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

\# 11.12.2021 को कार्यकाल की समाप्ति एवं 12.12.2021 को पुनः निर्वाचित हुए.

* ceased to be member during the year.

\# Term ended on 11.12.2021 and re-elected on 12.12.2021

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां / उप-समितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
14. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति
15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति
16. ग्रेड/वेतनमान – VII और VIII के उच्च प्रबंधन कार्यपालकों के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में अपीलों पर विचार करने के लिए समिति

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (डी) (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 44

बैठकों की तारीखें:

07.04.2021,	15.04.2021,	27.04.2021,	05.05.2021,
14.05.2021,	20.05.2021,	27.05.2021,	08.06.2021,
17.06.2021,	23.06.2021,	30.06.2021,	05.07.2021,
15.07.2021,	22.07.2021,	03.08.2021,	13.08.2021,
21.08.2021,	30.08.2021,	07.09.2021,	16.09.2021,
22.09.2021,	04.10.2021,	14.10.2021,	26.10.2021,
06.11.2021,	22.11.2021,	29.11.2021,	06.12.2021,
16.12.2021,	23.12.2021,	29.12.2021,	07.01.2022,
15.01.2022,	20.01.2022,	27.01.2022,	03.02.2022,
14.02.2022,	24.02.2022,	04.03.2022,	11.03.2022,
19.03.2022,	24.03.2022,	28.03.2022,	31.03.2022.

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Rem uneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR
14. Review Committee on Wilful Defaulters
15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors
16. Committee to consider Appeals in respect of Disciplinary Cases of Top Management Executives in Grade / Scales – VII and VIII

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Director from amongst those appointed under sub section (d) (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 44

Dates of Meetings:

07.04.2021,	15.04.2021,	27.04.2021,	05.05.2021,
14.05.2021,	20.05.2021,	27.05.2021,	08.06.2021,
17.06.2021,	23.06.2021,	30.06.2021,	05.07.2021,
15.07.2021,	22.07.2021,	03.08.2021,	13.08.2021,
21.08.2021,	30.08.2021,	07.09.2021,	16.09.2021,
22.09.2021,	04.10.2021,	14.10.2021,	26.10.2021,
06.11.2021,	22.11.2021,	29.11.2021,	06.12.2021,
16.12.2021,	23.12.2021,	29.12.2021,	07.01.2022,
15.01.2022,	20.01.2022,	27.01.2022,	03.02.2022,
14.02.2022,	24.02.2022,	04.03.2022,	11.03.2022,
19.03.2022,	24.03.2022,	28.03.2022,	31.03.2022.

निदेशक का नाम	Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	44	43
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	18	15
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	44	36
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	44	33
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	44	39
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	21	16
श्री अजय कुमार*	Shri Ajay Kumar*	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 12.04.2021	1	1
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	Smt. Parvathy V. Sundaram	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	13.04.2021 to 31.03.2022	43	43
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	31	31
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	13	13

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा ₹ 800/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है. समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 30

बैठकों की तारीखें:

17.04.2021, 29.04.2021, 11.05.2021, 03.06.2021&04.06.2021, 09.06.2021, 15.06.2021, 09.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 06.09.2021, 22.09.2021, 27.09.2021, 30.09.2021, 12.10.2021, 28.10.2021, 20.11.2021, 25.11.2021, 09.12.2021&10.12.2021, 23.12.2021, 29.12.2021, 05.01.2022, 15.01.2022, 20.01.2022, 29.01.2022, 17.02.2022, 23.02.2022, 07.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022.

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are upto ₹ 800 /- crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 30

Dates of Meetings:

17.04.2021, 29.04.2021, 11.05.2021, 03.06.2021&04.06.2021, 09.06.2021, 15.06.2021, 09.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 06.09.2021, 22.09.2021, 27.09.2021, 30.09.2021, 12.10.2021, 28.10.2021, 20.11.2021, 25.11.2021, 09.12.2021&10.12.2021, 23.12.2021, 29.12.2021, 05.01.2022, 15.01.2022, 20.01.2022, 29.01.2022, 17.02.2022, 23.02.2022, 07.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022.

निदेशक /सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	30	30
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	9	8
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	30	27
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	30	27
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	30	26
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	16	13
श्री इयान डिसूजा	Shri Ian D'souza	सीएफओ CFO	01.04.2021 to 31.03.2022	30	20
श्री जगन मोहन*	Shri Jagan Mohan*	सीआरओ CRO	01.04.2021 to 31.10.2021	15	14
श्री एस अनंतरामन	Shri S. Ananthraman	सीआरओ CRO	01.11.2021 to 31.03.2022	15	14

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

3. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- लेखापरीक्षा समिति समग्र बैंक की लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालनों को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों का अनुवर्तन शामिल है. यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है.
- यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/ प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है. यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है. यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है.

* ceased to be member during the year.

3 Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, interalia, include

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / Concurrent/ Statutory / External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and reviews the Financial, Risk Management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 15

बैठकों की तारीखें:

22.04.2021, 28.05.2021, 29.05.2021, 30.06.2021, 06.08.2021, 07.08.2021, 27.08.2021, 22.09.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 09.12.2021, 04.02.2022, 05.02.2022, 04.03.2022, 11.03.2022

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 15

Dates of Meetings:

22.04.2021, 28.05.2021, 29.05.2021, 30.06.2021, 06.08.2021, 07.08.2021, 27.08.2021, 22.09.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 09.12.2021, 04.02.2022, 05.02.2022, 04.03.2022, 11.03.2022

निदेशक का नाम	Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)*	Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	11	11
श्रीमती सौंदरा कुमार (अध्यक्ष)	Smt. Soundara Kumar (Chairperson)	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	4	4
डॉ. हसमुख अढ़िया*	Dr. Hasmukh Adhia*	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	6	6
श्री अमित अग्रवाल*	Shri Amit Agrawal*	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 07.08.2021	6	2
श्री अमित अग्रवाल (आमंत्रिती)	Shri Amit Agrawal (Invitee)	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	08.08.2021 to 31.03.2022	9	1
श्रीमती पार्वती सुंदरम	Smt. Parvathy Sundaram	गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	15	15
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	4	4
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	9	9
श्री शांति लाल जैन अग्रवाल (आमंत्रिती)*	Shri Shanti Lal Jain (Invitee)*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	7	7
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती)	Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	15	15
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती)	Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	15	14
श्री देबदत्त चाँद *	Shri Debadatta Chand *	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	6	6
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	Shri Debadatta Chand (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	9	7
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती)	Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	7	7

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एसीबी ने नियमित कार्यसूची की मदों के साथ-साथ निम्नलिखित हेतु अनुमोदन दिया/ समीक्षा की:

- आरबीआईए नीति-घरेलू-2021 में संशोधन की स्वीकृति.
- बैंक के सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति का अनुमोदन.
- समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए बैंक में शाखाओं / कार्यालयों के कवरेज का अनुमोदन एवं बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों से संबंधित नीति के अंतर्गत बहुप्रयोजन लेनदेन के नवीनीकरण का अनुमोदन.
- अस्थायी प्रावधान संबंधी नीति का अनुमोदन.
- बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हे ऋण के रूप में नहीं माना गया है संबंधी नीति का अनुमोदन.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालन दोनों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति.
- बैंक की अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों/ निवेशी कंपनियों के निदेशक मण्डल में बैंक के नामित निदेशकों के कार्यदायित्व और जिम्मेदारियों के संबंध में संशोधित नीति का अनुमोदन.
- ''महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं और प्रकटीकरण पद्धतियों के निर्धारण संबंधी नीति'' के संशोधन का अनुमोदन.
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा योजना, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईएस लेखापरीक्षा योजना, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विदेशी टेरिटरी की लेखापरीक्षा योजना का अनुमोदन.
- लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट - मार्च, 2021 के संबंध में बैंक के अनुपालन का अनुमोदन.
- वित्त वर्ष 2022-23 की समूह-वार वार्षिक अनुपालन योजना का अनुमोदन.
- वित्त वर्ष 2021 के लिए बैंक के अनुपालन जोखिम मूल्यांकन की स्वीकृति, दिसंबर, 2021 तक की स्थिति.
- वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति और प्रकटीकरण का अनुमोदन.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन संबंधी अनुमोदन / टिप्पणी.

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना को इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके.

बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं. जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ को सलाहकार के रूप में शामिल किया है. बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

During the FY 2021-22, ACB inter-alia approved/ reviewed the followings besides Regular Agenda items:

- Approval of modification of RBIA Policy-Domestic-2021.
- Approval of the Policy for Appointment of Statutory Central / Branch Auditors of the Bank.
- Approval of Coverage of Branches / Offices in the Bank for Concurrent Auditors and annual Review of Concurrent Audit System in the Bank
- Approval for renewal of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of the Policy on Floating Provision.
- Approval of the Policy on Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts.
- Appointment of Statutory Auditors for both Domestic & International operations.
- Approval of the revised Policy on Roles and Responsibilities of Bank's Nominee Directors on the Boards of Bank's Subsidiary Companies / Joint Ventures / Associates Companies / Investee companies
- Approval of the revised "Policy for Determination of Materiality of Events / Information and Disclosure Practices".
- Approval of Risk Based Internal Audit Plan for the Financial Year 2022-23, IS Audit Plan for FY 2022-23, Audit Plan of Overseas Territories for FY 2022-23
- Approval of Bank's Compliance on Long Form Audit Report –March 2021
- Approval of group-wide Annual Compliance Plan of FY 2022-23
- Approval of Compliance Risk Assessment of the Bank for FY 2021, Position as of Dec 2021
- Approval of Presentation and Disclosures of Financial Statements
- Approval / Noting on Related Party Transactions.

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialist in the area of Risk Management as an Advisor who is also part of this Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

आयोजित बैठकें: 7

बैठकों की तारीखें:
23.04.2021, 29.06.2021, 26.08.2021, 21.10.2021, 08.12.2021, 24.02.2022, 15.03.2022

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings:
23.04.2021, 29.06.2021, 26.08.2021, 21.10.2021, 08.12.2021, 24.02.2022, 15.03.2022

निदेशक/सदस्य का नाम	Name of the Director /Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)*	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)*	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार (अध्यक्ष)*	Smt. Soundara Kumar (Chairperson)*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.12.2021	3	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)*	Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	2	2
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	7	7
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain *	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्री शांति लाल जैन (आमंत्रिती)	Shri Shanti Lal Jain (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.08.2021	1	1
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती)	Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	5	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती)	Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	5	4
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	Shri Debadatta Chand (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	5	4
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती)	Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	3	2
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	2	2

श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	5	5
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	5	5
श्री हिमाद्री भट्टाचार्य - सलाहकार	Shri Himadri Bhattacharya – Advisor	सलाहकार Advisor	01.04.2021 to 31.03.2022	7	7

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन दिया / समीक्षा की:

ऋण जोखिम

1. क्रेडिट रेटिंग और/ या उधारकर्ता के कंन्स्टीट्यूशन प्रकार और डीएलपी की मात्रा के आधार पर डीएलपी संरचना में संशोधनों के साथ कार्यपालक निदेशक (का.नि.) के स्तर तक विवेकाधीन ऋण शक्तियों (डीएलपी) की समीक्षा.
2. विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एक्सपोजर की उच्चतम सीमा निर्धारण पद्धति में संशोधन.
3. समूह उधारकर्ता जोखिम मूल्यांकन मॉडल के आधार पर विवेकपूर्ण लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के भीतर समूह उधारकर्ताओं के लिए आंतरिक एक्सपोजर उच्चतम सीमा के निर्धारण हेतु पद्धति.
4. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) एवं दबाव परीक्षण प्रभाव विश्लेषण.
5. विदेशी टेरिटरी के लिए समूहन ऋण नीति.
6. अनर्जक आस्ति अग्रिमों (घरेलू और विदेशी शाखाएं) के प्रबंधन एवं वसूली के लिए कॉर्पोरेट नीति.
7. जोखिम प्रबंधन विभाग के मॉडल सत्यापन सेल द्वारा आंतरिक रूप से किए गए ईज रेटिंग मॉडल के सत्यापन/ बैक टेस्टिंग का अनुमोदन.
8. लार्ज कॉर्पोरेट और एमएसएमई उधारकर्ताओं के क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन के लिए मौजूदा 'ईज़ जोखिम स्कोरकार्ड मॉडल' में संशोधनों को अनुमोदन.
9. ₹ 2 लाख से ₹ 200 लाख से कम के जोखिम वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए आंतरिक क्रेडिट रेटिंग स्कोरकार्ड.
10. ऐसे मामलों में जहां प्रस्ताव एमसीबी के डीएलपी में आते हैं, सेवा प्रभार (ब्याज दर को छोड़कर) में छूट की अनुमति हेतु शक्तियों पर दिशानिर्देशों में संशोधन.
11. डिजिटल ऑटो ऋण और डिजिटल शिक्षा ऋण के लिए स्कोरकार्ड.
12. वैश्विक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति.
13. विदेशी टेरिटरी के लिए समूहन ऋण नीति.
14. कंट्री रिस्क एक्सपोजर की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग.
15. कॉर्पोरेट और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए जोखिम रेटिंग अंतरण/ ट्रांजिशन मैट्रिक्स विश्लेषण की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग.

* ceased to be member during the year.

During the year, the Committee *inter-alia* approved/reviewed following:

Credit Risk

1. Review of the Discretionary Lending Power (DLP) upto the level of Executive Director (ED) with modifications in :DLP structure based on Credit Rating and/ or constitution type of the borrower and quantum of DLP
2. Revision in the exposure cap fixation methodology for various State Governments
3. Methodology for fixation of internal exposure caps for group borrowers within the prudential Large Exposure Framework based on the "Group Borrower Risk Assessment Model"
4. Internal capital Adequacy Assessment process (ICAAP) and Stress Testing Impact Analysis
5. Syndication Loan Policy for Overseas Territories
6. Corporate Policy for Management and Recovery of Non Performing Assets Advances (Domestic & Overseas branches)
7. Approval of validation/ back testing of EASE Rating models carried out internally by Model Validation Cell of Risk Management Department
8. Approval of modifications in the existing "EASE Risk Scorecard Models" for Credit Risk Evaluation of large corporate & MSME borrowers
9. Internal Credit Rating Scorecard for MSME borrower with exposure Rs.2 lakh to below Rs.200 lakhs
10. Modifications in guidelines on powers for allowing concessions in service charges (excluding Rate of Interest) in cases where proposals fall under the DLP of MCB
11. Scorecard for Digital Auto Loan and Digital Education Loan
12. Global Credit Exposure Management Policy
13. Syndication Loan Policy for Overseas Territories
14. Reporting of quarterly position of Country Risk Exposure
15. Reporting of quarterly position of Risk rating migration/ transition matrix analysis for Corporate and MSME borrowers

16. प्रतिपक्ष बैंकों पर एक्सपोजर सीमा संबंधी नीति में जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क समीक्षा के तहत विभिन्न सीमाओं की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग.
17. बेसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग.
18. विभिन्न विभागों की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग.
19. ऋण नीति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग.

परिचालनगत जोखिम

1. 'सेवाओं की आउटसोर्सिंग' पर नीति
2. साइबर सुरक्षा नीति
3. सूचना सुरक्षा नीति
4. परिचालन जोखिम हानि डेटा और उससे संबंधित पहलुओं की अर्धवार्षिक स्थिति की रिपोर्टिंग.
5. घरेलू और विदेशी परिचालनों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग.
6. उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग
7. व्यवसाय निरंतरता योजना पर नीति

बाजार जोखिम/ एएलएम

1. सप्लाई चेन वित्त खातों के स्पोक (अर्थात् डीलर एवं एंकर्स के विक्रेता – लार्ज कॉरपोरेट और एसएमई – विस्तारित) के लिए ब्याज दर को मौजूदा एमसीएलआर से बीआरएलएलआर से लिंक करने की स्वीकृति
2. घरेलू रुपया लेनदेन के लिए निवेश नीति
3. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
4. समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति
5. एफबीआईएल पोलिंग के लिए हितों के टकराव पर नीति सहित वित्तीय बेंचमार्क प्रस्तुत करने संबंधी नीति
6. चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की तिमाही स्थिति की रिपोर्टिंग
7. वैश्विक एएलसीओ बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग

5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है. यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं दो गैर–कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर–कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1

बैठकों की तारीखें: 30.06.2021

16. Reporting of quarterly status of various limits under Risk Appetite Framework Review in the Policy on Exposure Limits on Counterparty Banks
17. Reporting quarterly position of Capital Adequacy Ratio under Basel III Capital Adequacy Framework
18. Reporiting quarterly position of various portfolios
19. Reporting of minutes of Credit Policy Committee meetings

Operational Risk

1. Policy on "Outsourcing of Services"
2. Cyber Security Policy
3. Information Security Policy
4. Reporting of half yearly position of Operational Risk Loss Data and its related aspects.
5. Reporting of quarterly position of Key Risk Indicators for domestic & overseas operations.
6. Reporting of minutes of Enterprise Risk Management Committee meetings
7. Policy on Business Continuity Plan

Market Risk/ALM

1. Approval of the linking of interest rate for Supply Chain Finance accounts of Spokes (i.e. Dealers and Vendors of Anchors – Large Corporates & SME-Expanded) to BRLLR from existing MCLR
2. Investment Policy for Domestic Rupee Transactions
3. Market Risk Management Policy
4. Group Asset Liability Management Policy
5. Policy on Financial Benchmark Submissions including Policy on Conflict of Interest for FBIL Polling
6. Reporting of quarterly position of Liquidity and Interest Rate Risk
7. Reporting of minutes of Global ALCO meetings

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and two non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 30.06.2021

निदेशक का नाम	Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)*	Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	1	1
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	-	-
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	1	1
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	1	1
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	1	1
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	1	1
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	-	-
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	-	-

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

वर्ष के दौरान प्राप्त निम्नलिखित शिकायतें / अनुरोध एवं उनका निवारण किया गया:

Following requests/complaints received and resolved during the year:

दि. 01.04.2021 तक लंबित Pending as on 01.04.2021	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the year	दि. 31.03.2022 तक लंबित Pending as on 31.03.2022
0	644	644	0

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के तहत बैंक के ''अनुपालन अधिकारी'' के रूप में नामित किया गया है.

6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर ''उपयुक्त एवं समुचित'' स्थिति सुनिश्चित करती है. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 2

बैठकों की तारीखें: 28.06.2021, 26.11.2021

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated “Compliance Officer” of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. Nomination & Remuneration Committee

The Committee ascertains ‘Fit and Proper’ status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings: 28.06.2021, 26.11. 2021

निदेशक का नाम	Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्रीमति सौंदरा कुमार (अध्यक्ष)*	Smt. Soundara Kumar (Chairperson)*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	2	2
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	-	-
डॉ. हसमुख अढ़िया	Dr. Hasmukh Adhia	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	Shri Srinivasan Sridhar*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	1	1
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.12.2021	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	-	-

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

7. ग्राहक सेवा समिति

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना और संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है.

समिति निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करती है:

- सेवा के वर्तमान स्तर को बेंचमार्क करना और उस स्तर में वृद्धि करने के लिए कदम उठाना.
- विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना, पुनरावृत्ति स्वरूप की शिकायतों के मूल कारणों का विश्लेषण करना और ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं/ लॉकर किराएदारों/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.
- लंबित सीओपीआरए मामलों की स्थिति की समीक्षा.
- विवादित एटीएम लेनदेनों की स्थिति पर चर्चा करना और ग्राहक फीडबैक सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना.

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee has also the following tasks:

- To benchmark the current level of service and initiate steps to further improve the level.
- To review the status of complaints lodged on various portals periodically, conducting root cause analysis of complaints of repetitive nature and suggesting remedial measures to minimise such complaints.
- To review the status of the awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- To review the status of the number of deceased claims remaining pending /outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors /locker hirers / depositor of safe custody articles.
- To review the status of the COPRA cases remaining pending.
- To discuss the status of disputed ATM transactions and analyse the Customer Feedback Survey report.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 30.06.2021, 24.09.2021, 07.12.2021, 25.03.2022

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

30.06.2021, 24.09.2021, 07.12.2021, 25.03.2022

निदेशक का नाम	Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	1	1
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	3
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	Shri Srinivasan Sridhar*	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

8. उच्च मूल्य राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी करती है ताकि:

(ए) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें.

(बी) धोखाधड़ी पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान, यदि है, तथा बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग.

(सी) सीबीआई/ पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी.

(डी) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए.

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.

b) Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.

c) Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.

d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

(ई) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना.

(एफ) ऐसे अन्य उपाय करना जो धोखाधड़ी के विरूद्ध निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त समझे जाएं.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

19.05.2021, 26.08.2021, 26.11.2021, 24.02.2022

e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls etc.

f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

19.05.2021, 26.08.2021, 26.11.2021, 24.02.2022

निदेशक/सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	3
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री शांति लाल जैन (आमंत्रिती)*	Shri Shanti Lal Jain (Invitee)*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	2	2
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	3	3
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती)	Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	1	1
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती)	Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	1	1
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	3	2
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	Shri Debadatta Chand (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 07.08.2021	1	1
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	Shri Srinivasan Sridhar*	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	3	3
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	3	3
श्री शिव नारायण कौशिक (आमंत्रिती)*	Shri Shiv Narain Kaushik (Invitee)*	सीवीओ CVO	01.04.2021 to 26.08.2021	2	2
श्री अशोक प्रधान (आमंत्रिती)	Shri Ashok Pradhan (Invitee)	सीवीओ CVO	26.11.2021 to 31.03.2022	2	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं सायबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 20.04.2021, 19.07.2021, 21.10.2021, 28.12.2021

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 20.04.2021, 19.07.2021, 21.10.2021, 28.12.2021

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर* (अध्यक्ष)	Shri Srinivasan Sridhar * (Chairman)	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री शांति लाल जैन* (आमंत्रिती)	Shri Shanti Lal Jain*(Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	1	1
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	08.08.2021 to 31.03.2022	2	2
डॉ. दीपक बी पाठक - सलाहकार	Dr. Deepak B. Phatak - Advisor	सलाहकार Advisor	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री प्रवीर कुमार वोहरा -सलाहकार	Shri Pravir Kumar Vohra -Advisor	सलाहकार Advisor	08.08.2021 to 31.03.2022	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

बैंक लगभग हर वर्टिकल में डिजिटल परिवर्तन की पहल कर रहा है एवं ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचना को विकसित कर रहा है. वर्तमान समय में बैंक एक उच्च स्तरीय क्लाउड रणनीति को लागू कर रहा है जो व्यावसायिक मामले और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है, इस प्रकार आईटी अवसंरचना को निरंतर अपग्रेड कर रहा है.

Bank is in the verge of digital transformation in almost every vertical and accordingly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Bank is presently defining a high level cloud strategy that is based on business case and financial management thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

मानव संसाधन पर बोर्ड की रणनीतिक सलाहकार समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है. बैंक ने एक एचआर विशेषज्ञ को समिति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

29.06.2021, 23.09.2021, 08.12.2021, 19.03.2022

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Strategic Advisory Committee of the Board on HR discusses various matters/issues related to Human Resources. The Bank has inducted one specialist in the area of HR as Advisors to the Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

29.06.2021, 23.09.2021, 08.12.2021, 19.03.2022

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री शांति लाल जैन* (आमंत्रिती)	Shri Shanti Lal Jain (Invitee) *	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	1	1
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रिती	Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची (आमंत्रिती)	Shri Vikramaditya Singh Khichi (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 24.10.2021	2	2
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)	Shri Debadatta Chand (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	25.10.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	25.10.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्रीमति सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	3	3
श्री कृष शंकर – सलाहकार	Shri Krish Shankar - Advisor	सलाहकार Advisor	01.04.2021 to 31.03.2022	4	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/ अनुमोदन किया है:

- बैंक में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) पद की शुरूआत पर शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/ वेतनमान-VIII में कार्यपालकों के लिए परिलब्धियों एवं भत्तों का निर्धारण तथा पूर्णकालिक निदेशकों की परिलब्धियों एवं भत्तों में अनुवर्ती संशोधन.
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग के व्यापक निर्देशों के अनुसार बैंक में मिड-कैरियर प्रशिक्षण संरचना के लिए दिशानिर्दे शों/ नीति में संशोधन.
- निर्बाध चिकित्सा व्यय का दावा करने के लिए बैंक के सेवारत और सेवानिवृत्त डब्ल्यूटीडी (पूर्णकालिक निदेशकों) को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करना.
- अनिवार्य अवकाश नीति की समीक्षा.
- संविदा/ अल्पावधि नियुक्ति के आधार पर बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालकों की सेवाओं की नियुक्ति पर बैंक की नीति में संशोधन.
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी कल्याण कोष के तहत व्यय और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट.
- ऐसे कर्मचारियों/ अधिकारियों को पेंशन का दूसरा विकल्प प्रदान करना जिनपर बैंक की सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया.
- कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया नीति की समीक्षा.
- कोविड संक्रमित स्टाफ सदस्यों की चिकित्सा के लिए उनके द्वारा किए गए विविध खर्चों की चुकौती के लिए एकमुश्त राशि के भुगतान की योजना की वैधता में विस्तार करना.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति में वृद्धि की सुविधा हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी कल्याण कोष के प्रति ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त बजट आबंटन.
- मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति/ अनुग्रह वित्तीय राहत के भुगतान की मौजूदा योजना की समीक्षा.
- अंशकालिक स्वीपर/ स्वीपर-सह-चपरासी को पूर्णकालिक स्वीपर-सह-चपरासी के रूप में पदोन्नत करने के लिए एकबारगी समझौता करने की स्वीकृति.
- ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है, के आश्रितों के लिए ₹ 30 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए योजना की वैधता में विस्तार.
- संविदा के आधार पर स्थायी अवधि की नियुक्ति पर रिसीवेबल्स प्रबंधन वर्टिकल के लिए शाखा रिसीवेबल्स प्रबंधकों (बीआरएम) की भर्ती.
- कार्यपालकों के योग्यता मूल्यांकन पर नीति
- स्टाफ जवाबदेही परीक्षण नीति 2022 का अनुमोदन

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के अनुरुप सतर्कता/ गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है.

During FY 2021-22, the Committee *inter-alia* approved/ reviewed the following:

- Fixing the perquisite and allowances for Executives in TEG/S-VIII on introduction of Chief General Manager (CGM) position in the Bank and consequential revision in the perquisites and allowances of Whole Time Directors.
- Modification in Guidelines / Policy for Mid-Career Training Structure in the Bank, in terms of the broad directives of Training Division of Central Vigilance Commission.
- Extending Smart Health Card to the in-service and retired WTDs (Whole Time Directors) of the Bank to claim hassle free medical expenditure.
- Review of Mandatory Leave Policy.
- Modification in the Bank's Policy on Engagement of the Services of Retired Executives of the Bank on Contract/ Short Term Assignment Basis.
- Expenses under Staff Welfare Fund for the F.Y. 2020-21 and budget for the F.Y. 2021-22.
- Extending 2nd option of pension to Employees/ Officers who have been imposed with the punishment of Compulsory Retirement from the services of the Bank.
- Review of Social Media Policy for Employees.
- Extending the validity of the Scheme for payment of lumpsum amount to COVID infected staff members to defray the miscellaneous expenses incurred by them for treatment.
- Additional budget allocation of Rs. 10 Crs. towards Staff Welfare Fund for the F.Y. 2021-22 for facilitating enhancement of reimbursement of Medical Insurance premium for retired employees.
- Review of the existing scheme of Compassionate Appointment/ payment of Ex-Gratia financial relief on compassionate grounds for the dependents of the deceased employees.
- Clearance for entering into a one-time settlement for elevation of Part-time Sweepers/ Sweeper-cum-Peons into Full-time Sweeper-cum-Peons
- Extending validity of the scheme for payment of additional financial assistance of Rs. 30 lacs. to the dependents of employees who have expired due to COVID
- Recruitment of Branch Receivables Managers (BRMs) for Receivables Management vertical on Fixed Term Engagement on Contractual Basis
- Policy on Competency Assessment of Executives
- Approval of Staff Accountability Examination Policy 2022

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

08.07.2021, 26.08.2021, 07.12.2021, 25.02.2022

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

08.07.2021, 26.08.2021, 07.12.2021, 25.02.2022

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	गैर-कार्यकारी – नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	2
श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	Smt. Parvathy V Sundaram	गैर-कार्यकारी – नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री देबदत्त चाँद (आमंत्रिती)*	Shri Debadatta Chand (Invitee)*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 24.10.2022	2	2
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रिती)	Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	25.10.2021 to 31.03.2022	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा करती है; ऋण एवं अग्रिमों की वसूली प्रणाली एवं वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 06

बैठकों की तारीखें:

19.05.2021, 19.07.2021, 23.09.2021, 25.11.2021, 28.12.2021, 24.03.2022

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 06

Dates of Meetings:

19.05.2021, 19.07.2021, 23.09.2021, 25.11.2021, 28.12.2021, 24.03.2022

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	6	6
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	6	6

श्री शांति लाल जैन *	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	2	2
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	6	5
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	6	6
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	6	5
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	3	3
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री सुब्रत कुमार	Shri Subrat Kumar	मुख्य महाप्रबंधक CGM	01.04.2021 to 31.03.2022	3	3
श्री राजेश मल्होत्रा	Shri Rajesh Malhotra	महाप्रबंधक GM	01.04.2021 to 03.10.2021	1	1
श्री एम वी मुरली कृष्ण	Shri M V Murali Krishna	महाप्रबंधक GM	04.10.2021 to 31.03.2022	2	2
श्रीमती जया चक्रवर्ती	Smt. Jaya Chakraborty	महाप्रबंधक- मुख्य समन्वयन GM-CC	01.04.2021 to 31.03.2022	5	5
श्री संजय भगोलीवाल	Shri Sanjay Bhagoliwal	महाप्रबंधक GM	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

समिति ने एनपीए एवं बट्टाकृत खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ता, आईबीसी के अंतर्गत प्रगति एवं वसूली में वृद्धि हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/ पहलों के समग्र कार्यान्वयन/ प्रगति की समीक्षा की.

13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर निदेशक मंडल की संचालन समिति

समिति द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा बैंक द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा उसके सामाजिक प्रभाव हेतु पारदर्शी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

29.06.2021, 23.09.2021, 08.12.2021, 24.03.2022

* ceased to be member during the year.

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR

The Committee oversees all activities under the Bank's Corporate Social Responsibility Policy and institutes a transparent monitoring mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the Bank and social impact of the same.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

29.06.2021, 23.09.2021, 08.12.2021, 24.03.2022

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.08.2021	1	1
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय	Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	2	2
श्री अजय सिंघल	Shri Ajay Singhal	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

14. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है.

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 07

बैठकों की तारीखें:

19.05.2021, 19.07.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 25.11.2021, 29.12.2021, 25.03.2022

* ceased to be member during the year.

14. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 07

Dates of Meetings:

19.05.2021, 19.07.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 25.11.2021, 29.12.2021, 25.03.2022

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	7	7

श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 07.08.2021	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.01.2022 to 31.03.2022	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	Shri Srinivasan Sridhar*	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.12.2021	6	6
श्री आलोक वाजपेयी	Shri Alok Vajpeyi	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	08.08.2021 to 31.03.2022	5	5

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

* ceased to be member during the year.

15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति

यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में गठित की गई है:

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 03

बैठकों की तारीखें:

22.07.2021, 31.07.2021, 29.03.2022

15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

This Committee is constituted as per Government of India guidelines with regarding to annual performance evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors, Chief General Managers and General Managers:

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 03

Dates of Meetings:

22.07.2021, 31.07.2021, 29.03.2022

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	पदनाम Designation	अवधि Period	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	अध्यक्ष, गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Chairman, Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	3	3
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	गैर–कार्यकारी – नामित निदेशक Non-Executive - Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	3	3
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	गैर–कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक Non-Executive - Independent Director	01.04.2021 to 31.03.2022	3	3

16. ग्रेड/ वेतनमान – VII और VIII के उच्च प्रबंधन कार्यपालकों के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में अपीलों पर विचार करने के लिए समिति

यह समिति टीईजी/एस– VII में महाप्रबंधकों और टीईजी/एस– VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों में अपीलों से निपटने के लिए गठित है.

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बैठक का आयोजन नहीं हुआ.

16. Committee to consider Appeals in respect of Disciplinary Cases of Top Management Executives in Grade / Scales – VII and VIII

This Committee is constituted to deal with appeals in the matters of disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII and Chief General Managers in TEG/S-VIII.

No Meeting was held during the FY 2021-22.

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर- कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप वेतन के रूप में किया गया. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below:

Remuneration paid during the Financial Year 2021-22:

नाम	Name	पदनाम Designation	वेतन (ए) Salary (A)	परिलब्धियां (बी) Perquisites(B)	वित्त वर्ष 2021-22 में पारिश्रमिक (ए+बी) Total Remuneration in FY 2021-22 (A+B)
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	₹ 38,19,051	₹ 2,27,191	₹ 40,46,242
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	कार्यपालक निदेशक (31.08.2021 तक) Executive Director Executive Director (up to 31.08.2021)	₹ 30,14,656	₹ 4,18,319	₹ 34,32,975
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 30,69,385	₹ 4,26,543	₹ 34,95,928
श्री अजय के. खुराना	Shri Ajay K. Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 31,51,586	₹ 4,19,609	₹ 35,71,195
श्री देबदत्त चाँद	Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 28,47,808	₹ 3,90,823	₹ 32,38,631
श्री जयदीप दत्ता रॉय	Shri. Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (21.10.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 21.10.2021)	₹ 52,34,324#	₹ 1,49,821	₹ 53,84,145#

*कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई.

₹ 39,48,633 बैंक ऑफ़ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में उनके वेतन से संबंधित है.

- वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन लिंक प्रोत्साहन - शून्य
- सूचीबद्ध संस्था की तुलना में गैर-कार्यपालक निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन - शून्य

*ceased during the year on completion of tenor.

₹ 39,48,633 pertains to his salary as CGM in BoB.

- Performance Linked Incentives paid during 2021-22: Nil
- All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity – NIL

गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क दिया जाता है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	राशि (₹)
1	डॉ. हसमुख अढ़िया	₹ 23,95,000
2	श्री श्रीनिवास श्रीधर	₹ 25,00,000
3	श्रीमती सौंदरा कुमार	₹ 25,00,000
4	श्रीमती पार्वती सुंदरम	₹ 25,00,000
5	श्री आलोक वाजपेयी	₹ 17,70,000
6	श्री अजय सिंघल	₹ 6,30,000

आम सभा की बैठकें

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से दिनांक 08 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	डॉ. हसमुख अढ़िया	अध्यक्ष
2.	श्री संजीव चड्ढा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री अजय के. खुराना	कार्यपालक निदेशक
6.	श्री देबदत्त चाँद	कार्यपालक निदेशक
7.	श्री श्रीधर श्रीनिवास	निदेशक (शेयरधारक)-अध्यक्ष एसआरसी एवं एसीबी
8.	श्रीमती सौंदरा कुमार	निदेशक (शेयरधारक)

गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य सभा/ पोस्टल बैलट की आयोजित बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2021-22 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India):

Sr. No.	Name of the Director	Amount
1	Dr. Hasmukh Adhia	₹ 23,95,000
2	Shri Srinivasan Sridhar	₹ 25,00,000
3	Smt. Soundara Kumar	₹ 25,00,000
4	Smt. Parvathy Sundaram	₹ 25,00,000
5	Shri Alok Vajpeyi	₹ 17,70,000
6	Shri Ajay Singhal	₹ 6,30,000

GENERAL BODY MEETINGS

The 25th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2020-21 was held on 08th July, 2021 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in which following directors participated.

1.	Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2.	Shri Sanjiv Chadha	MD & CEO
3.	Shri Shanti Lal Jain	Executive Director
4.	Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director
5.	Shri Ajay K. Khurana	Executive Director
6.	Shri Debadatta Chand	Executive Director
7.	Shri Srinivasan Sridhar Chairman SRC & ACB	Director (Shareholder)
8.	Smt. Soundara Kumar	Director (Shareholder)

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	कार्यवाही Business Performed
ईजीएम EGM	07 दिसंबर, 2021 को सुबह 11.00 बजे 07th December 2021 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री श्रीधर श्रीनिवास का पुनः निर्वाचन Re-elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.

25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 25th Annual General Meeting (AGM)	08 जुलाई, 2021 को सुबह 11.00 बजे 08th July, 2021 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	• वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन • विशेष संकल्प द्वारा विभिन्न माध्यमों से ₹ 2,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी जुटाने का अनुमोदन • कैरी फोरवर्ड हानि के समायोजन के लिए शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन को अनुमोदन. • बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री आलोक वाजपेयी का निर्वाचन • Approved Annual Financial Results for the year 2020-21. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 2,000/- crore by way of various modes by Special Resolution. • Approved appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss. • Elected Shri Alok Vajpeyi as Shareholder Director of the Bank
ईजीएम EGM	23 दिसंबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे 23rd December 2020 at 11.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्रीमती सौंदरा कुमार का पुनः निर्वाचन Re-elected Smt. Soundara Kumar as Shareholder Director of the Bank.
24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 24th Annual General Meeting (AGM)	31 जुलाई, 2020 को सुबह 10.00 बजे 31st July, 2020 at 10.00 a.m.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	• वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन • विशेष संकल्प द्वारा विभिन्न माध्यमों से ₹ 9,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी जुटाने का अनुमोदन • Approved Annual Financial Results for the year 2019-20. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 9,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.
23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 23rd Annual General Meeting (AGM)	दिनांक 27 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे 27th June, 2019 at 10.00 a.m.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चोकड़ी के पास, आजवा रोड - वडोदरा 390019 Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390019	• वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन • विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से ₹ 11,900/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन • बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीदी योजना (''बीओबी-ईएसपीएस'') के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को 15,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करना • Approved Annual Financial Results for the year 2018-19. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 11,900/- crore by way of various modes by Special Resolution.

			• Issue of 15,00,00,000 Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS")
पोस्टल बैलट Postal Ballot	10 दिसंबर, 2019 10th December 2019	पोस्टल बैलट Postal Ballot	विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य की दर से ₹ 107.45 प्रति शेयर पर 65,14,65,798 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/ संवीक्षा की गई Approved by Special Resolution to issue upto 65,14,65,798 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 107.45 per share to GOI on preferential basis. Postal Ballot exercise has been taken in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai.
पोस्टल बैलट Postal Ballot	8 जून, 2019 08th June 2019	पोस्टल बैलट Postal Ballot	विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य की दर से ₹ 117.65 प्रति शेयर पर 42,85,59,286 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/ संवीक्षा की गई Approved by Special Resolution to issue upto 42,85,59,286 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 117.65 per share to GOI on preferential basis. Postal Ballot exercise has been taken in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai.

संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संप्रेषण साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है. निवेशकों एवं हितधारकों को समय पर, पारदर्शी तरीके से एवं व्यापक स्तर पर सूचनाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication. Timely, transparent and enhanced level of disclosures to investors and stakeholders is ensured. To facilitate shareholders' participation, Bank is

किया जाता है. शेयरधारकों की सहभागिता में सुविधा हो इसके लिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है और प्रॉक्सी एवं प्रतिनिधियों को शेयरधारकों की अनुपस्थिति में उनकी ओर से मतदान की अनुमति देता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत या भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक वित्तीय परिणामों तथा प्रबंधन के दृष्टिकोण के संबंध में विश्लेषकों की बैठकें, मीडिया मीट, निवेशकों/ विश्लेषकों आदि के साथ भी बैठकें आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही/ ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ–साथ विश्लेषकों को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाएं बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर उपलब्ध रहते हैं. विश्लेषक बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और आर्काइव वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है.

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022
खातों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	13 मई, 2022
लेखाबंदी की तारीख	21 जून, 2022 से 27 जून, 2022 तक
लाभांश के लिए रिकॉर्ड तारीख	20 जून, 2022
लाभांश भुगतान की तारीख	घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर
26वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	दिनांक : 27 जून, 2022 समय : सुबह 11.00 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

using Electronic voting platform and allowing proxies and authorized representatives to vote on behalf of shareholders in absentia.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank also organizes analyst meets, media meets, meetings with investors/analysts etc. on Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official announcements are posted on the Bank's Website - www.bankofbaroda.in. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also made available on the website for 30 days.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1st April, 2021 to 31st March, 2022
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	13th May 2022
Book Closure Date	From 21st June 2022 to 27th June 2022
Cut off date for Dividend	20th June 2022
Dividend Payment Date	Within 30 days from declaration.
Date, Time & Venue of the 26th AGM	Date: 27th June 2022 Time: 11.00 A.M. Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई – 400 001 बीएसई कोड : 532134

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2021 से 31.03.2022 तक) (प्रत्येक ₹ 2/– के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2021 to 31.03.2022) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)

अवधि Period	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
	उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	व्यापार प्रमात्रा (सं.) Volume Traded (Nos. of Shares)	उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	व्यापार प्रमात्रा (सं.) Volume Traded (Nos. of Shares)
अप्रैल/Apr-21	77.40	61.75	872650563	77.45	61.80	50516959
मई/May-21	84.60	64.35	1561351818	84.65	64.30	85680438
जून/Jun-21	88.90	77.05	1237939777	88.90	77.15	76566639
जुलाई/Jul-21	87.20	76.90	636565622	87.15	76.90	37827199
अगस्त/Aug-21	85.40	72.50	683227637	85.70	72.50	58761420
सितंबर/Sep-21	86.65	76.70	605790165	86.60	76.75	55836074
अक्तूबर/Oct-21	103.75	80.00	1424963555	103.70	79.95	90557652
नवंबर/Nov-21	108.00	85.05	872677346	108.00	85.05	59446570
दिसंबर/Dec-21	95.30	77.05	574938833	95.35	77.00	41737570
जनवरी/Jan-22	108.40	81.60	787309095	108.35	81.60	54853934
फरवरी/Feb-22	118.80	99.05	1209496399	118.85	99.50	78159751
मार्च/Mar-22	114.95	91.00	968886508	114.90	91.00	55751568

बी. अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2021 to March 2022 (Monthly Closing Values)

तारीख Date	निफ्टी 50 NIFTY 50	% परिवर्तन % Change	निफ्टी बैंक NIFTY BANK	% परिवर्तन % Change	बीओबी एनएसई BOB NSE (प्रत्येक ₹ 2 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) (Equity Share of FV of ₹2/- each)	% परिवर्तन % Change
30 अप्रैल 21/30-Apr-21	14631.10	-	32781.80	-	66.75	-
31 मई 21/31-May-21	15582.80	6.50%	35526.65	8.37%	80.70	20.90%
30 जून 21/30-Jun-21	15721.50	0.89%	34772.20	-2.12%	85.90	6.44%
30 जुलाई 21/30-Jul-21	15763.05	0.26%	34584.35	-0.54%	80.30	-6.52%
31 अगस्त 21/31-Aug-21	17132.20	8.69%	36424.60	5.32%	77.35	-3.67%
30 सितंबर 21/30-Sep-21	17618.15	2.84%	37425.10	2.75%	81.75	5.69%
29 अक्तूबर 21/29-Oct-21	17671.65	0.30%	39115.60	4.52%	97.50	19.27%
30 नवंबर 21/30-Nov-21	16983.20	-3.90%	35695.30	-8.74%	85.75	-12.05%
31 दिसंबर 21/31-Dec-21	17354.05	2.18%	35481.70	-0.60%	81.95	-4.43%
31 जनवरी 22/31-Jan-22	17339.85	-0.08%	37975.35	7.03%	107.55	31.24%
28 फरवरी 22/28-Feb-22	16793.90	-3.15%	36205.30	-4.66%	106.55	-0.93%
31 मार्च 22/31-Mar-22	17464.75	3.99%	36373.60	0.46%	111.60	4.74%

तारीख Date	S&P BSE SENSEX	% परिवर्तन % Change	S&P BSE BANKEX	% परिवर्तन % Change	BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	% परिवर्तन % Change
30 अप्रैल 21/30-Apr-21	48782.36	-	37304.97	-	66.75	-
31 मई 21/31-May-21	51937.44	6.47%	40344.68	8.15%	80.70	20.90%
30 जून 21/30-Jun-21	52482.71	1.05%	39349.98	-2.47%	85.95	6.51%
30 जुलाई 21/30-Jul-21	52586.84	0.20%	39190.11	-0.41%	80.30	-6.57%
31 अगस्त 21/31-Aug-21	57552.39	9.44%	41469.62	5.82%	77.35	-3.67%
30 सितंबर 21/30-Sep-21	59126.36	2.73%	42727.61	3.03%	81.75	5.69%
29 अक्तूबर 21/29-Oct-21	59306.93	0.31%	44650.66	4.50%	97.50	19.27%
30 नवंबर 21/30-Nov-21	57064.87	-3.78%	40779.11	-8.67%	85.75	-12.05%
31 दिसंबर 21/31-Dec-21	58253.82	2.08%	40408.50	-0.91%	81.95	-4.43%
31 जनवरी 22/31-Jan-22	58014.17	-0.41%	43569.48	7.82%	107.55	31.24%
28 फरवरी 22/28-Feb-22	56247.28	-3.05%	41635.83	-4.44%	106.55	-0.93%
31 मार्च 22/31-Mar-22	58568.51	4.13%	41753.80	0.28%	111.60	4.74%

व्यापार से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण – शून्य

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/ कार्यों

Details of securities suspended from trading - NIL

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited) as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected

को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं:–

केफिन टेक्नोलोजी लिमिटेड
(पूर्व में केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल,
हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना
ई मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : https://www.kfintech.com
टोल फ्री नं. – 1– 800–309–4001

सदस्यों को यह नोट करने हेतु सूचित किया जाता है कि हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों ने हमारे निवेशकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप केपीआरआईएसएम और वेबसाइट https://kprism.kfintech.com/ का शुभारंभ किया है. अब आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और केफिनटेक द्वारा संभाले जा रहे अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं. लाभांश की स्थिति की जांच करें, वार्षिक रिपोर्ट के लिए अनुरोध, पते में परिवर्तन, बैंक मैंडेट में परिवर्तन/ अपडेट करें और मानक फॉर्म डाउनलोड करें. **एंड्रायड मोबाइल एप्लिकेशन** को प्ले स्टोर (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karvy.kprismv3) से डाउनलोड की जा सकता है.

निजी रूप से रखे गए बांडों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिनके पते निम्नानुसार हैं :–

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भू – तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट मुंबई – 400 001 टेलीफोन : (022) 40807000 ई मेल : itsl@idbitrustee.com	सेंटबैंक फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लि. सेंट्रल बैंक – एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, मुंबई – 400001 टेलीफोन : (022) 2261 6217 ई मेल : hv.kamdar@cfsl.in
मेसर्स केटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.: जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भूसारी कलोनी (दाएं), पौड रोड, पुणे – 411 038 टेलीफोन : (022) 2528 0081 ई मेल : dt@ctltrustee.com	मेसर्स केनरा बैंक: मेसर्स केनरा बैंक: ईटी एवं टी सेक्शन, एफएम एवं एस विंग, हेड ऑफिस, सं. 112, जे. सी. रोड, बेंगलुरु – 560002 टेलीफोन : 080–22223165 ई मेल : hoett@canarabank.com

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

KFin Technologies Limited
(Formerly known as KFin Technologies Private Limited)
(Unit: Bank of Baroda)
Selenium Tower B, Plot 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032, Telangana
Email id - einward.ris@kfintech.com
Website: https://www.kfintech.com
Toll free number - 1- 800-309-4001

Members are requested to note that, our Registrar and Share Transfer Agents have launched a new mobile app **KPRISM** and website https://kprism.kfintech.com/ for our investors. Now you can download the mobile app and see your portfolios serviced by KFINTECH. Check Dividend status , request for annual reports , change of address, change / update Bank mandate and download standard forms. The **android mobile application** can be downloaded from Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karvy.kprismv3)

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 Tel: (022) 40807000; Email: itsl@idbitrustee.com	Centbank Financial Services Ltd Central Bank - MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing) 55 MG Road, Fort, Mumbai 400001 Tel: (022) 2261 6217; Email: hv.kamdar@cfsl.in
M/s. Catalyst Trusteeship Ltd: GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune - 411 038 Tel: (020) 2528 0081; Email: dt@ctltrustee.com	M/s. Canara Bank: ET & T Section, FM&S Wing, Head Office, No. 112, JC Road, Bangalore – 560002 Tel: 080-22223165; Email: hoett@canarabank.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ बडौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बडौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है. इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholedrdirectors@bankofbaroda.com	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड अलकापुरी, वडोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल: cs.ho@bankofbaroda.com

The Company Secretary Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholedrdirectors@bankofbaroda.com	The General Manager Operations and Services Bank of Baroda, Head Office 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E–mail: cs.ho@bankofbaroda.com

शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च 2022 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2022

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Description	कुल मामले Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
1	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	PRESIDENT OF INDIA (GOVERNMENT OF INDIA)	1	3308184689	63.97
2	म्यूचुअल फंड	MUTUAL FUNDS	150	513117299	9.92
3	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प	FOREIGN PORTFOLIO - CORP	219	472773527	9.14
4	निवासी व्यक्ति	RESIDENT INDIVIDUALS	1261853	400879074	7.75
5	बीमा कंपनियां	INSURANCE COMPANIES	17	254057519	4.91
6	पात्र संस्थागत क्रेता	QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER	51	102912406	1.99
7	कॉर्पोरेट निकाय	BODIES CORPORATES	3325	50200088	0.97
8	समाशोधन सदस्य	CLEARING MEMBERS	292	23396333	0.45
9	अनिवासी भारतीय	NON RESIDENT INDIANS	8444	15108072	0.29
10	एचयूएफ़	H U F	12032	10516885	0.20
11	बैंक	BANKS	17	9798820	0.19
12	अनिवासी भारतीय-गैर प्रत्यावर्तनयोग्य	NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE	4156	4511296	0.09

13	वैकल्पिक निवेश निधि	ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	12	2811979	0.05
14	कर्मचारी	EMPLOYEES	1786	1810936	0.04
15	ट्रस्ट	TRUSTS	46	1097475	0.02
16	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	OVERSEAS CORPORATE BODIES	3	110000	0.00
17	विदेशी संस्थागत निवेशक	FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS	25	55000	0.00
18	एनबीएफ़सी	NBFC	6	11339	0.00
19	भारतीय वित्तीय संस्थान	INDIAN FINANCIAL INSTITUTIONS	1	4752	0.00
20	विदेशी नागरिक	FOREIGN NATIONALS	5	4146	0.00
21	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	UNIT TRUST OF INDIA	2	544	0.00
	कुल Total		1292443	5171362179	100.00

बी. शेयरधारकों का वितरण – 31 मार्च 2022 तक श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2022

क्र.सं. Sr. no	श्रेणी Category	धारकों की संख्या No. of Holders	धारकों का %. % of Holders	शेयरों की संख्या No of Shares	राशि Amount	% राशि % Amount
1	1 - 5000	1282467	99.23%	309343717	61,86,87,434	5.98%
2	5001 - 10000	6758	0.52%	46913960	9,38,27,920	0.91%
3	10001 - 20000	1627	0.13%	22972032	4,59,44,064	0.44%
4	20001 - 30000	485	0.04%	12087433	2,41,74,866	0.23%
5	30001 - 40000	197	0.02%	6920876	1,38,41,752	0.13%
6	40001 - 50000	154	0.01%	7215442	1,44,30,884	0.14%
7	50001 - 100000	275	0.02%	20338763	4,06,77,526	0.39%
8	100001 and above	480	0.04%	4745569956	9,49,11,39,912	91.77%
	कुल Total	1292443	100.00%	5171362179	10,34,27,24,358	100.00%

सी . प्रतिभूतियों का डिमैटरलाइजेशन

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के डिमैटरलाइजेशन के लिए करार किया है. शेयरधारक अपने शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से डिमैटरलाइजेशन कर सकते हैं.

31 मार्च 2022 को बैंक के पास भौतिक एवं अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2022 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्र.सं. Sr No	धारिता का प्रकार	Nature of holding	धारकों की संख्या No. of Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत % Percentage %
1	भौतिक	PHYSICAL	124322	35246025	0.68
2	एनएसडीएल	NSDL	488016	1626321245	31.45
3	सीडीएसएल	CDSL	680105	3509794909	67.87
	कुल :	Total:	1292443	5171362179	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 इक्विटी शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2022 तक रद्द कर दिए गए.

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2022.

31 मार्च 2022 तक एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2022

ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

01.04.2021 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2021		वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2021-22	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2021-22		31 मार्च 2022 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2022	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
69	86000	0	0	0	69	86000

बी. एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

01.04.2021 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2021		वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2021-22	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2021-22		31 मार्च 2022 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2022	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
155	92690	1	1	300	154	92390

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से लाभांश / ब्याज का भुगतान:

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मैंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है.

निवेशक अपने मैंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मै. केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Limited, at the address given in this report.

सचिवालीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को वार्षिक सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट से संबधित कार्य हेतु प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. वार्षिक सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है.

प्रकटीकरण :

1. यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संबंधी संव्यवहार नहीं है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो. इस सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है.
2. बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है.
3. हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते हैं.
4. सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2022 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.
5. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य.
6. बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अत: "कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां" शून्य हैं.
7. **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:**

   बैंक के स्वतंत्र निदेशक के लिए आयोजित किए गए परिचय कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर "https://www.bankofbaroda.in "शेयरधारक कॉर्नर" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
8. **व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश**

   भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए बैंक के व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट पर https://www.bankofbaroda.in. शेयरधारक कॉर्नर खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं. इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति द्वारा एक्सेस किए जाने से मना नहीं किया गया है.
9. **संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति**

   संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी बैंक की नीति का विवरण "शेयरधारक कॉर्नर" खंड के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in. पर उपलब्ध है.

SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2022. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
4. All the Directors have disclosed that they have no relationship *inter-se* as on 31st March 2022.
5. Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.
6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2021-22 and hence the information on “Commodity price risks and commodity hedging activities” is NIL.
7. **Familiarization programme for Independent Directors**

   The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank’s website under “Shareholder’s Corner” section at https://www.bankofbaroda.in
8. **Whistle Blower Guidelines**

   The details of the Bank’s Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank’s website under “Shareholder’s Corner” section at https://www.bankofbaroda.in. No personnel has been denied access to the audit committee.
9. **Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries**

   The details of the Bank’s Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank’s website under “Shareholder’s Corner” section at https://www.bankofbaroda.in.

10. महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध व निपटान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
25	21	4

11. संबंधित वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नामे लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

बैंक द्वारा जारी सभी ऋण लिखतों एवं सावधि जमा कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2021-22 के दौरान रेटिंग में संशोधन के विवरण तथा रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को दी गई क्रेडिट रेटिंग का विवरण निम्नानुसार है;

10. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of Complaints filed during the financial year	Number of Complaints disposed off during the year	Number of Complaints pending as on end of the financial year
25	21	4

11. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2021-22, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

Details of Credit Ratings assigned by the Rating Agencies of the Bank along with details of revisions in rating during financial year i.e. 2021-22, for all debt instruments and fixed deposit programme issued by Bank are as under;

रेटिंग एजेंसी Rating Agency	लिखत Instrument	वर्तमान रेटिंग Present Rating	रेटिंग कार्रवाई Rating Action
क्रिसिल CRISIL	अपर टियर- II बॉन्ड (बेसल II के तहत) Upper Tier-II Bonds (under Basel II)	CRISIL AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	टियर I बॉन्ड (बेसल III के तहत) Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/ Stable	आउटलुक 'निगेटिव' से संशोधित और रेटिंग पुन: अभिपुष्ट Outlook revised from 'Negative' and rating reaffirmed
	टियर I बॉन्ड (बेसल III के तहत) Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/ Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	लोअर टियर- II बॉन्ड (बेसल II के तहत) Lower Tier-II Bonds (under Basel II)	CRISIL AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत) Tier II Bonds (Under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
आईसीआरए ICRA	बेसल III कंप्लायंट टियर II बॉन्ड Basel III Compliant Tier II Bonds	ICRA AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	बेसल III कंप्लायंट एटी-I बॉन्ड Basel III Compliant AT-I Bonds	ICRA AA+ (Stable)	आईसीआरए एए से संशोधित; स्थिर Revised from ICRA AA; Stable
	बेसल III कंप्लायंट एटी-I बॉन्ड Basel III Compliant AT-I Bonds	ICRA AA+ (Stable)	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	सावधि जमा कार्यक्रम Fixed Deposit Programme	MAAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
केयर CARE	टियर II बॉन्ड-बेसल III Tier II Bond-Basel III	CARE AAA; Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	लोअर टियर- II बॉन्ड (बेसल II के तहत) Lower Tier II Bonds (Basel II)	CARE AAA; Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	अपर टियर खख बॉन्ड (बेसल खख) Upper Tier II Bonds (Basel II)	CARE AAA; Stable	केयर एए+ से संशोधित; स्थिर Revised from CARE AA+; Stable
	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड (बेसल III) Additional Tier I Bonds (Basel III)	CARE AA+; Stable	केयर एए से संशोधित Revised from CARE AA
	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड (बेसल II) Additional Tier I Bonds (Basel III)	CARE AA+; Stable	केयर एए से संशोधित Revised from CARE AA

इंडिया रेटिंग INDIA RATINGS	दीर्घावधि इश्युअर रेटिंग Long Term Issuer Rating	IND AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	अल्पावअधि इश्युअर रेटिंग Short Term Issuer Rating	IND A1+/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	सावधि जमा Fixed Deposit	IND AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	बेसल III टियर 2 Basel III Tier 2	IND AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	बेसल III एटी 1 बॉन्ड Basel III AT1 Bonds	IND AA+/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	जमा प्रमाणपत्र Certificate of deposits	IND A1+/Stable	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
ब्रिकवर्क BRICKWORK	अपर टियर II बॉन्ड (बेसल II के तहत) Upper Tier II Bond (under Basel II)	BWR AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत) Tier II Bonds (Under Basel III)	BWR AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट Reaffirmed
मूडी MOODY'S	रेटिंग आउटलुक Rating Outlook	Stable	नेगेटिव से संशोधित Revised from Negative
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग (घरेलू एवं विदेशी) Counterparty Risk Rating (Dom & Foreign)	Ba1/NP	अभिपुष्ट Affirmed
	बैंक जमा (घरेलू एवं विदेशी) Bank Deposit (Dom & Foreign)	Ba1/NP	अभिपुष्ट Affirmed
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन (घरेलू एवं विदेशी) Counterparty Risk Assessment (Dom & Foreign)	Ba1(cr)/NPCr	अभिपुष्ट Affirmed
	बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन/समायोजित बीसीए Baseline Credit Assessment/ Adjusted BCA	b1	अभिपुष्ट Affirmed
फिच FITCH	विदेशी मुद्रा Foreign Currency		
	दीर्घावधि आईडीआर (इश्युअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग) Long-Term IDR (Issuer Default Rating)	BBB-/Negative	अभिपुष्ट Affirmed
	अल्पावधि आईडीआर Short-Term IDR	F3	अभिपुष्ट Affirmed
	व्यवहार्यता रेटिंग Viability Rating	bb-	अभिपुष्ट Affirmed
	सरकार समर्थित रेटिंग Government Support Rating	bbb-	न्यू रेटिंग New Rating

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेटिंग में संशोधन का विवरण

- वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई डीग्रेडेशन नहीं हुआ है.
- वर्ष के दौरान रेटिंग में अपग्रेडेशन का विवरण निम्नानुसार है.

Details of revision in ratings during FY 2021-22

- There was no degradation in the rating during the year.
- Details of up-gradation in the rating during the year are as under.

रेटिंग एजेंसी Rating Agency	लिखत Instrument	वर्तमान रेटिंग Present Rating	रेटिंग कार्रवाई Rating Action
क्रिसिल (जुलाई 2021) CRISIL (July 2021)	टियर I बॉन्ड (बेसल III के तहत) Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/ Stable	आउटलुक को 'नेगेटिव' से संशोधित एवं रेटिंग की पुन: अभिपुष्टी की गई Outlook revised from 'Negative' and rating reaffirmed
आईसीआरए (जून 2021) ICRA (June 2021)	बेसल III कंप्लायंट एटी-I बॉन्ड Basel III Compliant AT-I Bonds	ICRA AA+ (Stable)	आईसीआरए एए से संशोधित; स्थिर Revised from ICRA AA; Stable
केयर (सितंबर 2021) CARE (September 2021)	अपर टियर II बॉन्ड (बेसल II) Upper Tier II Bonds (Basel II)	CARE AAA; Stable	केयर एए+ से संशोधित; स्थिर Revised from CARE AA+; Stable
	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड (बेसल III) Additional Tier I Bonds (Basel III)	CARE AA+; Stable	केयर एए से संशोधित Revised from CARE AA

मूडीज ने अक्टूबर 2021 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के संबंध में अपने रेटिंग दृष्टिकोण को नेगेटिव से बदलकर स्थिर में संशोधित किया.

12. **इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंधन तंत्र पर निर्भर नहीं हैं** - हां
13. **जहां वित्त वर्ष 2021-22 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया** - शून्य
14. **विनियम 32 (7ए) के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से सृजित निधियों के उपयोग के ब्यौरे** - शून्य क्योंकि वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां सृजित नहीं की गई.
15. **सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क संस्थाओं, जिसमें लेखा परीक्षक एक भागीदार है, को सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस है** - ₹ 82.01 करोड़
16. **कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को निदेशक मंडल/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तत्ता द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने अथवा बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है.** - प्राप्त किया गया.

Moody's revised its rating outlook on Bank of Baroda to stable from Negative in October 2021.

12. **Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.** - Yes
13. **Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2021-22** – NIL
14. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A)** – NIL as during the year, Bank has not raised funds through preferential allotment or qualified institutions placement
15. **Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/ network entity of which the statutory auditor is a part. -** Rs. 82.01 crores
16. **certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.**- obtained

गैर–अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है –

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्र.सं. Sr. No.	गैर– अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	निदेशक मंडल सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है. अनुपालन किया गया. The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	अनुपालन किया गया. भारत सरकार ने डॉ. हसमुख अढ़िया की नियुक्ति बोर्ड के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में की है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया. Complied with. The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	शेयरधारक के अधिकार पिछली छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्ध–वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है. Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक अपने तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है. बैंक वित्तीय परिणामों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है. Bank publishes quarterly / half yearly / yearly financial results of the Bank on website of Stock Exchanges and on website of Bank also. Bank also publish financial results in newspapers.
3	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत कंपनी को अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Modified opinion(s) in audit report Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
4	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग–अलग पद सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है. Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्ति हैं. Bank of Baroda is having separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.

5	आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते है. Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board *inter-alia* covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	निदेशक मंडल Board of Directors	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें "बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970" अर्थात् अधिनियम के अधीन है. कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन किया जाता है. बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है. बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है. यह सुनिश्चित किया जाता है की बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे. **बोर्ड का मूल्यांकन** बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार – गैर-आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देश का अनुसरण कर रहा है. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through “Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970” i.e. the Act, meaning thereby the provisions of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders’ other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. **Board Evaluation:** Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.
17A	निदेशकों की अधिकतम संख्या Maximum number of directorships	अनुपालन किया गया है. Complied with
18	लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with

19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and Remuneration committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
20	हितधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है. Complied with
23	संबंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
24A	सचिवालीय लेखा परीक्षा और सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार – यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करना

रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा निवेशकों के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए सामान्य एवं सरलीकृत मानदंडों एवं पैन, केवाईसी विवरण तथा नामांकन प्रस्तुत करने, वैध पैन के बिना फोलियो को फ्रीज करने, केवाईसी विवरण; भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा पैन एवं आधार को अनिवार्य रूप से लिंक किए जाने और विवरण प्रस्तुत करने संबंधी मानदंडों हेतु सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/पी/सीआईआर /2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किए हैं.

बैंक ने अपने भौतिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी भेजा है जिसमें उनसे अपने फोलियो को फ्रीज होने से बचाने के लिए पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है. केवाईसी एवं नामांकन के लिए पत्र तथा निर्धारित प्रारूप की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank पर ''शेयरधारक कॉर्नर'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

- **पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना**

जिन फोलियो में दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त सभी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें उक्त परिपत्रों के अनुसार केफिन/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. फ्रिज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रिज ही रहते हैं, को केफिन/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 एवं या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा.

- **सभी शेयरधारकों द्वारा फिजिकल मोड में पैन एवं आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करना**

दिनांक 31 मार्च, 2022 या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख से केफिन केवल वैध पैन ही स्वीकार करेगा एवं यह भी सत्यापित करेगा कि मौजूदा फोलियो में पैन वैध है; अर्थात् यह शेयरधारक के आधार नंबर से लिंक है. **जिन फोलियो में दिनांक 31 मार्च, 2022 की अधिसूचित कट-ऑफ तारीख या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को पैन वैध नहीं है, उन्हें भी फ्रीज कर दिया जाएगा.**

शेयरधारक कृपया नोट करें कि विषयगत परिपत्रों के अनुसार 1 जनवरी, 2022 से बैंक का आरटीए शेयरधारक(कों)/ दावेदारों के किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि पैन, केवाईसी एवं नामांकन दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं करा दिए जाते हैं.

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

FURNISHING PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS

SEBI has issued Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021 for Common and Simplified Norms for processing investor's service request by Registrar & Transfer Agents (RTAs) and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination, freezing of folios without valid PAN, KYC details; compulsory linking of PAN and Aadhar by Shareholders holding shares in physical form, among others.

Bank has also sent an individual letter to physical shareholders of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC details and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Website of the Bank under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank .

- **Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination**

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1st April, 2023, shall be frozen by KFin / Bank of Baroda in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by KFin / Bank of Baroda to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

- **Compulsory linking of PAN and Aadhaar by all shareholders in physical mode**

From 31st March, 2022 or any other date as may be specified by the Central Board of Direct Taxes ("CBDT"), KFin will accept only valid PANs and also verify that the PAN in the existing Folios are valid; i.e. it is linked to the Aadhaar number of the Shareholder. **The Folios wherein PAN is not valid as on the notified cut-off date of 31st March, 2022 or any other date as may be specified by the CBDT, will also be frozen.**

Shareholder please note that in terms of the subject mentioned Circulars, w.e.f. 1st January, 2022, RTA of the Bank will not process any service request or complaint from Shareholder(s) / claimant(s) unless PAN, KYC and Nomination documents/details are available.

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032. [टोल फ्री नंबर 1800-309-4001, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com]

या

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051. [टेलीफोन (022) 66985010 / 5143, ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com]

भौतिक शेयरों का डीमैटरलाइजेशन- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न हों. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें.
2. सेबी (सूचीयन बाध्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है. तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों.
3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी. शेयरधारक/ दावेदार उपरोक्त अनुरोध विधिवत भरे हुए फॉर्म आईएसआर-4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं. फॉर्म आईएसआर-4 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से डीमैटरलाइज करा लें.

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के लाभ निम्नानुसार हैं:

i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या हानि की संभावना समाप्त हो जाती है;
ii. शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;

KFin Technologies Ltd., (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com]

OR

Bank of Baroda, Investor Services Department, Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051. [Tel. (022) 66985010 / 5143, E-mail: investorservices@bankofbaroda.com

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.
2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc shall henceforth issue the securities in demat form only. Shareholders / claimants may submit above requests in duly filled Form ISR-4 along with documents mentioned therein. Form ISR-4 can be downloaded from the website of Bank of Baroda at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. डीमैट होने से शेयरों की कागज रहित ट्रेडिंग की आसान सुविधा मिलती है. एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं.

भौतिक रूप में शेयरों के डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम (मों) तथा स्टाइल में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है.

डीमैट खाता खोलने के पश्चात् शेयरधारक(कों) को डीपी को विधिवत रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) को सरेंडर करना होगा जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा.

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे.

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

ऐसे शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह देखना होगा कि क्या मौजूदा डीमैट खाता उसी नाम (मों) एवं स्टाइल में है जिस पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता है. यदि हां, तो शेयरधारकों को विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डीआरएफ मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ डीपी को प्रस्तुत करना होगा जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा.

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे.

यदि मौजूदा डीमैट खाता समान नाम पर नहीं है तो शेयरधारक(कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा.

अदावाकृत लाभांश/ शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन (नियम) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सभी अदावाकृत लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है. इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 13/2/2015-बीओ II दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124 (6) के अनुसार सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक

iii. Dematting provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial

के लिए अदत्त/ अदावाकृत रहा है और आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा.

इसके अनुपालन में बैंक को उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित करना होगा जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है. बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2013-14 तक के अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर चुका है.

शेयरधारकों के अदावाकृत लाभांश का विवरण क्रमश बैंक और केफिन की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर प्रदर्शित किया गया है.

बैंक ने उन शेयरधारकों को भी व्यक्तिगत रूप से पत्र जारी किए हैं जिनके शेयर आईईपीएफ में अंतरण के लिए पात्र हैं. हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल/ उक्त पत्र की तारीख से तीन माह के अंदर अवश्य करें. यदि बैंक को कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी और सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा.

इसके अलावा, शेयरधारक को अपने दावे/ अदत्त लाभांश के अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म आईएसआर-1 और आईएसआर-2 भी प्रस्तुत करना होगा. फॉर्म आईएसआर-1 एवं आईएसआर-2 को क्रमश बैंक ऑफ़ बड़ौदा और केफिन की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

कृपया नोट करें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे.

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में बैंक के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता.

आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश/शेयरों का दावा:

अदावाकृत लाभांश जो पहले ही अंतरित किया जा चुका हो या शेयर, जिन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के संबंध में कृपया नोट करें कि आप वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं.

पारदर्शिता एवं अनुपालन अधिकारी

इसके अलावा, निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप भी बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली के तहत अधिक से अधिक प्रकटीकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2013-14 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

Bank has issued individual letters to shareholders whose shares are eligible for transfer to IEPF. We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately / not later than three months from the date of said letter. In case Bank does not receive any claim, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Further, shareholder are also required to furnish Form ISR-1 and ISR-2 along with documents mentioned therein for processing their claim / request for unpaid dividend. Form ISR-1 and ISR-2 can be downloaded from the website of Bank of Baroda at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFFERED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further, the following additional functions also enhance the Bank's commitment to more and more disclosures and compliance under the Corporate Governance mechanism of the Bank.

- **पारदर्शिता अधिकारी**

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना.

बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में, केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना.

सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना.

डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों के लिए आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना. बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड किया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है.

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है. बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है. निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है. बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली को लागू किया है.

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारक अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है. साथ ही बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है.

- **Transparency Officer**

In Compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011. The transparency officer is responsible for the following functions:

a) To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

b) To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.

c) To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.

d) To be a contact point for the public in all RTI- related matters. The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

- **Compliance Function**

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The Compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas Centres. The Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India and ensures compliance of Standards and Codes prescribed by BCSBI. It also ensures adherence of various guidelines/instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

अनुलग्नक 1

निदेशक मण्डल का गठन

डॉ. हसमुख अढ़िया – अध्यक्ष (गैर–कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशक)

(जन्म तिथिः 3 नवंबर, 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो दि. 30 नवंबर, 2018 को भारत सरकार के वित्त सचिव और राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए. वे वर्तमान में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष हैं, और केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं. वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू एवं पंडित दीनदयाल उर्जा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के सदस्य भी हैं. वे गुजरात उर्जा अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान (जीईआरएमआई) के उपाध्यक्ष हैं.

डॉ. हसमुख अढ़िया को लेखा–शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है. वे भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर से स्वर्ण पदक विजेता हैं तथा उन्होंने स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है.

वित्त सचिव के रूप में उनकी पदस्थापना से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे. वित्तीय सेवाओं के सचिव के रूप में बैंकिंग सुधार हेतु ज्ञान संगम और इंद्र धनुष जैसी कई नई कार्यनीतियों के क्रियान्वयन के साथ–साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म वित्तपोषण आदि में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है.

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्होंने आयकर के साथ–साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर में भी कई अनुकूल पहले की है. इसके अलावा उन्होंने जीएसटी की आवश्यकता को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी को सुचारू रूप से लागू किया गया. वे काले धन के विरूद्ध अपने अथक अभियान के लिए भी जाने जाते हैं.

वित्त मंत्रालय में पदस्थापना से पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव (2003–06) के साथ–साथ प्रमुख सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008–13), अपर मुख्य सचिव (वित्त), गुजरात (2013–14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001–02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक आदि पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.

अपने पद के आधार पर, उन्होंने निम्नलिखित संस्थानों/ कंपनियों के निदेशक मंडल में कार्य किया: –

संस्थान	कंपनी
भारतीय रिज़र्व बैंक	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
भारतीय स्टेट बैंक	एक्जिम बैंक
भारतीय जीवन बीमा निगम	जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड

ANNEXURE 1 -

COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive & Independent Director)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia is an officer of Indian Administrative Service, who retired on 30th November, 2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is at present non-executive Chairman of Bank of Baroda, and also the Chancellor of Central University of Gujarat. He serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management Bangalore and Pandit Deendayal Energy University, Gandhinagar. He serves as Vice President in Gujarat Energy Research and Management Institute (GERMI).

Dr. Hasmukh Adhia has got a basic Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medalist from Indian Institute of Management, Bangalore and he holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indra Dhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

By virtue of his position, he served on the Board of Directors of following institutions/companies:-

Institutions	Companies
Reserve Bank of India	India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)
State Bank of India	EXIM Bank
Life Insurance Corporation of India	GST Network Limited
Indian Institute of Management, Ahmedabad	Gujarat State Fertilizers Company

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर	नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी
केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम
निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	
धीरूभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान	

श्री संजीव चड्ढा-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 25 जून, 1963)

श्री संजीव चड्ढा ने 20 जनवरी, 2020 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाला है, आपको बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1987 में भारतीय स्टेट बैंक से की थी.

श्री चड्ढा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी अध्यक्ष हैं. आप नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्यरत हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के शासी मंडल में हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यदायित्व संभालने से पूर्व श्री चड्ढा एसबीआई की मर्चेंट और निवेश बैंकिंग इकाई एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ तथा एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड एवं एसबीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के अध्यक्ष थे. श्री चड्ढा ने एसबीआई में 33 वर्षों तक कार्य किया है, जहां उन्होंने एसबीआई के यूके परिचालन में क्षेत्रीय प्रमुख, एसबीआई, लॉस एंजिलिस में सीईओ के साथ-साथ एसबीआई समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के रुप में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया है.

श्री संजीव चड्ढा सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं.

श्री अजय के खुराना - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 17 मार्च, 1964)

श्री अजय के खुराना ने दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है. उन्होंने सीएआईआईबी की व्यावसायिक योग्यता के साथ बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है. दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के पद का दायित्व संभालने से पूर्व उन्होंने दिनांक 20.09.2018 से 31.03.2020 तक सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के तौर पर सेवाएं प्रदान की. केंद्र सरकार ने श्री अजय के खुराना, कार्यपालक निदेशक की कार्यालय अवधि, जो 19 सितंबर 2021 को समाप्त हो रही थी, को अपकी वर्तमान अधिसूचित अवधि दो साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है.

Indian Institute of Technology, Gandhi Nagar	Narmada Valley Fertilizer Company
Central University, Gandhi Nagar	Gujarat State Petroleum Corp.
Nirma University, Ahmedabad	
Dhirubhai Ambani Institute of Information & Communication Technology	

Shri Sanjiv Chadha - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 25th June, 1963)

Shri Sanjiv Chadha, Managing Director & CEO of Bank of Baroda since 20th January 2020 has over 35 years' experience in banking & financial services having started his career with SBI in 1987.

Shri Chadha is also Chairman on the boards of Bank of Baroda (UK) Ltd., IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., BOB Capital Markets Ltd. & BOB Financial Solutions Ltd. He also serves on the board of National Insurance Co. Ltd & is on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM).

Prior to joining Bank of Baroda, Shri Chadha was the MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI, and Chairman of SBICAP Ventures Ltd. and SBI Securities Ltd. Shri Chadha spent 33 years at SBI, where he handled a diverse range of roles including the Regional Head for SBI's UK Operations, CEO of SBI Los Angeles as well as Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group.

Shri Sanjiv Chadha is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi.

Shri Ajay K. Khurana – Executive Director

(DoB: 17th March, 1964)

Shri Ajay K Khurana joined as Executive Director in Bank of Baroda on 01.04.2020. He is a Post graduate in Business Management with Professional Qualification of CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.04.2020, he served on the Board of Syndicate Bank as an Executive Director from 20.09.2018 till 31.03.2020. Central Government has extended the term of office of Shri Ajay K. Khurana, Executive Director for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 19th September 2021, or until further orders, whichever is earlier.

आपने दिनांक 15.11.1988 को विजया बैंक में अधिकारी के रूप में सेवा ग्रहण की. उनके पास 17 वर्षों तक फील्ड स्तर के विभिन्न पदों पर तथा 4 वर्षों तक विजया बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य करने का व्यापक परिचालन अनुभव है. वे बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए. श्री अजय के खुराना को बैंक के महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि ऑडिट, एनपीए वसूली, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट में कार्य करने का गहन अनुभव है.

आपने दिनांक 20.09.2018 को कार्यपालक निदेशक के रूप पदोन्नति प्राप्त कर विभिन्न पोर्टफोलियो यथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वसूली, एमएसएमई, मिड कॉर्पोरेट एवं केंद्रीय लेखा विभाग के कार्यों को संभाला है.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची – कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 जुलाई, 1962)

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01 अक्तूबर, 2018 को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है. केंद्र सरकार ने श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक के कार्यालय की अवधि को 30 सितंबर 2021 से आगे की अवधि के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् 31 जुलाई, 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है.

आपने एमबीए (वित्त एवं मार्केटिंग) किया है. साथ ही उन्होंने सीएआईआईबी और जीवन बीमा में एसोसिएट की व्यावसायिक योग्यता भी हासिल की है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में आने के पूर्व वे देना बैंक में क्षेत्र महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) के पद पर कार्यरत थे.

देना बैंक में उन्होंने दिसम्बर 1985 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया. विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए वे महाप्रबंधक पद तक पदोन्नत हुए और मई 2015 में देना बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) का प्रभार ग्रहण किया.

परिवीक्षाधीन अधिकारी से शुरू कर महाप्रबंधक के रूप में विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्हें बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है. शाखा परिचालन के साथ-साथ नियंत्रक कार्यालय स्तर से आयोजना एवं नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उनका अहम योगदान रहा है.

आप बैंक के रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग (नई पहल एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट), मर्चेंट बैंकिंग, वसूली प्रबंधन, विदेशी कारोबार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने का गहन अनुभव है.

श्री खीची ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात के संयोजक के रूप में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्राधिकारियों, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं विभिन्न संगठनों के उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ गुजरात में सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दिया है.

He joined Vijaya Bank as an Officer on 15.11.1988. He has a vast operational experience at field level covering 17 years in various capacities and 4 years as Regional Head at Vijaya Bank. He climbed up the ladder of Management and was promoted as General Manager. Shri. Ajay K Khurana has acquired rich experience while working in various key departments such as Audit, NPA Recovery, International Banking, Operations, Information Technology Dept. and Corporate Credit.

He was elevated to the rank of Executive Director on 20.09.2018 and handled various portfolios such as Information Technology Dept., Treasury & International Banking, Recovery, MSME, Mid Corporate and Central Accounts Dept.

Shri Vikramaditya Singh Khichi – Executive Director

(DoB: 24th July, 1962)

Shri Vikramaditya Singh Khichi was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.10.2018 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on 1st October, 2018, or until further orders, whichever is earlier. Central Government has extended the term of office of Shri Vikramaditya Singh Khichi, Executive Director for a period beyond 30th September 2021 till the date of his superannuation, i.e., 31st July 2022, or until further orders, whichever is earlier.

He is an MBA (Finance and Marketing), with Professional Qualifications of CAIIB and Associate in Life Insurance. Prior to joining Bank of Baroda, he was working as Field General Manager (Gujarat Operations) in Dena Bank.

He Joined Dena Bank as Probationary Officer in December' 1985, gradually climbed up the ladder and got promoted as Field General Manager (Gujarat Operations) in May'2015 in Dena Bank.

Inculcated blend of operational experience at field level and of planning/policy formulation at Controlling Office during the tenure of 33 years in Dena Bank by serving in varying capacity from being Probationary Officer to General Manager in various Branches & Departments.

Acquired enriching experience across the breadth of various key departments such as Retail Banking, Marketing (New Initiative & Product Development), Merchant Banking, Recovery Management, Overseas Business Center etc.

Groomed leadership quality while discharging duty as Convenor of State Level Bankers' Committee, Gujarat and collaborated efforts with senior State Govt. officials, top executives from RBI and various Banks, Insurances Co. & different organisations in executing numerous Financial Inclusion initiatives of the Govt. in Gujarat State.

श्री देबदत्त चाँद – कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 31 जनवरी, 1971)

श्री देबदत्त चाँद को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और आपने दिनांक 10.03.2021 को कार्यदायित्व संभाल लिया है. श्री चाँद बीटेक, एमबीए, सीएआईआईबी, पीजी डिप्लोमा, इक्विटी रिसर्च एण्ड सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर की योग्यता से युक्त कुशल बैंकर हैं. आपके पास वाणिज्यिक बैंक एवं विकास वित्त संस्थानों में कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है. आपने वर्ष 1994 में इलाहाबाद बैंक में अधिकारी के रूप में अपना करियर आरंभ किया एवं तदुपरांत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में वर्ष 1998 से 2005 तक प्रबंधक के रूप में कार्य किया. आप वर्ष 2005 में मुख्य प्रबंधक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े तथा आगे बढ़ते हुए मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यदायित्व संभालने के पूर्व आप पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में मुंबई अंचल के प्रमुख की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे.

बैंकिंग उद्योग में अपनी लंबी यात्रा के दौरान आपने ट्रेजरी एवं निवेश बैंकिंग, बाजार जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ परिचालन और नीतिपरक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है. आपने अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, पटना के प्रमुख, बरेली मंडल के प्रमुख, बैंक के एकीकृत ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख और मुंबई अंचल, जो कि बैंक के सबसे बड़े अंचलों में से एक है, के प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया.

आप पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, स्विफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं भारत के अनेक प्राइवेट इक्विटी फंड तथा पंजाब नेशनल बैंक की एक विदेशी अनुषंगी के निदेशक मंडल में भी रहे हैं.

श्री जयदीप दत्ता राय – कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि : 01.07.1972)

जयदीप दत्ता राय जिनका बैंकिंग करियर 25 वर्षों का है, ने वर्ष 1996 में एचआर विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में सेवा ग्रहण किया.

बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन से जुड़े कार्यों का संचालन किया है और बैंक के लिए कई प्रमुख मानव संसाधन परियोजनाओं एवं पहलों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है. आपने बैंक की विभिन्न व्यावसायिक परियोजनाओं जैसे कि बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, 'प्रोजेक्ट उड़ान' व 'स्पर्श' के रूप में व्यापक एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एवं 'वी-लीड' जैसे दीर्घकालिक लीडरशिप प्रोग्राम, बैंक के पीएमएस टूल्स, बड़ौदा जेम्स आदि की सफलतापूर्वक शुरुआत कर इन्हें क्रियान्वित किया है.

बैंक के देहरादून एवं बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख के तौर पर सफलतापूर्वक कार्यदायित्व के निर्वाह के पश्चात आपकी पदस्थापना एम.डी एवं सीईओ कार्यालय में हुई जहां प्रशासन, निरीक्षण, स्वामित्व नियंत्रण व रिटर्न की दृष्टि से अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के कार्यक्षेत्र को संभालने के साथ-साथ आप बैंक की कार्यनीति तैयार करने एवं इसके क्रियान्वयन

Shri Debadatta Chand – Executive Director

(DoB: 31st January, 1971)

Shri Debadatta Chand has been appointed as Executive Director of Bank of Baroda and assumed charge on 10.03.2021. Shri Chand is a B.Tech, MBA, CAIIB qualified Banker with PG Diploma in Equity Research and Certified Portfolio Manager. He has over 28 years of experience in Commercial Banks and Developmental Financial Institution. He started his career in Allahabad Bank as Officer in 1994 and subsequently worked as Manager in Small Industries Development Bank of India [SIDBI] from 1998 to 2005. He joined Punjab National Bank in the year 2005 as Chief Manager, rose to the level of Chief General Manager. Prior to joining Bank of Baroda as an Executive Director, he was heading Mumbai Zone as CGM, PNB.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with special expertise in Treasury & Investment Banking and Market Risk Management. He successfully handled the responsibilities such as Head of Zonal Audit Office, Patna, Circle Head of Bareilly, Head of Integrated Treasury Operation of the Bank and Zonal Head of Mumbai Zone – one of the Biggest Zones of the Bank.

He was also on the Board of PNB Principal Mutual Fund, SWIFT India Pvt. Ltd and many of the Private Equity funds ex-officio in India and also in one of the overseas subsidiaries of the Punjab National Bank.

Shri Joydeep Dutta Roy – Executive Director

(DOB: 01.07.1972)

Shri Joydeep Dutta Roy, a career Banker for around 25 years, joined Bank of Baroda as an HR specialist in the year 1996.

During his tenure in the Bank, he has handled a variety of HR functions across levels and has been instrumental in spearheading many marquee HR projects and initiatives for the Bank. He has also successfully initiated and implemented various Business projects for the Bank viz. Business Process Reengineering Project - Project Navnirmaan, Project Udaan, a comprehensive HR Transformation Project called SPARSH, customised long-term Leadership Programs like We-Lead, the Bank's Digital PMS tool called Baroda – GEMS, etc.

After completing very successful stints as the Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, he was posted at the Office of the MD & CEO, in charge of strategy formulation/implementation, and conducting effective Bank level and Vertical level reviews, in addition to handling the Subsidiaries & JVs Vertical from a Governance, Oversight, Ownership controls and Returns perspective. He has been driving a Bank-wide transformation project called BOBNOWW, that

के प्रभारी रहे एवं आपने बैंक स्तर और वर्टिकल स्तर की प्रभावी समीक्षा का भी संचालन किया है. आपने बॉब-नाऊ नामक एक बैंक व्यापी रूपांतरण परियोजना का संचालन किया है जिसकी शुरुआत महामारी के बाद उत्पन्न डिजिटलीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित परिस्थितियों के कारण की गई.

श्री जयदीप ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा आपने विधि में स्नातक एवं नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई से एचआर में एमबीए डिग्री प्राप्त की है.

श्री अमित अग्रवाल– निदेशक (गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक) – केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 27 जून, 1970)

श्री अमित अग्रवाल भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत जारी भारत सरकार की दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

वे 1993 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं. वर्ष 2016 से आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में प्रारंभ में भारत सरकार के संयुक्त सचिव और वर्तमान में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं. आपने भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में विशेष रूप से वित्त, तकनीक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पदों पर कार्य किया है.

आपके पूर्व दायित्वों में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद कार्यालय में सलाहकार एवं निदेशक, राष्ट्रीय नवोन्मेषिता परिषद के अध्यक्ष के साथ विशेष पदाधिकारी, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों और एजेंसियों के प्रमुख तथा जिला स्तर पर स्थानीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुख के दायित्व शामिल हैं.

श्रीमती पार्वती वी सुंदरम – निदेशक (गैर– कार्यकारी एवं नामित निदेशक) भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 24 नवंबर, 1959)

भारत सरकार के दिनांक 13 अप्रैल 2021 की अधिसूचना द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत श्रीमती पार्वती वी सुंदरम को बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

आपने एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में अपने कॅरियर की शुरुआत की और 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद आप मार्च 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुई तथा 5 से अधिक केंद्रों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लगभग सभी प्रमुख विभागों में विविध पदों पर कार्य किया. आपको कुछ बड़े बैंकों के निदेशक मंडलों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल/ समितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की नामिती के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया. आपने भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन तथा विधि विभाग के प्रभारी

was initiated in view of changed imperatives and push towards digitalisation, post the pandemic.

Shri Joydeep Dutta Roy holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA in HR from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

Shri Amit Agrawal - Director (Non-Executive & Nominee Director) - Representing Central Government

(DoB: 27th June 1970)

Shri Amit Agrawal has been appointed as the Government Nominee Director by the Central Government on the Board of the Bank w.e.f. 25.01.2020 vide Government of India notification dated 24th January, 2020 under section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970

He is a member of the Indian Administrative Service since 1993. Since 2016, he has served in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, initially as Joint Secretary to the Government of India and currently as Additional Secretary.

An alumnus of Indian Institute of Technology Kanpur, he has served in top positions in the Government of India and the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, broadly in the areas of finance, technology and technical education.

His earlier charges include that of Director in the Prime Minister's Office; Adviser and Director in the Office of Prime Minister's Economic Advisory Council; Officer on Special Duty with the Chairman of the National Innovation Council; Head of various State Government departments and agencies; and Head of District-level Local Governments.

Smt. Parvathy V Sundaram - Director (Non-Executive & Nominee Director) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 24th November, 1959)

Smt. Parvathy V Sundaram has been appointed as the RBI Nominee Director on the Board of the Bank vide Government of India notification dated 13th April, 2021 under section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970

She started her career as a commercial banker and after a 2 year stint moved over to the Reserve Bank of India in March 1984 and worked in various capacities in almost all major departments of the RBI in over 5 centres. She was deputed as RBI's nominee in a few bank boards and international working groups/ committees. She served as the Executive Director in charge of the Currency Management and Legal Departments of the Reserve Bank of India and superannuated from the RBI in November 2019.

कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया और आप नवंबर 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त हुई.

केन्द्रीय बैंकिंग विनियमन तथा पर्यवेक्षण में आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्यदायित्व निम्नानुसार रहें:-

वर्ष 2015-17 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की प्रत्यक्ष निगरानी जिसमें समीक्षा की योजना एवं निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन, निष्कर्षों की जांच एवं सत्यापन, क्रिस्टलीकरण एवं कनवेयेंस प्रावधान, बैंकों के शीर्ष प्रबंधनों के साथ विचार-विमर्श, पूंजी आंकलन, परिदृश्य विश्लेषण, अभ्यावेदनों की समीक्षा तथा प्रभाव आकलन आदि शामिल है.

सभी बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर माइग्रेशन तथा विनियामक एवं प्रणालीगत बदलावों को शामिल करने के लिए समय-समय पर मॉडल में सुधार करना, छोटे विदेशी बैंकों के लिए एक छोटा बैंक वेरियंट मॉडल विकसित करना जो स्थानीय परिचालन पर केन्द्रित हो तथा पर्यवेक्षण हेतु प्रक्रियाओं और कौशल में विकास करना.

बैंकों के लिए संशोधित पीसीए दिशानिर्देशों के निर्धारण, अनुकूलन तथा अंतिम स्वरूप देने संबंधी कार्य की निगरानी.

आप भारतीय रिज़र्व बैंक के सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक अध्ययन समूह तथा भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सदस्य रही हैं.

श्री अजय सिंघल - निदेशक (गैर-कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशक)

(जन्मतिथि: 14 नवंबर, 1974)

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा श्री अजय सिंघल को दिनांक 21 दिसंबर, 2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

आप पेशे से सनदी लेखाकार है. आपने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से एलएलबी की परीक्षा भी पास की है. विगत 20 वर्षों के दौरान आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लेखा परीक्षा, कराधान, बैंकिंग व वित्त आदि शामिल है.

आपने वर्ष 2016-17 के दौरान सीआईआरसी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड ऑफ़ इंडिया की ग्वालियर शाखा के अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवा प्रदान की है. श्री सिंघल ने अगस्त 2018 से जुलाई 2021 तक बामर लॉरी निवेश लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम) में भी स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्य किया तथा निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं. श्री सिंघल मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं. वे विभिन्न सामाजिक एवं वाणिज्यिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं तथा मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ़ कॉमर्स व स्टडीज के कार्यपालक सदस्य हैं.

आपने विधि, बैंकिंग चार्टेड अकाउंटेंसी व अन्य संबद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार व सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है और समाज के दलित वर्ग को प्रशिक्षण दिए जाने व उन्हें प्रेरित करने में उनकी विशेष अभिरुचि है.

Some of her assignments in the areas of Central Banking Regulation and supervision included:

- Direct oversight of the Asset Quality Review undertaken by the RBI in 2015-17 including planning and execution of the review, quality assurance, vetting and validation of findings, provision crystallisation and conveyance, discussions with top management of the banks, capital assessment, scenario analysis, review of representations and impact estimation.
- Migration of all banks to Risk Based Supervision and ensuring periodic improvements in the model to capture regulatory and systemic changes, developing a Small Bank Variant Model for small foreign banks with focus on niche operations and improving processes and skills for supervision,.
- Overseeing the framing, fine-tuning and finalisation of the revised PCA guidelines for banks

She was a member in the Internal Study Group of the RBI to Review the Working of the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) System and a member of the High Level Task Force constituted by RBI for evaluating the need for establishing a Public Credit Registry in India.

Shri Ajay Singhal – Director (Non-Executive & Independent Director)

(DoB: 14th November, 1974)

Shri Ajay Singhal has been nominated by the Central Government as Director w.e.f. 21st December 2021 under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, for a period of 3 years.

He is engaged in the profession of Chartered Accountancy. He had also passed the LLB examination from the Jiwaji University, Gwalior. During last 20 years his areas of specialization includes Audit, Taxation, Banking & Finance, etc.

He has served as a Chairman of Gwalior Branch of CIRC of Institute of Chartered of India in the year 2016-17. Mr Singhal also served as an Independent Director in the Balmer Lawrie Investment Ltd. (A Government of India Enterprise under Ministry of Petroleum) from Aug 2018 to July 2021 and also chaired the Audit Committee of the Board. Mr. Singhal was also an Executive Council Member of Barkatullah University, Bhopal appointed by the Hon'ble Governor of Madhya Pradesh. He is also associated with various social & commercial organizations. He is an Executive Member of Madhya Pradesh Chamber of Commerce & Industries Gwalior.

He has taken part in various National Level seminars & conferences on Law, Banking, Chartered Accountancy and other associated areas and have interest in training & motivating the down trodden class of the society.

श्रीमती सौंदरा कुमार– निदेशक (गैर–कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशक)– शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार ने हमारे निदेशक मंडल में बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. आपको बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत दिनांक 24 दिसंबर, 2020 से अगली 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 23 दिसंबर, 2023 तक के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन: चुना गया है (पूर्व कार्यकाल की अवधि 24 दिसंबर, 2017 से 23 दिसंबर, 2023 तक थी). आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है.

आपने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानृवित्त तक कार्यरत रही. इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया. आपने तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया है. आप चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर भी रही और शहर में 40 से अधिक शाखाओं की देखरेख की. उप महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कैलिफोर्निया की आर्टेसिया शाखा में पदस्थापित किया गया. तत्पश्चात आपने बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) के प्रेसिडेंट के रूप में तथा बैंक की लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं.

आप अक्तूबर 2008 से बैंक के सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी रहीं जहां आपने 2010 में इसका सफलतापूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया. तत्पश्चात आप बैंक के बेंगलुरु अंचल कार्यालय की प्रमुख बनी जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य की 400 से अधिक शाखाओं का परिचालन संभाला. वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृति तक आप बैंक के कार्पोरेट सेंटर, मुंबई में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहीं.

आप बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर में 3 वर्षों से अधिक की अवधि तक होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की प्रमुख भी रहीं जहां आपने उच्च मूल्य वाले व्यावसायिक ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य किया और आप कॉर्पोरेट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की स्थायी सदस्य भी रही हैं. आपने वित्तीय समावेशन हेतु व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों की अनुसंशा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी समूह की सदस्य के रूप में भी कार्य किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं.

आपने एआरसीआईएल, सरसाई, सिडबी वेंचर कैपिटल आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है. वर्तमान में आप टीएनपीएल, रैमको सीमेंट, शांति गीयर्स जैसी सूचीबद्ध कंपनियों सहित कई कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive & Independent Director) - Shareholder Director

(DoB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar joined our Board as a Director representing Shareholders of the Bank. She has been re-elected as Shareholder Director with effect from 24th December 2020 under section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, for a further period of three years i.e. upto 23rd December 2023 (earlier Term was for the period from 24th December, 2017 to 23rd December, 2020). She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai.

She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirapalli. She held the position of Regional Manager in the Chennai Circle and had control over -40- branches in the city. On promotion as Dy. General Manager, she was posted to Artesia branch in California as Senior Vice President. Later, she performed as President of the Bank's fully owned subsidiary, State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank.

She was Managing Director of the Bank's Associate, State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. Thereafter, she headed the Bangalore circle of the Bank overseeing the operations of over -400- branches across the state of Karnataka. She also held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in the Bank's Corporate Centre, Mumbai, till her retirement in 2014.

She also headed Wholesale Banking Credit Committee of the Bank at Corporate Centre, for over -3- years, evaluating high-value commercial credit proposals and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She also served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI.

She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, SIDBI Venture Capital etc. Currently, she serves as Independent Director on the Boards of several Companies including listed Companies like TNPL, Ramco Cements, Shanti Gears etc.

श्री श्रीनिवासन श्रीधर- निदेशक (गैर-कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने हमारे निदेशक मंडल में बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. आपको बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत दिनांक 12 दिसंबर, 2021 से अगली 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 11 दिसंबर, 2024 तक के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन: चुना गया है (पूर्व कार्यकाल की अवधि 12 दिसंबर, 2018 से 11 दिसंबर, 2021 तक थी). श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और आप एक सनदी लेखाकार भी हैं.

आप 2013 से एक अग्रणी ग्लोबल मैनेजमेंट परामर्शदाता फर्म से जुड़े हुए हैं. इस क्षेत्र में आपने अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रबंधन कार्यनीति, क्लाइंट कवरेज मॉडल, उत्पाद एवं वितरण कार्यनीति तथा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर कार्य किया है.

आपको देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है. आप सिटीग्रुप से 28 वर्षों से जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका व यूरोप के 6 देशों में कार्य किया. आपने सिटीग्रुप के 3 देशों के सीईओ, भारत के कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रमुख, अफ्रीका में ट्रांजेक्शन सेवाओं के प्रमुख तथा मध्य व पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में बैंकिंग सेवा समूहों के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है. श्री श्रीधर को बैंकिंग का व्यापक अनुभव है और कॉर्पोरेट एवं निवेश बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस एवं विनियामक अनुपालन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कार्य करने का बृहद अनुभव है.

आप मुंबई में रहते हैं और आप बॉलीवुड, फुटबॉल एवं वन्य प्राणियों में रुचि रखते हैं. आप बाल कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण, सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं.

श्री आलोक वाजपेयी - निदेशक (गैर-कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 अगस्त, 1960)

श्री आलोक वाजपेयी ने हमारे निदेशक मंडल में बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. आपको बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत दिनांक 09 जुलाई, 2021 से 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 08 जुलाई, 2024 तक के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है.

आपका वित्तीय सेवाओं और गवर्नेंस के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है और आपने वैश्विक पूंजी बाजार, निवेश एवं धनसंपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और तत्पश्चात एक सफल उद्यमी के रूप में यूके, एशिया एवं भारत में कार्य किया है.

आपने लंदन स्थित ईवाई (EY) में भी कार्य किया है और लंदन तथा एशिया में

Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive & Independent Director) - Shareholder Director

(DoB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar joined our Board as a Director representing Shareholders of the Bank. He has been re-elected as Shareholder Director with effect from 12th December 2021 under section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, for a further period of three years i.e. upto 11th December 2024 (earlier Term was for the period from 12th December, 2018 to 11th December, 2021). Shri. Srinivasan Sridhar is a B.Com(Hons.) graduate from Delhi University and is also a Chartered Accountant.

He has been associated with a leading global management consulting firm since 2013. In this role he works with CEOs, Boards of Directors and other senior leaders of top Financial Services companies in the region on topics such as Management Strategy, Client Coverage Models, Product and Distribution Strategies, Cost Optimization etc.

He is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. Mr. Sridhar brings deep banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

He lives in Mumbai and is passionate about Bollywood, Football and Wildlife. The social causes that he cares about are child welfare, economic empowerment, education and health for the under-privileged.

Shri Alok Vajpeyi - Director (Non-Executive & Independent Director) - Shareholder Director

(DoB: 24th August, 1960)

Shri Alok Vajpeyi joined our Board as a Director representing Shareholders of the Bank. He has been elected as Shareholder Director with effect from 09th July 2021 under section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, for a period of three years i.e. upto 08th July 2024.

His career in financial services and governance spans nearly 40 years across UK, Asia and India in global capital markets, investment and wealth management and later as a successful entrepreneur.

He has worked with EY in London and held senior positions in global institutions such as Swiss Bank Corporation in London and Asia, Barclays Bank in Asia and India, DSP Merrill

स्विस बैंक कॉर्पोरेशन, एशिया और भारत में बार्क्लेज बैंक तथा भारत में डीएसपी मेरिल लिंच, डीएसपी ब्लैकरॉक और डाइवा जैसे वैश्विक संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं. आपने वर्ष 2009 में एक बड़े विविध वित्तीय सेवा कारोबार डॉने डे एवी की स्थापना की और सफलतापूर्वक इसकी बिक्री की. आपने सेबी, एएमएफआई, भारतीय रिजर्व बैंक और एक्सचेंजों – बीएसई और एनएसई जैसी भारतीय नियामक संस्थाओं में विभिन्न पदों एवं समितियों में कार्य किया है और फिनटेक पर भारत में डीआईटी (यूके सरकार) के बाह्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं.

श्री आलोक वाजपेयी वर्ष 2012 से विभिन्न कंपनियों के कार्यनीतिक सलाहकार, उद्यमी, निवेशक और बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं एवं चयनित व्यक्तियों के विश्वसनीय सलाहकार भी रहे हैं. आपने हाल ही में भारत में एक प्रमुख जैविक खाद्य कंपनी कॉन्शियस फूड लिमिटेड का अधिग्रहण भी किया है और इसके अलावा आप वर्तमान में मुख्य रूप से वित्तीय, एफएमसीजी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं.

आप मेसर्स एवी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रेटजीज एलएलपी, मेसर्स कॉन्शियस फूड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लिटिलमोर इनोवेशन पीटीई लिमिटेड और मेसर्स सुला विनेयार्ड्स प्रा. लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं. आप इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी थे और जुलाई, 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में नियुक्त होने से ठीक पहले आपने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि बैंक के पास इसका स्वामित्व है और यह कंपनी का एक प्रमुख शेयरधारक है.

श्री आलोक वाजपेयी का जन्म वर्ष 1961 में हुआ. आप इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं और आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में विशेषज्ञता के साथ बीएससी (Econ) की डिग्री प्राप्त की है.

निदेशकों से संबंधित अन्य विवरण:

Lynch, DSP Blackrock and Daiwa in India. He founded and successfully sold in 2009 - Dawnay Day AV, a large diversified financial services business. He has worked closely with Indian regulators such as SEBI, AMFI, RBI and Exchanges - BSE and NSE - in various capacities and committees, and as External Adviser to DIT (UK Government) Government in India on Fintech.

Since 2012 Shri Alok Vajpeyi continues to be a Strategic Advisor, Entrepreneur, Investor and Board Director across a diverse set of companies and also relishes mentoring select individuals. He recently acquired control of Conscious Food Ltd, a leading organic food company in India, and in addition his current interests are largely in the financial, FMCG and technology sectors.

He sits on the Boards of M/s. AV Advisory Private Limited, M/s. Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies LLP, M/s. Conscious Food Private limited, M/s. Digital Gold India Private Limited, M/s. Institutional Investor Advisory Services (IIAS), M/s. Littlemore Innovation Pte Limited and M/s. Sula Vineyards Pvt. Ltd. He was on the Board of M/s. IndiaFirst Life Insurance Company Limited, from which he resigned just prior to being appointed to the Board of Bank of Baroda in July 2021, as the Bank is parent and a major shareholder in the company.

Born in 1960, Shri Alok Vajpeyi is an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales, having received a BSc (Econ) degree specializing in International trade & development, from the London School of Economics.

अनुलग्नक – 1ए
(यथास्थिति 31.03.2022)

OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
Annexure – 1A

(Position as on 31.03.2022)

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक के शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of membership in Sub -Committees of the Bank	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं. (*) No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*)	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक स्वरूप शामिल Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. हसमुख अढ़िया Dr. Hasmukh Adhia	शून्य Nil	6	शून्य Nil	1. स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन 2. गुजरात एनर्जी रिसर्च एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (ट्रस्टी) 1. School of Ultimate Leadership Foundation 2. Gujarat Energy Research & Management Institute (Trustee)
श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	शून्य Nil	11	2	1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2. बॉबकैप्स लिमिटेड 3. बॉब फाइनेंसियल लिमिटेड 4. बॉब यूके लिमिटेड 5. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड 6. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एवं फाइनेंस 7. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट 1. National Insurance Company Limited 2. BOBCAPS Limited 3. BOB Financials Limited 4. BOB UK Limited 5. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 6. Indian Institute of Banking & Finance 7. National Institute of Bank Management
श्री अजय के खुराना Shri Ajay K. Khurana	482	11	शून्य Nil	1. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड 1. National Payments Corporation of India 2. Baroda Sun Technologies Limited 3. Baroda Global Shared Services Ltd.
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	6500	10	1	1. इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड 3. बॉब फायनेंशियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड 5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड 1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Limited 3. Baroda Financial Solutions Limited 4. Indo Zambia Bank Limited 5. Bank of Baroda (Kenya) Limited
श्री देबदत्त चांद Shri Debadatta Chand	शून्य Nil	10	शून्य Nil	1. बॉब कैपिटल मार्केट लि. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड 1. BOB Capital Markets Ltd. 2. Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.

श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	7100	11	3	1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.. 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड . 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड. 4. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड. 1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Bank of Baroda (Botswana) Limited 3. Bank of Baroda (UK) Limited 4. Bank of Baroda Asset Management India Private Limited
श्री अमित अग्रवाल Shri Amit Agrawal	शून्य Nil	4	2	1. यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1. United India Insurance Company Limited 2. General Insurance Corporation of India
श्रीमती पार्वती वी सुंदरम Smt. Parvathy V Sundaram	शून्य Nil	4	शून्य Nil	शून्य Nil
श्री अजय सिंघल Shri Ajay Singhal	शून्य Nil	7	शून्य Nil	शून्य Nil
श्रीमती सौंदरा कुमार Smt. Soundara Kumar	200	8	6	1. राजपल्लयम मिल्स लिमिटेड 2. तामिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड 3. शांति गियर्स 4. रामको सिस्टम्स लिमिटेड 5. सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6. कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड 1. Rajapalayam Mills Limited 2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited 3. Shanthi Gears 4. Ramco Systems Limited 5. Sundaram Trustee Company Limited 6. Carborandum Universal Limited
श्री श्रीनिवासन श्रीधर Shri Srinivasan Sridhar	500	5	4	1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2. एफआईएनसीए अजरबाइजान 3. निर्लोन लिमिटेड 1. Oracle Financial Services Software Limited 2. FINCA Azerbaijan 3. Nirlon Limited
श्री आलोक वाजपेयी Shri Alok Vajpeyi	100	9	शून्य Nil	1. एवी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड 2. एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रेटजीज एलएलपी 3. कॉन्शियस फूड प्राइवेट लिमिटेड 4. डिजिटल गोल्ड इंडिया 5. लिटिलमोर इनोवेशन लैब्स पीटीई लिमिटेड 6. सुला विनेयार्ड्स प्रा. लिमिटेड 7. इंस्टीट्यूशनल इंवेशटर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड 1. AV Advisory Private Limited 2. Avendus Capital Public Markets Alternative Strategies LLP 3. Conscious Food Private Limited 4. Digital Gold India 5. Littlemore Innovation Labs Pte Limited 6. Sula Vineyards Private Limited 7. Institutional Investor Advisory Services India Limited

(*) एसीबी और हितधारक रिलेशनशिप समिति के संबंध में सूचना प्रदान की गई है.
(*) Information provided in respect of ACB and Stakeholders Relationship Committee

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार ''बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता'' के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

श्री संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मंबुई

दिनांक: 13 मई, 2022

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year ended on 31st March, 2022 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

Sanjiv Chadha

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date: 13th May 2022

फॉर्म संख्या. एमआर- 3
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

प्रति,

सदस्य
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मंबुई - 400051

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बैंक ऑफ बड़ौदा (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु 31मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवालीय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2022 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मो, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और इसमें उल्लिखित नियमों;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में बनाए गए विनियमन;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015;

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम जन्य इक्विटी)विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम 2008;

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं); और

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

(vi) हमने बैंक के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा स्थापित सिस्टम एवं पद्धतियों हेतु बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है.

हमारा यह मानना है कि प्रबंधन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है.

1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित)

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मास्टर निदेश, अधिसूचना एवं दिशानिर्देश

3) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 हमने लागू निम्नलिखित धाराओ के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक. यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के तहत शामिल नहीं है.

ii. बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक नें निम्नलिखित को छोड़ उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम,दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

- सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (बी) के अनुसार जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, वहां निदेशक मंडल में कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे. दिनांक 8 जुलाई, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम होने के कारण बैंक के बोर्ड की संरचना उचित नहीं थी. अब इसका अनुपालन किया गया है.
- सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (बी) के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे. दिनांक 7 अगस्त, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम होने के कारण लेखापरीक्षा समिति की संरचना उचित नहीं थी. अब इसका अनुपालन किया गया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

नियुक्तियां:

- श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2021 से अगले आदेशों तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में श्री अजय कुमार के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक की नामिति निदेशक के रूप में नामित किया है.
- श्री एलंगो बालासुब्रमण्यम को दिनांक 23 जून 2021 से बैंक के मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.
- श्री आलोक वाजपेयी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत दिनांक 09 जुलाई, 2021 से 08 जुलाई 2024 तक तीन वर्षों के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है.
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकाल को 30 सितंबर 2021 से आगे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 31 जुलाई 2022 तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है.
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा श्री अजय कुमार खुराना, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकाल को उनकी मौजूदा अधिसूचित अवधि, जो कि दिनांक 19 सितंबर 2021 को समाप्त हो रही है से आगामी दो वर्षों के लिए या अगले आदेशों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है.
- श्री जयदीप दत्ता रॉय को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 से कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
- श्री एस अनंतरामन को दिनांक 10 नवंबर 2021 से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है .
- श्री श्रीनिवासन श्रीधर को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत दिनांक 12 दिसंबर, 2021 से 11 दिसंबर 2024 तक तीन वर्षों के लिए पुनः शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
- श्री अजय सिंघल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत अधिसूचना की तारीख दिनांक 21 दिसंबर 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है.
- डॉ. हसमुख अढिया को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि को दिनांक 01 मार्च 2022 से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है.

कार्यकाल की समाप्ति:

- दिनांक 01 सितंबर 2021 को इंडियन बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के कारण कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री शांति लाल जैन का कार्यकाल दिनांक 01.09. 2021 से समाप्त हो गया.

बोर्ड द्वारा बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित

सूचना दी गई और एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है.

अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रुप में रिकॉर्ड किया गया है.

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरुप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं, अपवाद स्वरुप निम्नलिखित को छोड़:

स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार:

- मैसर्स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रा लिमिटेड के खाते में सीसीडी की ब्याज भुगतान की राशि के प्रेषण की अनुमति देने के लिए एफईएमए, 1999 की धारा 10(5) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रवर्तन निदेशालय ने एफईएमए 1999 की धारा 13 (1) के तहत रु 5.00 करोड़ का जुर्माना लगाया है. (स्टॉक एक्सचेंज अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2021).
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों को स्वीकृत अग्रिमों के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नही करने के लिए बैंक पर कुल रु. 2.00 करोड़ (केवल दो करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है. (स्टॉक एक्सचेंज अधिसूचना दिनांक 08 जुलाई 2021).

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएं या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

1) बैंक ने (1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने (2) पूंजी अर्जन योजना 2021-22 पर विचार और अनुमोदन करने (3) आगे लाई गई हानि के समंजन हेतु शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन को मंजूरी देने (4) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन करने के लिए दिनांक 08 जुलाई, 2021 को वार्षिक आम बैठक आयोजित की.

2) दिनांक 26.11.2021 को रु.1,00,00,000/- प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 1997 7.95% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड- सीरीज XVII का आबंटन किया गया.

3) दिनांक 02.12.2021 को बैंक ऑफ बड़ौदा का बेसल III एटी 1 बॉन्ड सीरीज VI के कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 1000.00 करोड़ है.

4) बैंक ने एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन करने के लिए 07 दिसंबर 2021 को अपनी असाधारण आम बैठक आयोजित की.

5) दिनांक 17.01.2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा का टियर I बॉन्ड सीरीज IV के कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 325.00 करोड़ है.

6) दिनांक 31.01.2022 को $ 1,00,00,000/- प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 752 8.00% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंप्लायंट एटी I बांड - सीरीज XVIII का आबंटन किया गया.

7) दिनांक 22.03.2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा का बेसल II एटी 1 बांड सीरीज VII के कॉल ऑप्शन/ रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 1000.00 करोड़ है.

8) इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए 'राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर' (आरओएफओ) के अनुसरण में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया.

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
रागिनी चोकशी
(साझेदार)
सी.पी.नंबर 1436
एफसीएस नंबर. 2390
यूडीआईएन: F002390D000204889

स्थान: मंबुई
दिनांक: अप्रैल 25, 2022

Form No. MR – 3
Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members
BANK OF BARODA
Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of Baroda (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2022. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2022 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2022 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder (to the extent applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

b. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

c. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

d. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

e. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the Audit Period)

f. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

g. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (to the extent applicable.)

h. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Audit Period); and

i. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

(vi) We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

1) The Banking Regulation Act, 1949 & The Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)

2) Master Direction, Notifications, and Guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

3) The Reserve Bank of India Act, 1934

4) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Secretaries of India; This is not applicable as Bank is not incorporated under the Companies Act

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following:

- As per Regulation 17(1)(b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall

comprise of independent directors, the composition of Board of Bank was not proper due to lesser number of Independent Directors till 8th July, 2021. Now complied with.

- As per Regulation 18(1)(b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, at least two-thirds of the members of audit committee shall be independent directors, the composition of Audit Committee was not proper due to lesser number of Independent Directors till 7th August, 2021. Now complied with.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

Appointments:

- Central Government has nominated Ms Patvathy V. Sundaram, retired Executive Director, Reserve Bank of India as director on the Board of Bank of Baroda u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 13th April 2021 or until further orders, vice Shri Ajay Kumar, RBI Nominee Director on the Board.
- Shri Elango Balasubramaniam was appointed as Chief Group Compliance Officer of the Bank w.e.f. June 23, 2021.
- Shri Alok Vajpeyi was elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from July 9, 2021 to July 8, 2024.
- Central Government has extended the term of office of Shri Vikramaditya Singh Khichi, Executive Director, Bank of Baroda u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period beyond 30th September 2021 till the date of his superannuation, i.e., 31st July 2022, or until further orders, whichever is earlier.
- Central Government has extended the term of office of Shri Ajay K. Khurana, Executive Director, Bank of Baroda u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 19th September 2021, or until further orders, whichever is earlier.
- Shri Joydeep Dutta Roy was appointed as Executive Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. 21st October 2021 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
- Shri S. Anantharaman was appointed as Chief Risk Officer w.e.f. November 10, 2021.
- Shri Srinivasan Sridhar was re-elected as Shareholder Director under section 9 (3) (i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from December 12, 2021 to December 11, 2024.
- Shri Ajay Singhal was nominated as Part-Time Non-Official Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. 21st December 2021 under section 9 (3) (h) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.
- Dr. Hasmukh Adhia was re-nominated as Part-Time Non-Official Director on the Board of Bank of Baroda by the Central Government u/s 9 (3) (h) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, his period of appointment as non-executive Chairman has been extended for a further period of two years with effect from 01st March 2022, or until further orders, whichever is earlier.

Cessations:

- Shri Shanti Lal Jain ceased to be Executive Director w.e.f. 01st September 2021 due to his appointment as Managing Director and Chief Executive Officer of Indian Bank on or after 01.09.2021.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines, except:

As per the information given to the Stock Exchanges:

- Directorate of Enforcement has imposed a penalty of Rs.5.00 crore under Section 13(1) of FEMA 1999 on Bank of Baroda for contravention of provisions of Section 10(5) of FEMA, 1999, for allowing remittance of the proceeds towards the interest payment of CCD in the account of M/s. Amrapali Silicon City Pvt. Ltd. (Stock Exchange notification dated 11th August 2021)
- Reserve bank of India in exercise of powers conferred under Section 47A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and 51(1) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty aggregating to Rs. 2.00 crore (Rupees two crore only) on the Bank for non- compliance with the directions issued by the RBI with respect to advances sanctioned to M/s Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd, and its Group Companies. (Stock Exchange notification dated 08th July 2021)

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1) The Bank held its Annual General Meeting on 08th July 2021 - (1) To approve the financial results of the Bank for the year ended 31st March, 2021 (2) To consider and approve Capital Raising Plan 2021-22 (3) To approve appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss (4) To elect one Shareholder Director.

2) Allotment of 1997 7.95% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XVII of face value of Rs. 1,00,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 26.11.2021.

3) Call option/Redemption of Basel III AT I Bond Series VI aggregating Rs. 1000.00 Cr. of Bank of Baroda on 02.12.2021.

4) The Bank held its Extraordinary General Meeting on 07th December 2021 To elect one Shareholder Director.

5) Call option/Redemption of Tier I Bond Series IV aggregating Rs. 325.00 Cr. of Bank of Baroda on 17.01.2022.

6) Allotment of 752 8.00% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XVIII of face value of Rs. 1,00,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 31.01.2022.

7) Call option/Redemption of Basel II AT 1 Bond Series VII aggregating Rs. 1000.00 Cr. of Bank of Baroda on 22.03.2022.

8) Acquisition of 21% stake in IndiaFirst Life Insurance Company Limited by Bank of Baroda pursuant to a 'Right of First Offer' (ROFO) made by Union Bank of India to the existing shareholders of IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Ragini Chokshi
(Partner)
C.P.NO.1436
FCS NO. 2390
UDIN: F002390D000204889

Place: Mumbai
Date: April 25, 2022

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक
Key Financial Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	5.92%	5.34%	5.57%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	3.78%	3.16%	2.97%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	2.73%	2.71%	3.03%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.14%	2.18%	2.60%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.80%	0.98%	0.92%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.47%	1.56%	1.73%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	49.97%	49.21%	49.24%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.47%	1.60%	1.79%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.04%	0.06%	0.58%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	1.23%	1.50%	11.82%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.05%	0.07%	0.57%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.06%	0.07%	0.60%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	7.99%	6.98%	6.79%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	4.98%	4.01%	3.52%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	0.00%	0.00%	20.27%
16	ऋण-जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	77.38%	77.15%	79.12%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगियों में निवेश को छोड़कर) / जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) /Deposit Ratio	79.96%	80.03%	82.38%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III	13.30%	14.99%	15.84%
	टीयर Tier - I	10.71%	12.67%	13.34%
	टीयर Tier - II	2.59%	2.32%	2.50%

क्र. सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	84283	82886	79806
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	9528	8258	8209
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	18.77	19.57	22.05
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु. करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)	18.44	19.96	20.94
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में) Gross Profit per employee (₹ in lakhs)	22.42	25.58	28.05
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाख में) Net Profit per employee (₹ in lakhs)	0.65	1.00	9.11
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	171.72	202.63	222.08
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु. करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	1.98	2.57	2.73
9	प्रति शाखा निवल लाभ (रु. करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	0.06	0.10	0.89
10	प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earnings per share (Rupees)	1.36	1.78	14.06
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रु.) Book Value per share (Rupees)	96.22	106.72	118.97

स्रोत: विभिन्न वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उपयुक्त लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/ पुन:वर्गीकृत किया गया है)
@ रु. 2/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर
Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)
@ after equlisation of face value to ₹ 2.00

परिभाषाएं / Definitions:

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का मासिक/ दैनिक औसत	**Average Working Funds (AWF)**	:	Monthly/Daily average of total assets
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Deposits**	:	Fortnightly/Daily average of total deposits
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Advances**	:	Fortnightly/Daily average of total advances
औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग	**Average Business**	:	Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	:	कुल निवेशों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Investments**	:	Fortnightly/Daily average of total investments
ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज आय	**Interest Income/AWF**	:	Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज व्यय	**Interest Expenses/AWF**	:	Total interest expenses Divided by AWF
ब्याज स्प्रेड/ एडब्लूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित (कुल ब्याज व्यय घटाकर कुल ब्याज आय)	**Interest Spread/AWF**	:	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैर-ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल गैर-ब्याज आय	**Non-Interest Income/ AWF**	:	Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालनगत व्यय	:	ब्याज व्यय घटाकर कुल व्यय	**Operating Expenses**	:	Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालनगत व्यय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत व्यय	**Operating expenses/ AWF**	:	Operating expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	:	(गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से विभाजित परिचालनगत व्यय	**Cost Income Ratio**	:	Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत लाभ	**Gross (Operating) Profit/ AWF**	:	Operating profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit/AWF**	:	Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, एफसीटीआर एवं आस्थगित कर आस्तिया, समामेलन प्रारक्षित निधि, परिशोधित पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर) से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Net Worth**	:	Net Profit Divided by Net Worth (excluding revaluation reserves, FCTR, DTA, Amalgamation Reserves & Provision for unamortised pension liabilities)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	कुल आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Assets**	:	Net Profit Divided by Total Assets;
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	औसत आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Average Assets**	:	Net Profit Divided by Average Assets;
अग्रिमों पर प्रतिफल	:	औसत अग्रिम से विभाजित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	**Yield on Advances**	:	Interest earned on Advances Divided by Average Advances;
जमाराशियों की लागत	:	औसत जमाराशियों से विभाजित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	**Cost of Deposits**	:	Interest paid on Deposits Divided by average deposits;
लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	:	शुद्ध लाभ से विभाजित कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश	**Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)**	:	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit;
ऋण- जमा अनुपात	:	ग्राहकों की जमाराशियों (अर्थात् कुल जमाराशियां घटाकर अंतर बैंक जमा राशियां) से विभाजित कुल अग्रिम	**Credit - Deposit Ratio**	:	Total advances Divided by Customer Deposits (i.e Total Deposits minus Inter Bank Deposits);
ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगियों में निवेश को छोड़कर) - जमाराशि अनुपात	:	ग्राहकों की जमाओं से विभाजित (कुल अग्रिम + गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगियों में निवेश)	**Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio**	:	(Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries) Divided by Customer Deposits;
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (मूल जमाराशियां + शुद्ध अग्रिम)	**Business Per Employee**	:	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees;
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम)	**Average Business Per employee**	:	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees;
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित सकल लाभ	**Gross Profit Per Employee**	:	Gross Profit Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit Per Employee**	:	Net Profit Divided by total No. of employees;
प्रति शाखा व्यवसाय	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित (कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम)	**Business Per Branch**	:	Total Deposits plus total advances divided by No. of Branches;
प्रति शाखा सकल लाभ	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित सकल लाभ	**Gross Profit Per Branch**	:	Gross Profit Divided by No. of Branches;
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit Per Branch**	:	Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	:	अंकित मूल्य हेतु समायोजित भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Earning Per Share**	:	Net Profit divided by number of weighted average outstanding shares adjusted for face value;
प्रति शेयर बही मूल्य	:	अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित शुद्ध मालियत [पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि+एफसीटीआर+डीटीए+समामेलन प्रारक्षित निधि+परिशोधित पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान (वित्तीय वर्ष 20, 21 एवं 22 के लिए) को छोड़कर.]	**Book Value Per Share**	:	Net Worth [excluding revaluation reserves+FCTR+DTA+ Amalgamation Reserves+Provision for unamortised pension liabilities (for FY'20,21, & 22) divided by number of outstanding shares adjusted for face value.

31 मार्च 2022 का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2022

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
पूंजी और देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**1035,53,36**	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**84874,18,91**	76010,18,78
जमाराशियां	Deposits	3	**1045938,56,00**	966996,92,66
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**103899,28,55**	66847,92,94
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**42252,26,52**	44474,19,40
कुल	TOTAL		**1277999,83,34**	1155364,77,14
आस्तियां	**ASSETS**			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**55184,40,53**	38841,03,76
बैंको के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**67470,59,05**	81571,77,93
निवेश	Investments	8	**315795,38,73**	261220,26,62
अग्रिम	Advances	9	**777155,17,78**	706300,51,15
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**9921,89,81**	8016,24,55
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**52472,37,44**	59414,93,13
कुल	TOTAL		**1277999,83,34**	1155364,77,14
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**399234,42,57**	395655,76,27
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**64741,91,59**	65233,83,25
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Ian Desouza
Chief Financial Officer

G. Ramesh
General Manager
Corporate Accounts & Taxation

Subrat Swain
Dy. General Manager
Corporate Accounts & Taxation

As per our Report of even date attatched.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(O.P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Manoj Rathi)
Partner
M. No.: 411460

For J. Kala & Associates
Chartered Accountants
FRN: 118769W

(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686

Place: Mumbai
Date: May 31, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2022

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2021
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**69880,78,03**	70495,06,21
अन्य आय	Other Income	14	**11483,95,03**	12933,96,81
कुल	TOTAL		**81364,73,06**	83429,03,02
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	**37259,44,21**	41686,03,59
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**21716,43,88**	20543,65,60
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies		**15116,56,81**	20370,38,01
कुल	TOTAL		**74092,44,90**	82600,07,20
III. लाभ / (हानि)	III. PROFIT / LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/ (Loss) for the year		**7272,28,16**	828,95,82
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		**7272,28,16**	828,95,82
IV. विनियोजन / अंतरण	IV. Appropriations / Transfers			
ए) सांविधिक आरक्षित निधि	a) Statutory Reserve		**1814,33,70**	207,22,49
बी) पूंजीगत आरक्षित निधि	b) Capital Reserve		**523,35,25**	676,89,87
सी) राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) निवेश उतार - चढाव प्रारक्षित निधि	I) Investment Fluctuation Reserve		**2368,42,17**	-
II) सामान्य प्रारक्षित निधि	II) General Reserve		**827,39,86**	(341,78,39)
III) आयकर अधिनियम 1961 धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961		**250,00,00**	286,56,00
IV) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	IV) Investment Reserve Account		**-**	-
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी))	V) Statutory Reserve (Foreign)		**14,93,35**	5,85
डी) प्रस्तावित लाभांश	d) Proposed Dividend		**1473,83,83**	-
कुल	TOTAL		**7272,28,16**	828,95,82
V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2 /-)	V. Earning Per Equity Share (Face Value of ₹ 2 /- per share)			
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	Basic Earnings per Share (₹)		**14.06**	1.78
प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)		**14.06**	1.78
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

संजीव चड्ढा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**विक्रमादित्य सिंह खीची** कार्यपालक निदेशक	**जयदीप दत्ता राय** कार्यपालक निदेशक
इयान डिसूजा मुख्य वित्त अधिकारी	**जी. रमेश** महाप्रबंधक कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान	**सुब्रत स्वाइन** उप महाप्रबंधक कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन: 114207W	**कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन : 000112N	**कृते व्यास एण्ड व्यास** सनदी लेखाकार एफआरएन : 000590C	**कृते दस्साणी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन : 009096C	**कृते जे. काला एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन : 118769W
(नीरज गोलस) साझेदार एम. नं. : 074392	**(अशोक कुमार जैन)** साझेदार एम. नं. : 090563	**(ओ.पी. व्यास)** साझेदार एम. नं. : 014081	**(मनोज राठी)** साझेदार एम. नं. : 411460	**(जयेश काला)** साझेदार एम. नं. : 101686

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31 मई, 2022

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
अनुसूची - 1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति शेयर ₹ 2/- के 1500,00,00,000/-)	(previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 शेयर)	(previous period 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	**1037,00,59**	**1037,00,59**
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government	**1034,27,24**	**1034,27,24**
जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं			
(पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	(previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)		
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500	Add: Forfeited Shares 136,67,500	**1,26,12**	**1,26,12**
(पिछली अवधि 136,67,500)	(Previous Period 136,67,500)		
कुल	TOTAL	**1035,53,36**	**1035,53,36**

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
अनुसूची - 2	**SCHEDULE - 2**				
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	**RESERVES & SURPLUS**				
I सांविधिक आरक्षित निधियां	**I Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**13336,20,75**		**13128,98,26**	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**1814,33,70**	**15150,54,45**	**207,22,49**	**13336,20,75**
II प्रारक्षित पूंजी	**II Capital Reserves**				
(₹ 7086.81 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित आरक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 5177.08 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 7086.81 crore (previous period ₹ 5177.08 crore)				

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	12657,42,57		12882,96,07	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	523,35,25		676,89,87	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	2664,93,84		(245,05,37)	
				15845,71,66		13314,80,57	
	कटौतियां :		Deductions:				
	सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुर्नमूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve	729,44,35	15116,27,31	657,38,00	12657,42,57
III	**शेयर प्रीमियम**	III	**Share Premium**				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	42360,56,79		37985,40,30	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	(11048,41,66)	31312,15,13	4375,16,49	42360,56,79
IV	**राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**	IV	**Revenue and other Reserves**				
	ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)		a) Statutory Reserve (Foreign)				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	184,43,12		115,70,44	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	14,93,35		68,72,68	
				199,36,47		184,43,12	
	बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		b) Special Reserve u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	6394,01,77		6107,45,77	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	250,00,00		286,56,00	
				6644,01,77		6394,01,77	
	सी) विदेशी मुद्रा रुपांतरित प्रारक्षित निधियां		c) Foreign Currency Translation Reserve				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	3061,05,56		3373,89,71	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	320,85,01		(312,84,15)	
				3381,90,57		3061,05,56	
	डी) निवेश प्रारक्षित लेखा		d) Investment Reserve Account				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	-		-	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	-		-	
				-		-	
	ई) निवेश उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि		e) Investment Fluctuation Reserve				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	21,57,83		21,57,83	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	2368,42,17		-	
				2390,00,00		21,57,83	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
एफ) अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि प्रारंभिक शेष	f) Other Revenue Reserves Opening Balance	9043,34,60		8363,30,31	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	1636,58,61		680,04,29	
		10679,93,21		9043,34,60	
कुल - IV (ए, बी, सी, डी, ई और एफ)	**TOTAL - IV (a, b, c, d, e & f)**		**23295,22,02**		18704,42,88
लाभ और हानि खाते में नामे शेष	V Debit Balance in Profit & Loss Account		-		(11048,44,21)
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**		**84874,18,91**		76010,18,78

अनुसूची - 3 जमाराशियां / SCHEDULE - 3 DEPOSITS

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	3685,39,98		2868,95,68	
ii) अन्य से	ii) From Others	85175,80,71	88861,20,69	75802,46,25	78671,41,93
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		344744,02,42		309610,80,17
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	60015,80,37		48610,16,30	
ii) अन्य से	ii) From Others	552317,52,52	612333,32,89	530104,54,26	578714,70,56
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**		**1045938,56,00**		966996,92,66
बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	927010,57,17		858413,11,97	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	118927,98,83		108583,80,69	
कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**1045938,56,00**		966996,92,66	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
अनुसूची - 4 उधार ली गई राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I. भारत में उधार ली गई राशियां	**I Borrowings in India**				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	5384,64,11		14123,53,13	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	67774,42,50		22522,64,29	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी1	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1	11231,00,00		10807,00,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	11606,50,00		11606,50,00	
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**		95996,56,61		59059,67,42
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां	**II Borrowings outside India**		7902,71,94		7788,25,52
कुल - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	**Total - Borrowings (I & II)**		103899,28,55		66847,92,94
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार ली गई राशियां	Secured Borrowings included in above		59089,36,57		7725,47,91

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान	**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I देय बिल	I Bills Payable	3979,35,16	2659,23,08
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II Inter Office Adjustments (Net)	1929,22,27	180,78,03
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	4030,37,42	4178,80,12
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	6963,90,78	9607,89,56
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)	25349,40,89	27847,48,61
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**	42252,26,52	44474,19,40

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	4439,08,88	4178,20,33
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में	in Current Account	50745,27,47	34662,79,25
अन्य खाते में	In Other Account	4,18	4,18
कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**	55184,40,53	38841,03,76

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
अनुसूची - 7	**SCHEDULE - 7**				
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**				
I भारत में	**I In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**104,82,41**		66,35,92	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**5310,44,93**	**5415,27,34**	4277,14,20	4343,50,12
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
ए) बैंकों के पास	a) Banks	**16000,00,00**		7285,00,00	
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	**-**	**16000,00,00**	29,40,36	7314,40,36
कुल (i **और** ii)	**TOTAL (i and ii)**		**21415,27,34**		11657,90,48
II भारत से बाहर	**II Outside India**				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	**31539,75,55**		35082,81,80	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**5611,71,08**		24839,26,11	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	**8903,85,08**		9991,79,54	
कुल (i, ii **और** iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**46055,31,71**		69913,87,45
कुल (I **और** II)	**TOTAL (I and II)**		**67470,59,05**		81571,77,93

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
अनुसूची - 8	**SCHEDULE - 8**				
निवेश	**INVESTMENTS**				
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	**304062,04,19**		251708,42,57	
घटायें: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	**3950,07,44**		3433,88,82	
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India		**300111,96,75**		248274,53,75
अलग - अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	**273266,11,25**		226796,48,01	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	**1,41,40**		1,41,40	
iii) शेयर	iii) Shares	**2597,48,70**		2842,71,13	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	**20950,48,82**		16131,13,94	
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**2352,50,59**		1487,58,69	
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू प्रमाणपत्र, वेंचर कॅपिटल फंड, सिक्यूरिटी रसीद आदि.)	vi) Other Investments (Mutual Funds, Pass Through Certificates, Venture Capital Fund, Security Receipts etc.)	**943,95,99**		1015,20,58	
		300111,96,75		248274,53,75	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
II	भारत के बाहर निवेश (सकल)	II	Investments Outside India (Gross)	16753,43,28		13185,52,79	
	घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		Less: Provision for Depreciation	1070,01,30		239,79,92	
	भारत के बाहर निवल निवेश		Net Investments Outside India		15683,41,98		12945,72,87
	अलग - अलग विवरण		BREAK-UP				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		i) Government Securities (Including Local Authorities)	6108,21,94		4498,79,38	
	ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम		ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	2034,31,06		2034,31,06	
	iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि.)		iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	7540,88,98		6412,62,43	
				15683,41,98		12945,72,87	
	कुल (I और II)		**TOTAL (I and II)**		315795,38,73		261220,26,62

अनुसूची - 9 अग्रिम / SCHEDULE - 9 ADVANCES

				31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
ए	i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A.	i) Bills Purchased and Discounted	23111,53,66		21687,85,30	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण		ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	297981,97,16		282739,46,18	
	iii) मीयादी ऋण		iii) Term Loans	456061,66,96		401873,19,67	
	कुल ए (i से iii)		**TOTAL A (i to iii)**		777155,17,78		706300,51,15
बी.	i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B.	i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	574322,26,09		552294,51,70	
	ii) बैंक / सरकारी गारंटी से रक्षित		ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	68302,03,43		61311,67,95	
	iii) गैर - जमानती		iii) Unsecured	134530,88,26		92694,31,50	
	कुल बी (i से iii)		**TOTAL B (i to iii)**		777155,17,78		706300,51,15
सी.	I भारत में अग्रिम	C.	I Advances in India				
	i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		i. Priority Sector	230865,33,09		219473,30,21	
	ii सार्वजनिक क्षेत्र		ii. Public Sector	119463,80,60		99631,32,82	
	iii बैंक		iii. Banks	2271,06,47		1499,20,38	
	iv अन्य		iv. Others	300781,34,33	653381,54,49	285011,96,94	605615,80,35
	II भारत से बाहर अग्रिम		II Advances Outside India				
	i बैंकों से देय		i Due from Banks	34947,25,47		27887,94,53	
	ii अन्य से देय		ii Due from Others				

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

			31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
ए)	खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	3655,18,08		2614,10,75	
बी)	सिंडीकेट ऋण	b) Syndicated Loans	57430,16,32		38503,31,80	
सी)	अन्य	c) Others	27741,03,42	123773,63,29	31679,33,72	100684,70,80
	कुल सी (I एवं II)	TOTAL C (I & II)		777155,17,78		706300,51,15

अनुसूची - 10 SCHEDULE - 10

अचल आस्तियां FIXED ASSETS

			31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
I	**परिसर**	**Premises**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	11706,58,35		11970,40,57	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन (पुर्नमूल्यांकित राशि सहित)	Additions/adjustments during the period (Includes revalued amount)	2677,92,93		128,87,61	
			14384,51,28		12099,28,18	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	13,68,17		392,69,83	
			14370,83,11		11706,58,35	
	घटाएं:- आज की तारीख तक मूल्यह्रास / परिशोधन	Less:- Depreciation/ Amortisation to date	5962,54,61	8408,28,50	5180,93,20	6525,65,15
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)**	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	8324,64,52		7907,07,32	
	अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the period	726,70,95		2553,74,14	
			9051,35,47		10460,81,46	
	अवधि के दौरान कटौती / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	192,97,01		2136,16,94	
			8858,38,46		8324,64,52	
	घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	Less:- Depreciation to date	7344,77,15	1513,61,31	6834,05,12	1490,59,40
	कुल (I से II)	TOTAL (I to II)		9921,89,81		8016,24,55

अनुसूची - 11 SCHEDULE - 11

अन्य आस्तियां OTHER ASSETS

			31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
I	उपचित ब्याज	Interest Accrued	9571,70,77	7251,36,32
II	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	7303,47,12	8675,31,86
III	लेखन सामग्री और स्टांप	Stationery & Stamps	8,36,96	8,21,86
IV	दावों के निपटान से अर्जित गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
IV	अन्य	Others	35588,82,59	43480,03,09
	कुल (I से V)	TOTAL (I to IV)	52472,37,44	59414,93,13

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES

			31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
I	बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	Claims against the Bank not acknowledged as Debts		22085,61,69		20802,42,69
II	आंशिक रुप से चुकता निवेशों के लिए देयता	Liability for partly paid Investments		15,28,00		15,28,00
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		164455,07,02		203129,17,11
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां :	Guarantees given on behalf of Constituents :				
	ए) भारत में	a) In India	44000,27,80		44505,27,53	
	बी) भारत से बाहर	b) Outside India	7230,75,86	51231,03,66	6937,18,84	51442,46,37
V	स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	Acceptances, Endorsements and Other Obligations		29175,65,05		26225,40,87
VI	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं	Other items for which the Bank is Contingently liable		132271,77,15		94041,01,23
	कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)		399234,42,57		395655,76,27

अनुसूची - 13 / SCHEDULE - 13
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED

			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2021
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	Interest / Discount on Advances / Bills	49278,52,74	50052,12,10
II	निवेशों पर आय	Income on Investments	17617,20,56	17077,11,72
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1015,17,44	1450,92,47
IV	अन्य	Others	1969,87,29	1914,89,92
	कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	69880,78,03	70495,06,21

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2021	
अनुसूची - 14		**SCHEDULE - 14**					
अन्य आय		**OTHER INCOME**					
I	कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I	Commission, Exchange and Brokerage		**2770,97,16**		2520,90,96
II	निवेशों पर विक्रय पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	**2864,20,52**		3459,00,94	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	**135,44,84**	**2728,75,68**	83,04,18	3375,96,76
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III	Profit on Revaluation of Investments	**2,12,49**		689,97,69	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		Less: Loss on Revaluation of Investments	**95,74,084**	**(955,28,35)**	120,44,60	569,53,09
IV	भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**8,72,21**		98,63,95	
	घटाएं: भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**4,65,78**	**4,06,43**	4,54,14	94,09,81
V	विनिमय लेन-देन पर लाभ	V	Profit on Exchange Transactions	**1154,29,97**		1049,49,93	
	घटाएं: विनिमय लेन-देन पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	**1,62,24**	**1152,67,73**	36,32	1049,13,61
VI	विदेशों / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रुप में अर्जित आय	VI	Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India		**189,24,52**		131,70,07
VII	विविध आय#	VII	Miscellaneous Income#		**5593,51,86**		5192,62,51
	कुल (I से VII)		**TOTAL (I to VII)**		**11483,95,03**		12933,96,81

विविध आय में बट्टे खातों में की गई वसूली ₹ 2510.12 करोड़ में शामिल है. (पिछले वर्ष ₹ 2985.38 करोड़)
Miscellaneous income includes Recoveries made in write-off accounts ₹ 2510.12 crs (Previous year ₹ 2985.38 crs)

अनुसूची - 15		**SCHEDULE - 15**			
खर्च किया गया ब्याज		**INTEREST EXPENDED**			
I	जमाराशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits	**33289,83,46**	37564,40,39
II	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	**1727,10,40**	1863,76,79
III	अन्य	III	Others	**2242,50,35**	2257,86,41
	कुल (I से III)		**TOTAL (I to III)**	**37259,44,21**	41686,03,59

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2021
अनुसूची - 16		**SCHEDULE - 16**			
परिचालन व्यय		**OPERATING EXPENSES**			
I	कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I	Payments to and Provisions for Employees	**11978,84,28**	11445,53,03
II	किराया, कर और बिजली	II	Rent, Taxes and Lighting	**1472,69,66**	1505,92,01
III	मुद्रण और लेखन सामग्री	III	Printing and Stationery	**121,63,30**	126,30,18
IV	विज्ञापन एवं प्रचार	IV	Advertisement and Publicity	**175,47,46**	87,08,56
V	बैंक की संपत्ती पर मूल्यह्रास	V	Depreciation on Bank's Property	**1389,72,32**	1314,54,17
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI	Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1,60,97**	1,22,46
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	**82,00,60**	73,86,63
VIII	विधि प्रभार	VIII	Law Charges	**191,00,74**	164,08,28
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX	Postages, Telegrams, Telephones etc.	**129,21,35**	193,79,48
X	मरम्मत और रखरखाव	X	Repairs and Maintenance	**992,89,16**	1109,63,65
XI	बीमा	XI	Insurance	**1378,93,54**	1353,87,13
XII	अन्य खर्च	XII	Other Expenditure	**3802,40,50**	3167,80,02
	कुल (I से XII)		**TOTAL (I to XII)**	**21716,43,88**	20543,65,60

अनुसूची 17

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं. ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है.

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. निवेश

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2021-22/81डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार किया गया है.

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जिसमें-

i) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) में निवेश शामिल है जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

ii) ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

iii) ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक धारित करने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य.

बी) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है.

सी) वर्गों के बीच अंतरण

एक वर्ग से दूसरे वर्ग का पुनःवर्गीकरण निवेश, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप है. एएफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्क्रिप का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है. एचटीएम से एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है.

एएफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. ऐसे निवेशों पर मूल्यह्रास, यदि हो तो, को भी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाएगा.

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाएगा और यदि अंतरण पर मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है.

3.2 मूल्यांकन

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है जबतक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो. इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमोरटाइज्ड किया गया है. एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमोरटाइजेशन व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त, 2021 के परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2021-22/81डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 के अनुरुप ब्याज आय में से घटाया जाता है.

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप / प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और उनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्र का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है.

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर, निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23 अगस्त 2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए परिपक्वता तक धारित संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ब्रिक्री के लिए उपलब्ध में अंतरित कर दिया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 महिनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ रु 1/- पर मूल्यांकन किया जाएगा.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मार्कड-टू-मार्केट (एमटीएम) होते हैं. अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यह्रास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है. प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यह्रास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है. निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता.

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता. बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान कराया जाता है.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए समय-समय पर प्रस्तावित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय -समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा. 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानत: जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा.

बैंक के पोर्टफोलियो में श्रेणी I और II एआईएफ के कोटेड इक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों को वरीयत: दैनिक आधार पर किन्तु कम से कम साप्ताहिक आधार पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए.

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है. हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र / वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों के मूल्य 1 रुपये प्रति श्रेणी I और II एआईएफ हैं.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट सेल पोजीशन, सिक्यूरिटीज शॉर्ट सोल्ड (एसएसएस) खाते में परिलक्षित होती है जोकि विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए सृजित किया गया है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिन्हित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरों / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं.

जिन निवेशों के लिए दरें/ कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए	सरकार/स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	-	ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि है पर विचार किए बिना) नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की तारीख मूल्यांकन की तारीख से पहले 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर एवं पास थ्रू प्रमाणपत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
डी	पीएसयू बॉन्ड्स	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यह्रास/ प्रावधान किए जाते हैं. क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है. अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास / प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज में सेट ऑफ नही हैं. जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है.

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है. उन शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

3.3 निवेशों का निस्तारण

एचटीएम के रुप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में लिया जाता है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों [भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001 /2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआर डी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] के लेखांकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सांपार्श्विक उधार/ ऋण परिचालन के अंतर्गत माना जाता है. रेपो के अंतर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. लागत एवं राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के लिए किया जाता है.

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

यील्ड में बढ़ोतरी के पेटे संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.102/ 21.04.048/ 2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफ़आर बनाने की सूचना दी है.

आईएफ़आर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती.

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा में डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर शामिल हैं. बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है.

3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं. हेजिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव अनुबंध को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है, जब तक उनकी अंडरलाइनिंग आस्तियों को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता, जहां हेजिंग की अंडरलाइंग आस्तियों के मामले मार्क्ड-टू-मार्केट के अधीन नहीं हैं, हेजिंग लिखत की गणना उपचय के आधार पर की जानी है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्क्ड-टू-मार्केट है तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है.

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/समाप्ति पर प्राप्य/देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ)/मुद्राफ्यूचर्स का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के

संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं.

4.3 सतत व्यवहार के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है-

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान.
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया. प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है.
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, वैयक्तिक ऋण.
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशिरु. 1 करोड़ एवं अधिक है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है. अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रूप में की जाती है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है.

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो, तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि रिवर्स नहीं की जाएगी परंतु अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा.

5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है. अस्थायी प्रावधान करने की मात्रा का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वनुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है.

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य (या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो) में से संचित मूल्यह्रास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है. लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है. जब ऐसी आस्ति का/ से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है, तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है.

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है. बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों को अचल आस्तियों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन पर प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है.

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है.

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/ व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है. आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है. विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/ व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है.

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं.

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है.

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है.

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिये:

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के प्रति
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निर्देशों के अनुसार.
- अदालत के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू.

कॉम्प्रोमाइज/ एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली.

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए.

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है.

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन,प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है. यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रुप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक की सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा अप्रैल 01, 2010 को या उसके बाद ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान [पैराग्राफ 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा] निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है.

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.10%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.10%	अवलिखित मूल्य

डी.	कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है.

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु. 50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है.

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी समय सीमा पर आधारित होता है.

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों का मूल्यह्रास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहाँ की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 लेखांकन ''विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरुप किया गया है.

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपालेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार एमटीएम के मौजूदा मूल्य हेतु प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को, पर भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं

वायदा संव्यवहारों के पुनमूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियां को वित्तीय विवरणी में दर्शाई नहीं जाता हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप ऐसी आय के निर्धारण की संभावना बन सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है.

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य जिसमें उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल हैं.

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 Investments:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after August 23, 2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio shall be marked to market preferably on a daily basis, but at least on a weekly basis.

The units is valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments

in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/ FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate

Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/ losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is

debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis.Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/initmation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/ NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.10%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.10%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life more than 2 years and in excess of original cost in of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची-18 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां
Schedule-18 Notes on Account for the year ended March 31, 2022

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण
A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए-1 (ए) पूंजी
A-1(a) Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र सं. S. No.		विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	73,359.51	67,943.57
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	11,086.78	10,716.86
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	84,446.29	78,660.43
iv)	टीयर 2 पूंजी	Tier 2 capital	15,806.81	14,390.29
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	1,00,253.10	93,050.72
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	6,32,912.27	6,20,908.34
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	11.59%	10.94%
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.34%	12.67%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.50%	2.32%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.84%	14.99%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	6.02%	6.32%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of - Government of India	63.97%	63.97%
xiii)	वर्ष के दौरान अर्जित प्रदत इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	110.16*
xiv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर -संचयी पसंदीदा शेयर स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual debt instruments Any Other Instrument	2749 2749	3735 3735
xv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी पसंदीदा शेयर स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual debt instruments Any Other Instrument	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है.

*वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने बैंक की विकास योजनाओं को सहायता प्रदान करने और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने हेतु सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत कुल रु. 4,500.00 करोड़ के रु. 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (रु.79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर रु. 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593 इक्विटी शेयर, जारी और आवंटित किए हैं. समिति द्वारा क्यूआईपी के तहत इक्विटी शेयरों के आवंटन को दिनांक 03.03.2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है.

बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

RBI vide circular No. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1 March 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.

*During the FY 2020-21, the Bank had issued and allotted 55,07,95,593 equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4,500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes. The allotment of equity shares under QIP is approved by the committee in its meeting held on 03.03.2021.

The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष	Opening balance	1,034.27	924.11
जोड़ें: ज़ब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	1.26	1.26
समायोजित प्रारम्भिक	Adjusted Opening	1,035.53	925.37
अधिमानी आबंटन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Preferential allotment	-	-
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के अनुरूप योग	Addition pursuant to stock options exercised	-	-
क्यूआईपी के अनुरूप योग	Addition pursuant to QIP	-	110.16
अंतिम शेष	Closing Balance	1,035.53	1,035.53

1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I/ टियर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1) During the year ended 31 March 2022, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी Basel III Compliant AT	सीरीज XVII Series XVII	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	7.95%	1997.00
बासेल III अनुपालित एटी Basel III Compliant AT	सीरीज XVIII Series XVIII	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.00%	752.00
कुल Total					2,749.00

31 मार्च, 2022 को As on 31.03.2021

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज XII Series XII	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.25%	764.00
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज XIII Series XIII	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.50%	981.00
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज XIV Series XIV	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.50%	833.00
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज XV Series XV	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.15%	969.00
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज XVI Series XVI	लागू नहीं NA	स्थायी Perpetual	8.15%	188.00
कुल Total					3,735.00

2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

2) During the year ended 31 March 2022, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/Tier II/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज VI Series VI	लागू नहीं (कॉल तारीख 02-12-21) NA (Call date 02.12.21)	स्थायी Perpetual	8.50%	1000.00
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज IV Series IV	लागू नहीं (कॉल तारीख 17-01-22) NA (Call date 17.01.22)	स्थायी Perpetual	10.49%	325.00
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज VII Series VII	लागू नहीं (कॉल तारीख 22-03-22) NA (Call date 22.03.22)	स्थायी Perpetual	9.14%	1000.00
कुल Total					2325.00

3) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

3) During the year ended 31 March 2021, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियर I/टियर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/Tier II/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
आईपीडीआई IPDI	सीरीज IV Series IV	NA (Call date 27.08.20)	स्थायी Perpetual	9.05%	711.50
बासेल III अनुपालित एटी 1 Basel III Compliant AT 1	सीरीज III Series III	NA (Call date 30.03.21)	स्थायी Perpetual	11.25%	500.00
बासेल II अपर टियर II Basel II Upper Tier II	सीरीज XIII Series XIII	31.05.2025 (Call date 31.05.20)	15 वर्ष 15 yrs	8.48%	500.00
बासेल II अपर टियर II Basel II Upper Tier II	सीरीज XIV Series XIV	30.06.2025 (Call date 30.06.20)	15 वर्ष 15 yrs	8.48%	500.00
बासेल II अपर टियर II Basel II Upper Tier II	सीरीज XV Series XV	10.08.2025 (Call date 10.08.20)	15 वर्ष 15 yrs	8.52%	500.00
कुल Total					2,711.50

ए -1 (बी) आरक्षित पूंजी में कमी

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आरक्षित पूंजी में कोई कमी नहीं हुई है (31 मार्च, 2021: शून्य)

A-1 (b) Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2021-22, there is no draw down from the reserves (March 31, 2021: Nil).

ए-2 आस्ति देयताएं प्रबंधन

ए) आस्ति और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

A-2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

31.03.2022 की स्थिति As on 31.03.2022	एक दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8-14 Days	15-30 दिन 15-30 Days	31 दिन - 2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक- 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह तक Over 3 M - Up To 6M	6 माह से अधिक - 12 माह तक Over 6 M - Up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक Over 1 Yr - Up To 3 Yr	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक Over 3 Yr - Upto 5 Yr	5 वर्ष से अधिक Over 5 Yr	कुल Total
जमा राशियाँ Deposits	7,560.95	27,238.83	23,974.53	38,671.42	42,611.83	46,116.74	65,895.94	1,17,977.83	3,17,242.89	70,314.79	2,88,332.81	10,45,938.56
	(15,852.79)	(33,566.64)	(23,196.59)	(32,853.00)	(37,821.81)	(36,591.25)	(64,940.25)	(1,14,939.65)	(2,70,930.51)	(57,978.02)	(2,78,326.41)	(9,66,996.92)
अग्रिम Advances	4,143.54	3,779.00	5,388.94	13,100.59	12,304.81	19,582.96	27,388.90	43,412.81	4,17,491.24	96,242.05	1,34,320.35	7,77,155.19
	(11,174.80)	(10,419.14)	(22,931.81)	(8,677.99)	(9,866.28)	(15,224.25)	(26,138.11)	(38,915.98)	(3,67,477.27)	(81,893.58)	(1,13,581.30)	(7,06,300.51)
निवेश Investments	470.22	98,639.07	3,773.95	6,852.83	6,947.21	6,812.62	13,812.13	25,713.66	60,864.67	18,339.98	72,637.44	3,14,863.78
	(41,842.37)	(2,289.55)	(725.11)	(1,470.43)	(2,751.23)	(1,769.57)	(3,761.25)	(9,471.84)	(45,818.38)	(72,135.20)	(79,185.34)	(2,61,220.27)
उधार Borrowings	0.00	61,454.14	418.65	165.30	389.74	1,413.60	2,684.15	8,362.90	19,105.56	7,385.58	2,519.67	1,03,899.29
	(55.98)	(28,357.46)	(53.93)	0.00	(89.33)	(324.30)	(420.85)	(5,945.37)	(16,418.77)	(12,248.23)	(2,933.70)	(66,847.92)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	35,259.06	6,815.85	3,407.83	9,322.52	10,605.65	13,021.18	14,085.63	13,943.82	57,442.89	24,178.63	12,724.81	2,00,807.87
	(52,726.84)	(3,845.68)	(6,881.99)	(7,433.54)	(12,961.16)	(10,066.17)	(17,336.49)	(12,851.16)	(44,537.36)	(16,194.68)	(12,434.25)	(1,97,269.32)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities	5,106.04	8,086.27	3,681.12	7,068.40	13,786.67	14,332.65	12,522.43	14,919.26	29,220.47	15,416.29	22,128.78	1,46,268.38
	(8,355.37)	(9,576.34)	(3,880.85)	(12,562.06)	(6,225.06)	(6,709.83)	(14,563.72)	(18,295.40)	(34,935.19)	(10,357.87)	(14,215.13)	(1,39,676.82)

- कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं
- आस्तियों और देयताओं का वितरण बैंक के "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2021" के अनुसार किया गया है.

- Figures in bracket denote previous year numbers
- The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the “Group Asset Liability Management Policy 2021” of the Bank.

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात

b) Liquidity Coverage Ratio

ए-2 बी(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

A-2 b(i) Quantitative Disclosure

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Cr)

	समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated liquidity coverage ratio (LCR) Disclosure	मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2021		जून 2021 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2021		मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2021	
	बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां High Quality Liquid Assets											
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		2,28,244.42		2,38,192.89		2,38,760.35		2,31,738.65		2,24,998.08
नकद आउट फ्लो Cash Outflows											
2	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमें से: Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	6,53,881.54	61,922.83	6,44,965.13	61,081.14	6,39,378.62	60,413.65	6,34,251.89	59,787.35	6,18,542.16	58,247.50
(i)	स्थिर जमाएं Stable Deposits	69,306.48	3,465.32	68,307.44	3,415.37	70,484.36	3,524.22	72,756.91	3,637.85	72,134.30	3,606.71
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं Less Stable Deposits	5,84,575.06	58,457.51	5,76,657.69	57,665.77	5,68,894.26	56,889.43	5,61,494.98	56,149.50	5,46,407.86	54,640.79
3	गैर जमानती होलसेल निधियन-जिसमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	1,71,887.55	92,362.67	1,65,361.63	90,416.85	1,62,089.53	89,817.07	1,77,576.60	1,00,742.55	1,66,075.01	93,210.16
(i)	परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Non-operational deposits (all counterparties)	1,71,887.55	92,362.67	1,65,361.63	90,416.85	1,62,089.53	89,817.07	1,77,576.60	1,00,742.55	1,66,075.01	93,210.16
(iii)	गैर जमानती कर्ज Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जमानती होलसेल निधियन Secured wholesale Funding	53,483.21	0.00	45,707.12	58.77	27,827.56	0.00	22,075.12	0.00	27,761.15	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से Additional requirements, of which	1,81,883.95	17,209.37	1,37,823.31	13,276.50	1,29,153.22	13,145.38	1,29,856.55	13,670.40	1,38,068.00	15,453.55
(i)	डेरिवेटिव एक्स्पोज़र और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	10.00	10.00	1.39	1.39	0.42	0.42	9.84	9.84	11.87	11.87

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Cr)

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated liquidity coverage ratio (LCR) Disclosure		मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2022		दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2021		सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2021		जून 2021 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2021		मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2021	
बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	1,81,873.95	17,199.37	1,37,821.92	13,275.11	1,29,152.80	13,144.96	1,29,846.71	13,660.56	1,38,056.13	15,441.68
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायितव Other contractual funding obligations	1,647.44	1,647.44	1,388.28	1,388.28	1,199.26	1,199.26	1,172.33	1,172.33	2,972.97	2,972.97
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	89,230.36	2,676.91	84,957.51	2,548.73	84,898.44	2,546.95	83,684.15	2,510.52	83,236.62	2,497.10
8	कुल नकद आउटफ्लो TOTAL CASH OUTFLOWS	11,52,014.05	1,75,819.22	10,80,202.98	1,68,770.27	10,44,546.63	1,67,122.31	10,48,616.64	1,77,883.15	10,36,655.92	1,72,381.28
नकद इनफ्लो Cash Inflows											
9	जमानती ऋण (उदाहरण, रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	24,697.62	0.00	13,496.08	0.00	8,109.46	0.00	5,352.90	0.00	3,468.78	0.00
10	पूर्णतया निष्पादक एक्स्पोज़र से इनफ्लो Inflows from fully performing exposures	30,416.22	24,461.07	33,490.50	28,467.07	32,870.12	27,575.03	33,981.23	28,074.90	36,749.19	31,090.80
11	अन्य नकद इनफ्लो Other cash inflows	2,413.53	1,554.17	2,228.37	1,368.79	1,851.41	934.82	2,420.79	1,510.69	2,632.53	1,692.94
12	कुल नकद इनफ्लो TOTAL CASH INFLOWS	57,527.37	26,015.24	49,214.95	29,835.86	42,830.99	28,509.85	41,754.92	29,585.59	42,850.50	32,783.74
		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	
13	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		2,28,244.42		2,38,192.89		2,38,760.35		2,31,738.65		2,24,998.08
14	कुल नेट नकद आउटफ्लो TOTAL NET CASH OUTFLOWS		1,49,803.98		1,38,934.41		1,38,612.45		1,48,297.56		1,39,597.55
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		152.36%		171.44%		172.25%		156.27%		161.18%

ए- 2 बी (ii) गुणात्मक प्रकटीकरण:

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है.

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि अत्यधिक चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रत: बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे.

एलसीओआर के दो घटक हैं:

(i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य

(ii) कुल निवल नकद बर्हिप्रवाह: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बहिर्प्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह}} = 100\%$$

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है. दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 09 जून 2014 के अनुसार बैंक को 01 जनवरी 2019 से न्यूनतम एलसीआर 100% बनाए रखना होगा.

एचक्यूएलए की संरचना

चलनिधि की सुविधा के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात मार्च 2022, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 59.99% है उसके बाद न्यूनतम एसएलआर आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि एचक्यूएलए का 21.18% है. स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सापेक्ष कुल एचक्यूएलए का 0.00% है.

A-2 b)(ii) Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.

(ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guidelines, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. Starting from January 2017, the bank had to disclose LCR on daily average basis .Hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI guidelines on LCR dated 9th June 2014, the bank has to maintain minimum LCR of 100% with effect from January 01, 2019.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2022, Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e. 59.59% followed by Government Securities in excess of minimum SLR requirement which constitute 21.18%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.00% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) High Quality Liquid Assets (HQLAs)	समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis
लेवल 1 आस्तियां Level 1 Assets	
हाथ में नकदी Cash in hand	1.76%
आधिक्य सीआरआर शेष Excess CRR balance	6.64%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities in excess of minimum SLR requirement	21.18%
एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक) Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	8.22%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	2.61%

चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएएलएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 14.50 प्रतिशत सीमा तक) Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 14.50 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	59.59%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां Total Adjusted Level 1 Assets	100.00%
कुल लेवल 2ए आस्तियां Total Adjusted Level 2A Assets	0.00%
कुल लेवल 2बी आस्तियां Total Adjusted Level 2B Assets	0.00%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित. Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - Adjustment for 40% cap	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहक:

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 100% की न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता पर रु. 14,98,039.83 मिलियन की औसत आवश्यकता के सापेक्ष रु. 22,82,444.15 मिलियन एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था. एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है. इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर-2 के एचक्यूएलए में मुख्यतः एए- और उससे ऊपर के रेटेड कार्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं.

अंत: अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :

100% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में जनवरी 2022, फरवरी 2022 तथा मार्च 2022 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 153.84.%, 154.71% तथा 128.20% था.

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. 31 मार्च, 2022 को कोई महत्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी.

एक 'महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद' को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि. 31 मार्च 2022 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 6.86%, रिटेल मीयादी जमाराशियां अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 31.70%, मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 5.38%, बचत जमाराशियों अर्थात ग्लोबल देयताओं का 26.71% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात ग्लोबल देयताओं का 1.88% थे.

घरेलू परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता एकल आधार पर हमारी कुल जमाराशियों का 4.35% है.

एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा- मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है. तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्कयताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है. प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर विनियामक सीमा के अनुसार बैंक को एलसीआर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2022, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹ 22,82,444.15 million as against the average requirement of ₹ 14,98,039.83 million at a minimum LCR requirement of 100%. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 153.84%, 154.71% and 128.20% for the months ending January 2022, February 2022 and March 2022 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There was no significant counterparty Deposit as of 31st March 2022.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product of Domestic Operations as of 31st March 2022 were Wholesale Deposits i.e. 6.86% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e. 31. 70% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e. 5.38% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e. 26.71% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e. 1.88% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at domestic operations constitute 4.35% of our total deposits of Global Operations.

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities) bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 - LCR" and to monitor the same. Bank is not required to maintain LCR as per regulatory limits on each significant currency.

मार्च 2022 माह समापन पर महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	मुद्रा	एलसीआर का स्तर (%)
1	यूएसडी	111.07

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है. निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' कहा जाता है, सौंप देता है.यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है.

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है. विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरुप अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है.

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रुप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते है. बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगिया, संयुत्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है. वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते है. चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं. वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों-इनमें से जो ज्यादा कड़े है, उनके अनुसार कार्य करती है.

सी) शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया जाएगा. तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है. एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर फ़ंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फ़ंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ)}}$$

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है. आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है.

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च 2022 तक एनएसएफआर घटकों का भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है.

एक समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफ़आर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता के सापेक्ष 31 मार्च 2022 तक 126.63% हो गया.

The LCR for the significant foreign currencies as at the month ended March 2022 is as under:

S.No.	Currency	LCR level (%)
1	USD	111.07

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$NSFR = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$$

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2022 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 126.51 % as on 31st March 2022 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफ़आर प्रकटीकरण NSFR Disclosure						
	विवरण Particulars	गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
एएसएफ़ मदें ASF Item						
1	पूंजी : (2+3) Capital: (2+3)	89,206.88	2,055.78	0.00	20,630.44	1,11,893.10
2	विनियामक पूंजी Regulatory capital	89,206.88	1,205.78	0.00	16,846.44	1,07,259.10
3	अन्य पूंजीगत लिखत Other capital instruments	0.00	850.00	0.00	3,784.00	4,634.00
4	रिटेल जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,54,888.37	1,62,896.82	1,36,832.42	79,734.60	6,64,944.85
5	स्थिर जमाराशि Stable deposits	36,109.23	17,795.99	19,118.74	7,532.74	76,528.90
6	घटाए स्थिर जमाराशियाँ Less stable deposits	3,18,779.14	1,45,100.83	1,17,713.68	72,201.86	5,88,415.95
7	थोक वित्त पोषण: (8+9) Wholesale funding: (8+9)	84,530.89	80,925.81	59,123.37	87,222.95	1,95,266.44
8	परिचालनगत जमा Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण Other wholesale funding	84,530.89	80,925.81	59,123.37	87,222.95	1,95,266.44
10	अन्य देयताएँ : (11+12) Other liabilities: (11+12)	65,638.94	1,08,971.74	3,907.74	0.00	0.00
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएँ NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएँ और इक्विटी जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	65,638.94	1,08,971.74	3,907.74	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					9,72,104.39
आरएसएफ़ मदें RSF Item						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					11,405.50
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	795.42	0.00	0.00	397.71
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	4,785.89	1,06,893.15	64,794.83	5,65,849.83	5,18,567.55
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूतित वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूतित वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूतित निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	44,810.22	16,263.46	0.00	14,853.26
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, रिटेल तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों को ऋण, सॉवरेन, केंद्रिय बैंकों तथा पीएसई को ऋण देना, जिनमें से : Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which :	0.00	62,082.93	45,279.42	3,95,448.98	3,64,967.44
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	16,555.88	15,119.22	1,44,983.70	1,14,228.34

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफ़आर प्रकटीकरण NSFR Disclosure						
विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	भारित मूल्य Weighted value
21	आवासीय मोर्गेज का निष्पादन जिसमें से Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	3,097.62	97,653.93	72,712.69
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	60,049.71	39,032.31
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एचक्यूएलए के लिए पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	4,785.89	0.00	154.34	72,746.92	66,034.16
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	60,358.54	3882.20	0.00	1,62,582.93	2,26,561.32
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	NA	0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		1,749.11	0.00	0.00	1,486.75
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		1,576.61	0.00	0.00	1,576.61
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएँ NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		556.48	0.00	0.00	556.48
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	60,358.54	0.00	0.00	1,62,582.93	2,22,941.48
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम Off-balance sheet items	NA	2,61,732.09	0.00	0.00	11,460.28
31	कुल आरएसएफ Total RSF					7,68,392.36
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					126.51%

एए-3 निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

A-3 Investments

a) Composition of Investment Portfolio

31.03.2022 की स्थिति As at 31.03.2022

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India							भारत से बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	1,96,247.87	-	7.40	424.25	2,352.51	242.89	1,99,274.92	21.31	2,034.31	-	2,055.62	2,01,330.54
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	7.40	-	-	-	7.40	-	-	-	-	7.40
निवल Net	1,96,247.87	-	-	424.25	2,352.51	242.89	1,99,267.52	21.31	2,034.31	-	2,055.62	2,01,323.14
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	77,237.78	1.41	4,327.41	21,348.26	-	1,680.58	1,04,595.44	6,152.07	-	8,545.74	14,697.81	1,19,293.25
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	407.79	-	1,733.32	822.02	-	979.51	3,942.64	65.16	-	1,004.85	1,070.01	5,012.65
निवल Net	76,829.99	1.41	2,594.09	20,526.24	-	701.07	1,00,652.80	6,086.91	-	7,540.89	13,627.80	1,14,280.60
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	188.28	-	3.40	-	-	-	191.68	-	-	-	-	191.68
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
निवल Net	188.25	-	3.40	-	-	-	191.65	-	-	-	-	191.65
कुल निवेश Total Investments	2,73,673.93	1.41	4,338.21	21,772.51	2,352.51	1,923.47	3,04,062.04	6,173.38	2,034.31	8,545.74	16,753.43	3,20,815.47
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	-	-	7.40	-	-	-	7.40	0.86	-	610.77	611.63	619.03
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	407.82	-	1,733.32	822.02	-	979.51	3,942.67	64.30	-	394.08	458.38	4,401.05
निवल Net	2,73,266.11	1.41	2,597.49	20,950.49	2,352.51	943.96	3,00,111.97	6,108.22	2,034.31	7,540.89	15,683.42	3,15,795.39

31.03.2021 की स्थिति

As at 31.03.2021

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India							भारत से बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities including local authorities)	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	1,45,505.87	-	10.42	1,618.00	1,487.59	183.05	1,48,804.93	20.55	2,034.31	-	2,054.86	1,50,859.79
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	10.42	15.00	-	-	25.42	-	-	-	-	25.42
निवल Net	1,45,505.87	-	-	1,603.00	1,487.59	183.05	1,48,779.51	20.55	2,034.31	-	2,054.86	1,50,834.37
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	81,091.66	1.41	4,739.20	15,169.50	-	1,700.60	1,02,702.37	4,488.99	-	6,641.68	11,130.67	1,13,833.04
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	1,898.65	641.37	-	868.44	3,408.46	10.75	-	229.05	239.80	3,648.26
निवल Net	81,091.66	1.41	2,840.55	14,528.13	-	832.16	99,293.91	4,478.24	-	6,412.63	10,890.87	1,10,184.78
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	198.94	-	2.17	-	-	-	201.11	-	-	-	-	201.11
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
निवल Net	198.94	-	2.16	-	-	-	201.10	-	-	-	-	201.10
कुल निवेश Total Investments	2,26,796.47	1.41	4,751.79	16,787.50	1,487.59	1,883.65	2,51,708.41	4,509.54	2,034.31	6,641.68	13,185.53	2,64,893.95
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	-	-	10.42	15.00	-	-	25.42	0.83	-	227.44	228.27	253.69
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	1,898.66	641.37	-	868.44	3,408.47	9.92	-	1.61	11.53	3,420.00
निवल Net	2,26,796.47	1.41	2,842.71	16,131.13	1,487.59	1,015.21	2,48,274.52	4,498.79	2,034.31	6,412.63	12,945.73	2,61,220.25

(बी). **निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि और मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन**

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ Cr)

		विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)		निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(ए)	प्रारम्भिक शेष		
	a)	Opening balance	3,673.69	3,433.45
	(बी)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
	b)	Add: Provisions made during the year	1,507.76	987.5
	(सी)	जोड़ें /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन		
	c)	Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	6.84	13.48
	(डी)	घटाएं : बट्टे खाते डाले गए/वर्ष के दौरान/ अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन / विनिमय पुर्नमूल्यांकन समायोजन		
	d)	Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ exchange reval adjustment	168.21	760.74
	ई)	अंतिम शेष		
	e)	Closing balance	5,020.08	3,673.69
ii)		निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(ए)	प्रारम्भिक शेष		
	a)	Opening balance	21.58	21.58
	(बी)	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि		
	b)	Add: Amount transferred during the year	2,368.42	0.00
	(सी)	(घटाएं): कमी		
	c)	Less: Drawdown	0.00	0.00
	(डी)	अंतिम शेष		
	d)	Closing balance	2,390.00	21.58
iii)		एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00%	0.02%

सी) **परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी को /से बिक्री एवं अंतरण**

वर्ष के आरंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

c) Sales and transfer to/from Held to Maturity (HTM) Category

Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वित्त वर्ष Financial Year	निवेश (एचटीएम) का प्रारम्भिक शेष Opening Bal. of investment (HTM)	वर्ष के दौरान बिक्री / अंतरण Sale/ transfer during the year	जोड़ें Addition	निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष Closing Bal. of Investment (HTM)	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य Market value of investment (HTM) category
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

डी) गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
I. अनर्जक एसएलआर निवेश

d) Non-SLR investment portfolio
I. Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
a)	आरंभिक शेष Opening balance	3,268.61	2,223.24
b)	वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से जोड़ें Additions during the year since 1st April	779.31	1,293.41
c)	उक्त अवधि के दौरान कमी Reductions during the above period	327.97	248.04
d)	अंतिम शेष Closing balance	3,719.95	3,268.61
e)	कुल धारित प्रावधान Total provisions held	3,242.24	2,834.88

II. गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

II. Issuer composition of non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता **Issuer**	राशि **Amount**		निजी प्लेसमेंट की सीमा **Extent of Private Placement**		'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Below Investment Grade' Securities**		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Unrated' Securities**		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Unlisted' Securities**	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21	Mar-22	Mar-21
a)	पीएसयू PSUs	4,445.08	4,052.87	1,238.40	1,493.42	242.83	529.56	835.09	715.77	0.00	0.00
b)	एफआई FIs	12,012.43	9,670.13	7,594.74	8,532.06	1,641.17	3,208.10	30.08	50.08	68.00	123.10
c)	बैंक Banks	8,798.20	6,061.55	2,695.68	2,685.50	334.18	821.43	116.61	139.24	75.79	73.11
d)	निजी कार्पोरेट Private Corporates	8,911.81	7,705.37	5,845.79	4,767.56	989.56	1,116.64	2,661.93	1705.4	715.19	4.20
e)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	4,386.82	3,521.90	4,386.82	3,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	अन्य Others	30,771.50	29,751.70	23,906.18	24,676.78	23.15	0.00	428.94	455.55	428.94	455.55
g)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	4,612.26	3,673.69	376.87	0.00	615.52	0.46	780.94	200.98	597.6	23.66
	कुल **Total**	**64,713.58**	**57,089.83**	**45,290.74**	**45,677.22**	**2,615.37**	**5,675.27**	**3,291.71**	**2,865.06**	**690.32**	**632.30**

ई) रेपो संव्यवहार : (अंकित मूल्य के संदर्भ में) -

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

e) Repo Transactions: (in face value terms)-

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2022:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2022
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	118.12	12,418.03	2,075.85	618.12
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	1,853.77	1,323.58	1,509.73
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	3,452.00	39,433.31	20,411.74	16,000.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2021:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2021
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	1,499.99	47,233.90	17,315.29	5,901.94
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	1,823.25	2,650.40	2,027.75	1,823.25
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	0.00	60,700.00	24,847.25	7,314.40
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00

एफ) त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एकत्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है. ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है.

f) Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2022 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2022
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	6,654.06	70,706.29	42,454.36	61,960.15
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	0.00	1,099.90	21.58	0.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2021 को As on 31.03.2021

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2021
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	0.00	43,360.15	24,872.89	18,506.44
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	0.00	1,999.83	38.25	0.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

जी) एसएलआर निवेश

g) SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022		31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	
	बही मूल्य **Book value**	बाजार मूल्य **Market value**	बही मूल्य **Book value**	बाजार मूल्य **Market value**
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी) * Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	2,51,488.23	2,51,074.22**	2,04,129.01	2,04,129.01**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर Approved sec-SLR	1.41	1.41**	1.41	1.41**

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं

** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

एच) मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार है :

h) Securities kept as margin

The details of securities that are kept as margin are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को एफ़वी FV as at March 31	
		2022	2021
i.	भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards:		
	ए) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - प्रतिभूति सेगमेंट a) Collateral and funds management - Securities segment	3,200.00	3,200.00
	बी) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - संपार्श्विकृत ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट /त्रिपक्षीय रेपो b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	0.00	0.00
	सी) चूक निधि - फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट c) Default fund - Forex Forward segment	121.29	186.29
	डी) चूक निधि - विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट d) Default fund - Forex Settlement segment	29.42	26.12
	ई) चूक निधि - रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटित निपटान) सेगमेंट e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	56.76	77.16
	एफ) चूक निधि - प्रतिभूति सेगमेंट f) Default fund - Securities segment	21.95	19.75
	जी) चूक निधि - सीबीएलओ /त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment	24.40	8.15
ii	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with the RBI towards:		
	ए) रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) a) Real Time Gross Settlement (RTGS)	0.00	0.00
	बी) रेपो संव्यवहार b) Repo transactions	0.00	0.00
	सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार c) Reverse repo transactions	0.00	0.00
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	309.00	158.98
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	1.00
v	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	1.00	1.00

तुलन पत्र की तारीख को अन्य निवेश में रु. 578.60 करोड़ की वाणिज्यिक पेपर की राशि शामिल है (विगत वर्ष - रु 594.68 करोड़)

Other Investment as at the Balance sheet date include Commercial paper amounting to ₹ 578.60 Crores (Previous Year: ₹ 594.68 Crores)

i) ए) अनर्जक निवेश

i) A) Non-Performing Investment

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2021
(i)	निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%) Net NPIs to Net Investment (%)	0.15%	0.17%
(ii)	अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल) Movement of NPIs (Gross)		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	3,268.61	2,223.24
	(बी) वर्ष के दौरान जुड़े (b) Additions during the year	779.31	1,293.41
	(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए (c) Reductions during the year	327.97	248.04
	(डी) अंतिम शेष (d) Closing balance	3,719.95	3,268.61
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन Movement of provisions for NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	2,834.88	2,038.97
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	729.59	1,077.41
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	322.23	281.50
	(डी अंतिम शेष (d) Closing balance	3,242.24	2,834.88

(बी) परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों संबंधी अनुसूची 11 में शामिल है)

(ए) निवेश का मूल्य

(B) Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets)

(a) Value of Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2021
(i)	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	359.91	347.33
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	206.49	260.57
(ii)	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(ए) भारत में (a) In India	359.91	346.63
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	206.49	260.57
(iii)	(iii) निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	0.00	0.70
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	0.00	0.00

(बी) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

(b) Movement of provisions held towards depreciation on investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2021
(i)	प्रारम्भिक शेष Opening balance	607.20	608.33
(ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	13.28	47.53
(iii)	जोड़े /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	(54.08)	(48.66)
(iv)	घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन Less: Write-back of excess provisions	0.00	0.00
(v)	अंतिम शेष Closing balance	566.40	607.20

ए- 4 आस्ति गुणवत्ता

ए) रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण -31.03.2022

A-4 Asset Quality

a) Classification of advances and provisions held - 31.03.2022

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	उप मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances and NPAs						
आरंभिक शेष Opening Balance	6,84,919.17	15,056.07	35,526.49	16,088.43	66,670.99	7,51,590.16
जोड़े : वर्ष के दौरान जोड़े गए Add: Additions during the year					14,255.33	
घटाएँ : वर्ष के दौरान घटाए गए Less: Reductions during the year					26,866.93	
अंतिम शेष Closing balance	7,64,061.09	5,280.48	31,512.32	17,266.60	54,059.40	8,18,120.49
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					2,394.22	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,053.93	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता iii) Technical/ Prudential Write-offs					16,365.70	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					2,053.09	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		3,607.19	25,353.98	15,909.93	44,871.10	

जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					9,339.55	
घटाएँ :वापस आए आधिक्य प्रावधान /बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					13,515.90	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		15,65.67	22,179.17	16,949.91	40,694.75	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		11,448.88	10,172.51	178.49	21,799.88	
जोड़े : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					4,915.78	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					13,351.02	
अंतिम शेष Closing Balance		3,714.81	9,333.15	316.69	13,364.65	
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						-
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						-
घटाएं : वर्ष के दौरान गिरावट की राशि Less: Amount drawn down during the year						-
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						-
तकनीकी बट्टा खाता और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						53,108.20
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						17,843.15
घटाएँ : वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3,578.38
बट्टा खाता Write-off						2,837.40
अन्य समायोजन /विनिमय अंतर सहित Other Adjustments/Exchange difference						182.58
अंतिम शेष Closing balance						64,352.98

ए) रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण -31.03.2021

a) Classification of advances and provisions held 31.03.2021

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	उप मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances and NPAs						
आरंभिक शेष Opening Balance	6,68,715.02	14,311.14	37,005.64	18,064.65	69,381.43	7,38,096.45
जोड़े : वर्ष के दौरान जुड़े Add: Additions during the year					20,005.12	
घटाएँ : वर्ष के दौरान घटाए गए Less: Reductions during the year					22,715.56	
अंतिम शेष Closing balance	6,84,919.17	15,056.07	35,526.49	16,088.43	66,670.99	7,51,590.16
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					1,422.89	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेडे किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5,867.16	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता iii) Technical/ Prudential Write-offs					13,182.02	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					2,243.49	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		4,272.86	2,5671.00	17,860.98	47,804.84	
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					13,196.10	
घटाएँ :वापस आए आधिक्य प्रावधान /बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					16,129.83	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		3,607.19	25,353.98	15,909.93	44,871.11	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		10,038.28	11,334.64	203.67	21,576.59	
जोड़े : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					6,809.02	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					6,585.73	
अंतिम शेष Closing Balance		11,448.88	10,172.51	178.49	21,799.88	

अस्थायी प्रावधान Floating Provisions		
प्रारंभिक शेष Opening Balance		496.70
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year		-
घटाएं : वर्ष के दौरान गिरावट की राशि Less: Amount drawn down during the year		496.70
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions		-
तकनीकी बट्टा खाता और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon		
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts		46,186.56
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता Add: Technical/ Prudential write-offs during the year		14,446.30
घटाएँ : वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year		3,615.42
बट्टा खाता Write offs		3,347.42
अन्य समायोजन /विनिमय अंतर सहित Other Adjustments/Exchange difference		561.82
अंतिम शेष Closing balance		53,108.20

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	31.03.2022	31.03.2021
कुल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	6.61	8.87
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	1.72	3.09
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टा खाता सहित) Provision coverage ratio (including Technical W/O)	88.71	81.80
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टा खाता को छोड़कर) Provision coverage ratio (excluding Technical W/O)	75.28	67.30

बी) क्षेत्र वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs]

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr No.	सेक्टर Sector	31.03.2022			31.03.2021		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,09,455.08	8,479.25	7.75	98,723.21	7,692.81	7.79
b)	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधर हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	37,501.42	4,587.79	12.23	34,513.14	4,751.14	13.77
c)	सेवाएँ Services	56,761.14	6,386.58	11.25	53,933.34	6,171.90	11.44
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	40,325.76	1,302.65	3.23	45,017.55	1,349.71	3.00
	उप जोड़(i) Subtotal (i)	2,44,043.40	20,756.27	8.51	2,32,187.24	19,965.56	8.60
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,329.28	633.98	47.69	1,791.29	757.40	42.28
b)	उद्योग Industry	1,23,305.20	7,198.27	5.84	1,08,540.74	12,756.14	11.75
c)	सेवाएँ Services	1,63,944.93	8,256.20	5.04	1,62,541.17	13,761.59	8.47
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	1,51,530.15	4,426.41	2.92	1,36,015.90	5,105.71	3.75
	उप जोड़ (ii) Sub-total (ii)	4,40,109.56	20,514.86	4.66	4,08,889.10	32,380.84	7.92
	अंतर्राष्ट्रीय (iii) International (iii)	1,33,967.53	12,788.26	9.55	1,10,513.82	14,324.58	12.96
	कुल (i + ii +iii) Total (i + ii +iii)	8,18,120.49	54,059.39	6.61	7,51,590.16	66,670.98	8.87

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

c) Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021
कुल आस्तियां Total Assets	1,87,124.10	1,84,987.68
कुल एनपीए Total NPAs	12,788.26	14,324.59
कुल राजस्व Total Revenue	3,297.49	4,636.14

डी (i) समाधान योजना और रिस्ट्रक्चरिंग के विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित निपटान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	खातों की संख्या जहां इस समय सीमा के दौरान आरपी कार्यान्वित किए गए No of Accounts where RPs Implemented during this time frame		को शेष बकाया राशि Amount Outstanding as on	
	FY2022	FY2021	FY2022	FY2021
पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि Total amount of Loan assets subjected to restructuring	12	2	3,023.91	379.27
पुनर्गठन के अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of standard assets subjected to restructuring	2	0	162.01	0.00
पुनर्गठन के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि The amount of NPA assets subjected to restructuring	10	2	2,861.90	379.27

साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21 जून 2019 के अनुसार ऐसे खाते जो न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए हैं के प्रकटीकरण के संबंध में बैंक ने न्यायालय के आदेश के अनुसार 3 खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया है और ऐसे मामलों में 31 मार्च, 2022 को बकाया राशि ₹ 282.29 करोड़ है जिसके लिए बैंक ने आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अप्राप्त ब्याज सहित ₹ 70.79 करोड़ का प्रावधान किया है.

उपर्युक्त के अलावा बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 598.88 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है.

पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण.

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, three accounts are classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 282.29 Crores against which the Bank is holding provision of ₹ 70.79 Crores as on March 31, 2022 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

Apart from above, the Bank is holding additional provision of ₹ 598.88 Crores as of 31.03.2022 over and above the IRACP norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

As per RBI Circular on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets vide letter RBI/2018-19/203 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process is as under:

31.03.2022 के अनुसार As on 31.03.2022

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Share	प्रति शेयर अंकित मूल्य Face value per Share (In ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ मे) Face Value (In Cr)	बही मूल्य Book Value (In Cr.)
उत्तम गलवा मेटालिक्स * UTTAM GALVA METALLICS*	5,90,991	10	0.59	0.59
उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड* UTTAM VALUE STEEL LTD*	23,54,060	10	2.35	0.24
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ईक्यू JYOTI STRUCTUTES LTD EQ	46,91,966	10	4.69	1.87
एमटेक ऑटो लिमिटेड* AMTEK AUTO LTD*	44,74,454	2	0.89	0.89

कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड* CASTEX TECHNOLOGIES LTD*	8,01,650	1	0.08	0.16
जैन इर्र सिस्टम लिमिटेड ईक्यू JAIN IRRI SYS LTD EQ	30,94,998	2	0.61	-
सेल मैन्युफैक्चरिंग कॉम लिमिटेड SEL MANUFACTURING COM LTD	1,74,644	10	0.17	0.17
टीसीआई सनमार केमिकल्स एस.ए.ई. इजिप्त TCI Sanmar Chemicls S.A.E Egypt	9,796	USD 63.00	4.68	4.68
कुल Total			14.06	8.60

* एनसीएलटी के तहत प्राप्त शेयर. * Shares received under NCLT.

31.03.2021 के अनुसार As on 31.03.2021

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	अंकित मूल्य प्रति Face value per Share (In ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य Book Value (In Cr.)
0.0001 सुजलॉन ग्लोब एस लिमिटेड0620* 0.0001SUZLON GLOB S LTD0620*	43,785.00	1,00,000.00	437.85	370.54
0.01भारत वायर रोप्स सीसीपीएस* 0.01BHARAT WIRE ROPES CCPS*	14,976.00	1,00,000.00	149.76	149.76
1% बेदमुथा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 2033* 1% BEDMUTHA IND LTD 2033*	4,24,700.00	10.00	0.42	42.47
भारत वायर रोप्स लिमिटेड BHARAT WIRE ROPES LTD	24,39,809.00	10.00	2.44	2.12
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड SUZLON ENERGY LTD	9,90,51,809.00	2.00	19.81	0.00
कुल Total			610.28	564.89

* पूर्णत: किया गया है. * Fully provided

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के माध्यम से जारी समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता भी शामिल है. ऐसे मामलों में बकाया दिनांक 31 मार्च, 2022 को रु. 10,221.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 12265.33 करोड़) है और भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन हेतु बैंक ने 31 मार्च, 2022 को रु.1947.65 करोड़ (पिछले वर्ष 4,441.26 करोड़ था) का अतिरिक्त प्रावधान रखा है.

ई) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी. संख्या 32/21.04..01/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 में दर्शाएं निर्देशानुसार आकस्मिक और या अथवा एनपीए के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के दौरान संदर्भित अवधि का कुल एनपीए वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक होने पर बैंकों द्वारा आय मान्यता आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से संबन्धित विवेकपूर्ण मानदंडों से अलग होने पर इसे दर्शाएँ जाने की आवश्यकता होती है. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

RBI vide their Circular no DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets guidelines for implementation of Resolution Plan , also containing requirements of additional Provisions as per para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as on March 31, 2022 is ₹ 10,221.09 Crores (Previous Year ₹ 12,265.33 Crores) and in compliance with the above RBI circular, The Bank is holding additional provision of ₹ 1,947.65 Crores (Previous Year ₹ 4,441.26 Crores) as on March 31, 2022.

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI circular No. DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Divergence from prudential norms assessed by the RBI for the year ended 31st March, 2021 are within threshold limits specified above hence the need for additional disclosure does not apply.

एफ) ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 "मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021'' दिनांक 24.09.2021 के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है:

आइ) उन ऋणों के संबंध में जो चूक में नहीं हैं, जो हस्तांतरित या अर्जित किए गए हैं

f) Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86

DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction - Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021 is as under:

i) In respect of "Loans not in default" @, that are transferred or acquired

क्र. सं . Sr. No.	अंतरक का नाम Name of the transferor	अधिग्रहण की तारीख Date of acquisition	अर्जित ऋणों की संख्या Number of Loans acquired	अर्जित ऋणों की राशि (करोड़ में) Amount of Loans acquired (in crores)	ऋणों की अधिकतम परिपक्वता अवधि (माह में) * Maximum Maturity Period of Loans (In Months) *	ऋण की न्यूनतम धारिता अवधि (माह में) * Minimum Holding Period of Loans (In Months) *	बैंक द्वारा अधिग्रहित आर्थिक हित Economic Interest acquired by Bank	न्यूनतम प्रतिभूति कवरेज (गुणा में) Minimum Security Coverage (In times)	स्वीकृत न्यूनतम रेटिंग (अधिग्रहण के समय) Minimum Ratings (at the time of acquisition) accepted
1	आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड Asirvad Microfinance Limited	29/03/22	98,164	256.91	24	3	90%	अप्रतिभूतित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता की स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
2	चैतन्य माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड Chaitanya Microfinance Limited	31/03/22	25,937	69.19	24	3	90%	अप्रतिभूतित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता की स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
3	फुलर्टन इंडिया कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड Fullerton India Commercial Credit Limited	30/03/22	849	221.89	210	6	95%	1.67	न्यूनतम सिबिल अंक 700 Minimim CIBIL score of 700
4	आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड IIFL Home Finance Limited	29/03/22	2,081	296.93	354	6	90%	* रु.. 30/- लाख - 1.11 * Upto Rs. 30/- Lakhs - 1.11 * रु.. 30/-लाख से अधिक और रु.. 75/- लाख तक - 1.25 * Above Rs. 30/- Lakhs and upto Rs. 75/- Lakhs - 1.25 * रु.75/- लाख से अधिक - 1.33 * Above Rs. 75/- lakhs - 1.33	वैयक्तिक के लिए न्यूनतम सिबिल अंक 675 और गैर वैयक्तिक के लिए सीएमआर-5 Minimum CIBIL score of 675 for Individuals and CMR-5 for Non Indiviudals
5	आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड IIFL Home Finance Limited	29/03/22	360	75.22	240	6	90%	1.43	वैयक्तिक के लिए न्यूनतम सिबिल अंक 675 और गैर वैयक्तिक के लिए सीएमआर-5 Minimum CIBIL score of 675 for Individual and CMR-5 for Non Indiviudal
6	आईकेएफ फाइनेंस लिमिटेड IKF Finance Limited	31/03/22	641	26.14	60	6	90%	1.11	वैयक्तिक के लिए न्यूनतम सिबिल अंक 650 और 0 और -1 गैर वैयक्तिक के लिए सीएमआर-5 Minimum CIBIL score of 650, 0 and -1 for Individuals and CMR-5 for Non Individuals
7	इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड India Shelter Finance Corporation Limited	28/03/22	486	48.52	180	6	90%	2	न्यूनतम सीआरआईएफ हाइमार्क अंक 675 Minimim CRIF Highmark score of 675
8	इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट (इंडिया) लिमिटेड Indiabulls Commercial Credit (India) Limited	31/03/22	162	34.43	210	6	90%	1.53	वैयक्तिक के लिए न्यूनतम सिबिल अंक 675 और गैर वैयक्तिक के लिए सीएमआर-5 Minimum CIBIL score of 675 for Individuals 9and CMR-5 for Non-Individuals
9	इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट (इंडिया) लिमिटेड Indiabulls Commercial Credit (India) Limited	31/03/22	132	18.52	210	6	90%	1.53	वैयक्तिक के लिए न्यूनतम सिबिल अंक 675 और गैर वैयक्तिक के लिए सीएमआर-5 Minimum CIBIL score of 675 for Individuals and CMR-5 for Non-Individuals
10	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड Indiabulls Housing Finance Limited	11/03/22	575	99.82	300	6	90%	* रु.. 30/- लाख - 1.11 * Upto Rs. 30/- Lakhs - 1.11 * रु.. 30/-लाख से अधिक और रु.. 75/- लाख तक - 1.25 * Above Rs. 30/- Lakhs and upto Rs. 75/- Lakhs - 1.25 * रु.75/- लाख से अधिक - 1.33 * Above Rs. 75/- lakhs - 1.33	न्यूनतम सिबिल अंक 700 Minimum CIBIL score of 700
11	एमएएस वित्तीय सेवा लिमिटेड MAS financial Services Limited	30/03/22	16,897	94.78	60	3 & 6	90%	गैर प्रतिभूतित अग्रिम Unsecured advance	न्यूनतम सिबिल अंक 650, 0 और -1 Minimum CIBIL score of 650, 0 and -1
12	मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड Muthoot Microfin Limited	31/03/22	20,248	52.51	24	3	90%	गैर प्रतिभूतित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता की स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
13	सैटिन क्रेडिकेयर नेटवर्क लिमिटेड Satin Credicare Network Limited	23.03.2022	1,81,433	450.59	24	3	90%	गैर प्रतिभूतित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता की स्थिति अंक 675 और Non defaulter status in Credit bureau
14	विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड Vistaar Financial Services private Limited	22/03/22	325	37.26	120	6	90%	1.54	न्यूनतम सिबिल अंक 700 Minimum CIBIL score of 700

*बैंक द्वारा पारंपारिक तौर पर धारित औसत अवधि की परिपक्वता अवधि (माह में) के स्थान पर इसे अंतर्निहित अधिकतम अवधि के रूप में दर्शाया जाता है. इसी प्रकार न्यूनतम धारिता अवधि को पारंपारिक रूप से धारित औसत अवधि के स्थान पर व्यक्तिगत अंतर्निहित उधारकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत न्यूनतम धारिता अवधि के रूप में दर्शाया गया है.

@ खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता ना होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है.

* The maturity period (in months) is conservatively disclosed as maximum period accecpted by the bank in individual underlying borrowers instead of weighted average period. Similarly, minimum holding period is also disclosed conservatively as minimum holding period accepted by the bank in individual underlying borrowers instead of weighted average period.

@ The loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

ii) **नोवेशन - ऐसा कोई लेनदेन नहीं.**

iii) **ऋण भागीदारी - ऐसा कोई लेनदेन नहीं.**

बी) हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

ii) **Novation - No such transaction.**

iii) **Loan Participation - No such transaction.**

b) Details of stressed loans transferred is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2021 to 31.03.2022			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	17	4	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	921.25	39.40	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	231.33	1.58	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	373.74	9.04	-
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	142.41	7.46	

सी) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण - शून्य

डी) 31.03.2022 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

c) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2021-22 - Nil

d) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2022

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	93.35
आरआर2 RR2	216.23
आरआर3 RR3	48.01
आरआर4 RR4	38.39
आरआर5 RR5	4.03
आरआर6 RR6	9.02
एनआर1 NR1	0.49
एनआर3 NR3	17.64

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Book Value (Amount in ₹ Cr)
एनआर4 NR4	45.35
एनआर5 NR5	2.01
एनआर6 NR6	380.13
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	344.04
कुल योग Grand Total	1,198.69

जी) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

g) Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या Number of frauds reported during the year	280	248
धोखाधड़ी में शामिल राशि* (₹ करोड़ में) Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	3,990.12	9,796.31
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि* (₹ करोड़ में) Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	3,724.47	9,400.42
समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान* (₹ करोड़ ? में) Provisions held at the end of the year (in ₹ Cr)	33,503.02	32,997.33
वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	87.02	162.91

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि हेतु धोखाधड़ी के लिए देयता उपलब्ध कराने के विकल्प का चयन किया है. तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को कैरी फारवर्ड प्रावधान ₹ 87.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 162.91 करोड़) रहा जिसे बैंक द्वारा अगली तिमाही में परिशोधित किया जाएगा.

एच) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020(आरएफ 1.0) एवं 05.05.2021 (आरएफ 2.0) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कोविड 19 से संबंधित दबाव हेतु समाधान फ्रेमवर्क के तहत क्रियान्वित समाधान योजना का विवरण.

As per the Reserve bank of India (RBI) circular no. DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters.

Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2022 is ₹ 87.02 Crores (Previous Year ₹ 162.91 Crores) which is to be amortized in the subsequent quarters by the bank.

h) Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2021 (RF 2.0) as of March 31, 2022.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति अर्थात् 30.09.2021 (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2021 (A)	(ए) में से कुल ऐसा ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2022 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2022 (A)
वैयक्तिक ऋण Personal Loans$	5,420.46	177.62	-	243.46	4,882.76
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	9,129.75	2,228.49	-	2,749.24	4,277.85
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	372.77	119.90	-	15.55	262.87
अन्य Others	923.87	0.00	-	5.22	1,578.17**
कुल Total	15,474.08	2,406.11	-	2,997.92	10,738.78

*जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है.

**दिसंबर, 2021 माह में नियामक द्वारा अनुमत एक खाते में समाधान योजना के क्रियान्वयन के कारण एक्सपोजर में हुई वृद्धि.

$ प्रवर्तक द्वारा पूल खातों के मामले में जानकारी प्रदान की गई है.

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

**Exposure increased due to implementation of resolution plan in one account in month of December 2021 as permitted by regulator.

$In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

i) बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

i) Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल ऋणी एक्सपोज़र सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2021-22	-	-	-	-
2020-21	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	समुह ऋणी एक्सपोज़र सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2021-22	-	-	-	-
2020-21	-	-	-	-

i) दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण

1 मौजूदा ऋणों के फ्लैसीबल स्ट्रक्चरिंग का प्रकटीकरण

j. Disclosure on Stressed Assets

1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	फ्लैसीबल स्ट्रक्चरिंग हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers taken up for flexibly structuring	फ्लैसीबल स्ट्रक्चरिंग हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		फ्लैसीबल स्ट्रक्चरिंग हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	फ्लैसीबल स्ट्रक्चरिंग लागू करने से पहले Before applying flexible structuring	फ्लैसीबल स्ट्रक्चरिंग लागू करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष : 2021-22 FY:2021-22	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष : 2020-21 FY:2020-21	-	-	-	-	-

2 यथा 31.03.2022 को कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि में हैं)

2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2022

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण लंबित है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष : 2021-22 FY:2021-22	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
वित्तीय वर्ष : 2020-21 FY:2020-21	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि के अंतर्गत है)

3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No. of account s where banks have decided to Effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण लंबित है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place		जहां नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष : 2021-22 FY:2021-22	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
वित्तीय वर्ष : 2020-21 FY:2020-21	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

4 कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड-स्टील अवधि के अंतर्गत है)

4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Particularsx	ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष : 2021-22 FY:2021-22	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
वित्तीय वर्ष : 2020-21 FY:2020-21	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

5 दबावग्रस्त आस्तियों के संधारणीय संरचना योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

5 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2022				ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2021			
		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	4	783.65	345.52	438.13	49.75	5	1,160.76	736.5	424.26	111.34
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	1	94.26	72.02	22.24	0	3	781.41	651.41	130	0
कुल Total	5	877.91	417.54	460.37	49.75	8	1,942.17	1,387.91	554.26	111.34

ए-5 एक्सपोज़र

ए) रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

A-5 Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Category	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021
i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र i) Direct exposure	1,18,527.04	1,07,992.04
(ए) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages -	95,719.72	90,792.07
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज, Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	95,719.72	90,792.07

इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण (एक्सपोज़र में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल होंगी) Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector Advances (Exposure would also include non-fund based (NFB) limits)	35,454.01	40,267.81
(बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट - वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारीय आवासीय भवन, बहु किराएदार परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोज़र में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी. (b) Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	22,401.53	17,199.97
(सी) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS)and other securitized exposures -	405.79	0.00
i. आवासीय i. Residential	405.79	0.00
ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट ii. Commercial Real Estate	0.00	0.00
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र ii) Indirect Exposure	36,015.30	31,650.50
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र Fund based and non-fund based exposures	36,015.30	31,650.50
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (i) National Housing Bank (NHB)	0.00	27,762.16
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) (ii) Housing Finance Companies (HFCs)	36,015.30	3,888.34
रियल एस्टेट क्षेत्र मे कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Real Estate Sector	1,54,542.34	1,39,642.54

बी) पूंजी बाजार एक्सपोज़र

b) Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Category	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कार्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	2,069.90	2,258.18
(ii) शेयरों, बॉण्डों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आइपीओ/ ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बान्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निबाध आधार पर दिए गए अग्रिम (ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	3.09	2.66
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; (iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	42.26	88.49
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है. (iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1,000.98	460.75

श्रेणी Category	31 मार्च 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च 2021 को As on March 31, 2021
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां (v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	18.48	17.41
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम (vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण. (vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं. (viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना (ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोज़र (x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	892.87	980.40
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Capital Market	4,027.58	3,807.89

पूंजी बाज़ार में रु. 4,027.58 करोड़ का एक्सपोज़र रु. 22,076.40 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक की निवल मालियत रु. 55,191 करोड़ का 40%) है.

पूंजी बाज़ार में रु. 4,027.58 करोड़ का एक्सपोज़र रु. 11,038.20 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक की निवल मालियत रु. 55,191 करोड़ का 20%) है.

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए मौजूदा नियमों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन उधारदाताओं को उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है.

- यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा नियामक पूंजी बाजार एक्सपोज़र (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, उसका विवरण निम्नानुसार है- लागू नहीं
- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने का विवरण जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है, उसका विवरण निम्नानुसार है.

खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
47	1,042.77

ए-2.13.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोज़र

दिनांक 31.03.2022 को कुल निवल निधियन एक्सपोज़र रु. 1,40,376.04 करोड़ है. दिनांक 31.12.2021 को बैंक की कुल आस्तियां रु. 11,97,053.70 करोड़ थीं जिसका 1% रु. 11,970.54 करोड़ है. यूएसए, यूके और यूएई जैसे तीन देशों का कुल निवल निधियन एक्सपोज़र क्रमशः रु. 42,202.27 करोड़, रु. 12,642.38 करोड़ और रु. 31,064.21 करोड़ है जो कि दिनांक 31.12.2021 को बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक है. यदि दिनांक 31.03.2022 को यूएसए, यूके और यूएई में बैंक का कुल निवल निधियन एक्सपोज़र कुल आस्तियों के 1% से अधिक होता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यूएसए के लिए रु. 42.26 करोड़ और यूके के लिए रु. 26.92 करोड़ तथा यूएई के लिए रु. 51.54 करोड़

The exposure to Capital Market of ₹ 4,027.58 Crores is within the limit of ₹22,076.40 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 55,191 Crores as on March 31, 2021).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 4,027.58 Crores is within the limit of ₹ 11,038.20 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 55,191 Crores as on March 31, 2021).

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

- If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, details of the same is as under- NA
- details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits are as under .

No of Accounts	Amount (₹ in Crs.)
47	1,042.77

c) Risk Category wise Country Exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2022 is ₹1,40,376.04 Crores. Total assets of the bank as on 31.12.2021 were ₹ 11,97,053.70 Crores, 1% of which comes to ₹ 11,970.54 Crores. Total net funded exposure of three countries namely USA, UK and UAE are amounting to ₹ 42,202.27 Crore, ₹ 12,642.38 crores & ₹ 31,064.21 Crores respectively, is more than 1% of the total assets of the Bank as on 31.12.2021. In case, total net funded exposure as on 31.03.2022 of the bank on USA, UK and UAE happens to be more than 1% of total assets of the Bank. Provision of ₹ 42.26 Crores for USA, ₹ 26.92 crores for UK and ₹ 51.54 crores for UAE

का प्रावधान किया गया है. आंतरिक रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके को "BOBSOV1" और यूएई को "BOBSOV2" का दर्जा दिया गया है. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के वर्गीकरण के अनुसार यूएसए और यूके "नगण्य जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए 1' तथा यूएई "कम जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए 2' में हैं.

has been made in terms of RBI guidelines. USA and UK are rated "BOBSOV1" and UAE is rated "BOBSOV2" by BoB internally. As per Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) classification, USA and UK are in the "Insignificant Risk Category" i.e. 'A1' and UAE is in the "Low Risk Category" i.e. 'A2'.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2022, को एक्सपोज़र (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2022	31 मार्च 2022 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2022	31 मार्च 2021 को एक्सपोज़र (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2021	31 मार्च 2021 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2021
नगण्य Insignificant	74,934.12	69.18	86,084.22	62.12
कम Low	55,351.14	51.54	45,679.06	49.23
मध्य Moderate	4,409.94	0.00	14,385.14	0.00
उच्च High	5,617.82	0.00	4,483.58	0.00
अधिक उच्च Very High	62.95	0.00	6.42	0.00
सीमित Restricted	0.05	0.00	3.93	0.00
ऑफ क्रेडिट Off-credit	0.02	0.00	0.01	0.00
गैर-मूल्यांकित Not Rated	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल Total	1,40,376.04	120.72	1,50,642.36	111.35

डी) गैर जमानती अग्रिमों की राशि

d) Amount of Unsecured advances

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को राशि Amount as on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को राशि Amount as on March 31, 2021
(i)	बैंक के कुल गैर जमानती अग्रिम Total unsecured advances of the bank	1,34,530.88	92,694.32
(ii)	उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	385.22	657.29
	ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	583.81	1,154.09

ई) फैक्टरिंग एक्सपोज़र का विवरण - शून्य

e) Details of factoring exposures - Nil

एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

f) Intra Group Exposures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022			31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि Total Amount of Intra Group Exposures	5,035.75	4,171.62	9,207.37	5,235.61	499.17	5,734.78
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	5,035.75	4,171.62	9,207.37	5,235.61	499.17	5,734.78
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोज़र में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.47	0.39	0.86	0.46	0.04	0.50
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	-	-	-	-	-	-

ए-3.3. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है. ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्स्पोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है. यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ- साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है. बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं. बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है. जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है. ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंक्ड सीमा लागू है. विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहैज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है. जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्सपोज़र को कम करे.

g) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and / or has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of monthly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved credit risk rating linked limit on unhedged foreign currency position of customers is applicable when extending credit facilities to a customer. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है.

Movement of the provision is as under.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
ए. प्रावधान खाते में आरंभिक राशि a. Opening balance provisions account	184.10	155.33
सी. लेखांकन वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा (विनिमय अंतर सहित) c. The quantum of provisions made in the accounting year (incl. exchange difference)	12.48	28.77
डी. लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि d. Amount Reverse during the accounting year	0.00	0.00
ई. प्रावधान खाते में अंतिम शेष e. Closing balance in the provisions account	196.58	184.10

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 तक उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर के सापेक्ष बैंक का अग्रिम एक्सपोज़र 80 बीपीएस प्रावधान रु. 2,544.97 करोड़ था. रु. 101.91 करोड़ की अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष इस एक्स्पोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रु. 886.12 करोड़ है.

उपलब्ध वित्तीय विवरणों एवं उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का आकलन किया है तथा 31 मार्च, 2022 को रु. 196.58 करोड़ का प्रावधान रखा है (पिछले वर्ष: रु. 184.10 करोड़).

In accordance with RBI guidelines, as at March 31, 2022, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 2,544.97 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 886.12 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 101.91 Crores.

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹196.58 Crores as on March 31, 2022 (Previous Year: ₹ 184.10 Crores).

ए-6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़रों औरएनपीए का सकेन्द्रन

A-6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
(ए) जमाराशियों का संकेन्द्रन (a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	49,997.98	43,496.81
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत (प्रतिशत में) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (in %)	4.78%	4.50%
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रन (b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिया गया कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers/customers	1,09,684.58	85,635.41
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत (प्रतिशत में) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (in %)	13.41%	11.39%
(सी) एक्सपोज़र का सकेन्द्रन (c) Concentration of Exposures		

	बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोज़र Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,65,333.05	1,64,806.09
	ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	15.31%	14.28%
(डी) (d)	एनपीए का सकेन्द्रन Concentration of NPAs		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोज़र Total Exposure to top four NPA accounts	8454.18	9029.36
	कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest NPA exposure to Total Gross NPAs (in %).	42.96%	36.93%

ए-7 डेरीवेटिव्स

ए) वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

A- 7 Derivatives

a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि The notional principal of swap agreements	93,255.57	74,783.79
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	849.89	836.94
स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्रिक Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	2,587.34	2,152.41
स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	221.37	(11.03)

31 मार्च, 2022 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2022 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	354.01	AU6MBA	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	246.32	AU6MBA/LIBOR	अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FLOAT RECEIVE
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	31	6,471.92	LIBOR	अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FLOAT RECEIVE
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	9	2,246.40	SOFR	अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FLOAT RECEIVE

आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	34.46	LIBOR	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	75.79	SOFR	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	33	1,075.00	MIBOR	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	52	2,775.00	MIFOR	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	742	21,771.53	MIBOR	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	17	725.00	MIFOR	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	410.42	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	75.79	SOFR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	681	21,200.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	26	1,875.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	709	21,258.87	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	23	825.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	42	5,403.55	FIXED	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	2,271.90	FIXED	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	3,105.22	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/ FLOAT PAY
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	1,054.40	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/ FLOAT PAY

31 मार्च, 2021 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्ते नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2021 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	Nos	Notional Principal	Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.03	INBMK	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	907.66	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	33.23	LIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed Receivable/Float Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	14	1,075.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	22	875.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	72	3,975.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed Receivable/Float Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	18	775.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed Receivable/Float Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	894	28,725.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	294	9,314.17	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	55	1,675.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed Receivable/Float Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	291	9,850.56	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed Receivable/Float Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	246.32	AU6MBA/LIBOR	अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य Pay Float/Receive Float
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	30	6,281.57	MIBOR/LIBOR	अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य Pay Float/Receive Float
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	354.01	AU6MBA	अस्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य Pay Float/Receive Fix
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	22	6,386.23	FIXED	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed Receive/Float Pay
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	3,145.73	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receive/Fixed Pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	550.77	LIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receive/Fixed Pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	438.51	EURIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating Receive/Fixed Pay

बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को राशि Amount as on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को राशि Amount as on March 31, 2021
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
ए. A.	ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) Interest Rate Future (IRF)	2,381.26	29,308.19
बी. B.	करेंसी फ्यूचर्स Currency Futures	75,226.46	1,09,528.95
सी. C.	ऑप्शन Options	7,833.74	16,005.11
(ii)	यथा दिनांक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding as on (instrument-wise)		
ए. A.	ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) Interest Rate Future (IRF)	0.00	186.68
बी. B.	करेंसी फ्यूचर्स Currency Futures	9,138.26	2,688.33
सी. C.	ऑप्शन Options	0.00	233.95
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य Nil	शून्य Nil
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य Nil	शून्य Nil

सी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) बैंक की विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन एवं स्वर्ण, डिरिवेटिव प्रबंधन नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोज़र लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं. बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाज़ार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बी) बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) Qualitative Disclosure

a) Foreign exchange risk management & Gold, Derivative management policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making .Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

b) The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book

से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं. इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षतावाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

सी) लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोज़र सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोज़र पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

डी) कनवरर्जन फैक्टर कल्पित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा

on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Managing Director.

c) The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

d) Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
	वि.व. 2022 FY 2022	वि.व. 2021 FY 2021	वि.व. 2022 FY 2022	वि.व. 2021 FY 2021
एक वर्ष से कम Less than one year	0.5%	0.5%	2%	2%
एक वर्ष से पांच वर्ष One year to Five Year	1%	1%	10%	10%
पांच वर्ष से अधिक Over five years	3%	3%	15%	15%

ई) हेज तथा गैर-हेज (ट्रेडिंग) लेनदेनों को अलग से दर्ज किया जाता है. जहां यह मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं है, हेजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (मार्क-टू-मार्केट) में लिया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में लिया जाता है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ/हानि समाप्ति की तारीख पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं.

e) The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. In cases where the underlying is not subject to mark to market the hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.

एफ) मात्रात्मक प्रकटीकरण

f) Quantitative Disclosures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2022 तक As on March 31, 2022		31 मार्च, 2021 तक As on March 31, 2021	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए a) For hedging	10,373.05	38,150.54	7,871.19	45,922.85
	बी) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	15,270.44	44,731.98	4,987.39	21,176.42
(ii)	मार्क्ड टू मार्केट स्थितियां Marked to Market Positions				
	ए) आस्ति (+) a) Asset (+)	95.85	784.03	200.27	664.62
	बी) देयताएं (-) b) Liability (-)	(199.06)	(488.56)	(102.74)	(787.33)
(iii)	ऋण जोखिम Credit Exposure	1,282.34	1,579.09	1,033.41	1,282.94
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव(100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	0.91	487.37	(0.02)	868.01
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	40.90	3.25	84.64	18.87
(v)	वर्ष के दौरान पाये गए अधिकतम तथा न्यूनतम (100*पीवी01) Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू) a) on hedging (Domestic)	0.00 & 0.00	793.97 & 441.52	0&0	928.68 & 783.85
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू) b) on trading (Domestic)	85.66 & 27.22	21.87 & 0.04	114.01 & 42.11	24.43 & 0.01
	सी) हेजिंग पर (विदेशी) c) on hedging (Overseas)	0.91 & 0.01	12.10 &(20.40)	(0.02)&(0.11)	21.05 &(36.16)
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी) d) on trading (Overseas)	0&0	0&0	0&0	0&0

निम्नलिखित खंड समान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं.

ब्याज दर अनुबंध

फॉरवर्ड रेट करार खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं. मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है. निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है.

The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

Interest rate contracts

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

ब्याज दर स्वैप में अंतर्निहित (या कल्पित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है.

ब्याज दर कैप एंड फ्लोर्स खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं. कांट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ्लोर रेट से अधिक या कम होता है. ब्याज दर कैप्स और फ्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है.

ब्याज दर वायदा सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कांट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कोंट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है.

विनिमय दर अनुबंध

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है. इन लिखतों को फेडाई (एफईडीएआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा /बेचा जाता है.

क्रॉस करेंसी स्वैप विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं. क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है.

मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित) खरीददार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है.

मुद्रा वायदा अनुबंध निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित परिसंपत्ति या लिखत खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत अनुबंध है. मुद्रा वायदा सौदे अनुबंध का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है.

बैंक का डेरिवेटिव लेनदेन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है. बिक्री गतिविधियों में समय समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरिवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाज़ार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके. बैंक डेरिवेटिव में खुद के खाते (व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है. बैंक अपने दायित्वों या तुलन पत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरिवेटिव में सौदा करता है.

डेरिवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन करता है. नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है.

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

Interest rate futures are standardised interest rate derivative contracts traded on a recognised stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

Exchange rate contracts

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying asset or an instrument at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

Constituents involved in derivative business

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरिवेटिव लेनदेन करता है. बैंक एक्सपोज़र के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है. उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्श्विक की मांग की जा सके या लेनदेन को निरस्त किया जा सके.

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

मूल्यांकन प्रणाली- सीडीएस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 मई, 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु एफ़आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है. अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफ़आईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडेल का उपयोग नहीं करता है. यद्यपि दिनांक 31 मार्च, 2022 को हमारे बैंक का कोई सीडीएस डील बकाया नहीं है.

Provisioning, collateral and credit risk mitigation

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated where required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk

Credit Default Swaps (CDS)

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2022.

ए-8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

A-8 Disclosure relating to Securitization

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में) (Numbers/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए एसपीई (विशेष प्रयोजन संस्थाओं) द्वारा धारित आस्तियों की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाए) No of (Special Purpose Entities) SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	-	-
2	एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3	तुलनपत्र की तिथि को एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोज़र की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र a) Off-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोज़र b) On-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
4	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेनों में एक्सपोज़र की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	ए) तुलनपत्रेत्तर एक्सपोज़र a) Off-balance sheet exposures	-	-

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलन-पत्र का एक्सपोज़र b) On-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि. Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य). Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन. कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात् क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि का अलग-अलग ब्यौरा दें. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का कोष्ठक में प्रतिशत के रूप में उल्लेख करें. Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	(ए) प्रदत्त राशि (a) Amount paid	-	-
	(बी) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(सी) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
8	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें. Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त / टॉप अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें. Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10	निवेशकों की शिकायतें Investor complaints	-	-
	(ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं; (a) Directly/Indirectly received and;	-	-
	(बी) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	-	-

ए-9 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है).

A-9 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
	घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	शून्य Nil	शून्य Nil
31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	शून्य Nil	शून्य Nil

ए-10 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-10 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amount transferred to DEAF	2,978.72	2,258.14
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	539.05	774.63
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	67.23	54.05
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of amounts transferred to DEAF	3,450.54	2,978.72

ए -11 शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल से प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

A- 11 Disclosure of complaints

a) **Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Ombudsman**

(As compiled by the Management)

क्र.सं. S. No		विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
		बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1		वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	22,108#	31,435#
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	8,63,867	18,99,415
3		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या. Number of complaints disposed during the year	8,67,546	19,08,739
	3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	11,281	6,460
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	18,429	22,111#
		लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	10,882	10,907
	5.1	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	10,367	9,105
	5.2	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी समाधान/ मध्यस्थता/ एड्वायजरी के माध्यम निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	511	665
	5.3	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	4	3
6		निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
		नोट: मेंटेन करने योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं. Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.		

#शिकायतों के प्रारम्भिक शेष और बकाया शेष में अंतर प्राप्त सुझावों के आधार पर है जिन्हें बाद में निस्तारित कर दिया गया था.

#Difference in opening and closing is on account of suggestions received which were subsequently disposed off

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जो संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2021-22 FY 2021-22					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	7,466**	2,83,561	(45.55)%	9664	101
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	12,241	4,45,167	(4.86)%	7674	119
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	288	45,568	18.41%	329	2
ऋण और अग्रिम Loans and advances	181	15,548	4.67%	157	0
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	175	10,090	21.13%	139	0
अन्य Others	1,757	63,933	1.89%	466	4
**धनप्रेषण संबंधी शिकायतों को शामिल किया गया है एवं अन्य की श्रेणी से बाहर रखा गया है. **Remittances complaints are included and excluded from Others category					
वित्त वर्ष 2020-21 FY 2020-21					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	13,480	8,33,063	11.86%	6,421	23
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	12,696	7,31,381	(11.90)%	12,238	72
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	834	1,03,555	180.80%	285	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	515	25,425	109.05%	200	0
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	440	19,590	158.20%	169	4
अन्य Others	3,470	1,86,401	35.32%	2,798	5

बी) वर्ष के प्रारम्भ में निवेशकों की लंबित शिकायतों की संख्या शून्य थी. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक को निवेशकों से 644 शिकायतें प्राप्त हुई. वर्ष के दौरान सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है. वर्ष के अंत में निवेशकों की लंबित शिकायतें शून्य हैं.

ए- 12 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण.

b) Number of Investors' complaints pending at the beginning of the year was NIL. The Bank has received 644 Investors' complaints during the year ended March 31, 2022. All complaints have been disposed of during the year. There are NIL pending Investors' complaints at the end of the year

A-12 Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India:

ए) आरबीआई / विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण.

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022		31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक दवारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	528	9.74	222	1.40
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		0	0.00	1	13.65

बी) एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए आर्थिक दंड का प्रकटीकरण

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2021-22	-	-	-
2020-21	-	-	-

सी) रिवर्स रेपो लेनदेन में आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (डिफ़ॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू) - शून्य

डी) निम्नलिखित विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी अन्य दंड का विवरण:

1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - शून्य

2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007- शून्य

3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006- शून्य

ए-13 अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यावसायिक अनुपात

c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant). Nil

d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :

1) Banking Regulation Act, 1949, - Nil

2) Payment and Settlement Act, 2007, Nil

3) Government Securities Act, 2006. Nil

A-13 Other Disclosures

a) Business Ratios

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय[1] Interest Income as a percentage to Working Funds[1]	5.57%	5.34%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय Net interest income as a percentage to working funds	2.60%	2.18%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय[1] Non-interest income as a Percentage to Working Funds[1]	0.92%	0.98%
जमाराशि की लागत Cost of Deposits	3.52%	4.01%

निवल ब्याज मार्जिन[2] Net Interest Margin[2]	3.03%	2.71%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.79%	1.60%
आस्तियों पर रिटर्न[3] Return on Assets[3]	0.60%	0.07%
प्रति कर्मचारी कारोबार[3] (जमाराशि प्लस अग्रिम) (राशि रु. करोड़ में) Business[3] (Deposits plus Advances) per employee (Rs. in Crores)	22.05	19.57
प्रति कर्मचारी लाभ (राशि ₹ करोड़ में) Profit per employee (₹ in Crores)	0.09	0.01

व्यवसाय अनुपात/ सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:

1. कार्यशील निधियों की गणना कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी जैसे कि वित्त वर्ष के 12 महीनों के दौरान फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है.
2. निवल ब्याज आय / औसत अर्जन वाली परिसंपत्ति. निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय.
3. आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा.
4. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है.

बी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

थर्ड पार्टी उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

Definitions of certain items in Business ratios / information:

1. Working funds to be reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X, during the 12 months of the Financial Year.
2. Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income - Interest Expense
3. Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
4. For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

b) Disclosure Regarding Bancassurance Business

Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling life insurance policies	168.56	118.34
गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling Non-life insurance policies	64.48	58.34
प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana	16.97	13.00
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना Prime Minister Surakasha Bima Yojana	3.48	3.19

सी) विपणन और वितरण

c) Marketing & Distribution

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु For selling mutual fund products	58.93	28.84
इक्विटी उत्पाद की बिक्री हेतु For selling on Equity product	0.18	0.24
यूआईडीएआई-आधार UIDAI-Aadhar	17.73	5.92
अटल पेंशन योजना Atal Pension Yojna	14.62	17.32

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है :-

d) Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

The banks has purchased & sold the following PSLCs during the year:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरिद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	1,000.00
2.	पीएसएलसी कृषि PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य PSLC General	-	-
4	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	3,500.00	-
5.	एमएसएमई MSME	-	-
	कुल Total	3,500.00	1,000.00

ई) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का मदवार विवरण इस प्रकार है:

e) Provisions and Contingencies

Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (बट्टे खाते डाले गए सहित और प्रतिलेखित को घटाकर) Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	558.98	879.44
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (प्रतिलेखित को घटाकर) Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	14,782.31	12,147.26
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for standard assets	(2,672.26)	2,158.03
कर हेतु प्रावधान, आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के रिवर्सल को घटाकर) Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	2,114.16	4,727.05
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	(142.19)	260.45
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान Provision for Country Risk Management	9.37	(2.19)
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्द दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं). Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	466.2	200.34
कुल Total	15,116.57	20,370.38

सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है. उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को लागू कर एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है. बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है.

As a consistent practice, the Bank has continued to make provision of 20% on the secured sub- standard advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% Credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund based facility of the borrower. The Bank also continues to make 100% provision on certain classes of non-performing retail advances.

एफ) **आईएफआरएस स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) का कार्यान्वयन.**

बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (भा. रि.बैं.) ने डीबीआर.बीपी. बीसी.नं.76/21.07.0001/ 2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा रोडमैप निर्धारित किया है एवं बैंकों को इस संबंध में हुई प्रगति सहित आईएनडी-एएस कार्यान्वयन हेतु रणनीति का प्रकटन करने की आवश्यकता है. तदनुसार बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है. बैंक ने हुई प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग समिति बनाई है तथा लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर इसकी सूचना की जाती है. बैंक अनर्जक खुदरा अग्रिमों के कुछ वर्गों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखता है.

f) **Implementation of IFRS Converged Indian Accounting standards (Ind AS)**

The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks need to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. As on date the Bank has fully complied with the requirement.

जी) **डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

g) **Payment of DICGC Insurance Premium**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	1,186.50	1,097.50
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00

एच) **बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण.**

बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1454.41 करोड़ की अतिरिक्त देयता राशि का अनुमान लगाया है. हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 से बैंकों को 5 (पांच) वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, जो प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन है. बैंक ने उक्त प्रावधान का चयन किया है. तदनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में क्रमशः ₹ 72.72 करोड़ और ₹ 290.88 करोड़ की राशि को प्रभारित किया है और ₹ 1163.53 करोड़ के अपरिशोधित शेष को कैरी फॉरवर्ड किया है. यदि बैंक ने लाभ एवं हानि खाते पर संपूर्ण अतिरिक्त देयता प्रभारित की होती तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 870.67 करोड़ कम हो जाता.

h) **Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks**

Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1,454.41 Crores. However, RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted the said provision, and accordingly charged an amount of ₹ 72.72 Crores & ₹290.88 Crores to the Profit & Loss account for the quarter and FY ended 31st March 2022 respectively and the balance unamortized expense of ₹1,163.53 Crores has been carried forward. Had the Bank charged the entire additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit (after tax) for the quarter and FY ended March 31, 2022 would have been lower by ₹ 870.67 Crores.

दिनांक 31.03.2022 (वि.व 2021-22) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण
Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2022 (FY 2021-22)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification / विवरण Details		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण रिस्ट्रक्चरिंग के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल, 2021 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2021	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	6	0	4	0	10	112487	3918	6920	1940	125265	7987	236	8829	1505	18557	120480	4154	15753	3445	143832
		बकाया राशि * Amount outstanding	163.42	0	112.46	0	275.88	5840.05	303.84	632.59	389.5	7165.98	3607.69	273.12	2044.54	1291.81	7217.15	9611.15	576.96	2789.59	1681.31	14659.01
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	11.71	0	0	0	11.71	332.46	10.11	16.57	0	359.14	74.38	0.82	37.21	0	112.41	418.55	10.93	53.79	0	483.27
2	पिछली अवधि के सापेक्ष शेष राशि में परिवर्धन सहित वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year included additions in balances over the previous period	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		बकाया राशि * Amount outstanding	0	0	0	0	0	424.09	11.61	26.74	8.17	470.61	903.96	0	22.61	49.67	976.24	1328.05	11.61	49.35	57.84	1446.85
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2021-22	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	723	-375	-311	-37	0	97	-38	-34	-25	0	820	-413	-345	-62	0
		बकाया राशि * Amount outstanding	0	0	0	0	0	81.97	-48.78	-28.2	-4.99	0	6.49	-3.13	-1.71	-1.65	0	88.46	-51.91	-29.91	-6.64	0
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और/या वित्त वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्त वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-4	0	0	0	-4	-6285	0	0	0	-6285	-1294	0	0	0	-1294	-7583				-7583
		बकाया राशि * Amount outstanding	-5.17	0	0	0	-5.17	-55.4	0	0	0	-55.4	-624.87	0	0	0	-624.87	-685.43				-685.43
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						

दिनांक 31.03.2022 (वि.व 2021-22) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण
Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2022 (FY 2021-22)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification / विवरण Details		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण रिस्ट्रक्चरिंग के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2021-22	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-27351	140	24780	2431	0	-1335	11	1102	222	0	-28686	151	25882	2653	0
		बकाया राशि Amount outstanding	0	0	0	0	0	-1239.36	85.25	1086.82	67.29	0	-881.52	2.81	868.34	10.37	0	-2120.87	88.06	1955.15	77.66	0
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2021-22	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-1	0	-3	0	-4	-24122	-3462	1604	251	-25729	-2252	-198	-1663	-153	-4266	-26375	-3660	-62	98	-29999
		बकाया राशि Amount outstanding	-154.85	0	-91.04	0	-245.89	-1425.22	-253.23	81.86	-117.76	-1714.35	-1223.23	-269.99	-1321.02	-588.02	-3402.26	-2803.31	-523.22	-1330.2	-705.78	-5362.5
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-11.06	0	0	0	-11.06	-138.33	-5.69	43.53	0	-100.48	1.41	-0.73	-31.34	0	-30.65	-147.97	-6.41	12.2	0	-142.19
7	31मार्च, 2022 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2022	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	1	0	1	0	2	55452	221	32993	4585	93251	3205	11	8234	1549	12999	58658	232	41228	6134	106252
		बकाया राशि Amount outstanding	3.4	0	21.42	0	24.83	3626.13	98.69	1799.81	342.21	5866.84	1788.51	2.81	1612.76	762.18	4166.27	5418.05	101.5	3433.99	1104.39	10057.93
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.66	0	0	0	0.66	194.13	4.43	60.11	0	258.66	75.79	0.09	5.88	0	81.76	270.57	4.52	65.99	0	341.08

दिनांक 31.03.2021 (वि.व 2020-21) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण
Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021 (FY 2020-21)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं, S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification / विवरण Details		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण रिस्ट्रक्चरिंग के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल, 2020 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2020	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	4	0	8	0	12	3,4883	698	2361	1129	39071	2276	248	11100	1474	15,098	37,163	946	13,469	2603	54,181
		बकाया राशि * Amount outstanding	25.20	0.00	783.22	0.00	808.42	1,333.47	144.62	269.02	330.59	2,077.70	2,198.61	153.39	3,330.30	1,282.58	6,964.88	3,557.28	298.01	4,382.54	1,613.17	9,851.00
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	17.75	0.00	15.12	0.00	32.87	72.77	4.73	2.83	0.00	80.33	80.61	5.45	23.58	0.00	109.64	171.13	10.18	41.53	0.00	222.84
2	पिछली अवधि के सापेक्ष शेष राशि में परिवर्धन सहित वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year included additions in balances over the previous period	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	8,3831	3863	169	242	88105	3927	222	26	27	4202	87,758	4085	195	269	92,307
		बकाया राशि * Amount outstanding	153.85	0.00	0.00	0.00	153.85	6,457.67	264.51	16.91	22.60	6,761.70	1,565.92	272.11	203.76	2.62	2,044.42	8,177.45	536.62	220.68	25.22	8,959.97
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.22	9.20	0.64	0.00	282.06	19.85	0.78	9.37	0.00	30.01	292.07	9.98	10.02	0.00	312.08
3	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2020-21	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	137	-60	-69	-8	0.00	165	-15	-139	-11	0	302	-75	-208	-19	0.00
		बकाया राशि * Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	-10.07	-2.40	-0.16	0.00	440.76	-30.05	-410.51	-0.20	0.00	453.40	-40.13	-412.92	-0.36	0.00
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और/या वित्त वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्त वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-136	0	0.00	0.00	-136	73	0	0	0	73	-63	0.00	0.00	0.00	-63.00
		बकाया राशि * Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,568.76	0.00	0.00	0.00	-1,568.76	-285.59	0.00	0.00	0.00	-285.59	-1,854.34	0.00	0.00	0.00	-1,854.34
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2021 (वि.व 2020-21) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण
Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2021 (FY 2020-21)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण रिस्ट्रक्चरिंग के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
	विवरण Details																					
5	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2020-21	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-4366	90	3885	391	0	-290	14	187	90	1	-4656	104	4072	481	1
		बकाया राशि * Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.53	34.95	250.49	12.09	0.00	-230.10	0.91	181.04	48.42	0.27	-527.63	35.85	431.53	60.51	0.27
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
6	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2020-21	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	2	0	-4	0	-2	-1862	-673	574	186	-1775	1836	-233	-2345	-75	-817	-24	-906	-1775	111	-2594
		बकाया राशि * Amount outstanding	-15.64	0.00	-670.76	0.00	-686.40	-97.43	-130.17	98.58	24.40	-104.63	-81.93	-123.25	-1,260.04	-41.63	-1,506.85	-195.00	-253.42	-1,832.23	-17.23	-2,297.88
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	-6.05	0.00	-15.11	0.00	-21.16	-12.52	-3.83	13.10	0.00	-3.25	-26.07	-5.43	4.28	0.00	-27.22	-44.64	-9.25	2.27	0.00	-51.63
7	31मार्च, 2021 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2021	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	6	0	4	0	10	11,2487	3918	6920	1940	1,25,265	7987	236	8829	1505	18,557	1,20,480	4154	1,5753	3445	14,3832
		बकाया राशि * Amount outstanding	163.42	0.00	112.46	0.00	275.87	5,840.06	303.83	632.60	389.52	7,166.01	3,607.68	273.11	2,044.55	1,291.80	7,217.14	9,611.15	576.94	2,789.60	1,681.32	14,659.02
		उस पर प्रावधान ** Provision thereon	11.70	0.00	0.01	0.00	11.71	332.47	10.10	16.57	0.00	359.14	74.37	0.81	37.23	0.00	112.41	418.54	10.91	53.81	0.00	483.26

बी) **प्रारक्षित निधि अधिशेष**

सांविधिक प्रारक्षित निधि

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹ 1814.34 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 207.22 करोड़) का समायोजन सांविधिक प्रारक्षित निधि के लिए किया है.

पूंजी

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक आरक्षित, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी द्वारा ₹ 523.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 676.90 करोड़) समायोजित किया है.

निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से 3 वर्षों की अवधि के अन्दर निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) सृजित करनी है जो उनके एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगी. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते से निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए ₹ 2368.42 करोड़ का समायोजन किया है. (पिछले वर्ष: शून्य)

शेयर प्रीमियम

बैंक ने शेयरधारकों और भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि के बराबर राशि का उपयोग करके ₹ 11048.44 करोड़ की संचित हानि को समायोजित किया है.

के) **चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति**

I. **वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**

आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए नियामक अर्थात् अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के लिए 25 अक्टूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया- 31 मार्च 2022 तक आईएफएससी शाखा की कुल जमा राशि ₹ 12,388.55 करोड़ (ओवरड्राफ्ट और बैंक की स्वयं की जमा राशियों की एवज में ऋण को घटाकर) है एवं बाहरी देनदारियां ₹ 8,390.02 करोड़ (अर्थात् कुल देनदारियां ₹ 20,778.57 करोड़) हैं. 31 मार्च, 2022 तक शाखा की कुल संपत्ति ₹ 408.31 करोड़ है. IFSCBU बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में मानी जाती है तथा विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में परिलक्षित होती हैं. इसलिए, आईएफ़एससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है.

II. **31 मार्च, 2022 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति**

बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है.

ए) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व

J) **Reserves and Surplus**

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 1,814.34 Crores (Previous Year: ₹ 207.22 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2022 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2022, the Bank appropriated ₹ 523.35 Crores (Previous Year: ₹ 676.90 Crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2022, the Bank has made ₹ 2,368.42 Crores appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: NIL)

Share Premium

The Bank has set off accumulated losses amounting to ₹ 11,048.44 Crores by utilizing an equivalent amount standing to the credit of share premium account of Bank as on the date of set off during the year ended 31.03.2022 after obtaining approval from shareholders as well as Reserve Bank of India.

K) **Status of Letters of Comfort**

I. **Letters of Comfort (LOC's) issued during the Year**

LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. international Financial Services Centres Authority (IFSCA) for IFSC, Gift city Branch - As on 31st March 2022, IFSC branch's total deposits (net of overdraft and loan against Bank's own deposits) are ₹ 12,388.55 Crores and outside liabilities are ₹ 8,390.02 Crores (i.e. Total Liabilities of ₹20,778.57 Crores). The net worth of the Branch as on 31st March 2022 is ₹ 408.31 Crores. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's standalone balance sheet. Therefore, there is no requirement to recognise the Letter of Comfort, issued for IFSC Gift City Branch, as contingent liability of Bank.

II. **Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31, 2022**

The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:

a) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of

वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को 2008-09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2022 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट एवं बैंक की स्वयं की जमा के एवज में ऋण को घटाकर) ₹ 473.01 करोड़ हैं तथा बाह्य देयता ₹ 7.03 करोड़ हैं (अर्थात् रु. 480.04 करोड़ की कुल देयता). 31 मार्च 2022 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 270.46 करोड़ है. इस सबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 209.58 करोड़ है. हालांकि, बैंक को वर्तमान के लिए उपर्युक्त चुकौती आश्वासन पत्र / गारंटी के तहत देयता के क्रिस्टलीकरण की संभावना नहीं है.

बी) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31 मार्च, 2022 को आईआईबीएमबी (ओवरड्राफ्ट एवं बैंक की स्वयं की जमाराशियों की एवज में ऋण को घटाकर) की कुल जमा राशि ₹ 150.63 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 3.94 करोड़ (अर्थात् ₹ 154.57 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2022 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 582.84 करोड़ रही. इस संबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता शून्य है.

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी- 1 इस अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

(i) **पूर्व अवधि हेतु मद:**

इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे.

(ii) **लेखांकन नीति:**

वर्ष के दौरान बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित लेखांकन नीति को परिष्कृत किया है जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है. ऐसी वस्तुएं जिनकी अनुमानित जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक एवं मूल लागत ₹ 50,000/- से अधिक थी और अब तक अन्य अचल संपत्तियों के साथ शामिल की गई हैं एवं कंप्यूटर के रूप में परिशोधित की गई थीं. इन वस्तुओं को अब अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा 3 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. उक्त शोधन का वर्ष के लाभ पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है. 31.03.2022 तक सॉफ्टवेयर का वहन मूल्य ₹ 223.19 करोड़ है.

बी-2 - एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व का संचलन

New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2022 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 473.01 Crores and outside liabilities are ₹ 7.03 Crores (i.e. total liabilities of ₹ 480.04 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2022 is ₹ 270.46 Crores. The net contingent liability on the Parent Bank is ₹ 209.58 Crores in this regard. However, the Bank does not foresee possibility of crystallization of liability under the above letter of comfort/guarantee for the present.

b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2022 the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 150.63 Crore and other liabilities are ₹ 3.94 Crores (i.e. Total liabilities of ₹ 154.57 Crores). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2022 is ₹ 582.84 Crores. The net contingent liability on parent Bank is Nil in this regard.

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) **Prior Period Items:**

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) **Accounting policy:**

During the year the Bank has refined the accounting policy relating to computer software not forming integral part of hardware. Such items having estimated life more than 2 years and in excess of original cost of ₹ 50,000/- were hitherto included with Other Fixed Assets and amortised as computers. These items are now classified as intangibles and amortised over a period of 3 years. There is no material impact of the above refinement on the profit of the year. The carrying value of software as at 31.03.2022 is ₹ 223.19 Crores.

B-2 - AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	2021-22	2020-21
प्रारम्भिक शेष Opening balance	3,061.06	3,373.90
वर्ष के दौरान जमा Credited during the year	320.85	0.00
वर्ष के दौरान आहरण Withdrawn during the year	0.00	312.84
अंतिम शेष Closing Balance	3,381.91	3,061.06

बी -3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बी- 3.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है.

बी- 3.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों जो प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्ज़िट हो जाते हैं, को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक न्यास में अंशदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीएसओआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी-3.3 पेंशन

बी-3.3.1 बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('कर्मचारी') पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('कर्मचारी') पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है. कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है. बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है.

बी-3.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जिसका शुभारंभ बैंक ने संयुक्त नोट/ समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू किया है, जो दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है. निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है. हालांकि, 11वें द्विपक्षीय समझौते / 8वें संयुक्त नोट के अनुसार, बैंक का योगदान नवंबर, 2020 से 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है.

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

B-3.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-3.3 Pension

B-3.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution is made by the Bank and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager. However, in terms of 11th BPS / 8th Joint Note, Bank's contribution is increased from 10% to 14 % w.e.f. November 2020.

बी-3.4 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ग्रहण की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रुप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास द्वारा शासित किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ़ चयनकर्ता के मामले में उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

बी-3.5 अवकाश नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण के लिए पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण के लिए पात्र है.

बी-3.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो.

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उन्होंने बैंक में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हो.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों.

बी-3.7 प्रकटीकरण

I. परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

B-3.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-3.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-3.6 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank of Baroda.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service."

B-3.7 Disclosures

I. Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	24,197.43	22,441.86	3,017.96	2,669.39
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	1,646.29	1,446.20	203.78	167.58
जोड़ें- पिछली सेवा लागत Add - Past Service Cost	-	-	-	-

जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	1,730.05	1,634.40	285.19	287.27
जोड़ें- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,344.90	2,472.98	414.27	516.39
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि / लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	2,051.23	1,147.95	(38.97)	410.11
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	27,280.10	24,197.43	3,053.69	3,017.96

बी) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारम्भिक शेष Opening Fair Value of plan assets	22,009.80	21,846.22	2,348.73	2,174.14
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न Add- Expected Return on Plan Assets	1,650.73	1,638.46	176.15	166.97
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	4,048.48	952.27	869.23	495.26
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,344.90	2,472.98	414.27	516.39
जोड़ें- बीमांकिक लाभ /(-) हानि Add- Actuarial gain/(-)loss	65.06	45.83	6.70	28.75
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष Closing Fair Value of Plan Assets	25,429.17	22,009.80	2,986.54	2,348.73

सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि i) Closing Defined Benefit Obligation	27,280.10	24,197.43	3,053.69	3,017.96
सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि ii) Closing Fair Value of Plan Assets	25,429.17	22,009.80	2,986.54	2,348.73
सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि iii) Difference	1,850.93	2,187.63	67.15	669.23
सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि iv) Unrecognized transitional liability	(1,163.53)	-	-	-
सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि v) Liability Recognized in the BS	687.40	2,187.63	67.15	669.23

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
i) वर्तमान सेवा लागत i) Current Service Cost	1,730.05	1,634.40	285.19	287.27
ii) पूर्व सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	1,646.29	1,446.20	203.78	167.57
iv) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न iv) Expected Return on Plan Assets	1,650.73	1,638.46	176.15	166.97
v) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-) v) Net Actuarial Loss/gain(-)	1,986.18	1,102.12	(45.67)	381.36
vi) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण vi) Transitional liability recognized in the year	(1,163.53)	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi) Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi)	2,548.26	2,544.26	267.15	669.23

ई) निवेश पैटर्न: (% में)

e) Investment Pattern: (In %)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां Central Govt. Securities	1.42	1.70	2.84	4.29
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां State Government Securities	2.22	3.17	0.74	3.63
कॉर्पोरेट (पीएसयू) Corporate (PSU)	6.20	7.66	4.80	8.54
कॉर्पोरेट (निजी) Corporate (Private)	2.38	3.65	0.74	0.71
बीमा Insurance	86.60	82.44	90.67	82.60
अन्य Others	1.18	1.38	0.21	0.23
कुल Total	100.00	100.00	100.00	100.00

एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
रियायती दर Discount rate	7.15%	6.82%	7.25%	6.95%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on plan Assets	7.50%	7.50%	7.50%	7.68%

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी

Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष /कमी

g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	13,357.19	13,675.83	22,441.86	24,197.43	27,280.11
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	13,101.69	13,462.89	21,846.22	22,009.80	25,429.17
iii.	अंतर (ii-i) Difference (ii-i)	(255.50)	(212.94)	(595.64)	(2,187.63)	(1,850.93)
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,163.53)
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(255.50)	(212.94)	(595.64)	(2,187.63)	(687.40)

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/ कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	1,678.33	1,596.49	2,669.40	3,017.96	3,053.69
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,185.58	1,187.30	2,174.14	2,348.73	2,986.54

iii.	अंतर (ii-i) Difference (ii-i)	(492.75)	(409.19)	(495.26)	(669.23)	(67.15)
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	(291.23)	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(201.52)	(409.19)	(495.26)	(669.23)	(67.15)

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व): संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समाधान

II. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	1,712.75	1,709.83	290.43	296.51
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	113.12	112.36	19.71	19.18
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	250.19	235.18	6.20	6.22
जोड़ें- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	304.96	186.09	37.21	41.26
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	36.16	(158.53)	10.81	9.78
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	1,807.27	1,712.75	289.94	290.43

बी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
i) चालू सेवा लागत i) Current Service Cost	250.19	235.17	6.20	6.22
ii) विगत सेवा लागत ii) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00

iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	113.12	112.37	19.71	19.18
iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-) iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	36.16	(158.53)	10.81	9.78
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च Expenses Recognized in P&L	399.48	189.01	36.72	35.18

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारम्भिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों) का समाधान

c) Reconciliation of opening and closing liability/ (assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष i) Opening Defined Benefit Obligation	1,712.75	1,709.83	290.43	296.51
ii) निवल अधिग्रहण लागत ii) Net Acquisition Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) उपरोक्तानुसार व्यय iii) Expenses as above	399.48	189.01	36.72	35.18
iv) प्रदत्त लाभ iv) Benefit paid	304.96	186.09	37.21	41.26
v) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,807.26	1,712.75	289.94	290.43

डी) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
रियायती दर Discount rate	7.25%	6.95%	7.25%	6.95%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

मॉर्टेलिटी दर: आईएएलएम (2012-2014)

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है. इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है.

Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी- 4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. **प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -**

i. **ट्रेजरी**

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है. ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है.

ii. **कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग**

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं.

iii. **रिटेल बैंकिंग**

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹ 7.50 करोड़ से कम के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं.

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन**

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

II) **गौण (भौगोलिक सेगमेंट)**

i) घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

ii) राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है.

IV. **आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन**

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है. ट्रेजरी परिचालन की आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं.

अन्य सेगमेंट की आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है.

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/ भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है.

सी) अन्य आय/अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है.

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें आबंटित माना गया है.

B-4 Segment Reporting (Accounting Standard - 17)

B-4.1 Segment Identification

I. **Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-**

i. **Treasury**

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **Corporate / Wholesale Banking**

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 7.50 Crores above.

iii. **Retail Banking**

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of upto ₹ 7.50 Crores.

iv. **Other Banking Operations**

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) **Secondary (Geographical Segment)**

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. **Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities**

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

B-4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी / B-4.2 Segment Information

भाग ए: कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segments

(Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	23,880.49	25,333.28	26,671.81	28,753.50	29,915.83	28,958.74	896.60	383.51	81,364.73	83,429.03
सेगमेंट परिणाम Segment Result	3,488.92	4,762.89	566.30	(4007.67)	9,923.11	9,995.85	896.59	383.51	14,874.93	11,134.58
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	5,488.49	5,578.58
परिचालनगत लाभ Operating profit	-	-	-	-	-	-	-	-	9,386.44	5,556.00
घटाएं : कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax	-	-	-	-	-	-	-	-	2,114.16	4,727.05
विशिष्ट लाभ/हानि Extra-Ordinary Profit/Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ Net Profit									7,272.28	828.95
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	4,52,674.37	3,96,441.49	5,49,579.31	5,11,813.06	2,54,289.51	2,29,691.58	-	-	12,56,543.19	11,37,946.13
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	21,456.64	17,418.64
कुल आस्तियां Total Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	12,77,999.83	11,55,364.77
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	4,22,244.68	3,70,004.71	5,12,635.48	4,77,682.71	2,37,195.66	2,14,374.55	-	-	11,72,075.82	10,62,061.97
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	20,014.29	16,257.08
कुल देयताएं Total Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	11,92,090.11	10,78,319.05
नियोजित पूंजी Capital employed	30,429.69	26,436.78	36,943.83	34,130.35	17,093.85	15,317.03	-	-	84,467.37	75,884.16
अनाबंटित Unallocated	-	-	-	-	-	-	-	-	1,442.35	1,161.56
कुल पूंजी Total Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	85,909.72	77,045.72

भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू Domastic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21	वि. .व.: 2021-22 FY: 2021-22	वि. .व.: 2020-21 FY: 2020-21
राजस्व Revenue	78,067.24	78,792.89	3,297.49	4,636.14	81,364.73	83,429.03
आस्तियां Assets	10,90,875.73	9,70,377.09	1,87,124.10	1,84,987.68	12,77,999.83	11,55,364.77

बी-5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. नैनीतालबैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
4. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड.
5. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब काड्र्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड*
6. बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7. बड़ौदा बीएनपी परिबासबड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
8. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड#

(# बैंक ने सभी सांविधिक और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 44% से बढ़ाकर 65% की है. इसलिए इसे 31.03.2022 से अनुषंगी माना जाएगा)

*वर्ष के दौरान, 'बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड' (अंतरक कंपनी) का 'बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरिती कंपनी) के साथ विलय कर दिया गया है. जिसका नाम बदलकर 'बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' किया गया है. बैंक ऑफ बड़ौदा को अंतरक कंपनी का एकमात्र शेयरधारक होने के नाते, एनसीएलटी के आदेश के अनुसार अंतरिती कंपनी के 10,81,50,783 शेयर आवंटित किए गए हैं. एनसीएलटी के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद यह विलय 14 मार्च 2022 से प्रभावी हुआ. तदनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास विलय के पूरा होने के बाद अंतरिती कंपनी में 50.10% हिस्सेदारी है.

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
7. Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda Asset Management India Limited*
6. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
7. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)
8. IndiaFirst Life Insurance Company Limited#

(#The Bank has increased its stake in India First Life Insurance Company Limited from 44% to 65% after receiving all statutory and regulatory approvals. Hence the same will be considered as subsidiary w.e.f 31.03.2022)

*During the year, 'Baroda Asset Management India Limited' (Transferor Company) was merged with 'BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd' (Transferee Company) which was renamed as 'Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited'. Bank of Baroda being the sole shareholder of the transferor company, has been allotted 10,81,50,783 shares of the transferee company pursuant to the NCLT order. After fulfilling the conditions mentioned in NCLT order, the merger was effected on 14th March 2022. Accordingly, Bank of Baroda holds 50.10% stake in the transferee company after completion of merger.

iv) **विदेशी गैर-बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी**

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड.(बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

बी) सहयोगी इकाइयां

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) **अन्य**

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

iv) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

b) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India Infra debt Limited

d) Key Management Personnel

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Designation	पारिश्रमिक / Remuneration 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	पारिश्रमिक / Remuneration 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
1	श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	₹ 40,46,242/-	₹ 35,39,380/-
2.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक (31.08.2021 तक) Executive Director (Upto 31.08.2021)	₹ 34,32,975/-	₹ 31,57,372/-
3.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 34,35,928/-	₹ 35,64,623/-
4.	श्री मुरली रामास्वामी* Shri Murali Ramaswami*	पूर्व-कार्यपालक निदेशक (01.10.2019 से - 31.12.2020 तक) Executive Director (w.e.f. 01.10.2019- 31.12.2020)	NA	₹ 1,09,39,850/-
5.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 35,71,195/-	₹ 29,90,055/-
6.	श्री देबदत्त चाँद Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 10.03.2021)	₹ 32,38,631/-	₹ 1,55,527/-
7.	श्री जयदीप दत्ता रॉय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (21.10.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 21.10.2021)	₹ 53,84,145/- (₹ 39,48,633/- pertains to his salary as CGM in BOB)	NA

*सेवानिवृत्ति लाभ शामिल

लेखो पर टिप्पणियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार ''राज्य-नियंत्रित उद्यम'' हैं. साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

*includes retirement benefits

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण

E) Details of transactions with Related parties

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मद/ संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	सहयोगी इकाइयां संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
उधार Borrowings	-	-	-	-	-	-
जमा Deposit	-	-	5.05	-	-	5.05
जमाराशियों की प्लेसमेंट Placement of deposits	-	-	1,367.00	-	-	1,367.00
अग्रिम Advances	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	-	-	-	-	-	-
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं Non-funded commitments	-	-	899.70	-	-	899.70
प्राप्त की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्थाएं Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/ एचपी व्यवस्थाएं Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	0.93	-	-	0.93
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	54.89	-	-	54.89
उपचित ब्याज Interest accrued	-	-	32.62	-	-	32.62
सेवाओं का प्रतिपादन* Rendering of services	-	-	2.04	-	-	2.04
सेवाओं की प्राप्ति* Receiving of services	-	-	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32	-	-	10.32

बी-6 लेखांकन मानक -19 - ''पट्टा''

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है.

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

B-6 Accounting Standard -19 - "Lease"

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च , 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च , 2022 को As on March 31, 2021
एक वर्ष से अधिक नहीं Not later than one year	63.84	138.73
एक वर्ष से अधिक व पांच वर्षों से अधिक नहीं Later than one year and not later than five years	242.19	177.48
पांच वर्षों से अधिक Later than five years	245.49	235.10

प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 768.07 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 792.40 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 768.07 Crores (Previous Year: ₹ 792.40 Crores)

बी-7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - ''प्रति शेयर आय'' के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटि में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटि शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके ''मूल आय'' प्रति शेयर की गणना की जाती है

B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
वर्ष के आरंभ में इक्विटि शेयरों की संख्या Number of share at the beginning of the year	517,13,62,179	462,05,66,586
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	0.00	55,07,95,593*
वर्षांत पर शेयरों की संख्या Number of share at the end of year	517,13,62,179	517,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	517,13,62,179	466,28,19,399
वर्षांत पर इक्विटि शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	NA	NA
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	517,13,62,179	466,28,19,399
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	7,272.28	828.95
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	14.06	1.78
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	14.06	1.78
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- Face Value	₹ 2/- Face Value

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार क्वेलिफाइर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत बैंक की विकास योजनाओं और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए बैंक की टियर I पूंजी को बढ़ाने के लिए कुल ₹ 4,500.00 करोड़ के ₹ 81.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 79.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 55,07,95,593* इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं.

During the FY 2020-21, the Bank had issued and allotted 55,07,95,593* equity shares having face value of ₹ 2 each at an issue price of ₹ 81.70 per equity shares (including premium of ₹ 79.70 per equity share), under Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 4,500.00 Crores for augmenting Bank's Tier I capital to support growth plans of the Bank and for other general corporate purposes.

बी-8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक -22)

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान की राशि

Amount of Provisions for Taxation during the year

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान Provision for Tax including deferred tax	1,499.66	5,256.24
घटाएं : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल Add/ (Less): Tax Provision relating to previous years	614.50	(529.19)
कर के लिए निवल प्रावधान Total provision for Tax	2,114.16	4,727.05

ए) **वर्तमान कर:**

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 625.42 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 959.04 करोड़) नामे किए हैं. भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है.

बी) **आस्थगित कर:**

वर्ष के दौरान आस्थिगत कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 874.24 करोड़ नामे किया गया है (विगत वर्ष: ₹ 4,297.20 करोड़). बैंक का निवल डीटीए ₹ 9,348.63 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 10,209.84 करोड़ का निवल डीटीए) है.

डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

a) **Current Tax:**

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹ 625.42 Crores (Previous Year ₹ 959.04 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid in foreign jurisdictions.

b) **Deferred Tax:**

During the year, ₹874.24 Crore has been Debited to Profit and Loss Account (Previous Year: ₹ 4,297.20 Crores Credited) on account of deferred tax. The Bank has a Net Deferred Tax Asset (DTA) of ₹ 9,348.63 Crores (Previous year: Net DTA of ₹10,209.84 Crores).

The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
ए. घरेलू A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास में अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	187.99	423.64
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for fraud	146.69	71.55
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई) Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized and Realized)	336.33	255.67
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	457.89	431.27
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	10,625.10	11,127.92

गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	82.77	13.84
कुल डीटीए Total DTA	**11,836.77**	**12,323.89**
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	1,867.00	1,804.07
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,097.77	906.53
कुल डीटीएल Total DTL	**2,964.77**	**2,710.60**
निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए) Net Deferred Tax Assets (A)	**8,872.00**	**9,613.29**
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन) B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच का अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	187.99	421.86
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	457.95	431.09
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	11,093.46	11,715.73
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित Foreign Currency Translation Reserve	336.33	255.67
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for Fraud	146.69	71.55
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	90.98	24.54
कुल डीटीए Total DTA	**12,313.40**	**12,920.44**
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	1,867.00	1,804.07
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1097.77	906.53
कुल डीटीएल Total DTL	**2,964.77**	**2,710.60**
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी) Net Deferred Tax Assets (B)	**9,348.63**	**10,209.84**

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है. ₹ 6,539.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,187.58 करोड़) की विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं.

Tax Paid in advance/ Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/ paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 6,539.29 Crores (previous year₹ 6,187.58 Crores) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

बी-9 एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन चूंकि अपनी सहबद्ध संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है.

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक - 24)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित विदेशी टेरिटरी/ अनुषंगियों को बंद कर दिया है:

1. दिनांक 14.05.2021 को हांगकांग में बैंक की होलसेल शाखा को.
2. दिनांक 24.08.2021 को बैंक के दक्षिण अफ्रीका परिचालन को
3. दिनांक 10.03.2022 को हांगकांग में बैंक के स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय को.

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबन्धित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

B-9 AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard- 24)

During the Financial year 2021-22, the Bank has closed the overseas territories/ subsidiaries:

1. Bank's wholesale Branch in Hong Kong on 14.05.2021.
2. Bank's operations in South Africa on 24.08.2021
3. Bank's Local Representative office in Hong Kong on 10.03.2022

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप Nature of Investments	स्वामित्व का % % of owner ship	
			31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया Malaysia	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.00%	40.00%
इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड India Infradebt Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.99%	40.99%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
देयताएं Liabilities		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि Capital & reserve	1,257.54	1,484.26
जमाएं Deposits	62.67	73.70
ऋण Borrowings	5,637.23	4,939.33
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & provisions	248.15	7,596.25
कुल Total	7,205.59	14,093.54
आस्ति Asset		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष Cash and Balances with RBI	0.76	2.25
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and Money at call and short notice	805.04	940.27

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
निवेश Investments	1,885.36	9,821.50
ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	4,404.19	2,990.08
स्थायी आस्तियां Fixed Assets	1.72	13.84
अन्य आस्तियां Other Assets	108.52	325.60
कुल Total	7,205.59	14,093.54
अन्य आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	13.89	67.98
आय Income		
अर्जित आय Income Earned	570.27	1,463.55
अन्य आय Other Income	27.40	1,909.36
कुल Total	597.67	3,372.91
व्यय Expenditure		
ब्याज व्यय Interest expended	433.29	398.79
परिचालनगत व्यय Operating expenses	23.39	1,827.19
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय Provisions & contingencies	13.16	1,009.47
कुल Total	469.84	3,235.45
लाभ Profit	127.83	137.46

नोट: 31 मार्च, 2021 के उपरोक्त आंकड़ों में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित आस्ति, देयताएं , आय, व्यय आदि शामिल हैं, जो वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की अनुषंगी बन गई है.

बी-12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक - 28)

एएस - 28 के अनुसार "आस्तियों की हानि" स्वरूप ₹ 10.55 करोड़ की राशि लाभ और हानि खाते में नामे की गई है, जिसमें वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है.

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक - 29):

बी-13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है

Note: March 31, 2021 figures above includes assets, liabilities, income, expenditure, etc pertaining to India First Life Insurance Company Limited which became subsidiary of the Bank during the financial year.

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In terms of AS - 28 “Impairment of Assets” ₹ 10.55 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों का संचलन

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	194.26	94.82
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन Provided / Adjustment during the year	(31.45)	99.44
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि Amount Used during the year	0.00	0.00
31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	162.81	194.26
आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

बी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

बी-13.2 आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं.

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है.

आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश ₹ 15.28 करोड़ में केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रकचर डेट फंड को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है.

सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता:

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य

a) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

b) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

B-13.2 Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

Liability for partly paid investments of $ 15.28 Crores represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation and IL&FS infrastructure debt fund.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.

पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है. आकस्मिक देयता की राशि संबंधित वायदा विनिमय और डेरिवेटिव संविदा के कल्पित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है.

डी) संघटको के पक्ष में दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है. वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा.

ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है.

एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है.

सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान

इंटर ऑफिस समायोजन में शामिल लेखों के विभिन्न शीर्षों के नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों का दिनांक 31.03.2021 तक का प्रारंभिक मिलान कर लिया गया है जिनका समाधान प्रक्रियाधीन है. अनुषंगियों के बही खातों का मिलान, इंटरऑफ़िस खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य ऑफिस खातों का पुष्टिकरण / समाधान आदि नियमित आधार पर प्रगति पर है. प्रबंधन की राय में, उपरोक्त का, वित्तीय विवरणी पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होगा, वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

सी-2 निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी एवं एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है. ₹ 4.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.61 करोड़) के परिणामी मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित कर दिया गया है.

सी-3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है.

सी-4 परिसर

सी-4.1 बैंक की कुल ₹168.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 168.72 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is contingently liable.

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2022, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

C-2 Investments

In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation of ₹ 4.99 Crores (Previous Year: ₹ 1.61 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

C-4 Premises

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 168.72 Crores (Previous Year: ₹ 168.72 Crores).

सी-4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्सा पर मूल्यह्रास - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास ₹ 729.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 657.65 करोड़) और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यह्रास ₹ 1,389.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,314.54 करोड़) है.

सी-4.3 बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि से उत्पन्न ₹ 2,670.00 करोड़ के अधिशेष को चालू वर्ष के दौरान "पुनर्मूल्यांकन रिजर्व" में जोड़ा गया है. साथ ही एएस-28 के अनुसार "आस्तियों की हानि" स्वरूप ₹ 10.55 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में नामे किया गया है, जिसमें वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है.

सी -5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत भूमि/ आस्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण'

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹ 729.70 Crores depreciation charged for FY 2021-22 (Previous year: ₹ 657.65 Crores) and Total depreciation charged during FY 2021-22 is ₹ 1,389.72 Crores (Previous Year: ₹ 1,314.54 Crores) .

C-4.3 In terms of Banks approved revaluation policy, The immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹ 2,670.00 Crores has been added to "Revaluation Reserve" during the current year. Also in terms of AS - 28 "Impairment of Assets" ₹ 10.55 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

C - 5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों के अंतर्गत धारित भूमि Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	51.95	54.96
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान Provisions held at the beginning of the year	54.96	165.45
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान Provisions made during the year by debiting profit and loss account	(3.01)	(110.49)
'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	0.00	0.00

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन सबसे पहले प्रभारों के लिए किया जाएगा उसके बाद ब्याज आय के लिए और अंत में बकाया मूलधन के लिए किया जाएगा.

सी-6 बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गई.

बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की सम्पूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक कार्यशील/ बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को हस्तांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी. अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मेसर्स बॉब फिस्कल सर्विसेज लि. के विलय को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और बॉम्बे उच्च न्यायलय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया. यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है.

सी-7 वर्ष के दौरान अदावाकृत लाभांश राशि ₹ 4.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13.89 करोड़) बिना किसी देरी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किया गया.

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

C-6 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court. The matter is still pending before the judiciary.

C-7 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is ₹ 4.69 Crores (Previous Year: ₹ 13.89 Crores).

सी-8 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर.नं.बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2022 को कुल ₹ 7,656.31 करोड़ (कुल बकाये का 100%) का प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 8173.78 करोड़ था जो कुल बकाये का 100%) किया है.

सी-9 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु ₹ 8.29 करोड़ का परिचालन खर्च (पिछले वर्ष: ₹ 6.90 करोड़) शामिल किया गया है.

बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक अंश के तौर पर ₹ 8.29 करोड़, पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का 1% का खर्च किया है. एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से खर्च की एक ऐसी नींव रखी है, जिसपर बैंक आगामी परियोजनाओं और साझेदारी का निर्माण कर सके. बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है. आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा.

सीएसआर हेतु संबंधित वर्ष के दौरान खर्च राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

C-8 As per RBI letters no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹7,656.31 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2022 (Previous Year ₹8,173.78 Crores being 100% of total outstanding).

C-9 Corporate social responsibility

Operating expenses include ₹ 8.29 Crores (previous year: ₹ 6.90 Crores) for the year ended March 31, 2022 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent total amount of ₹ 8.29 Crores being 1% of the published profit of the Bank for the previous year, as part of its CSR for the year ended March 31, 2022. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement.

The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022			31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021		
	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
शिक्षा एवं प्रशिक्षण Education and training	7.10	-	7.10	6.25	-	6.25
स्वास्थ्य Health	0.91	-	0.91	0.35	-	0.35
समाज कल्याण Women Welfare	0.21	-	0.21	-	-	-
अन्य Others	0.07	-	0.07	0.30	-	0.30
कुल Total	8.29	-	8.29	6.90	-	6.90

₹ 8.29 करोड़ में पिछले वर्ष के प्रकाशित निवल लाभ का ₹ 8.29 करोड़ अर्थात् 1% शामिल है और संड्री जमा खाते में सीएसआर निधि में व्यय के बाद शेष राशि शून्य है.

सी - 10गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में रु. 1.22 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया. (पिछले वर्ष: रु. 1.07 करोड़).

सी -11 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल- III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) सहित पिलर 3 प्रकटीकरणों को हमारी वेबसाइट ''https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii'' पर प्रदर्शित किया जा रहा है. ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं.

₹ 8.29 Crores consist of ₹ 8.29 Crores is 1% of published Net profit of previous year and ₹ Nil being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c.

C - 10 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2022 amounted to ₹ 1.22 Crores (Previous year: ₹ 1.07 Crores).

C-11 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio, liquidity coverage ratio and Net stable funding ratio (NSFR) under the Basel-III framework are being made available on our website "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii". These disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank.

सी - 12 कोविड-19 फैलने के कारण पहले रीजनल स्तर लॉकडाउन लगे जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में काफी अस्थिरता आई और कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में कमी आई. वित्त वर्ष 2022 के दौरान, भारत ने कोविड -19 महामारी की दो और लहरों का सामना किया. वर्तमान में, कोविड -19 के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है और सरकार ने कोविड -19 से संबंधित अधिकांश प्रतिबंधों को हटा लिया है.

इसके अलावा, कोविड महामारी और भविष्य में यदि इसकी कोई लहर आती है तो वह किस हद तक बैंक के परिचालन और आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है. हालांकि बैंक लगातार इस पर कड़ी नजर रख रहा है और आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और इसमें सुधार करने के लिए निरंतर सक्रिय उपाय कर रहा है. इसलिए, बैंक का यह मानना है कि हो सकता है कि बैंक के भावी वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े.

सी- 13 "समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों के कोविड -19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. DOR.STR.REC.11/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन की मंजूरी प्रदान कर क्रियान्वित किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं को दिया गया कुल एक्सपोज़र निम्नानुसार हैं: -

C-12 The spread of COVID-19 has earlier led to a regional lockdown which in turn resulted into significant volatility in Global and Indian financial markets and decrease in global and local economic activities during the first wave of Covid-19 pandemic. During FY2022, India has witnessed two more waves of covid-19 pandemic. Currently, the number of new Covid-19 cases have reduced significantly and the Government has withdrawn most of the Covid-19 related restrictions.

Further, the extent to which the COVID pandemic and its future waves if any may impact the Bank's operation and asset quality are uncertain. The bank is however keeping a close watch on developments on an ongoing basis and taking proactive measures continuously to maintain and improve asset quality. The bank, therefore, believes that there may not be any significant impact on Bank's future financial results.

C-13- In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework - 2.0: Resolution of COVID - 19 related stress of Individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2022 को कुल एक्सपोज़र Aggregate exposure as on 31.03.2022
6336	615.14

सी- 14 ए) 'अग्रिमों की रिस्ट्रक्चरिंग - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकबारगी रिस्ट्रक्चरिंग) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 और DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार रिस्ट्रक्चर किए गए एमएसएमई खातों का ब्योरा निम्नानुसार हैं:

C-14 a) In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured accounts is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2022 को राशि Amount as on 31.03.2022
99854	7,291.88

बी) समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 और DOR.STR.REC.21/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार रिस्ट्रक्चर किए गए खातों का ब्योरा निम्नानुसार हैं:

b) In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2022 को बकाया राशि Funded O/s as on 31.03.2022	किए गए प्रावधान Provision Held
20576	1,738.12	206.08

सी-16 स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण में संशोधन पर नोट

बैंक के निदेशक मंडल ने 13 मई, 2022 को आयोजित बैठक में स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को अनुमोदित और जारी किया है. जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता, 31 मार्च 2022 वर्ष के लिए नकदी प्रवाह एवं महत्त्वपूर्ण लेखानीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरण सहित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण शामिल है. तत्पश्चात निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्व में अनुशंसित $ 1.20 प्रति इक्विटी शेयर (60%) की तुलना में प्रति इक्विटी शेयर $ 2.85 (142.50%) के लाभांश की संस्तुति की है और स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को तद्नुसार संशोधित किया गया है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है. वित्तीय परिणामों में संशोधन को बैंक के निदेशक मंडल के उक्त निर्णय के प्रभावी करने के लिए सीमित रखा गया है. अनुशंसित लाभांश शेयरधारकों से अपेक्षित अनुमोदन के अधीन हैं.

सी-17 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है.

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं दर्शाए गए हैं उन्हें कोष्ठक में रखा गया है.

C-16 Note on amendments in Standalone Financial Statements:

The Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 13, 2022, had approved and issued the Standalone Financial Statements which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information. Subsequently, the Board of Directors in their meeting held on May 31, 2022, have recommended a dividend of $ 2.85 per equity share (142.50%) as against $1.20 per equity share (60%) recommended earlier and the Standalone Financial Statements have been amended accordingly and approved by the Board of Directors. The amendment in the Standalone Financial Statements has remained limited to give effect to the above said decision of the Board of Directors. The recommended dividend is subject to requisite approval from shareholders of the Bank. .

C-17 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021
ए.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash flow from operating activities:**		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**9,38,644**	**5,55,600**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	1,38,972	1,31,454
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	55,898	87,944
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	14,81,598	12,53,656
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(2,67,226)	2,15,803
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)		Provision for Other items (Net)	29,971	6,930
	अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल)		Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	(406)	(9,409)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	1,95,799	1,91,476
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	(18,924)	(13,170)
	पूर्ण योग		**Sub total**	**25,54,326**	**24,20,284**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(54,26,918)	12,56,802
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(85,67,064)	(28,71,633)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(increase)/Decrease in other assets	5,57,071	3,37,522
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	36,41,276	(27,04,048)
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	78,94,163	21,01,250
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	1,74,231	(4,88,349)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(74,231)	(5,12,745)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (ए)		**Net cash from operating activities (A)**	**7,52,854**	**(4,60,917)**
बी.	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	B.	**Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(3,40,464)	(2,68,261)

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष **Year ended 31st March 2022**	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021
	अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	11,333	2,33,522
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)		Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(86,492)	(5,311)
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	18,925	13,170
	निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (बी)		**Net cash used in investing activities (B)**	**(3,96,698)**	**(26,880)**
सी.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	**C.**	**Cash flow from financing activities:**		
	शेयर पूंजी / शेयर आवेदन पूंजी/ शेयर प्रीमियम		Share Capital /Share application money/ Share premium	-	4,48,532
	गैर-जमानती गौण बॉन्ड		Unsecured Subordinated Bonds	63,860	81,910
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश		Dividend paid including dividend tax	-	-
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	(1,95,799)	(1,91,475)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)		**Net cash from financing activities (C)**	**(1,31,939)**	**3,38,967**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि		**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**2,24,217**	**(1,48,830)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	1,20,41,282	1,21,90,112
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the end of the year	1,22,65,499	1,20,41,282

टिप्पणी: / **Notes:**

1 नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल हैं.

1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

				31 मार्च 2022 को **As on 31st March 2022**	31 मार्च 2021 को As on 31st March 2021
2	नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2	Components of Cash & Cash Equivalents		
	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि		Cash & Balance with RBI	55,18,440	38,84,104
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	67,47,059	81,57,178
	कुल		**Total**	**1,22,65,499**	1,20,41,282

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी नोट का समावेश है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 18 अंचल कार्यालयों, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2814 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों को शामिल करते हुए) और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 31 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है.

   तुलन-पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 5628 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों को शामिल करते हुए) के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं. इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिम का 16.49% और कुल जमाराशियों का 36.51%, ब्याज आय का 13.87% और ब्याज व्यय का 37.82% शामिल है.

   हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (''**अधिनियम**'') के अनुरुप वांछित जानकारी देते हैं, जिससे कि वे बैंक स्तर पर और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के समनुरूप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) दिनांक 31 मार्च, 2022 के बैंक के तुलन पत्र के संबंध में सही और उचित दृष्टिकोण;

बी) संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते के मामले में लाभ संबंधी वास्तविक शेष; और

सी) संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के संबंध में सही और उचित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण.

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. उन लेखापरीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचरण संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं जो कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

विषय वस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

ए) अनुसूची 18 की नोट सं. सी-12 जिसमें नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के व्यवसाय परिचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के आकलन का वर्णन है.

बी) $ 1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की कुल राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में अनुसूची 18 की नोट सं. ए-13(एच). बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में $ 290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और $ 1163.53 करोड़ के अपरिशोधित शेष व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 अनुसार शामिल किया है.

सी) अनुसूची 18 की नोट सं. ए-4 (जी) जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित $ 87.02 करोड़ के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं.बी पी.बीसी.92121.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में अगली तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं.

डी) अनुसूची 18 की नोट सं. सी-16 बैंक के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन से संबंधित हैं. हमने दिनांक 13 मई, 2022 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है जिनमें 31 मार्च, 2022 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों सहित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं जिन्हें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है. बैंक के निदेशक मंडल ने अब लाभांश भुगतान में वृद्धि की सिफारिश की है और तद्नुसार स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों को उस सीमा तक संशोधित किया गया है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 31 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है. बाद की इन गतिविधियों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं केवल निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन तक ही सीमित हैं.

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं

जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है:

I. **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)**

बैंक के निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 60.81 प्रतिशत हैं, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है. ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, जिनके मामलों में अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है. बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है.

निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है. बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख- रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक.

भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई'') द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं.

व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है.

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्सरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को निर्धारित किया है.

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया. हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे:

ए) हमने अनर्जक आस्तियों, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई.

बी) हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की. हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है.

सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई.

डी) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान की जांच की गई.

ई) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया.

एफ) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया.

जी) हमने एनपीए की पहचान और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए सीबीएस में अंतर्निहित बिजनेस लॉजिक/ मानदंडों के संबंध में आईटी सिस्टम लेखापरीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर भी विश्वास किया है.

एच) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया.

II **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण**

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से लिंक अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्य करने पर या स्वतंत्र रूप से काम करने पर अत्यधिक निर्भर हैं.

हमारा ध्यान सिस्टम में फीड करने, माइग्रेट किए गए डेटा की सत्यता, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एक्सेस प्रबंधन और ड्यूटी के विभाजन के तर्क पर केन्द्रित रहा है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, स्पष्ट और निगरानी में हैं, ताकि सिस्टम सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी तैयार कर सके जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग में लायी जाती हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है. दैनिक आधार पर बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं अत्यंत व्यापक होती हैं तथा विविध एवं जटिल लेनदेन की प्रक्रिया संपादित करती हैं जो आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं. एक ऐसा जोखिम हो सकता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से

परिचालित नहीं किया गया हो. अतः इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है.

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी एप्लिकेशनों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है और टेस्ट परीक्षण के आधार पर सिस्टम से जनरेट की गई रिपोर्ट/ रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी सिस्टम की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पुष्टि, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं.

ए) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रित वातावरण और आईटी नीतियों को समझा.

बी) यूज़र एवं एप्लिकेशन नियंत्रण, चेंज मैनेजमेंट नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना.

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्णय लिया, वहां हम मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भर रहे जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य खोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूने के आकार को विस्तार दिया है.

डी) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां (एमओसी) पर भरोसा किया गया.

ई) बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा जहां कहीं भी उपलब्ध कराया गया है.

III **निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)**

इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं.

निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 24.71 % है. ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूप अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं.

गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है.

तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही.

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है.

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक संकेन्द्रण की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है.

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएं

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है.

ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है -

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है ;

बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है. नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

सी) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है.

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है;

ई) हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

IV. **कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):**

बैंक ने उक्त के पेटे दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न

न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं. प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी.

लेखा परीक्षक की प्रतिक्रियाएं

मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है.

बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है. इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है.

सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है.

डी) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चयनित किए गए मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है.

ई) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है.

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है.

जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है.

5. **अन्य मामले**

ए) हमने 2814 घरेलू शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों को शामिल करते हुए) और 31 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹4,85,112.22 करोड़ की कुल आस्तियां और ₹ 24,680.37 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में निर्धारित किया गया है. ये शाखाएं और प्रोसेसिंग केंद्र 31 मार्च 2022 तक कुल अग्रिमों का 46.84%, कुल जमा का 58.85% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 52.08% तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 31.23% कवर करते हैं. इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है.

बी) वित्तीय विवरणों में संशोधन के संबंध में अनुसूची 18 की नोट सं. सी-16 के अनुसरण में, यह रिपोर्ट 13 मई, 2022 को जारी हमारी पिछली रिपोर्ट के बदले में जारी की गई है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर अन्य जानकारियां और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बेसेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देंगे.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है.

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी. इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है.

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन स्टैंडअलोन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं. इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डो की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा बैंक को लिक़्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो. बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जवाबदेह है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य इस आशय का पर्याप्त भरोसा प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है, उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

   लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं. हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर अधिक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके.

   हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियां सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं.

   हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है.

   गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं.

10. उपर्युक्त पैरा 5 और 6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं

के अधीन भी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप धारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

11. **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:**

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के अनुसार हैं;

सी) बैंकिंग विनियमनन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है.

12. ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व'' भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

ए) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है;

बी) बैंक के वित्तीय लेनदेन या मामले जो बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर हमारी कोई टिप्पणी या राय नहीं है.

सी) 31 मार्च, 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है.

डी) खातों के रख-रखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ई) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है. हमारी रिपोर्ट में यथा 31 मार्च, 2022 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त किया गया है.

कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 22074392AKACFQ5377

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000112N

(अशोक कमार जैन)
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआईएन:22090563AKACXA9321

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000590C

(ओ. पी. व्यास)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 22014081AKACXO8312

कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C

(मनोज राठी)
साझेदार
एम नं.: 411460
यूडीआईएन: 22411460AKAFAU9548

कृते जे काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(जयेश काला)
साझेदार
एम नं.: 101686
यूडीआईएन: 22101686AKAFOC7906

दिनांक: 31 मई, 2022

स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैराग्राफ 12 ई मे संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र सं डीओएस.एआर जी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) (''आरबीआई का पत्र'') के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट.

हमने **बैंक ऑफ बड़ौदा** (बैंक) के दिनांक 31 मार्च, 2022 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है जोकि वर्ष की समाप्ति के लिए उस तारीख को बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के अनुक्रम में है, जिनमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल हैं.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडोंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमनन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है.

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जोकि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो.

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण इसमें भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है. साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गंभीरता कमजोर हो सकती हैं.

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टो पर विचार के आधार पर, बैंक के

पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार परड प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं.

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट में 2814 शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों को शामिल करते हुए) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नही है.

कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W

(**नीरज गोलस**)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 22074392AKACFQ5377

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000112N

(**अशोक कमार जैन**)
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआईएन:22090563AKACXA9321

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000590C

(**ओ. पी. व्यास**)
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 22014081AKACXO8312

कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096C

(**मनोज राठी**)
साझेदार
एम नं.: 411460
यूडीआईएन: 22411460AKAFAU9548

कृते जे काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(**जयेश काला**)
साझेदार
एम नं.: 411460
यूडीआईएन: 22101686AKAFOC7906

दिनांक: 31 मई, 2022

स्थान: मुंबई

Independent Auditor's Report

To

The Members of Bank of Baroda

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Bank of Baroda** (the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of the Head office, 18 Zonal office, 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 2814 domestic branches (including other accounting units and Centralized Processing Centres) audited by the respective Statutory Branch Auditors and 31 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (**'RBI'**).

Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 5628 domestic branches (including other accounting units) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 16.49% of advances, 36.51% of deposits, 13.87% of interest income and 37.82% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (**the "Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

a) true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2022;

b) true balance of Profit in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows in case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibility under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the appliable Accounting Standard , and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to the following:

a) Note no. C-12 of Schedule 18 which describes the uncertainties due to outbreak of novel corona virus (COVID 19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the Bank.

b) Note No. A-13 (h) of Schedule 18 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense of ₹ 1163.53 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

c) Note No. A-4 (g) of Schedule 18 relating to deferment of provision of ₹ 87.02 Crores pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2022 and to be charged to the Profit & Loss Account in the subsequent quarters, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92121.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

d) Note No. C-16 of Schedule 18 regarding amendments in Standalone Financial Statements pursuant to the decision taken by the Board of Directors of the Bank. We had issued our audit report dated May 13, 2022 on the Standalone Financial Statements which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022, and Notes to Standalone

Financial Statements including Significant Accounting Policies and the other explanatory information, approved by the Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 13, 2022. The Board of Directors have now recommended an enhancement in the dividend pay-out and accordingly the Standalone Financials Statements have been amended to that extent and approved by the Board in their meeting held on May 31, 2022. Our audit procedures in relation to the subsequent events are restricted solely to the amendments in the Standalone Financial Statements pursuant to the Decision of the Board of Directors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

I. **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)**

The net advances of the Bank constitutes of 60.81 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norm in respect of the top 20 branches allotted to us. We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank;

d) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

e) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

f) Evaluated the effectiveness of automated IT based

system of asset classification implemented by the Bank during the year in accordance with the directives of RBI.

g) We have also relied on the reports of IT System Audit experts with respect to the business logics / parameters inbuilt in CBS for identification of NPAs and provisioning in respect thereof.

h) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period.

b) Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial Statements)

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 24.71 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample;

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2022 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision;

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

IV. **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17 to the financial statements):**

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the financial Statements/financial information of 2814 domestic branches (including other accounting units and Centralized Processing Centres) and 31 foreign branches whose financial statements reflects total Assets of ₹ 4,85,112.22 Crores and total revenue of ₹ 24,680.37 Crores for

the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centres cover 46.84% of total advances, 58.85% of total deposits and 52.08% of Non-Performing assets as at 31st March 2022 and 31.23% of revenue for the year ended on 31st March 2022. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

b) Pursuant to Note No. C-16 of Schedule 18 regarding amendments in financial statements, this report supersedes our earlier report issued on May 13, 2022.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the

economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5 to 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet and Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited

by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act 2013.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in **Annexure 'A'** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at March 31,2022.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 22074392AKACFQ5377

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563
UDIN: 22090563AKACXA9321

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(O. P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 22014081AKACXO8312

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Manoj Rathi)
Partner
M. No.: 411460
UDIN: 22411460AKAFAU9548

For J. Kala & Associates
Chartered Accountants
FRN: 118769W

(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686
UDIN: 22101686AKAFOC7906

Date: May 31, 2022

Place : Mumbai

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)

Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Bank of Baroda** (the "Bank") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements , assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements .

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls

with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements , including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2022, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 2814 branches (including other accounting units and Centralized Processing Centers) is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 22074392AKACFQ5377

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563
UDIN: 22090563AKACXA9321

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(O. P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 22014081AKACXO8312

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Manoj Rathi)
Partner
M. No.: 411460
UDIN: 22411460AKAFAU9548

For J. Kala & Associates
Chartered Accountants
FRN: 118769W

(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686
UDIN: 22101686AKAFOC7906

Date: May 31, 2022

Place : Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों पर परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं.

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2022 contain unmodified opinion.

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

दिनांक: 31.05.2022
Date: 31.05.2022
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण-स्टैन्डअलोन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते है:

ए. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया हैं.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. अवधि के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो.

इयान डिसूजा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 31.05.2022
स्थान: मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2022 Standalone

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements for the quarter/ full year ended 31st March 2022 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Date : 31.05.2022
Place : Mumbai

दिनांक 31 मार्च, 2022 की समेकित तुलन पत्र
Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2022

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
पूंजी एवं देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**1035,53,36**	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**90832,55,05**	81354,04,59
माइनोरिटी इंटरेस्ट	Minority Interest	2A	**757,78,01**	436,19,61
जमा	Deposits	3	**1075804,43,93**	995909,80,98
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**109526,10,78**	71263,33,79
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**62180,67,62**	52676,86,39
कुल	TOTAL		**1340137,08,75**	1202675,78,72
आस्तियां	**ASSETS**			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**56774,94,08**	40153,71,55
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**73453,65,54**	88507,40,92
निवेश	Investments	8	**347587,09,61**	281859,00,14
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	**797280,93,73**	723242,25,28
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**10188,06,32**	8216,93,66
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**53941,61,57**	60472,56,41
समेकन पर सुनाम	Goodwill on Consolidation		**910,77,90**	223,90,76
कुल	TOTAL		**1340137,08,75**	1202675,78,72
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**405792,13,45**	400673,85,73
वसूली हेतु बिल	Bills for Collection		**64912,50,72**	65370,43,76
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Ian Desouza
Chief Financial Officer

G. Ramesh
General Manager
Corporate Accounts & Taxation

Subrat Swain
Dy. General Manager
Corporate Accounts & Taxation

As per our Report of even date attatched.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(O.P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Manoj Rathi)
Partner
M. No.: 411460

For J. Kala & Associates
Chartered Accountants
FRN: 118769W

(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686

Place: Mumbai
Date: May 31, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2022

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2021
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**73385,45,60**	74313,97,84
अन्य आय	Other Income	14	**14394,73,12**	15253,64,85
कुल	TOTAL		**87780,18,72**	89567,62,69
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
अर्जित ब्याज	Interest Expended	15	**38815,47,31**	43201,17,98
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**24838,79,23**	23117,46,98
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		**16425,69,10**	21795,08,07
कुल	TOTAL		**80079,95,64**	88113,73,03
माइनोरिटी इंटरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ एवं सहयोगियों से आय का हिस्सा	**Consolidated Profit before Minorities' Interest and share of earning in Associates**		**7700,23,08**	1453,89,66
सहयोगियों से आय का हिस्सा	Share of earnings in Associates	17	**232,75,12**	166,40,00
माइनोरिटी इंटरेस्ट में कटौती के पश्चात वर्ष के लिए समेकित लाभ	**Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities' interest**		**7932,98,20**	1620,29,66
घटाएं: माइनोरिटी इंटरेस्ट	Less : Minorities' Interest		**83,28,96**	72,63,09
समूह हेतु स्त्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ	**Consolidated Profit for the year attributable to the group**		**7849,69,24**	1547,66,57
आगे लायी गई लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		**(9650,81,24)**	(10057,43,04)
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	**Amount available for appropriation**		**(1801,12,00)**	(8509,76,47)
III. विनियोजन	III. Appropriations			
शेयर प्रीमियम से अंतरण	Transfer from Share Premium		**(11048,44,21)**	-
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**1831,19,24**	238,54,42
पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**512,46,60**	676,89,87
धारा 36 (1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		**250,00,00**	287,48,64
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		**1024,61,96**	(61,88,16)
निवेश में उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		**2368,42,17**	-
निवेश प्रारक्षित खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		**-**	-
प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend		**1473,83,83**	-
समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		**1786,78,41**	(9650,81,24)
कुल	TOTAL		**(1801,12,00)**	(8509,76,47)
प्रति शेयर मूल आय (₹)	**Basic Earnings per Share (₹)**		**15.18**	3.32
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)	**Diluted Earnings per Share (₹)**		**15.18**	3.32
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखा संबंधी नोट	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक

इयान डिसूजा
मुख्य वित्त अधिकारी

जी. रमेश
महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

सुब्रत स्वाइन
उप महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट खाते एवं कराधान

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स	**कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**	**कृते व्यास एण्ड व्यास**	**कृते दस्साणी एण्ड एसोसिएट्स**	**कृते जे. काला एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207W	एफआरएन : 000112N	एफआरएन : 000590C	एफआरएन : 009096C	एफआरएन : 118769W
(नीरज गोलस)	**(अशोक कुमार जैन)**	**(ओ.पी. व्यास)**	**(मनोज राठी)**	**(जयेश काला)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
एम. नं. : 074392	एम. नं. : 090563	एम. नं. : 014081	एम. नं. : 411460	एम. नं. : 101686

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31 मई, 2022

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
अनुसूची - 1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत -पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
(प्रति ₹ 2/- के 1,500,00,00,000 शेयर) (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर)	1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2 के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	**1037,00,59**	1037,00,59
मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं. (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ की राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)	**1034,27,24**	1034,27,24
जोड़े: **जब्त किए गए शेयर** 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500) इक्विटी शेयर	Add: **Forfeited Shares** 136,67,500 (P.Y. 136,67,500) equity shares	**1,26,12**	1,26,12
कुल	**TOTAL**	**1035,53,36**	1035,53,36

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
अनुसूची - 2 **प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष**	**SCHEDULE - 2** **RESERVES & SURPLUS**				
I **सांविधिक आरक्षित निधियां**	I **Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**13647,98,24**		13412,95,02	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**1831,19,24**		238,54,42	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**9,16,16**	**15488,33,64**	(3,51,20)	13647,98,24
II ए) प्रारक्षित पूंजी (₹ 7115.32 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित आरक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 5206.47 करोड़)	II a) Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹7115.32 crore (previous periods ₹ 5206.47 crore)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**12730,95,25**		12915,49,97	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**512,46,60**		676,89,87	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**1908,48,77**	**15151,90,62**	(861,44,59)	12730,95,25

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
बी समेकन पश्चात आरक्षित पूंजी	b) Capital Reserve on Consolidation				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	(31,77,93)		45,91,47	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	103,44,03	71,66,10	(77,69,40)	(31,77,93)
III शेयर प्रीमियम	**III Share Premium**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	42608,89,20		38221,15,16	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	(11177,93,98)	31430,95,22	4387,74,04	42608,89,20
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	**IV Revenue & Other Reserves**				
ए धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	6419,18,84		6131,70,20	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the period	250,00,00	6669,18,84	287,48,64	6419,18,84
बी रूपांतरित प्रारक्षित निधियां	b) Translation Reserve		3743,09,81		3404,45,10
सी निवेश प्रारक्षित लेखा	c) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-		-	
लाभ/हानि विनियोग खाते से अंतरित	Transferred from P&L Appropriation A/c	-	-	-	-
डी निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	d) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,57,83		21,57,83	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	2368,42,17	2390,00,00	-	21,57,83
ई राजस्व प्रारक्षित निधि	e) Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	12203,59,30		11118,61,17	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	1024,61,96		(61,88,16)	
जोड़े: अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the period	872,41,15	14100,62,41	1146,86,29	12203,59,30
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	V Balance in Profit & Loss Account		1786,78,41		(9650,81,24)
कुल प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष (I से V)	**Total Reserves & Surplus (I to V)**		90832,55,05		81354,04,59

अनुसूची - 2 ए माइनोरिटी इंटरेस्ट	**SCHEDULE - 2A MINORITY INTEREST**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	436,19,61		386,17,46	
जोड़े /(घटाएं): अवधि के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	321,58,40	757,78,01	50,02,15	436,19,61
कुल माइनोरिटी इंटरेस्ट	Total Minority Interest		757,78,01		436,19,61

अनुसूची - 3 जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**				
ए. I मांग जमाराशियां	**A. I Demand Deposits**				
i) बैंकों से	i) From Banks	3379,63,28		2465,25,80	
ii) अन्य से	ii) From Others	87690,41,64	91070,04,92	78119,11,65	80584,37,45
II बचत बैंक जमाराशियां	**II Savings Bank Deposits**		351551,48,96		315820,81,87

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	**59737,36,35**		48655,26,14	
ii) अन्य से	ii) From Others	**573445,53,70**	**633182,90,05**	550849,35,52	599504,61,66
कुल (I,II से III)	TOTAL (I, II & III)		**1075804,43,93**		995909,80,98
बी I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	**934233,52,23**		865327,58,75	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	**141570,91,70**		130582,22,23	
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	**1075804,43,93**		995909,80,98	

अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां / SCHEDULE - 4 BORROWINGS

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022		31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021	
I भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**-**		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	**5984,64,11**		14243,53,13	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	**72610,72,10**		27301,83,06	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**11231,00,00**		10807,00,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	**12172,52,25**	**101998,88,46**	11924,55,52	64276,91,71
II भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	II Borrowings outside India		**7527,22,32**		6986,42,08
कुल (I और II)	Total - (I & II)		**109526,10,78**		71263,33,79
उपरोक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार ली गयी राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		**64435,57,11**		7725,47,91

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	31 मार्च 2021 को As at 31st March 2021
I देय बिल	I Bills Payable	**4040,96,05**	2701,82,93
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	**4465,91,30**	4474,97,20
III अंतर कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments	**1681,09,80**	150,25,90
IV आस्थगित कर देयता	IV Deferred Tax Liabilities	**16,08,67**	8,55,96
V मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances	**7050,35,35**	9687,93,89
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)	**44926,26,46**	35653,30,51
कुल (I से VI)	Total (I to VI)	**62180,67,62**	52676,86,39

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022		31 मार्च, 2021 तक As at 31st March 2021	
अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**				
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		**4566,23,03**		4315,44,93
II भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्रीय बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	**51638,85,73**		35374,49,48	
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Account	**569,85,32**	**52208,71,05**	463,77,14	35838,26,62
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**		**56774,94,08**		40153,71,55
अनुसूची - 7 बैंक में शेष राशि और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**				
I भारत में	**I In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खाते में	a) in Current Accounts	**284,19,11**		121,75,84	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**7145,91,49**	**7430,10,60**	6179,14,83	6300,90,67
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice				
ए) बैंकों के पास	a) with Banks	**16000,00,00**		7285,00,00	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) with Other institutions	**131,90,00**	**16131,90,00**	141,70,36	7426,70,36
कुल (i और ii)	**TOTAL (i and ii)**		**23562,00,60**		13727,61,03
II भारत से बाहर	**II Outside India**				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	**31845,16,75**		35357,60,18	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**5713,03,20**		25035,81,32	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	**12333,44,99**		14386,38,39	
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**49891,64,94**		74779,79,89
कुल (I और II)	**TOTAL (I and II)**		**73453,65,54**		88507,40,92
अनुसूची - 8 निवेश	**SCHEDULE - 8 INVESTMENTS**				
I भारत में निम्न में निवेश	**I Investments in India in**				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	**279940,77,03**		230674,78,51	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	**8823,36,29**		3515,92,30	
iii) शेयर	iii) Shares	**6182,63,55**		4211,70,78	
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	iv) Debentures and Bonds	**22886,31,01**		18789,37,13	
v) सहयोगियों में निवेश	v) Investment in Associates	**1452,65,36**		1248,30,17	
vi) अन्य	vi) Others	**2323,88,69**		1445,87,59	
कुल (i से vi)	**Total (i to vi)**		**321609,61,93**		259885,96,48

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022		31 मार्च, 2021 तक As at 31st March 2021	
II भारत के बाहर निम्न में निवेश	**II Investments Outside India in**				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	**16220,57,58**		13625,81,65	
ii) सहयोगियों में निवेश	ii) Investment in Associates	**120,25,22**		78,20,74	
iii) अन्य	iii) Others	**9636,64,88**		8269,01,27	
कुल (i से iii)	**Total (i to iii)**		**25977,47,68**		21973,03,66
कुल (I और II)	**Grand Total (I & II)**		**347587,09,61**		281859,00,14
III भारत में निवेश	**III Investments in India**				
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	**325605,15,96**		263335,17,60	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**3995,54,03**		3449,21,13	
भारत में निवल निवेश	**Net Investments in India**	**321609,61,93**		259885,96,47	
IV भारत के बाहर निवेश	**IV Investments outside India**				
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	**27047,48,98**		22212,83,59	
मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**1070,01,30**		239,79,92	
बाहरी निवल निवेश	**Net Investments outside**	**25977,47,68**	**347587,09,61**	21973,03,67	281859,00,14

अनुसूची - 9 अग्रिम
SCHEDULE - 9 ADVANCES

		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022		31 मार्च, 2021 तक As at 31st March 2021	
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		**23126,06,78**		21714,26,82
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		**305164,95,20**		289363,08,76
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		**468989,91,75**		412164,89,70
कुल ए (i से iii)	**Total (i to iii)**		**797280,93,73**		723242,25,28
बी i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत	B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	**591849,38,82**		567483,81,47	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**69114,41,74**		61726,12,93	
iii) गैर जमानती	iii) Unsecured	**136317,13,17**		94032,30,88	
कुल बी (i से iii)	**Total (i to iii)**		**797280,93,73**		723242,25,28

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022		31 मार्च, 2021 तक As at 31st March 2021	
सी. I	भारत में अग्रिम	C. I	Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र		i. Priority Sector	232728,91,56		221545,17,89	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र		ii. Public Sector	119119,00,00		99541,72,79	
	iii) बैंक		iii. Banks	2271,06,47		1499,20,38	
	iv) अन्य		iv. Others	308600,97,90	662719,95,93	290366,12,69	612952,23,75
II	भारत से बाहर अग्रिम	II	Advances Outside India				
i	बैंकों से देय	i	Due from Banks	34947,25,47		27887,94,53	
ii	अन्य से देय	ii	Due from Others				
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		a) Bills Purchased & Discounted	3669,27,30		2639,56,87	
	बी) सिंडीकेट ऋण		b) Syndicated Loans	58592,12,27		39824,56,96	
	सी) अन्य		c) Others	37352,32,76	134560,97,80	39937,93,17	110290,01,53
	कुल (सी.I + सी.II)		TOTAL (C.I +C.II)		797280,93,73		723242,25,28

अनुसूची - 10 अचल आस्तियां
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS

				31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022		31 मार्च, 2021 तक As at 31st March 2021	
I	**परिसर**	I	**Premises**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding year	10190,75,20		10283,34,41	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the year	2244,37,18		39,14,36	
				12435,12,38		10322,48,77	
	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)		Deductions/adjustments during the year (Includes revalued amount)	44,28,89		131,73,57	
				12390,83,49		10190,75,20	
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास		Depreciation to date	5778,12,58	6612,70,91	5028,31,65	5162,43,56
	निर्माणाधीन परिसर	I A	Premises under construction		130,79,66		132,65,70
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)**	II	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding period	8698,80,05		8214,80,21	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the period	922,16,40		2622,68,32	
				9620,96,46		10837,48,53	
	अवधि के दौरान कटौतियां		Deductions during the year	210,33,24		2138,68,47	
				9410,63,21		8698,80,05	
	आज की तारीख में मूल्यह्रास		Depreciation to date	7736,07,90	1674,55,31	7106,75,57	1592,04,49
II ए	**पट्टे पर दी गई आस्तियां**	II A	**Leased Assets**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding period	1523,31,21		1802,22,30	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the period	-		17,95	
				1523,31,21		1802,40,25	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च, 2022 तक As at 31st March 2022		31 मार्च, 2021 तक As at 31st March 2021	
वर्ष के दौरान प्रावधान सहित कटौतियां	Deductions during the year incl. Provisions	(487,45,05)		279,09,04	
		2010,76,26		1523,31,21	
आज की तारीख में मूल्यह्रास	Depreciation to date	241,32,24	1769,44,02	195,87,20	1327,44,01
कुल (I, IA, II और IIA)	**TOTAL (I, IA, II AND IIA)**		10187,49,90		8214,57,76
III - पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (पट्टे पर आस्तियों सहित) प्रावधानों के निवल	III - Capital-Work-in progress (Including Leased Assets) net of Provisions		56,42		2,35,90
कुल(I, IA, II, IIA और III)	**TOTAL (I, IA, II,IIA AND III)**		10188,06,32		8216,93,66
अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS**				
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		9668,92,15		7619,75,70
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)		7545,66,33		8845,85,84
III लेखन सामग्री एवं स्टांप	III Stationery and Stamps		8,45,34		8,24,74
IV दावों की संतुष्टि पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	IV Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
V आस्थगित कर आस्तियां	V Deferred Tax assets		9408,29,59		10254,94,08
VI अन्य	VI Others		27310,28,16		33743,76,05
कुल (I से VI)	**TOTAL (I to VI)**		53941,61,57		60472,56,41
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**				
I दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		22099,25,62		20803,26,49
II आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		15,28,00		20,50,98
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		169213,20,76		206522,30,45
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
ए) भारत में	a) In India	44087,96,62		44589,10,25	
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	7704,40,89	51792,37,51	7424,45,85	52013,56,10
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		29524,30,80		26667,17,75
VI आकस्मिक देयताएं की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		133147,70,76		94647,03,96
कुल (I से VI)	**TOTAL (I to VI)**		405792,13,45		400673,85,73

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च, 2022 को For the Year Ended 31st March 2022	31 मार्च, 2021 को For the Year Ended 31st March 2021
अनुसूची 13 अर्जित ब्याज और लाभांश		**SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**			
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज	I	Interest/Discount on Advances/ Bills	**50750,66,44**	51427,21,58
II	निवेशों पर आय	II	Income on Investments	**19536,06,91**	19275,38,05
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	**1138,28,54**	1693,30,41
IV	अन्य	IV	Others	**1960,43,71**	1918,07,80
	कुल (I से IV)		**TOTAL (I to IV)**	**73385,45,60**	74313,97,84

				2022	31 मार्च, 2022 को For the Year Ended 31st March 2022	2021	31 मार्च, 2021 को For the Year Ended 31st March 2021
अनुसूची 14 अन्य आय		**SCHEDULE - 14 OTHER INCOME**					
I	कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I	Commission, Exchange and Brokerage		**2897,15,51**		2621,50,40
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	**3246,95,27**		3499,30,38	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	**191,31,53**	**3055,63,74**	83,04,18	3416,26,20
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III	Profit on Revaluation of Investments	**(8,92,32)**		566,45,00	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		Less: Loss on revaluation of Investments	**1036,20,43**	**(1045,12,75)**	-	566,45,00
IV	भूमि, इमारतों, और अन्य आस्तियों के बिक्रय पर लाभ	IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**8,90,68**		386,30,85	
	घटाएं: भूमि, इमारतों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**4,67,23**	**4,23,45**	115,05,65	271,25,20
V	विनिमय लेनदेन पर लाभ	V	Profit on Exchange Transactions	**1187,66,69**		1078,07,90	
	घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	**1,75,57**	**1185,91,12**	70	1078,07,20
VI	अर्जित ब्याज	VI	Premium earned		**2193,49,03**		1716,41,39
VII	ए) लीज वित्तपोषण आय	VII	a) Lease Finance Income	**-**		-	
	बी) लीज प्रबंधन शुल्क		b) Lease Management Fee	**-**		-	
	सी) अतिदेय प्रभार		c) Overdue Charges	**-**		-	
	डी) लीज किराए प्राप्तियों पर ब्याज		d) Interest on lease rent receivables	**92,60**	**92,60**	-	-
VIII	विविध आय#	VIII	Miscellaneous Income#		**6102,50,42**		5583,69,46
	कुल (I से VIII)		**TOTAL (I to VIII)**		**14394,73,12**		15253,64,85

\# विविध आय में बट्टे खातों में की गई वसूली ₹ 2510.13 करोड़ में शामिल है. (पिछले वर्ष ₹ 2985.63 करोड़)
\# Miscellaneous income includes Recoveries made in write-off accounts ₹ 2510.13 crs (Previous year ₹ 2985.63 crs)

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च, 2022 को For the Year Ended 31st March 2022		31 मार्च, 2021 को For the Year Ended 31st March 2021
अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED**					
I जमाराशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits			**34413,94,88**		38702,28,87
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings			**1738,95,99**		1840,01,25
III अन्य	III Others			**2662,56,44**		2658,87,86
अन्य (I से III)	TOTAL (I to III)			**38815,47,31**		43201,17,98
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय	**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**					
I कर्मचारियों को भुगतान व तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees			**12643,83,09**		11993,37,70
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting			**1552,61,59**		1584,79,27
III प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery			**129,37,17**		133,50,60
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity			**314,31,66**		166,54,53
V ए) लीज की गई आस्तियों को छोड़कर बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets		**1400,48,61**		1321,92,04	
बी) लीज की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास	b) Depreciation on Leased Assets		**37,75,40**	**1438,24,01**	35,38,46	1357,30,50
VI निदेशकों की फीस एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses			**5,62,34**		4,27,63
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)			**90,62,94**		81,76,41
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges			**203,47,11**		174,64,37
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.			**151,20,13**		210,16,42
X मरम्मत एवं रखरखाव	X Repairs and Maintenance			**1012,31,94**		1125,89,69
XI बीमा	XI Insurance			**1400,36,80**		1374,25,21
XII सुनाम का परिशोधन	XII Amortisation of Goodwill			**-**		-
XIII अन्य खर्च	XIII Other Expenditure			**5896,80,45**		4910,94,65
कुल (I से XIII)	TOTAL (I to XIII)			**24838,79,23**		23117,46,98
अनुसूची - 17 सहयोगियों से अर्जित आय का हिस्सा	**SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES**					
I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	I RRB's			**207,92,29**		152,07,00
II अन्य	II Others			**24,82,83**		14,33,00
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)			**232,75,12**		166,40,00

अनुसूची 18 - 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **तैयारी का आधार**

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं. ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है.

i. समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिन्हें एक साथ (''समूह''), संयुक्त उद्यम और सहयोगी के रूप में और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संदर्भित किया गया है. समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

ए. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

बी. मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ अनुषंगियों की आस्ति/देयता/ आय/ व्यय की प्रत्येक मद के क्रमवार समेकन और सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह शेष / लेन- देन, अप्राप्त लाभ/ हानि को घटाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार असमान लेखांकन नीतियों हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक समायोजन करने के बाद.

सी. संयुक्त उद्यमों का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में वित्तीय हितों की रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'.

डी. आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी प्रक्रिया' के अंतर्गत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन.

ii. अनुषंगी संस्थाओं में अपने निवेश पर समूह की लागत और अनुषंगियों की शेयर पूंजी एवं प्रीमियम में समूह के हिस्से के बीच अंतर की गणना वित्तीय विवरणों में साख / पूंजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में की गई है. विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (जेवी) के मामले में ऐसे अंतर को विनिमय प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है.

iii. समेकित अनुषंगियों की निवल अस्तियों में माइनॉरिटी ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. अनुषंगी में निवेश की तारीख को माइनॉरिटी के लिए आरोप्य इक्विटी की राशि, और

बी. मूल - अनुषंगी के बीच संबंधों की शुरूआत की तारीख से राजस्व प्रारक्षित निधियों/ हानि (इक्विटी) में संचलन का कुछ भाग

2. **आकलनों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय में प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/ संशोधन वर्तमान और भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. **निवेश :**

ए) बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/81डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार किया गया है.

3.1 **वर्गीकरण**

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

i. ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं.

ii. ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री हेतु रखी गई हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

iii. बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ("निवेश") में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉन्ड एवं डिबेंचर (ई) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकटीकृत के रुप में वर्गीकृत किया गया है.

बी) अधिग्रहण की लागत

निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज जैसे लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकन अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. एएफएस/ एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण निम्नतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया गया है. एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर रखे गए निवेशों को एएफएस / एचएफटी श्रेणी में अर्जन मूल्य पर अंतरित किया गया है और एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखे निवेशों को एएफएस / एचएफटी में परिशोधित लागत पर अंतरित किया गया है.

एएफएस से एचएफटी में या एचएफटी से एएफएस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. इस तरह के निवेशों पर लागू किसी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित किया जाता है.

इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए पूर्णत: प्रावधान किया गया है.

3.2 **मूल्यांकन**

'परिपक्वता तक धारित' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्कता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधीकरण संबंधी खर्च को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर. नं. बीपी.बीसी.6/21 .04.141 /2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार ब्याज आय से घटाया गया है.

'परिपक्वता तक धारित' के रुप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/ बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है.)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए पास थ्रू सर्टिफिकेटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है.

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

दिनांक 23.08.2006 के पश्चात बैंक द्वारा वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) की इकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित के तहत, श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात इन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किया जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी का प्रयोग कर मूल्यांकित किए गए हैं. यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹1/- प्रति वीसीएफ.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं. अनुसूची 8 ("निवेश") में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो, उसे लाभ-हानि खाते में अंकित किया गया है. पहले प्रदान किए गए मूल्यह्रास की सीमा को छोड़कर, निवल विनियोजन, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है. अलग- अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के कारण नहीं बदलता है.

पुर्नसंरचित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. इन निवेशों के मूल्यों में किसी तरह की कमी को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इसी श्रेणी के तहत अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के सापेक्ष निर्धारित नहीं किया जाएगा. पुर्नसंरचित योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटी शेयर पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, ऐसे लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के निवेशों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचन कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्यों की गणना करेगा. 01 अप्रैल, 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, के मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान पुनर्संरचना कंपनी (आरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगा या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार किया जाता है.

बैंक के पोर्टफोलियो में श्रेणी I और II एआईएफ के कोटेड इक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों को वरीयत: दैनिक आधार पर किन्तु कम से कम साप्ताहिक आधार पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए.

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है. हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र /वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों के मूल्य 1 रुपये प्रति श्रेणी I और II एआईएफ हैं.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. अल्प बिक्री की स्थिति सिक्योरिटीज शॉर्ट सेल्ड (एसएसएस) खाते में जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए खोला गया है,परिलक्षित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार मार्क्ड टू मार्केट और हानि, यदि कोई हो, उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जब कि लाभ यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

"व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के कोटेड निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर बाज़ार दरों हेतु फाईनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

बोनस पात्रता को 'एक्स-बोनस तारीख' पर निवेश माना जाता है. राइट पात्रता को 'एक्स-राइट डेट' पर निवेश माना जाता है. निवेश पर किसी भी प्रकार की अग्रिम छूट को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है.

तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी के अलावा, को राजस्व / लाभ एवं हानि खाते में व्यय माना जाता है.

प्रदत/ प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / कोटेड दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडो के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए	सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर.
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवंट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार की गई वह मूल्यांकन की तारीख से पहले के 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि', यदि कोई हो पर विचार किए बिना) अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर और पास थ्रू सर्टिफिकेट (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	फंड द्वारा प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित नवीनतम पुर्नखरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान और उसके ऊपर मूल्यह्रास/ प्रावधान किया जाता है. मूल्यह्रास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व, बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त रूप से प्रावधान सृजित करते हैं. इस तरह के अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता. अनर्जक निवेशों पर ब्याज को लाभ और हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है.

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक सख्त हों, वे लागू होंगे. उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे.

जीवन बीमा व्यवसाय:

बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 तथा इस संदर्भ में समय- समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं और उनका लेखांकन किया जाता है.

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टांप ड्यूटी, कर आदि, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन खरीद पर उपचित पूर्व-अधिग्रहण ब्याज (अर्थात् पिछली कूपन तारीख से लेनदेन निपटान की तारीख तक), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है.

/ क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/ बिक्री मूल्य की लागत में शामिल नहीं किया जाता है.

ए. **पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश की कर्ज प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर - 1 बॉन्ड (एटी 1 बॉन्ड):**

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश के तहत धारित सभी कर्ज प्रतिभूतियां,जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां और मुद्रा बाजार लिखतें शामिल हैं, को "परिपक्वता तक धारित" माना जाता है तथा परिशोधन के अधीन हिस्टोरिकल लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है.

बी. छूट या प्रीमियम जो निश्चित आय प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों के खरीद मूल्य और मोचन राशि के बीच का जो अंतर है, उसे इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता में शेष अवधि पर राजस्व खाते या लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित और निर्धारित किया जाता है.

सी. पॉलिसीधारक की गैर-लिंक निधियों के तहत एटी 1 बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके किया जाता है.

डी. ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ या हानि, कंपनी की बही में निवल बिक्री प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच का अंतर है.

बी. **पॉलिसीधारकों की लिंक निधि की ऋण प्रतिभूतियां, मुद्राबाजार लिखत और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड (एटी 1 बॉन्ड):**

ए. पॉलिसीधारकों के लिंक निधियों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और एटी 1 बॉन्ड को मूल्यांकन यथालागू क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर/क्रिसिल गिल्ट मूल्यों, का उपयोग करके किया जाता है.

बी. नियत आय प्रतिभूतियों / मुद्रा बाजार लिखतों पर छूट या प्रीमियम जो खरीद मूल्य और शोधन राशि के बीच का अंतर होता है, को और इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता के लिए शेष अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर राजस्व खाते में परिशोधित और निर्धारित किया जाता है.

सी. सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि का लेखांकन राजस्व खाते में किया जाता है.

डी. लिंक कारोबार के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियों और लिंक कारोबार के साथ-साथ उससे इतर कारोबार के लिए एटी 1 बॉन्ड पर प्राप्त लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है.

सी. लिंक और गैर लिंक दोनों के लिए:

ए. तुलन-पत्र की तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्यों का उपयोग करके सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्किटी ईटीएफ का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है. यदि एनएसई पर इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का व्यापार नहीं होता है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है.

बी. असूचीबद्ध इक्किटी शेयर का उल्लेख हिस्टॉरिकल लागत पर किया जाता है. इन शेयरों के मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया जाता है कि यह ह्रास अस्थायी के अतिरिक्त है.

सी. प्राइमरी बाजारों के माध्यम से अधिगृहीत इक्विटी शेयर जिनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है उनका मूल्यांकन अपने निर्गम मूल्य पर किया जाता है.

डी. म्युचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. एआईएफ इकाइयों का मूल्यांकन संबंधित निधि के नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है.

ई. प्राप्त लाभ/हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है. लिंक निधि के मामले में, अप्राप्त लाभ/हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में उचित मूल्य परिवर्तन के रूप में निर्धारित किया जाता है. लिंक कारोबार से इतर कारोबार के लिए, सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और म्युचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/ हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और उसे तुलन-पत्र में भी शामिल किया जाता है.

एफ. कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या कॉल ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर यथा प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है. यदि कई कॉल ऑप्शन हैं तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त किए गए कम मूल्य पर किया जाता है.

जी. पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या पुट ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर यथा प्राप्त उच्च मूल्य पर किया जाता है. यदि कई पुट ऑप्शन है तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त किए गए कम मूल्य पर किया जाता है.

एच. एक ही दिन पुट और कॉल दोनों विकल्पों के साथ प्रतिभूतियों को पुट/ कॉल तारीख पर परिपक्व माना जाएगा और उनका मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा जारी मैट्रिक्स के आधार पर बेंचमार्क दर पर स्प्रेड का उपयोग करके परिपक्वता के आधार पर प्रतिफल पर किया जाएगा.

आई. 'रिवर्स रेपो' आधार पर खरीदे गए लिखतों का मूल्यांकन रिवर्स रेपो दर पर लागत और उपचित ब्याज पर किया जाता है.

जे. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले सभी निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

के. पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारकों की निधियों से पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेश का अंतरण मुद्रा बाजार लिखतों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित लागत/ बुक लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में बाजार मूल्य पर किया जाता है.

एल. लिंक निधि के मामले में पॉलिसीधारकों की निधियों से संबंधित ऋण प्रतिभूतियों का अंतर-निधि अंतरण मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है. इक्विटी, अधिमानी शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण नवीनतम ट्रेड के बाजार मूल्य पर बाजार के कार्य-अवधि के दौरान किया जाता है.

एम. गैर-लिंक पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच निवेश का कोई अंतरण नहीं किया जाता है.

एन. यूनिट लिंक निधियों के बीच इक्विटी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफ, InvIT और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की गणना, निवेश की खरीद या बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेश के अंतरण की तारीख पर किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसे अंतिम उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, निवेश के अंतरण को प्रचलित प्रतिफल पर लेखांकित किया जाता है.

ओ. यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो निवेशों की रख-रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान व्यय के रूप में की जाती है और इसे राजस्व/ लाभ या हानि खाते में 'निवेश' (निवल) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान शीर्ष के तहत पुनर्निर्धारित उचित मूल्य और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय केरूप में निर्धारित किसी पूर्व ह्रास हानि द्वारा घटाई गई अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक प्रकट किया जाता है. ह्रास हानि का कोई भी रिवर्सल जिसे पहले राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया था, को क्रमशः राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा.

पी. "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियम के अनुसार, सभी एनपीए से संबंधित बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. सभी आस्तियां जहां तुलन-पत्र की तारीख को ब्याज और/ या मूलधन चुकौती की किस्त 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

क्यू. InvIT के लिए, सभी ट्रेड किए गए InvIT का मूल्यांकन, मूल्यांकन दिवस पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन

मूल्य के आधार पर किया जाएगा. यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर एनएसई पर स्क्रिप का व्यापार नहीं होता है तो वह मूल्य जिस पर बीएसई पर इसका व्यापार हुआ, पर विचार किया जाएगा. यदि किसी भी एक्सचेंज पर इसका व्यापार नहीं होता है तो पिछले दिन के शुरुआती मूल्य पर एनएसई/बीएसई के समापन मूल्य का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा पिछला दिन, मूल्यांकन दिवस से पहले तीस दिन से अधिक न हो.

3.3 निवेशों का निस्तारण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है तथा "परिक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर लाभ के समतुल्य राशि को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है.

एएफएस/ एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुन: खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है (परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001 /2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपों) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमारडी.डीआईआर डी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहिता) रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है. रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है. लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है.

3.5 निवेश उतार- चढ़ाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं.आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.1 02/ 21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है.

आईएफआर में अंतरण (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है.

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं. बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है.

3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं. हेज के रूप में नामित डेरिवेटिव संविदा को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है, जब तक उनकी अंडरलाइन आस्तियों को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता है, जहां हेजिंग की अंडरलाइंग आस्तियों के मामले मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं हैं, हेजिंग लिखत की गणना उपचय के आधार पर की जानी है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्क्ड-टू-मार्केट है तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

बैंक एफईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है.

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) मुद्रा फ्यूचर्स का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

तुलन-पत्र की तिथि को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में. डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

4 अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में यथा उल्लिखित दर्शाये प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप किया जाता है.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वाद- दायर विविध जमाओं में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं.

4.3 सतत व्यवहार के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है-:

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान.
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया हैं प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित हैं.
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण.
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रतिभूत (संपार्श्विक) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक आस्ति हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.

4.4 पुनर्संरचित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया जाता है जहां बैंक को कुल बकाया रु. एक करोड़ और उससे अधिक है. अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 5% पर की जाती है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए. यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है.

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में किए गए प्रावधान को घटाकर) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले में कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा लेकिन अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा.

5 अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधान बनाने की एक पॉलिसी है. प्रति वर्ष किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का आकलन किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है.

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियां परंपरागत लागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यह्रास और ह्रास से नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर पर दर्शाई गई हैं. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने संबंधी लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपचित व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों से/ के भविष्य के लाभ/ कार्य क्षमता को बढ़ाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं.

6.2 <u>**अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन**</u>

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत हैं. पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है.

6.3 परिसर में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है.

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मदों को छोड़कर) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है. आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है. विदेशी कार्यालयों के मामले में, उस देश के जहां संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय/ व्यय का निर्धारण किया गया है.

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय एवं ब्रोकरेज तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर लेखांकित गया है. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर लेखांकित गया है.

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है.

8.4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एएस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रुप में

वर्गीकृत किया जाता है. इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एएस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ-हानि खाते में स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है.

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय-समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जन धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्नलिखित तरीके से विनियोजित होनी चाहिए:

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन की गई सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

वाद दायर/ डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

समझौता /एनसीएलटी समाधान के माध्यम से निपटान द्वारा वसूली:

एनसीएलटी के माध्यम से संकल्प/निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली को समझौता स्वीकृति /समाधान निपटान के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए.

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है.

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

मर्चेन्ट बैंकिंग:

राजस्व को गतिविधि की प्रकृति के आधार पर तब निर्धारित किया जाता है जबकि प्रतिफल की तर्कसंगत रूप से गणना की जा सके और इसकी वसूली के लिए पर्याप्त निश्चितता हो.

ए. निवेश बैंकिंग से होने वाली आय में संगठन की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और मूल्यांकन सेवाओं, पुनरीक्षण परियोजना मूल्यांकन, डेब्ट एवं इक्विटी निर्गम प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाओं, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और लीड अरेंजर सर्विसेज, ऋण समूहन, ऋण-पुनर्संरचना तथा संबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित हैं.

बी. ऐसे मामलों में राजस्व, कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुरूप असाइनमेंट के विभिन्न स्तरों के पूरा होने तथा इसकी वसूली की निश्चितता का आकलन होने पर जब कभी राशि देय होती है तो इसे उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

सी. ब्रोकिंग गतिविधियों से होने वाली आय में एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेड पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं. ब्रोकरेज की गणना स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रभार और लागू अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर / जीएसटी) को घटाकर केवल यथोचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचित आधार पर की गई है.

डी. धनसंपदा प्रबंधन में परामर्श एवं रिसर्च शुल्क से प्राप्त आय और म्यूचुअल फंड वितरण से प्राप्त आय शामिल हैं. म्यूचुअल फंड वितरण से होने वाली आय में म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पादों के वितरण पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं. ब्रोकरेज राशि में ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन दोनों शामिल हैं. इसे राशि के केवल यथोचित आधार पर निर्धारण योग्य होने के बाद ही उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

ई. मीयादी जमा से होने वाली आय, जो अल्पावधि के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में बैंक से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

एफ. कर-मुक्त बॉन्ड से होने वाली आय को, जो एक दीर्घावधि के लिए अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में ऐसे लिखतों को जारी करने वाली संस्थान से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

जी. लिक्विड म्युचुअल फंड से होने वाली आय का निर्धारण को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें निवेश का मोचन किया गया है और उसकी उगाही की गई है.

न्यासी परिचालन:

ए. म्युच्युअल फंड न्यासिता शुल्क संबंधित योजनाओं से साथ सहमत निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित की जाती है जो प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों पर लागू होती है और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप होती है.

बी. राजस्व का निर्धारण तब किया जाता है जब उसकी अंतिम उगाही/ संग्रहण की पूरी निश्चितता हो.

आस्ति प्रबंधन

ए. निवेश प्रबंधन शुल्क:

निवेश प्रबंधन शुल्क को बड़ौदा म्युचुअल फंड की योजनाओं (कंपनी द्वारा योजनाओं में किए गए निवेश को छोड़कर, इंट्रा- योजना निवेश और योजना की कुछ श्रेणियों के लिए सावधि जमा में निवेश की योजनाएं), की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर जीएसटी घटाकर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और किसी भी अन्य संशोधन (विनियम) अथवा संबन्धित योजनाओं के ऑफ़र दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक न हो.

बी. निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क :

निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क को काउंटर पक्षों के साथ करार की संबंधित शर्तों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है.

सी. अन्य आय

ब्याज आय को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है.

निवेश की खरीद और बिक्री को ट्रेड की तारीख पर रिकॉर्ड किया जाता है. निवेश पर लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरणों में ट्रेड की तारीख

पर निर्धारित किया जाता है. निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सामान्य औसत लागत प्रणाली से किया जाता है.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

ए. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा रूप से उल्लिखित न हो.

बी. शुल्क आय को तब लेखांकित किया जाता है जब इसे ग्राहक को प्रभारित (बिल) किया गया हो.

सी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में आय की उगाही की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय का लेखांकन केवल इनके प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है.

डी. बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से वसूली को ग्राहक से वास्तविक उगाही के आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

ई. निधियों के नियोजन पर आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

एफ. ऐसे उपचित आय जिन्हें वर्ष के अंत तक बिल नहीं किया गया है, उन्हें जीएसटी जैसे लागू अप्रत्यक्ष करों पर विचार किए बिना अनुमानित आधार पर लेखांकित किया जाता है. ऐसी आय पर लागू अप्रत्यक्ष करों को वास्तविक बिलिंग के वर्ष में लेखांकित किया जाता है.

जीवन बीमा:

ए. गैर-लिंक पॉलिसियों के लिए प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है. यूनिट लिंक व्यवसाय के लिए प्रीमियम आय को तब निर्धारित किया जाता है जब संबद्ध यूनिट सृजित हो जाते हैं.

बी. गैर-लिंक परिवर्तनीय बीमा व्यवसाय के लिए, प्रीमियम को प्राप्ति की तारीख पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

सी. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब ऐसी पॉलिसियों को पुनः शुरू किया जाए.

डी. प्रीमियम में शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं.

ई. यूनिट लिंक व्यवसाय के मामले में, पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबद्ध यूनिट के सृजन पर इसे आय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

एफ. यूनिट लिंक पॉलिसियों से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रभार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इसे यूनिट लिंक फंड से पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर निर्धारित किया जाता है.

जी. सत्तांतरित पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संबंधित करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय लेखांकित किया जाता है. प्रीमियम में बाद के संशोधनों या निरस्त किए जाने की स्थिति में उसके प्रभाव को उस वर्ष में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में वे होते हैं.

एच. निवेश से होने वाली आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है. निवेश पर ब्याज आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है.

आई. ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित प्रीमियम में छूट और परिशोधन में वृद्धि को होल्डिंग/परिपक्वकता अवधि पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर निर्धारित किया जाता है.

जे. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य के संबंध में लाभांश आय और लिंक व्यवसाय के संबंध में लाभांश आय को "पूर्व-लाभांश तारीख" पर निर्धारित किया जाता है.

के. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / हानि, बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत परिशोधन लागत के बीच का अंतर है. लिंक व्यवसाय के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / हानि बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है.

एल. इक्विटी शेयरों/म्युचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि, व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है. यूनिट लिंक व्यवसाय के अलावा लाभ या हानि में "राजस्व और अन्य आरक्षित पूंजी (अनुसूची 2)" और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताओं (अनुसूची 5)" के रूप में तुलन पत्र में पूर्व में शामिल उचित मूल्य के संचयी प्रभार शामिल है.

एम. मृत्यु और राइडर के दावों को सूचना मिलने पर लेखांकित किया जाता है. भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लागू हो, शामिल हैं.

एन. गैर-लिंक व्यवसाय के लिए वार्षिकी लाभ, मनी बैक पेमेंट्स, सर्वाइवल बेनिफिट और परिपक्वता दावा को देय होने पर लेखांकित किया जाता है. सरेंडर और आहरण का लेखांकन अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है.

ओ. लिंक किए गए व्यवसाय के लिए, संबंधित यूनिटों को रद्द किए जाने पर परिपक्कता दावों को नियत आधार पर लेखांकित किया जाता है. सरेंडर और निकासी का लेखांकन तब किया जाता है जब संबंधित यूनिटों को रद्द कर दिया जाता है.

पी. भविष्य में वसूली योग्य पुनर्बीमा को संबंधित दावे की समान अवधि के लिए लेखांकित किया जाता है. न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रबंधन के विवेक के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

क्यू. अधिग्रहण लागत उसके क्रियान्वित होने की अवधि में व्यय हुई लागत है. अधिग्रहण लागत में मुख्य रूप से बीमा मध्यस्थों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी की छपाई का खर्च, स्टांप शुल्क और पॉलिसी को सोर्स करने और जारी करने में हुए अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं. भविष्य में पहले वर्ष के कमीशन के भुगतान पर कर सहित वसूली, यदि कोई हो, तो उसे वसूली के समय लेखांकित किया जाता है.

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का

भुगतान करता है. बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनिमयों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है जो कि उपदान भुगतान से अधिक है. इसका वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंर्तगत पेंशन देयता एक निश्चित लाभ देयता के रूप में परिभाषित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा पेंशन देयता के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है.

नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदान योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी) और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों के लिए, संबंधित देश में लागू कानून के आधार पर लाभों का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है.

10 मूल्यह्रास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पैराग्राफ 10.3 एवं 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय उन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है.

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	**फर्नीचर एवं फिटिंग्स**		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.10%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.10%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन		
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है.

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन अस्ति

पर अतिरिक्त मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और इसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है.

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति का मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है.

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का मूल्यह्रास") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक /बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

12. **विदेशी मुद्रा संव्यवहार:**

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरुप किया गया है.

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफ़ शोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 **एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:**

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/ रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को "इन्टरपालेटेड" दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. एमटीएम के मौजूदा मूल्य के आकलन हेतु इस प्रकार प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनमूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

13. **आय पर कर**

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार यथानिर्धारित (संबद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

14. **प्रति शेयर अर्जन**

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना उस अवधि के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

15. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां**

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इससे ऐसे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी, जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

16. **सेगमेंट रिपोर्ट**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

17. **नकद एवं नकद के समतुल्य**

नकद एवं नकद के समतुल्य में उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल हैं.

18. **जीवन बीमा व्यवसाय - अन्य पॉलिसियां**

ए. ऋणों का मूल्यांकन कुल बही मूल्य (चुकौतियों को घटाकर) और पूंजीकृत ब्याज के आधार पर किया जाता है, जो क्षति के प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है. यदि परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है तो ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अल्पावधि से इतर अन्य ऋणों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

बी. भावी विनियोजन की निधियों को ऐसे अधिदेश आस्तियों में अतिरिक्त देयताओं को दर्शाने वाली सहभागी निधि में अलग रखा गया है ताकि पॉलिसीधारक की उचित अपेक्षा (पीआरई) को पूरा किया जा सके. यह राशि शेयरधारक या पॉलिसीधारक को तुलन-पत्र की तारीख पर आबंटित नहीं की गयी है. भावी विनियोजन के लिए निधि जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आबंटित की जाती है तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में परिणामस्वरूप अंतरण होगा.

सी. कंपनी की बीमांकिक देनदारियों की गणना, बीमा अधिनियम, 1938 और उसमे संशोधनों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एक्चुअरीअल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट्स तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं. दीर्घावधि गैर-लिंक्ड संविदाओं का मूल्यांकन सकल प्रीमियम मूल्यांकन (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है.

यूनिट लिंक जीवन बीमा संविदाओं के तहत, यूनिट रिज़र्व की गणना मूल्यांकन तारीख पर यूनिट मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन तारीख पर लागू पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में की जाती है. मृत्यु और व्यय के लिए गैर-यूनिट देनदारियां एक संभावित सकल प्रीमियम (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं, जिसके तहत भावी शुद्ध नकदी प्रवाह को पॉलिसी-दर-पॉलिसी आधार पर मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट बैक कर दिया जाता है और यह मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई भावी नकारात्मक नकदी प्रवाह जो अन्यथा उत्पन्न हों, को समाप्त कर दिया गया है. भावी नकदी प्रवाह को व्यक्त करने में, भावी मृत्यु/ रुग्णता, भावी चूक, खर्च और यूनिट निधि के लिए निवेश वृद्धि दर और ब्याज दर के संबंध में अनुमान लगाए गए हैं. ये धारणाएं अपेक्षित भावी अनुभव पर आधारित हैं. इन अनुमानों में प्रतिकूल विचलन के लिए उपयुक्त मार्जिन रखा गया है. एक साल के नवीकरणीय संविदाओं का मूल्यांकन अनएक्सपायर्ड प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है. राइडर्स को जीपीवी और यूपीआर से अधिक महत्व दिया जाता है.

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं-

(i) अनर्जित मृत्यु/ रुग्णता प्रभार

(ii) व्यय किए गए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनआर)

(iii) बहाली की अवधि के भीतर लेप्स और प्रदत्त पॉलिसियां

(iv) फ्री लुक पॉलिसी

(v) आकस्मिकता

SCHEDULE 18 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

i. The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its subsidiaries together referred to as ("Group"), Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2022. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealised profit/ loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

c. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

ii. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the share capital and premium of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve. In case of overseas subsidiaries and JVs such difference is accounted under translation reserves.

iii. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

b. The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 Investments:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher

of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio shall be marked to market preferably on a daily basis, but at least on a weekly basis.

The units is valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

Life Insurance Business:

Investments are made and accounted for in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and various other circulars / notifications issued by the IRDAI in this context from time to time.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and stamp duty, taxes, etc, if any, but excludes pre-acquisition interest accrued i.e. (from the previous coupon date to the transaction settlement date), if any, on purchase.

Bonus entitlements are recognized as investments on 'ex-bonus date'. Right entitlements are recognized as investments on 'ex-right date'. Any front end discount on investments is reduced from cost of investments.

Diminution in the value of investments as at the balance sheet date, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Broken period interest paid/received is debited/ credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale value.

A. **Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' non-linked funds and shareholders' investments:**

a. All debt securities, including government securities, and Money market instruments held under policyholders' non-linked funds and shareholders' investments are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortisation.

b. The discount or premium which is the difference between the purchase price and the redemption amount of fixed income securities and money market instruments is amortised and recognized in the revenue account or the profit and loss account, as the case may be, on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. AT1 Bonds, under policyholder's non-linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer.

d. The realised gain or loss on debt securities is the difference between the net sale consideration and the amortised cost in the books of the company.

B. **Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' linked funds:**

a. All debt securities, including government securities and AT1 Bonds, under policyholders' linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer/ CRISIL Gilt Prices, as applicable.

b. The discount or premium on fixed income securities / money market instruments which is the difference between the purchase price and the redemption amount is amortised and recognized in the revenue account on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. Unrealised gains or losses arising on valuation of debt securities including Government Securities are accounted for in the Revenue Account.

d. The realised gain or loss on debt securities held for linked business and AT1 bonds for linked as well as other than linked business is the difference between the net sale consideration and weighted average cost.

C. **For both Linked and Non Linked:-**

a. Listed equity shares and equity ETFs are valued and stated at fair value, using the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE), at the balance sheet date. If the equity shares and equity ETFs are not traded on the NSE, then closing prices of the Bombay Stock Exchange (BSE) is considered.

b. Unlisted equity shares are stated at historical cost. A provision is made for diminution, if any, in the value of these shares to the extent that such diminution is other than temporary.

c. Equity shares acquired through primary markets and awaiting listing are valued at their issue price.

d. Mutual fund units are valued at previous day's Net Asset Value. AIF units are valued at the latest available net asset value of the respective fund.

e. The realised gain / loss is the difference between the net sale consideration and weighted average cost. In case of linked funds, unrealised gains / losses are recognised in the respective fund's revenue account as fair value change. For other than linked business, unrealized gain / loss on changes in fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change account and are carried to the Balance Sheet.

f. Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call dates or upto the final maturity date.

g. Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put dates or upto the final maturity date.

h. The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/ call date and would be valued on a yield to maturity basis, by using spreads over the benchmark rate based on the matrix released by CRISIL.

i. Instruments bought on 'reverse repo' basis are valued at cost plus interest accrued on reverse repo rate.

j. All investments maturing within twelve months from the balance sheet date are classified as short-term investments. All other investments are classified as long-term investments.

k. Transfers of Investments from Shareholders' funds to the Policyholders' funds to meet the deficit in the policyholders' account are effected at the lower of amortised cost / book cost or market value in respect of all debt securities including money market instruments and at the market value in case of other securities.

l. In case of linked funds, Inter-fund transfer of debt securities relating to Policyholders' Funds is effected at current market value. Inter fund transfer of equity, preference share, ETFs and government securities are effected during market hours at the market price of the latest trade.

m. No transfers of investments are made between non linked Policyholders' funds.

n. The purchase and sale of equity, preference shares, ETF's, InvIT's and Government Securities between unit linked funds is accounted for at the prevailing market price on the date of purchase or sale of investments, if prevailing market price of any security is not available on the date of transfer of investment, then the last available price is considered. In case of debt securities other than Government Securities, transfer of investments is accounted at prevailing yield.

o. The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the re-measured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

p. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's. All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA.

q. For InvIT, All traded InvIT shall be valued at the last quoted closing price on the National Stock Exchange (NSE) on valuation day. In case on any particular valuation day the scrip is not traded on NSE then the value at which it is traded on BSE will be considered. In case it is not traded on either of the exchanges, the closing price on NSE/BSE on the earliest previous day will be used, provided such previous day is not more than thirty days prior to the valuation day.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/ FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as

Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/ Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect

of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .

- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In Respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed at 5% as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis.Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments,

such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/ NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Merchant Banking:

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists a reasonable certainty of its recovery.

a. Income from Investment Banking comprises of revenue from different activities of the organization and Includes revenue from Valuation Services, Vetting Project Appraisal, Debt and Equity Issue Management, investment Banking Services, Techno-Economic Viability studies, and Lead Arranger Services, debt syndication, debt restructuring and related areas.

b. The revenue in these cases recognized on the basis of accrual as and when the amount becomes due on the completion of various stages of the assignment as per the terms and Conditions of the Memorandum of Understanding entered into between the Company and the Client and assessing the certainty of its recovery.

c. Income from Broking activities comprises brokerage received on trades executed on the exchanges. The brokerage, net of Stamp Duty, STT Charges, Exchanges Transaction Charge and applicable indirect tax (service tax / GST), is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

d. Wealth Management comprises income from advisory and research fees and income from mutual fund distribution. Income from mutual fund distribution comprises brokerage received on distribution of mutual funds and other investment products. The brokerage amount includes both Trail Commission and Upfront Commission. It is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

e. Income from Term Deposits being the interest received from Bank in respect of the Investment of the surplus funds for a short term period is recognized on accrual basis.

f. Income from Tax-free bonds being the interest received from the entity issuing such instruments in respect of the investment of the surplus fund for a long-term period is recognized on accrual basis.

g. Income from Liquid Mutual Fund is recognized in the period in which the investment is redeemed and realized

Trustee Operations:

a. Mutual Fund Trusteeship fee is recognised at specific rates agreed with relevant schemes, applied on the average daily Net Assets of each scheme, and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

b. Revenue is recognized when there is reasonable certainity of its ultimate realization /collection.

Asset Management:

a. Investment Management fee:

Investment management fee are recognised net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of schemes of Baroda Mutual Fund(excluding on investments made by the company in the schemes, intra – scheme investments and schemes investment in fixed deposit for certain category of schemes),such that it does not exceed the expense limit prescribed by the Securities and Exchange Board of India(SEBI) (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments (the Regulations) or offer document of the respective schemes.

b. Investment Advisory & Research fees:

Investment advisory & research fee are recognised in accordance with the respective terms of contract with counter parties.

c. Other income:

Interest income is accounted on accrual basis.

Purchase and sale of investments is recorded on the trade date. The profit/Loss on sale of investments is recognized in the Statement of profit and loss on the trade date. Profit or loss on sale of investments is determined using simple average cost method.

Credit Card Operations:

a. Revenue from services is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

b. Fees income is accounted as and when billed to customer.

c. In view of uncertainty of realization of income in case of Non-Performing Assets (NPA) such income is accounted for only on receipt basis.

d. Recovery from bad debts written off is recognized as income on the basis of actual realization from customer.

e. Income on deployment of funds is recognized on accrual basis.

f. The income accrued but not billed till the year end, are accounted for on estimated basis without considering the applicable indirect taxes like GST. The applicable indirect taxes, on such income are accounted for in the year of actual billing.

Life Insurance:

a. Premium for non-linked policies is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created.

b. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.

c. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

d. Premium is inclusive of Good and Service Tax (GST)applicable on charges.

e. In case of unit linked business, Top up premiums paid by policyholders are considered as single premium and recognized as income when the associated units are created.

f. Income from unit linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the unit linked funds in accordance with terms and conditions of policies and recognized when due.

g. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

h. Income from Investments are recognised on an accrual basis. Interest income on investments is recognised on accrual basis.

i. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding / maturity period on a straight-line basis.

j. Dividend income, in respect of other than linked business and in respect of linked business, is recognised on the `ex-dividend date'.

k. Realised gain / loss on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average amortised cost as on the date of sale. Realised gain / loss on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost as on the date of sale.

l. Profit or loss on sale of equity shares / mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost. In respect of other than unit linked business, the profit or loss includes the accumulated changes in the fair value previously recognised in Balance Sheet as "Revenue & Other Reserves (Schedule 2)" and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the Balance Sheet

m. Deaths and rider claims are accounted for on receipt of intimation. Benefits paid consist of policy benefit amounts and claim settlement costs, where applicable.

n. For non linked business, Annuity benefits, money back payments, survival benefit and maturity claims are accounted for when due. Surrender and withdrawals are accounted on the receipt of request.

o. For linked business, Maturity claims are accounted for ondue basis when the associated units are cancelled. Surrenders and withdrawals are accounted for on receipt of intimation when associated units are cancelled.

p. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

q. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy. Clawback of the first year commission paid, if any, in future are accounted at the time of recovery.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.10%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.10%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life more than 2 years and in excess of original cost of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

18. LIFE INSURANCE BUSINESS - OTHER POLICIES

a. Loans are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalised interest subject to provision for impairment, if any. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

b. The funds for future appropriation in the participating fund represent the surplus assets in excess of the liabilities set aside to meet Policyholder Reasonable Expectation (PRE). This amount is not allocated to the shareholders or policyholders at the balance sheet date. The funds for future appropriation when allocated in the future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation.

c. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938 and amendments thereon, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial practices. Long term non-linked contracts are valued using a gross premium valuation (GPV) method.

Under unit linked life insurance contracts, unit reserves are calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values at the valuation date. The non-unit liabilities for mortality and expenses are determined using a prospective gross premium method (GPV) under which future net cash flows are discounted back to the date of valuation on policy-by policy basis, and is adequate on the valuation basis to ensure that any future negative cash flows which would otherwise arise are eliminated. In projecting the future cash flows, assumptions have been made in respect of future mortality/morbidity, future lapses, expenses & expense inflation and investment growth rate for unit funds and interest rate. These assumptions are based on emerging and expected future experience. Appropriate margins for adverse deviations have been kept in these assumptions. The one year renewable contracts are valued using the Unexpired premium reserve (UPR) methodology. Riders are valued as the higher of GPV and UPR.

Additional provisions have been made in respect of:

(i) Unearned mortality/morbidity charges

(ii) Incurred but not reported claims(IBNR)

(iii) Lapsed and paid up policies within period of reinstatement.

(iv) Free look policies

(v) Contingency

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट
Schedule-19 : Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2022

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर लेखांकन मानक 21, ''सहयोगियों मे निवेश'' के लिए लेखांकन मानक 23 और ''संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल/ बैंक) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

1.1 अनुषंगियां

The Consolidated Financial Statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the Financial statements of the Bank of Baroda (Parent/Bank) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

1.1 Subsidiaries

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2022 को March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को March 31, 2021
घरेलू अनुषंगियां	**Domestic Subsidiaries**			
ए) बैंकिंग	**a) Banking:**			
i. द नैनीताल बैंक लि.	i. The Nainital Bank Limited	भारत / India	98.57	98.57
बी) गैर-बैंकिंग:	**b) Non-Banking:**			
i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	i. BOB Capital Markets Limited.	भारत / India	100.00	100.00
ii. बॉब फाइनेंशियल सॉल्युशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब काड्‌र्स लिमिटेड)	ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Limited)	भारत / India	100.00	100.00
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड	iii. Baroda Global Shared Services Limited	भारत / India	100.00	100.00
iv. बड़ौदा सन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड	iv. Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
v. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड*	v. Baroda Asset Management India Limited*	भारत / India	-	100.00
vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड*	vi. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited*	भारत / India	50.10	0.00
vii. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)#	vii. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)#	भारत / India	50.10	100.00
viii. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड$	viii. IndiaFirst Life Insurance Company Limited$	भारत / India	65.00	44.00
विदेशी अनुषंगियां:	**Overseas Subsidiaries:**			
ए) बैंकिंग:	**a) Banking:**			
i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड	i. Bank of Baroda (Botswana) Limited	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited	केन्या / Kenya	86.70	86.70

iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited	युगांडा / Uganda	80.00	80.00
iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी	iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयानाा / Guyana	100.00	100.00
v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00
vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	vi. Bank of Baroda (New Zealand) Limited	न्यूजीलैंड / New Zealand	100.00	100.00
vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड	vii. Bank of Baroda (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00
बी) गैर-बैंकिंग:	**b) Non-Banking:**			
i. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)	i. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Limited)	युगांडा /Uganda	100.00	100.00

* वर्ष के दौरान, 'बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड' (अंतरणकर्ता कंपनी) का विलय 'बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरिती कंपनी) के साथ किया गया जिसका नाम अब 'बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' हो गया है.

वर्ष के दौरान, 'बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरणकर्ता कंपनी) का विलय 'बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरिती कंपनी) के साथ किया गया जिसका नाम अब 'बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' हो गया है.

$ बैंक ने 31.03.2022 को इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आईएफएलआईसी) के 21% शेयर खरीदे. आईएफएलआईसी में बैंक की शेयरधारिता 44% से 65% बढ़ने के साथ ही, 31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणियों में घटक को अनुषंगी के रूप में समेकित किया गया है जो कि पूर्व अवधि में संयुक्त के रूप में था.

* During the year, 'Baroda Asset Management India Limited' (Transferor Company) was merged with 'BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd' (Transferee Company) which was renamed as 'Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited'.

During the year 'BNP Paribas Trustee India Private Limited' (Transferor Company) was merged with 'Baroda Trustee India Private Limited' (Transferee Company) which was renamed as Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited.

$ Bank has purchased 21% stake of IndiaFirst Life Insurance Company Limited (IFLIC) on 31.03.2022. With the increase in bank's shareholding in IFLIC from 44% to 65%, the component was consolidated as Subsidiary in Consolidated Financial Statements as on 31st March 2022 as against Joint venture in the previous periods.

1.2 सहयोगी: / Associates:

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में समाहित सहयोगियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

सहयोगियों के नाम Name of Associates	**देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation**	**निम्नलिखित तारीख को मूल संस्था का स्वामित्व हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on**	
		31 मार्च, 2022 March 31, 2022	**31 मार्च, 2021 March 31, 2021**
ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड a) Indo Zambia Bank Limited	युगांडा / Zambia	20.00	20.00
बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i. बड़ौदा यूपी बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक) b) Regional Rural Banks i. Baroda U P Bank (Formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक) ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक iii. Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35.00	35.00

1.3. संयुक्त उद्यम / Joint Ventures

संयुक्त उद्यम का नाम Name of Joint Ventures	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership	
		31 मार्च, 2022 March 31,2022	31 मार्च, 2021 March 31, 2021
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड # IndiaFirst Life Insurance Company Limited#	भारत / India	65.00	44.00
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40.00	40.00
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड India Infradebt Limited	भारत / India	40.99	40.99

बैंक ने सभी सांविधिक और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता को 44% से बढ़ाकर 65% कर दिया है. अत: 31.03.2022 से इसे अनुषंगी के रूप में माना जाएगा.

The Bank has increased its stake in IndiaFirst Life Insurance Company Limited from 44% to 65% after receiving all statutory and regulatory approvals. Hence the same will be considered as subsidiary w.e.f 31.03.2022

2. सहयोगियों में निवेश के विवरण / Particulars of the Investment in Associates:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
ए a.	सहयोगियों में निवेश की लागत Cost of Investment in Associates	256.89	256.89
बी b.	उपर्युक्त (ए) में शामिल अधिग्रहण पर सुनाम Goodwill on acquisition included in (a) above	0.00	0.00
सी c.	उपरोक्त (ए) में अधिग्रहण पर पूंजी प्रारक्षित निधि Capital reserve on acquisition included in (a) above	0.00	0.00
डी d.	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	0.00	0.00
ई e.	अधिग्रहण उपरान्त सुनाम / पूंजीगत प्रारक्षित निधि के लाभ (निवल) का हिस्सा Share of post-acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	1,316.01	1,069.62
एफ f.	31 मार्च को निवेश (ए-बी-सी+डी +ई) Investment as at 31st March (a -b+c+d+e)	1,572.90	1,326.51
जी g.	भारत में निवेश Investment in India	1,452.65	1,248.30
एच h.	भारत के बाहर निवेश Investment outside India	120.25	78.21
आई i.	कुल (जी + एच) Total (g + h)	1,572.90	1,326.51

3. अनुषंगियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरण:

3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किया गया है जो मूल कंपनी के लिए तैयार की गई तारीख है अर्थात् 31 मार्च 2022, केवल निम्नलिखित को छोड़कर- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, (इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड सहित), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2022 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank

(तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जिनके विवरण 31 दिसंबर, 2021 तक तैयार किये गए हैं. जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेनदेन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं, जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो.

3.2 समूह, उसके संयुक्त उद्यम एवं सहयोगियों के चालू वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में द नैनीताल बैंक लिमिटेड, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पूर्ववर्ती बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (13.03.2022 तक समेकित लाभ एवं हानि खाता), बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (लाभ एवं हानि खाता 14.03.2022 से समेकित है और तुलनपत्र 31.03.2022 तक समेकित है), बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं.

3.3 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:

i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.

ii. बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन्स लि. (पूर्ववर्ती बॉब कार्डस लिमिटेड)

iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

iv. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लि.

v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड

vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3.4 अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण सीमा के आधार पर दिए गए हैं. प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा.

3.5 एएस 21 के अनुसार, खंड 20 ''समेकित वित्तीय विवरण, लेन-देन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए. तथापि, इंडियाफर्स्ट इश्योरेंस कंपनी में निवेश और राजस्व निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों से शासित है. अनुषंगी का समेकित राजस्व और निवेश निम्नानुसार है:

(Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2021. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2022 to 31st March, 2022 requiring adjustment therein.

3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group, and its Joint Ventures and Associates include unaudited financial statements of The Nainital Bank Limited, Baroda Global Shared Services Limited, Baroda Sun Technologies Ltd, erstwhile Baroda Asset Management India Limited (Profit & Loss A/c consolidated upto 13.03.2022), Baroda BNP Paribas Asset Management India Ltd (Profit & Loss A/c consolidated from 14.03.2022 and Balance sheet is consolidated as on 31.03.2022), Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited and IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2022 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

i. BOB Capital Markets Ltd.

ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Ltd.)

iii. Baroda Global Shared Services Ltd.

iv. Baroda Sun Technologies Ltd.

v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Ltd

vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited

3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management, non-availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the Bank.

3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. However, In IndiaFirst Insurance Company, it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines. The consolidated Revenue and investments of the subsidiary is provided below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. SN	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2022 तक As on March 31, 2022	31 मार्च, 2022 तक As on March 31, 2021
1	समेकित राजस्व / Consolidated Revenues	87,780.19	89,567.63
1.1	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से राजस्व Revenues from IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	2,976.45	2,816.44
2	समेकित निवेश / Consolidated Investments	3,47,587.10	2,81,859.00
2.2	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से निवेश Investments from IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	18,581.93	7,361.64

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ (सांविधिक प्रारक्षित निधि के लिए कर और अंतरण का निवल) और भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/ लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है.

5. करों के लिए प्रावधान

अपील अधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है.

6. प्रारक्षित निधियों में से ड्रा डाउन

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रारक्षित निधियों से ड्रा डाउन शून्य है (31 मार्च, 2021: $ शून्य).

7. फ्लोटिंग प्रावधान / काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2021-22, draw down from the Reserves is Nil (March 31, 2021: ₹ Nil).

7. Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण /Particulars	31.03.2022	31.03.2021
ए. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि a. Opening balance in the floating provisions account	62.85	556.42
बी. प्रारम्भिक शेष समायोजन b. Opening Balance adjustment	-	3.13
सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि c. Amount of draw down made during the accounting year	-	496.70*
डी. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि d. Closing balance in the floating provisions account	**62.85**	**62.85**

* भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संदर्भ सं. आरबीआई/2021-22/28 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार बैंक को यह सूचित किया गया है कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने हेतु 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार उनके द्वारा धारित फ्लोटिंग प्रावधानों/ काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर का 100 प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं. बैंक ने अपने निदेशक मंडल से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता के पेटे ₹ 496.70 करोड़ के फ्लोटिंग प्रावधान का उपयोग किया है.

*As per RBI notification Ref No - RBI/2021-22/28 DOR.STR.REC.10/ 21.04.048 /2021-22 dated May 5, 2021 Banks are advised that they are permitted to utilize 100 per cent of floating provisions / countercyclical provisioning buffer held by them as on December 31, 2020 for making specific provisions for non-performing assets with the prior approval of their respective Boards. The Bank has obtained the requisite permission from its Board of directors and has utilized floating provision amounting to ₹ 496.70 Crores against the requirement for specific provisions for non-performing assets in the quarter ended March 31, 2021.

8. कोविड -19 प्रकोप, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में घोषित

कोविड-19 के प्रसार के कारण पहले क्षेत्रीय लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारत के वित्तीय बाजारों में बड़ी अस्थिरता आई और कोविड -19 महामारी की पहली लहर के दौरान वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में कमी आई. वित वर्ष 2022 के दौरान, भारत ने कोविड -19 महामारी की दो और लहरें झेलीं. वर्तमान में, नए कोविड -19 मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और सरकार ने कोविड -19 से संबंधित अधिकांश प्रतिबंधों को हटा दिया है.

8. The Covid-19 outbreak was declared a global pandemic by the world Health Organization

The spread of COVID-19 has earlier led to a regional lockdown which in turn resulted into significant volatility in Global and Indian financial markets and decrease in global and local economic activities during the first wave of Covid-19 pandemic. During FY2022, India has witnessed two more waves of covid-19 pandemic. Currently, the number of new Covid-19 cases have reduced significantly and the Government has withdrawn most of the Covid-19 related restrictions.

इसके अलावा, कोविड महामारी और इसकी भविष्य की लहरें, यदि ऐसी स्थिति बनती है, किस सीमा तक बैंक के परिचालन और आस्ति की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगी, यह कहना मुश्किल है. हालांकि, बैंक निरंतर आधार पर घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है और आस्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए लगातार सक्रिय उपाय कर रहा है. अत: बैंक का मानना है कि बैंक के भविष्य के वित्तीय परिणामों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए.

9. प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

Further, the extent to which the COVID pandemic and its future waves if any may impact the Bank's operation and asset quality are uncertain. The Bank is however keeping a close watch on developments on an ongoing basis and taking proactive measures continuously to maintain and improve asset quality. The Bank, therefore, believes that there may not be any significant impact on Bank's future financial results.

9. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31.03.2022	31.03.2021
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / एनपीए के लिए किए गए प्रावधान Bad debts written off / Provision made towards NPA	14,956.88	12,288.48
पुनर्संरचित मानक और उप-मानक खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	(142.19)	260.25
देशी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान Provision for Country Risk Management	9.37	(2.19)
करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर समेत) Provision for taxes (including deferred Taxes)	2,308.07	4,919.27
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on investment	567.74	1,102.82
मानक आस्ति के लिए प्रावधान / Provision for standard assets	(2,661.73)	2,180.80
अन्य / Others	1,387.54	1,045.65
कुल / Total	**16,425.68**	**21,795.08**

10. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

I. वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

नियामक अर्थात् आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्तूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया-31 मार्च, 2022 तक आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां ₹ 12,388.55 करोड़ (बैंक की स्वयं की जमाराशियों की एवज में ओवरड्राफ्ट और ऋण घटाकर) हैं और बाह्य देयताएं ₹ 8,390.02 करोड़ (अर्थात् ₹ 20,778.57 की कुल देयताएं) हैं. 31 मार्च, 2022 को शाखा की निवल मालियत ₹ 408.31 करोड़ है. आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्तियों एवं देयताओं को बैंक के स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाया जाता है. अत: आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी चुकौती आश्वासन पत्र को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है.

II. 31 मार्च 2022 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व की स्थिति निम्नानुसार है:

ए) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड को 2008-09 के

10. Status of Letters of Comfort

I. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Year

LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. international Financial Services Centres Authority (IFSCA) for IFSC, Gift city Branch - As on 31st March 2022, IFSC branch's total deposits (net of overdraft and loan against Bank's own deposits) are ₹ 12,388.55 Crores and outside liabilities are ₹ 8,390.02 Crores (i.e. Total Liabilities of ₹20,778.57 Crores). The net worth of the Branch as on 31st March 2022 is ₹ 408.31 Crores. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's standalone balance sheet. Therefore, there is no requirement to recognise the Letter of Comfort, issued for IFSC Gift City Branch, as contingent liability of Bank.

II. Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31, 2022

The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:

a) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2022 the subsidiary's Deposits (net of

दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2022 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) ₹ 473.01 करोड़ है तथा बाह्य देयता ₹ 7.03 करोड़ है (यथा 480.04 करोड़ की कुल देयता). यथा 31 मार्च 2022 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 270.46 करोड़ है. इस संबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 209.58 करोड़ है. हालांकि बैंक वर्तमान के लिए उपरोक्त चुकौती आश्वासन पत्र/गारंटी के अंतर्गत देयता के क्रिस्टलीकरण की संभावना को अनुमानित नहीं करता है.

बी) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31 मार्च, 2022 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 150.63 करोड़ (बैंक की स्वयं की जमाराशियों के एवज में ओवरड्राफ्ट एवं ऋण को घटाकर) एवं अन्य देयताएं ₹ 3.94 करोड़ (अर्थात् कुल ₹ 154.57 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2022 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 582.84 करोड है. इस संबंध में मूल बैंक पर निवल आकस्मिक देयता शून्य है.

11. एनपीए के लिए आस्ति के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश सं. डीओआर.एसीसी. आरईसी. सं.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (15 नवंबर 2021 तक अद्यतन), के अनुसार यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होता है और आकस्मिकताएं और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भित अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15% अधिक होता है तो बैंकों को विवेकपूर्ण मानदंड से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विचलनों को प्रकट करना चाहिए. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन, उक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है.

12. ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी प्रकटीकरण

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश संदर्भ सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 ''मास्टर निदेश-आरबीआई (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021'' दिनांक 24.09.2021 के अनुरूप प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

ए) ''गैर-डिफॉल्ट ऋणों''@ के मामले में, जो ट्रांसफर किए गए है या जिनका अधिग्रहण हुआ है.

Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 473.01 Crores and outside liabilities are ₹ 7.03 Crore (i.e. total liabilities of ₹ 480.04 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2022 is ₹ 270.46 Crores. The net contingent liability on the Parent Bank is ₹ 209.58 Crores in this regard. However, the Bank does not foresee possibility of crystallization of liability under the above letter of comfort/guarantee for the present.

b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd' (IIBMB). As on 31st March 2022 the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 150.63 Crore and other liabilities are ₹ 3.94 Crores (i.e. Total liabilities of ₹ 154.57 Crores). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2022 is ₹ 582.84 Crores. The net contingent liability on parent Bank is Nil in this regard.

11. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As per RBI direction No. DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on 15th, November 2021), in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. Divergence from prudential norms assessed by the RBI for the year ended 31st March, 2021 are within threshold limits specified above hence the need for additional disclosure does not apply.

12. Disclosure of transfer of Loan exposures

1. Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction - RBI (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021 is as under:

a) In respect of "Loans not in default@", that are transferred or acquired.

i) समनुदेशन / Assignment

क्र.सं. Sr. No.	अंतरिति का नाम **Name of the transferor**	अधिग्रहण की तारीख **Date of acquisition**	अधिग्रहित ऋणों की संख्या **Number of Loans acquired**	अधिग्रहित ऋणों की राशि (करोड़ में) **Amount of Loans acquired (in Crores)**	ऋणों की अधिकतम परिपक्वता अवधि (माह में) * **Maximum Maturity Period of Loans (In Months) ***	ऋणों केधारण करने की न्यूनतम अवधि (माह में) * **Minimum Holding Period of Loans (In Months) ***	बैंक द्वारा अधिग्रहित आर्थिक ब्याज **Economic Interest acquired by Bank**	न्यूनतम प्रतिभूति कवरेज (गुणक में) **Minimum Security Coverage (In times)**	स्वीकृत न्यूनतम रेटिंग (अधिग्रहण के समय) **Minimum Ratings (at the time of acquisition) accepted**
1	आशीर्वाद माइक्रोफायनांस लिमिटेड Asirvad Microfinance Limited	29-03-2022	98,164	256.91	24	3	90%	प्रतिभूति रहित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
2	चैतन्य माइक्रोफायनांस लिमिटेड Chaitanya Microfinance Limited	31-03-2022	25,937	69.19	24	3	90%	प्रतिभूति रहित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
3	फुलरटोन इंडिया कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड Fullerton India Commercial Credit Limited	30-03-2022	849	221.89	210	6	95%	1.67	700 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimim CIBIL score of 700
4	आईआईएफएल होम फायनांस लिमिटेड IIFL Home Finance Limited	29-03-2022	2081	296.93	354	6	90%	* रु. 30/- लाख तक - 1.11 *रु. 30/- लाख से अधिक एवं रु. 75/- लाख तक- 1.25 * रु. 75/- लाख से अधिक- 1.33 * Upto Rs. 30/- Lakhs - 1.11 * Above Rs. 30/- Lakhs and upto Rs. 75/- Lakhs - 1.25 * Above Rs. 75/- lakhs - 1.33	व्यक्तियों के लिए 675 एवं गैर व्यक्तियों के लिए सीएमआर-5 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 675 for Individuals and CMR-5 for Non Indiviudals
5	आईआईएफएल होम फायनांस लिमिटेड IIFL Home Finance Limited	29-03-2022	360	75.22	240	6	90%	1.43	व्यक्तियों के लिए 675 एवं गैर व्यक्तियों के लिए सीएमआर-5 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 675 for Individual and CMR-5 for Non Indiviudal
6	आईकेएफ फायनांस लिमिटेड IKF Finance Limited	31-03-2022	641	26.14	60	6	90%	1.11	व्यक्तियों के लिए 650, 0 एवं -1 एवं गैर व्यक्तियों के लिए सीएमआर-5 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 650, 0 and -1 for Individuals and CMR-5 for Non Individuals
7	इंडिया शेल्टर फायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड India Shelter Finance Corporattion Limited	28-03-2022	486	48.52	180	6	90%	2	675 का न्यूनतम सीआरआईएफ हाइमार्क स्कोर Minimim CRIF Highmark score of 675

क्र.सं. Sr. No.	अंतरिति का नाम Name of the transferor	अधिग्रहण की तारीख Date of acquisition	अधिग्रहित ऋणों की संख्या Number of Loans acquired	अधिग्रहित ऋणों की राशि (करोड़ में) Amount of Loans acquired (in Crores)	ऋणों की अधिकतम परिपक्वता अवधि (माह में) * Maximum Maturity Period of Loans (In Months) *	ऋणों के धारण करने की न्यूनतम अवधि (माह में) * Minimum Holding Period of Loans (In Months) *	बैंक द्वारा अधिग्रहित आर्थिक ब्याज Economic Interest acquired by Bank	न्यूनतम प्रतिभूति कवरेज (गुणक में) Minimum Security Coverage (In times)	स्वीकृत न्यूनतम रेटिंग (अधिग्रहण के समय) Minimum Ratings (at the time of acquisition) accepted
8	इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट (इंडिया) लिमिटेड Indiabulls Commercial Credit (India) Limited	31-03-2022	162	34.43	210	6	90%	1.53	व्यक्तियों के लिए 675 एवं गैर व्यक्तियों के लिए सीएमआर-5 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 675 for Individuals & CMR-5 for Non-Individuals
9	इंडियाबुल्स-कमर्शियल क्रेडिट (इंडिया) लिमिटेड Indiabulls Commercial Credit (India) Limited	31-03-2022	132	18.52	210	6	90%	1.53	व्यक्तियों के लिए 675 एवं गैर व्यक्तियों के लिए सीएमआर-5 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 675 for Individuals & CMR-5 for Non-Individuals
10	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड Indiabulls Housing Finance Limited	11-03-2022	575	99.82	300	6	90%	* रु. 30/- लाख तक - 1.11 *रु. 30/- लाख से अधिक एवं रु. 75/- लाख तक- 1.25 * रु. 75/- लाख से अधिक- 1.33 * Upto Rs. 30/- Lakhs - 1.11 * Above Rs. 30/- Lakhs and upto Rs. 75/- Lakhs - 1.25 * Above Rs. 75/- lakhs - 1.33	700 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 700
11	एमएएस फायनांशियल सर्विसेज लिमिटेड MAS financial Services Limited	30-03-2022	16,897	94.78	60	3 & 6	90%	प्रतिभूति रहित अग्रिम Unsecured advance	650, 0 और -1 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 650, 0 and -1
12	मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड Muthoot Microfin Limited	31-03-2022	20,248	52.51	24	3	90%	प्रतिभूति रहित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
13	साटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड Satin Credicare Network Limited	23.03.2022	1,81,433	450.59	24	3	90%	प्रतिभूति रहित अग्रिम Unsecured advance	क्रेडिट ब्यूरो में गैर चूककर्ता स्थिति Non defaulter status in Credit bureau
14	विस्तार फायनांशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड Vistaar Financial Services private Limited	22-03-2022	325	37.26	120	6	90%	1.54	700 का न्यूनतम सिबिल स्कोर Minimum CIBIL score of 700

* परिपक्वता अवधि (माह में) को कंजर्वेटिवली व्यक्तिगत अंतर्निहित उधारकर्ताओं में भारित औसत अवधि के बजाय बैंक द्वारा स्वीकृत अधिकतम अवधि के रूप में प्रकट किया जाता है. इसी प्रकार, न्यूनतम धारिता अवधि को कंजर्वेटिवली व्यक्तिगत अंतर्निहित उधारकर्ताओं में भारित औसत अवधि के बजाय बैंक द्वारा स्वीकृत न्यूनतम धारिता अवधि के रूप में प्रकट किया जाता है.

@ खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में चूक में न हों ऐसे खातों का निर्धारण डीपीडी के आधार पर किया जाता है.

* The maturity period (in months) is conservatively disclosed as maximum period accepted by the Bank in individual underlying borrowers instead of Weighted average period. Simialrly, Minimum holding period is also disclosed conservatively as minimum holding period accepted by the Bank in individual underlying borrowers instead of Weighted average period.

@ The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase

ii) नोवेशन - ऐसा कोई लेन-देन नहीं.

iii) ऋण प्रतिभागिता - ऐसा कोई लेन-देन नहीं.

ii) Novation - No such transaction.

iii) Loan Participation - No such transaction.

अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

Details of stressed loans transferred is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) के विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2021 to 31.03.2022			
	एआरसी को To ARCs	**अनुमत अंतरिती को** To permitted transferees	**अन्य अंतरिती को** To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	17	4	-
अंतरित ऋणों का बकाया सकल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	921.25	39.40	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	231.33	1.58	-
कुल प्रतिफल Aggregate consideration	373.74	9.04	-
पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री पर लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स किया गया अतिरिक्त प्रावधान का हिस्सा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	142.41	7.46	-

बी) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) के विवरण-शून्य

b) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2021-22 - Nil

सी) 31.03.2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

c) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2022

वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value ((Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	93.35
आरआर 2 / RR2	216.23
आरआर 3 / RR3	48.01
आरआर 4 / RR4	38.39
आरआर 5 / RR5	4.03
आरआर 6 / RR6	9.02
एनआर1 / NR1	0.49
एनआर 3 / NR3	17.64
एनआर 4 / NR4	45.35
एनआर 5 / NR5	2.01
एनआर 6 / NR6	380.13
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	344.04
कुल योग / Grand Total	1,198.69

13. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण

13.1 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों (लेखांकन मानक-5) में परिवर्तन

i) पूर्व अवधि की मदें

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की आय/ व्यय नहीं है

ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं हैं, से संबंधित लेखांकन नीति को परिशोधित किया है. ऐसी वस्तुएं, जिनकी अनुमानित अवधि 2 वर्षों से अधिक है और ₹ 50,000/- की मूल लागत के अतिरिक्त है, को अब से अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया जाएगा और कंप्यूटर के समान ही परिशोधित किया जाएगा. अब इन वस्तुओं को 3 वर्षों की अवधि के बाद अमूर्त और परिशोधित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. इस परिशोधन का वर्ष के लाभ पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा. 31.03.2022 को सॉफ्टवेयर का वहन मूल्य ₹ 223.19 करोड़ है.

13. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

13.1 **Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)**

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in accounting policy:

During the year the Bank has refined the accounting policy relating to computer software not forming integral part of hardware. Such items having estimated life more than 2 years and in excess of original cost of ₹ 50,000/- were hitherto included with Other Fixed Assets and amortised as computers. These items are now classified as intangibles and amortised over a period of 3 years. There is no material impact of the above refinement on the profit of the year. The carrying value of software as at 31.03.2022 is ₹ 223.19 Crores.

13.2 एएस 11 - विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तन. / 13.2 **AS 11 - Changes in Foreign Exchange Rates.**

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधियों का संचलन /Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	March 31, 2022	March 31, 2021
उपलब्ध शेष Opening Balance	3,404.45	3,368.94
वर्ष के दौरान जमा Credited During The year	338.65	35.51
वर्ष के दौरान आहरण Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष Closing Balance	3,743.10	3,404.45

13.3 कर्मचारी अनुलाभ (लेखांकन मानक -15) / 13.3 **Employee Benefits (Accounting Standard-15)**

I. परिभाषित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता - पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी)

I. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

ए) परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	24,547.33	22,761.57	24.14	24.48	3,064.47	2,717.68
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	0.00	0.00	(1.73)	0.00	0.10	0.00
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	1,670.68	1,467.97	1.46	1.60	206.74	170.74

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
जोड़ें: विगत सेवा लागत Add : Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
जोड़ें: चालू सेवा लागत Add: Current Service Cost	1,738.70	1,639.56	2.86	2.09	297.92	291.94
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefits Paid	2,356.33	2,476.22	6.04	4.17	431.82	523.72
जोड़ें: बाध्यता पर एक्चूरियल लाभ/ हानि(-) Add: Actuarial loss/ gain(-) on obligation	2,051.43	1,154.45	1.93	(0.17)	(36.93)	407.83
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	**27,651.81**	**24,547.33**	**22.63**	**24.14**	**3,100.49**	**3,064.47**

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening Fair Value of plan assets	22,151.82	21,977.57	20.44	20.81	2,396.63	2,220.36
आरंभिक समायोजित Opening Adjusted	0.00	15.00	0.03	0.03	0.06	1.21
जोड़ें- योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Add- Expected Return on Plan Assets	1,660.77	1,648.21	1.18	1.34	178.65	169.99
जोड़ें- योगदान Add- Contributions	4,068.58	963.34	4.22	0.70	874.90	499.30
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,387.94	2,498.13	4.71	2.69	423.50	523.72
जोड़ें: एक्चूरियल लाभ/ हानि(-) Add- Actuarial gain/(-)loss	65.06	45.83	0.07	0.25	6.60	29.49
अंतिम योजना आस्तियों का उचित मूल्य Closing Fair Value of Plan Assets	**25,558.29**	**22,151.82**	**21.23**	**20.44**	**3,033.34**	**2,396.63**

सी) तुलन पत्र में निर्धारित राशि
c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	पेंशन **Pension**		छुट्टी नकदीकरण **Leave Encashment**		ग्रेच्युटी **Gratuity**	
	31 मार्च, 2022 को **As on March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को **As on March 31, 2021**	31 मार्च, 2022 को **As on March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को **As on March 31, 2021**	31 मार्च, 2022 को **As on March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को **As on March 31, 2021**
ए) अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता a) Closing Defined Benefit Obligation	27,651.81	24,547.33	22.63	24.14	3,100.49	3,064.46
बी) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य b) Closing Fair Value of Plan Assets	25,558.29	22,151.82	21.23	20.44	3,033.35	2,396.63
सी) अंतर (ए-बी) c) Difference (a-b)	2,093.52	2,395.51	1.40	3.70	67.14	667.83
डी) गैर निर्धारित अंतरण देयता d) Unrecognized transitional liability	(1,163.53)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ई) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता e) Liability Recognized in the BS	**929.99**	**2,395.51**	**1.40**	**3.70**	**67.14**	**667.83**

डी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि
d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	पेंशन **Pension**		छुट्टी नकदीकरण **Leave Encashment**		ग्रेच्युटी **Gratuity**	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु **For the year ended March 31, 2021**	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु **For the year ended March 31, 2021**	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु **For the year ended March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु **For the year ended March 31, 2021**
ए) चालू सेवा लागत a) Current Service Cost	1,738.70	1,639.56	2.86	2.08	297.92	291.92
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	1,670.68	1,467.97	1.32	1.48	206.67	170.69
डी) योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय d) Expected Return on Plan Assets	1,660.63	1,648.70	1.20	1.31	179.17	170.31
ई) निवल एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) e) Net Actuarial Loss/gain(-)	1,986.23	1,109.11	2.02	(0.34)	(42.94)	378.72
एफ) वर्ष में निर्धारित अंतरण देयता f) Transitional liability recognized in the year	(1,163.53)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय (ए+बी+सी-डी+ई+एफ) **Expenses Recognized in P&L (a+b+c-d+e+f)**	**2,571.45**	**2,567.94**	**5.00**	**2.22**	**282.48**	**671.02**

ई) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान
e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
बट्टा दर Discount rate	1.88% -7.21%	6.61% -6.82%	5.15% -7.21%	4.25% -6.82%	5.15% -7.25%	4.25% -6.95%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	3.37% -5.50%	5.00% -5.50%	5.00% -8.86%	5.00% -8.00%	5.00% -8.86%	5.00% -8.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00% -39.00%	2.00% -38.00%	2.00% -39.00%	2.00% -38.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर Expected Rate of Return on plan Assets	3.37% -7.50%	7.00% -7.50%	5.15%- 7.21%	4.25%- 7.00%	5.15%- 7.50%	4.25%- 6.84%

II. **परिभाषित लाभ योजनाएं (गैर निधिगत बाध्यता): संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (विशेषाधिकार छुट्टी), ग्रैच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)**

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र एक्चुरी द्वारा एक्चुरियल वैल्यूएशन के अनुसार संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (विशेषाधिकार छुट्टी), ग्रैच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

ए) **देयता की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन**

II. **Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)**

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary

a) **Reconciliation of opening and closing balance of liability**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	1,713.77	1,711.62	3.57	3.10	290.43	296.51
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	2.58	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	113.16	0.09	0.32	0.21	19.71	19.18
जोड़ें- चालू सेवा लागत Add- Current Service Cost	250.95	113.08	0.75	0.40	14.52	6.22
जोड़ें- विगत सेवा लागत Add- Past Service Cost	0.19	234.90	0.06	0.00	-	-
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	305.78	187.39	0.76	0.10	45.53	41.26

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
जोड़ें- बाध्यता पर एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain (-) on obligation	35.96	(158.53)	0.48	(0.04)	10.81	9.78
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	1,810.82	1,713.77	5.79	3.57	289.94	290.43

बी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि
b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
ए) चालू सेवा लागत a) Current Service Cost	250.95	235.89	0.75	0.40	12.13	6.22
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	0.19	(0.28)	0.06	0.00	-	-
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	113.16	112.46	0.32	0.21	19.71	19.18
डी) निवल एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) d) Net Actuarial Loss/gain(-)	35.96	(158.53)	0.48	(0.04)	10.81	9.78
लाभ हानि खातों में निर्धारित व्यय Expenses Recognized in P&L	400.26	189.54	1.61	0.57	42.65	35.18

सी) तुलन पत्र में निर्धारित देयता/ (आस्ति) की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन
c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
ए) आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता a) Opening Defined Benefit Obligation	1,713.76	1,711.61	3.57	3.10	290.43	309.58
बी) आरंभिक समायोजन b) Opening Adjusted	2.59	0.00	1.37	0.00	0.00	(13.07)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
सी)निवल अधिग्रहण लागत c)Net Acquisition Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डी) उपर्युक्त अनुसार व्यय d) Expenses as above	400.26	189.54	1.61	0.57	45.04	35.18
ई) प्रदत्त लाभ e) Benefit paid	305.78	187.39	0.76	0.10	45.53	41.26
एफ) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,810.82	1,713.76	5.79	3.57	289.94	290.43

डी) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान
d) Principal Actuarial Assumptions

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2021
बट्टा दर Discount rate	6.50%-7.25%	6.65%-7.00%	6.75%-7.25%	6.50%-7.00%	7.25%	6.95%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%-10.00%	5.50%-10.00%	7.30%-10.00%	6.00%-10.00%	5.50%	5.50%
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%-20.00%	2.00%-5.29%	2.00%-20.00%	2.00%-5.29%	2.00%	2.00%

एक्चुरियल वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है. ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आकलन और अनुमानों को आधार बनाया है.

13.4 खंड रिपोर्टिंग (एएस - 17)

1. **खंड की पहचान:**

I. **प्राथमिक (व्यापार खंड): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-**

i. **ट्रेजरी**

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

13.4 Segment Reporting (AS - 17)

1. **Segment Identification**:

I. **Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-**

i. **Treasury**

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग खंड में ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक राशि के उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं.

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग खंड में ₹ 7.50 करोड़ से कम राशि के उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उर्पयुक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत हैं.

II) **गौण (भौगोलिक खंड)**

i) घरेलू परिचालन - शाखाएं/ कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है.

ii) विदेशी परिचालन - शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर और जिन विदेशी बैंकिंग इकाइयों का परिचालन भारत में होता है.

III. खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है.

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है. ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं.

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है.

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/ प्रदत्त अवशिष्ट ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है.

सी) अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / खुदरा बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है.

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है और उन्हें आबंटित माना गया है.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure above ₹ 7.50 Crores.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure upto ₹ 7.50 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

सेगमेंट संबंधी जानकारी Segment Information

भाग ए: कारोबार सेगमेंट Part A - Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	25,246.48	26,743.60	27,396.21	29,431.55	30,905.87	29,823.02	4,231.63	3,569.46	**87,780.19**	**89,567.63**
सेगमेंट परिणाम Segment Result	3,896.11	5,245.02	894.52	(3,724.84)	10,062.43	10,092.53	887.31	494.68	**15,740.37**	**12,107.39**
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	5,582.61	5,640.45
परिचालनगत लाभ Operating profit	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,157.76**	**6,466.94**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax	-	-	-	-	-	-	-	-	2,308.07	4,919.27
विशिष्ट लाभ/हानि Extra-Ordinary Profit/ Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ Net Profit	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,849.69**	**1,547.67**
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	4,74,454.50	4,19,082.41	5,60,058.25	5,20,074.81	2,60,922.3	2,36,557.79	22,611.08	9,084.82	**13,18,046.13**	**11,84,799.83**
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	22,090.96	17,875.96
कुल आस्तियां Total Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,40,137.09**	**12,02,675.79**
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	4,41,930.05	3,90,373.07	5,21,665.55	4,84,446.97	2,43,035.75	2,20,352.34	21,061.06	8,462.46	**12,27,692.41**	**11,03,634.84**
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	20,576.60	16,651.37
कुल देयताएं Total Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,48,269.01**	**11,20,286.21**
नियोजित पूंजी Capital employed	32,524.45	28,709.34	38,392.70	35,627.84	17,886.55	16,205.45	1,550.02	622.36	**90,353.72**	**81,164.99**
अनाबंटित Unallocated	-	-	-	-	-	-	-	-	1,514.36	1,224.59
कुल पूंजी Total Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	**91,868.08**	**82,389.58**

भाग बी - भौगोलिक खंड Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू परिचालन Domestic Operations		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
	वित्त वर्ष : 2021-22 2021-22	वित्त वर्ष : 2020-21 FY: 2020-21	वित्त वर्ष : 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21	वित्त वर्ष: 2021-22 FY: 2021-22	वित्त वर्ष: 2020-21 FY: 2020-21
राजस्व Revenue	82,426.25	82,949.24	5,353.94	6,618.39	**87,780.19**	**89,567.63**
आस्तियां Assets	11,22,943.06	9,88,164.17	2,17,194.03	2,14,511.62	**13,40,137.09**	**12,02,675.79**

13.5 संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

I. संबद्ध पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

समूह से संबद्ध पार्टियां के ग्रुप :

ए) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

बी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

सी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नवीनतम नाम सहित)

13.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

b) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India InfraDebt Limited

c) Key Management Personnel (Includes the latest Na mes)

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S No.	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक / Remuneration	
			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
1	श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	₹ 40,46,242/-	₹ 35,39,380/-
2.	श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक (31.08.2021 तक) Executive Director (Upto 31.08.2021)	₹ 34,32,975/-	₹ 31,57,372/-
3.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 34,35,928/-	₹ 35,64,623/-
4.	श्री मुरली रामास्वामी* Shri Murali Ramaswami*	पूर्व कार्यपालक निदेशक (01.10.2019 से - दिसंबर 2020 तक प्रभावी) Ex-Executive Director (w.e.f. 01.10.2019- Dec 2020)	लागू नहीं NA	₹ 1,09,39,850/-
5.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक Executive Director	₹ 35,71,195/-	₹ 29,90,055/-
6.	श्री देबदत्त चाँद Shri Debadatta Chand	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 10.03.2021)	₹ 32,38,631/-	₹ 1,55,527/-
7.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (21.10.2021 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 21.10.2021)	₹ 53,84,145/- (₹ 39,48,633/- बॉब में सीजीएम के तौर पर उनके वेतन से संबंधित pertains to his salary as CGM in BOB)	लागू नहीं NA

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित

लेखों की टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.

**includes retirement benefits*

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने संबद्ध पार्टियों के साथ बैंक के लेन-देन संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं:

संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन के विवरण

The details of transactions of the Bank with its related parties during the year ended 31 March, 2022 are given below:

Details of transactions with Related Parties (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मदें/संबद्ध पार्टी Items/ Related Party	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
ऋण Borrowings	-	-	-	-
जमाराशियां Deposit	5.05	-	-	5.05
जमाराशियों का प्लेसमेंट Placement of deposits	1,367.00	-	-	1,367.00
अग्रिम Advances	-	-	-	-
निवेश Investments	1,029.70	-	-	1,029.70
गैर-निधीयन प्रतिबद्धताएं Non-funded commitments	-	-	-	-
प्राप्त पट्टेदारी /एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-
दी गई पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest paid	0.93	-	-	0.93
प्राप्त ब्याज Interest received	65.56	-	-	65.56
उपार्जित ब्याज Interest Accrued	38.93			38.93
सेवाओं का प्रतिपादन Rendering of services	2.70	-	-	2.70
सेवाएं प्राप्त करना Receiving of services	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश Dividend received	10.32	-	-	10.32

संबद्ध पक्षों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''राज्य-नियंत्रित उद्यम'' हैं. इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदारों समेत बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकार के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18.

Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

13.6 **लेखांकन मानक-19 ''पट्टे'':**
वित्तीय पट्टे

13.6 **Accounting Standard-19 "Leases":**
Financial Lease

	31.12.2021
कुल न्यूनतम बकाया पट्टे Total Minimum Lease Outstanding	
1 वर्ष से कम Less Than 1 year	99.49
1 से 5 वर्ष 1 to 5 years	282.40
5 वर्ष एवं अधिक 5 years and above	85.11
कुल Total	467.00
देय ब्याज लागत Interest Cost Payable	0.00
1 वर्ष से कम Less Than 1 year	(196.99)
1 से 5 वर्ष 1 to 5 years	0.00
5 वर्ष एवं अधिक 5 years and above	0.00
कुल Total	(196.99)

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:
Premises taken on operating lease are given below:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीकरण करना बैंक के विकल्प पर है.

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option.

i). The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021
एक वर्ष से कम Less than 1 year	89.33	161.80
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	299.46	249.00
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	271.75	254.95

ii) प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 793.62 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 821.66 करोड़) नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं. इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें नहीं होती हैं.

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 793.62 Crores (Previous Year: ₹ 821.66 Crores)

The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

13.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)

बैंक लेखांकन मानक-20 - ''प्रति शेयर आय'' के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में बुनियादी और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके ''मूल आय'' प्रति शेयर की गणना की जाती है.

13.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021
वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	4,62,05,66,586
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	55,07,95,593
वर्ष के अंत में शेयर की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	4,66,28,19,399
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	4,66,28,19,399
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	7849.69	1547.67
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	15.18	3.32
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earning per share (In ₹)	15.18	3.32
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	2	2

13.8 एएस - 21 (संशोधित) - समेकित वित्तीय विवरण

पैरा 21.29 के अनुरूप प्रकटीकरण - ''रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय स्थिति, रिपोर्टिंग अवधि हेतु परिणामों और पूर्व अवधि हेतु संबंधित राशि पर अनुषंगियों के अधिग्रहण और निपटान का प्रभाव'' निम्नानुसार है:

i) बैंक ने 31.03.2022 को इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आईएफएलआईसी) की 21% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके परिणामस्वरूप आईएफएलआईसी में बैंक की हिस्सेदारी 44% से बढ़कर 65% हो गई है. लेन-देन दिनांक 31.03.2022 के अंतिम दिन पूरा हो गया है और तदनुसार, आईएफएलआईसी के तुलन पत्र को बैंक की समेकित वित्तीय विवरणियों में एक अनुषंगी कंपनी (क्रमवार आधार पर) के रूप में समेकित किया गया है. चूंकि आईएफएलआईसी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण तक यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी, दिनांक 31.03.2022 तक लाभ और हानि को आनुपातिक समेकन आधार पर समेकित किया गया है.

ii) वर्ष के दौरान, 'बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड' (अंतरणकर्ता कंपनी) का 'बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरिती कंपनी) के साथ विलय कर दिया गया है जिसका नाम अब

13.8 AS - 21 (Revised) - Consolidated Financial Statement

Disclosure as per para 21.29 - "the effect of the Acquisition and Disposal of subsidiaries in the financial position at the reporting date, the results for the reporting period and on the corresponding amounts for the preceding period" is as under:

i) Bank has purchased 21% stake of IndiaFirst Life Insurance Company Limited (IFLIC) on 31.03.2022, resultantly the bank's shareholding in IFLIC has increased from 44% to 65%. The transaction has been completed towards end of day 31.03.2022 and accordingly, the balance sheet of IFLIC has been consolidated in Bank's Consolidated Financial Statements as a subsidiary company (on line by line basis). As IFLIC was a joint venture company till such acquisition of shares, Profit & Loss upto 31.03.2022 has been consolidated on proportionate consolidation basis.

ii) During the year, 'Baroda Asset Management India Limited' (Transferor Company) was merged with 'BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd' (Transferee Company) which was renamed as 'Baroda BNP Paribas

बदलकर 'बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' कर दिया गया है. अंतरणकर्ता कंपनी का एकल शेयरधारक होने के नाते बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एनसीएलटी के आदेश के अनुसार अंतरिती कंपनी के 10,81,50,783 शेयर आवंटित किए गए हैं. एनसीएलटी के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद, 14 मार्च 2022 को विलय प्रभावी हुआ. तदनुसार, विलय के पूरा होने के बाद बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास अंतरिती कंपनी में 50.10% की हिस्सेदारी है.

iii) वर्ष के दौरान 'बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरित कंपनी) का 'बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' अंतरणकर्ता कंपनी) के साथ विलय कर दिया गया है जिसका नाम बदलकर बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है. एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (अंतरणकर्ता कंपनी की धारिता) को अंतरिती कंपनी में 49,800 शेयर जारी किए गए थे. एनसीएलटी के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद, 14 मार्च 2022 को विलय प्रभावी हुआ. तदनुसार, विलय के पूरा होने के बाद अंतरिती कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 50.10% तक कम हो गई.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए साख/पूंजीगत प्रारक्षित निधि के साथ उपरोक्त अनुषंगियों की कुल आस्ति, कुल आय और शुद्ध लाभ/(हानि) के संबंध में समेकन निम्नानुसार है:

Asset Management India Private Limited'. Bank of Baroda being the sole shareholder of the transferor company, has been allotted 10,81,50,783 shares of the transferee company pursuant to the NCLT order. After fulfilling the conditions mentioned in NCLT order, the merger was effected on 14th March 2022. Accordingly, Bank of Baroda holds 50.10% stake in the transferee company after completion of merger.

iii) During the year 'BNP Paribas Trustee India Private Limited' (Transferor Company) was merged with 'Baroda Trustee India Private Limited' (Transferee Company) which was renamed as Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited. Pursuant to the NCLT order, BNP Paribas Asset Management Asia Limited (holding of Transferor Company) was issued 49,800 shares in the transferee company. After fulfilling the conditions mentioned in NCLT order, the merger was effected on 14th March 2022. Accordingly, Bank of Baroda's shareholding in the transferee company diluted to 50.10% after completion of merger.

Total assets, total income and Net profit/ (loss) of above subsidiaries for the year ended March 31, 2022 along with goodwill / capital reserve on consolidation is provided below.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **IndiaFirst Life Insurance Company Limited**	बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited**	बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited**	पूर्ववर्ती बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड **Erstwhile Baroda Asset Management India Ltd**
कुल आस्तियां Total Assets	19,767.22	213.27	0.54	-
कुल आय Total income	6,776.22	7.03	0.89	50.36
निवल लाभ Net Profit	(281.75)	(1.33)	0.01	(0.08)
समेकन पर साख Goodwill on Consolidation	662.32	-	-	-
समेकन पर पूंजी प्रारक्षित निधि (समेकित तुलन पत्र के शेड्यूल 2 के अंतर्गत) Capital Reserve on Consolidation (under schedule 2 of the consolidated balance sheet)	-	2.16	-	-

13.9 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

ए. आस्थगित कर आस्तियां

13.9 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22)

a. Deferred Tax Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	31 मार्च, 2022 को **As on March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को **As on March 31, 2021**
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	200.35	428.77
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	11,113.79	11,747.61
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for leave encashment	467.65	432.16
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारिक्षित निधि Foreign Currency Translation Reserve	351.63	255.67
धोखाधड़ी हेतु प्रावधान Provision for Fraud	146.69	71.55
गैर-बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य हेतु प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & Others	95.35	32.83
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred tax Asset	**12,375.46**	**12,968.59**

बी. आस्थगित कर देयताएं

b. Deferred Tax Liabilities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	31 मार्च, 2022 को **As on March 31, 2022**	31 मार्च, 2021 को **As on March 31, 2021**
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	12.06	5.18
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	1,873.43	1,810.50
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,097.77	906.53
कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred tax Liability	**2,983.26**	**2,722.21**
निवल आस्थगित कर देयताएं Net Deferred tax Asset	**9,392.20**	**10,246.38**

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित मूल बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है. ₹ 6,539.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6187.58 करोड़) के विवादास्पद आय कर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि मूल बैंक के विचार में, कर सलाहकारों की विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं.

13.10 समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)

चूंकि बैंक का अपने सहयोगियों में निवेश सहभागी प्रकृति का होता है

Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Parent Bank in respect of tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 6,539.29 Crores (previous year ₹ 6,187.58 Crores) as in the Parent bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

13.10 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (AS-23)

since Investments of the bank in its Associates are

और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है.

13.11 परिचालन बंद करना (एएस-24)

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित विदेशी टेरिटेरी/ अनुषंगियों को बंद कर दिया है:

1. 14.05.2021 को हांगकांग में बैंक की होलसेल शाखा.
2. 24.08.2021 को दक्षिण अफ्रीका में बैंक का परिचालन
3. 10.03.2022 को हांगकांग में बैंक का स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय.

13.12 आस्तियों की हानि (एएस-28)

एएस - 28 ''आस्तियों की हानि'' के अनुरूप ₹ 10.55 करोड़ लाभ एवं हानि खाते से डेबिट किए गए जबकि वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है.

13.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित

participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

13.11 Discontinuing operations (AS-24)

During the Financial year 2021-22, the Bank has closed the overseas territories/ subsidiaries:

1. Bank's wholesale Branch in Hong Kong on 14.05.2021.
2. Bank's operations in South Africa on 24.08.2021
3. Bank's Local Representative office in Hong Kong on 10.03.2022

13.12 Impairment of Assets (AS-28)

In terms of AS - 28 "Impairment of Assets" ₹ 10.55 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

13.13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	**विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies**	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2022	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021**
दिनांक 1 अप्रैल को शेष राशि Balance as on 1st April	201.99	101.09
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत/समायोजित Provided/ Adjustment during the year	(28.69)	100.90
दिनांक 31 मार्च को शेष राशि Balance as at 31st March	173.30	201.99
बाहर जाने वाली/ अनियमितताओं का समय Timing of Outflow / uncertainties	निपटान/क्रिस्टलीकरण का बहिर्गमन Outflow on settlement / crystallization	

इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता राशि/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, साथ ही जो करार की बाध्यताओं, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

बी) उपभोक्ता न्यायालयों में बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ दावे दायर किए गए लेकिन ₹ 0.45 करोड़ कर्ज के रूप में माने नहीं गए (पिछले वर्ष: ₹ 0.36 करोड़)

सी) मेसर्स एसटीसीआई - स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेंट बैंकर) ने वर्ष 2010 में बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध एसपीवीसीएल द्वारा दावाकृत ₹15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज किया गया था. उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है. प्रबंधन

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

B) Claims filed against BOB Financial Solutions Limited in consumer courts but not acknowledged as debts ₹ 0.45 Crores. (Previous Year: ₹ 0.36 Crore).

C) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of ₹15.23 Crores claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous

की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देयता नहीं होगी और अनुमान के अनुसार न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा.

डी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है.

ई) **आकस्मिक देयताओं के विवरण**

ए) **बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;**

व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न प्रोसीडिंग्स के पक्षकार हैं. यह अपेक्षा नहीं है कि समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन या नकदी प्रवाह के परिणाम पर ये प्रोसीडिंग्स के परिणाम वस्तुगत प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे. यह समूह विभिन्न कराधान मामलों के लिए पक्षकार है जिसके संबंध में अपील लंबित हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक एवं उसकी अनुषंगियों द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं.

बी) **आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता**

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रतिबिंबित करता है.

सी) **वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता**

समूह ने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशियल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है. अनुमानित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है. अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, यह समूह आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में ऑफसेट लेनदेन करता है. इससे अधिक संख्या में बकाया लेनदेन जनरेट होता है और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल अनुमानित मूलधन में भारी वृद्धि होती है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम है.

litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

D) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

E) **Description of contingent liabilities**

a) **Claims against the Bank not acknowledged as debts;**

The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows. The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank and its subsidiaries.

b) **Liability for partly paid investments**

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

c) **Liability on account of forward exchange and derivative contracts**

The Group enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The notional amounts are recorded as contingent liabilities. With respect to

डी) **ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटी**

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है. वह गारंटी इरेवोकेबल एश्योरेंस को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा.

ई) **स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व**

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया हैं, को शामिल किया गया है.

एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से (कंटींजेंटली) उत्तरदायी है.

14 नियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

ए) **भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण**

the transactions entered into with its customers, The Group generally enters into offsetting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.

d) **Guarantees given on behalf of constituents**

As a part of its banking activities, the Group issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) **Acceptances, endorsements and other obligations**

These include documentary credit issued by the Group on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is contingently liable.

14. Penalty Imposed by Regulators

a) **Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	उल्लंघन का प्रकार **Nature of Breach**	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **For the year ended March 31, 2022**		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **For the year ended March 31, 2021**	
		मामलों की संख्या **No of Cases**	राशि **Amount**	मामलों की संख्या **No of Cases**	राशि **Amount**
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed by RBI	नियामक/ परिचालनगत Regulatory/ Operational	532	10.33	222	1.40
विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		11	0.33	3	13.70

बी) **एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण**

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म लौटाए जाने की तारीख	राशि	टिप्पणियां
2021-22	-	-	-
2020-21	-	-	-

सी) **रिवर्स रेपो लेन-देन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (चूककर्ता प्रतिभागी हेतु लागू). - शून्य**

डी) **विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए अन्य जुर्माने के विवरण निम्नानुसार हैं:**

1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - शून्य
2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 - शून्य
3) सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2006 - शून्य

15. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

15.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक/ कंपनी की शेष राशियों का रिकंसिलेशन सतत आधार पर किया जाता है. बैंक के मामले में, अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान दिनांक 31.03.2022 तक

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2021-22	-	-	-
2020-21	-	-	-

c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant). - Nil

d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions is as under:

1) Banking Regulation Act, 1949 - Nil
2) Payment and Settlement Act, 2007 - Nil
3) Government Securities Act, 2006 - Nil

15 Additional Disclosures:

15.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. In case of Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to

पूरा कर लिया गया है, जिसका रिकंसिलेशन किया जा रहा है. अनुषंगी बही खातों का मिलान, अंतर-कार्यालय खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों की पुष्टि/ रिकंसिलेशन आदि सतत आधार पर जारी है. प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त का, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है.

15.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है. तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है.

15.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर. सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 (आरएफ 1.0) और 05.05.2021 (आर एफ 2.0) के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए निपटान फ्रेमवर्क के तहत

31.03.2022, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

15.2 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

15.3 Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2021 (RF 2.0) as of March 31, 2022.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार **Type of borrower**	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पूर्व छमाही अर्थात् 30.09.2021 की समाप्ति पर स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2021 (A)**	(ए) में से, सकल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया **Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि **Of (A), amount written off during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि **Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year**	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पूर्व छमाही अर्थात् 31.03.2022 की समाप्ति पर स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2022(A)**
वैयक्तिक ऋण Personal Loans$	5,420.46	177.62	0.00	243.46	4,882.76
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	9,129.75	2,228.49	0.00	2,749.24	4,277.85
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	372.77	119.90	0.00	15.55	262.87
अन्य Others	923.87	0.00	0.00	5.22	1578.17**
कुल Total	15,474.08	2,406.11	0.00	2,997.92	10,738.78

लागू निपटान योजना के विवरण.

*दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए गए अनुसार

** नियामक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार दिसंबर 2021 माह में एक खाते में निपटान योजना लागू किए जाने के कारण एक्स्पोजर में वृद्धि

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

**Exposure increased due to implementation of resolution plan in one account in month of December 2021 as permitted by regulator.

$In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

$पूल खातों के मामले में, जानकारी प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध किए गए अनुसार है.

15.4 दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार निपटान योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता शामिल है. बैंक के पास 31.03.2022 को 26 खातों में ₹ 1947.65 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

15.4 As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of ₹ 1,947.65 Crores as on 31.03.2022 in 26 nos. of accounts as detailed below.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋण की राशि (ए) **Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)**	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (बी) **Amount of Loans to be classified as NPA (B)**	31.03.2022 को (बी) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (सी) **Amount of Loans as on 31.03.2022 out of (B) classified as NPA (C)**	31.12.2021 को धारित प्रावधान (डी) **Provision held as on 31.12.2021 (D)**	31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) (ई) **Additional provision/ (reversal) made during quarter ended 31.03.2022 (E)**	31.03.2022 को धारित प्रावधान (एफ) **Provision held as on 31.03.2022 (F)**
10,221.09	9,712.67	9,712.67	4,015.92	(2,068.27)	1,947.65

15.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 23 जून, 2017 और दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए समूह ने 31 मार्च, 2022 को कुल बकाया के 100% के रूप में कुल ₹ 7,656.31 करोड़ का प्रावधान किया है (पिछले वर्ष: कुल बकाया के 100% के रूप में ₹ 8,297.61 करोड़).

15.6 उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2022 तक ₹ 196.58 करोड़ का प्रावधान किया है. (पिछले वर्ष ₹ 184.10 करोड़)

15.7 वर्ष के दौरान, 'बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड' (अंतरणकर्ता कंपनी) का 'बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरणकर्ता कंपनी) में विलय कर दिया गया है जिसका नाम बदलकर 'बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' कर दिया गया है. अंतरणकर्ता कंपनी का एकल शेयरधारक होने के नाते बैंक ऑफ बड़ौदा को एनसीएलटी के आदेश के अनुसार अंतरिती कंपनी के 10,81,50,783 शेयर आवंटित किए गए हैं. एनसीएलटी के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद, 14 मार्च 2022 को विलय प्रभावी हुआ. तदनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास विलय के पूरा होने के बाद अंतरिती कंपनी में 50.10% की हिस्सेदारी है.

15.8 वर्ष के दौरान 'बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरणकर्ता कंपनी) का 'बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (अंतरिती कंपनी) के साथ विलय कर दिया गया है जिसका नाम अब बदलकर बड़ौदा बीएनपी पारिबास

15.5 As per RBI Circular no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the group is holding total provision of ₹ 7,656.31 Crores being 100% of total outstanding as on March 31, 2022 (Previous Year ₹8,297.61 Crores being 100% of total outstanding).

15.6 Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of ₹196.58 Crores as on March 31, 2022 (Previous Year ₹184.10 Crores).

15.7 During the year, 'Baroda Asset Management India Limited' (Transferor Company) was merged with 'BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd' (Transferee Company) which was renamed as 'Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited'. Bank of Baroda being the sole shareholder of the transferor company, has been allotted 10,81,50,783 shares of the transferee company pursuant to the NCLT order. After fulfilling the conditions mentioned in NCLT order, the merger was effected on 14th March 2022. Accordingly, Bank of Baroda holds 50.10% stake in the transferee company after completion of merger.

15.8 During the year 'BNP Paribas Trustee India Private Limited' (Transferor Company) was merged with 'Baroda Trustee India Private Limited' (Transferee Company) which was renamed as Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited. Pursuant to the

ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है. एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (अंतरित कंपनी की धारिता) को अंतरिती कंपनी में 49,800 शेयर जारी किए गए थे. एनसीएलटी के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद, 14 मार्च 2022 को विलय प्रभावी हुआ. तदनुसार, विलय के पूरा होने के बाद अंतरिती कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 50.10% तक कम हो गई.

15.9 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत लीवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) सहित पिलर 3 प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट ''https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii'' पर उपलब्ध है. यह प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं.

15.10 न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 निर्देशों के अनुसार, तीन खातों को न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें सकल बकाया ₹ 282.29 करोड़ है जिसके सापेक्ष अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार बैंक ने 31 अक्तूबर, 2022 तक ₹ 70.79 करोड़ का प्रावधान किया है.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों में आईआरएसीपी मानदंडों के अलावा 31.03.2022 तक ₹ 598.88 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है.

15.11 बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1454.41 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 के द्वारा बैंकों को प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ 5 (पांच) वर्ष की अवधि तक की अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त प्रावधान का विकल्प चुना और 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹ 72.72 करोड़ और 290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और शेष ₹ 1163.53 करोड़ के गैर परिशोधित व्यय को आगे कैरी फॉर्वर्ड किया है. यदि बैंक ने लाभ और हानि खाते के लिए संपूर्ण अतिरिक्त देयता को प्रभारित किया होता, तो 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) में ₹ 870.67 करोड़ की कमी आती.

15.12 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और जिसे हमने आधार बनाया है.

NCLT order, BNP Paribas Asset Management Asia Limited (holding of Transferor Company) was issued 49,800 shares in the transferee company. After fulfilling the conditions mentioned in NCLT order, the merger was effected on 14th March 2022. Accordingly, Bank of Baroda's shareholding in the transferee company diluted to 50.10% after completion of merger.

15.9 In terms of RBI guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio, liquidity coverage ratio and Net stable funding ratio (NSFR) under the Basel- III framework are being made available on our website "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii". These disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank.

15.10 As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, three accounts are classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 282.29 Crores against which the Bank is holding provision of ₹ 70.79 Crores as on March 31, 2022 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

Apart from above, the Bank is holding additional provision of ₹ 598.88 Crores as of 31.03.2022 over and above the IRACP norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

15.11 Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1,454.41 Crores. However, RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted the said provision of RBI, charged an amount of ₹ 72.72 Crores & ₹ 290.88 Crores to the Profit & Loss account for the quarter and FY ended 31st March 2022 respectively and the balance unamortized expense of ₹1163.53 Crores has been carried forward. Had the Bank charged the entire additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit (after tax) for the quarter and FY ended March 31, 2022 would have been lower by ₹ 870.67 Crores.

15.12 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

15.13 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि में धोखाधड़ी के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है. तदनुसार, 31 मार्च, 2022 तक कैरी फॉरवर्ड प्रावधान, ₹ 87.02 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹162.91 करोड़ था) है, जिसे बैंक द्वारा आगामी तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा.

15.14 'अग्रिमों की पुनर्संरचना-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एक बारगी पुनर्संरचना) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, परिपत्रांक डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं परिपत्रांक डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी/ 4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, 31.03.2022 को एमएसएमई पुनर्संरचित उधारकर्ताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2022 को राशि
99,857	7,306.38

15.15 निपटान फ्रेमवर्क 2.0-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 एवं परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2022 को राशि	किया गया प्रावधान
20,802	1,765.61	209.08

15.16 "निपटान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसाय के कोविड-19 संबंधी दबाव का निपटान" संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन अनुमोदित और क्रियान्वित किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार हैं: -

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2022 को सकल एक्सपोजर
6,541	641.86

15.17 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	खरीद	बिक्री
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	-	1,000.00
2.	पीएसएलसी कृषि	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य	-	-
4	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	3,500.00	-
5.	एमएसएमई	-	-
	कुल	**3,500.00**	**1,000.00**

15.13 As per the RBI circular no. RBI/2015-16/376 DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2022 is ₹ 87.02 Crores (Previous Year ₹ 162.91 Crores) which is to be amortised in the subsequent quarters by the Bank.

15.14 In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2022 is as under:

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Amount as on 31.03.2022
99,857	7,306.38

15.15 In accordance with RBI circular No DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Amount as on 31.03.2022	Provision Held
20,802	1,765.61	209.08

15.16 In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework - 2.0: Resolution of COVID - 19 related stress of Individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2022
6,541	641.86

15.17 Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

(Amount in ₹ Cr)

Sr. No.	Category	Purchase	Sale
1.	PSLC Micro Enterprises	-	1,000.00
2.	PSLC Agriculture	-	-
3.	PSLC General	-	-
4	PSLC Small and Marginal Farmers	3,500.00	-
5.	MSME	-	-
	Total	**3,500.00**	**1,000.00**

15.18 अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड के मामले में, अनुषंगी और मूल प्रबंधन ने कोर बैंकिंग समाधान, ऋण हानियों का वर्गीकरण एवं पहचान और अन्य पर्यवेक्षी कार्यों के क्षेत्र में विभिन्न नियामक निर्देशों के अनुसार अपेक्षित नियंत्रण में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं. मूल बैंक का प्रबंधन समूह की वित्तीय स्थिति पर इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुमान नहीं करता है.

15.19 बैंकों द्वारा अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि ₹ 2670.00 करोड़ से उत्पन्न अधिशेष को चालू वर्ष के दौरान "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि" में जोड़ा गया है. साथ ही, एस-28 "आस्ति की हानि" के संदर्भ में ₹ 10.55 करोड़ लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए हैं, जिसमें वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है.

16 समेकित वित्तीय विवरण में संशोधन पर टिप्पणी

बैंक के निदेशक मंडल ने 13 मई, 2022 को आयोजित बैठक में समेकित वित्तीय विवरणों को अनुमोदित और जारी किया है. जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता, 31 मार्च 2022 वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह एवं महत्त्वपूर्ण लेखानीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरण सहित समेकित वित्तीय विवरण शामिल है. तत्पश्चात निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्व में अनुशंसित $ 1.20 प्रति इक्विटी शेयर (60%) की तुलना में प्रति इक्विटी शेयर $ 2.85 (142.50%) के लाभांश की संस्तुति की है और समेकित वित्तीय विवरणों को तद्नुसार संशोधित किया गया है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है. वित्तीय परिणामों में संशोधन को बैंक के निदेशक मंडल के उक्त निर्णय को प्रभावी करने के लिए सीमित रखा गया है. अनुशंसित लाभांश शेयरधारकों से अपेक्षित अनुमोदन के अधीन हैं.

17 वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक होने पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहित किया गया है.

15.18 In the case of one of the subsidiary Nainital Bank Limited, the management of the subsidiary and the Parent has initiated various steps to improve the controls required as per various regulatory directions in the area of core Banking solution, classification and identification of loan losses and other supervisory functions. The management of Parent Bank does not foresee any material impact over the Group Financial position arising out of the same.

15.19 In terms of Banks approved revaluation policy, The immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹ 2670.00 Crores has been added to "Revaluation Reserve" during the current year. Also in terms of AS - 28 "Impairment of Assets" ₹ 10.55 Crores has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property.

16 Note on amendments in Consolidated Financial Statements

The Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 13, 2022, had approved and issued the Consolidated Financial Statements which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the consolidated Profit and Loss Account, consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022, and Notes to the consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information. Subsequently, the Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 31, 2022, have recommended a dividend of $2.85 per equity share (142.50%) as against $1.20 per equity share (60%) recommended earlier and the consolidated Financial Statements have been amended accordingly and approved by the Board of Directors. The amendment in the consolidated Financial Statements has remained limited to give effect to the above said decision of the Board of Directors. The recommended dividend is subject to requisite approval from shareholders of the Bank.

17 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021
ए.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	A.	**Cash flow from operating activities:**		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**10,15,776**	**6,46,694**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	1,43,824	1,35,730
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	56,687	88,433
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	14,81,469	12,54,873
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(2,66,173)	2,18,080
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)		Provision for Other items (Net)	1,39,780	1,26,195
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) हानि (निवल)		(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(423)	(27,125)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	1,95,799	1,91,476
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	(646)	-
	पूर्ण योग		**Sub total**	**27,66,093**	**26,34,356**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(66,04,857)	7,19,558
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(88,85,338)	(29,25,126)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(increase)/Decrease in other assets	4,54,388	3,33,961
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	37,62,417	(25,30,846)
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	79,89,463	22,68,166
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	12,71,815	(55,922)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(1,00,788)	(5,32,852)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (ए)		**Net cash from operating activities (A)**	**6,53,193**	**(88,705)**
बी.	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	B.	**Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(3,16,288)	(2,78,605)
	अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	(24,225)	2,52,685
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)		Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(24,640)	(21,219)
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	646	-
	निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (बी)		**Net cash used in investing activities (B)**	**(3,64,507)**	**(47,139)**

(₹ लाखों में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021
सी.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	C.	**Cash flow from financing activities:**		
	शेयर पूंजी / शेयर आवेदन पूंजी/ शेयर प्रीमियम		Share Capital /Share application money/ Share premium	-	11,016
	गैर-जमानती गौण बॉन्ड		Unsecured Subordinated Bonds	63,860	81,910
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	(1,95,799)	(1,91,476)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)		**Net cash from financing activities (C)**	**(1,31,939)**	**(98,550)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि		**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**1,56,747**	**(2,34,394)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and cash equivalents as at the beginning of the year**	**1,28,66,113**	**1,31,00,507**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and cash equivalents as at the end of the year**	**1,30,22,860**	**1,28,66,113**
	टिप्पणी:		**Notes:**		
1	नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है.	1	Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2	नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2	Components of Cash & Cash Equivalents	**31 मार्च, 2022 को As on 31st March 2022**	31 मार्च, 2021 को As on 31st March 2021
	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि		Cash & Balance with RBI	56,77,494	40,15,372
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	73,45,366	88,50,741
	कुल		**Total**	**1,30,22,860**	**1,28,66,113**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (''मूल संस्था''/''बैंक'') और इसकी अनुषंगियों (मूल संस्था और इसकी अनुषंगी कंपनियां "समूह" के रूप में संदर्भित), इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों (इसमें ''**समेकित वित्तीय विवरण**'' के रूप में संदर्भित) संबंधी नोट का समावेश है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

ए) बैंक के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

बी) 7 विदेशी अनुषंगियों, 2 घरेलू अनुषंगियों, 1 घरेलू संयुक्त उद्यमों, 1 विदेशी संयुक्त उद्यम, 3 घरेलू सहयोगी संस्थाओं और 1 विदेशी सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण.

सी) 7 घरेलू अनुषंगियों (विलय के कारण एक बंद अनुषंगी सहित) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी.

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निदेशों (आरबीआई दिशानिर्देश) तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समूह, उनकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के लिए यथाअपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे कि वे भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) 31 मार्च, 2022 तक समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण;

बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों का वास्तविक लाभ; और

सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण.

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. उन लेखा-परीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है. हम उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''नैतिक आचरण संहिता'' के अनुसार समूह, उनकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं जो भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने के साथ लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

विषयवस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं:

ए) अनुसूची 19 की नोट संख्या 8 जिसमें नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के व्यवसाय परिचालन पर इसके प्रभावों के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन है.

बी) अनुसूची 19 की नोट नं. 14.7, जो ₹ 1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में है. बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹ 290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹ 1163.53 करोड़ के अपरिशोधित व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 के अनुसार शामिल किया है.

सी) अनुसूची 19 की नोट सं. 14.9 जो दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित ₹ 87.02 करोड़ के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं. बीपी.बीसी. 92121.04.048/ 2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में अगली तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं.

डी) अनुसूची 19 की नोट सं. 15.20 बैंक के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों में संशोधन से संबंधित हैं. हमने दिनांक 13 मई, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है जिनमें 31 मार्च, 2022 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं जिन्हें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है. बैंक के निदेशक मंडल ने अब लाभांश भुगतान में वृद्धि की सिफारिश की है और तद्नुसार समेकित वित्तीय विवरणों को उस सीमा तक संशोधित किया गया है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 31 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में

अनुमोदित किया गया है. बाद की इन गतिविधियों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं केवल निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संशोधन तक ही सीमित हैं.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों को संबंधित संघटक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ प्रिंसिपल लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण हैं.

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 60.81% है, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है. ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसी) मानदंडों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है. बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के आधार पर करता है.

निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है. बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख- रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक.

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं.

यदि व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया है तो इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है.

साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया. हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे:

ए) हमने अनर्जक आस्तियों के निर्धारण, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई.

बी) हमें आवंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की. हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है.

सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई.

डी) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान की जांच की गई.

ई) एनपीए की पहचान और भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया.

एफ़) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है.

जी) हमने एनपीए की पहचान और उसके संबंध में प्रावधान हेतु सीबीएस में अंतर्निहित बिज़नेस लॉजिक/ मानदंडों के संबंध में आईटी सिस्टम लेखापरीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर भी विश्वास किया है.

एच) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों का विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया.

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुडी या स्वतंत्र रूप से संचालित अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कार्य करने पर पर अत्यधिक निर्भर हैं.

हमारा ध्यान सिस्टम में फीड करने, माइग्रेट किए गए डेटा की सत्यता, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एक्सेस प्रबंधन और ड्यूटी के विभाजन के तर्क पर केन्द्रित रहा है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, स्पष्ट और निगरानी में हैं, ताकि सिस्टम सटीक और

विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी तैयार कर सके जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उपयोग में लायी जाती हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का प्रयोगा किया जाता है. बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक वॉल्यूम में जनरेट करती हैं और विविध एवं जटिल लेनदेन की प्रक्रिया संपादित करती हैं जो आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं. एक ऐसा जोखिम हो सकता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं और संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सटीक रूप से डिजाइन और प्रभावी ढंग से परिचालित नहीं किया गया हो. अतः इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है.

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी एप्लिकेशनों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है और टेस्ट परीक्षण के आधार पर सिस्टम से जनरेट की गई रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी सिस्टम की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पुष्टि, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रित वातावरण, आईटी नीतियों के दृष्टिकोण को समझा.

बी) यूज़र एवं एप्लिकेशन नियंत्रण, चेंज मैनेजमेंट नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना.

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्णय लिया, वहां हम मैन्युअल कंपसेटिंग नियंत्रणों पर निर्भर रहे जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूने के आकार को विस्तार दिया है.

डी) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां (एमओसी) पर भरोसा किया गया.

ई) बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा जहां कहीं भी उपलब्ध कराया गया है.

III **निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)**

इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं.

निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 24.71% है. ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं.

गैर-उद्धत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है.

तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही.

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफ़आईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है.

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक फोकस की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है.

लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है.

ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है -

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है ;

बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन कर मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है. नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है.

डी) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है;

ई) हमने स्वतंत्र रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

IV. **कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):**

बैंक ने उक्त के पेटे दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं. प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउट फ्लो का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के अनुपालन की आवश्यकता होती है. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी.

लेखा परीक्षक की प्रतिक्रियाएं

मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया

ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है.

बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है. इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है.

सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में कंपनी के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है.

डी) कर से इतर महत्वपूर्ण विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए चयनित मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है.

ई) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है.

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है.

जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है.

5. **अन्य मामले**

ए) हमने 9 अनुषंगियों और 2 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ₹ 38,736.39 करोड़ की कुल आस्ति, ₹ 3201.58 करोड़ के कुल राजस्व और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1286.33 करोड़ का निवल नकदी आउटफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹ 232.75 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि 4 सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है. इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

विदेशी अनुषंगियों के मामले में, वित्तीय सूचना उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है. कंपनी के प्रबंधन ने ऐसी अनुषंगियों की वित्तीय सूचना को उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामन्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में रूपांतरित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है. जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी अनुषंगियों के बकाया शेष का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है.

बी) हमने 7 अनुषंगियों (समामेलन के कारण बंद एक अनुषंगी सहित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ₹ 28,357.48 करोड़ की कुल आस्ति, ₹ 3724.61 करोड़ के कुल राजस्व और दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 47.11 करोड़ के निवल नकदी आउटफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है.

सी) वित्तीय विवरणों में संशोधन के संबंध में अनुसूची 19 की नोट सं.

15.20 के अनुसरण में, यह रिपोर्ट 13 मई, 2022 को जारी हमारी पिछली रिपोर्ट के बदले में जारी की गई है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है.

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारियां

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है, जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी और बासेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देंगे.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है.

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी. इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है.

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एव गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह हैं, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के कैश फ्लो का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं. समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सम्मिलित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हो तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है, जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, जिसे उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है, के लिए जवाबदेह हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थान के संबंधित निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा समूह के संस्थान को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थानों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निगरानी करने के लिए भी जवाबदेह हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य यह भरोसा दिलाना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं. हम:

- समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य

प्राप्त करते हैं. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि समेकित वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यवसाय की गतिविधियों की वित्तीय सूचना पर पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थानों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वैसे अन्य लेखा परीक्षक ही जवाबदेह होंगे. हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं.

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करते हैं.

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है.

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. बैंक का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित वर्कफ्लो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं:

10. उपर्युक्त पैरा 5 और 6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षाओं के अधीन, हमारी लेखा परीक्षा और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित तथा अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी, जिसे 'अन्य मामलें' पैराग्राफ में नोट किया गया है, के यथालागू अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई रिटर्न के अनुसार हैं ;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता

और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पत्र दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पठित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीकृत लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वर्ष 2019-20 से एससीए रिपोर्टिंग 'दायित्व' संबंधी पत्र सं. डीओएस.एआरजी.नं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) द्वारा यथा अपेक्षित हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर यह भी सूचित करते हैं कि :

ए) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं;

बी) वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसे कोई अवलोकन या टिप्पणियाँ नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

ग) दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए अनुसार और भारत में निगमित इसकी अनुषंगियों, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यम कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर भारत में निगमित समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यम कंपनियों में कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है.

डी) खातों के रखरखाव और उनसे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ई) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश" के पैरा 1.14 के अनुसार आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी. तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है.

कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207डबल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 22074392AKACPK4845

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000112एन

(अशोक कुमार जैन)
साझेदार
एम नं.: 090563
यूडीआईएन: 22090563AKADTS1218

कृते व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000590सी

(ओ. पी. व्यास)
साझेदार
एम नं.: 014081
यूडीआईएन: 22014081AKAETW6700

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009096सी

(मनोज राठी)
साझेदार
एम नं.: 411460
यूडीआईएन :22411460AKAFFH2461

कृते जे काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769डबल्यू

(जयेश काला)
साझेदार
एम नं.: 101686
यूडीआईएन :22101686AKAFSZ8657

दिनांक : 31 मई, 2022

स्थान : मुंबई

Independent Auditors Report

To

The Members of Bank of Baroda

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Parent"/ "the Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:

(a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

(b) Audited Financial Statements of 7 Foreign Subsidiaries, 2 domestic Subsidiaries, 1 domestic Joint Ventures, 1 Foreign Joint Venture, 3 Domestic Associates and 1 Foreign Associate.

(c) Unaudited financial statements / financial information of 7 Domestic Subsidiaries (including one ceased on merger).

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, Joint Ventures and associates, the unaudited financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the group and its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2022;

b) true balance of Profit of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time , and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to following:

a) Note no. 8 of Schedule 19 which describes the uncertainties due to outbreak of novel corona virus (COVID 19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the Bank.

b) Note No. 14.7 of Schedule 19 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2022 and the balance unamortized expense of ₹ 1163.53 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

c) Note No. 14.9 of Schedule 19 relating to deferment of provision of ₹ 87.02 Crores pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2022 and to be charged to the Profit & Loss Account in the subsequent quarters, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92121.04.048/2015-16

dated April 18, 2016.

d) Note No. 15.20 of Schedule 19 regarding amendments in Consolidated Financial Statements pursuant to the decision taken by the Board of Directors of the Bank. We had issued our audit report dated May 13, 2022 on the Consolidated Financial Statements which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2022, and Notes to Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and the other explanatory information, approved by the Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 13, 2022. The Board of Directors have now recommended an enhancement in the dividend pay-out and accordingly the Consolidated Financials Statements have been amended to that extent and approved by the Board of the bank in their meeting held on May 31, 2022. Our audit procedures in relation to the subsequent events are restricted solely to the amendments in the Consolidated Financial Statements pursuant to the Decision of the Board of Directors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

4. **Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the respective component auditors which, in our opinion, are material.

I. **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 18 to the financial statements)**

The net advances of the Bank constitute 60.81 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norm in respect of the

top 20 branches allotted to us. We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank;

d) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

e) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

f) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank during the year in accordance with the directives of RBI.

g) We have also relied on the reports of IT System Audit experts with respect to the business logics / parameters inbuilt in CBS for identification of NPAs and provisioning in respect thereof.

h) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. **Information Technology (IT)and controls impacting financial Reporting**

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period.

b) Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

III. **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 24.71 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-

performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample;

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2022 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision;

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

IV. **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 18 to the financial statements):**

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgements in such cases.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the Financial Statements/ information of 9 subsidiaries and 2 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 38,736.39 Crores as at 31st March, 2022, total revenue of ₹ 3201.58 Crores, and net cash outflows of ₹ 1286.33 Crores for the year ended on 31st March, 2022, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 232.75 Crores for the year ended 31st March 2022, as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of 4 Associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements/ financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates is based solely on the report of such auditors.

In the case of foreign subsidiaries, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The Company's management has converted the financial information of such subsidiaries from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors. Our opinion in so far as it relates to the balances of such subsidiaries located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

b) We did not audit the Financial Statements of 7 subsidiaries (including one ceased on Merger) whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 28,357.48 Crores as at 31st March, 2022, total revenue of ₹ 3724.61 Crores and net cash outflows of ₹ 47.11 Crores for the year ended on 31st March, 2022, as considered in the consolidated Financial Statements. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and joint ventures is based solely on such unaudited Financial Statements/financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these Financial Statements/ Financial information are not material to the Group.

c) Pursuant to Note No.15.20 of Schedule 19, regarding amendments in financial statements, this report supersedes our earlier report issued on May 13, 2022.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially

misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, its associates & joint ventures in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates & joint ventures and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

   In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for assessing the ability of the Group and its associates and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates and joint ventures.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether

a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and joint ventures to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint ventures to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates and joint ventures to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

9. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5 to 6 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matter' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949

have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors of the Bank as on March 31, 2022 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiaries, associate and joint ventures companies incorporated in India, none of the directors of the Group and its associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 22074392AKACPK4845

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

(Ashok Kumar Jain)
Partner
M. No.: 090563
UDIN: 22090563AKADTS1218

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants
FRN: 000590C

(O. P. Vyas)
Partner
M. No.: 014081
UDIN: 22014081AKAETW6700

For Dassani & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009096C

(Manoj Rathi)
Partner
M. No.: 411460
UDIN: 22411460AKAFFH2461

For J. Kala & Associates
Chartered Accountants
FRN: 118769W

(Jayesh Kala)
Partner
M. No.: 101686
UDIN: 22101686AKAFSZ8657

Date: May 31, 2022

Place : Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं.

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2022 contains unmodified opinion.

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

दिनांक: 31.05.2022
Date: 31.05.2022
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- समेकित

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण), विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालन स्वरूप हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

ए. हमने वर्ष 2021-22 (समेकित) हेतु वित्तीय विवरणी और नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणियों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

इयान डिसूजा
मुख्य वित्त अधिकारी

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 31.05.2022
स्थान: मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai
Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2022 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2021-22 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Date : 31.05.2022
Place : Mumbai

लाभांश संवितरण नीति

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 [इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियमन के रूप में संदर्भित] के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण 'जिसकी गणना प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को की जाती है' के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को एक लाभांश वितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसे सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी दिया जाएगा. इससे निवेशकों को इन हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश करते समय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी.

हमारा बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार द्वारा जारी लाभांश के संबंध में दिशानिर्देशों जिनको नीति में विधिवत शामिल किया गया है, का अनुपालन करना हमसे अपेक्षित है.

उद्देश्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक के शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

(1) शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं

(2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल.

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं संबंधी पूर्ति के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है. साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है. बैंक का यह प्रयास रहता है कि अतिरिक्त नकद राशि अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए.

सामान्यतया, बैंक लाभजनक वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं. कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है:

(ए) बैंक का वर्तमान और भविष्य का वित्तीय कार्य-निष्पादन,

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएं

(सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और

(डी) उसके शेयरधारकों की अपेक्षाएं.

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है.

लाभांश की घोषणा हेतु पात्रता मानदंड:

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा अपने निवेश के वित्तपोषण एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है. प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन भी उपलब्ध कराता है. बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के साथ संतुलन का प्रयास करता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

1) लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से ही किया जाएगा.

2) बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए:

ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा बैंक के लिए 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है जिसमें सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल है जो 9% की विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त है. जब भी बफर 2.5% से कम होता है, तो अर्जन के विवेकाधीन संवितरण (उदाहरण के लिए, लाभांश, शेयर बायबैक और विवेकाधीन स्टाफ बोनस भुगतान) पर स्वत: प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि बफर/पूंजी स्तर को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए फिर से उपयुक्त किया जा सके.

और

बी) निवल एनपीए (अनर्जक आस्तियां) 7% से कम.

यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस लेखांकन वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है, उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगी बशर्ते उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो.

3) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध) एवं 17 (लाभांश की घोषणा से पहले निधि आरक्षित करने हेतु लाभ के हिस्से का न्यूनतम 25% का अंतरण) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए.

धारा 15 - लाभांश के भुगतान के बारे में प्रतिबंध

(1) कोई भी बैंककारी कंपनी अपने शेयरों पर तब तक किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब तक कि उसके सभी पूंजीगत व्यय (जिनके अंतर्गत प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-विक्रय कमीशन, ब्रोकरेज, उपगत हानियों की राशि तथा व्यय की कोई ऐसी अन्य मद जिन्हें मूर्त आस्तियां द्वारा दर्शाया नहीं गया हैं) पूरी तरह से बट्टे खाते न डाल दिए गए हों.

(2) उपधारा (1) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी निम्नलिखित को बट्टे खाते डाले बिना अपने शेयरों पर लाभांश दे सकेगी.

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में उसके निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसा मूल्यह्रास वस्तुत: पूंजीकृत नहीं किया गया है या हानि के रूप अन्यथा लेखांकन में नहीं लिया गया है;

(ii) शेयरों, डिबेंचर या बॉण्ड (अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न) में उनके निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसे मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है;

(iii) अशोध्य ऋण, यदि कोई हों, उस दशा में, जिसमें ऐसे ऋणों के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है."

धारा 17 - प्रारक्षित निधि

1) भारत में निगमित प्रत्येक बैंककारी कंपनी एक प्रारक्षित निधि सृजित करेगी तथा धारा 29 के अधीन तैयार किए गए लाभ-हानि खाते में प्रकट किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से तथा लाभांश घोषित किए जाने के पूर्व न्यूनतम, ऐसे लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि प्रारक्षित निधि को अंतरित करेगी. वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 30.08.2021 के अनुरूप लेखा मानक-26 के अनुपालन में बैंकों के तुलन पत्र में मान्य और शामिल अमूर्त आस्तियां, बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों की ओर संकेत करती हैं, जिसके अनुरूप बैंकों को तब तक किसी भी लाभांश की घोषणा करने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि तुलन पत्र में शामिल मूर्त आस्तियों में किसी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है. किसी भी अमूर्त आस्ति को अपनी बहियों में शामिल करते हुए लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट प्राप्त करनी होगी.

वित्तीय विवरणियां - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश - 30 अगस्त 2021 (15.11.2021 तक अद्यतन) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी. बीसी.24/21.04.018/2000-2001 दिनांक 23.09.2000 के अनुरूप पूंजी में वृद्धि के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) को विनियोजन से पूर्व 'निवल लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक है.

4) वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार, बैंक को अनिवार्य विनियोजन के बाद वर्ष के लिए निवल लाभ से निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) और निवेश प्रारक्षित निधि के लिए विनियोजन करना चाहिए.

5) लाभांश की घोषणा से पूर्व, बैंक को मौजूदा वर्ष के लाभ से आस्तियों की क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रावधान करने, कर्मचारी सेवानिवृति लाभों, सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ अंतरण, सांविधिक प्रारक्षित निधि, निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर), निवेश प्रारक्षित निधि, विशेष प्रारक्षित निधि, पूंजी प्रारक्षित निधि और अन्य विनियोजनों हेतु पर्याप्त प्रावधान करने सहित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए.

6) रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया होना चाहिए.

7) लाभांश की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी प्रकार के निदेशों या पत्रों के अध्यधीन होगी.

8) लाभांश की घोषणा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु "त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क" के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021 द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अध्यधीन है.

9) लाभांश केवल प्रति शेयर के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए.

10) इस नीति और मौजूदा विनियम के बीच अंतर की स्थिति में, विनियम प्रभावी होंगे.

देय लाभांश का हिस्सा:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश:

(ए) लाभांश भुगतान का अनुपात (अर्थात् कर पश्चात लाभ के सापेक्ष लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा.

निवल एनपीए अनुपात					
श्रेणी	सीआरएआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम तक	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा					
ए	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या उससे अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष में 9% या उससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ' के सापेक्ष 'वर्ष के दौरान देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर, जहां भी लागू हो) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी.

(बी) यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल हो तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी.

(सी) वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी ऐसी योग्यता से मुक्त होनी चाहिए जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो. उस प्रभाव के लिए किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए.

बी. अंतरिम लाभांश

बैंक लाभप्रदता के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है. ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश घोषित करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति/भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित सीमा (अधिकतम/न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा.

सी. आंतरिक और बाह्य कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाह्य कारकों जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, सांविधिक और विनियामक प्रावधानों, कर विनियम पर भी निर्भर करेगा, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकते हैं. उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, निदेशक मण्डल

विभिन्न आंतरिक कारकों जैसे कि व्यवसाय विकास संबंधी योजनाओं, भावी पूंजीगत आवश्यकताओं, पूंजीगत आस्तियों के प्रतिस्थापन, प्रदत्त अंतरिम लाभांश, लेखा विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षक की समझ और एनपीए खातों के निर्धारण में विचलन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण संबंधी निष्कर्षों और प्रावधानीकरण में कमी आदि को भी ध्यान में रखेगा. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मण्डल को लाभांश के भुगतान हेतु सिफारिश करेंगे. लाभांश के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा.

ऐसी परिस्थितियां जिसमें शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं.

लाभांश का वितरण निम्नलिखित यथा लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन है.

i) समीक्षाधीन वर्ष में लाभ

ii) सीआरएआर>=11.50% (सीईटी 1>=5.50% सहित)

iii) निवल एनपीए 7% से कम

iv) बासेल III अनुपालन

v) टियर 1 लीवरेज कवरेज अनुपात> 3.50%

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाओं, पूंजी आवश्यकताओं या बैंक निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार, बैंक और उसके हितधारकों के लाभ के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाएगा .

विभिन्न श्रेणी के शेयरों हेतु लाभांश

वर्तमान में बैंक के पास शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है अर्थात् इक्विटी शेयर. विभिन्न श्रेणी के शेयरों के अभाव में लाभांश की घोषणा/ वितरण हेतु मापदंडों का एकल सेट निर्धारित किया गया है.

लाभांश भुगतान का माध्यम:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करेगा.

जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पात्र शेयरधारकों को 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे. यदि लाभांश के रूप में देय राशि एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक है, तो 'सममूल्य पर देय' वारंट या चेक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे.

कॉर्पोरेट लेखा विभाग के समन्वय में कंपनी सचिव विभाग, लाभांश संवितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा.

लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.

वैधता:

यह पॉलिसी अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष तक अर्थात् 30.06.2025 तक वैध रहेगी. पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार और किसी भी अन्य सांविधिक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देश बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का एक भाग बन जाएंगे और इसके नवीनीकरण के समय पॉलिसी दस्तावेज़ में शामिल किए जाएंगे.

यदि नियत तारीख को या उससे पूर्व पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जाती है तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं.

लाभांश वितरण नीति हेतु नियामकों/ प्राधिकारियों के संक्षिप्त दिशानिर्देश/ आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परिपत्र/संप्रेषण संख्या	विषय
1	भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियमन (परिपत्र सं.: डीबीआर. सं.बीपी. बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01.07.2015 जिसे डीबीआर. बीपी. बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 दिनांक 10.01.2019, परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/42 डीओआर.बीपी.बीसी. सं.15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29.09.2020 एवं परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/93 डीओआर.सीएपी. बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 दिनांक 05.02.2021. के माध्यम से संशोधित किया गया) के साथ पठित "बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा पर" भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र - परिपत्र सं.: डीबीओ डी.सं.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005.	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
2	डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी. सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021.	अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फेमवर्क
3	भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एसीसी आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021- 22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (15.11.2021 तक अद्यतन), यथा संशोधित	वित्तीय विवरण-प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश
4	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [धारा 15 (1) एवं (2) और धारा 17]	लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध और प्रारक्षित निधि का अनिवार्य विनियोजन
5	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 43ए	लाभांश संवितरण नीति
6	भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देश.	

Dividend Distribution Policy

As per Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [hereinafter referred to as SEBI (LODR) Regulations], the top 1000 listed entities based on market capitalization, calculated as on March 31 of every financial year are required to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed on the website of the listed entity and a web-link shall also be provided in their annual reports. This would enable the investors to take informed decisions while making investments in these high profile companies.

Our Bank is a Nationalized Bank constituted under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is also required to comply with the guidelines in respect of Dividend, issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India, which have been duly incorporated in the Policy.

Objective

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

(1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and

(2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

(a) The Bank's current and prospective financial performance,

(b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)

(c) The Bank's investment and expansion plans, and

(d) The expectations of its shareholder

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Eligibility Criteria for declaration of dividend:

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by the bank:

1) Dividend will be paid only out of current year's profit.

2) A bank should have:

(a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed years and the year for which it proposes to declare dividend

Bank is required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. Whenever the buffer falls below 2.5%, automatic constraints on discretionary distributions of earnings (for example, dividends, share buybacks and discretionary staff bonus payments) will be imposed so that the buffer/capital level can be replenished to minimum requirements.

and

(b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.

In case bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

3) The bank should comply with the provisions of Sections 15 (Restrictions on Payment of Dividend) and 17 (Transfer of part of profit, not less than 25%, to reserve fund before declaration of dividend) of the Banking Regulation Act,1949.

Section 15 - Restrictions as to payment of dividend

(1) No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisation expenses, share-selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or in the Companies Act, 1956(1 of 1956), a banking company may pay dividends on its shares without writing off-

(i) the depreciation, if any, in the value of its investments in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalised or otherwise accounted for as a loss;

(ii) the depreciation, if any, in the value of its investments in shares, debentures or bonds (other than approved securities) in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company;

(iii) the bad debts, if any, in any case where adequate provision for such debts has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company.

Section 17 - Reserve Fund

1) Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall, out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than twenty percent of such profit.

In terms of RBI Master Direction on Financial Statements Presentation and Disclosures dated 30.08.2021, the intangible assets recognized and carried in the Balance Sheet of Banks in compliance with Accounting standard-26 shall attract the provisions of Section 15 (1) of Banking Regulation (BR) Act, 1949, in terms of which banks are prohibited from declaring any dividend until any expenditure not represented by tangible assets is carried in the balance sheet. Banks desirous of paying dividend while carrying any intangible assets in its books must seek exemption from section 15 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 from the Central Government.

RBI circular no. BP.BC.24/21.04.018/2000-2001 dated 23.09.2000 read with RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures dated August 30, 2021(Updated as on 15.11.2021), In order to augment capital, Commercial Banks (excluding LABs and RRBs) are required to transfer not less than 25 per cent of the 'net profit' before appropriations to the Statutory Reserve.

4) As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021 dated 25th August, 2021, the bank should appropriate for Investment Fluctuation Reserve (IFR) and Investment reserve from Net Profit for the year after mandatory appropriations.

5) Before dividend declaration, the bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets, staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves, Investment Fluctuation Reserve (IFR), Investment Reserve, Special Reserves, Capital reserves and other appropriations from the current year profit.

6) The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the bank for declaration of dividends.

7) The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/ Government of India/Ministry of Finance from time to time.

8) The declaration of dividend is subject to the any restriction imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC. No.4/11.01.005/2021-22 dated 2nd November, 2021 on 'Prompt Corrective Action Framework" (PCA) for scheduled commercial banks'.

9) The dividend should be declared on per share basis only.

10) In the event of conflict between this policy and extant regulations, the regulations shall prevail.

Quantum of Dividend Payable:

A. RBI Guidelines:

(a) The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) shall not exceed 40 per cent and shall be as per the matrix furnished herein below.

		Net NPA Ratio			
Category	CRAR	Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax, wherever applicable) to 'net profit during the year'.

(b) In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

(c) The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

B. interim Dividend

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy/RBI guidelines.

C. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory

provisions, tax regulations, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, interim dividend paid, auditor's qualifications pertaining to statement of accounts & annual financial inspection findings of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc. The MD &CEO shall recommend the dividend payout to Board. The decision of the Board regarding proposal of dividend shall be final.

Circumstances under which the shareholders may or may not expect dividend

The distribution of dividend is subject to compliance of the following conditions, as applicable;

i) Profit in the year under consideration,

ii) CRAR>=11.50% (including CET 1 >=5.50%)

iii) Net NPA less than 7%

iv) BASEL III Compliance

v) Tier 1 Leverage Coverage Ratio >3.50%

Utilization of Retained Earnings

The retailed earnings will be used for the Bank's long term growth plans, capital requirements or as per the decision of the bank's board, for the benefit of the bank and its stakeholders or for the compliance of instructions/ guidelines received from RBI/ Government of India.

Dividend for Various class of Shares

At present, the bank has only one class of shares i.e. equity shares. In absence of varied class of shares, a single set of parameters has been prescribed for declaring/ distribution of dividend.

Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends.

Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand drafts will be issued to the eligible shareholders. If the amount payable as dividend exceeds one thousand and five hundred rupees, the 'payable-at-par' warrants or cheques shall be sent by speed post.

The Company Secretary Department in coordination with Corporate Accounts Department shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend.

Dividend shall be paid within 30 days from the date of declaration.

Validity:

This policy shall remain valid for three years from the date of approval i.e. up to 30.06.2025. Guidelines received from RBI / SEBI/ Government of India and any other statutory bodies during the validity period of the policy will become part of the bank's existing guidelines and will be incorporated in the policy document at the time of its renewal.

The M.D.& CEO may allow continuation of the Policy for a maximum period of six months after the due date of review in case the Policy cannot be reviewed on or before the due date

Following are the brief guidelines/requirements of the regulators/authorities for Dividend Distribution Policy:

Sl No	Circular/Communication No	Subject
1.	RBI Circular on 'Declaration of dividends by Banks' - Circular No.: DBOD.NO.BP. BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005 read with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulations (Circular No.: DBR.No.BP. BC.1/21.06.201/2015-16 dated 01.07.2015 as amended by Circular No.: DBR.BP.BC. No.20/21.06.201/2018-19 dated 10.01.2019, Circular No.: RBI / 2020-21/42 DOR.BP.BC. No15/21.06.201/2020-21 dated 29.09.2020 and Circular No.: RBI/2020-21/93 DOR. CAP. BC. No. 34/21.06.201/2020-21 dated 05.02.2021.)	Declaration of Dividends by Banks
2.	DOS.CO.PPG.SEC. No.4/11.01.005/2021-22 dated November 02, 2021	Prompt Corrective Action (PCA) framework for scheduled commercial banks
3.	RBI circular RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021- 22 dated August 30, 2021(updated as on 15.11.2021), as amended	Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures
4.	Banking Regulation Act, 1949 [Section 15 (1) & (2) and Section 17]	Restriction as to payment of dividend and Mandatory appropriation of Reserve Fund.
5.	Regulation 43A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015	Dividend Distribution Policy
6.	Other relevant guidelines issued by RBI, SEBI and Government of India from time to time.	

26वीं वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
कॉर्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
(वेबसाइट:www.bankofbaroda.in)

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 26वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से सोमवार, दिनांक 27 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** किया जाएगा :

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2022 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2022

नोटः

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है. एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है.

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है. **26 वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा.**

2. **प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:**

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 22 जून, 2022 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

3. **एजीएम में प्रतिभागिता**

बैंक ने कैफिन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (KFIN), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है.

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है.

सी) निकाय कॉर्पोरट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए पात्र हैं.

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं. एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं

- बड़े शेयरधारकों (2% या उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंधी समिति, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो आधार पर प्रवेश के कारण कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी.

- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है. नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.

com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी कैफिन(KFin) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है.

4. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:**

- शेयरधारक को कैफिन(KFin) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी. शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com पर रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए AGM-Video Conference & Streaming के आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम और बैंक का नाम चुनना होगा. कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं.
- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम/ फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह किया जाता है.
- साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके. शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में ''स्पीकर रजिस्ट्रेशन'' के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं.
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें.
- कृपया नोट करें कि समस्या/ विचार/ प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 20 जून, 2022 तक शेयर धारित हों. ''एजीएम प्रश्न संबंधी'' विंडो 23 जून, 2022 को प्रातः 10:00 से 24 जून, 2022 को सायं 05:00 बजे तक सक्रिय रहेगी.
- वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारकों को https://evoting.kfintech.com पर लॉग-इन करना होगा और **''स्पीकर रजिस्ट्रेशन''** पर क्लिक कर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, शहर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा. स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा जिसे एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए. **ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने 23 जून, 2022 से 24 जून, 2022 की अवधि के दौरान अपने आप को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही अपने विचार रखने /प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.**
- ऐसे शेयरधारक जो **विडियो कॉन्फ्रेंस** के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए केफिंटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन कर देख सकते हैं.

5. **मतदान का अधिकार**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

6. **एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी**

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **मंगलवार, 21 जून, 2022 से सोमवार, 27 जून, 2022 तक (दोनों दिन सहित)** वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 26वीं वार्षिक आम बैठक और लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार, वे शेयरधारक जिनके पास **सोमवार, 20 जून, 2022 (विनिर्दिष्ट तारीख)** को बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे.

7. **लाभांश का भुगतान**

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मई, 2022 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु. 2/- के इक्विटी शेयर पर रु. 2.85 (दो रुपया पचासी पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है. निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 26वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

ए) दिनांक 20 जून, 2022 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को;

बी) दिनांक 20 जून, 2022 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;

सी) ये लाभांश 26वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे.

डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी.

8. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु **कैफिन को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है.

बी. **रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल गुरुवार, 23 जून, 2022 को सुबह 9.00 बजे से रविवार, 26 जून, 2022 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन सहित) पूरे समय खुला रहेगा.**

सी. **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है.**

निर्दिष्ट तारीख अर्थात् सोमवार, 20 जून, 2022 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक का शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

डी. **आरटीए पोर्टल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेश (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों के लिए)** निम्नानुसार हैं:-

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **23 जून, 2022** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.kfintech.com

ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

iv. आप 'पासवर्ड बदलें', मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नए पासवर्ड में एक लोअर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने तथा किसी भी संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ई- मेल आदि को अद्यतन करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

v. आपको नए क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.

vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, **निर्दिष्ट तारीख** (20 जून, 2022) को शेयरधारक द्वारा यथा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके शेयरधारक (कों) के पास टॉप पर सभी विनियमन के लिए एक बार में ही वोट करने का विकल्प होगा. वैकल्पिक तौर पर आप प्रत्येक संकल्प के लिए ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके प्रत्येक संकल्प के लिए वैयक्तिक रूप से अलग-अलग वोट कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

vii. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार से इतर किसी भी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट देने की अनुमति नहीं होगी.**

viii. उपर्युक्त अनुसार पोर्टल बंद हो जाएगा और बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

ix. बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना अपेक्षित है.

xi. ऐसे शेयरधारक, जो 26वीं एजीएम के लिए नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के प्रेषण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख एवं ई-वोटिंग हेतु विनिर्दिष्ट तारीख के बीच शेयर अर्जित करते हैं तथा जिन्होंने अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास रजिस्टर किया है, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.

xii. इस संबंध में किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप https://evoting.kfintech.com पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ईमेल v-raju.sv@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

- **केवल डीमैट में प्रतिभूति धारित करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लागू**

  सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा को एक्सेस करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें.

  वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति धारित करने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

  डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल
1. IDeAS सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता: I. यूआरएल: https://eservices.nsdl.com II. 'आइडीएएस' खंड के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें. III. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद "Access to e-Voting" पर क्लिक करें. IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा.
2. ऐसे उपयोगकर्ता जो आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com II. Register Online for IDeAS चुनें. III. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें. ऐसे उपयोगकर्ता जो IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें.9
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट देखें I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ II. 'Shareholder/ Member' खंड के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "login" पर क्लिक करें. III. स्क्रीन पर यथा प्रदर्शित उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करें. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा.

सीडीएसएल
1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest के विकल्प का चयन किया है I. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल : www.cdslindia.com II. नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें. III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें. IV. बिना किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा. V. अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें.
2. ऐसे उपयोगकर्ता जो Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है: I. पंजीकृत करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है. II. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें.
3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट के माध्यम से: I. यूआरएल: www.cdslindia.com II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करें. III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग प्रक्रियाधीन है.

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले) का अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से लॉगिन

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा.

महत्वपूर्ण नोट:

ऐसे सदस्य, जो अपना यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए/पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य - एनएसडीएल
लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं.

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य - सीडीएसएल
लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं.

- **गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए लागू**

  गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों हेतु लॉगिन करने की विधि निम्नानुसार है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश निम्नानुसार हैं:

ए. प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल में दिया गया है.

बी. इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें और एड्रेस बार में URL:https://evoting.kfintech.com टाइप करें

सी. आपके ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी. हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें.

डी. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

ई. आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा. नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (A-Z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर (@,#,$ आदि) के साथ न्यूनतम 8 कैरेक्टर होने चाहिए. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एफ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना होगा.

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन पर, सिस्टम आपको EVENT यानी बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने के लिए कहेगा.

एच. वोटिंग पेज पर, विनिर्दिष्ट तारीख को आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी. यदि आप संकल्प हेतु सहमति/असहमति सभी के लिए वोट देना चाहते हैं तो सभी शेयर दर्ज करें और 'For/Against' जैसा भी मामला हो अथवा आंशिक रूप से 'For' और आंशिक रूप से 'Against' पर क्लिक करें, किन्तु 'For' और/या 'Against' को मिलाकर कुल संख्या विनिर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प भी चुन सकते हैं और इन धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

आई. कई फोलियो/ डीमैट खाते रखने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे.

जे. किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट दें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा. पुष्टि करने के लिए 'Ok' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'Cancel' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मतदान अवधि के दौरान, जब तक कि आपने यह पुष्टि नहीं की है कि आपने संकल्प पर मतदान किया है, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं.

के. कॉर्पोरेट/ संस्थागत सदस्यों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि से इतर) से यह अपेक्षित है कि वे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ईमेल के माध्यम से scrutnizer@snaco.net पर प्रेषित करें और इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं.

9. वार्षिक आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे.

10. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ईवोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

11. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणाम की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

12. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

ए) लाभांश के भुगतान के लिए बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके पते को संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होना चाहिए ताकि अद्यतन स्थिति तत्काल प्राप्त हो सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को दी जा सकती है.

बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को केवल अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को **संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रजिस्टर करना चाहिए,बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.**

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

13. शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करना

रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा निवेशकों के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए सामान्य एवं सरलीकृत मानदंडों एवं पैन, केवाईसी तथा नामांकन विवरण, प्रस्तुत करने, वैध पैन के बिना फोलियो को फ्रीज करने, केवाईसी विवरण; भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा पैन एवं आधार को अनिवार्य रूप से लिंक किए जाने और विवरण प्रस्तुत करने संबंधी मानदंडों हेतु सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआर एसडी/एमआईआरएसडीब्आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआर एसडीब्आरटीएएमबी/ पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किए हैं.

बैंक ने अपने भौतिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी भेजा है जिसमें उनसे अपने फोलियो को फ्रीज होने से बचने के लिए पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है. केवाईसी एवं नामांकन के लिए पत्र तथा निर्धारित प्रारूप की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank पर शेयरधारक कॉर्नर खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

- **पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना**

  जिन फोलियो में दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त सभी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें उक्त परिपत्रों के अनुसार केफिन/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा. फ्रिज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रिज ही रहते हैं, को केफिन/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 एवं या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा.

- **सभी शेयरधारकों द्वारा फिजिकल मोड में पैन एवं आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करना**

  दिनांक 31 मार्च, 2022 या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख से केफिन केवल वैध पैन ही स्वीकार करेगा एवं यह भी सत्यापित करेगा कि मौजूदा फोलियो में पैन वैध है; अर्थात् वह शेयरधारक के आधार नंबर से लिंक है. **जिन फोलियो में दिनांक 31 मार्च, 2022 की अधिसूचित विनिर्दिष्ट तारीख या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को पैन वैध नहीं है, उन्हें भी फ्रीज कर दिया जाएगा.**

शेयरधारक कृपया नोट करें कि विषयगत परिपत्रों के अनुसार 1 जनवरी, 2022 से बैंक का आरटीए शेयरधारक(कों)/ दावेदारों के किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि पैन, केवाईसी एवं नामांकन दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं करा दिए जाते हैं.

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाइनांशियल डिस्ट्रक्ट, नानाक्रमगुड़ा, हैदराबाद - 500 032. टोल फ्री नंबर 1800-309-4001, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

या

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051. टेलीफोन (022) 66985010 / 5143, ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

14. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोधः

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.

2. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है. तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों.

3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी. शेयरधारक/ दावेदार उपरोक्त अनुरोध विधिवत भरे हुए फॉर्म आईएसआर-4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं. फॉर्म आईएसआर-4 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रुप में परिवर्तन करा लें.

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के लाभ निम्नानुसार हैं:

i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या हानि की संभावना समाप्त हो जाती है;

ii. शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;

iii. डीमैटेरियालाइजेशन शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है. एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं.

15. भौतिक रूप में शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्टाइल में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है.

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा.

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे.

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है. यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा.

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे.

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुरूप नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए.

16. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन (नियमावली) के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है. इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.II दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफ़र किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं.

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा. बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2013-14 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है.

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend और केफिन https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर उपलब्ध हैं.

बैंक ने ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत पत्र जारी किए हैं जिनके शेयर आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं. हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल/ उक्त पत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर करें. यदि बैंक को कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी और सूचना के आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

इसके अलावा, शेयरधारक को अपने दावे/ अदत्त लाभांश के अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म आईएसआर -1 और आईएसआर -2 भी प्रस्तुत करना होगा. फॉर्म ISR-1 और आईएसआर-2 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-Physical-shareholders-of-bank और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबधित किसी भी दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

17. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया ध्यान दें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं.

18. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश भी ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित करें.

उक्त ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भविष्य

की नियत तारीख निम्नानुसार है :

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश अंतरिम / अंतिम	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
			बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2014-2015	अंतिम	29 जुलाई, 2022	27 जुलाई, 2022	01 अगस्त, 2022
2	2015-2016	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2016-2017	अंतिम	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
4	2017-2018	अंतिम	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं
5	2018-2019	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	2019-2020	शून्य	लागू नहीं		
7	2020-21	शून्य	लागू नहीं		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2014-15 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 ई-मेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं. 1800 345 4001	निवेशक सेवाएं विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

19. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें.

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपॉजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं.
- शेयर धारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं.
- शेयर धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और ई-एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें.
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति, क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31 मई, 2022

NOTICE OF 26th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Carporate Center, C-26, "G" Block Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051
(Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held **through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Monday, 27th June, 2022 at 11.00 a.m. to transact** the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2022, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2021-22.

FOR BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 31st May 2022

NOTES:

1. **ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM by 31st December 2022. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 26th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.**

2. **Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 22nd June 2022.

3. **AGM Participation**

The Bank has appointed KFin Technologies Limited (KFin), Registrars and Transfer Agents (RTA), to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Shareholders can join the AGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
- There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on

the website of KFin , the e-voting agency at the website address https://evoting.kfintech.com

4. **INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:**

- Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through video conferencing platform provided by KFin. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com . by clicking the Icon of "AGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/ Firefox for better experience.
- Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Please note that, Shareholder's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 20th June 2022. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 23rd June 2022 till 5.00 PM on 24th June 2022.
- Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com and click on "**Speaker Registration**" by indicating the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the AGM meeting. **Those shareholders who have registered themselves as speakers during 23rd June 2022 to 24th June 2022, will only be allowed to express their views/ask questions.**
- Shareholders who are not able to join this Meeting over **video conferencing** will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.

5. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

6. **Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders:**

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, 21st June 2022 to Monday, 27th June 2022 (both days inclusive)** for the purpose of 26th Annual General Meeting and payment of dividend for the Financial Year 2021-22. Accordingly, the Shareholders holding Bank's Shares as on **Monday, 20th June 2022 (Cut-off Date)** will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM and would also be entitled to receive dividends, if any for FY2021-22.

7. **Payment of Dividend**

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 31 May 2022 has recommended dividend @ Rs. 2.85 (Two Rupees & Eighty Five Paise only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2022. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 26th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 20th June 2022;

b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 20th June 2022;

c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 26th

Annual General Meeting.

d) Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guidelines.

8. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFin as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Thursday, 23rd June 2022 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Sunday, 26th June 2022 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Monday, 20th June 2022,** may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting through RTA Portal (for Demat and Physical Shareholders)** are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com on opening of the same on **23rd June 2022** at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (20th June 2022) will appear. Shareholder(s) will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 26th AGM / Annual Report 2021-22 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DGM of KFin Technologies Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail v-raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

Login method for e-voting :

- **Applicable only for Individual members holding securities in Demat**

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat

mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL
1. User already registered for IDeAS facility: I. URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.
2. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

CDSL
1. Existing user who have opted for Easi / Easiest I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for Easi/Easiest I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of CDSL I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.:1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43.

- **Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form**

  Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

a. Initial password is provided in the body of the email.

b. Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.

c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Bank of Baroda

h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the

votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/ demat account.

j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@ snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.

9. **VOTING PROCESS AT THE AGM**

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

10. **SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEEETING**

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

11. **RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEEETING**

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and KFin.

12. **CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. KFin Technologies Private Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. **FURNISHING PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS**

SEBI has issued Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021 for Common and Simplified Norms for processing investor's service request by Registrar & Transfer Agents (RTAs) and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination, freezing of folios without valid PAN, KYC details; compulsory linking of PAN and Aadhar by Shareholders holding shares in physical form, among others.

Bank has also sent an individual letter to physical shareholders of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC details and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Website of the Bank under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank .

❖ **Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination**

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1st April, 2023, shall be frozen by KFin / Bank of Baroda in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by KFin / Bank of Baroda to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

❖ **Compulsory linking of PAN and Aadhaar by all shareholders in physical mode**

From 31st March, 2022 or any other date as may be specified by the Central Board of Direct Taxes ("CBDT"), KFin will accept only valid PANs and also verify that the PAN in the existing Folios are valid; i.e. it is linked to

the Aadhaar number of the Shareholder. **The Folios wherein PAN is not valid as on the notified cut-off date of 31st March, 2022 or any other date as may be specified by the CBDT, will also be frozen.**

Shareholder please note that in terms of the subject mentioned Circulars, w.e.f. 1st January, 2022, RTA of the Bank will not process any service request or complaint from Shareholder(s) / claimant(s) unless PAN, KYC and Nomination documents/details are available.

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com]

OR

Bank of Baroda, Investor Services Department, Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051. [Tel. (022) 66985010 / 5143, E-mail: investorservices@bankofbaroda.com]

14. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.

3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. Shareholders / claimants may submit above requests in duly filled Form ISR-4 along with documents mentioned therein. Form ISR-4 can be downloaded from the website of Bank of Baroda at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

   In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

15. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

16. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the

Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2013-14 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

Bank has issued individual letters to shareholders whose shares are eligible for transfer to IEPF. We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately / not later than three months from the date of said letter. In case Bank does not receive any claim, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Further, shareholder are also required to furnish Form ISR-1 and ISR-2 along with documents mentioned therein for processing their claim / request for unpaid dividend. Form ISR-1 and ISR-2 can be downloaded from the website of Bank of Baroda at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

17. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFFERED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

18. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2013-14 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2014-15 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Dividend –Interim / Final	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
			Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2014-2015	Final	29th July, 2022	27th July 2022	01st August 2022
2	2015-2016	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3	2016-2017	Final	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable
4	2017-2018	Final	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
5	2018-2019	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
6	2019-2020	NIL	Not Applicable		
7	2020-2021	NIL	Not Applicable		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2014-15 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Ltd.	Investors' Services Department
(Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

19. **PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:**

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.
- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date 31st May 2022

हरित पहल – शेयर धारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

डिमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमैट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रुप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि –

अपनी सहमति हेतु इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें –

मसर्स कफिन टेक्नोलॉजिस लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबोवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032.
फोन नं. 1-800-309-4001 (टोल फ्री)
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :

KFin Technologies Ltd.
(Unit: Bank of Baroda),
Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032.
Phone No. 1-800-309-4001 (Toll Free)
E-mail : einward.ris@kfintech.com

बैंक ऑफ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबोवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम ________________________________ बैंक ऑफ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित पहल) उपायों के एक प्रयास के रुप में बैंक ऑफ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के ________________________ शेयर भौतिक रुप में हैं.

फोलियो नम्बर : ____________________

ई मेल आईडी : ____________________

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हमें भेज गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रुप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

KFin Technologies Ltd.
(Unit: Bank of Baroda),
Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We ___________________________ holding ________ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: ______________

Email ID: ____________________________

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

____

Signature of First Holder

प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. **कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें**
2. **कृपया लाभांश इलैक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए अपना मैनडेट रजिस्टर करें**
3. **कृपया ई- मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें**

अभौतिकीकरण (डिमटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टांप शुल्क खर्च नहीं
3. आसान / बाधा रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन संभव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा
6. अस्बा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन संभव

इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैनडेट पंजीकृत कराने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना
2. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई- मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कार्पोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. **Please Demat your Physical Shares**
2. **Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c**
3. **Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail**

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.

NOTES

बैंक ऑफ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पता :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में धारिता के लिए) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारिता के लिए)

4. बैंक खाते का विवरण :

क. बैंक का नाम :

ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :

ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :

घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)

ङ. आईएफएससी कोड :

च बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी/ कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें.

घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/ती हूं कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान : प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. **यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं** : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.

2. **यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं** : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गाचीबोवली, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, सातवां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26,जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares
IThrough Electronic Mode)

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :

2. Address :

3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form) :

   D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form)

4. Particulars of Bank Account :

   A. Bank Name :

   B. Branch Name & City Pin Code :

   C. Account No. (as appearing on the cheque book) :

   D. Account Type (please Tick) : (SB Account/ Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB Current Cash Credit

   E. IFSC Code :

   F. 9 Digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank :

   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf/ blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place: Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. If **the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. If **the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Sandra Kurla Complex, Sandra (East), Mumbai - 400 051.

bob World

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विजया VIJAYA | देना DENA

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा – 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

HEAD OFFICE
Baroda Bhavan, R C Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph : (0265) 2316010

कॉर्पोरेट सेंटर
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर. सी–26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000–04 (पीबीएक्स)

CORPORATE CENTRE
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph : (022) 6698 5000-04 (PBX)

www.bankofbaroda.in | Follow us on

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट 2021-22

(सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत)

खंड ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2.	कम्पनी का नाम	बैंक ऑफ़ बड़ौदा
3.	पंजीकृत पता	बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा – 390007
4.	वेबसाइट	www.bankofbaroda.com
5.	ई-मेल आई डी	ed.jdr@bankofbaroda.com
6.	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष	2021-2022
7.	क्षेत्र, जिनमें कम्पनी कार्यरत हैं (कोड वार औद्योगिक गतिविधि)	बैंकिंग एवं फाइनेंस
8.	तीन मुख्य उत्पादों/ सेवाओं की सूची जिन्हें कम्पनी बनाती है/ उपलब्ध कराती है (तुलन पत्र के अनुसार)	1. होलसेल बैंकिंग 2. रिटेल बैंकिंग 3. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
9.	कुल केन्द्रों की संख्या, जहां कम्पनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती हैं. i) अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों की संख्या (5 बड़े केन्द्रों का विवरण उपलब्ध कराएं) ii) राष्ट्रीय केन्द्रों की संख्या	i) 94 (गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी सहित) (यूएसए, यूके, यूएई , सिंगापुर एवं आईएफएससीबीयू गिफ्ट सिटी) ii) 8,168
10.	बाजार, जहां कम्पनी सेवाएं प्रदान करती है स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय

खंड बी : बैंक की वित्तीय जानकारी

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रू. में)	रू. 10,35,53,36,000
*2. कुल कारोबार (भारतीय रू. में)**	रू.8,13,64,73,06,000
3. कर के पश्चात कुल लाभ (भारतीय रू. में)	रू. 72,72,28,16,000
4. कर के पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	परिचालन व्यय में रु. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीएसआर के लिए रु. 8.29 करोड़ शामिल है जो मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 829 करोड़ रुपये के पीएटी का 1% है.

5. ऐसी गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त मद 4 में दर्शाए गए व्यय को खर्च किया गया :-

क्र. सं.	सेगमेंट	दान की संख्या	राशि (लाख में)
1.	शिक्षा एवं कौशल विकास	07	710
2.	स्वास्थ्य सेवा	06	91
3.	सामाजिक-आर्थिक विकास	04	28
	कुल योग	17	829

*कुल कारोबार= कुल अर्जित ब्याज +कुल अन्य आय

खंड सी : अन्य विवरण

1.	क्या कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी/ कम्पनियां हैं?	जी हां, बैंक की 8 घरेलू अनुषंगियां हैं. बैंक की -7- विदेशी अनुषंगियां, मलेशिया में 40% शेयरधारिता के साथ -1- संयुक्त उद्यम और ज़ाम्बिया में 20% शेयरधारिता के साथ -1- सहयोगी संस्था हैं.
2.	क्या अनुषंगी कम्पनी/ कम्पनियां मूल कम्पनी की व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कम्पनियों की संख्या बताएं.	नहीं, कोई भी अनुषंगी मूल कम्पनी अर्थात् बैंक की व्यवसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता नहीं करती हैं.
3.	क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएं (जैसे- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है कम्पनी की व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करती है? यदि हां, तो इस प्रकार की संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं? (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)	नहीं, कोई भी ऐसी संस्था/संस्थाएं, जिनके साथ बैंक डील करता है, बैंक की व्यवसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता नहीं करती हैं.

खण्ड – डी: व्यावसायिक दायित्व सम्बन्धी सूचना

1. व्यावसायिक दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों का विवरण – **निदेशक मंडल का सचिवालय/ मासंप्र**

ए). व्यावसायिक दायित्व नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	
1.	डीआईएन नंबर	08055872
2.	नाम	श्री जयदीप दत्ता राय
3.	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

बी). व्यावसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण :

क्र.सं.	विवरण	
1.	डीआईएन नंबर (यदि लागू है)	---
2.	नाम	श्री बालासुब्रमानियम एलंगो
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक (अनुपालन)
4.	टेलीफोन नं.	022-66985705
5.	ई-मेल आईडी	cgm.compliance@bankofbaroda.com

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक दायित्व संबंधी नीति/नीतियां (हां / नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1$$	क्या आपके पास इसके लिए नीति / नीतियां हैं...	हां*	हां^	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हितधारकों से परामर्श कर किया जाता है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3.**	क्या नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में) (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां, तो क्या उस पर प्रबंध निदेशक / मालिक / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं?	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
5.	क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारियों की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
6.	ऑनलाईन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं?	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां#
7.	क्या नीति के बारे में समस्त संबंधित आंतरिक व बाह्य हितधारकों को सूचित किया जाता है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
8.	क्या कंपनी की नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
9.	क्या कंपनी की हितधारकों की नीति /नीतियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए नीति / नीतियों सम्बन्धी शिकायत निवारण प्रणाली है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
10.	क्या कंपनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से नीति की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन / लेखा परीक्षण करवाया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

$$ बैंक द्वारा बहुत सी नीतियां औपचारिक रूप से तैयार की गई हैं जो बैंक के विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं. तथापि इसके साथ-साथ, बैंक द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिनका परिचालन इकाइयां

विद्यमान औपचारिक नीतियों के साथ साथ अनुसरण करती हैं. इसी प्रकार बैंक, बैंकिंग कार्यों को सम्पन्न करते समय विनियामकों, सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा तैयार नीतियों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं को कार्यान्वित करता है.

* सिद्धांत 1 के तहत, बैंक प्राथमिक रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में दिए गए सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है. (लिंक: https://cvc.gov.in/sites/default/files/Vigilance%20Manual%28updated%202021%29-Hyperlinked.pdf)

^ बैंक की घरेलू ऋण नीति द्वारा नियंत्रित सिद्धांत 2 के तहत विभिन्न कार्यकलाप जो केवल आंतरिक प्रयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता.

** क्र.सं. – 3: बैंक द्वारा सभी नीतियों का अनुपालन विभिन्न नियामकों, सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत का संविधान, कानूनी अधिनियमों आदि के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. अत: ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं.

लिंक : http://www.bankofbaroda.co.in

2 ए. यदि क्र.सं.1 में किसी भी सिद्धांत के प्रश्न का उत्तर "नहीं" है तो, कृपया इसका कारण स्पष्ट करें: (2 विकल्पों तक टिक करें)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>पी1</th><th>पी2</th><th>पी3</th><th>पी4</th><th>पी5</th><th>पी6</th><th>पी7</th><th>पी8</th><th>पी9</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कम्पनी सिद्दांतों को नहीं समझ पाई</td><td colspan="9" rowspan="6">P7 के लिए नीति न होने का कारण
यद्यपि, सिद्धांत 7 के लिए कोई लिखित नीति नहीं है, देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक होने के नाते बैंक सार्वजनिक हित विशेष रूप से गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक, मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र के सुधार, समवेशी विकास नीतियों आदि के उन्नयन हेतु नीति निर्माताओं और विनियामकों से जुड़ा रहता है.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कम्पनी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने आप को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन की स्थिति में पा सके.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>इसे अगले 6 महीने में सम्पन्न किए जाने की योजना है</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>इसे अगले 1 वर्ष में सम्पन्न किए जाने की योजना है</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अन्य कोई कारण (कृपया विवरण दें)</td></tr>
</table>

3. व्यावसायिक दायित्वों से संबंधित गवर्नेंस

निदेशक मण्डल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्यनिष्पादन का आकलन करने की आवधिकता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक.	वार्षिक
क्या कम्पनी व्यावसायिक दायित्व या संवहनीयता (सस्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?	जी हां, बीआर रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर देखा जा सकता है. यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है.

खंड (ई) सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1	**"कारोबारी संव्यवहार नीतिपरक पारदर्शी तथा जवाबदेही के साथ संचालित तथा शासित होने चाहिए"**
1. क्या नैतिक मूल्य, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी नीति में केवल संस्था से जुड़े मामले ही शामिल हैं ?	बैंक के पास सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता व्यवस्था है जो भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए सतर्कता सम्बन्धी निम्नलिखित उपायों के माध्यम से निरंतर जांच करती हैः ➢ अधिकारियों द्वारा भरी जा रही वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (एपीआर) की ऑनलाइन प्रस्तुति तथा विवरिणों की 100% जांच पड़ताल. ➢ ऐसे अधिकारियों जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है या जिनके विरुद्ध कोई शिकायत है की सहमत सूची सीबीआई प्राधिकारियों से परामर्श कर वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है. ➢ केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, संदेहास्पद निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची वार्षिक रूप से बनाई / एवं समीक्षा की जाती है. ➢ मानव संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपरोक्त सूचियों में शामिल अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील जगहों पर न हो. सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है. बैंक में संवेदनशील पदों पर स्टाफ रोटेशन की निगरानी की जाती है और सूचना केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मासिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजी जाती है. ➢ आंतरिक व्हिसल ब्लोअर नीति को ऑनलाइन रूप में क्रियान्वित कर दिया गया है. (जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा कार्यनिष्पादन)

	➢ सतर्कता कार्य हेतु समर्थित पोर्टल बॉब-ई-विज़िल को 01.04.2018 से आरंभ किया गया है. ➢ कार्पोरेट वेबसाइट में मासिक आधार पर दिये गये ठेके, विभिन्न बोलीकर्ताओं की स्थिति एवं उस एल1 एजेंसी जिसको कार्य दिया गया है, का नाम कॉर्पोरेट वेबसाइट पर मासिक आधार पर दर्शाया जाता है. धोखाधड़ी से बचने/ नियंत्रित करने हेतु टूल के रूप में धोखाधड़ी प्रबंधन सॉल्यूशन (एफएमएस) को लागू किया गया है. ➢ विभिन्न अंचलों/ क्षेत्रों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के समय तथा निवारक सतर्कता लेखा परीक्षा के दौरान स्टाफ सदस्यों के खातों की यदा-कदा (रैंडम) जांच पड़ताल की जाती है. निवारक सतर्कता उपाय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक प्रणाली शुरू की गयी है जिसके तहत स्टाफ पर अपने स्वयं के खाते में नामे अथवा जमा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ➢ मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों की जांच सुनिश्चित करते हैं और जहां कहीं भी जरूरत होती है, समुचित कार्रवाई की जाती है. ➢ बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में नैतिक एजेंडा को लागू करने और कर्मचारियों के बीच नैतिक मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट नैतिक आचरण वर्टिकल भी बनाया है जो बैंक में निवारक सतर्कता कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा.
2. क्या इसे समूह / संयुक्त उपक्रमों / आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों / एनजीओ/ अन्यों पर लागू किया जाता है?	नहीं, इसे समूह / संयुक्त उपक्रमों / आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों / एनजीओ/ अन्यों के लिए लागू नहीं किया जाता है.
3. पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया	वित्त वर्ष 2021-22 में प्राप्त शिकायतों की संख्या = 863867 शिकायतों का % समाधान किया गया = 97.91%

गया? यदि कोई है तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें.	(निपटान की गई शिकायतों में वे शिकायतें भी शामिल हैं जो वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत में लंबित थीं) समान दिवस या अगले दिवस अर्थात् डी और डी+1 को विस्तारित शिकायतों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दर्शाया नहीं गया है.
सिद्धान्त 2	**"व्यवसाय के माध्यम से इस प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाएं जो अपने समग्र लाइफ साइकल में सुरक्षित तथा मददगार हों."**
1. अपने -3- ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी मुद्दों, जोखिम तथा/ अथवा अवसरों की दृष्टि से निरुपित किया गया है.	1. सेवा सौर पंप: कच्छ के रेगिस्तान क्षेत्र में व्यैक्तिकों को सिचाई के लिए सौर उर्जा संचलित पंप सेट हेतु वित्तपोषण करना. 2. स्वच्छता एवं पेयजल आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण योजना 3. माइक्रो पोली हाउस: संरक्षित वातावरण के अंतर्गत बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए सीमांत भू-मालिकों हेतु वित्तपोषण.
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में प्रति यूनिट उत्पाद का निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक) i. इस संदर्भ में पिछले वर्ष से साधनों/ उत्पादन/वितरण के दौरान पूरी मूल्य श्रृंखला उपयोगिता में लाई गई कमी. ii. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) लाई गई कमी.	• **कच्छ के रेगिस्तान क्षेत्र में व्यैक्तिकों को सिंचाई के लिए सौर उर्जा संचलित पंप सेट हेतु वित्तपोषण करना.** पारंपरिक डीज़ल संचालित पंप सेट के स्थान पर सौर पंप लगाने से प्रति यूनिट लागत, जीवाश्म ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है. • **स्वच्छता एवं पेयजल आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण योजना** ओवरहेड टैंक और अन्य सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से स्वच्छता और पेयजल आवश्यकताओं को सक्षम करने से गरीब किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों में कमी आती है. • **माइक्रो पोली हाउस का वित्त पोषण** नियंत्रित वातावरण में उच्च मूल्य वाली फसल उगाने के लिए माइक्रो पोली हाउस एक आदर्श अवधारणा है जो किसानों को असामान्य मौसम के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक है. यह उन्हें कम खाद और कीटनाशक का उपयोग करने में सहायक है. इस सुविधा से कैमिकलों के अधिक

	उपयोग से मृदा की स्थिति पर दुष्प्रभाव कम होता है और समय के साथ-साथ फसल उगाने की लागत में कमी आती है.
3. क्या कंपनी की धारणीय संसाधन प्राप्ति के लिए व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित) i. यदि हां, तो आपके इनपुट्स का कितना प्रतिशत धारणीय प्राप्त किया है ? <u>50 शब्दों में इसका विवरण भी दें.</u>	हां, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, बिजली की बचत करने वाले उच्च स्टार रेटेड उपकरण, एलईडी लाइट फिक्स्चर, कुछ शाखाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग, स्वामित्व वाले भवनों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन पर जोर दिया जाता है. कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक कर्मचारियों की आवाजाही के लिए बसों की व्यवस्था की जाती है, जिससे प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके.
4. क्या कंपनी ने स्थानीय तथा लघु उत्पादकों, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास का समुदाय भी शामिल है, से उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां तो उनकी क्षमता एवं स्थानीय तथा छोटे वेन्डर्स की क्षमताओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?	बैंक ने विभिन्न वित्तीय श्रेणियों (2.5 लाख, 15 लाख और 50 लाख तक) के तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल, फर्निशिंग, एसी, आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए विभिन्न विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है. सरकार/ वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई सहित स्थानीय और छोटे विक्रेताओं को खरीद संबंधी और पात्रता मानदंड में वरीयता दी जाती है. हम GeM पोर्टल (सरकारी ई मार्केट प्लेस) से खरीदारी को वरीयता देते हैं.
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की रिसाइकिलिंग के लिए कोई व्यवस्था है ? यदि हां तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की रिसाइकिलिंग का प्रतिशत कितना है ? (अलग-अलग जैसे <5%, 5-10%, >10%) साथ ही 50 शब्दों में इसका विवरण भी उपलब्ध कराएं.	जी हां. एसटीपी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र बैंक के स्वामित्व वाली बहुमंजिला इमारतों में स्थापित और संचालित हैं. हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई के परिसर में स्थापित बायो गैस प्लांट के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय के 10% से अधिक खाद्य अपशिष्ट का रिसाइकल किया जाता है. इस्तेमाल किए गए कागजों को नियमित अंतराल पर नष्ट और उनका रिसाइकल किया जा रहा है.
सिद्धांत 3	**"व्यवसाय का उद्देश्य सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना चाहिए"**
1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं	79,173 कर्मचारी

2. कृपया अस्थायी / संविदा / आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं	418 कर्मचारियों को संविदा के आधार पर लिया गया.
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं.	20,719 स्थायी महिला कर्मचारी
4. कृपया दिव्यांग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं.	313 दिव्यांग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी
5. क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?	हमारे बैंक में निम्नलिखित कर्मचारी संगठन/एसोसिएशन कार्यरत हैं: ➢ ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा एम्पलॉई कॉर्डिनेशन कमिटी (एआईबीओबीईसीसी)
6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?	49.08% स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त यूनियन के सदस्य हैं.

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या दर्शाएं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लम्बित शिकायतों की स्थिति दर्शाएं,

क्रमांक	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी,/ जबरन मजदूरी,/ अनैच्छिक मजदूरी – शून्य	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	25	4
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. नीचे दर्शाए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल विकास उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया? स्थायी कर्मचारी स्थायी महिला कर्मचारी कैजुअल / अस्थायी / संविदागत कर्मचारी दिव्यांग कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सुरक्षा तथा कौशल विकास उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का प्रतिशत • स्थायी कर्मचारी: 54% • स्थायी महिला कर्मचारी: 57% • संविदागत कर्मचारी: 6% • दिव्यांग कर्मचारी: 50%
सिद्धांत 4	**“उद्यम को सभी हितधारकों, विशेष कर उनका जो सुविधाहीन, अतिसंवेदनशील और वंचित हैं, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए.”**

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं?	जी हां, बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सुनिश्चित कर लिया है.
2. उपर्युक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को पहचाना है?	जी हां, बैंक ने वंचित, कमजोर और मार्जिनलाइज्ड कर्मचारियों की पहचान की है.
3. कया कम्पनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों से जुड़ने के लिये कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें.	बैंक ने वंचित, कमजोर और मार्जिनलाइज्ड हितधारकों से जुड़ने तथा उन तक लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न विशिष्ट पहल कार्य किए हैं. इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: **अ.जा./ अ.ज.जा. कर्मचारी:** जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए, बैंक अपने सभी कर्मचारियों के साथ एक समान आचरण करता है. अ.जा./ अ.ज.जा. वर्ग से संबंध रखने वाले कर्मचारियों के लिए बैंक कुछ विशिष्ट लाभ/ सुविधाएं/ सहायता मुहैया करवाता है जैसे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण. बैंक ने अ.जा./ अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों/ शिकायतों के प्रभावी निपटान के लिए प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारी तथा प्रत्येक अंचल (कुल 18) में अंचल संपर्क अधिकारी की व्यवस्था की है. प्रधान कार्यालय, बड़ौदा में एक समर्पित आरक्षण (अ.जा./अ.ज.जा.) अनुभाग स्थापित है जो अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण से संबन्धित मुद्दों को देखता है तथा अ.जा./अ.ज.जा. आयोग, सरकारी अधिकारियों एवं अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क में रहता है ताकि अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके. कार्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के स्तर पर बैंक अखिल भारतीय बैंक ऑफ़ बड़ौदा अ.जा., अ.ज.जा. इम्प्लॉई एसोसिएशन के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करता है जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित विभिन्न नीतियों के समुचित कार्यान्वयन

	तथा कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण एवं लाभ पर नियमित रूप से विचार किए जाते हैं. **दिव्यांग व्यक्ति** एक नियोक्ता के तौर पर बैंक अपने सभी कर्मचारियों को एक समान अवसर प्रदान करता है. दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही मजदूरी / वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को काम सौपतें हुए इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी अशक्तता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य आसानी से कर सकें. बैंक दिव्यांग स्टाफ सदस्यों को विभिन्न लाभ/ आवश्यक सुविधाएं देता है जैसे दृष्टिबाधित कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्यभूमिका हेतु विशेष सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर का प्रावधान, श्रवण यंत्र वित्तीय सहायता (बधिर व्यक्तियों के लिए) निश्चित सीमा के भीतर कृत्रिम अंग (अस्थि विकलांगता के लिए) खरीदने के लिए दृष्टिबाधित एवं अस्थि विकलांग कर्मचारियों के लिए बाहन भत्ते का भुगतान, ग्रामीण/अर्ध शहरी स्थानों में नियुक्ति से छूट, प्राथमिकता के आधार पर बैंक के आवासीय निवास का आबंटन, सुविधाजनक पोस्टिंग आदि. बैंक उन दिव्यांग लोगों को, जिन्हें चलने, फिरने में परेशानी है, यात्रा प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराता है एवं दृष्टिबाधित व्यक्ति को आधिकारिक ड्यूटी/प्रशिक्षण पर सहयोग हेतु साथी सहित हेतु निःशुल्क यात्रा करने के लिए भी यात्रा प्रतिपूर्ति सुविधा देता है. दिव्यांग कर्मचारी, कर्मचारी की अशक्तता संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं अर्थात् अशक्तता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण, मेडिकल जांच आदि और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अशक्तता एवं विकास संबंधी सभाओं / सेमिनायें/ कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए क्रमश: 4 दिनों तथा

	10 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए भी पात्र हैं. बैंक ने हमारे बैंक में शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के सशक्तिकरण के लिए एसबीआई फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं ताकि उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उन्हें कार्य स्थल पर और अधिक उत्पादक और कुशल बनाया जा सके. एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से, बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए कार्य दायित्व के अवसरों की पहचान की और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यशालाएं और वेबिनार और मानव संसाधन अधिकारियों और कार्यपालकों हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है.
सिद्धांत 5	**"व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्द्धन करना चाहिए"**
1. क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/ अन्य शामिल हैं?	यह नीति केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा को कवर करता है.
2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया?	वित्त वर्ष 2021-22 में प्राप्त शिकायतों की संख्या = 863867 शिकायतों का % समाधान किया गया = 97.91% (निपटान की गई शिकायतों में वे शिकायतें भी शामिल हैं जो वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत में लंबित थीं)
सिद्धांत 6	**"व्यवसाय में पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए."**
1. क्या कंपनी के सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही व्याप्त है या इसमें समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/ अन्य भी शामिल हैं?	पॉलिसी में केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा शामिल है.

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि से निपटने के लिए रणनीति/ पहल है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक उपलब्ध काराएं.	हां, बैंक ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नानुसार कुछ महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं: • बैंक उन उद्योगों को वित्त प्रदान नहीं करता है जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं/ओजोन को कम करने वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं. • बैंक संधारणीय वित्त को बढ़ावा देता है और नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और जल अलवणीकरण के क्षेत्रों को वित्त प्रदान कर रहा है.
3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम का संज्ञान / आकलन लेती है?	हां, टीईवी अध्ययन/परियोजना मूल्यांकन में संभावित पर्यावरणीय जोखिमों के शमन को उचित महत्व दिया जाता है. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक मंजूरी, जहां कहीं लागू हो, प्राप्त की जा रही है.
4. क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है? अगर है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. और, यदि हाँ तो, क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?	बैंक ने बीकेसी बिल्डिंग में एक बायो गैस संयंत्र (क्षमता 500 किलो गीला कचरा) स्थापित किया है जो रसोई गैस और खाद का उत्पादन करता है. इसके अतिरिक्त, ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में विभिन्न शाखाएं केवल सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं. जिससे पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न बिजली की खपत कम की जा रही है. बैंक ने पूरे भारत में बैंक के स्वामित्व वाले -4- भवनों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन भी प्राप्त किया है जिससे समग्र पर्यावरणीय प्रभाव कम हो गया है. कम उत्सर्जन स्तर और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाले उत्पादों को खरीदा/उपयोग किया जाता है.
5. क्या कंपनी ने प्रदूषण रहित तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है. यदि हाँ, तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें	उपर्युक्त के क्रम में, बैंक के सभी कार्यलयों/शाखाओं में एलईडी लाइटों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बिजली की खपत में कमी आई है. कुछ ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाओं को बिजली उपलब्ध कराने हेतु सौर पैनलों/ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है.

6. क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी का अवशिष्ट उत्पादन/उत्सर्जन सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर है?	उपयोग किए गए सभी उपकरणों का उत्सर्जन स्तर स्थानीय नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अंदर है. बड़े भवनों जहां बायो गैस उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है में उत्पन्न ठोस अपशिष्टक के उपचार हेतु उपचार प्लांट स्थापित किए गए हैं. एसटीपी में उपचारित अपशिष्ट जल का प्रयोग बागवानी, फ्लशिंग आदि के लिए किया जाता है.
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या	शून्य
सिद्धान्त 7	**"ऐसे व्यवसाय जो सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करते हों उन्हें ज़िम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए"**
1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेम्बर या संगठन की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से सिर्फ प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय संबद्ध है.	1. भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय (एफएआई) 2. भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) 3. भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पत्ति संघ (एफआईएमएमडीए) 4. भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) 5. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) 6. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़) 7. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 8. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) 9. उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (सीएएफआरएएल) 10. माध्यमिक ऋण बाजार संघ
2. क्या आपने उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/ सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है. यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्रों	देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक होने के नाते बैंक नीति निर्माताओं और नीति निर्माण संघों के साथ मिलकर काम करता है, विशेष रूप से उन नीतियों को विकसित करने में जो बैंकिंग उद्योग की कार्यप्रणाली और

जैसे शासन तंत्र और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य का उल्लेख करें.	विनियमन, मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन से संबंधित नीतियों और बैंकिंग उद्योग के सतत विकास को शासित करती हैं.
सिद्धान्त 8	**"व्यवसाय से समवेशी वृद्धि तथा समुचित विकास को बल मिलना चाहिए"**
1. क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबन्धित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल/ परियोजना है. यदि हां तो उसका विवरण दें.	1. **एसएचजी को वित्तपोषण:** समावेशी वृद्धि और समुचित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु हमने स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया है. एसएचजी क्रेडिट लिंकेज उन ग्रामीण निर्धन लोगों तक पहुंचने का सबसे सरलतम माध्यम है जिनकी पहुंच ऋण के औपचारिक स्रोतों तक नहीं है. स्वयं सहायता समूहों में बचत की आदत डालने के साथ-साथ बैंक ऋण के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों को करने में सक्षम बनाकर वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाता है. इस वित्त वर्ष के दौरान, हमने और अधिक एसएचजी क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा एसएचजी उत्पादों में संशोधन किया है. इस वित्त वर्ष के दौरान किए गए संशोधनों के विवरण निम्नानुसार हैं: • डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कोलेट्रल मुक्त ऋण को रु.10 लाख से बढ़ाकर रु. 20 लाख करना और सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के तहत एसएचजी ऋणों पर कवरेज उपलब्ध कराना. • एसएचजी के क्रेडिट लिंकिंग प्रयोजन के लिए बैंक सखी/ एनिमेटरों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की शुरूआत करना. • तत्काल एसएचजी बचत बैंक खाता खोलने के लिए टैब बैंकिंग की शुरुआत की गई.

	"बड़ौदा किसान पखवाड़ा" महामारी के दौरान सतत् अर्थव्यवस्था किसान समुदाय के योगदान के लिए उनकी भावना और जोश की सराहना करने और देश के विकास के लिए हम प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह में इस पूरे पखवाड़े ग्राहक जुड़ाव गतिविधि का आयोजन कर रहे हैं. इस वित्त वर्ष में हमने बड़ौदा किसान पखवाड़े के दौरान 7623 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इसमें चौपाल, किसान मेला/ किसानों की बैठक एवं मेगा किसान मेला के माध्यम से फील्ड स्तरीय कर्मचारियों द्वारा 1.59 लाख किसानों से संपर्क स्थापित किया गया/ उन्हें जोड़ा गया. जहां किसान क्षेत्र में नवीनतम विकास और विभिन्न योजनाओं, बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके लाभान्वित हुए.
2. क्या ये कार्यक्रम/ परियोजनाएं, आंतरिक टीम/ अपनी संस्था/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलायी जाती है?	**एसएचजी को वित्तपोषण:** यह हमारे बैंक के कर्मचारियों द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदि जैसे सरकारी विभागों के समन्वय में संचालित किया जाता है. **बड़ौदा किसान पखवाड़ा:** इसका समन्वयन हमारी आंतरिक टीम द्वारा किया जाता है.
3. क्या आपने कभी अपने पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है?	**एसएचजी:** मार्च 2022 तक बैंक ने 263836 एसएचजी को कुल बकाया राशि रु. 5,977 करोड़ का ऋण प्रदान किया. **बड़ौदा किसान पखवाड़ा:** हमने बड़ौदा किसान पखवाड़ा के दौरान 7623 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों द्वारा कुल 1.59 लाख किसानों से संपर्क स्थापित किया गया/ उन्हें जोड़ा गया, जहां किसान कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विकास तथा बैंक

	द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हुए.
4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? (राशि रु. में एवं प्रारंभ की गई योजनाओं का विवरण)	हमारे बैंक द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत अनुमोदित गतिविधियों के व्यापक दायरे के अनुसार, बैंक बीएसवीएस ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के कामकाज के लिए सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वयित करेगा. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे बैंक ने आरएसईटीआई और एफएलसी के परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए सीएसआर फंड से बीएसवीएस ट्रस्ट को 673.96 लाख रुपये जारी किए हैं. **बड़ौदा आरसेटी:** बैंक ने ग्रामीण गरीबों को कार्यकुशल बनाने तथा स्वरोजगार उद्यमों में उनके नियोजन को ध्यान में रखते हुए बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देशभर में 64 केन्द्र स्थापित किए हैं. ये केन्द्र प्रशिक्षित युवाओं को बैंक ऋण प्राप्त करने तथा स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं. बैंक ने मार्च, 2022 तक इसके तहत 5,74,661 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है तथा इनमें से 3,85,315 ने सफलतापूर्वक अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं. **वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सारथी)** समाज के वंचित वर्ग को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने के लिए वित्तीय साक्षरता प्राथमिक आवश्यकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने देशभर में -85- वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र स्थापित किए

	हैं जो उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण करने हेतु वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं तथा जो वित्तीय कठिनाइयों में है उन्हें परामर्श भी प्रदान करते हैं. मार्च 2022 तक कुल 35,77,865 व्यक्तियों ने शिविरों के माध्यम से और केन्द्र का दौरा कर सेवाओं का लाभ लिया है. इन केन्द्रों पर संपर्क करने वालों को केन्द्रों पर कार्यरत सभी परामर्शदाता प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही संबंधित परिचालनगत क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्षित समूह विशेष शिविर/ विशेष शिविरों का आयोजन भी कर रहे हैं.
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? यदि हां तो, कृपया 50 शब्दों में विवरण दें.	आर-सेटी का मुख्य उद्देश्य आर-सेटी से प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को नियोजित करना और बेरोजगार युवाओं को उनके स्व-रोजगार उद्यम लेने के लिए सुविधा प्रदान करना है. **(बड़ौदा आरसेटी)** बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 5,74,661 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है जिनमें से मार्च, 2022 तक 3,85,315 ने सफलतापूर्वक अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं. **वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सारथी)** मार्च, 2022 तक कुल 35,77,865 व्यक्तियों ने शिविरों के माध्यम से तथा केन्द्र का दौरा कर सेवाओं का लाभ लिया है.
सिद्धान्त 9	**"व्यवसाय को जिम्मेदारी के साथ अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जोड़ कर उनको महत्व दिया जाना चाहिए."**
1. इस वित्त वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	आरंभिक = 22,108 प्राप्त शिकयतें =8,63,867 कुल =8,85,975 31.03.2022 तक लंबित शिकायतें= 18,249 % लंबित = 2.08%

Bank of Baroda

2. क्या कंपनी ने उत्पाद लेबल पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की है?	लागू नहीं
3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कंपनी के विरुद्ध अवैध व्यापार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और क्या वह इस वित्त वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें.	जी हां, पूर्ववर्ती विजया बैंक की मीरा रोड शाखा के ग्राहक श्री अल्ताफ अब्दुल मलिक पिरानी ने बैंक के खिलाफ रु. 5 लाख की राशि के दावे के लिए यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया कि बैंक बैंकिंग समाशोधन प्रणाली के माध्यम से चेक द्वारा एकत्र की गई राशि को बैंक उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर क्रेडिट देने में असफल रहा है तथा पिछले दो वर्षों से बैंक शिकायतकर्ता के प्रति अनुचित व्यवसाय प्रक्रिया को अपना रहा है और इसलिए बैंक क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है. बैंक की ओर से आरोपों को नकारते हुए लिखित बयान दाखिल किया गया है. मामले की अगली सुनवाई दिनांक 07 जून, 2022 को निर्धारित की गई है.
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति कराया है?	जी हां. बैंक नियमित रूप से ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को समझने के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है जो हमारे विभिन्न संपर्क केंद्रों अर्थात् शाखाओं, डिजिटल चैनलों और शिकायत समाधान के साथ उनकी बातचीत से उत्पन्न होता है. हम प्रवृत्ति का विश्लेषण करके संतुष्टि स्तर में भिन्नता की निगरानी भी करते हैं और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित व्यावसायिक टीम के साथ बातचीत करते हैं.

BANK OF BARODA

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2021-22

(Under SEBI Listing Regulations)

Section A: General Information about the Bank

1	**Corporate Identity Number (CIN) of the Company**	Not Applicable
2	**Name of the Company**	Bank of Baroda
3	**Registered address**	Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Baroda – 390007
4	**Website**	www.bankofbaroda.com
5	**E-mail id**	ed.jdr@bankofbaroda.com
6	**Financial Year reported**	2021-22
7	**Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)**	Banking & Finance
8	**List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)**	1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. International Banking
9	**Total number of locations where business activity is undertaken by the Company** **i) Number of International Locations (Provide details of major 5)** **ii) Number of National Locations**	i) 94 (Including IFSC at GIFT City) (USA, UK, UAE, Singapore and IFSCBU GIFT City) ii) 8,168
10	**Markets served by the Company- Local/State/National/International**	National and International

Section B: Financial Details of the Bank

1. Paid up Capital (INR)		10,35,53,36,000	
*2. Total Turnover (INR)**		8,13,64,73,06,000	
3. Total profit after taxes (INR)		72,72,28,16,000	
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)		Operating expenses include Rs. 8.29 Crore for the year ended March 31, 2022 towards CSR which is 1% of PAT Rs 829 Crore for the year ended March 2021.	
5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-			
Sr. No	**Segments**	**No. of Donations**	**Amount (in lakh)**
1	**Education & Skill Development**	07	710
2	**Healthcare**	06	91
3	**Socio-Economic Development**	04	28
	Grand Total	17	829

*Total Turnover = Total Interest Earned + Total Other Income

Section C: Other Details

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes, Bank has 8 Domestic Subsidiary Companies. Bank has -7- overseas subsidiaries, -1- JV at Malaysia with 40% shareholding and -1- Associate at Zambia with 20% shareholding.
2	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).	No, none of the subsidiaries participate in the BR initiatives of the parent company i.e. Bank.
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].	No, none of the entity/entities that the Bank deals with participate in the BR initiatives of the Bank.

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR **– Board Secretariat**

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	
1.	DIN Number	08055872
2.	Name	Mr. Joydeep Dutta Roy
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	
1.	DIN Number (if applicable)	-----
2.	Name	Shri Balasubramaniam Elango
3.	Designation	Chief General Manager (Compliance)
4.	Telephone number	022-66985705
5.	e-mail id	cgm.compliance@bankofbaroda.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.$$	Do you have a policy/policies for…	Y*	Y^	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3.**	Does the policy conform to any national/international standards? If yes, specify? (50 words) *(Pl. see the footnote)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y#
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N

$$ There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the Bank directly or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines, issued by the Bank from time to time, that are followed by the operating units as well as the policies formally put in place. Similarly, the Bank also implements the policies framed by regulators, affiliated associations and other statutes while carrying out the banking functions.

*Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (https://cvc.gov.in/sites/default/files/Vigilance%20Manual%28updated%202021%29-Hyperlinked.pdf)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Domestic Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

** S. No. 3: All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, legal Acts etc. Hence, they confirm to national standards.

Link : www.bankofbaroda.com.

2a. If answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having policy for P7 While there is no written policy for Principle 7, the Bank being one of the largest banks in the country is associated with policymakers and regulators for the advancement of public good, especially in the areas of governance and administration, economic, especially banking sector reforms, inclusive development policies etc.								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next 1 year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. Governance related to BR

Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.	Annually
Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, BR Report can be viewed at www.bankofbaroda.com It is published annually.

Section E: Principle-wise performance

Principle 1	"Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability"
1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company?	Bank has vigilance set-up on the lines of CVC guidelines to check unethical practices, corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds by following preventive vigilance steps on continuous basis as detailed under:- ➢ Online submission and 100% scrutiny of Annual Property Returns (APR) filed by officers. ➢ Agreed list of officers, whose honesty or integrity is doubtful or suspicious or there are such complaints, is prepared annually in consultation with the CBI authorities. ➢ As per CVC guidelines, list of officers of doubtful integrity is prepared/ reviewed annually. ➢ It is ensured and monitored that the officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the Central Vigilance Commission in monthly reports. ➢ Internal whistle blower policy has been made functional online (dealt with by Risk Management Department). ➢ Dedicated portal for vigilance function Bob-e-vigil is functional since 01.04.2018.

	➢ Summary of contracts awarded, showing position of various bidders and name of the agency L1 to whom the work is awarded, is displayed in corporate website on monthly basis. Fraud Management Solution (FMS) has been put in place as a tool to control/ prevent frauds. ➢ Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of regular inspection and during the preventive vigilance audits conducted at various zones/ regions. As a preventive vigilance measure, checks in the system have been introduced restricting debits/credits by staff in their own accounts. ➢ The Chief Vigilance Officer ensures investigation of complaints having vigilance overtones and takes appropriate action wherever required. ➢ Bank has also created Corporate Ethics Vertical in the current financial year with the objective of implementing the ethics agenda and inculcating ethical values among the staff which will help in supplementing Preventive Vigilance functions in the Bank.
2. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?	No, it does not extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGO's/Others.
3. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? *If so, provide details thereof, in about 50 words or so.*	No. of complaints received in FY 2021-22 = 863867 %age of complaints resolved = 97.91% (The resolved complaints also include the complaints that were pending at the beginning of the FY 2021-2022) The complaints resolved on the same day and the next day, i.e., D and D+1 days have not been reported in congruence with RBI guidelines.

Principle 2	**“Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle”**
1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.	1. SEWA Solar Pumps: Financing Solar powered pump sets for irrigation to individuals in area of Rann of Kutch. 2. Scheme for financing Sanitation and Drinking water requirements. 3. Micro Poly House: Finance to marginal landholders to grow crops under pro0tected environment to ensure better returns.
2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional) i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	• **Financing solar powered pump sets for irrigation to individuals in area of Rann of Kutch:** Employing solar pumps in place of conventional diesel powered pump sets reduces per unit cost, consumption of fossil fuel and carbon foot print. • **Financing sanitation and drinking water requirements:** Enabling sanitation and drinking water requirements by way of construction of overhead tanks and other amenities reduces the difficulty faced by poor farmers. • **Financing to micro Polyhouse:** Micro playhouse is a novel concept for growing high value crops in a controlled environment which enables famers to mitigate damages due to abnormal weather conditions. It also allows them to use less fertilizer and pesticides. This facilitates lesser impact on soil condition due to over utilization of chemicals and reduction in cost of cultivation of crops over a period of time.
3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? *Also, provide details thereof, in about 50 words or so.*	YES. Thrust is given in usage of renewable energy, power saving high star rated equipment, LED light fixtures, use of Solar Power in some branches, Green Building Certification for owned buildings. Buses are arranged for movement of Staff from Corporate office, Mumbai to nearby local train stations, therein reducing the impact of pollution.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services	Bank has empanelled various vendors under various financial categories (upto 2.5 lakhs, 15 lakhs & 50 lakhs)

from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	for different categories of works such as civil, electrical, furnishing, AC, etc. Local & Small vendors including MSME's are given preference in the procurement and the eligibility criteria as per Government/DFS extant guidelines. We prefer to make purchases from GeM Portal (Govt. e Market Place) also.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES. STPs, Waste treatment plants are installed and operated in multi storied buildings owned by Bank. More than 10% of food waste of Corporate office are recycled through Bio Gas Plant installed at our Corporate office premises, Mumbai. Used papers are being destructed and recycled at regular intervals.
Principle 3	**"Businesses should promote the wellbeing of all employees"**
1. Please indicate the Total number of employees.	79,173 employees
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.	418 employees hired on contractual basis.
3. Please indicate the Number of permanent women employees.	20,719 permanent women employees
4. Please indicate the Number of SC/ST Employees with disabilities	313 SC/ST Employees with disabilities
5. Do you have an employee association that is recognized by management?	All India Bank of Baroda Employees' Coordination Committee (AIBOBECC)
6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	49.08% of the permanent employees are members of this recognized union.

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year. HRM.

S.No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/forced labour/involuntary labour	NIL	NIL
2.	Sexual harassment	25	4
3.	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year? Permanent Employees Permanent Women Employees Casual/Temporary/Contractual Employees Employees with Disabilities	Percentage of employees given safety & skill up-gradation training during FY 2021-22:- • Permanent Employees – 54% • Permanent Women Employees – 57% • Contractual Employees – 6% • Employees with Disabilities – 50%
Principle 4	**"Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized"**
1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?	Yes, the Bank has mapped its internal and external stakeholders.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, the Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized employees.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The Bank has taken various special initiatives to engage and extend benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. Few of them are as under: **SC/ST Employees** The Bank treats all employees equally without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST Category such as training prior to recruitment and promotion exercise. The Bank has a chief liaison officer in the rank of General Manager at Head Office level and zonal liaisonofficers at each zone (total 18) for effectively addressing issues /grievances of SC/ST Employees. A dedicated reservation cell at Bank's Head Office deals with SC/ST reservation and liaison with SC/ST commission, Government officials and other external agencies for ensuring strict compliance of SC/ST reservation guidelines. On a regular basis, the Bank conducts meetings with All India Bank of Baroda SC/ST Employee Association at Corporate Office and zonal office level to review the proper implementation of the various policies pertaining to reservation and benefits extended to employees belonging to SC/ST category. **Persons With Disabilities** The Bank, as an employer, provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability.

	Bank has extended various benefits/perquisites to staff members with disabilities such as provision of special computer software for visually impaired employees, financial assistance for purchasing hearing aid (for hearing impaired persons),artificial limbs (for orthopedically challenged persons) within certain limits, payment of conveyance allowance to blind and orthopedically challenged employees, exemption from rural/semi-urban postings, preferential allotment of the Bank's residential accommodation, convenient place of posting etc. Bank also provides travel reimbursements for people with disabilities who have difficulties in moving independently and for Visually Impaired persons along with a companion to assist them to freely travel on official duty/trainings. Employees with disability are also entitled to avail special casual leave of four days and ten days for specific requirements relating to disabilities of employee viz. renewal of disability certificate, medical check-up etc. and for participating in conference/ seminars/ trainings/ workshops related to development of persons with disabilities to be specified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Bank has also signed an MOU with SBI foundation for the Empowerment of the Physically Challenged Employees in our Bank so as to focus on their development and enable them to be more productive & efficient at the work place. In association with SBI foundation, Bank has enumerated the job roles for visually impaired employees and conducted various training programs, online workshops and webinars for PWD employees and sensitization program for HR functionaries and Executives.
Principle 5	**"Businesses should respect and promote human rights"**
1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers	The Policy covers Bank of Baroda only.

/ Contractors / NGOs / Others?	
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No. of complaints received in FY 2021-22 = 863867 %age of complaints resolved = 97.91% (The resolved complaints also include the complaints that were pending at the beginning of the FY 2021-2022)
Principle 6	**"Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment"**
1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures / Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	The Policy covers Bank of Baroda only.
2. Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? If yes, please give hyperlink for webpage etc.	Yes, Bank has initiated certain important measures to protect environment and prevent pollution as under: • Bank does not extend finance to industries which affects environments/ produce ozone depleting substances. • Bank promotes sustainable finance and is extending finance to renewable energy, electric vehicles and water desalination sectors.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks?	Yes, In TEV study/ project appraisal, due weightage is given to the mitigation of potential environmental risks. Pollution Control Certificate & Other required clearances is being obtained wherever applicable.
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	Bank has installed a Bio Gas plant (capacity 500Kg wet waste) at Bank's building in BKC which produces cooking Gas and manure. Moreover, various branches in rural/semi urban areas are being run on Solar Energy only, thereby reducing the consumption of power generated from conventional sources.

	Bank has also obtained Green Building certification for -4- nos of Bank's owned buildings PAN India thereby reducing the overall environmental impact. Products having lesser emission level and lesser impact on environment are procured/ used.
5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. If yes, please give hyperlink for web page etc.	In continuation to the above, all the Bank's Offices/branches are equipped with LED lights thereby attaining reduction in power consumption. Solar Panels/energy is being used to power few R/SU branches.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	Emission levels of all equipment used are within the standards prescribed by the local regulatory authorities. Treatment plants are installed for treating solid waste generated in major buildings where bio gas & manure is generated as byproduct. Waste water treated in STPs is used for gardening, flushing, etc.
7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	Nil
Principle 7	**"Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner"**
1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	1. Foreign Exchange of India (FAI) 2. Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) 3. Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) 4. Primary Dealers Association of India (PDAI) 5. Indian Banks Association (IBA) 6. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) 7. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 8. National Institute of Bank Management (NIBM) 9. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL). 10. Secondary Loan Market Association

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? If yes, specify the broad areas such as Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	Bank being one of the largest commercial banks in the country works closely with policymakers and policymaking associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry, monetary policy, financial inclusion related policies and sustainable development of the banking industry.
Principle 8	**"Businesses should support inclusive growth and equitable development"**
1 Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.	1. **Financing to SHG**: To support inclusive growth and equitable development we have extended loans to SHGs. SHG credit linkage is the simplest form of reaching rural poor who do not have access to formal sources of credit. SHGs are financially empowered by inculcating a saving habit amongst them as well as enable them to undertake income generating activities through bank credit. During this FY, we have modified the existing SHG products to accommodate more SHG credit linkage. Details of the modifications during this FY is as follow: • Enhancement of collateral free loans to Self Help Groups (SHGs) under DAY-NRLM from Rs 10 Lakh to Rs 20 Lakh and coverage of SHG loans under Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU). • Introduction of payment of Incentives to Bank Sakhi/Animators for the purpose of credit linking SHGs. • Introduced TAB Banking for instant SHG Savings Bank Account opening, **"Baroda Kisan Pakhwada"**

	To appreciate the spirit and vigor of the Farming community for their contribution towards sustainable economy during the pandemic and for the development of the country we are conducting this fortnight long customer engagement activity every year during the month of October. During this FY, we have organized 7623 events during the Baroda Kisan Pakhwada and through this 1.59 Lakh farmers were connected / reached out by field functionaries through Chouplas, Kisan melas/farmers meet, and Mega Kisan Melas. Farmers were benefitted by gaining knowledge about the latest developments in the field of agriculture and various schemes, initiatives taken by the Bank.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/ any other organization?	**Financing to SHG**: It is coordinated by our own employees in coordination with Government Departments like DAY-NRLM, SRLM etc. **Baroda Kisan Pakhwada:** It is coordinated by our in-house team.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	**SHG:** As on March' 2022, Bank has extended loans to 263836 SHGs with total outstanding amount of Rs 5, 977 crores. **Baroda Kisan Pakhwada:** We have organized 7623 events during the Baroda Kisan Pakhwada and through this 1.59 Lakh farmers were connected / reached out by the banks field functionaries. Farmers were benefitted by gaining knowledge about the latest developments in the field of agriculture and various schemes, initiatives taken by the Bank.
4. What is your company's direct contribution to community development projects (Amount in INR and the details of the projects undertaken).	As per Corporate Social Responsibility (CSR) policy adopted by our bank and in accordance with the broad scope of activities permitted under Schedule VII of the Companies Act, 2013, the Bank will implement CSR activities through BSVS Trust for functioning of Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) and Financial Literacy Centers (FLCs).

	During the FY 2021-22, our bank has released Rs 673.96 lac to BSVS Trust from CSR fund to meet out the operational expenditure of RSETIs and FLCs. **Baroda RSETI:** For imparting skill to rural poor and engage them in self- employment ventures, Bank has set up -64- RSETIs all over the country to provide free of cost vocational training to unemployed youth. These centers are also providing handholding support to the trained youth in availing bank credit and in establishment of their ventures. Up to March, 2022, Bank has trained 5, 74,661 candidates under this activity out of which 3, 85,315 have established their ventures successfully. **Financial Literacy centers (SAARTHEE)** Financial literacy being a prerequisite for bringing the excluded sections of the society under the financial services, Bank has established -85- Financial Literacy and Credit Counseling centers all over the country which are providing financial literacy for responsible borrowing and also counseling to those who are under financial distress. Till March 2022, cumulatively 35, 77,865 persons availed the services through camps and visits at centers. All the counsellors at these centers are providing face to face services to the visitors at the centers and also conducting target group specific camps/special camps in the respective operational areas for providing their services.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	The main objective of RSETIs is the settlement of trained candidates from RSETIs and to facilitate unemployed youth to take their self-employment ventures **(Baroda RSETI)** Bank has trained 5, 74,661 candidates under this activity out of which 3, 85,315 have established their ventures successfully up to March, 2022.

	Financial Literacy centers (SAARTHEE) Till March 2022, cumulatively 35, 77,865 persons availed the services through camps and visits at centers.
Principle 9	**"Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner"**
1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?	Opening = 22,108 Complaints received = 8,63,867 Total = 8,85,975 Complaints pending as on 31.03.2022 = 18,429 % pending = 2.08%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws?	Not Applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, one of the customers of Mira Road erstwhile Vijaya Bank branch, Mr. Altaf Abdul Malik Pirani has filed a case against the Bank for a claim amount of Rs. 5 Lakh on the ground that bank has failed to give credit on the same day or the next working day of the amount collected by cheque through the banking clearing system and the bank is resorting to unfair trade practice against the interest of the complainant during the past two years and therefore the bank is liable to compensate. Written statement denying the allegations has been filed on behalf of the Bank. The matter is next posted for hearing on June 07, 2022.
4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	Yes. Bank regularly conducts Customer Satisfaction Survey to understand customer satisfaction level generating from their interactions with our various touch points i.e. branches, digital channels and on grievance redressal. We also monitor the variation in satisfaction level by analysing the trend and take up with concerned business team for necessary corrective action.